

# मानव विकास प्रतिवेदन



उत्तर प्रदेश सरकार

# मानव विकास प्रतिवेदन 2003 उत्तर प्रदेश



fu; kst u foHkkx  
mÙkj i ns' k ' kkl u

© 2003

mùkj in'sk 'kkl u

l okZ/kdkj l jf{kr] mùkj in'sk 'kkl u dh iwZ vuqfr ds fcuk fdl h Hkh : i  
ea bl izk'ku ds fdl h Hkkx dk iqizk'ku] l j{k.k vFkok l àk.k iwZ-%  
oftZ gA

eW; % #- 900@&

ifjdYiuk ,oa eqzk % izk'k i dsl] 257&xkykxat] y[kuÅ&226018



सत्यमेव जयते

Planning Commission



India

### Message

We are very pleased that the Uttar Pradesh Human Development Report has been prepared by the State Government, based on background papers from distinguished scholars and researchers from within the state.

Within India, the preparation of State HDRs is based on the twin principles of government ownership and editorial autonomy, and the UPHDR preparation process is consistent with this. The Report provides an overview of human development indicators in India's most populous state and one that has the largest economy in terms of State Domestic Product. The UPHDR focuses on the status of poor and marginalized groups, especially women, Scheduled Castes and religious minorities, as well as regional disparities within the state.

The report makes a case for improving governance to improve the effectiveness of service delivery and greater participation by hitherto socially excluded groups and less developed regions. It holds up a mirror to the people of Uttar Pradesh, so that we can better comprehend the scale of UP's human development deficit and then develop constructive solutions to bridge the gap.

We compliment the authors of the Report and the State Government and look forward to the follow up.

Santosh Mehrotra  
Adviser (RD), Planning Commission

Maxine Olson  
UNDP Resident Representative





दिनांक: 30 मई, 2007

## संदेश

उत्तर प्रदेश, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष की हैसियत से प्रथम 'उत्तर प्रदेश मानव विकास प्रतिवेदन' प्रस्तुत करते हुये मुझे अपार हर्ष हो रहा है।

यू०एन०डी०पी० के मानव विकास प्रतिवेदन 1999 के अनुसार किसी भी राष्ट्र की वास्तविक सम्पदा उस देश के नागरिक होते हैं। नियोजित विकास का मुख्य उद्देश्य, जनता के लिये ऐसे भयमुक्त एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण का सृजन है जिसमें जनता दीर्घजीवी, सृजनात्मक एवं समृद्धिशाली जीवन व्यतीत कर सके। प्रथम 'उत्तर प्रदेश मानव विकास प्रतिवेदन' की संरचना में इस साधारण परन्तु शक्तिशाली सत्य को ध्यान में रखा गया है।

'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम' द्वारा वैश्विक स्तर पर मानव विकास संकेतकों की अवधारणा को परिचित कराने का मुख्य उद्देश्य 'जनता की खुशहाली की वर्तमान स्थिति' को मापना है। प्रतिवेदन में दर्शाई गयी मानव विकास संकेतकों की प्रास्थिति, वर्तमान स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करती है। प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न मानव विकास संकेतकों में त्वरित विकास हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारसृजन तथा महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारी निवेश किये गए हैं जिसका प्रभाव आगामी वर्षों में द्वितीय 'उत्तर प्रदेश मानव विकास प्रतिवेदन' में परिलक्षित होगा तथा मानव विकास संकेतकों की प्रवृत्ति के विश्लेषण में यह एक 'संदर्भ बिन्दु' का कार्य करेगा। इसके साथ ही ये संकेतक विकास के मानवीय पहलुओं पर भी ध्यान केन्द्रित करेंगे क्योंकि मात्र आर्थिक वृद्धि, मानव विकास संकेतकों में प्रगति का दिशा बोध नहीं कराती है। राज्य सरकार प्रदेश के सभी नागरिकों के लिये बेहतर गुणात्मक जीवन सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध है।

मानव विकास प्रतिवेदन में कुल 9 अध्याय हैं जिनमें प्रथम अध्याय में एक दृष्टि में उत्तर प्रदेश की स्थिति की विवेचना की गयी है जबकि अध्याय 2 से 7 तक क्रमशः प्रदेश में मानव विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक खुशहाली, महिलाओं तथा सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों की स्थिति का आँकलन किया गया है। अध्याय -8 में प्रदेश में प्रशासन एवं विकेन्द्रीकरण पर प्रकाश डाला गया है तथा नवें एवं अन्तिम अध्याय में प्रदेश के समक्ष प्रमुख चुनौतियों तथा किये जाने वाले आगामी कार्यों की विवेचना की गयी है।

मैं प्रथम "उत्तर प्रदेश मानव विकास प्रतिवेदन" को तैयार करने में दिये गये बहुमूल्य तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग के लिये 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम' तथा केन्द्रीय योजना आयोग, भारत सरकार को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के नियोजन विभाग के अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश मानव विकास प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने तथा इस स्वरूप में लाने के लिये किए गए अथक परिश्रम एवं समर्पित प्रयास की सराहना भी करता हूँ। आशा है यह प्रतिवेदन विकास से जुड़े प्रशासनिक अधिकारियों तथा शोधकर्ताओं के लिये रुचिकर होगा।

  
(शशांक शेखर सिंह)

# VHKJ

mRrj insk ekuo fodkl ifronu dk iLrqr v[cl] jkT; ljdkj rFkk jkT; ljdkj ds ckgj ds x\$&ljdkjh dbZ fo}kuka ds laDr izkl dk ifrQy gA insk ea ekuo fodkl dh iklfLkfr ds fu: i.k rFkk vf[ky Hkkjrh; Lrj ij ,oa vU; inskka ds ekuo fodkl ds Lrjka ds ifji; ea bl dh fLkfr ds rnyukRed v/; ;u dks nFVxr j[krs gq s mRrj insk ekuo fodkl ifronu dh ljpuk dk dk;Z uoEcj] 1998 ea fd;k x;k Fkka ;g dk;Z laDr jk"V<sup>a</sup> fodkl dk;Z e ¼; ¼, uOMhOihO½ ;kstuk vk;ksx] Hkkjr ljdkj ds lg;ksx rFkk insk ljdkj ds l'ello; ls fd;k x;k gA

mRrj insk ekuo fodkl ifronu dk vfhkys[k ;|fi fu;kstu foHkkx] mRrj insk }kjk vU; foHkkxka ls fopkj&foe'kZ ds vk/kkj ij r\$kj fd;k x;k g\$ rFkfi bl dk ewk mnas' ; Loræ #i ls insk ea ekuo fodkl dh fLkfr dk ijh{k.k ,oa foopuk djuk gA

ifronu dh i"BHkfe ds v/;k; x\$&ljdkjh fo'kSkka ds ,d ny }kjk r\$kj fd;s x;s gA bu v/;k;ka ds dhnz ea fuEu fo"k; oLrq lekos'kr g\$&

1-mRrj insk% ,d nFV ¼,OdD ls xhrk½ 2-ekuo fodkl dh fLkfr ¼jfo JhokLro½ 3- f'k{kk dh fLkfr ¼eD eqtfeey ,oa l gsk gd ¼¼- LokLF; dh fLkfr ¼vjfoln ekgu½ 5- vkfkd [kqkyh ¼,OdD fl g½ 6- insk ea efgykva dh fLkfr ¼fu'kk JhokLro½ 7- ekuo fodkl ,oa lkekftd le g ¼fu'kk JhokLro ,oa jfo JhokLro½ 8-izkl u vk\$ fodhhdj.k ¼jfo JhokLro½ 9- iæ[k pqr;KW ,oa vkxkeh dk;Z ¼jfo JhokLro½A

insk ea xjhch ls laDr/kr ftu ftyk Lrjh; vkWMLka dk mi;ksx ifronu ea fd;k x;k g\$ mlga ,0 dD fl g us r\$kj fd;k gA thou iR;k'kk ls lEcFu/kr vupekuka dks ,eD MhO oegh ,oa dh izk'k ukj;u }kjk r\$kj fd;k x;k gA ifronu ea ftyk&vk; ls laDr/kr vkWMLs funskd] vFZ ,oa l[;k iHkkx] moio }kjk miyC/k dj;ks x;s gA ifronu ea ekuo fodkl l'pdkad dks ,d dkj Vhe us fodflr fd;k g\$ ftl ea jfo JhokLro] ,0 dD fl g ,oa fu'kk JhokLro l'feefyr Fkka ekuf=ka dk dk;Z fot; }kjk lEikfnr fd;k x;k gA

vkys[; & ifronu dks jfo JhokLro rFkk fu'kk JhokLro }kjk ,0 dD fl g ds veW; lg;ksx ls r\$kj fd;k x;k gA ,0 dD fl g ds lFk gh lFk jktho 'kekZ t;hnz d".k] chO izk'k ukj;u] l'xhrk HkVVkpk;Z fjpk fl g] vkjk/kuk JhokLro ,oa vej ;kno dk lg;ksx l'jguh; jgk gA

bl ifronu ds fy, r\$kj fd, x;s rhu l'pdkad o"kZ 1991 ds gA dfri; ekeyka ea ¼;Fkk& ,pOMhOvkD½ fo'ySk.k dks ¼dN lek;ksuka ds lFk½ o"kZ 1981 ls 2001 rd foLrkfjr dj fn;k x;k gA l'pdkadka ds fy, dfri; egRoikZ l'puk,a tux.kuk ls yh xbZ gA o"kZ 1991 ds l'pdkadka dk eq[; mnas';] insk ea ekuo fodkl dh fLkfr dk fo'ySk.k iLrqr djuk jgk gA fQj Hkh ifronu ea v|ru l'pukva dks lekos'kr djrs gq s fo'ySk.k

fd;k x;k gA bl ds vfrfjDr iEke ;wi-h,-p-Mh-vkj- dk egRoiwkZ mnas ; ,d s vk/kkjka dk fuekZk vkSj iLrqhdj.k gS ftlls vxkeh fodkl dks ekik vkSj fo'ys'kr fd;k tk l ds rFkk uhfrxr fu"d"kZ fudkys tk l dA

;g ckr Hkh /;ku ea j[kuk l ehphu gksck fd o"kZ 1991 dk fo'ys'k.k rRdkyhu mOiD dk gS ftlea 2000 rd ins'k ea 'kkfey fdUrq ml ds ckn mRrjk[kM ea pys x;s ftyka dk fo'ys'k.k Hkh gS ysdub ftyka dks iz'kkil fud vk/kkj ij 'kkfey ugha fd;k x;k gA cfYd rRdkyhu mOiD ds iozh; ftys %vc mRrjk[kM½ jkT; ds 'kSk ftyka ds e/; ekuo fodkl dh fLFkfr dks ryukRed n"V ls fojks'kkHkl dk egRoiwkZ l ds nsk gA

ifronu ds ik#i dks fu;kstu foHkkx ds ftu vf/kdkfj;ka us dfBu ifjJe ,oWyxu ds l kfk ijh{k.k ,oWfeyku fd;k gS muea e[; #i ls Mko th0,u0 ik.Ms] vkj0 ch0 jke] Mko jktbnz frokjh] vjfoln frokjh] ;0vkj0 Hkko\$ oh0 d0 oekZ vkj0d0oekZ vCny oyh [kkW vkj0 ,l0 yskh] ,oWMko v'kkd d'ekj JhokLro iz'kkil ds ik= gA bl ds vfrfjDr gjh'k 'kekZ rFkk yYyu d'ekj }kjk cgeW; lg;ksx inku fd;k x;k gA ifronu dks vfire #i nss ea rRdkyhu iad[k lfpo] fu;kstu] vuhl va'kjh] vey d'ekj oekZ v#.k d'ekj feJ vkSj lfpo] d'ekj Qrg cgknj] rFkk vjfoln ukj; .k feJ] fo'kSk lfpo] fu;kstu }kjk iz'kkil uh; ;ksnku fn;k x;kA rRdkyhu e[; lfpo] mRrj ins'k 'kkl u] oh0 d0 ferRy ,oW orZku lfpo] l'qhy d'ekj o iad[k lfpo] fu;kstu oh0 odVkpYe- ds eksh'kZu ls bl ifronu dk orZku Lo#i inku fd;k tk l dk gA

ifronu dh i"BHkfe] v/;k;ka ij fVli.kh vkSj foopuk grq vk;kstr dk;Zkkyk ea jfo n[xy] ,l0 d0 FkjkV] l'kkf"kuh vyh] #ijs[kk oekZ jkg.kh us ;j] vkykd oekZ ,oWVh0,u0 /kj ds veW; l'qkoka us bl dh mi;kf'xr c<k nh gA

,0 d0 f'ko d'ekj ,oWthu Mst us vius 0;Lr dk;Zde ea ls cgeW; le; fudky dj i"BHkfe v/;k;ka ij tks fVli.kh ,oWvk[;k inku dh gS ml ds fy;s ge muds drK gA

;kstu vk;ksx] Hkkjr ljdkj dh rRdkyhu lykgdkj] Jherh jkg.kh us ;j ,oWmudh Vhe }kjk ifronu ea inku fd;k x;k lg;ksx ljkuh; jgk gA

;wkbVM usku MoyieBV ikske ds ekuo fodkl l sy ds rRdkyhu v/;{k] Jh vkj0 l'q'kZ vkSj vc mudh mRrjkf/kdkjh Mko d0 lhrkiHkq }kjk bl ifronu dks r\$kj djus ea iwZ lg;ksx inku fd;k x;k gA

ifronu ea baxr fd;k x;k gS fd o"kZ 1991 ea ekuo fodkl ds l mHkZ ea mOiD dk LFkku 15 cMs jkT;ka ea vfire ik;nku ij Fkk] tks o"kZ 2001 ea c<dj 12oa LFkku ij vk x;k gA ekuo fodkl l'pdkkl ea ifjyf{kr gblZ ;g of) ins'k ds fy;s dkQh mRl kgo/kZl gA n"V0; gS fd ekuo fodkl ifronu dh l'jpuk ins'k ea igyh ckj dh x;h gS vr% bl ea dN =qV; kW Hkh gks l drh gS ftlga vxys ifronu ea nij djus dk iz'kkil fd;k tk; s'kA vk'kk gS fd ins'k ds fy;s r\$kj dh tkus okyh Hkkoh fodkl dh ;kstu vka dh l'jpuk ea ;g ifronu vR;Ur mi;ksx fl) gkskA

## विषय सूची

अध्याय	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
	आभार	
	विषय सूची	
	संक्षेपणों की सूची	
	नवसृजित जिलों की सूची और उनके पुराने जिले	
अध्याय	1. उत्तर प्रदेश : एक दृष्टि .....	1
अध्याय	2. मानव विकास की स्थिति .....	11
अध्याय	3. शिक्षा की स्थिति .....	19
अध्याय	4. स्वास्थ्य की स्थिति .....	39
अध्याय	5. आर्थिक खुशहाली .....	57
अध्याय	6. उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति .....	73
अध्याय	7. मानव विकास और सामाजिक समूह .....	91
अध्याय	8. प्रशासन और विकेंद्रीकरण .....	109
अध्याय	9. प्रमुख चुनौतियाँ और आगामी कार्य .....	117
	<b>संदर्भ</b>	121
	<b>परिशिष्ट ए :</b> मानव विकास सूचकांक पर तकनीकी टिप्पणी .....	127
	<b>परिशिष्ट बी :</b> जिला घरेलू उत्पाद के अनुमान संबंधी तकनीकी टिप्पणी .....	129
	<b>परिशिष्ट सी :</b> जिलावार जीवन प्रत्याशा के अनुमान संबंधी तकनीकी टिप्पणी .....	131
	<b>परिशिष्ट तालिकाएँ</b>	
	राज्यों के राज्यवार तालिकाएँ .....	133
	जिलों के जिलावार तालिकाएँ .....	149



## संक्षेपण सूची

ए.ई.डी.  
 ए.आई.डी.एस.  
 ए.एल.सी.  
 ए.एन.सी.  
 ए.एन.एम.  
 ए.पी.पी.ई.।।  
 ए.आर.आई.  
 ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी.  
 ए.डब्ल्यू.टी.सी.  
 बी.एड.  
 बी.ए.एस.  
 बी.सी.आर.  
 बी.ई.टी.आई.  
 बी.मा.रू.  
 बी.एम.आई.  
 बी.आर.सी.  
 बी.आर.जी.  
 बी.एस.ए.  
 बी.टी.सी.  
 सी.ए.जी.  
 सी.बी.आर.  
 सी.डी.ओ.  
 सी.डी.आर.  
 सी.ई.डी.  
 सी.आई.आई.  
 सी.एम.आई.ई.  
 सी.एम.आर.  
 सी.पी.आई.  
 सी.आर.सी.  
 सी.वी.  
 सी.डब्ल्यू.पी.आर.  
 डी.ए.एल.वाई.  
 डी.जी.पी.  
 डाइट  
 डी.आई.ओ.एस.  
 डी.पी.ई.पी.  
 डी.पी.टी.  
 डी.आर.डी.ए.  
 डी.आर.एस.  
 डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए.  
 ई.ए.एस.  
 ई.सी.सी.ई.  
 ई.सी.ई.  
 ई.एफ.ए.

शिक्षा विकास अकादमी  
 एड्स  
 वैकल्पिक शिक्षा केंद्र  
 जन्मपूर्व देखरेख  
 सहायक नर्स और दाई  
 आंध्र प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परियोजना  
 गहन श्वास अवरोध  
 त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम  
 आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्र  
 बैचलर आफ एजुकेशन  
 आधार fu/kkj .k अध्ययन  
 चालू राजस्व बचत  
 नवाचार आधारित बेहतर शिक्षा  
 बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश  
 बाडी मास इंडेक्स  
 ब्लाक संसाधन केंद्र  
 ब्लाक संसाधन समूह  
 बेसिक शिक्षा अधिकारी  
 बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट  
 महालेखा नियंत्रक  
 अपरिपक्व जन्म दर  
 मुख्य विकास अधिकारी  
 अपरिपक्व मृत्यु दर  
 दीर्घ LFkk;h ऊर्जा अभाव  
 भारतीय उद्योग परिसंघ  
 भारतीय अर्थी; oLFkk vuqj.o.k केंद्र  
 बाल मृत्यु दर  
 भ्रष्टाचार बोध सूचकांक  
 समूह संसाधन केंद्र  
 कोएफिशिएंट आफ वैरिएन्स  
 अंजि Do कार्य भागीदारी दर  
 अपंगता समायोजित जीवन वर्ष  
 पुलिस महानिदेशक  
 जिला शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान  
 डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स  
 जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना  
 डिप्टीरिया परटुसिस एंड टिटनस  
 जिला ग्रह; विकास अभिकरण  
 डाइरेक्ट रिसीविंग सेट्स  
 ग्रामीण क्षेत्रों में बाल एवं महिला विकास  
 l fu' pr रोजगार योजना  
 i kjfEHkd cky; koLFkk देखरेख और शिक्षा  
 i kjfEHkd cky; koLFkk शिक्षा  
 scds fy, शिक्षा

ई.जी.एस.  
 ई.आई.यू.एस.  
 एफ.ए.एस.  
 एफ.आई.आर.  
 एफ.पी.एस.  
 जी.डी.आई.  
 जी.डी.पी.  
 जी.ई.एम.  
 जी.ई.आर.  
 जी.ए.पी.  
 जी.ओ.आई.  
 जी.ओ.आई.यू.एन.एस.ई.पी.  
 जी.ओ.यू.पी.  
 जी.एस.डी.पी.  
 एच.डी.आई.  
 एच.डी.आर.  
 एच.पी.सी.  
 एच.पी.आई.  
 आई.ए.वाई.  
 आई.सी.डी.एस.  
 आई.डी.ए.  
 आई.एफ.ए.  
 आई.जी.एन.ओ.यू.  
 आई.आई.टी.  
 आई.एम.आर.  
 आई.पी.सी.  
 आई.आर.डी.पी.  
 आई.आर.पी.ए.पी.  
 आई.टी.  
 जे.जी.एस.वाई.  
 जे.आर.वाई.  
 के.के.  
 के.एस.  
 के.डब्ल्यू.एच.  
 एम.ए.एस.  
 एम.बी.एम.  
 एम.सी.डी.ए.  
 एम.डी.टी.  
 एम.के. एस.एस.  
 एम.एल.ई.सी.  
 एम.ओ.यू.  
 एम.एस.  
 एम.टी.ए.

शिक्षा गारंटी योजना  
 शहरी efyu cLrh पर्यावरण सुधार  
 अंतिम fu/kkj .k अध्ययन  
 प्रथम सूचना रिपोर्ट  
 सस्ते गल्ले की दुकान  
 ykxd विकास सूचकांक  
 सकल घरेलू उत्पाद  
 ykxd सशक्तिकरण eki  
 सकल नामांकन अनुपात  
 सकल राष्ट्रीय उत्पाद  
 भारत सरकार  
 भारत सरकार का संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था  
 शिक्षण कार्यक्रम  
 उत्तर प्रदेश सरकार  
 सकल राज्य घरेलू उत्पाद  
 मानव विकास सूचकांक  
 मानव विकास प्रतिवेदन  
 उच्चाधिकार समिति  
 मानव गरीबी सूचकांक  
 इंदिरा आवास योजना  
 , dldr बाल विकास योजनाएं  
 अंतरराष्ट्रीय विकास सहायता  
 आयरन Okfyd ,fl M की गोली  
 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय  
 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान  
 शिशु मृत्यु दर  
 भारतीय दंड संहिता  
 समन्वित ग्राम विकास परियोजना  
 समन्वित ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम  
 सूचना प्रौद्योगिकी  
 जवाहर ग्राम समृद्धि योजना  
 जवाहर रोजगार योजना  
 किशोरी केंद्र  
 किशोरी संघ  
 किलोवाट ?kk  
 मध्यावधि मूल्यांकन अध्ययन  
 माँ-बेटी मेला  
 आदर्श ग्राम समूह विकास , i kp  
 बहुऔषधि चिकित्सा  
 मजदूर किसान शक्ति संगठन  
 कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम  
 अनुबंध ज्ञापन  
 महिला समारम्भ  
 मातृ शिक्षक संघ

एम.डब्ल्यू.  
 एम.डब्ल्यू.एस.  
 एन.सी.ए.ई.आर.  
 एन.सी.ई.आर.टी.  
 एन.सी.आर.बी.  
 एन.डी.डी.पी.  
 एन.ई.पी.  
 एन., Q.ई.  
 एन.एफ.एच.एस.  
 एन.जी.ओ.  
 एन.एच.आर.सी.  
 एन.एल.सी.पी.  
 नोएडा  
 एन.आर.डी.पी.  
 एन.एस.ए.पी.  
 एन.एस.डी.पी.  
 एन.एस.एस.ओ.  
 ओ.बी.सी.  
 ओ.आर.टी.  
 पी.सी.एड.एफ.  
 पी.डी.एस.  
 पी.एच.सी.  
 पी.एल.एफ.  
 पी.ओ.ए.  
 पी.पी.पी.  
 पी.आर.आई.  
 पी.आर.ओ.बी.ई.  
 पी.एस.यू.  
 आर.सी.एच.एस.  
 आर.एफ.टी.  
 आर.एम.पी.  
 आर.पी.एफ.  
 एस.ए.वी.ई.  
 एस.सी.  
 एस.सी.ई.आर.टी.

मेगावाट  
 दस लाख कुओं की योजना  
 नेशनल कौंसिल आफ अप्लाइड इकोनामिक  
 रिसर्च  
 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान , Oaप्रशिक्षण परिषद  
 राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो  
 शुद्ध जिला घरेलू उत्पाद  
 राष्ट्रीय शिक्षा नीति  
 अनौपचारिक शिक्षा  
 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण  
 गैर सरकारी संगठन  
 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग  
 राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम  
 न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी  
 शुद्ध क्षेत्रीय घरेलू उत्पाद  
 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम  
 शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद  
 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन  
 अन्य पिछड़ी जातियाँ  
 ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी  
 प्रादेशिक कोआपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड  
 सार्वजनिक वितरण प्रणाली  
 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र  
 प्लांट लोड फैक्टर  
 कार्य ग्रुप योजना  
 क्रयशक्ति समानता  
 पंचायतीराज संस्थाएँ  
 पब्लिक रिपोर्ट आन बेसिक एजुकेशन  
 सार्वजनिक उद्यम  
 ग्रामीण बाल स्वास्थ्य सर्वेक्षण  
 चिकित्सा । Sराहत  
 रूरल मेडिकल प्रैक्टीशनर्स  
 संशोधित नीति । jpk  
 सामाजिक कार्यदृष्टि और उद्यमशीलता  
 अनुसूचित जाति  
 राज्य शैक्षिक अनुसंधान , Oaप्रशिक्षण परिषद

एस.सी.पी.  
 एस.सी.आर.बी.  
 एस.डी.पी.  
 एस.एफ.सी.  
 एस.जी.एस.वाई.  
 एस.आई.ई.  
 एस.आई.ई.एम.ए.टी.  
 एस.आई.ई.टी.  
 सिप्सा  
 एस.पी.ए.सी.  
 एस.आर.एस.  
 एस.एस.ए.  
 एस.टी.  
 एस.टी.डी.  
 टी.बी.ए.  
 टी.एफ.आर.  
 टी.एल.एम.  
 टी.पी.डी.एस.  
 टी.पी.आर.  
 ट्राइसेम  
 टी.टी.  
 यू.ई.ई.  
 यू.पी.बी.ई.पी.  
 यू.एन.डी.पी.  
 यू.।।.ई.एफ.ए.पी.बी.  
 यूनेस्को  
 यूनीसेफ  
 यू.पी.  
 यू.पी.ई.  
 यू.पी.एच.डी.आर.  
 यू.पी.एच.एस.डी.पी.  
 वी.ई.सी.  
 डब्ल्यू.एम.जी.

विशेष एकीकृत योजना  
 राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो  
 राज्य घरेलू उत्पाद  
 राज्य वित्त आयोग  
 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना  
 राज्य शिक्षा संस्थान  
 राज्य शिक्षा, प्रबंध , Oa प्रशिक्षण संस्थान  
 राज्य शिक्षा , Oa प्रौद्योगिकी संस्थान  
 स्टेट इनोवेशंस इन फेमिली प्लानिंग सर्विसेज  
 प्रोजेक्ट एजेंसी  
 राज्य Oa बच्चों के लिए कार्य योजना  
 नमूना पंजीकरण प्रणाली  
 सर्वशिक्षा अभियान  
 अनुसूचित जनजाति  
 यौन संक्रामक बीमारियाँ  
 ट्रेडीशनल बर्थ अटेंडेंट ( दाई )  
 कुल प्रजनन दर  
 प्रशिक्षण और अध्ययन सामग्री  
 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली  
 छात्र शिक्षक अनुपात  
 ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण  
 टिटनस टाक्साइड  
 सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा  
 उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट  
 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम  
 उत्तर प्रदेश एजुकेशन फार आल प्रोजेक्ट बोर्ड  
 संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक , Oa सांस्कृतिक  
 संगठन  
 संयुक्त राष्ट्र बाल शिक्षा निधि  
 उत्तर प्रदेश  
 सार्वभौमिक प्राइमरी शिक्षा  
 उत्तर प्रदेश मानव विकास प्रतिवेदन  
 उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली विकास कार्यक्रम  
 ग्राम शिक्षा समिति  
 महिला ijd समूह

## नवसृजित जिलों की सूची और उनके पुराने जिले

नवसृजित जिले	सृजन तिथि	पुराने जिले
<b>दक्षिण क्षेत्र</b>		
1. हरिद्वार	28-12-88	लखनऊ
2. आधमसिंह नगर	29-09-95	अलीगढ़
3. चंपावत	15-09-97	पिथौरागढ़
4. बागेश्वर	15-09-97	अल्मोड़ा
5. रुद्रप्रयाग	18-09-97	चमोली
<b>पश्चिमी क्षेत्र</b>		
6. फिरोजाबाद	05-02-89	आगरा, मैनपुरी
7. बागपत	05-09-97	मेरठ
8. ज्योतिबाफुले नगर	28-04-97	मुरादाबाद
9. गौतमबुद्ध नगर	05-09-97	गाजियाबाद, बुलंदशहर
10. हाथरस (पूर्वनाम : महामाया नगर)	03-05-97	अलीगढ़
11. कन्नौज	18-09-97	फर्रुखाबाद
12. औरैया	18-09-97	इटवा
<b>बुंदेलखंड क्षेत्र</b>		
13. महोबा	11-02-95	हमीरपुर
14. चित्रकूट (पूर्वनाम : छत्रपति 'लूहूजी महाराजनगर)	06-05-97	बाँदा
<b>पूर्वी क्षेत्र</b>		
15. अंबेडकरनगर	29-09-95	फैजाबाद
16. सिद्धार्थनगर	29-12-88	बस्ती
17. महाराजगंज	20-10-89	गोरखपुर
18. कुशीनगर (पूर्वनाम : पडरौना)	13-05-94	देवरिया
19. मऊ	19-11-88	आजमगढ़, बलिया
20. संत रविदास नगर (पूर्वनाम : भदोही)	20-06-94	वाराणसी, जौनपुर
21. सोनभद्र	04-03-89	मिर्जापुर
22. कौशांबी	04-04-97	इलाहाबाद
23. बलरामपुर	25-05-97	गो. डा
24. चंदौली	25-05-97	वाराणसी
25. श्रावस्ती	25-05-97	बहराइच
26. संत कबीर नगर	05-09-97	बस्ती, गोरखपुर

## उत्तर प्रदेश : एक दृष्टि

भारत की 'हिंदी हृदयस्थली' उत्तर प्रदेश (उ.प्र.) की आबादी देश में सबसे अधिक है और यह सबसे बड़ा राज्य है।

9 नवंबर, 2000 को 13 पर्वतीय जिलों और पश्चिमी क्षेत्र के हरिद्वार जिले को लेकर उत्तरांचल नामक नया राज्य बनाया गया। इस समय उ. प्र. का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी. है जो देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3 प्रतिशत है, किंतु देश की कुल आबादी में इसका हिस्सा 16.2 प्रतिशत है। उ.प्र. में 70 जिले, 300 तहसीलें और 813 विकास खंड हैं। राज्य के 97,134 आबाद गांवों में 52,028 ग्राम पंचायतें हैं। उ.प्र. के अधिकांश गाँव छोटे हैं। प्रति पंचायत औसत आबादी लगभग 3194 है।

गंगा के मैदानी हिस्से में बसे और नदियों से भरपूर उ.प्र. में लोगों के बसने का लंबा इतिहास है। गंगा के उपजाऊ मैदान के कारण आबादी का घनत्व अधिक है और खेती प्रमुख आर्थिक गतिविधि है।

भारत के अन्य इलाकों की तरह यहाँ भी जमीन सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। फिर भी जमीन की प्रति व्यक्ति उपलब्धता घट रही है। 2001-02 में यह 0.10 हेक्टेयर था 1995-96 में राज्य में जमीन के औसत जोत का क्षेत्रफल केवल 0.86 हेक्टेयर था लगभग तीन चौथाई जोतें एक एकड़ से कम की थीं। जमीन की ये छोटे-छोटे टुकड़े कृषि के विकास में बड़ी बाधा बने हुए हैं और व्यापक गरीबी का कारण हैं। (बाक्स 1.1)

उत्तरांचल के अलग होने के बाद उ.प्र. में वनों का क्षेत्रफल 52 लाख हेक्टेयर से घटकर 16.9 लाख हेक्टेयर रह गया है। इसके चलते गंभीर पर्यावरण असंतुलन पैदा हो गया है। वनस्पति का नुकसान हो रहा है। जल संसाधन पर्याप्त हैं। जिस इलाके में बुवाई होती है, उसके तीन-चौथाई से अधिक हिस्से की सिंचाई अधिकतर ट्यूबवेल से होती है। उ.प्र. में बड़ी नहरों का जाल भी काफी फैला हुआ है।

### सामाजिक स्थिति

राज्य में विविध धर्म और सामाजिक समूह हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार धार्मिक अल्पसंख्यक कुल जनसंख्या का 18.5 प्रतिशत हैं। इनमें अकेले मुसलमान 17.7 प्रतिशत हैं। अविभाजित राज्य की आबादी में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति क्रमशः 21.01 और 0.21 प्रतिशत थीं।

1999-2000 में राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर 1.55% थी। 1991-2001 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 17.73% थी। 2001 के आँकड़ों से पता चलता है कि राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर 1.55% थी। 1991-2001 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 17.73% थी। 2001 के आँकड़ों से पता चलता है कि राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर 1.55% थी।

आर्थिक संपत्ति का वितरण पारंपरिक, सामाजिक असमानता से अवश्य प्रभावित होता है। लैंगिक और सामाजिक समूहों में गहरी असमानता मानव

बाक्स 1.1: राज्य की प्रमुख जनांकिकीय और आर्थिक विशेषताएं

1	जनसंख्या (करोड़)	2001	16.62
2	भौगोलिक क्षेत्रफल (लाख वर्ग किमी)	2001	2.41
3	जनसंख्या घनत्व	2001	689
4	वन क्षेत्र (लाख हे.)	2001-02	16.9
5	कृषियोग्य, बेकार/जमीन (लाख हे.)	2001-02	11.1
6	परती जमीन (लाख हे.)	2001-02	16.5
7	'कृषि' क्षेत्र (लाख हे.)	2001-02	168.1
8	कुल कामगारों का प्रतिशत (2001)		
	1. कृषि		66.0
	2. निर्माण		6.0
	3. सेवा		28.0
9	कुल सिंचित क्षेत्र (2002-03)		
	1. कृषि		31.8
	2. विनिर्माण		10.9
10	कुल संभावना पर सृजित सिंचाई संभावना (%)		
	कुल सिंचन क्षमता में (2001-02)		
	1. भूतल जल		64.3
	2. भूगर्भ जल		68.9
11	गांवों का जुड़ाव (%)	2002-03	51.1
12	गांवों में बिजली (%)	2002-03	58.4

स्रोत : वार्षिक योजना, जी.ओ.यू.पी., 2004-05, और 1991-2001 के आँकड़ों का विश्लेषण, सांख्यिकी डायरी उ.प्र. 2003 A

विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। इसका विस्तृत विश्लेषण अध्याय 6 और 7 में किया गया है।

### मानव विकास के आयाम

देश के 18 प्रमुख राज्यों में मानव विकास सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचनाओं का सार तालिका 1.1 में प्रस्तुत किया गया है। प्रतिव्यक्ति आय के मामले में बिहार और उड़ीसा के ऊपर उ.प्र. 15 वें स्थान पर है, जबकि गरीबी के मामले में यह उड़ीसा, बिहार, असम और मध्य प्रदेश के ऊपर 11वें स्थान पर है। उ.प्र. की साक्षरता दर केवल बिहार और झारखंड से बेहतर है। जीवन प्रत्याशा के मामले में उ.प्र. 11वें स्थान पर है और शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है।

बच्चों का लिंग अनुपात आजकल स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। 6 वर्ष तक का लिंग अनुपात (0 से 6 वर्ष तक के आयु समूह में प्रति हजार लड़कों पर लड़कियाँ) केवल 916 है। लड़कियों की कमी के मामले में उ.प्र. का स्थिति गंभीर है।



गैर-कृषि क्षेत्र को गरीबी का दीर्घकालीन समाधान मानना होगा। खेती की उच्चतर उत्पादकता भी गांवों में गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण है।

उ.प्र. में भारी पूँजी निवेश की जरूरत है। इस प्रतिवेदन में मानव विकास में उ.प्र. की निम्न स्थिति से जुड़े विविध मुद्दों की जांच-परख की गई है और उसे समाप्त करने के तरीके सुझाए गए हैं। आगामी अध्यायों में विस्तार से शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास की सम्पन्नता और महिलाओं तथा सामाजिक समूहों की स्थिति पर विचार किया गया है। इस अध्याय के आगामी हिस्सों में विकास की मुख्य रुकावटों पर प्रकाश डाला गया है।

### आर्थिक स्थिति

आजादी के बाद उ.प्र. में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर के बराबर थी अर्थात् वर्ष 1950-51 में राष्ट्रीय औसत का 93 प्रतिशत। इसके पश्चात् विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में उ.प्र. की प्रति व्यक्ति आय

(पी.सी.आई.) और राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय में अंतर लगातार बढ़ता गया। वर्ष 2000-01 में उ.प्र. की प्रति व्यक्ति आय 9721 रुपये थी जो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय, 16487 रुपये से, 48 प्रतिशत कम थी।

उ.प्र. की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर 1980 के दशक में तेज हुई लेकिन 1990 दशक में काफी कम हो गई (तालिका 1.2)। वृद्धि दर की यह गिरावट विशेषकर द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में उल्लेखनीय रही। वर्ष 1991-2001 के दौरान उ.प्र. की वृद्धि दर 4.2 प्रतिशत प्रति वर्ष रही। यह राष्ट्रीय औसत से काफी कम थी। 15 प्रमुख राज्यों में उ.प्र. का स्थान दसवां रहा। (चित्र 1.1, )

तालिका 1.1: उ.प्र. और अन्य राज्यों के चुनिंदा मानव विकास सूचक

राज्य	आई एम आर	जीवन प्रत्याशा	साक्षरता दर		लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष	प्रति व्यक्ति एनएसडीपी (रु.)**	गरीबी रेखा के नीचे का %
			कुल	महिला			
	2000	2001	2001	2001	2001	1998-99	1999-00
1	2	3	4	5	6	7	8
1 आंध्र प्रदेश	65	63.9	61.11	51.17	978	13993	15.8
2 असम	75	59.9	64.28	56.03	932	8826	36.1
3 बिहार	62	65.2	47.53	33.57	921	4474	42.6
4 गुजरात	62	63.6	69.97	58.6	921	18815	14.1
5 हरियाणा	67	67.0	68.59	56.31	861	19716	8.7
6 कर्नाटक	57	64.4	67.04	57.45	964	15420	20.0
7 केरल	14	73.3	90.92	87.86	1,058	16029	12.7
8 मध्य प्रदेश	87	58.6	64.11	50.28	920	10682	37.4
9 महाराष्ट्र	48	68.3	77.27	67.51	922	20356	25.0
10 उड़ीसा	95	59.9	63.61	50.97	972	8324	47.2
11 पंजाब	52	70.9	69.95	63.55	874	21184	6.2
12 राजस्थान	79	62.5	61.03	44.34	922	12348	15.3
13 तमिलनाडु	51	68.4	73.47	64.55	986	17613	21.1
14 उत्तर प्रदेश	83	63.8	57.36	42.98	898	8633	31.2
उ.प्र. का स्थान	<b>(16)</b>	<b>(11)</b>	<b>(14)</b>	<b>(14)</b>	<b>(16)</b>	<b>(15)</b>	<b>(11)</b>
15 पश्चिम बंगाल	51	67.7	69.22	60.22	934	13614	27.0
नये राज्य:							
16 छत्तीसगढ़*	79	-	65.18	52.4	990	10056	-
17 झारखंड*	70	-	54.13	39.38	941	9126	-
18 उत्तरांचल*	50	-	72.28	60.26	964	-	-
भारत	<b>68</b>	<b>65.4</b>	<b>65.38</b>	<b>54.16</b>	<b>933</b>	<b>14682</b>	<b>26.1</b>

\*\* चालू कीमत पर

स्रोत: 2: एस आर एस बुलेटिन, अप्रैल 2002; 3: आर जी आई (xx); 4-6: जनगणना, 2001, अंतरिम परिणाम (आरजीआई); 7: आर्थिक सर्वेक्षण 2002-2003; 8: आर्थिक सर्वेक्षण 2002-2003

vc tux.kuk 2001 ds vflre fu"d"z iklr gks pps gS bl h fd;k x;k gS tks ;g baxr djrk gS fd mRrj insk dh fLFkr idkj dfri; ldrdks dh v|ru lkf[;dh; miyC/k gA blgha deksk ifjofr ugha gA v|;ru ekuo fodkl ldrdka dks rkfydk 1-1 ¼, ½ ea nf'kr

तालिका 1.1: ¼, ½ उ.प्र. और अन्य राज्यों के चुनिंदा मानव विकास सूचक


राज्य	आई एम आर	जीवन प्रत्याशा	साक्षरता दर		लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष	प्रति व्यक्ति एनएसडीपी (रु.)@	गरीबी रेखा के नीचे का %
			कुल	महिला			
	2002	2001	2001	2001	2001	2002-2001	1999-00
1	2	3	4	5	6	7 8	
1 आंध्र प्रदेश	62	63.9	60.5	50.4	961	17916	15.8
2 असम	70	59.9	63.3	54.6	965	11024	36.1
3 बिहार	61	65.2	47.0	33.7	942	5445	42.6
4 गुजरात	60	63.6	69.1	57.8	883	20695	14.1
5 हरियाणा	62	67.0	67.0	55.7	819	24820	8.7
6 कर्नाटक	55	64.4	66.6	56.9	946	17518	20.0
7 केरल	10	73.3	90.9	87.7	960	22668	12.7
8 मध्य प्रदेश	85	58.6	63.7	50.3	932	12027	37.4
9 महाराष्ट्र	45	68.3	76.9	67.0	913	24248	25.0
10 उड़ीसा	87	59.9	63.1	50.5	953	10021	47.2
11 पंजाब	51	70.9	69.7	63.4	798	25652**	6.2
12 राजस्थान	78	62.5	60.4	43.9	909	13738	15.3
13 तमिलनाडु	44	68.4	73.5	64.4	942	20315	21.1
14 उत्तर प्रदेश	80	63.8	56.3	42.2	916	9753**	31.2
उ.प्र. का स्थान	<b>(16)</b>	<b>(11)</b>	<b>(16)</b>	<b>(16)</b>	<b>(12)</b>	<b>(15)</b>	<b>(11)</b>
15 पश्चिमबंगाल	49	67.7	68.6	59.6	960	17875	27.0
नये राज्य:							
16 छत्तीसगढ़*	73	-	64.7	51.9	975	11952	-
17 झारखंड*	51	-	53.6	38.9	965	- -	-
18 उत्तरांचल*	41	-	71.6	59.6	908	- -	-
भारत	<b>63</b>	<b>65.4</b>	<b>64.8</b>	<b>53.7</b>	<b>927</b>	<b>17947</b>	<b>26.1</b>

@चालू कीमत पर

स्रोत: 2: dkk; ky; vkj0i h0vkbD] xg ea#ky;] vkfFkd l o[k.k] 2003&04

\* 2001-02 i qjhf{kr} \*\* ifjorzh;

चित्र 1.1: उ.प्र. और भारत में प्रति व्यक्ति आय का अंतराल



राज्य में क्षेत्रीय स्तर पर विविधता रही। पश्चिमी उ.प्र. के कुछ जिलों में आय का स्तर अन्य क्षेत्रों से ऊंचा रहा। इन विविधताओं पर अध्याय 5 में विस्तार से विचार किया गया है।

राज्य की आय में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कम होता गया है। वर्ष 1960-61 में यह 60.2 प्रतिशत था त्स 0% 2000&01 ea 38-3 ifr'kr rFk iq% 2001&02 ea de gkrs gq 36-6 ifr'kr gks x; 1A 2000&01 ea f}rh; I DVj dk jkT; vk; ea ;ksnku 18-1 ifr'kr jgk tcf d rrrh; d I DVj dk ;ksnku 43-6 ifr'kr jgkA o% 2001&02 ea f}rh; d ,oa rrrh; d I DVj dk ;ksnku 0e'k% 18-7 ifr'kr ,oa 44-7 ifr'kr jgkA

राज्य के अर्थतंत्र में प्रमुखता कृषि की है। उ.प्र. के कामगारों का 66 प्रतिशत इसी में लगा हुआ है। उ.प्र. गेहूं, जौ, अरहर, आलू, और गन्ने का अधिक उत्पादन करता है VJ बाजरा, तोर, सरसों, अलसी और शकरकंद का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बहरहाल, अधिकतर फसलों की औसत उपज पंजाब और हरियाणा के मुकाबले कम है।

अतः उ.प्र. के ग्रामीण अर्थतंत्र में विविधता लानी होगी ताकि अधिक रोजगार पैदा हों और दीर्घकालीन वृद्धि हो। ग्रामीण विकास रणनीति के दो आयाम हैं:

- (1) वर्तमान ग्रामीण उद्योगों को सहायता और समर्थन की समुचित योजनाओं के द्वारा ऊपर उठाना; और
- (2) ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े या छोटे, परंपरागत या आधुनिक उद्योगों की स्थापना और उनका प्रोत्साहन।

tux.kuk ds 1991 ds vuqkj Je'kfDr dk 8 ifr'kr ikfjokfjd m|ks ea dk; jr Fk tks fd tux.kuk 2001 ds vuqkj de gkrs gq 6 ifr'kr gks x; 1A 1996&97 ea 14599 iatHdr dkj [kkus Fks ftl ea yxHkx 5 yk[k vuqkfur Je 'kfDr Fk tcf d 1999&2000 ea 14004 iatHdr dkj [kkuk ea 2-95 yk[k vuqkfur Je'kfDr FkA चीनी, कपड़ा और वनस्पति, उ.प्र. के तीन महत्वपूर्ण उद्योग हैं। परन्तु इन उद्योगों में गिरावट आई है और अनेक कारखाने बीमार हो गए हैं। द्वितीयक क्षेत्र की वृद्धि दर 1980 के दशक में 7.14 प्रतिशत से गिरकर 1990 के दशक के दौरान 5.33 प्रतिशत रह गई। उद्योगों का संकेंद्रण कुछ क्षेत्रों में ही है, पश्चिमी क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक विकसित है। हाल के वर्षों में दिल्ली के पास नोएडा एक औद्योगिक केंद्र के बतौर विकसित हुआ है।

तालिका 1.2: सुधार पूर्व और सुधारोत्तर दौरों में सेक्टर और एन.एस.डी.पी की राज्यवार वृद्धि दरें

राज्य	एन एस डी पी		प्राथमिक		द्वितीयक		तृतीयक	
	I	II	I	II	I	II	I	II
आंध्र प्रदेश	5.6	5.5	2.28	2.84	8.17	7.73	7.94	6.42
बिहार	4.08	1.74	2.67	-1.1	6.16	2.43	4.97	4.85
गुजरात	4.54	7.33	0.06	2.77	7.39	8.83	6.68	8.51
हरियाणा	6.26	4.94	4.72	2.82	6.65	4.58	6.96	7.31
कर्नाटक	4.98	6.5	2.64	3.93	6.55	6.59	6.86	8.53
केरल	3.16	6.24	0.38	3.71	2.96	7.62	3.91	7.17
मध्य प्रदेश	5.12	4.52	2.14	3.65	5.27	6.33	6.12	5.88
महाराष्ट्र	5.96	7.04	3.61	4.56	6.2	6.54	7.31	8.49
उड़ीसा	3.91	2.62	1.5	1.32	7.68	-1.42	5.84	5.9
पंजाब	5.28	4.14	5.53	2.63	7.05	6.27	4.05	4.69
राजस्थान	6.24	5.83	4.66	3.9	7.04	7.68	8.56	6.76
तमिलनाडु	5.05	6.56	4.42	3.47	4.48	5.98	5.95	8.49
उत्तर प्रदेश	4.59	4.16	2.66	2.82	7.14	5.33	6.07	4.88
पश्चिम बंगाल	4.24	6.4	5.2	4.9	3.07	6.36	4.32	7.59


टिप्पणियां: 1. दौर 1 1980-81 से 1989-90 का है। दौर 2 1990-91 से 2000-01 का है। 2000-01 के आंकड़े केवल आंध्र, हरियाणा, केरल, राजस्थान और तमिलनाडु के ही उपलब्ध हैं।

2. वृद्धि दरों का अनुमान सुधरे घातांकीय तरीके के अनुसार किया गया है।

स्रोत : श्रीवास्तव ( 2002 बी)

चीनी और कपड़ा जैसे परंपरागत उद्योगों की तुलना में रासायनिक और अभियंत्रण उद्योग अपेक्षाकृत तेजी से बढ़े हैं। कृषि, पशुपालन और जंगल से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित उद्योगों में थोड़ी गिरावट आई है जबकि गैर-स्थानीय कच्चे माल पर आधारित उपभोक्ता सामग्री उद्योगों में रश्च। Is fxjkoV gblz gS tcfD iLhxr rFkk e;/e mRiknka ds m|kska ea mYy{kuh; of} gblz gA किसी खास जगह उत्पादित कच्चे माल पर निर्भर उद्योगों में तो गिरावट आई है, लेकिन जो उद्योग 'बंधन विहीन' हो सके वे आगे बढ़े हैं। इन परिवर्तनों की वजह से राज्य भर में उद्योगों का अपेक्षाकृत बेहतर छितराव हो रहा है।

वस्तुतः उ.प्र. इस आदर्श स्थिति में है कि वह साफ्टवेयर में आगे जा सके। इलेक्ट्रॉनिक सामानों और साफ्टवेयर के उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। नोएडा भारत का एक प्रमुख आई.टी. केंद्र है। भारत के औद्योगिक उद्यमी अनुबंधों में महाराष्ट्र और गुजरात के बाद उ.प्र. तीसरे स्थान पर बना हुआ है। यह तथ्य राज्य में औद्योगिक संभावना को उजागर करता है। वर्ष 2000-01 तक उ.प्र. में 3828 आई.ई.एम. (औद्योगिक उद्यमी अनुबंध) हो चुके हैं जिनमें अनुमानित निवेश 59,289 करोड़ रुपये है और अनुमानित रोजगार 671,076 है। ये कार्यान्वित होने के विभिन्न चरणों में हैं। आर्थिक वृद्धि को तेज करने के लिए उ.प्र. सरकार ने समेकित औद्योगिक नीति की घोषणा की है जिसमें जोर निजी निवेश पर है। कई तरह के कदम उठाए गए हैं, यथा एक ही खिड़की से साठ दिन के भीतर सहमति और निकासी मंजूर करने की तेज व्यवस्था। उ.प्र. ने निर्माण गतिविधियों में तेजी लाने के लिए फिल्मों, खनिज विकास, मुर्गीपालन और पर्यटन को 'उद्योग का दर्जा' दिया है। उ.प्र. सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए 6 गलियारों को चिह्नित किया है।



अर्थतंत्र में छोटे उद्योगों की महत्वपूर्ण जगह होती है। वर्ष 2000-01 वर्ष की समाप्ति पर निदेशालय में पंजीकृत छोटे उद्योगों की संख्या 4,01,372 थी जिनमें अनुमानित निवेश 4,028 करोड़ रुपये था और उत्पादन की अनुमानित कीमत 656 करोड़ रुपये थी। इस क्षेत्र में 15.5 लाख मजदूर काम करते हैं। 0"lZ 2002&03 ea 460979 iathdr m|kska ea #- 4570 djkm fuosk ds lfk 17-6 yk[k tu'kfDr ds }jkk #- 620 djkm+ dk mRiknu gqk उ.प्र. में कुटीर उद्योगों और हस्तशिल्प का भी बहुत बड़ा आधार है। वर्ष 2000-01 की समाप्ति पर उ.प्र. खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड में 2,98,000 कुटीर उद्योग पंजीकृत थे। 0"lZ 2002&03 ea mDr l{;k c<dj 304000 gks x;h उ.प्र. से रेशमी, बनारसी और चिकन की साड़ियों, पीतल के बर्तन, कालीन और लकड़ी के सामान का मुख्य रूप से निर्यात होता है।

## ubZ vks kfxd ulfr

### volFkkiuk l fpo/kk, a

- **vks kfxd volFkkiuk fodkl dksk dk xBu% volFkkiuk** l fpo/kk/vka ds fodkl ea futh iLh fuosk dh Hkkxhnhkj dh iLl kfgr djus grq fd;k x;k gA ftlea iFke o"lZ 2004&05 ea 50 djkm+ : i;s ctV ikfo/kku dj;k k tk;sk vks blh idkj dk ikfo/kku ifro"lZ vlxkeh 4 o"lZ ea fd;k tk;skA bl dk fo'ksk ykHk ;g gksk fd futh {ks- ds iLh fuosk dka dks iDZ ls lo{k.k rFkk ikstDV fjiKZ miyC/k jgsa rFkk bl dksk ls vumku o lghkfxrk ikdj os vkl kuh ls ykHkin ifj;kstukvka dks fpflgr dj viuk /ku yxk ldsA bl idkj insk dh volFkkiuk l fpo/kk/vka ea rsth ls fodkl gkskA
- **fo|q ,oa mtK% jkT;** ljdkj l Hkh vks kfxd {ks-ka ea fLFkr m|kska dks 24 ?k.Vs fuchZk fo|q vki firZ l fuf'pr djsxA 132 dSho, 01s vki firZ ikr djus okys {ks-ka dks l Hkh dVsr;ka ls eDr j[kk tk, xkA
- **volFkkiuk l Ec/kh ifj;kstuk grq foRrh; l gk; rka**
- **Hkfe 0; grq LVSi M;Wh rFkk iathdj.k jkf'k ea NW%** dfr; m|kska rFkk l ok l EcU/kh ifj;kstukvka grq iDkpy ds 29 rFkk cfnys[k.M ds 7 tuinka ea Hkfe dz grq 'kr&ifr'kr LVSi M;Wh ea NW dh 0; oLFkk dh tk;skA
- **l ok l EcU/kh ifj;kstuk ea Hkfe vf/lxg.k l EcU/kh** djs ea ;fn ,dk vf/lxg.k jkT; ljdkj }jkk fd;k tkrk gS rks NW inku dh tk;sk rFkk Lfkfir dh tkus okyh ifj;kstuk grq tks e'khu ,oa mi dj.k dz fd;s tk;xs muea bWh VDI dh NW nh tk;skA
- **jkT; ea u;s vks kfxd fuosk ka grq iLl kgu% jkT;** ea ubZ y?k vks kfxd bdkbz ka dh iDkpy ds 29 tuinka rFkk cfnys[k.M ds 7 tuinka ea lFkkiuk dh yxk ij fo'ksk vumku dh 0; oLFkk gksxA ubZ y?k vks kfxd bdkbz ka ds fy, 5 ifr'kr C;kt vumku dh 0; oLFkk 5 o"lZ rd nh tk;skA ftldh vf/kdre lhek ifr o"lZ : 0 2-5 yk[k rd gksxA ubZ bdkbz ka dh lFkkiuk ea mi ;ksx mi dj.k ,oa e'khu dh ds dz ij bWh VDI dh NW gksxA vxzkh bdkbz ka dks 0;kt jfgr \_\_.k 10 o"lZ ds LFku ij 15 o"lZ ds fy, vks kfxd fuosk iLl kgu ;kstuk ds vlrxZ Lohdr fd;k tk;skA : 0 500 djkm+ ls vf/kd ds fuosk dh ;kstukvka dh iFkd&iFkd lhek ds vk/kj ij foRrh; iLl kgu fn;k tk;skA
- **orZku vks kfxd bdkbz ka dks iLl kgu% 0;** ki kfjd [kjh Qjk[r ea LVSi M;Wh dks ;Dr laxr cuk;k tk;skA jkT; foRrh; l Fkfvka ds \_\_.k njka dks cdl @ foi.ku nj ds l eku cuk;k tk;skA y?k vks kfxd bdkbz ka dh xqorrk iek.khdj.k ea fd;s x;s 0; ; dh 50 ifr'kr /kujf'k ifri firZ ftldh vf/kdre lhek #- 2-00 yk[k gksk nh



tk; xhA mRiknu of; grq dz dh x;h vfrfjDr e'khuka dh ykxr ij 50 ifr'kr vuqku ns glsckl ijUrq bl vuqku dh vf/kdre lhek : 0 2-00 yk[k glsckA y?lq m|ksckA ds LFkkr djus ij fy; s x; s \_\_.k ds C; kt ij 5 ifr'kr dh vuqku /kujkf'k ns glsck ftldh vf/kdre lhek : 0 50 gtlj glsckA ftu vks'kfxd bdkbz; ka }jkk cbl ;k forRh; lLFkkrvka ls \_\_.k fy; k x; k glsck mudh e'khuka ds ykus ij vkokxeu 0;; dk 50 ifr'kr dh NW QkeZ 3ch ds lkiqk vuqpu; glsckA

- **fofu; e vks'k l jyhkj.k%** fl fxy fcUMks izkkyh dks 'khr?kz ykxw fd;k tk; sk rFk l iekf.kr izkkyh vks'k rrrh; i{k iek.khdj.k 0; oLFk dks ykxw fd;k tk; skA

### vU; l fpo/kk; %

mRrj insk ea p; fur vks'kfxd ftyka ea eQ; m|ks fodkl vf/kdkfj; ka dh fu; qDr dh tk; xhA mRrj insk y?lq m|ks bdkbz i qLFkkr ckMZ l ftr fd;k tk; skA bl ds fy; , d vfhkdj.k cuk; k tk; skA

vks'kfxd fodkl vk; qDr ds v/khu , d dk; bdkjh ny dh LFkkr dh tk; xh tks ljdkjh vf/kdkfj; ka ds fo: } f'kdk; rka dh tk; d jks l kfk gh l j; k l s l iekf/kr idj.kka ij Rofjr dk; bkg gh grq 0; oLFk fodflr dh tk; xhA

धीमी वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय दर में कमी के अलावा सामाजिक असमानता व्यापक गरीबी का एक बुनियादी कारण है। वर्ष 1972-73 में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी उ.प्र. में 52.8 प्रतिशत थी जो धीरे धीरे

घटकर वर्ष 1977-78 में 49.7 प्रतिशत हुई, 1983 में 47.07 प्रतिशत हुई, 1987-88 में 41.46 प्रतिशत रह गई और 1993-94 में 40.85 प्रतिशत हो गई। इसके बाद गरीबी के अनुपात में तेजी से कमी आई। योजना आयोग के अनुमानों के मुताबिक 1999-2000 तक गरीबी का अनुपात गिरकर 31.2 प्रतिशत हो गया है। लेकिन, ठीक ठीक कहें तो, इन आंकड़ों की तुलना पूर्ववर्ती अनुमानों से पद्धतिगत परिवर्तनों के कारण नहीं की जा सकती।

### जनांकिकीय स्थिति

जनसंख्या का स्तर, गरीबी, वृद्धि और मानव विकास से घनिष्ठ तौर पर जुड़ा होता है। उ.प्र. की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और घटने के कोई आसार नजर नहीं आते (तालिका 1.3)। उ.प्र. की जनसंख्या 1951 के बाद दोगुनी से भी अधिक हो गई है। इसके कारण संसाधनों और अधिसंरचना पर घनघोर दबाव पड़ रहा है। 1971 तक उ.प्र. जनसंख्या की वृद्धि भारत से पीछे थी लेकिन उसके बाद प्रवृत्ति उलटी हो गई है।

उ.प्र. की जनांकिकीय विशेषताएं, प्रतिकूल लिंग अनुपात, तीव्र प्रजनन और मृत्यु दर, बच्चों की बहुतायत और जनांकिकीय परिवर्तन की सुस्त प्रक्रिया हैं। वर्ष 2001 में लिंग अनुपात 898 था। जनसंख्या में 19.03 प्रतिशत 7 साल से कम के बच्चे थे। 1971 में उ.प्र. में तले दर 54.6 थी जो 1981 में घटकर 39.6 हुई और 1991 में 35.7 हो गयी। आज भी यह दर 31.6 के उच्चस्तर पर बनी हुई है।

1970-72 के दौरान उ.प्र. में मृत्यु दर 22.5 व्यक्ति प्रति हजार थी। 1980-82 में घटकर यह 16.0 हुई और 1990-92 में 12.1 हो गई। 2000 आते-आते मृत्यु दर 10.3 तक पहुंच गई है rFk o"l 2002 ea ek; qj 9-7 rd igpb xba (इन प्रवृत्तियों पर विस्तार से अध्याय 4 में विचार किया गया है।)

**तालिका 1.3 : उत्तर प्रदेश और भारत में जनसंख्या वृद्धि, 1901-2001**

जनगणना वर्ष	उ.प्र. (यक[क में)	भारत (यक[क में)	भारत में उ.प्र. का %	दशकीय वृद्धि	
				उ.प्र.	भारत
1901	486	2384	20.39	-	-
1911	482	2521	19.12	(-)0.97	(+) 5.75
1921	467	2513	18.58	(-)3.08	(-) 0.31
1931	498	2790	17.85	(+)6.66	(+) 11.00
1941	565	3187	17.73	(+)13.57	(+) 14.22
1951	632	3611	17.50	(+)11.82	(+) 13.31
1961	737	4392	16.78	(+)16.66	(+) 21.51
1971	883	5482	16.10	(+)19.78	(+) 24.80
1981	1109	6833	16.18	(+)25.49	(+) 24.64
1991#	1391	8463	16.44	(+)25.48	(+) 23.85
1991@	1320	8463	15.60	(+)25.55	(+) 23.86
2001	1662	10286	16.16	(+)25.80	(+) 21.34

स्रोत: जनगणना के आंकड़े


टिप्पणी: 2001 के आंकड़े उत्तरांचल रहित उ.प्र. के हैं।

@: mRrjkpy NkMdj

# : mRrjkpy l fgr

उ.प्र. में जन्म और मृत्यु दरें न सिर्फ राष्ट्रीय औसत से अधिक हैं बल्कि केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों द्वारा हासिल स्तर से भी काफी अधिक हैं। एस.आर.एस. के आंकड़ों के अनुसार देश के 15 प्रमुख राज्यों में उ.प्र. में जन्म दर सर्वाधिक जबकि मृत्यु दर केवल उड़ीसा के बाद दूसरे स्थान पर है। उ.प्र. में जन्म दर सर्वाधिक जबकि मृत्यु दर केवल उड़ीसा के बाद दूसरे स्थान पर है। उ.प्र. में जन्म दर सर्वाधिक जबकि मृत्यु दर केवल उड़ीसा के बाद दूसरे स्थान पर है। उ.प्र. में जन्म दर सर्वाधिक जबकि मृत्यु दर केवल उड़ीसा के बाद दूसरे स्थान पर है।

1972 में उ.प्र. में कुल प्रजनन दर 6.9 थी। 1982 में घटकर यह 6.0 हुई और 1992 में 5.6 हो गई। इस तरह इस 20 वर्ष की अवधि में कुल घटोतरी सिर्फ 19 प्रतिशत हुई, जबकि भारत में यह घटोतरी 28 प्रतिशत तथा केरल में 39 प्रतिशत रही। उ.प्र. में प्रजनन दर सभी राज्यों में सर्वाधिक है और केरल से दोगुनी है (चित्र 1.3)।



तालिका 1.4 : (,) प्रमुख राज्यों में जन्म, मृत्यु और प्राकृतिक वृद्धि दर, 2002

तालिका 1.4 : प्रमुख राज्यों में जन्म, मृत्यु और प्राकृतिक वृद्धि दर, 2002			
जन्म स्थान भारत / राज्य	जन्म दर	मृत्यु दर	प्राकृतिक वृद्धि दर
भारत	25.8	8.5	17.3
आंध्र प्रदेश	21.3	8.2	13.1
असम	26.9	9.6	17.4
बिहार	31.9	8.8	23.1
गुजरात	25.2	7.5	17.7
हरियाणा	26.9	7.5	19.4
कर्नाटक	22.0	7.8	14.3
केरल	17.9	6.4	11.5
मध्य प्रदेश	31.4	10.3	21.1
महाराष्ट्र	21.0	7.5	13.5
उड़ीसा	24.3	10.5	13.8
पंजाब	21.5	7.4	14.2
राजस्थान	31.4	8.5	23.0
तमिलनाडु	19.3	7.9	11.4
उत्तर प्रदेश	32.8	10.3	22.5
<b>उ.प्र. का स्थान</b>	<b>(15)</b>	<b>(14)</b>	<b>(13)</b>
पश्चिम बंगाल	20.7	7.0	13.6

जन्म स्थान भारत / राज्य	जन्म दर	मृत्यु दर	प्राकृतिक वृद्धि दर
भारत	25.0	8.1	16.9
आंध्र प्रदेश	20.7	8.1	12.6
असम	26.6	9.2	17.4
बिहार	30.9	7.9	23.0
गुजरात	24.7	7.7	17.0
हरियाणा	26.6	7.1	19.5
कर्नाटक	22.1	7.2	14.9
केरल	16.9	6.4	10.5
मध्य प्रदेश	30.4	9.8	20.6
महाराष्ट्र	20.3	7.3	13.0
उड़ीसा	23.2	9.8	13.4
पंजाब	20.8	7.1	13.7
राजस्थान	30.6	7.7	22.9
तमिलनाडु	18.5	7.7	10.8
उत्तर प्रदेश	31.6	9.7	21.9
<b>उ.प्र. का स्थान</b>	<b>(15)</b>	<b>(13)</b>	<b>(13)</b>
पश्चिम बंगाल	20.5	6.7	13.8

स्रोत : रजिस्ट्रार जनरल, भारत, एस.आर.एस. बुलेटिन, नई दिल्ली, अप्रैल 2002

टिप्पणी : स्थान नीचे से ऊपर के क्रम में हैं।

स्रोत : रजिस्ट्रार जनरल, भारत, एस.आर.एस. बुलेटिन, नई दिल्ली,

टिप्पणी : स्थान नीचे से ऊपर के क्रम में हैं।

जैसा कि पहले ही कहा गया है, राज्य में आबादी का घनत्व बहुत अधिक है। 1991 में 472 प्रति व्यक्ति था। 2001 में यह 689 प्रति व्यक्ति हो गया है। 1991 में 472 प्रति व्यक्ति था। 2001 में यह 689 प्रति व्यक्ति हो गया है। 1991 में 472 प्रति व्यक्ति था। 2001 में यह 689 प्रति व्यक्ति हो गया है।

राज्य में शहरीकरण का स्तर काफी नीचा है और प्रमुख राज्यों में उ.प्र. शहरीकरण के मामले में 14वें स्थान पर है। 1991 में शहरों में मात्र 19.8 प्रतिशत जनसंख्या का निवास था। इसकी तुलना में राष्ट्रीय औसत 25.7 प्रतिशत था। 2001 में भी शहरी जनसंख्या का अनुपात लगभग 20.78 प्रतिशत था।

### आर्थिक अधिसंरचना

अब तक हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र ही अधिसंरचना में निवेश का काम करता रहा है लेकिन उदारीकरण की प्रक्रिया ने अधिसंरचना के क्षेत्र में निजी निवेश का रास्ता खोल दिया है। बहरहाल चूंकि निजी निवेश नहीं आ रहा है इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र अब भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है।


उ.प्र. की आर्थिक वृद्धि में अधिसंरचना की अपर्याप्तता बुनियादी बाधा

तालिका 1.5: प्रमुख भारतीय राज्यों में घनत्व और शहरीकरण, 2001		
प्रमुख राज्य	जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी.)	शहरीकरण की दर
आंध्र प्रदेश	275	27.08
असम	340	12.72
बिहार	880	10.47
गुजरात	258	37.35
हरियाणा	477	29.00
कर्नाटक	275	33.98
केरल	819	25.97
मध्य प्रदेश	196	26.67
महाराष्ट्र	314	42.40
उड़ीसा	236	14.97
पंजाब	482	33.95
राजस्थान	165	23.38
तमिलनाडु	478	43.86
उत्तर प्रदेश	689	20.78
<b>उ.प्र. का स्थान</b>	<b>15</b>	<b>14</b>
पश्चिम बंगाल	904	28.03
छत्तीसगढ़	338	20.08
झारखण्ड	154	22.25
उत्तरांचल	159	25.59
<b>भारत</b>	<b>324</b>	<b>27.78</b>

स्रोत : भारत की जनगणना 2001

टिप्पणी : स्थान नीचे से ऊपर के क्रम में हैं।

रही है। ग्यारहवें वित्त आयोग के लिए तैयार सामाजिक और आर्थिक अधिसंरचना का यौगिक सूचकांक बताता है कि 14 प्रमुख राज्यों में उ.प्र. का स्थान 10वां है। उ.प्र. का सूचकांक राष्ट्रीय औसत 101 के करीब था। इसके विपरीत पंजाब का सूचकांक 189, केरल का 179 और तमिलनाडु का 149 था। (चित्र 1.4)।



सड़कों, टेलीफोनों और बिजली उपभोग के मामले में उ.प्र. की सापेक्षिक स्थिति तालिका 1.6 में दिखाई गई है। आर्थिक अधिसंरचना में बिजली का महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्षेत्र की हालत तथा आर्थिक और सामाजिक विकास में इसका योगदान बिजली के प्रतिव्यक्ति उपभोग के जरिए आंका जा सकता है। 1996-97 में उ.प्र. में प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग मात्र 197 किलोवाट था जबकि राष्ट्रीय औसत 334 किलोवाट था। सभी प्रमुख राज्यों में उ.प्र. केवल असम, बिहार और पश्चिम बंगाल से ऊपर था। 2000-01 आते-आते प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग के मामले में उ.प्र. और भारत के बीच अंतर और बढ़ गया है। उ.प्र. में यह उपभोग 176 किलोवाट है जबकि राष्ट्रीय औसत 355 किलोवाट है।

तालिका 1.6 आर्थिक अधिसंरचना के सूचक				
राज्य	प्रति व्यक्ति बिजली खपत (किलोवाट) 1996-97	सड़क की लंबाई 1997 प्रति 100 वर्ग किमी.	टेलिफोन प्रति मिलियन जनसंख्या (प्रति हजार व्यक्ति) 1999	5
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	346	64.7	24.3	1.4
असम	104	87.2	27.0	0.6
बिहार	138	50.8	9.3	0.4
गुजरात	694	46.4	19.6	2.6
हरियाणा	504	63.7	15.7	2.2
कर्नाटक	340	75.8	28.6	2.2
केरल	241	374.9	46.3	2.9
मध्य प्रदेश	367	45.1	26.3	1.1
महाराष्ट्र	556	117.6	41.0	3.7
उड़ीसा	309	168.7	75.3	0.6
पंजाब	792	127.8	27.0	3.6
राजस्थान	301	37.9	25.4	1.4
तमिलनाडु	468	158.8	34.3	2.3
उत्तर प्रदेश	197	86.8	15.9	0.7
<b>उ.प्र. का स्थान</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
पश्चिम बंगाल	194	85.0	9.9	1.1
झारखण्ड	334	74.9	25.8	1.7

टिप्पणी : बिहार, म.प्र. और उ.प्र. में बिजली की खपत के क्रम में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल शामिल हैं।

उ.प्र. के केवल अस्सी प्रतिशत गांवों में बिजली है। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में बिजली उत्पादन की क्षमता बहुत कम बढ़ी है। उ.प्र. बिजली बोर्ड, गलत मूल्य नीति, बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी और तारों में भारी क्षति के कारण भारी नुकसान उठा रहा है। अब इसे थर्मल और हाइड्रिल उत्पादन तथा बिजली वितरण संबंधी अलग-अलग निकायों में बांट दिया गया है। राज्य सरकार विश्व बैंक की सहायता से बिजली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार कार्यक्रम चला रही है। हालांकि महत्वपूर्ण संगठनिक परिवर्तन किए गए हैं और राज्य बिजली नियामक बोर्ड भी गठित किया गया है लेकिन जमीनी स्तर पर कोई खास बदलाव नहीं आया है। बिजली की कमी औद्योगिक विकास में एक बड़ी बाधा बनी रहेगी यदि इसके समाधान के लिए तत्काल आवश्यक कदम नहीं उठाए जाते।

उ.प्र. में सड़कों का घनत्व राष्ट्रीय औसत के मुकाबले बेहतर है लेकिन केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु से काफी कम है। इसके अलावा संचार सुविधाएँ अविकसित हैं। टेलीफोन का घनत्व भी काफी कम है।

### उ.प्र. में क्षेत्र और विकास

विकास संबंधी लेखन में उ.प्र. को अक्सर पांच अलग-अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है—उत्तर के हिमालयी जिलों और तलहटी से बना पर्वतीय क्षेत्र; पुराने मेरठ, आगरा और रुहेलखंड के प्रशासनिक खंडों से बना पश्चिमी क्षेत्र; राजधानी लखनऊ और राज्य के सबसे बड़े शहर कानपुर सहित मध्य क्षेत्र, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर समेत पूर्वी क्षेत्र और विंध्य के पठार पर अवस्थित बुंदेलखंड का दक्षिणी क्षेत्र। जैसा पहले ही बताया जा चुका है, पूरा पर्वतीय क्षेत्र एवं हरिद्वार जिला अब उत्तरांचल में है। शेष चार उतर प्रदेश में हैं।

पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों की जनसंख्या सबसे अधिक है। ये दोनों मिलकर उ.प्र. का 76.9 प्रतिशत हो जाते हैं। इन क्षेत्रों में पश्चिमी क्षेत्र बेहतर विकसित है। यहां प्रति व्यक्ति आय पूर्वी क्षेत्र से लगभग दो गुनी है। पूर्वी क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। उद्योग मुख्यतः पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में स्थित हैं। उच्च उत्पादकता वाला पश्चिमी क्षेत्र भारत के अन्न भंडार का हिस्सा है, हालांकि कुछेक पिछड़े क्षेत्र जैसे पूर्वी उ.प्र. भी धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में भू संसाधन (प्रति व्यक्ति के सापेक्ष) प्रचुर है। इसके बाद पश्चिमी क्षेत्र है। लेकिन बुंदेलखंड में सिंचाई की सुविधाएं सबसे कम हैं।

अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग सामाजिक विशेषताएं हैं। इन क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं तालिका 1.7 में दी गई हैं और आगामी अध्यायों में विस्तार से इनका विश्लेषण किया गया है।

तालिका 1.7: उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की कुछ विकास परक विशेषताएं

विकास सूचक	पूर्वी	पश्चिमी	मध्य	बुंदेलखंड	उ.प्र.
1 जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी), 2001	776	767	658	280	690
2 कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, (2001)	11.74	28.25	25.15	22.39	20.78
3 राज्य की जनसंख्या के हिस्से का प्रतिशत (2001)	40.08	36.82	18.15	4.65	100.00
4 कुल साक्षरता (%) 2001	54.27	57.36	57.58	59.30	56.27
5 प्रति व्यक्ति बिजली खपत (किलोवाट) (2001-02)	169.8	190.4	169.9	143.3	176.81
6 कुल गांवों में बिजली वाले गांवों का प्रतिशत(2001-02)	77.9	87.1	72.6	69.9	79.3
7 लेटर ट्रेडिंग की दर (हे. में) (1995-96)	0.65	1.02	0.83	1.72	0.86
8 ग्रामीण प्रति व्यक्ति शुद्ध बुवाई क्षेत्र (हे.) (2001-02)	0.09	0.12	0.22	0.22	0.12
9 औद्योगिक उत्पाद का प्रति व्यक्ति सकल मूल्य ((2000-01)	1324	7042	3095	1238	3743
10 कुल मुख्य मजदूरों में कृषि मजदूरों का अनुपात (2001)	71.9	56.8	66.5	74.5	69.9
11 कृषि उत्पाद का प्रति ग्रामीण व्यक्ति सकल मूल्य (चालू कीमत पर रु.) (2000-01)	2701	5745	4338	4441	4080
12 प्रति व्यक्ति कृषि उत्पाद (चालू कीमत पर रु.) (2000-01)	6788	11805	9387	9195	9223



## मानव विकास की स्थिति

श्रीमहबूब-उल-हक के नेतृत्व में यू.एन.डी.पी. 1990 में प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन में मानव विकास की धारणा प्रस्तुत की गई थी। उसके बाद से विकास प्रक्रिया के केंद्र में व्यक्ति को रखा गया।

मानव विकास के दो आयाम हैं। पहला मानव क्षमताओं का निर्माण—जैसे, स्वास्थ्य, ज्ञान और कौशल में सुधार। दूसरा अर्जित क्षमताओं का सर्वोत्तम प्रयोग-आराम के लिए या फिर सांस्कृतिक, सामाजिक या राजनीतिक जीवन में सक्रिय भागीदारी के लिए। यदि मानव विकास का तराजू संतुलन की अवस्था में न रहे तो कुंठा पैदा होती है।

इस अध्याय में समूचे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों और जिलों में मानव विकास की तुलना के माध्यम से की गई है। मानव विकास सूचकांक, गरीबी सूचकांक और लिंग विकास सूचकांक जैसे सूचक यू.एन.डी.पी. द्वारा मानव विकास प्रतिवेदनों के लिए तैयार किए गए हैं और अब विकास संबंधी सूचकों में प्रचलित हैं।

मानव विकास सूचकांक (एच.डी.आई.) एक मिश्रित पैमाना है जो मानव विकास के तीन बुनियादी आयामों—दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, ज्ञान और बेहतर जीवन स्तर की दृष्टि से किसी क्षेत्र की समस्त उपलब्धियों को आंकता है। स्वास्थ्य की स्थिति जीवन की दीर्घकालिकता से नापी जाती है, ज्ञान को साक्षरता और नामांकन से नापा जाता है, तथा बेहतर जीवन स्तर को प्रति व्यक्ति आय से मापा जाता है। ये तीनों आयाम जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक स्तर (प्रौढ़ साक्षरता और सकल प्राथमिक, द्वितीयक, और तृतीयक समेकित नामांकन अनुपात) और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से नापे जाते हैं। आय को एच.डी.आई. में बेहतर जीवन-स्तर और अन्य दो आयामों में मनुष्य की जो नहीं हो पाती उनका प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया है।

एच.डी.आई. मानव विकास हासिल करने में हुई समग्र प्रगति को मापता है। मानव गरीबी सूचकांक संघर्षी वंचना के द्वारा वितरण में हुई प्रगति को मापता है। जिन आयामों में वंचना का अंकलन किया जाता है, वे एच.डी.आई. के समान ही होते हैं— स्वास्थ्य की स्थिति, ज्ञान और जीवन स्तर।

विकासित और विकासशील देशों के लिए अलग-अलग मानव गरीबी सूचकांक-1 को बनाने में जिन चरों का प्रयोग किया गया है वे हैं— पैदा होकर 40 की उम्र से पहले संभावित मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों का प्रतिशत, निरक्षरों का प्रतिशत और सार्वजनिक तथा निजी समस्त आर्थिक प्रावधानों से वंचना, जो स्वास्थ्य सेवाओं और स्वच्छ पानी की सुविधा से वंचित लोगों के प्रतिशत में मापता है। मानव गरीबी सूचकांक-1 को बनाने में जिन चरों का प्रयोग किया गया है वे हैं— पैदा होकर 40 की उम्र से पहले संभावित मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों का प्रतिशत, निरक्षरों का प्रतिशत और सार्वजनिक तथा निजी समस्त आर्थिक प्रावधानों से वंचना, जो स्वास्थ्य सेवाओं और स्वच्छ पानी की सुविधा से वंचित लोगों के प्रतिशत में मापता है।

यू.एन.डी.पी. द्वारा प्रयुक्त तीसरा महत्वपूर्ण सूचकांक महिला विकास सूचकांक (जी.डी.आई.) है। यह उपलब्धियों का अंकलन करने में और उन्हीं चरों का प्रयोग करके करता है जो एच.डी.आई. में प्रयुक्त होते हैं। लेकिन यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच उपलब्धियों की असमानता को भी

ध्यान में रखता है। बुनियादी मानव विकास में जिस देश में जितनी स्त्री-पुरुष असमानता होगी, उस देश के एच.डी.आई. की तुलना में उसका जी.डी.आई. उतना ही कम होगा।

मानव विकास प्रतिवेदनों में प्रयुक्त चौथा महत्वपूर्ण सूचकांक महिला सशक्तिकरण माप (जी.ई.एम.) है। यह सूचकांक बताता है कि स्त्रियां आर्थिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय रूप से भागीदारी करने में सक्षम हुई हैं या नहीं। यह आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी तथा निर्णय प्रक्रिया के मुख्य क्षेत्रों में स्त्री-पुरुष असमानता का अंकलन करता है। चूंकि जी.डी.आई. आर्थिक और राजनीतिक {क्षेत्रों में स्त्रियों को प्राप्त अवसरों पर ध्यान देता है। एच.डी.आई. से अलग है।

इस प्रतिवेदन में सूचकों को तैयार करते समय वही पद्धति अपनायी गई है जो यू.एन.डी.पी. की है। लेकिन प्रयुक्त पद्धति और काम में लाए गए सूचकों में थोड़ी भिन्नता है। ऐसा होने के पीछे तीन प्रमुख कारण हैं— पहला, इस प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य राज्यों के बीच और राज्य के भीतर तुलनाओं में सहायता पहुंचाना तथा वर्तमान राष्ट्रीय उद्देश्यों को अधिक महत्व देना है।

इसी से जुड़ा हुआ दूसरा कारण यह है कि राज्य-स्तर के नीचे के आंकड़ों की उपलब्धता बहुत सीमित है। अनेक महत्वपूर्ण जिलास्तरीय सूचकों की गणना तो पहली बार इस प्रतिवेदन के लिए की गई है।

तीसरा, राज्य स्तर पर सूचकों को तैयार करने के लिए हमें कुछ खास सूचकों के अंकलन का प्रयोग करना पड़ा, लेकिन जी.डी.आई. के अंकलन के फलस्वरूप कुछ को हटा दिया गया तथा कुछ नए जोड़े गए।

योजना आयोग द्वारा तैयार राष्ट्रीय मानव विकास प्रतिवेदन 2001 (एन.एच.डी.आर.) भी एक और पद्धतिगत नमूना उपलब्ध कराता है। एन.एच.डी.आर. भी यू.एन.डी.पी. मानव विकास प्रतिवेदनों में प्रयुक्त आयामों का ही प्रयोग करता है, लेकिन जी.डी.आई. के अंकलन में भिन्नता है। उपर्युक्त दो अंतिम कारणों के चलते एच.डी.आई. के अंकलन में भिन्नता है। एन.एच.डी.आर. की पद्धति के समान

नीचे दी गई तालिका 2.1 में यू.पी.एच.डी.आर., एन.एच.डी.आर. और यू.एन.डी.पी. द्वारा प्रयुक्त सूचकों का सार प्रस्तुत है। गणना की विस्तृत पद्धति परिशिष्ट में दी गई है। यह बताना भी जरूरी है कि जी.डी.आई. की गणना समुचित सूचकों के संबंध में राज्यस्तर से नीचे के आंकड़ों के अभाव में नहीं की जा सकती, लेकिन उपलब्ध सूचनाओं को अंकलन करने में प्रयुक्त कर दिया गया है।

इस प्रतिवेदन के लिए तैयार तीन सूचकों का अंकलन वर्ष 1991 के लिए है। एच.डी.आई. (जी.डी.आई.) विश्लेषण को 1981 तथा भविष्य में (कुछ समायोजनों के साथ क्योंकि समुचित जिला स्तरीय आंकड़े अब भी उपलब्ध नहीं हैं) 2001 तक विस्तारित कर दिया गया है। सूचकों के अंकलन में महत्वपूर्ण सूचनाएं जनगणना से ली गई हैं। इस प्रतिवेदन को लिखते

समय 2001 जनगणना के केवल कुछ प्राथमिक अनुमान ही उपलब्ध थे। 1991 के **IPDK** का उद्देश्य राज्य में मानव विकास की स्थिति का कुछ-कुछ पुराना विश्लेषण प्रस्तुत करना रहा हो सकता है लेकिन प्रतिवेदन के **IR;D** आयाम में अद्यतन सूचनाओं का विश्लेषण किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रथम यू.पी.एच.डी.आर. का महत्वपूर्ण उद्देश्य ऐसे आधारों का निर्माण और प्रस्तुतिकरण **DJUK** है जिससे आगामी विकास को **Ekpa** और विश्लेषित किया जा सके तथा निष्कर्ष निकाले जा सकें।

यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वर्ष 1991 का विश्लेषण तत्कालीन उ.प्र. का है जिसमें 2000 तक राज्य में शामिल किंतु उसके बाद उत्तरांचल में चले गए जिलों का विश्लेषण भी है। लेकिन इन जिलों को महज प्रशासनिक आधार पर शामिल नहीं किया गया है। निवर्तमान उ.प्र. के पहाड़ी जिलों (अब उत्तरांचल) और शेष राज्य के बीच मानव विकास की स्थिति और प्रदर्शन के मामले में विरोधाभास उ.प्र. के लिए भी कई महत्वपूर्ण **Idr** देता है।

तथापि, आगामी अध्यायों में जैसे-जैसे विश्लेषण आगे बढ़ेगा हमारा जोर उन जिलों और क्षेत्रों के प्रदर्शन पर बढ़ता जाएगा जो अब (विभाजन के बाद) उ.प्र. में हैं।

### एच.डी.आई.—उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में तुलना

अध्याय 1 **p;fur** मानव विकास सूचकों पर विचार करते हुए हमने मानव विकास के क्षेत्र में अन्य भारतीय राज्यों के मुकाबले उ.प्र. के प्रदर्शन पर भी दृष्टि डाली **gSi** इस प्रतिवेदन में प्रयुक्त पद्धति से एच.डी.आई. की गणना करने पर उ.प्र. का स्थान मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से 1990-91 में प्रमुख राज्यों में पंद्रहवां होता है। वर्ष 2000-01 के लिए भी **dN** मान्यताओं के आधार पर एच.डी.आई. का अनुमान लगाया गया है। **fo'kSkdj** वर्ष 2001 के लिए जीवन प्रत्याशा अनुमान भारत के **egki th; d ,oWtux.kuk** **Vk;Dr** कार्यालय द्वारा किए गए जनसंख्या पूर्वानुमानों पर आधारित है। 2000-01 के अनुमान यह बताते हैं कि मानव विकास के सम्बन्ध में प्रमुख राज्यों में उ.प्र. का स्थान सुधरकर 12वां हो गया है।

**तालिका 2.1: मानव विकास सूचकों की तैयारी में प्रयुक्त चर(Variable)**

आयाम	यू.पी. एच.डी.आर.	एन.एच.डी.आर.	यू.एन.डी.पी.एच.डी.आर. (2000)
<b>1. मानव विकास सूचकांक (एच.डी.आई.)</b>			
ए) आय	स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय	मुद्रास्फीति और असमानता समायोजित प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय	क्रय शक्ति समानता पर प्रति व्यक्ति आय (डालर में)
बी) शिक्षा	i) साक्षरता (15 वर्ष से अधिक) ii) नामांकन (6 से 14 वर्ष)	1. साक्षरता (7 वर्ष से अधिक) 2. औपचारिक शिक्षा की तीव्रता	1. 15 और उससे अधिक आयु में साक्षरता 2. कुल नामांकन अनुपात-स्कूली शिक्षा
सी) स्वास्थ्य	0 वर्ष पर जीवन प्रत्याशा (एच डी आई-1), या आई.एम.आर. (एच.डी.आई.-2)	1. एक वर्ष पर जीवन प्रत्याशा 2. आई.एम.आर.	0 वर्ष पर जीवन प्रत्याशा
<b>2. मानव गरीबी सूचकांक</b>			
1. स्वास्थ्य	40 वर्ष से अधिक जीवित न रहने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत	40 वर्ष से अधिक जीवित न रहने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत	40 वर्ष तक जीवित न रहने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत
2. शिक्षा	15 वर्ष या उससे अधिक के निरक्षरों का प्रतिशत	1. निरक्षर (7 से अधिक वर्ष के) 2. 6 से 18 वर्ष तक के स्कूल न जाने वाले बच्चों का प्रतिशत	15 वर्ष या उससे अधिक के निरक्षरों का प्रतिशत
3. आर्थिक वंचना और बुनियादी सुविधा	1. गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत 2. <b>cfpu; knh   fjo/kk/vka   s ofipr vkokl ka ds fuokfl ; ka dk ifr'kr</b>	1. गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत 2. प्रसव के समय डाक्टरी सहायता अप्राप्त/पूर्ण टीकाकरण <b>jfgr cPpka</b> का प्रतिशत	1. स्वच्छ पेयजल अप्राप्त लोगों का प्रतिशत 2. स्वास्थ्य सुविधा अप्राप्त लोगों का प्रतिशत
3. पेय जल तक पहुंच न होने वालों का प्रतिशत	3. पेय जल तक पहुंच न होने वालों का प्रतिशत	3. कच्चे घरों में रहनेवालों का प्रतिशत 4. बुनियादी सुविधा अप्राप्त लोगों का प्रतिशत	3. 5 वर्ष से कम आयु के कुछ या गंभीर कम वजन <b>okys</b> बच्चों का प्रतिशत
<b>3. लैंगिक असमानता सूचकांक/लैंगिक सशक्तिकरण सूचकांक (जी.डी.आई./जी.ई.आई.)</b>			
1. आर्थिक अवसर	प्रति व्यक्ति आय <b>ea laDr : i   sपुरुष ,oa efgyk etnjh nj ,oa dk;Z 'kfDr dh Hkkxhnhkj</b> <b>Yiq "k ,oa efgyk vftt vk; dk fgLI kZ</b>	<b>dk;Z 'kfDr Hkkxhnhkj nj</b>	प्रति व्यक्ति आय <b>ea laDr : i   sपुरुष ,oa efgyk etnjh nj ,oa dk;Z 'kfDr dh Hkkxhnhkj Yiq "k ,oa efgyk vftt vk; dk fgLI kZ</b>
2. शिक्षा	एच.डी.आई. के अनुसार	एच.डी.आई. के अनुसार	एच.डी.आई. के अनुसार
3. स्वास्थ्य	एच.डी.आई. के अनुसार	एच.डी.आई. के अनुसार	एच.डी.आई. के अनुसार

स्रोत: परिशिष्ट 1; योजना आयोग भारत सरकार (2002) राष्ट्रीय मानव विकास प्रतिवेदन 2001, नई दिल्ली; यू.एन.डी.पी., मानव विकास प्रतिवेदन 2000 (दिल्ली: आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस)

रफ्यदक 2-2 एकुो फोदकल l pdkkbl 1991 रफक 2001 दक  
iLrqr djrh gS tks fd jk"Vh; एकुो फोदकल ifronu 2001 रफक  
;0ih0,p0Mh0vkj0 i)fr ds vk/kkj ij gA

इन दो पद्धतियों के आधार पर राज्यों के स्थान निर्धारण में स्पष्ट भेद है।  
; |fi केरल, पंजाब और तमिलनाडु 2001 ds दोनों ही अनुमानों में सबसे  
ऊपर हैं। 1991 से 2001 के बीच उ.प्र. के स्थान में थोड़ा सुधार हुआ है  
इसके बावजूद ताजा अनुमान में अब उत्तरांचल में शामिल उच्च प्रदर्शन वाला  
क्षेत्र शामिल नहीं है। इससे थोड़ी राहत तो मिल सकती है लेकिन अब भी  
उ.प्र. मानव विकास निम्न स्तर पर बना हुआ है और तमाम उपलब्ध अनुमानों  
के vk/kkj ij बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा के साथ सबसे  
नीचे खड़े राज्यों में है।


**तालिका 2.2: मानव विकास सूचकांक, 1991 और 2001**

राज्य	एन.एच.डी.आर. पद्धति				यू.पी.एच.डी.आर. पद्धति			
	1991		2001		1991		2001	
	मूल्य	स्थान*	मूल्य	स्थान	मूल्य	स्थान	मूल्य	स्थान
आंध्र प्रदेश	0.377	9	0.416	10	0.623	9	0.713	9
असम	0.348	10	0.386	14	0.580	12	0.705	10
बिहार	0.308	15	0.367	15	0.556	14	0.616	15
गुजरात	0.431	6	0.479	6	0.677	6	0.767	6
हरियाणा	0.443	5	0.509	5	0.696	5	0.790	4
कर्नाटक	0.412	7	0.478	7	0.662	7	0.743	8
केरल	0.591	1	0.638	1	0.843	1	0.869	1
मध्य प्रदेश	0.328	13	0.394	12	0.578	13	0.672	13
महाराष्ट्र	0.452	4	0.523	4	0.725	3	0.771	5
उड़ीसा	0.345	12	0.404	11	0.583	11	0.660	14
पंजाब	0.475	2	0.537	2	0.730	2	0.818	2
राजस्थान	0.347	11	0.424	9	0.588	10	0.691	11
तमिलनाडु	0.466	3	0.531	3	0.706	4	0.793	3
उत्तर प्रदेश	<b>0.314</b>	<b>14</b>	<b>0.388</b>	<b>13</b>	<b>0.555</b>	<b>15</b>	<b>0.684</b>	<b>12</b>
पश्चिम बंगाल	0.404	8	0.472	8	0.643	8	0.756	7
भारत	0.381		0.472		0.637		0.740	

\*स्थान ऊपर से नीचे के क्रम में हैं

स्रोत : एन.एच.डी.आर. 2001

**चित्र 2.1: उ.प्र. के विभिन्न क्षेत्रों में एच डी आई (1991)**



## मौजूदा अवस्था, पश्चिम

उ.प्र. में एच.डी.आई. की स्थिति के संबंध में सबसे पहले इस तथ्य पर  
नजर जाती है कि फिलहाल उत्तरांचल राज्य के हिस्से, पर्वतीय क्षेत्र, और शेष  
क्षेत्रों में भारी अंतर है। बचे हुए क्षेत्रों में पश्चिमी क्षेत्र में मध्य क्षेत्र के मुकाबले  
थोड़ा बेहतर एच.डी.आई. है जबकि पूर्वी और बुंदेलखंड क्षेत्रों में एच.डी.आई.  
सबसे कम है। यह बात उल्लेखनीय है कि पश्चिमी क्षेत्र आर्थिक रूप से आगे  
माना जाता है लेकिन उ.प्र. के मैदानी क्षेत्रों से बहुत बेहतर नहीं है। तुलनात्मक  
रूप से पर्वतीय क्षेत्र बहुत आगे है।

अविभाजित उ.प्र. में पर्वतीय क्षेत्र के देहरादून जिले का एच.डी.आई.  
सबसे अधिक था जिसका मूल्य 0.69 था। पश्चिमी उ.प्र. के बदायूं जिले का  
एच.डी.आई. मूल्य सबसे कम 0.40 था।


एच.डी.आई. के लिहाज से ऊपर के एक-चौथाई जिलों में पर्वतीय क्षेत्र  
से 8, पश्चिमी क्षेत्र से 5, मध्य क्षेत्र से 2 जिले और बुंदेलखंड से 1 जिला था।  
इनमें पूर्वी उ.प्र. और बुंदेलखंड क्षेत्र का कोई जिला नहीं था जबकि पर्वतीय  
क्षेत्र के सभी जिले इनमें थे। (चित्र 2.2)

दूसरी तरफ सबसे नीचे के एक-चौथाई जिलों में 5 पश्चिमी उ.प्र. से, 4  
मध्य उ.प्र. से, 6 पूर्वी उ.प्र. से और 1 बुंदेलखंड क्षेत्र से थे। पश्चिमी क्षेत्र के  
जिलों में मानव विकास की स्थिति में अंतर ध्यान देने योग्य है। यहां के 21  
जिलों में पांच ऊपर के एक चौथाई में, सात दूसरे दर्जे के एक चौथाई में, चार  
तीसरे दर्जे के एक चौथाई में और पांच सबसे नीचे के एक चौथाई में थे।  
एच.डी.आई. संबंधी ऐसा ही अंतर अन्य क्षेत्रों में भी (पर्वतीय क्षेत्र को  
छोड़कर) देखा जा सकता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि उ.प्र. में मानव  
विकास का क्षेत्रवार विश्लेषण तो जरूरी है ही (उल्लिखित भिन्नताओं की  
दृष्टि से) जिले और उससे भी नीचे के स्तर पर भिन्नताओं का भी विश्लेषण  
होना चाहिए।

उ.प्र. के जिलों में एच.डी.आई. की तुलना से पता चलता है कि उ.प्र.  
का कोई भी जिला केरल की स्थिति को नहीं प्राप्त कर सका है। केवल 17  
जिलों का एच.डी.आई. मूल्य राष्ट्रीय स्तर से अधिक है।

1991 में, एच.डी.आई. की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में जो दस जिले सबसे  
ऊपर थे उनमें 7 पर्वतीय क्षेत्र के थे। इनमें देहरादून (पहला), गढ़वाल  
(तीसरा), चमोली (पांचवां), अल्मोड़ा (सातवां), नैनीताल (आठवां),  
पिथौरागढ़ (नवां) थे। तलहटी में स्थित हरिद्वार (दसवां) पहले पश्चिमी क्षेत्र  
में था लेकिन अब उसे उत्तरांचल राज्य में शामिल कर लिया गया है। ऊपर के  
दस जिलों में कानपुर नगर (दूसरा), गाजियाबाद (चौथा) और लखनऊ

**चित्र 2.2 उ.प्र. के विभिन्न क्षेत्रों में एच डी आई के अनुसार जिलों का चौथाईवार विभाजन, 1991**



(छठवां) जिले बड़े और विकसित शहरी केंद्र हैं। इससे उ.प्र. के पर्वतीय जिलों और ग्रामीण मैदानी क्षेत्रों में मानव विकास की स्थिति का अंतर और भी विचारणीय हो जाता है।

पहले भी कहा जा चुका है कि उ.प्र. में सबसे कम एच.डी.आई. वाला जिला पश्चिमी उ.प्र. का बदायूं है। अन्य जिले (नीचे से ऊपर के क्रम में) बहराइच, सिद्धार्थनगर, हरदोई, महाराजगंज, गोंडा, शाहजहांपुर, सीतापुर, रामपुर और बस्ती हैं। भौगोलिक रूप से ये जिले एक सीध में तो नहीं लेकिन आस-पास हैं और उ.प्र. की 'रीढ़' के करीब हैं तथा राज्य के पूर्वी, मध्य और पश्चिमी भागों में स्थित हैं।

### 1981 तथा 1991 के बीच एच.डी.आई. में सुधार

आंकड़ों की कमी के कारण 1981 और 1991 वर्षों के लिए (एच.डी.आई.-2 नामक) एक U;S सूचकांक की गणना की गई है। इसमें स्वास्थ्य स्थिति के सूचक के बतौर जीवन प्रत्याशा के LFKu ij शिशु मृत्यु दर का प्रयोग किया गया है।

इस दशक में उ.प्र. के iR; d क्षेत्र में एच.डी.आई. के मामले में सुधार gM/T (तालिका 2.3)। सबसे अधिक सुधार पर्वतीय क्षेत्र में, rFk सबसे कम सुधार बुंदेलखंड क्षेत्र में gM/kA

तालिका 2.3 : एचडीआई(2), 1981 और 1991			
क्षेत्र	1981	1991	परिवर्तन
ioth;	0.57	0.66	0.09
पश्चिमी	0.47	0.55	0.08
मध्य	0.46	0.54	0.08
पूर्वी	0.45	0.52	0.08
बुन्देलखण्ड	0.48	0.54	0.05
यू.पी.	0.46	0.53	0.07
यू.पी. (उत्तरांचल रहित)	0.46	0.53	0.07

आगरा, मध्य उ.प्र. में रायबरेली तथा पुनः पर्वतीय क्षेत्र में चमोली।

इलाहाबाद जिले में एच.डी.आई.-2 के मामले में सबसे कम दशकीय सुधार gM/kA इसके बाद फिरोजाबाद, आजमगढ़, झांसी, महाराजगंज, बहराइच, बांदा, कानपुर देहात, फतेहपुर और पीलीभीत आते हैं। ये सभी जिले ioth; क्षेत्र के बाहर पड़ते हैं। सामान्यतः ये एच.डी.आई. की दृष्टि से नीचे के एक चौथाई में से हैं। 1980-81 के एच.डी.आई.-2 मूल्य और इन मूल्यों में दशकीय सुधार के बीच संबंध सकारात्मक है। हालांकि यह बहुत कम (0.03) है फिर भी इससे पता चलता है कि जिन जिलों में एच.डी.आई. अधिक था वहां इस दशक में परिवर्तन भी अधिक हुआ।


चित्र 2.6 में एच.डी.आई. की दृष्टि से जिलों के स्थान तथा 1981-91 के e/; उनमें सुधार के स्थान की तुलना की गई है। इससे पता चलता है कि 1981 से 1991 के e/; निचले स्थान पर रहे कई जिलों (कर्ण के दाहिनी तरफ स्थित) में एच.डी.आई. का सुधार भी धीमा ही रहा।

### 10Mh0vkbD ds ?kVd IaPr #i lsdJ sc<fsg8?

एच.डी.आई. के तीनों घटकों (शिक्षा सूचकांक, जीवन प्रत्याशा सूचकांक और आय सूचकांक) के विश्लेषण से पता चलता है कि समूचे उ.प्र. में ये सूचक सकारात्मक रूप से परस्पर जुड़े हुए हैं। लेकिन स्वास्थ्य और शैक्षिक क्षमता को inf'kr करने वाले दो सूचकों के बीच एक दूसरे से आपसी संबंध आय सूचकांक के मुकाबले ज्यादा अच्छा है। उ.प्र. के जिलों में शैक्षिक और जीवन प्रत्याशा सूचकों के बीच आपसी संबंध 0.69 है जबकि शिक्षा और जीवन प्रत्याशा सूचकों के बीच आपसी संबंध 0.47 है। जीवन प्रत्याशा सूचकांक और आय सूचकांक के बीच आपसी संबंध सबसे कम (0.36) है।

पश्चिमी उ.प्र. के जिलों का एच.डी.आई. के मामले में स्थान नीचे है लेकिन आय सूचकांक के मामले में उनका स्थान अपेक्षाकृत ऊपर है। उदाहरण के लिए शाहजहांपुर का स्थान एच.डी.आई. के vk/kj ij 57वां है लेकिन आय सूचकांक के vk/kj ij वह 26वें स्थान पर है। इसी तरह रामपुर भी एच.डी.आई. के vk/kj ij 55वें स्थान पर है लेकिन आय सूचकांक के मामले में उसका स्थान 28वां है। बदायूं एच.डी.आई. के gl kc से सबसे

चित्र 2.3: एच डी आई के अनुसार 1990-91 में सबसे खराब स्थिति वाले दस जिले।




जिला स्तर पर भी उ.प्र. के सभी जिलों में एच.डी.आई.-2 के मामले में कुछ सुधार दिखाई in; k। पर्वतीय क्षेत्र के टिहरी गढ़वाल जिले में सभी जिलों से अधिक सुधार n[kk X; k जिन अन्य जिलों में महत्वपूर्ण सुधार gM वे थे- पूर्वी उ.प्र. में मऊ और सुल्तानपुर, पश्चिमी उ.प्र. में हरिद्वार, मेरठ, मथुरा और


निचले पायदान (63) पर है लेकिन प्रतिव्यक्ति आय की दृष्टि से 47वें स्थान पर है। इस तरह कुछ जिले आय के अपेक्षाकृत ऊंचे स्तर के बावजूद शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में पीछे रहे। अन्य जिलों ने आय और एच.डी.आई. दोनों ही मामलों में अपनी स्थिति सुधारी gS।




चित्र 2.4: 1980-81 से 1990-91 में एच डी आई-II में सर्वाधिक सुधार वाले जिले



चित्र 2.5 : 1980-81 से 1990-91 में एच डी आई-II में न्यूनतम सुधार वाले जिले



चित्र 2.6 : 1980-81 में एच डी आई-II का स्तर और 1990-91 में उसमें सुधार की तुलना



## उत्तर प्रदेश में मानव गरीबी


आर्थिक गरीबी के खिलाफ मानव गरीबी Li"Vr;k स्वीकार करती है कि मानव वंचना बहुमुखी है। मानव गरीबी सूचकांक खुशहाली के वितरण पर जोर देता है और सामाजिक वंचना का आकलन स्वास्थ्य, शिक्षा और भौतिक जरूरतों के मामले में न्यूनतम क्षमताएं भी हासिल न कर सकने वाले लोगों के अनुपात के V/Wkj ij करना चाहता है।

इस प्रतिवेदन में एच.पी.आई. का आकलन करने के लिए जिन घटकों का प्रयोग किया गया है वे स्वास्थ्य और शैक्षिक वंचना के ही हैं। लेकिन भौतिक जरूरतों की दृष्टि से वंचना के आकलन के लिए जिला स्तर पर बाल कुपोषण संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। इसकी जगह पर हमने अस्थायी घरों में रहने वालों की जनसंख्या का अनुपात शामिल कर लिया है। इसको ;g lkdj शामिल किया गया कि जनसंख्या का यह हिस्सा खासकर वंचित और असुरक्षित है। इसी घटक के एक और तीसरे सूचक के रूप में हमने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का अनुपात भी शामिल किया है यह मानकर कि भौतिक वंचना का यह अत्यंत महत्वपूर्ण l pdkll है।


उ.प्र. में मानव गरीबी देहरादून में 24.2 प्रतिशत है तो बहराइच जिले में 59.5 प्रतिशत।

पूरे राज्य में यह 46.9 प्रतिशत है। चित्र 2.7, एच.पी.आई. की दृष्टि से सबसे ऊपर के एक चौथाई और सबसे नीचे के एक चौथाई जिलों के बारे में बताता है। सबसे नीचे की चौथाई में plj ioth; ftys vkrs gll अन्य जिले या तो मध्य उ.प्र. dk अति शहरीकृतftyk लखनऊ या फिर पश्चिमी उ.प्र. के जिले vkrs gll

मानव गरीबी के मामले में सबसे ऊपर के चौथाई जिलों में पूर्वी उ.प्र. के सात जिले (बहराइच, गोंडा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और देवरिया), पश्चिमी उ.प्र. के तीन जिले (रामपुर, खीरी और बदरौं), मध्य उ.प्र. के दो जिले (हरदोई और उन्नाव) और बुंदेलखंड के दो जिले (बांदा और ललितपुर) हैं।



चित्र 2.7 : उ.प्र. में मानव गरीबी सूचकांक : सबसे अधिक और सबसे कम वाले चौथाई जिले (1990-91)



जिलों का एच.डी.आई. में स्थान उनकी एच.पी.आई. स्थिति से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों (जहां मानव वंचना के कम होने की आशा की जा सकती है) और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों (जहां वंचना के उच्चस्तर के कारण औसतन कमजोर क्षमता और फलतः कमजोर एच.डी.आई. की आशा की जा सकती है) के मामले में कुल मिलाकर, हालांकि एच.पी.आई. के मामले में भिन्नता की सीमा आर्थिक गरीबी (अध्याय 5 में वर्णित) के मुकाबले कम है, लेकिन मानव गरीबी का स्तर काफी ऊंचा है हालांकि जिलों के बीच भिन्नताओं पर भी ध्यान देना चाहिए।

## उ.प्र. में जी.डी.आई.

स्त्री-पुरुष भेदभाव और महिला विकास सूचकांक पर विस्तार से अध्याय 6 में विचार किया गया है। यहां संक्षेप में उसका जिक्र किया जा रहा है।

चित्र 2.9 में जी.डी.आई. और एच.पी.आई. के मामले में उ.प्र. के जिलों के स्थान में आपसी संबंध दिखाया गया है। जो जिले कर्ण के ऊपरी हिस्से में हैं उनका जी.डी.आई. स्थान एच.डी.आई. स्थान के मुकाबले ऊंचा है और जो जिले कर्ण के निचले हिस्से में हैं वहां स्थिति foj jhr है।

वास्तव में, एच.डी.आई. स्थान और जी.डी.आई. स्थान के मुकाबले बेहतर है। दूसरी ओर बांदा, उन्नाव, ललितपुर और बस्ती जैसे जिले हैं जिनके एच.डी.आई. स्थान के मुकाबले उनका जी.डी.आई. स्थान काफी खराब है।

एच.डी.आई. और जी.डी.आई. के बीच अंतर उस सीमा को n' lkrk gS fd उस क्षेत्र/जिले में स्त्री-पुरुष भेदभाव fd lgn rd होता है। वास्तव में, जिन 6 जिलों में एच.डी.आई. और जी.डी.आई. के बीच अंतर सबसे कम है वे सभी ioth; क्षेत्र में हैं। इनके अलावा ऐसे ftys tks ioth; क्षेत्र में

नहीं हैं वे हैं—सोनभद्र, फतेहपुर, मऊ, झांसी और ललितपुर। इनमें से तीन जिले पर्यावरणिक रूप से प्रतिकूल क्षेत्रों में हैं जहां महिलाओं को अधिक काम करना पड़ता है। इस तथ्य से यह पता चलता है कि जी.डी.आई. के आकलन में कार्य भागीदारी को महत्वपूर्ण चर के रूप में लेना कितना मुश्किल है। आगे इस पर अध्याय 6 में चर्चा की जाएगी।




दूसरी ओर एच.डी.आई. और जी.डी.आई. के बीच सर्वाधिक अंतर वाले सभी जिले पश्चिमी और मध्य उ.प्र. में हैं। इन जिलों में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी असमानता बहुत है तथा महिलाओं की कार्य भागीदारी दर बहुत कम है। इसके कारण जी.डी.आई. द्वारा आकलित स्त्री-पुरुष अंतराल और बढ़ जाता है।

### उ.प्र. में 2000-01 की अंतरिम एच.डी.आई.

ऊपर वर्णित सूचक वर्ष 1980-81 तथा 1990-91 की अवधि के हैं। इनमें वे जिले भी शामिल हैं जो 2000 में गठित उत्तरांचल राज्य में चले गए हैं। इस अध्याय में पहले ही यह बताया गया है कि विभाजित राज्य में एच.डी.आई. के VUPKI के लिए आवश्यक आंकड़े इस प्रतिवेदन के लिखे जाने के समय उपलब्ध नहीं थे। एच.डी.आई. में प्रयुक्त आयु विशेष में नामांकन दरें तथा जीवन प्रत्याशा दरें उन जनगणना सारणियों से निकाली गई हैं जिनका प्रकाशन अभी नहीं हुआ है। एच.पी.आई. और जी.डी.आई. में प्रयुक्त अन्य सूचकों के मामले में भी यही स्थिति है। बहरहाल, 2000-01 के करीबी वर्षों के कुछ ऐसे सूचक उपलब्ध हैं जिनका एच.डी.आई. के तीनों स्तरीय (स्वस्थ, ज्ञान और आर्थिक अवसर) के लिए प्रतिनिधि इंडेक्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें से कुछ को हमने एच.डी.आई. अनुमानों के अंतरिम माप के बतौर ग्रहण किया है। इस अनुमान को हमने अंतरिम एच.डी.आई. या आई.एच.डी.आई. कहा है। हमने इन सूचकों का चुनाव किया है: 1980-81 की कीमतों पर 2000-01 में (अन्य अनुमानों की तरह) शुद्ध जिला घरेलू उत्पाद (एन.डी.डी.पी.); 2001 की साक्षरता दरें; संपूर्ण टीकाकरण वाले बच्चों का प्रतिशत और सांस्थानिक प्रसव प्रतिशत (1998-99 के आर.सी.एच. सर्वेक्षण आंकड़े)। इनमें कुछ और समायोजन किया गया है क्योंकि आर.सी.एच. सर्वेक्षण विभाजित राज्य के केवल 63 जिलों का ही हुआ था। जिलावार अनुमान परिशिष्ट की तालिकाओं में दिए गए हैं।


नए राज्य में सर्वोच्च एच.डी.आई. वाले जिले मुख्यतः पश्चिमी उ.प्र. में हैं। सबसे ऊपर स्थित बीस जिलों में से ग्यारह इसी क्षेत्र में हैं। इसके अतिरिक्त इस दर्जे में आए अन्य जिलों में से पांच पूर्वी क्षेत्र के, तीन मध्य क्षेत्र के हैं और एक बुंदेलखंड क्षेत्र का है।

चित्र 2.11 में वर्ष 2000-01 में उ.प्र. में सर्वोच्च अंतरिम एच.डी.आई. वाले दस जिलों को दिखाया गया है। सर्वोच्च एच.डी.आई. वाले कुछ जिले



(लखनऊ, कानपुर नगर, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद) अति शहरीकृत भी हैं। इन जिलों के बाद बलिया है जो पूर्वी उ.प्र. में पड़ता है यह जिला एच.डी.आई. की दृष्टि से अग्रणी रहा है। ऊपर के दस जिलों में अधिकांश अन्य जिले (CIVIL KJ, इटावा, आगरा और फर्रुखाबाद) पश्चिमी उ.प्र. में स्थित हैं लेकिन आठवें स्थान पर खड़ा झांसी बुंदेलखंड क्षेत्र में है।

अब उन जिलों को देखा जाए जहां 2000-01 में सबसे कम अंतरिम एच.डी.आई. है। पूर्वी उ.प्र. की तराई में स्थित बहराइच और बलरामपुर में सबसे कम एच.डी.आई. है, इसके बाद पश्चिमी उ.प्र. के बदायूं का नंबर आता है। पूर्वी उ.प्र. में गोंडा, सिद्धार्थनगर और कौशांबी राज्य में सबसे कम एच.डी.आई. सीढ़ी पर चौथे, पांचवें और छठवें पायदान पर हैं, इसके बाद पश्चिमी उ.प्र. के रामपुर, पूर्वी उ.प्र. के महाराजगंज और सोनभद्र तथा पश्चिमी उ.प्र. के मुरादाबाद का नंबर है। इस तरह जिन दस जिलों में सबसे कम अंतरिम एच.डी.आई. है उनमें से सात पूर्वी उ.प्र. में और तीन पश्चिमी उ.प्र. में हैं। चित्र 2.12 में अंतरिम एच.डी.आई. मूल्यों सहित इन जिलों को दिखाया गया है।



सबसे कम एच.डी.आई. वाले बीस जिलों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि इनमें से आधे पूर्वी उ.प्र. में, पांच पश्चिमी उ.प्र. में, तीन मध्य उ.प्र. में तथा दो बुंदेलखंड में हैं।

1991 की स्थिति और 2001 की स्थिति में कोई तुलना अभी तो संभव नहीं है लेकिन यह दिखाई पड़ रहा है कि जिन जिलों में 1991 में एच.डी.आई. कम था वे 2000-01 में भी सबसे कम अंतरिम एच.डी.आई. वाले जिले हैं। राज्य में पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों की जनसंख्या सबसे अधिक है और पश्चिमी क्षेत्र के जिले आर्थिक रूप से अधिक विकसित हैं। इस क्षेत्र में बेहतर एच.डी.आई. वाले जिले अपेक्षाकृत अधिक हैं। लेकिन पश्चिमी क्षेत्र के कई जिलों, खासकर रुहेलखंड डिवीजन के जिलों में मानव विकास सूचकों के मामले में स्थिति बहुत VPNH UGHA है।

पूर्वी क्षेत्र के कुछ जिलों में अपेक्षाकृत बेहतर अंतरिम एच.डी.आई. है। इस क्षेत्र में बलिया अग्रणी बना हुआ है। लेकिन इस क्षेत्र में खासकर तराई में कई जिले हैं जहां अंतरिम एच.डी.आई. मूल्य बहुत कम हैं।

मध्य क्षेत्र में लखनऊ और कानपुर नगर नामक दो शहरी और औद्योगिकृत जिलों में अंतरिम एच.डी.आई. मूल्य अधिक है लेकिन अन्य जिलों में मूल्य अपेक्षाकृत कम है। सीतापुर, बाराबंकी और उन्नाव तो बहुत कम अंतरिम एच.डी.आई. वाले जिले हैं TCFD ये जिले राज्य की राजधानी और कानपुर नगर के आस-पास हैं।

दक्षिणी (बुंदेलखंड) क्षेत्र में झांसी का स्थान ऊंचा है, इसके बाद जालौन और ललितपुर का नंबर है लेकिन अन्य जिलों में अंतरिम एच.डी.आई. अपेक्षाकृत कम है।

इस तरह ताजा आंकड़ों के आधार पर एच.डी.आई. आयामों का अध्ययन यह बताता है कि उ.प्र. के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत भिन्नता है। बड़े शहरी केंद्रों और अधिक विकसित पश्चिमी क्षेत्र ने अपना प्रदर्शन कुछ बेहतर किया है।

### निष्कर्ष

उ.प्र. की मानव विकास स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। भारत के प्रमुख राज्यों में इस राज्य का एच.डी.आई. और जी.डी.आई. एकदम नीचे है। हालांकि विभिन्न जिलों के बीच काफी भिन्नताएं हैं और कुछ जिलों का प्रदर्शन अच्छा भी रहा लेकिन उ.प्र. का कोई भी जिला केरल के प्रदर्शन की बराबरी नहीं कर सका है और केवल तीन ही जिले ऐसे हैं जो महाराष्ट्र द्वारा हासिल औसत से ऊपर की एच.डी.आई. हासिल कर सके हैं।

मानव गरीबी भी उ.प्र. में बहुत है और पुनः विभिन्न जिलों के बीच काफी भिन्नताएं हैं।

निवर्तमान उ.प्र. के जिलों में IORH; क्षेत्र के जिले एच.डी.आई. के लिहाज से आगे हैं और उनमें महिला-पुरुष भेदभाव भी अपेक्षाकृत कम है (एच.डी.आई. और जी.डी.आई. में अंतर द्वारा आकलित)। 1981 में ही IORH; क्षेत्र के अनेक जिलों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर था। 1981 से 1991 तक अन्य जिलों ने भी प्रदर्शन काफी सुधारा GSI IORH; क्षेत्र के जिले और हरिद्वार नए उत्तरांचल राज्य में हैं। उनके प्रदर्शन का आकलन इस प्रतिवेदन में अंशतः तो इसलिए किया गया है क्योंकि जिन वर्षों की बात की जा रही है उस समय ये जिले उ.प्र. में ही थे लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण एक और कारण है। निवर्तमान राज्य के सभी क्षेत्र और जिले समान शासन-तंत्र और समान नीति निर्णयों से शासित होते थे। IORH; क्षेत्र के जिलों का धरातल ऊंचा-नीचा है और इन क्षेत्रों को बाकी क्षेत्रों के मुकाबले कोई विशेष सुविधा भी नहीं दी जाती थी। फिर भी मानव विकास के लिहाज से इनके बेहतर प्रदर्शन से शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसा तब भी हुआ जब वे अविभाजित उ.प्र. के ही प्रशासनिक अंग रहे थे।

एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि उ.प्र. के जिलों में आय के मामले में भिन्नता तो बहुत है लेकिन मानव विकास के स्तरों में बहुत अंतर नहीं है। राज्य के पश्चिमी क्षेत्र के अनेक जिले बाकी जिलों के मुकाबले अपेक्षाकृत बेहतर आय स्तर वाले हैं लेकिन उनका प्रदर्शन मानव विकास या महिलाओं की स्थिति के मामले में सबसे खराब है।

## शिक्षा की स्थिति

शिक्षा एक बुनियादी और रूपांतरकारी मानवाधिकार है। मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणापत्र (1948) घोषित करता है—‘सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है’।

1960 और 1970 के दशक में अलग-अलग स्तरों तक शिक्षा का विस्तार हुआ लेकिन 1980 के दशक में विकासशील देशों में इसका विकास अवरुद्ध रहा क्योंकि ये देश आर्थिक मंदी से गम्भीर रूप से प्रभावित हुए। इसकी प्रतिक्रिया में मार्च 1990 में थाईलैंड के जामतिएन में बुनियादी शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए सर्वशिक्षा विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के दो उद्देश्य थे:

(क) बुनियादी शिक्षा के महत्व और प्रभाव पर ध्यान आकर्षित करना, और

(ख) सबको बुनियादी शिक्षा सुलभ कराने के बारे में विश्व स्तर पर सहमति और निश्चय बनाना।

भारत ने सर्वशिक्षा विश्व सम्मेलन पर हस्ताक्षर किया है। साथ ही यह नौ घनी जनसंख्या वाले देशों के सम्मेलन (1993) का अतिथि देश था जिसमें जामतिएन सम्मेलन के प्रस्तावों पर जोर देते हुए सार्वभौमिक बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के प्रति निष्ठा जाहिर की गई।

1986 की भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) संविधान के घोषित उद्देश्यों के अनुरूप थी। 1992 के संशोधित नीति प्रस्ताव (आर.पी.एफ.) और कार्रवाई योजना (पी.ओ.ए.) ने 1986 की एन.ई.पी. की समीक्षा की और परिचालन संबंधी व्यापक दिशा निर्देश दिए। बाद के दिनों में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा (यू.ई.ई.) पर फिर से जोर दिया गया और केंद्र सरकार की वचनबद्धता 93वें संशोधन, जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, तथा सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के रूप में प्रकट हुई। राज्य स्तर पर अनेक नये कदम उठाए गए।

इस अध्याय में शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के विकास की समीक्षा की गयी है।

### साक्षरता में वृद्धि

सदियों के औपनिवेशिक शासन के बाद 1951 में उ.प्र. की जनसंख्या का मात्र 10.8 प्रतिशत साक्षर था।

	1951	1961	1971	1981	1991	1991ए	1991बी	2001
<b>भारत</b>								
कुल	16.7	24.0	29.5	43.7	52.2			65.4
पुरुष	25.0	34.5	39.5	56.5	64.1			76.0
महिला	7.9	12.9	18.7	29.9	39.3			54.3
<b>उ.प्र.</b>								
कुल	10.8	17.7	25.4	31.4	41.6	40.71		57.4
पुरुष	17.3	27.3	36.7	44.5	55.73	54.82		70.2
महिला	3.6	7.0	12.5	16.3	25.31	24.37		43.0


टिप्पणी : 1951-71 के आँकड़े संपूर्ण जनसंख्या के हैं जबकि 1981 और उसके बाद के आँकड़े 7 वर्ष से अधिक आयु समूह के हैं। उ.प्र. के 1991ए और 1991बी के आँकड़े क्रमशः अविभाजित और विभाजित राज्य के हैं।

आगामी दशकों में इस स्थिति में निरंतर सुधार हुआ और 2001 में 57.4 प्रतिशत साक्षर थे। 1991-2001 के दौरान उ.प्र. में साक्षरता पूरे देश की तुलना में तेजी से बढ़ी। राज्य में साक्षरों की 16.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जबकि उसकी तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर यह बढ़ोतरी 13.2 प्रतिशत की ही हुई थी।

1991-2001 के बीच उ.प्र. में साक्षरता में जबर्दस्त सुधार दर्ज किया गया। देश भर में इसका ऊपर से पांचवां स्थान रहा लेकिन यह दर राजस्थान, छत्तीसगढ़, म.प्र., और आंध्र प्रदेश द्वारा प्राप्त दर से कम ही थी। 2001 में उ.प्र. की कुल साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर भी बिहार, झारखंड तथा जम्मू और कश्मीर से कम तथा सबसे नीचे रही। पुरुषों और महिलाओं के बीच, सामाजिक समूहों के बीच और विभिन्न क्षेत्रों तथा जिलों के बीच भी असमानता देखी गई।

हालांकि साक्षरता के मामले में 2001 में उ.प्र. में पुरुष-महिला असमानता एक दशक पहले की तुलना में कम थी लेकिन अब भी पुरुष और महिलाओं की साक्षरता में भिन्नता इस राज्य में झारखंड और राजस्थान के बाद सबसे अधिक है।

1981 से 1991 के दौरान यह देखा गया कि 1981 में जिस जिले में साक्षरता का जो स्तर था और 1981 से 1991 तक उसमें जो बढ़ोतरी हुई उनमें घनिष्ठ आपसी संबंध है। मतलब यह कि 1981-1991 के दौरान अत्यंत कम साक्षरता वाले जिलों में बढ़ोतरी भी बहुत कम हुई जब कि अधिक साक्षरता वाले जिलों में बढ़ोतरी भी अधिक हुई। यह प्रवृत्ति 1991-2001 के दौरान बदली हुई प्रतीत होती है।





## प्राथमिक शिक्षा

उ.प्र. में औपचारिक प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था (5 + 3) वर्षीय प्रणाली से होती है। इसमें निचले और ऊपरी चरण क्रमशः पहले से पांचवें दर्जे तथा छठवें से आठवें दर्जे हैं। इस अध्याय के संदर्भ में, यू.ई.ई., और इसका पर्याय ई.एफ.ए., 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों के लिए पहले से आठवें दर्जे तक संपूर्ण प्राथमिक चक्र के माध्यम से शिक्षा की वकालत करते हैं।

### प्राइमरी स्कूलों की पहुंच

राज्य सरकार के नीति निर्देशों के अनुसार 300 की जनसंख्या पर 1.5 किमी. की परिधि में एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। इसी तरह 3 किमी की परिधि में 800 की जनसंख्या पर एक उच्चतर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए।

तालिका 3.2 छठवें अखिल भारतीय शिक्षा सर्वे, 1993 पर आधारित है। यह सर्वेक्षण राज्य में प्राइमरी स्कूलों की उपलब्धता का निम्नवत आंकलन करता है:

तालिका 3.2 : उ.प्र. में प्राइमरी स्कूल युक्त बस्तियों की संख्या और जनसंख्या

क्रम	दूरी स्तर	प्राइमरी स्कूल युक्त बस्तियां		प्राइमरी स्कूल युक्त बस्तियों की जनसंख्या (हजार में)	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	बस्ती में	64534	30.43	70410	60.50
2.	0.1 से 0.5 किमी.	47162	22.23	17425	12.65
3.	0.6 से 1.0 किमी.	57725	27.21	17986	15.45
1 किमी. में कुल		169421	79.87	10,31,21	88.60
4.	1 से 2 किमी.	31563	14.88	9933	8.53
5.	2 किमी. से अधिक	11141	5.25	3335	2.87
कुल		212125	100	119089	100

स्रोत : एन.सी.ई.आर.टी. छठा अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण

टिप्पणी : आंकड़े अविभाजित उ.प्र. के हैं।


- \* 30 प्रतिशत बस्तियों में ही स्कूल हैं। इन बस्तियों में समूची जनसंख्या के आधे से अधिक लोग (60.5%) रहते हैं।
- \* 80 प्रतिशत गांवों के एक किलोमीटर परिधि के भीतर ही स्कूल हैं। इन गांवों में लगभग 89 प्रतिशत जनसंख्या रहती है।
- \* 8.53 प्रतिशत जनसंख्या ऐसी है जिसे 1 से 2 किमी के भीतर स्कूल उपलब्ध है, और
- \* केवल 2.87 प्रतिशत जनसंख्या के लिए स्कूल 2 किमी से दूर पड़ते हैं।


1996 में राज्य सरकार की ओर से किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 9,524 ऐसे क्षेत्र हैं जहां 1.5 किमी. और 300 जनसंख्या के मानकों के अनुरूप प्राइमरी स्कूल उपलब्ध नहीं थे। इसी तरह 4,333 ऐसे क्षेत्र थे जहां 3 किमी. और 800 जनसंख्या के प्रचलित दिशा निर्देशों के अनुरूप उच्चतर प्राइमरी स्कूल उपलब्ध नहीं थे। इसके बाद से कई चालू कार्यक्रमों और आपरेशन ब्लैक बोर्ड तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जैसे कई चलायमान और नए कार्यक्रमों के तहत नए-नए स्कूल खोले गए। इसके साथ ही पर्याप्त संख्या में वैकल्पिक स्कूल भी खोले गए ताकि असेवित बस्तियों/क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके कारण (निचले) प्राइमरी स्कूलों तक पहुंच की समस्या काफी हद तक कम हो गई है।

छठवें शिक्षा सर्वेक्षण में यह पाया गया कि उच्चतर प्राइमरी स्कूलों की आवश्यकता और उनकी उपलब्धता के बीच काफी अन्तर है। इसके अतिरिक्त कमरों की संख्या, स्कूली भवनों की मरम्मत, शौचालय, पेय जल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं भी अधिकतर अनुपलब्ध रहे।

छठवें शिक्षा सर्वेक्षण में यह पाया गया कि पांच प्रतिशत प्राइमरी स्कूल खुले आसमान के नीचे चलते हैं, 41 प्रतिशत स्कूलों में केवल एक या दो अध्यापक हैं, 38 प्रतिशत स्कूलों में तीन से कम कमरें हैं, 20 प्रतिशत स्कूलों में ब्लैक बोर्ड नहीं हैं, 28 प्रतिशत स्कूलों में बैठने की पर्याप्त सुविधा नहीं है और 44 प्रतिशत स्कूलों में पेयजल की सुविधा नहीं है। केवल 25 प्रतिशत स्कूलों में मूत्रालय हैं, केवल 17 प्रतिशत स्कूलों में शौचालय हैं; और केवल 8 प्रतिशत स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय हैं। स्वास्थ्य परीक्षा और प्रतिरोधक सुविधाएं मात्र 20 प्रतिशत स्कूलों में पाई गईं।

चित्र 3.2 : 1991 और 2001 में साक्षरता में लिंग अंतराल, राज्य और भारत





उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि 1950-51 के सापेक्ष 1991-2000 में प्राइमरी स्कूलों की संख्या तीन गुनी बढ़ी। अधिकतम वृद्धि 1960 और 1990 के दशकों में दर्ज की गई। 1950-1951 की तुलना में 1999-2000 में नामांकन साढ़े पांच गुना बढ़ गए। फिर भी आवश्यकता की तुलना में आपूर्ति काफी पीछे है।

### उच्चतर प्राइमरी स्कूल

तालिका 3.4 में दी गई सूचना के आधार पर उच्चतर प्राइमरी स्तर में हुई वृद्धि को समझा जा सकता है।

1950-51 और 1999-2000 के बीच उच्चतर प्राइमरी स्कूलों की संख्या में सात गुना बढ़ोत्तरी हुई और नामांकनों में तेईस गुना बढ़त दर्ज की गई।

**तालिका 3.4 : उच्च प्राइमरी स्कूलों में वृद्धि, 1950-2000**

वर्ष	उच्च प्राइमरी स्कूल सं. दशकीय बढ़त (%)	उच्च प्राइमरी स्कूलों में नामांकन सं. (लाखों में) दशकीय बढ़त (%)
1950-51	2854	-
1960-61	4335	48
1970-71	8787	104
1980-81	13555	55
1990-91	15072	11
1999-2000	20045	32

स्रोत : बेसिक शिक्षा निदेशालय, उ.प्र. सरकार

उच्चतर प्राइमरी स्कूलों और प्राइमरी स्कूलों का अनुपात 1950-51 में 1:11 का था जबकि 1999-2000 में 1:5 का हो गया। इससे पता चलता है कि प्राइमरी और उच्चतर प्राइमरी स्कूलों के बीच भारी असंतुलन पिछले 50 वर्षों में उच्चतर प्राइमरी स्कूलों में बढ़े पैमाने पर हुए विस्तार के कारण कुछ हद तक दे हुआ है।

### प्राइमरी स्कूल

प्राइमरी स्कूल 6 से 11 वर्षीय बच्चों के लिए होते हैं। राज्य के प्राइमरी स्कूल में सरकारी और निजी स्कूल शामिल हैं। इनमें मान्यता प्राप्त, वित्त पोषित, वित्त विहीन, अमान्यता प्राप्त (पंजीकृत), अमान्यता प्राप्त अपंजीकृत, मदरसे, मकतब और एंग्लो-इंडियन स्कूल आते हैं।


तालिका 3.3 में पिछले पांच दशकों में प्राइमरी स्कूलों की वृद्धि दिखाई गई है:

**तालिका 3.3 : प्राइमरी स्कूलों में वृद्धि, 1950-2000**

वर्ष	प्राइमरी स्कूल सं. दशकीय बढ़त (%)	प्राइमरी स्कूलों में नामांकन सं. (लाखों में) दशकीय बढ़त (%)
1950-51	31979	-
1960-61	40083	25
1970-71	62127	55
1980-81	70607	15
1990-91	77111	10
1999-00	97853	27

स्रोत : बेसिक शिक्षा निदेशालय, उ.प्र. सरकार


**चित्र 3.4: उ.प्र. में प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्कूलों में वृद्धि**



स्रोत : बेसिक शिक्षा निदेशालय, उ.प्र.

## आयु और कक्षावार नामांकन

नामांकन संबंधी सरकारी आंकड़ों के आधार पर हमने 1979-80 और 1998-99 के बीच विद्यार्थी नामांकनों में जिलावार वृद्धि दर की गणना की है। इस मामले में भी पहाड़ी क्षेत्र के जिलों में नामांकन में सर्वाधिक वृद्धि दर दिखाई पड़ी जबकि शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में नामांकन की वार्षिक वृद्धि आमतौर पर बच्चों की जनसंख्या वृद्धि दर के बराबर ही थी।



राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर ताजा नामांकन दरों की जानकारी एन.सी.ई.आर. मानव विकास प्रतिवेदन (1992-93), एन.एफ.एच.एस. (1992-93 और 1998-99), एन.एस.एस.ओ. (1993-94, 1995-96 और 1999-2000) तथा यूनीसेफ (1998-99) द्वारा कराए गए सर्वेक्षणों से भी मिलती है। 1999-2000 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (55वां) पर आधारित अनुमानों से पता चलता है कि 6 से 14 वर्ष आयु समूह के स्कूल न जाने वाले बच्चों का प्रतिशत ग्रामीण उ.प्र. में 28.6 प्रतिशत था जबकि शहरी उ.प्र. में 22.5 प्रतिशत था। हालांकि लड़कों और लड़कियों के नामांकन में अंतर घट रहा है (इसी तरह एस.सी./एस.टी. तथा अन्य के बीच अंतर भी घट रहा है), फिर भी बड़े स्तर पर असमानता बनी हुई है। एन.एस.एस. के अनुसार 1999-00 में ग्रामीण उ.प्र. में 79.4 प्रतिशत लड़के स्कूल जाते थे जबकि केवल 62.5 प्रतिशत लड़कियां। यह अंतर शहरी उ.प्र. में कम था। वहां 1999-00 में 79.8 प्रतिशत लड़के और 74.9 प्रतिशत लड़कियां स्कूल जाती थीं।

उ.प्र. के विभिन्न क्षेत्रों में 6 से 14 वर्ष आयु समूह के नामांकित लड़कों और लड़कियों के बारे में चित्र 3.5 में दर्शाया गया है। अब उतरांचल में शामिल पहाड़ी क्षेत्र ने 1999-00 में लगभग संपूर्ण नामांकन दर प्राप्त कर ली थी। वहां 96.2 प्रतिशत लड़के और 90.8 प्रतिशत लड़कियां स्कूलों में नामांकित थीं। बहरहाल, समस्त पश्चिमी, मध्य, पूर्वी और दक्षिणी उ.प्र. में भी नामांकन अनुपात बहुत भिन्न नहीं था। लड़कों का नामांकन अनुपात मध्य उ.प्र. में 76.2 प्रतिशत से लेकर पूर्वी उ.प्र. में 80.3 प्रतिशत तक था। लड़कियों का नामांकन अनुपात भी पूर्वी उ.प्र. में 63.8 प्रतिशत से लेकर दक्षिणी उ.प्र. में 67.9 प्रतिशत तक था।

तथ्य यह है कि नई शताब्दी के आरम्भ पर भी प्रगति के बावजूद बच्चों का अच्छा खासा प्रतिशत, खासकर लड़कियां और सामाजिक रूप से वंचित समूह के बच्चे, अब भी स्कूल के बाहर हैं।

## वृत्त, अंतर्गत (Discontinuation and Dropouts)

नामांकन का न्यूनतम स्तर तब और गंभीर समस्या बन जाता है जब स्कूल जाने वाले बच्चे काफी संख्या में या तो पढ़ाई जारी नहीं रख पाते या

पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई छोड़ने वाले अधिकांश बच्चे अल्पसंख्यक/नृजातीय समूहों सहित सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की लड़कियां हैं। कागज पर बड़ी संख्या में बच्चों के नामांकन के बावजूद कम बच्चे ही प्राथमिक शिक्षा के पहले पांच साल ही पूरा कर पाते हैं।

विश्व बैंक के शोधकर्ताओं के एक दल ने विश्लेषण कर अनुमान लगाया है कि उ.प्र. में प्रत्येक 100 बच्चों में से केवल 61 ही पहला दर्जा पार कर पाते हैं, 57 ही पांचवां दर्जा पार कर पाते हैं और केवल 42 ही प्राथमिक शिक्षा के सारे आठों दर्जे पार कर पाते हैं। इसका मतलब है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने का दर 43 प्रतिशत है और उच्चतर प्राथमिक स्तर पर 58 प्रतिशत।

## तालिका 3.6 : आर्थिक स्थिति के अनुसार स्कूली प्रगति : उ.प्र. में कक्षा एक में नामांकित बच्चों का प्राथमिक शिक्षा पूरी करने का प्रतिशत


	कक्षा एक	कक्षा पांच	कक्षा आठ
नीचे के 40%	44%	40%	24%
ऊपर के 20%	94%	92%	84%
कुल	61%	57%	42%

स्रोत : विश्व बैंक

विश्व बैंक ने 40 प्रतिशत सबसे कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि संक्रमण दरों की तुलना सबसे धनी 20 प्रतिशत परिवारों के बच्चों से की और उसके आधार पर यह अध्ययन जोर देकर कहता है कि पारिवारिक समृद्धि या गरीबी किसी बच्चे की शैक्षिक भागीदारी को निर्धारित करने वाले सबसे मजबूत कारकों में से है।

तालिका 3.5 यह बताती है कि सबसे कमजोर 40 प्रतिशत घरों के कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले प्रत्येक 100 बच्चों में से केवल 44 ही कक्षा पार कर सके, 40 पांचवां कक्षा पार कर सके और केवल 24 आठवां कक्षा पार कर सके। इसकी तुलना में सबसे धनी 20 प्रतिशत में कक्षा एक में दाखिला लेने वाले 100 बच्चों में से 94 पहली कक्षा पार कर गए, 92 पांचवां कक्षा पार कर गए और 84 आठवां कक्षा भी पार कर गए।

मौजूदा हालत पर गौर से नजर डालें तो लिंग, जाति, धर्म, आर्थिक



स्थिति में अंतर के मुताबिक बच्चों के स्कूली शिक्षा पूरी करने, जारी रखने और उसमें बने रहने में उल्लेखनीय अंतर दिखाई पड़ता है। चित्र 3.6 यह बताता है कि प्राइमरी कक्षाओं में Mki vkmV-jV अनुसूचित जाति और लड़कियों में अधिक है।

स्पष्ट है कि राज्य की प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था अब भी कमजोर पहुंच, नामांकन की कमी, vfu; ferrk, अधिक Mki vkmV-और fu; fer तथा शिक्षा पूरी करने वालों की कमी जैसी समस्याओं से ग्रस्त है। उ.प्र. की एच.डी.आई. में कमी का यह एक बड़ा कारण है और इसके कारण वह भारत के सबसे निचले राज्यों में है।

### सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य प्राप्ति हेतु त्वरित प्रगति की रणनीतियां

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों (देखें बाक्स 3.1) में आपरेशन ब्लैकबोर्ड, उ.प्र. प्राथमिक शिक्षा परियोजना (1 और 2), जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना (2 और 3), शिक्षा गारंटी योजना और राष्ट्रीय बाल शिक्षा आहार परियोजना (दोपहर का भोजन) है। अब सर्वाधिक महत्वपूर्ण परियोजना केंद्र सरकार द्वारा यू.ई.ई. के समयबद्ध लक्ष्यों वाली सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) है। उ.प्र. सरकार ने चरणबद्ध एस.एस.ए. के लिए योजना बनाने का निर्णय लिया है जिसमें पहले चरण में 16 जिलों, दूसरे चरण (डी.पी.ई.पी.-2) में 22 जिलों, और तीसरे चरण (डी.पी.ई.पी.-3) में 32 जिलों को चुना गया है। भारत सरकार ने 2001-02 में पहले चरण के जिलों के लिए 162.75 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है।

#### बाक्स 3.1 : प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति

**आपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986-87** में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य प्राइमरी स्कूलों को पर्याप्त अवस्थापना सुविधायें यथा कम-से-कम दो अध्यापक और जरूरी अध्यापन-शिक्षण सामग्री, उपलब्ध कराना था। 2000-01 में इस योजना की मद में 10378 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया।

**शिक्षा गारंटी योजना** एक और केंद्रीय योजना थी जिसका उद्देश्य शैक्षिक रूप से असेवित क्षेत्रों में 'विद्या केंद्र' नामक शिक्षा केंद्र खोलना था जहां 6 से 11 वर्ष आयु समूह में कम से कम 30 बच्चे थे। इन केंद्रों में पंचायतें संविदा पर अध्यापक नियुक्त करती हैं और केंद्र के लिए सामुदायिक स्तर पर स्थान miyC/k कराया जाता है।

**दोपहर का भोजन** केंद्र द्वारा शुरू की गई प्रोत्साहनपरक योजना है जिसके तहत मान्यता प्राप्त प्राइमरी स्कूल के हर बच्चे को न्यूनतम प्रमाणित उपस्थिति के आधार पर प्रतिमाह 4 किलो अनाज (उ.प्र. में भोजन नहीं) का राशन दिया जाता है।

**सर्वशिक्षा अभियान** (एस.एस.ए.) इस समय यू.ई.ई. के समयबद्ध लक्ष्यों को हासिल करने के लिए केंद्र द्वारा विकसित सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है: राज्यों की भागीदारी से संचालित एस.एस.ए. का लक्ष्य 2010 तक 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को उपयोगी और गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसने निम्नवत समयबद्ध उद्देश्य तय किए हैं:

1. 2003 तक सभी बच्चे स्कूल में, शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक स्कूल, 'स्कूल की ओर चलो शिविर'।
2. 2007 तक सभी बच्चों की पांच वर्षीय शिक्षा पूरी।

3. 2010 तक सभी बच्चों के स्कूल में टिकाए रखना।

4. 2010 तक सभी बच्चों की आठ वर्षीय शिक्षा पूरी।

एस.एस.ए. द्वारा विकेंद्रित योजना के आधार पर धन उपलब्ध कराया जा रहा है जिसे जिला स्तर पर समेकित किया जाता है। जिला स्तर पर वित्तीय जरूरतों का अनुमान लगाने के लिए इकाई लागत और भौतिक मानदंड विकसित किए गए हैं। इन मानकों को भारत सरकार व्यवहार्य मानती है और वे भारत सरकार द्वारा स्थापित विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रयुक्त मानकों से कुछ भिन्न हैं। एस.एस.ए. ने हिस्सेदारी का जो सूत्र विकसित किया है उसमें राज्यों का हिस्सा धीरे-धीरे बढ़ना है (नवीं योजना में 15%, दसवीं योजना में 25% और उसके बाद 50%)। एस.एस.ए. ऐसा छतरीनुमा कार्यक्रम है जिसमें आपरेशन ब्लैकबोर्ड जैसे कार्यक्रम समाहित हैं और आगामी दिनों में यह और भी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कार्यक्रमों को शामिल करना चाहता है।

**बेसिक शिक्षा परियोजना ( I और II )**: राज्य सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से 1993 में 17 जिलों में यू.पी. बेसिक शिक्षा परियोजना-I शुरू की है। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा है। यू.पी.बी.ई.पी.-II को इन्हीं 17 जिलों में स्कूलों, अध्यापकों और शिक्षण कक्षों की जरूरत पूरी करने के लिए चलाया गया। ये जरूरतें नामांकनों में हुई बढ़त के फलस्वरूप पैदा हुई थीं। ये परियोजनाएं 2000 में पूरी हुईं।

**जिला प्राइमरी शिक्षा परियोजना ( डी.पी.ई.पी.-I )**: जिला प्राइमरी शिक्षा परियोजना-II 1997 में 18 जिलों में शुरू की गई (इसे 1999 में 4 और जिलों तक विस्तारित किया गया)। यह केंद्रीय स्तर पर प्रायोजित योजना थी जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा देना था। इस योजना का लक्ष्य शिक्षा की पहुंच बढ़ाना, स्कूलों में बने रहने की दर बढ़ाना, गुणवत्ता में सुधार तथा संस्थानिक क्षमता का निर्माण है। योजना के विशेष लक्ष्य निम्नवत हैं:

1. नामांकन, Mki vkmV और शैक्षिक उपलब्धि में लिंग तथा सामाजिक समूहों के बीच अंतर को घटाकर 5 प्रतिशत से कम करना।
2. सभी छात्रों की प्राइमरी स्तर पर औसत Mki vkmV jV दर को घटाकर 10 प्रतिशत से कम करना।
3. आधार अनुमान-स्तर पर आंकलित औसत उपलब्धि स्तर को कम से कम 25 प्रतिशत तक बढ़ाना और बुनियादी साक्षरता तथा गणना क्षमता की उपलब्धि सुनिश्चित करना तथा सभी प्राइमरी स्कूल के बच्चों में अन्य क्षमताओं का उपलब्धि स्तर कम से कम 40 प्रतिशत तक पहुंचा देना।
4. सभी बच्चों की पहुंच प्राथमिक शिक्षा या इसके समतुल्य अनौपचारिक शिक्षा तक बनाना।
5. प्राइमरी शिक्षा की योजना, प्रबंधन और मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय, प्रांतीय और जिला स्तरीय संस्थाओं और संगठनों की क्षमता बढ़ाना।

**जिला प्राइमरी शिक्षा परियोजना ( डी.पी.ई.पी.-III )**: अप्रैल 2000 में शुरू किए गए डी.पी.ई.पी.-III के तहत 38 अतिरिक्त जिले (जिनमें से 6 अब उत्तरांचल राज्य में हैं और उन्हें उ.प्र. प्रोजेक्ट बोर्ड से अलग कर दिया गया है) आच्छादित किए जा रहे हैं। परियोजना की कुल लागत 804 करोड़ रुपये है और परियोजना अवधि पांच वर्ष है। इस तरह, निवर्तमान उ.प्र. के 83 जिलों में से 77 इन परियोजनाओं के तहत आच्छादित रहे/किए जा रहे हैं।

**संयुक्त यू.एन. परियोजना का प्रारम्भ और यूनीसेफ समर्थित प्राइमरी शिक्षा परियोजना:** राज्य में एक संयुक्त यू.एन. परियोजना शुरू की गई है जो खास क्षेत्रों में छात्रों और शिक्षकों के लिए रुचिकर शिक्षा (रुचिपूर्ण शिक्षा) जैसे कार्यक्रमों के जरिए डी.पी.ई.पी. के अनुपूरक के रूप में काम करेगी। इसके अलावा, एक यूनीसेफ समर्थित परियोजना शुरू की गई है। यह राज्य के उन 6 जिलों में चलेगी जो डी.पी.ई.पी.-III में शामिल नहीं हैं।

**राज्य की अन्य योजनाएं/परियोजनाएं :** राज्य ने शिक्षा मित्र या अर्धशिक्षक योजना शुरू की है जिसके तहत 10 + 2 उतीर्ण युवकों को अर्धशिक्षक के बतौर नियुक्त किया जा सकता है। इनमें से आधी नियुक्तियां महिलाओं की होंगी। रुचिपूर्ण शिक्षा नामक मनोरंजक शिक्षा योजना यूनीसेफ के समर्थन से कुछ चयनित ब्लाकों में चल रही है।

इस खंड के शेष भाग में हाल के वर्षों में लागू की गई, उ.प्र. प्राथमिक शिक्षा परियोजना और डी.पी.ई.पी., नामक दो प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभाव की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद शैक्षिक रूप से वंचित समूहों को औपचारिक शिक्षा के दायरे में ले आने के लिए राज्य की रणनीतियों पर नजर डाली जाएगी। इसके बाद के भागों में वैकल्पिक रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी।

### यू.पी.बी.ई.पी. और डी.पी.ई.पी.

राज्य सरकार ने 1993 में विश्व बैंक के सहयोग से 17 जिलों में उ.प्र. प्राथमिक परियोजना-1 की शुरुआत की। उन्हीं जिलों में नामांकनों में बढ़ोतरी के कारण पैदा हुई स्कूलों, अध्यापकों और कमरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए यू.पी.बी.ई.पी.-II चालू किया गया। ये परियोजनाएं 2000 में पूरी हो गईं।

स्कूलों तक पहुंच बढ़ाने के लिए बी.ई.पी. के तहत 4700 नए प्राइमरी स्कूल, 2700 उच्चतर प्राइमरी स्कूल, और 10,500 कमरे बनवाए गए तथा 870 प्राइमरी स्कूलों और 80 उच्चतर प्राइमरी स्कूलों का पुनर्वास हुआ। अकेले अध्यापक वाले सभी स्कूलों को दो अध्यापक वाले स्कूल बनाने के लिए नए स्कूलों में 9482 अध्यापक, 15,175 अतिरिक्त अध्यापक, तथा 5685 अर्ध अध्यापक प्राइमरी स्तर पर और 8855 अध्यापक उच्चतर प्राइमरी स्तर पर नियुक्त किए गए फिर भी 15 प्रतिशत स्कूल अकेले अध्यापक वाले स्कूल ही रहे।

**तालिका 3.7 : यू.पी.बी.ई.पी. और गैर बी.ई.पी. जिलों में नामांकन और जी.ई.आर. का तुलनात्मक विवरण**

राज्य और जिले	1996-97		1999-2000		
	नामांकन	जी.ई.आर. (लाखों में)	नामांकन	जी.ई.आर. (लाखों में)	%बढ़त
प्रोजेक्टवाले जिले	26.8	74	44.95	107.0	67.7
उ. प्र. (राज्य)*	148.2	81	211.57	100.4	42.8
गैर प्रोजेक्ट जिले	121.4	82	166.62	98.7	37.2

\* उ.प्र. बी.ई.पी. वाले जिले भी शामिल हैं।  
स्रोत : बेसिक शिक्षा निदेशालय, उ.प्र. सरकार

शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसमें प्रशिक्षण में सुधार, कक्षा प्रक्रिया पर जोर, तथा पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में सुधार शामिल हैं।

जिला प्राथमिक शिक्षा प्रोजेक्ट (डी.पी.ई.पी.-III) अप्रैल 2000 में अतिरिक्त 38 जिलों में शुरू की गई (इनमें से 6 अब उत्तरांचल राज्य में हैं

विश्व का सबसे बड़ा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा प्रोजेक्ट (डी.पी.ई.पी.), भारत में 1994 में शुरू किया गया। इसमें लोकजुंबिश (राजस्थान), यू.पी.बी.ई.पी. (उ.प्र.), बी.ई.पी. (बिहार), महिला समाख्या (एम.एस.) और आंध्र प्रदेश प्राथमिक शिक्षा प्रोजेक्ट (ए.पी.पी.ई.पी.) जैसी अनेक सफल प्रयासों के अनुभव से सीख ली गई थी। उ.प्र. में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र के सौजन्य से संचालित योजना के बतौर डी.पी.ई.पी.-II को 1997 में 18 जिलों में शुरू किया गया (1999 में चार और जिलों तक इसे विस्तारित किया गया)।

नियमित स्कूल व्यवस्था को मजबूत करने के अतिरिक्त इन प्रोजेक्टों का उद्देश्य सीमान्त समूहों और प्रौढ़ लड़कियों तक वैकल्पिक स्कूलों के अनेक माडलों के द्वारा पहुंच बढ़ाना भी है। साथ ही आई.सी.डी.एस. केंद्रों (जिनसे नौजवान लड़कियों पर से भाई-बहनों की देखरेख का बोझ कम करने की उम्मीद की जाती है) में शुरुआती देखरेख और शिक्षा को मजबूत कर नौजवान लड़कियों की पहुंच और शैक्षिक निरंतरता में सुधार भी इनका उद्देश्य है। अपंग बच्चों को शामिल करने पर अब इस कार्यक्रम का विशेष जोर है तथा इसमें लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए अनेक प्रारम्भिक प्रयास किए गए हैं। अनेक वैकल्पिक स्कूली माडलों को भी डी.पी.ई.पी.-2 के अन्तर्गत अपनाया गया है।

**तालिका 3.6 : बी.ई.पी. और डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत निर्मित या प्रस्तावित अधिसंरचना**

ijj; kst uk	प्राइमरी स्कूल	उच्च प्राइमरी स्कूल	अतिरिक्त कमरे	पेयजल सुविधा	शौचालय
यू.पी.बी.ई.पी. I और II	5246	2077	10262	5299	10201
डी.पी.ई.पी. II	3627		4473	6260	12738
डी.पी.ई.पी. III	6051		12271	5770	15589

स्रोत : बी.ई.पी. और डी.पी.ई.पी.-I और II के वार्षिक प्रतिवेदन, ई.एफ.ए.पी.बी.

सामुदायिक भागीदारी, विशेषकर महिलाओं की भागीदारी, को प्रोत्साहित किया जा रहा है और कई प्रकार से इसका समर्थन किया जा रहा है तथा इस कार्यक्रम की विशेष प्राथमिकता क्षमता निर्माण और बी.ई.सी. का प्रशिक्षण है।

और प्रोजेक्ट परिषद से उन्हें अलग कर दिया गया है)। यह प्रोजेक्ट 804 करोड़ रुपये की कुल परियोजना राशि का 77 इन परियोजनाओं द्वारा आच्छादित रहे हैं। डी.पी.ई.पी.-III के लक्ष्य और दृष्टिकोण डी.पी.ई.पी.-II के समान ही हैं।

### उ.प्र.बी.ई.पी. और डी.पी.ई.पी. के प्रभाव

दो महत्वपूर्ण सूचकों अर्थात बी.ई.पी. प्रोजेक्ट वाले जिलों तथा अन्य



जिलों में नामांकन और MRI  $\sqrt{\text{kmV}}$  का विश्लेषण करने से प्रोजेक्ट वाले जिलों के प्रदर्शन में निश्चित सुधार दिखाई पड़ता है (तालिका 3.7)। 1996-97 से 1999-2000 के बीच उ.प्र.बी.ई.पी. प्रोजेक्ट वाले जिलों में नामांकन 67.7 प्रतिशत बढ़ा जबकि इसकी तुलना में बगैर प्रोजेक्ट वाले जिलों में केवल 37.2 प्रतिशत बढ़ा।

प्रोजेक्ट (डी.पी.ई.पी.-II और उ.प्र.बी.ई.पी.) वाले जिलों में लड़कियों के अलग नामांकनों के आंकड़ों की समूचे प्रदेश से तुलना करने (तालिका

3.8) से पता चलता है कि प्रोजेक्ट वाले जिलों में लड़कियों के नामांकन में खासकर तेजी से वृद्धि हुई। प्रोजेक्ट वाले जिलों में 1996-97 से 1999-00 के बीच इसमें 38.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जबकि समूचे राज्य में यह बढ़त केवल 24.6 प्रतिशत रही।

प्राइमरी स्तर पर बच्चों के नामांकन में बढ़ोतरी निश्चय ही प्रभावशाली रही है। लेकिन इसके हस्तक्षेपकारी प्रभाव की वास्तविक परीक्षा तब तक अधूरी रहेगी जब तक सामाजिक रूप से वंचित समूहों पर इसके प्रभाव का

**तालिका 3.8 : उ.प्र. और डी.पी.ई.पी. में नामांकन और जी.ई.आर. का तुलनात्मक विवरण**

राज्य और जिले	1996-97		1999-2000		नामांकन में % बढ़त
	नामांकन (लाख में)	जी.ई.आर.	नामांकन (लाख में)	जी.ई.आर.	
<b>प्रोजेक्ट वाले जिले*</b>					
लड़के	26.67	96.2	29.42	109.4	10.3
लड़कियां	16.73	85.4	23.18	99.7	38.6
कुल	<b>43.40</b>	<b>90.60</b>	<b>52.60</b>	<b>105.5</b>	<b>21.2</b>
<b>उ.प्र. (राज्य)</b>					
लड़के	106.96	98.7	115.53	105.3	8.0
लड़कियां	77.08	80.4	96.04	98.7	24.6
कुल	<b>184.04</b>	<b>90.1</b>	<b>211.57</b>	<b>100.4</b>	<b>15.0</b>

\* डी.पी.ई.पी.-II और यू.पी.बी.ई.पी. जिले

स्रोत : बेसिक शिक्षा निदेशालय, उ.प्र. सरकार

आकलन न किया जाए। इस संदर्भ में प्रोजेक्ट वाले जिलों में 1997-98 से 1999-2000 के बीच अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ी जातियों के बच्चों के नामांकनों की तुलना समूचे राज्य के साथ तालिका 3.9 में की गई है।

**तालिका 3.9 : अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों का नामांकन (लाख में)**

सामाजिक समूह	लिंग	नामांकन		% बढ़त
		1997-98	1999-00	
<b>(i) प्रोजेक्ट जिलों में</b> अनुसूचित जाति	लड़के	8.98	13.62	51.6
	लड़कियां	7.29	10.53	44.4
	कुल	<b>16.27</b>	<b>24.15</b>	<b>48.4</b>
अन्य पिछड़ी जातियां	लड़के	12.29	16.76	36.3
	लड़कियां	9.09	12.67	39.0
	कुल	<b>21.38</b>	<b>29.43</b>	<b>37.6</b>
<b>(ii) उत्तर प्रदेश में</b> अनुसूचित जाति	लड़के	23.17	27.86	20.2
	लड़कियां	7.29	10.53	44.4
	कुल	<b>16.27</b>	<b>24.15</b>	<b>48.4</b>
अन्य पिछड़ी जातियां	लड़के	29.18	34.30	17.5
	लड़कियां	22.10	26.56	20.2
	कुल	<b>51.28</b>	<b>60.86</b>	<b>18.7</b>

स्रोत : विकास और शोध सेवा, 1999

एक बार फिर यह दिखाई पड़ता है कि जिन वर्षों की समीक्षा की जा रही है उनमें सामाजिक रूप से वंचित समूहों में नामांकन कुल नामांकन से अधिक रहा है और प्रोजेक्ट वाले जिलों में नामांकन की बढ़त दर और भी अधिक रही है।

### बाक्स 3.2 : यू.पी.बी.ई.पी. का प्रभाव

#### शिक्षा पद्धति

- कक्षा में टी.एल.एम. का इस्तेमाल करने वाले अध्यापकों का प्रतिशत 62% से 86% के बीच है।
- 60% कक्षाओं में  $\frac{1}{2}$  टी.एल.एम. का बेहतर इस्तेमाल देखा गया।
- अध्यापकों ने छात्रों को कार्यकलाप आधारित, सुलेख, सवाल और घर पर करने वाले काम दिए। 70% गैर पारंपरिक अध्यापन पद्धतियों का प्रयोग करते हैं।
- कक्षा के भीतर वातावरण दोस्ताना था जिसमें बच्चों ने अपनी कठिनाइयां दूर करने में अध्यापक की मदद मांगी (77%)।  
(स्रोत: यू.पी.बी.ई.पी. जिलों में कक्षा निरीक्षण, एम.आई.ई.एस.ए.टी. 1998)

#### छात्रों का बरताव:

- लगभग आधे स्कूलों में लड़कियां पहल ले रही हैं, जबकि 40% स्कूलों में एस.सी. छात्रों को पहल लेते देखा गया।
- मूल्यांकन करने पर अध्यापकों की योग्यता में सुधार के लक्षण नजर आए।
- स्कूलों ने बच्चों की प्रगति की जानकारी माता-पिता को देना शुरू किया है।

- अध्यापन सहयोग और पूरक सामग्री का प्रयोग अधिकाधिक बढ़ रहा है।

( स्रोत : यू.पी.बी.ई.पी. जिलों में कक्षा निरीक्षण, एस.आई.ई.एम.ए.टी.1998)

### कक्षा अभ्यास

सर्वेक्षण	बी.ए.एस.	एम.ए.एस.	एफ.ए.एस. (% में)
• सुलेख	28	55	75
• गणित में सवाल हल करना	18	61	83
• जोर से पढ़ने का अभ्यास	22	48	66
• घर के काम की रिपोर्ट	50	61	83
• घर के काम में सुधार	32	66	86
• टेस्ट के बारे में छात्रों द्वारा दी गई जानकारी	33	41	78
बी.ए.एस.- डी.पी.ई.पी.-II का उ.प्र. में आधार अनुमान अध्ययन, एस.सी.ई.आर.टी., उ.प्र.			
एम.ए.एस.- डी.पी.ई.पी.-II का उ.प्र. में मध्यावधि अनुमान अध्ययन, एस.सी.ई.आर.टी., उ.प्र.			
एफ.ए.एस.- डी.पी.ई.पी.-II का उ.प्र. में अंतिम अनुमान अध्ययन, एस.सी.ई.आर.टी., उ.प्र.			

Mki vkmV की ऊंची दरें चिंता का विषय रही हैं तथा उ.प्र.बी.ई.पी. और डी.पी.ई.पी. में कई रणनीतियां तैयार की गईं ताकि प्राइमरी स्कूलों में बच्चों dk Mki vkmV का स्तर कम हो सके। इस बात की जांच करने के लिए कई अध्ययन किए गए कि विभिन्न सामाजिक समूहों के लड़कों और लड़कियों की Mki vkmV jV में कितना परिवर्तन आ रहा है।

इनसे पता चलता है कि:

- \* लड़कियों में Mki vkmV jV बी.ई.पी. वाले जिलों में बहुत तेजी से कम हुई है। 6 वर्षों में यह 42.8 प्रतिशत नीचे आई है।
- \* लड़कों और लड़कियों की Mki vkmV में लिंग अंतराल घटा है।

स्पष्ट है कि उ.प्र.बी.ई.पी. की लड़कियों पर केंद्रित रणनीतियां उन खास नुकसानों की भरपाई कर सकी हैं जिनका सामना प्राइमरी स्कूलों में लड़कियों को करना पड़ता था। इनके कारण उनकी Mki vkmV बहुत अधिक होती थी।

तालिका 3.10 : सामाजिक समूहवार Mki vkmV jV

बच्चों की श्रेणी	Mki vkmV (%)
सामान्य	33.5
एस.सी./एस.टी.	32.6
ओ.बी.सी.	37.6

स्रोत : एस.आई.ई.एम.ए.टी., (1999)


सामाजिक समूहों की Mki vkmV में अंतर कम हुआ है। यह पांच प्रतिशत से भी कम हो गया है। इससे पता चलता है कि सामाजिक रूप से वंचित समूहों पर केंद्रित रणनीतियों के अच्छे नतीजे निकले हैं। इन सामाजिक समूहों के बच्चों की Mki vkmV jV में तेजी से गिरावट आई है। अब विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के बच्चों और सामान्य श्रेणी के बच्चों की Mki vkmV jV में कुछ समानता दिखाई पड़ रही है।

## egkroi wZ l pd

I dy ukekadu vujkr	1951	1991	2002
dy ifr'kr	34-5	66-0	94-75
ckyd ifr'kr	59-0	82-0	94-21
ckfydk ifr'kr	10-0	50-0	95-30
Mki vkÅV nj ¼ iiy LVMh&2000½ i kFkfed			
dy ifr'kr	70-0	50-0	32-9
ckyd ifr'kr	60-0	40-0	34-3
ckfydk ifr'kr	80-0	60-0	31-0

## ifj"kn ds vLrxr fd; s x; s dk; k dh dfed i xfr

fuekZk dk; Z	2003&04	iLrkfor 2004&05
ikFkfed fo ky; uohu&6500 iqZufeZ	3915	uohu&2576 iqZufeZ
2181 mPpi kFkfed fo ky; uohu&7570 iqZufeZ	393	uohu&2414 iqZufeZ
508		
vfrfjDr d{kdk{k	20369	18552
'kkpky;	19804	&
gSMi Ei	2380	&
, u-ih-vkj-l h-	3945	83
ch-vkj-l h-	389	&
ckmUMhoky	&	1050
fo qhdj.k	&	5876
oBfyid f'k{k{w@z-th, l- dhnz	24411	24229
f'k{k{dka ds in ¼ik-, oa m-ik-½	39125	9815
f'k{k{kfe= dh Lohdfr	91628	10495
f'k'k' k{k{dk dhnka dk lq<hdj.k	2532	4381



चित्र 3.7 : एन.एफ.ई.केडों में लिंग और सामाजिक समूहवार नापाकन (नवंबर 1999, हजार में)

स्रोत : वैश्व शिक्षा निदेशिका, उत्तर प्रदेश सरकार

## अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम (uku Okeky , twd's ku )

अनौपचारिक शिक्षा ( एन.एफ.ई. ) कार्यक्रम 1977-78 में शुरू किया गया ताकि अनेक श्रेणियों के स्कूल न जानेवाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए। वैकल्पिक स्कूली माडल स्थान-केंद्रित, लचीले और बी.ई.पी. तथा डी.पी.ई.पी. ॥ द्वारा अनाच्छादित इलाकों में शिक्षा प्रसार के लिए हैं।

### बाक्स 3.3 : डी.पी.ई.पी. ॥ के तहत कार्यान्वित वैकल्पिक स्कूलों के नमूने

#### तैयारी करने वाला स्कूल

यह आदर्श बस्ती विकास दृष्टिकोण ( एम.सी.डी.ए. ) ग्रामों के 6 से 9 वर्ष के बच्चों पर लक्षित है जो स्कूलों से बाहर हैं और उन्हें आगामी शिक्षण सत्र में औपचारिक स्कूलों में दाखिल करने के लिए तैयार करना है।

#### बालशालाएं

यह स्कूल पूर्व बच्चों और उनके 11 वर्ष तक के सहोदरों पर लक्षित है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया जाता है और बड़े सहोदर प्राइमरी शिक्षा पाते हैं।

#### मकतब और मदरसा

उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के कुछ विकास खण्डों में मुसलमान जनसंख्या बहुसंख्यक है। इनमें से कुछ क्षेत्रों में मकतब या मदरसों में बच्चों की धार्मिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है। मकतबों या मदरसों में जाने वाले अधिकांश बच्चे औपचारिक स्कूलों में नहीं जाते। यह निर्णय लिया गया है कि मौलवियों के जरिए औपचारिक शिक्षा से इन संस्थाओं को मजबूत बनाया जाए। मकतबों और मदरसों में जाने वाले बच्चों को प्राइमरी स्कूल की शिक्षा देने के लिए शिक्षा घर से मिलती-जुलती रणनीति शुरू की गई है। इन संस्थाओं के मौलवियों को बच्चों को अतिरिक्त तीन घंटे पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 10 मकतबों में यह रणनीति शुरू की गई है जिनमें लगभग 250 बच्चे पढ़ते हैं। अध्यापक छात्र अनुपात 1:25 है। शिक्षाघर केंद्र को मिलनेवाली समस्त सामग्री मकतबों या मदरसों के बच्चों को उपलब्ध कराई गई है।

#### प्रहर पाठशाला

यह 9 वर्ष से अधिक आयु की ऐसी लड़कियों के लिए बनाई गई रणनीति है जिनका कभी नामांकन नहीं हुआ या संभवतः स्कूल छोड़ बैठीं। हालांकि लड़कों का नामांकन भी प्रहर पाठशालाओं में हुआ है लेकिन जोर लड़कियों को प्राइमरी शिक्षा देने पर है। पाठ्यक्रम को ऐसे ढंग से तैयार किया गया है कि बिना कोई खतरा महसूस किए बच्चा अपनी गति से सीख सके। दिन में चार घंटे के लिए केंद्र चलता है। अगर किसी गांव में 9 से 14 वर्ष आयु समूह में 15 लड़कियां पढ़ने के लिए तैयार हों तो वहां प्रहर पाठशाला शुरू करना संभव है। प्रहर पाठशाला की अनूठी विशेषता यह है कि इसमें प्राइमरी स्कूल के पाठ्यक्रम के साथ-साथ किसी स्थानीय हस्तशिल्प के प्रशिक्षण का भी प्राविधान है। इसे लड़कियों को केन्द्र की ओर खींचने और हस्तशिल्प को जीवित बनाए रखने के साधन के बतौर देखा जाता है।

## कामगार बच्चे

विशेष लक्षित समूह के कामगार बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रणनीतियों और कार्यक्रमों की जरूरत है। राष्ट्रीय बालश्रम परियोजनाओं के तहत 76 जिलों में 10,400 बच्चों के लिए 1810 विशेष स्कूल चलाए जा रहे हैं जिनका उद्देश्य उन्हें शिक्षित करना और काम से हटाना है। श्रम मंत्रालय का प्रस्ताव है कि 2002 तक इस कार्यक्रम के तहत 20 लाख बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से इसका विस्तार किया जाए। कार्यक्रम के केंद्र वे जिले हैं जहां काफी संख्या में बाल श्रमिक हैं। उदाहरणार्थ फिरोजाबाद जहां काफी संख्या में बच्चे चूड़ी कारखानों में काम करते हैं या फिर पूर्वी उ.प्र. में मिर्जापुर और भदोही जहां बच्चे कालीन की बुनाई करते हैं।

बच्चों को औपचारिक प्राइमरी स्कूलों की मुख्य धारा में लाने की उपर्युक्त कोशिशों के बावजूद अब भी ऐसे बच्चे हैं जो सामाजिक-आर्थिक कारणों के चलते औपचारिक स्कूल व्यवस्था से बाहर हैं। ऐसे बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 144 वैकल्पिक शिक्षा केंद्र ( ए.एल.सी. ) चल रहे हैं जिनमें 6 से 12 वर्ष के 6,704 बच्चे जाते हैं।

### शुरूआती बाल देखरेख और शिक्षा ( ई.सी.सी.ई. )

प्राइमरी और उच्चतर प्राइमरी शिक्षा के लिए ई.सी.सी.ई. की प्रासंगिकता दोहरी है: पहला, यह लड़कियों को भाई-बहनों की देखरेख से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों से मुक्त करता है और उन्हें स्कूल जाने में सक्षम बनाता है; दूसरा, स्कूल पूर्व आयु के बच्चों को स्कूली तैयारी कार्यक्रमों के जरिए न केवल स्कूल जाने के लिए तैयार किया जाता है, बल्कि स्कूल जाकर गुणात्मक रूप से बेहतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी तैयार किया जाता है।

बचपन में तीव्र शारीरिक और मानसिक वृद्धि के महत्व को देखते हुए ई.सी.सी.ई. के कई कार्यक्रम खासकर राष्ट्रीय बालनीति ( 1974 ) के सूत्रीकरण के बाद शुरू किए गए। मौजूदा ई.सी.सी.ई. कार्यक्रमों में शामिल हैं :

- समेकित बाल विकास सेवाएं ( आई.सी.डी.एस. );
- ई.सी.ई. केंद्रों को चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता;
- स्वैच्छिक संगठनों द्वारा सरकारी सहायता से चलने वाले बालवाड़ी और देखरेख केंद्र;
- राज्य सरकार, नगर निगम, सरकारी और गैर सरकारी अभिकरणों द्वारा संचालित प्राइमरी-पूर्व स्कूल;
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उपकेंद्रों तथा अन्य अभिकरणों के जरिए जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सेवाएं।

इस समय आई.सी.डी.एस. सबसे बड़ा बाल विकास कार्यक्रम है जो 499 ग्रामीण और शहरी विकास खण्डों में लगभग 52,000 कार्यरत आंगनवाड़ी केंद्रों में चल रहा है। उ.प्र.बी.ई.पी. और डी.पी.ई.पी. के तहत स्कूल पूर्व शिक्षा 1,250 शिशु शिक्षा केंद्रों और 1,050 बाल केंद्रों के जरिए दी जा रही है। बहरहाल, इन परियोजनाओं के तहत हस्तक्षेप का चरित्र मूलतः समरूपी है। रणनीति यह है कि मौजूदा आई.सी.डी.एस. केंद्रों के जरिए बच्चों का विकास किया जाए।


योग्य आयु समूह ( 3 से 6 वर्ष ) के योग्य बच्चों की कुल संख्या के लक्षित समूह का, अनुमानतः 14.5 प्रतिशत ई.सी.सी.ई. कार्यक्रमों से लाभान्वित हो रहा है। बहरहाल कुछ सर्वेक्षणों के अनुसार कार्यक्रमों का वास्तविक लाभ इससे भी कम बच्चों को मिल रहा है ( विश्व बैंक, 2002 )।

तालिका 3.11 : उ.प्र. में प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्कूल अध्यापकों की संख्या में बढ़त ( परिषद और मान्यता प्राप्त )

क्रम स्तर	1950-51			1990-91			1997-98			1951 से % बढ़ोतरी		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1. प्राइमरी	68110	2159	70299	209120	57037	266157	236801	73301 (24%)	310102 (100%)	348	3349	443
2. उच्च प्राइमरी	11605	2900	14505	79914	19415	99329	80474	23018 (22%)	103492 (100%)	693	794	713
कुल	79715	5089 (6%)	84804 (100%)	289034	76452	365486	317275	96319 (23%)	413594 (100%)	398	1893	488

स्रोत : बेसिक शिक्षा निदेशालय, उ.प्र. सरकार

चित्र 3.8 : प्राइमरी स्कूल स्तर पर छात्र अध्यापक अनुपात के पांच अग्रणी और पांच पिछड़े जिले



बालशालाएं एक और संस्थागत माध्यम हैं जिनको एस.ए.वी.ई. जैसे संगठन चला रहे हैं। इनका लक्ष्य 11 वर्ष के भाई-बहनों समेत बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान करना है।

### अध्यापक सशक्तीकरण

#### अध्यापकों की बढ़ती हुई संख्या

उत्तर प्रदेश की प्राइमरी स्कूल व्यवस्था में भारत के सभी राज्यों से अधिक अध्यापक काम करते हैं। पिछले लगभग पांच दशकों में प्राइमरी अध्यापकों की कुल संख्या में वृद्धि तालिका 3.11 में दिखाई गई है।

1950-51 से 1997-98 के बीच अध्यापकों की संख्या लगभग पांच गुना बढ़ी है। प्राइमरी और उच्चतर प्राइमरी स्तरों को मिलाकर अध्यापकों की कुल संख्या इस बीच 80 हजार से बढ़कर 4.1 लाख हो गई है (और 1999-2000 में 5.6 लाख तक पहुंच गई है)।

इसी कालखंड में अध्यापिकाओं की संख्या 19 गुना बढ़ी है। हालांकि अब भी अध्यापिकाएं कुल अध्यापकों की एक-चौथाई ही हैं लेकिन 1950-

51 में उनका प्रतिनिधित्व 6 प्रतिशत ही था। हालांकि अब भी यह संख्या सरकार द्वारा निर्धारित लक्षित संख्या से कम ही है।

अध्यापकों की संख्या में बढ़ोतरी के बावजूद अध्यापक-छात्र अनुपात निर्धारित स्तर से कम ही है। प्राथमिक स्कूल व्यवस्था में छात्रों की वर्तमान संख्या लगभग 2,94,00,000 अंकित की गई है और दोनों ही स्तरों पर कार्यरत अध्यापकों की कुल संख्या लगभग 561,000 है। इससे अध्यापक विद्यार्थी अनुपात 1:52 उहरता है। अगर 1:40 को आदर्श अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात मानें तो 2,79,000 अध्यापकों की कमी है।

### बाक्स 3.4: शिक्षा मित्र योजना

अपेक्षाकृत कम लागत पर वांछित अध्यापक छात्र अनुपात हासिल करने के लिए शिक्षा मित्र योजना ग्राम पंचायतों के नियंत्रण में लागू की जा रही है। इस योजना के तहत स्थानीय शिक्षित व्यक्तियों को 1450 रुपये प्रतिमाह पर संविदा पर नियुक्त किया जाएगा। ये लोग अध्यापन से संबद्ध कार्य करेंगे। ठेका आधारित नियुक्ति वाले व्यक्ति 'शिक्षा मित्र' कहलाएंगे। अब तक 30,000 शिक्षामित्रों की नियुक्ति हो चुकी है।

बहरहाल, शिक्षा हेतु अर्धशिक्षकों की नियुक्ति का शिक्षा पर प्रभाव अब भी विवादग्रस्त है। अनेक राज्यों में अर्धशिक्षकों के बारे में एक अध्ययन डी.पी.ई.पी. की ओर से किया गया। अध्ययन में कहा गया है कि राजस्थान और म.प्र. जैसे राज्यों में अर्धशिक्षक, छात्रों में अपेक्षित उपलब्धि पैदा करने में असफल रहे।

### अध्यापकों में क्षमता-निर्माण

इस समय 65 जिला स्तरीय शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) हैं जिनमें से 62 काम कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूल अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए डाइट बहुमुखी संस्थान हैं। बी.ई.पी./डी.पी.ई.पी. प्रोजेक्ट वाले जिलों में ब्लाक संसाधन केंद्र (बी.आर.सी.) और समूह संस्थान केंद्र (सी.आर.सी.) प्राइमरी अध्यापकों को सेवा के दौरान ही प्रशिक्षण देते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.), राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.ई.आर.टी.), राज्य शैक्षिक प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान (एस.आई.ई.एम.ए.टी.) जैसी संस्थाएं राज्य शिक्षा संस्थान (एस.आइ.ई.) के सहयोग से निरीक्षकों और प्रशिक्षणदाताओं तथा विशेष मामलों में अध्यापकों के लिए भी संवर्ग आधारित और विषय आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती हैं।

बहरहाल, अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुछ खामियां होती हैं। अध्यापकों को दिए जाने वाले निर्देश अक्सर ऐसे होते हैं जिन्हें कक्षा में लागू करना व्यावहारिक नहीं होता। हालांकि यूनीसेफ की साझेदारी में चलने वाला "हंसी खुशी से शिक्षा" जैसे कार्यक्रम छात्र-अध्यापक संबंधों को ज्यादा पारस्परिक बनाने की कोशिश करते हैं। उ.प्र.बी.ई.पी./डी.पी.ई.पी. द्वारा विकसित शिक्षकोदय और सबल जैसे कार्यक्रमों के जरिए अध्यापकों को भी महिला प्रश्नों पर संवेदनशीलता सिखाई जाती है। अध्यापकों की गैर हाजिरी गंभीर समस्या बनी हुई है और अध्यापकों को प्रेरित करने तथा उन्हें अधिक जिम्मेदार बनाने की जरूरत है।

बुनियादी शिक्षा कार्यक्रमों की सफलता बहुत कुछ माता-पिता और समुदायों पर निर्भर है। इसलिए उनकी साझेदारी और निष्ठा की गारंटी करनी होगी। इसे हासिल करने के लिए स्थानीय स्तर पर नये प्रयोग (नवाचार) और

विकेंद्रीकरण आवश्यक है। इसके अलावा विकेंद्रीकरण से निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन लोगों (जैसे महिलाओं या गरीबों) की भूमिका बढ़ेगी जो सामान्यतः इस घेरे के बाहर छोड़ दिए जाते हैं। बड़ी हुई सामुदायिक भागीदारी शैक्षिक व्यवस्था को और अधिक जवाबदेह बनाएगी तथा शिक्षा में स्थानीय संदर्भ बढ़ेंगे और वह स्थानीय रूप से प्रासंगिक होगी। इससे शिक्षा के लिए स्थानीय संसाधनों के इस्तेमाल का रास्ता भी खुलेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) ने प्राथमिक शिक्षा की योजना और प्रबंधन के विकेंद्रीकरण का लक्ष्य तय किया है। यह नीति प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन के लिए ग्राम शिक्षा समितियों (वी.ई.सी.) के रूप में सीधे सामुदायिक साझेदारी का प्रस्ताव करती है।

73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप उ.प्र. सरकार ने त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को बहुत सारे अधिकार सौंप दिए हैं।

स्थानीय जरूरतों पर आधारित प्राइमरी शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था बनाने के लिए दूरगामी परिवर्तन और प्राविधान किए गए हैं। पंचायतराज कानून में ग्राम शिक्षा समिति गठित करने का प्राविधान है।

### शिक्षा में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए किये गये अन्य सरकारी प्रयास

बी.ई.पी. और डी.पी.ई.पी. जैसे कार्यक्रमों की केंद्रीय रणनीति योजना और कार्यान्वयन का विकेंद्रीकरण है और अब सर्वशिक्षा अभियान का भी यही आधार है। एस.एस.ए. में ग्राम स्तर पर समुदाय आधारित लघु योजना को ऊपरी स्तर पर एक जिलास्तरीय योजना से जोड़ा गया है ताकि एस.एस.ए. के लक्ष्य हासिल करना सुनिश्चित किया जा सके।

डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत कला जत्था (सांस्कृतिक मंडली), नुक्कड़ नाटक, स्कूल चलो अभियान (नामांकन अभियान), मां-बेटी मेला का आयोजन किया गया ताकि प्राइमरी शिक्षा के समर्थन में माहौल बने।

प्रोजेक्ट वाले जिलों में लड़कियों की शिक्षा के सवाल पर महिलाओं को संगठित करने के लिए मां-बेटी मेलों और महिलाओं की स्थानीय सांसदों का आयोजन किया गया। इन आयोजनों ने स्कूल के बाहर की लड़कियों और उनकी माताओं को एकत्र किया और वे लड़कियों की शिक्षा के लाभ से जुड़े अनेक मसलों को समझ सकीं। महिला सांसदों का आयोजन मेले की सहायक गतिविधि के बतौर किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं को अपनी समस्याओं पर बातचीत करने का तथा उनमें सुधार के लिए कार्यक्रम तय करने का मंच उपलब्ध कराना था।

बच्चों और खासकर लड़कियों की शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्कूलों में माता-शिक्षक संघों (एम.टी.ए.) का गठन किया गया। स्कूल में प्रदत्त सुविधाओं की 'झोली' में महिलाओं के समर्थन में दृष्टिकोण और व्यवहार को बढ़ावा देने, उनकी सुरक्षा की गारंटी करने और उपयुक्त पानी तथा सफाई सुविधाओं जैसी आवश्यक बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने को शामिल किया गया।

### बाक्स 3.5: लड़कियों की शिक्षा के लिए सामुदायिक प्रयास

- ऐसी भागीदारीपरक प्रक्रियाएं शुरू की जाएं जो स्कूल के प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाएं ताकि लड़कियों का नामांकन और स्कूल में उनका बना रहना बढ़े।
- महिला समूहों की गोलबंदी, महिला समाख्या के साथ आपसदारी।



- बी.ई.सी., एम.टी.ए., पी.टी.ए. और महिला प्रेरणा समूहों (डब्ल्यू.एम.जी.) के जरिए संस्थानीकरण की प्रक्रिया।
- वी.ई.सी. में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
- ऐसा दिशा निर्देशन और प्रशिक्षण जो लड़कियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाए और लिंग सचेत परिप्रेक्ष्य का विकास करे।

#### प्रभाव

- सामुदायिक चेतना बढ़ी GJ और बेहतर तथा अनुकूल वातावरण बना GJ जिससे लड़कियों के नामांकन में वृद्धि हुई।
- ई.सी.सी.ई. केंद्रों के प्रबंधन और स्कूल निर्माण में सामुदायिक स्वामित्व बढ़ा GJ और लड़कियों की शिक्षा तथा स्थानीय चंदा,  $d = djus$  में वी.ई.सी. ने नेतृत्वकारी भूमिका निभाई।
- महिला समूह नई मांगों को स्वर दे रहे हैं और जरूरी प्रश्न उठा रहे हैं।

(स्रोत : मेकिंग ए डिफरेंस-यू.पी.ई.एफ.ए.पी.बी.)

महिला सशक्तीकरण रणनीति के  $vllrxl$  महिला समाख्या कार्यक्रम उ.प्र. (उत्तरांचल सहित) के 17 जिलों में लागू किया गया है। इनमें से दस (टिहरी गढ़वाल, पौड़ी, सहारनपुर, बांदा, बनारस, इलाहाबाद, सीतापुर, औरैया, गोरखपुर और नैनीताल) में तो यह बी.ई.पी. और डी.पी.ई.पी. की शुरुआत के पहले से ही चल रहा था। डी.पी.ई.पी. III के अन्तर्गत इस कार्यक्रम को सात और जिलों (मथुरा, मऊ, मुजफ्फरपुर, प्रतापगढ़, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी) में विस्तारित कर दिया गया है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत महिला संघ वे बहुमुखी केंद्र होते हैं जिनके इर्द-गिर्द ग्राम स्तर पर अनेक गतिविधियों की योजना बनाई जाती है। संघ के मंच पर महिलाएं सामूहिक रूप से अपनी स्थिति का विश्लेषण करती हैं। इससे अपने जीवन पर उनका नियंत्रण बढ़ता है और शिक्षा की मांग में बढ़त पैदा होती है।

महिला समाख्या कार्यक्रम ने महिला संघों के अलावा और भी उपयोगी हस्तक्षेप शुरू किए हैं। इनमें शामिल हैं-बाल केंद्र (4 से 14 वर्ष आयु के समूह के लड़के और लड़कियों के लिए केंद्र), किशोरी केंद्र (किशोर लड़कियों के लिए केंद्र), महिला साक्षरता केंद्र, कैंप और महिला शिक्षण केंद्र (महिलाओं और लड़कियों के लिए)।

स्थानीय समुदायों की लामबंदी में एन.जी.ओ. की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। डी.पी.ई.पी., शिक्षा कर्मों प्रोजेक्ट और लोक जुबिश जैसी अनेक शैक्षिक परियोजनाओं से जुड़े एन.जी.ओ. सामुदायिक संसाधनों की लामबंदी के साधन रहे हैं। अनुभवी और निष्ठावान एन.जी.ओ. की इस स्तर की हिस्सेदारी के बगैर लामबंदी उस स्तर पर नहीं हो पाती जैसी आज हो रही है। आज स्थिति यह है कि सरकार की सहायता से चलने वाली अनेक शैक्षिक परियोजनाओं में सहयोग और संसाधनगत समर्थन के काम में लगभग 700 एन.जी.ओ. सक्रिय रूप से लगे हुए हैं।

#### माध्यमिक शिक्षा

उ.प्र. में माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजी राज में शुरू हुई थी।

1921 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय उ.प्र. में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट

शिक्षा का नियंत्रण और निरीक्षण करता था। इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट, 1921 के जरिए यह जिम्मेदारी उ.प्र. हाईस्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड को सौंप दी गई। इस समय माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश 'शिक्षा निदेशालय' की देख-रेख में चल रही है।

#### वृद्धि

माध्यमिक शिक्षा में गंभीर क्षेत्रीय असमानताएं हैं। पहले के पहाड़ी क्षेत्र (अब उत्तरांचल) में प्रति एक लाख की जनसंख्या पर 19 माध्यमिक स्कूल हैं, पश्चिमी उ.प्र. में पांच और बाकी क्षेत्रों में 4 ही हैं। निवर्तमान पहाड़ी क्षेत्र में एक अध्यापक पर 14 छात्र हैं तो बुंदेलखंड क्षेत्र में 21, पश्चिमी उ.प्र. में 23, मध्य उ.प्र. में 25 और पूर्वी उ.प्र. में 28 छात्र हैं।

**तालिका 3.12 उ.प्र. में माध्यमिक स्कूलों में छात्रों, अध्यापकों और माध्यमिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि**

स्कूलों की संख्या			
वर्ष	स्कूलों की संख्या (बालक)	स्कूलों की संख्या (बालिका)	स्कूलों की संख्या (कुल)
1950-51	833	154	987
1960-61	1489	282	1771
1970-71	2834	581	3415
1980-81	4420	758	5178
1990-91	5113	886	5999
1998-99	6975	1364	8329
1999-2000	7122	1427	8549

#### छात्रों की संख्या

वर्ष	लड़कों की संख्या	लड़कियों की संख्या	कुल
1950-51	359580	57825	417405
1960-61	757592	54485	912077
1970-71	1851759	463877	2315736
1980-81	2752494	695829	3448323
1990-91	3614474	1145932	4760406
1998-99	3936690	1731569	5668259
1999-2000	4021356	1774321	5795677

#### अध्यापकों की संख्या

वर्ष	पुरुष अध्यापकों की संख्या	महिला अध्यापिकाओं की संख्या	कुल
1950-51	15453	2774	18227
1960-61	30222	5854	36076
1970-71	64810	14836	79646
1980-81	96117	19747	115864
1990-91	106650	19522	126172
1998-99	113938	26485	140423
1999-2000	114494	26838	141332

स्रोत : शिक्षा निदेशालय, उ.प्र. : शिक्षा की प्रगति, विभिन्न अंक

जिला स्तरीय भिन्नताएं तो और भी अधिक हैं। पहाड़ी क्षेत्र (अब उत्तरांचल) के जिलों में आमतौर पर एक लाख की जनसंख्या पर उच्चतर माध्यमिक  $Ldnyks dli$  उपलब्धता निम्नवत है—उत्तरकाशी में 60, गढ़वाल में 43, चमोली में 42, पिथौरागढ़ में 41, अलमोड़ा में 29, नैनीताल/उधमसिंह नगर में 24। उ.प्र. के मैदानी क्षेत्रों में प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे अधिक माध्यमिक स्कूल मैनपुरी (22) और इटावा (19) में हैं। सबसे कम मुरादाबाद (6), सहारनपुर और सिद्धार्थनगर (प्रत्येक 6), मिर्जापुर, सोनभद्र, बाराबंकी, गोंडा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बिजनौर (प्रत्येक 8) में हैं।

तालिका 3.13 : उ.प्र. में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्रवार सूचकांक		
क्षेत्र	प्रति लाख जनसंख्या पर माध्यमिक स्कूलों की संख्या	प्रति अध्यापक छात्रों की संख्या
पहाड़ी क्षेत्र *	19	14
पश्चिमी क्षेत्र	5	23
मध्य क्षेत्र	4	25
पूर्वी क्षेत्र	4	28

टिप्पणी : \*पहाड़ी क्षेत्र अब उत्तरांचल राज्य है।

इसी तरह एक अध्यापक पर छात्रों की संख्या भी उ.प्र. के जिलों में काफी अलग-अलग है। राज्य का औसत तो 24 है लेकिन चमोली में 10, गाजियाबाद और जालौन में 14-14, बलिया में 41 और बनारस तथा भदोही जिलों में 62-62 है।

माध्यमिक स्तर पर अध्यापिकाओं की संख्या बहुत कम है। समूचे राज्य में अध्यापकों की कुल संख्या में 20 प्रतिशत से भी कम महिलाएं हैं। कुछ जिले हैं जहां अध्यापिकाओं का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक है। लखनऊ और कानपुर जैसे जिलों में अध्यापिकाओं का अनुपात 40 प्रतिशत से ऊपर है। आगरा और बरेली में माध्यमिक स्तर पर कुल अध्यापकों में 30 प्रतिशत से अधिक अध्यापिकाएं हैं और ललितपुर तथा हरिद्वार भी इस मामले में बहुत पीछे नहीं हैं (देखें, तालिका 3.15)। आमतौर पर इन जिलों में लड़कियों के नामांकन का अनुपात भी अधिक है।

दूसरी तरफ कई जिलों में स्थिति उतनी संतोषजनक नहीं है। उदाहरण के लिए, प्रतापगढ़, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर जैसे जिलों में कुल माध्यमिक स्कूल अध्यापकों में अध्यापिकाओं का अनुपात माध्यमिक स्तर पर 5 प्रतिशत से कम है। अनेक अन्य जिलों में यह आंकड़ा 10 प्रतिशत से कम है (देखें, तालिका 3.15)। माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के कम नामांकन और  $MkV$  की ऊंची दर में निस्संदेह इस कारक का योगदान है।

तालिका 3.14 : बालिका माध्यमिक स्कूलों में सबसे कम प्रतिशत वाले जिले	
जिले	$dny ek; fed Ldnyks ej dkydk ek; fed Ldnyks dk ifr'kr$
फतेहपुर	4.8
प्रतापगढ़	5.2
मऊ	6.3
सिद्धार्थनगर	6.5
बस्ती/कबीर नगर	6.6
जौनपुर	6.6

बाराबंकी	9.5
देवरिया/कुशीनगर	9.5
एटा	9.6
राज्य	16.4

तालिका 3.15 : अध्यापिकाओं के सबसे कम अनुपात वाले जिले

जिले	अध्यापिकाओं का अनुपात (%)
प्रतापगढ़	4.0
महाराजगंज	4.4
सिद्धार्थनगर	4.7
देवरिया/कुशीनगर	5.7
बस्ती/कबीर नगर	6.2
बलिया	6.6
सुल्तानपुर	6.6
राज्य औसत	18.9
हरिद्वार*	29.4
ललितपुर	29.7
बरेली	35.4
आगरा	36.0
कानपुर	40.6
लखनऊ	48.0

यलुआ, कानपुर, झांसी, गाजियाबाद, मेरठ जैसे शहरी केंद्रों और देहरादून, पौड़ी तथा चमोली जैसे पहाड़ी जिलों (अब उत्तरांचल) में लड़कियों का अनुपात अधिक है लेकिन फतेहपुर और प्रतापगढ़ (लगभग 5 प्रतिशत) तथा मऊ, सिद्धार्थनगर, बस्ती और जौनपुर (7 प्रतिशत से कम) में लड़कियों का अनुपात काफी कम है। बाराबंकी, देवरिया, और एटा जैसे जिलों में यह आंकड़ा 10 प्रतिशत से कम है। इससे पता चलता है कि शहरी क्षेत्रों में लड़कियों के नामांकन की दर अपेक्षाकृत अधिक है।

### बाक्स 3.6 : माध्यमिक शिक्षा: सबसे कमजोर कड़ी


हालांकि माध्यमिक शिक्षा का महत्व बहुत है लेकिन अनेक कमियों के चलते माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुदालियार आयोग) ने इसे समूची शिक्षा-व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी कहा था। आयोग ने कई उपायों (उनमें से कुछ निम्नांकित हैं) की सिफारिश की थी जो आज भी कार्यान्वित नहीं हो सके हैं—

- माध्यमिक शिक्षा का नया सांगठनिक ढांचा—तीन वर्ष की मिडिल या ऊपरी प्राथमिक या निचली माध्यमिक शिक्षा के बाद 4 वर्ष की माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए।
- समूचे माध्यमिक स्तर तक सामान्यतः मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होनी चाहिए, इस प्राविधान के साथ कि भाषाई अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधाएं दी जाएं।
- माध्यमिक स्कूल के पाठ्यक्रम में सुधार होना चाहिए। ज्यादा जोर पढ़ाई के विविध पाठ्यक्रमों पर अधिक बल होना चाहिए।

- **गतिशील अध्यापन पद्धति**-आयोग की यह इच्छा थी कि माध्यमिक स्तर पर अध्यापन पद्धति का गहन तार्किकीकरण होना चाहिए।
- **परीक्षा व्यवस्था के प्रति नया दृष्टिकोण**-आयोग की राय के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षा और मूल्यांकन जैसे विषय महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसीलिए इसने परीक्षा और मूल्यांकन की वर्तमान व्यवस्था में सुधारों की सिफारिश की।
- **अध्यापकों में सुधार**-किसी भी शैक्षिक सुधार की कुंजी अध्यापक होता है और आयोग ने इसे माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर सुधार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना।
- **प्रशासनिक समस्याएं**-आयोग ने इस मुद्दे पर यथार्थपरक ढंग से विचार किया और व्यापक सुधारों की सिफारिश की। कुछ सिफारिशों तो कार्यान्वित हुईं लेकिन अनेक अब भी लंबित हैं।
- ◆ **वित्त**-आयोग ने माध्यमिक स्तर पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए धन जुटाने हेतु औद्योगिक शिक्षा-कर के कराधान की सिफारिश की।

### अध्यावधिक परिवर्तन

पिछले एकाध दशक में उ.प्र. में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। राज्य सरकार ने निजी हाई स्कूलों और इंटर कालेजों (माध्यमिक शिक्षा की संस्थाओं) को मान्यता दी है। माध्यमिक शिक्षा के मPPTKdJ .k, अतिरिक्त विभागों को खोलने और छात्रों के अतिरिक्त नामांकन सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं। माध्यमिक स्तर पर पत्राचार पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए हैं तथा दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था अपनाई गई है ताकि उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में प्राइवेट परीक्षार्थियों के रूप में शामिल होने वाले छात्रों को मदद मिल सके।



### उच्च शिक्षा

#### शुरुआत

उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय व्यवस्था की शुरुआत 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ हुई। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास विश्वविद्यालय 1857 में खुल चुके थे। उनके बाद यह देश का चौथा विश्वविद्यालय था। आजादी के बाद से उच्चशिक्षा की संस्थाओं में तेजी से वृद्धि हुई है।

तालिका 3.16 : उ.प्र. में विश्वविद्यालयों की वृद्धि

वर्ष	विश्वविद्यालयों की संख्या	छात्रों की संख्या
1950-51	6	21,000
1960-61	9	34,000
1973-74	14	84,000
1980-81	19	117,000
1985-86	22	130,000
1990-91	25	169,000
1995-96	26	191,000
1998-99	27	191,000

स्रोत : राज्य नियोजन संस्थान : सांख्यिकी पत्रिका, विभिन्न अंक

टिप्पणी : उ.प्र. सरकार के दस्तावेजों में विश्वविद्यालयों की छात्र संख्या पिछले पांच वर्षों से 191 हजार पर स्थिर दिखाई गई है।

इस समय उ.प्र. में एक मुक्त विश्वविद्यालय समेत 27 विश्वविद्यालय हैं तथा 676 महाविद्यालय हैं जिनमें 9.19 लाख छात्र हैं।

तालिका 3.17 : डिग्री कालेजों की वृद्धि

वर्ष	डिग्री कालेजों की संख्या	छात्रों की संख्या
1950-51	40	30,000
1960-61	128	68,000
1973-74	304	246,000
1980-81	384	335,000
1985-86	403	395,000
1990-91	418	560,000
1995-96	521	775,000
1998-99	676	919,000*

स्रोत : तालिका 3.16 के समान

\* वार्षिक योजना 1999-2000, वाल्यूमा (पार्ट II) उत्तर प्रदेश में यह संख्या 9,28,566 बताई गई है।

पिछले एकाध दशक में विश्वविद्यालय स्तर पर विविधीकृत पाठ्यक्रमों में वृद्धि दिखाई पड़ी है। प्रबंधन पाठ्यक्रम, पत्रकारिता, कंप्यूटर और आई.टी. से जुड़े हुए पाठ्यक्रमों तथा पर्यावरणिक विषयों की लोकप्रियता बढ़ी है। इन विषयों में स्व वित्तपोषित कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जिसके तहत इन पाठ्यक्रमों को चलाने का समूचा वित्तीय भार छात्र खुद ही उठाते हैं। इस तरह के पाठ्यक्रमों को शुरू करने, परामर्श देने और फीस के ढांचे में सुधार के माध्यम से विश्वविद्यालयों द्वारा वित्तीय संसाधन जुटाने पर आजकल काफी जोर दिया जा रहा है।

बहरहाल, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में बहुत अधिक राजनीति, खराब प्रबंधन, अध्यापकों की गैर जिम्मेदारी, अधिसंरचना की कमी और छात्रों की बढ़ती भीड़ के कारण शैक्षिक स्तर में गिरावट गंभीर चिंता का विषय है।

## तकनीकी उच्च शिक्षा

नौवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के समय रुड़की विश्वविद्यालय, जो अब उत्तरांचल राज्य में है, समेत बारह इंजीनियरिंग कालेज डिग्री स्तरीय तकनीकी शिक्षा दे रहे थे। डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थानों की संख्या 90 थी और 12 सर्टिफिकेट स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान राज्य में थे। डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट स्तरीय संस्थाओं में छात्रों का प्रवेश क्षमता प्रति वर्ष क्रमशः 2255, 8618 और 700 थी।

वर्तमान योजना में तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य राज्य के संगठित और असंगठित क्षेत्र के लिए पर्याप्त लोगों का विकास करना है। इसके लिए महिलाओं की तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी संस्थाओं के प्रसार पर जोर दिया गया है। उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने तकनीकी संस्थाओं की स्थापना में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है।

**तालिका 3.18 : तकनीकी शिक्षा में छात्रों की संख्या**

वर्ष	डिग्री स्तर	डिप्लोमा स्तर
1997-98	459	1698
1998-99	546	1994

वर्ष 2004-05 के आंकड़ों के अनुसार तकनीकी शिक्षा में छात्रों की संख्या 24044 थी। डिग्री स्तर पर 11810 छात्रों की संख्या थी और डिप्लोमा स्तर पर 12234 छात्रों की संख्या थी।

पालिटेकनिकों का आधुनिकीकरण] एफग्य के पालिटेकनिकों को खोलना, ता तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की उ.प्र. सरकार के महत्वपूर्ण उद्देश्य है। वर्ष 1997-98 में 6 नए पालिटेकनिकों को मंजूरी दी गई जिनमें से 4 एफग्य के लिए ही हैं। ग. प्र. सरकार एफग्य के विकास के लिए 1997-98 में 100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था।

## निजी क्षेत्र की भूमिका

उत्तर प्रदेश में आधुनिक स्कूल व्यवस्था अंग्रेजी शासन के अधीन ही विकसित हुई लेकिन 1881 के भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार राज्य में निजी स्कूलों का, पाठशालाओं या मकतबों/मदरसों का, व्यापक संजाल पहले से ही मौजूद था। इनमें एक अध्यापक बच्चों के छोटे समूह को शिक्षा देता था। आजादी तक अधिकांश प्राइमरी और मिडिल स्कूलों का प्रबंधन स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता था। स्कूली शिक्षा को वित्तीय सहायता देने में राज्य सरकार की भूमिका बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बढ़ी। सरकार ने नियामक और निरीक्षक शक्तियां भी प्राप्त कर लीं।

1960-61 में सभी स्तरों की शिक्षा संस्थाओं में 20 प्रतिशत का प्रबंधन सरकार के हाथ में था, 46.5 का प्रबंधन स्थानीय निकाय करते थे और 33 प्रतिशत का प्रबंधन निजी था। प्राइमरी स्तर पर 55.9 प्रतिशत स्कूलों का प्रबंधन स्थानीय अधिकारी करते थे, जबकि उच्चतर प्राथमिक स्तर पर वे 53.4 प्रतिशत स्कूलों का प्रबंधन देखते थे (वशिष्ट, 1994, पृष्ठ 3)। बहरहाल, सभी प्रकार के प्रबंधन वाली संस्थाओं में वित्त का प्रमुख स्रोत सरकार ही थी।

1960 के दशक में धीरे-धीरे उ.प्र. के शहरी और स्थानीय निकाय मृतप्राय हो गए और अध्यापकों की सेवाशर्तों, उनकी नियुक्ति आदि में समरूपता न होने से राज्य सरकार को बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित करना पड़ा। इसके अन्तर्गत राज्य स्तर पर बेसिक शिक्षा का प्रभावी विकेंद्रीकरण हुआ।

हालांकि शिक्षा व्यवस्था के प्रसार को बढ़ावा देने का मुख्य वित्तीय भार राज्य सरकार ही वहन करती थी लेकिन गैर-सरकारी संगठनों, सोसाइटियों और ट्रस्टों तथा निजी तौर पर व्यक्तियों ने भी मुनाफा और परोपकार दोनों के लिए संस्थाएं खोलना जारी रखा। राज्य सरकार द्वारा इन संस्थाओं को कुछ पूर्व निर्धारित नियमों को पूरा करने के बाद 'मान्यता' दी जाती थी और अक्सर सरकारी अनुदान मिल जाता था।


निजी संस्थाओं (वित्त पोषित और वित्त रहित) में ही उ.प्र. के नामांकनों का काफी हिस्सा है। तालिका 3.19 एन.एस.एस. के 52वें दौर पर आधारित अनुमानों की जानकारी देती है और बताती है कि शिक्षा में 'निजी' क्षेत्र के महत्व पर ध्यान देना चाहिए।

**तालिका 3.19 : विभिन्न संस्थानों में नामांकन वितरण, उ.प्र., 1995-96**

		सरकारी	स्थानीय	निजी	निजी वित्त	कुल
			निकाय	अनुदानित	रहित	
प्राइमरी	ग्रामीण	65.10	9.20	6.05	19.65	100
	शहरी	24.08	5.66	20.60	49.66	100
मिडिल	ग्रामीण	51.41	5.02	25.32	18.25	100
	शहरी	32.46	4.60	37.63	25.30	100
माध्यमिक	ग्रामीण	43.07	2.84	46.96	7.13	100
	शहरी	33.99	3.37	50.15	12.48	100

स्रोत : एन.एस.एस. 52वां दौर (आकलित)

**चित्र 3.10 : 1995-96 में उ.प्र. में सरकारी स्कूलों में नामांकित छात्रों का प्रतिशत (प्रति व्यक्ति उपभोग चतुर्थांक के आधार पर)**



यह ध्यान देने योग्य बात है कि प्राइमरी और मिडिल शिक्षा में भी निजी प्रबंधन वाली संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और ग्रामीण नामांकनों का लगभग 20 प्रतिशत तथा शहरी नामांकनों का आधा निजी वित्तविहीन स्कूलों में होता है। निजी वित्त पोषित स्कूल मिडिल और माध्यमिक स्तरों पर और भी महत्वपूर्ण हैं। इन स्तरों पर उनमें ग्रामीण और शहरी नामांकनों का क्रमशः 47 और 50 प्रतिशत होता है।

लड़कियों और अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों के नामांकन का बड़ा प्रतिशत सरकारी संस्थाओं में है। चित्र 3.10 में दिखाया गया है कि कैसे बच्चों की आर्थिक स्थिति (प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय द्वारा आकलित) सरकारी संस्थाओं में उनके नामांकन से जुड़ी हुई है। यह देखा जा सकता है कि जैसे-

जैसे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है वैसे-वैसे बच्चे सरकारी स्कूलों में कम पढ़ते हैं।

वंचित समूहों की शिक्षा तक पहुंच के पीछे शिक्षा का खर्च महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षा में निजी क्षेत्र के प्रसार संबंधी प्रयासों को शिक्षा की पहुंच, गुणवत्ता और समानता संबंधी सवालों से जूझना पड़ेगा।

### उ.प्र. में शिक्षा के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना

सभी स्तरों पर शिक्षा का प्रसार वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। शिक्षा में ये संसाधन, निजी और सार्वजनिक स्रोतों से आते हैं। निजी स्रोतों के स्वैच्छिक और अनिवार्य घटक हैं : अनुदान, दान, निजी निवेश तथा शुल्क और अन्य संबंधित फीसों।

लेकिन इन स्रोतों से अपेक्षाकृत कम वित्त आ पाता है और धीरे-धीरे राज्य को ही बड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ जाती है।

#### बाक्स 3.7: शिक्षा के वित्तीय स्रोत

राज्य सरकार शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता राज्य के आम राजस्व से देती है—कर और गैर कर राजस्व से, क्योंकि शिक्षा के लिए कोई विशेष कर आवंटित नहीं है, न ही राज्य में इस उद्देश्य के लिए कोई शैक्षिक-कर या उपकर लगाया गया है। 1988-89 में उ.प्र. में (सभी स्तरों पर) शैक्षिक संस्थाओं की कुल आय का 82 प्रतिशत सरकारी अनुदान (केंद्रीय और प्रांतीय) से आया, 8 प्रतिशत स्थानीय निकाय के फंड से, 7 प्रतिशत फीस से और 3 प्रतिशत दान से आया। व्यावसायिक और पेशागत संस्थाओं के मामले में सरकारी अनुदान का सर्वाधिक हिस्सा, 96 प्रतिशत था। प्राइमरी स्कूलों में यह 86 प्रतिशत था, उच्चतर प्राइमरी स्कूलों में 83 प्रतिशत और माध्यमिक स्कूलों में 77 प्रतिशत। इसी तरह, माध्यमिक स्तर पर फीस का योगदान सबसे अधिक, 16 प्रतिशत था।

(स्रोत: एजुकेशन इन इंडिया, 1988-89)


### शिक्षा के सार्वजनिक संसाधन

आजादी के बाद से शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और भरोसेमंद स्रोत केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों के अनुदान रहे हैं। इन अनुदानों में स्थानीय सरकारों का हिस्सा उनके छोटे आकार के कारण सीमित रहा है। केंद्र सरकार की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। लेकिन शिक्षा के वित्तीय क्षेत्र में सबसे प्रमुख भूमिका राज्य सरकार निभाती है।


1950-51 में राज्य की आय का 0.5 प्रतिशत से भी कम शिक्षा पर खर्च होता था। उसके बाद से राज्य के शिक्षा संबंधी प्रयास लगातार बढ़े हैं लेकिन अब भी यह खर्च राज्य की आय (राज्य घरेलू उत्पाद या एस.डी.पी.) के 4 प्रतिशत से कम है। इसके अलावा, पिछले दशक में इसकी बढ़ोतरी के कोई संकेत नहीं मिलते। भारत के शैक्षिक रूप से विकसित राज्य (उदाहरण केरल) अपने एस.डी.पी. का इससे बहुत अधिक प्रतिशत अपने शैक्षिक विकास पर खर्च करते हैं।

पिछले पांच दशकों में स्कूली शिक्षा के लिए कुल बजट आवंटन सहित राज्य का कुल शैक्षिक बजट बताता है कि 1950-51 में स्कूली शिक्षा के खर्च में भारी बढ़ोतरी हुई है। 1950-51 में प्राथमिक शिक्षा के लिए आवंटन 3.21 करोड़ रु. था और माध्यमिक शिक्षा के लिए 1.64 करोड़ था। 1999-2000 में उ.प्र. में प्राथमिक शिक्षा के लिए यह राशि 3327.91 करोड़ रुपये तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए 1896.81 करोड़ रुपये हो गई।

चित्र 3.11: उ.प्र. में राज्य की आय में शिक्षा व्यय का प्रतिशत



चित्र 3.12: शिक्षा बजट में स्तरवार प्रतिशत हिस्सा, 1998-99





**तालिका 3.20 : उत्तर प्रदेश में स्कूली शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय**

वर्ष	प्राथमिक शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा	स्कूली शिक्षा	कुल शिक्षा व्यय	कुल बजट व्यय में कुल शिक्षा व्यय का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1950-51	3.21	1.64	4.85	7.10	13.70
1960-61	6.02	3.56	9.58	17.75	12.30
1970-71	36.43	17.92	54.35	74.84	18.13
1980-81	171.45	109.72	281.17	345.87	20.15
1990-91	1211.68	629.33	1841.01	2093.81	21.95
1995-96	1863.00	1110.02	2973.02	3360.92	19.14
1997-98	2269.95	1375.84	3645.79	4156.85	18.73
1998-99	3318.70	1855.41	5174.11	5840.15	21.26
1999-2000	3327.91	1896.81	5224.72	6096.33	20.48

स्रोत : राज्य बजट

उ.प्र. के कुल शैक्षिक व्यय में पिछले पांच दशकों में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। यह बढ़ती कुल राज्य बजट व्यय से अधिक तेज रही है। 1950 और 1960 के दशकों में उ.प्र. का शैक्षिक व्यय बजट व्यय का लगभग 13 प्रतिशत ही था। 1990 के दशक में यह बजट व्यय का औसतन 20 प्रतिशत से अधिक हो गया। लेकिन पिछले 20 वर्षों में उ.प्र. का शैक्षिक व्यय कुल बजट व्यय में हुई बढ़ती से थोड़ा ही अधिक रहा। जहां शैक्षिक व्यय 1980-81 में 345.87 करोड़ रुपये से बढ़कर 1999-2000 में 6096.33 करोड़ रुपये हुआ, वहीं इसी अवधि में राज्य का कुल बजट व्यय 1716.09 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,9761.88 करोड़ रुपये हुआ।

1980 के दशक के मध्य से ही राज्य के शिक्षा बजट में बेसिक शिक्षा का हिस्सा 50 प्रतिशत को पार कर गया। पिछले दशक में राज्य सरकार के कुल शिक्षा बजट में प्राथमिक शिक्षा का हिस्सा लगभग 55 प्रतिशत रहा, माध्यमिक शिक्षा का हिस्सा 31-32 प्रतिशत रहा और उच्च शिक्षा का हिस्सा 8 से 10 प्रतिशत के बीच रहा।

### शिक्षा व्यय की संरचना

शिक्षा पर चालू व्यय की संरचना बताती है कि सभी तरह की संस्थाओं में कुल व्यय का 75 प्रतिशत शिक्षकों के वेतन पर और लगभग 10 प्रतिशत शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के वेतन पर खर्च होता है। अवशेष 15 प्रतिशत स्कूल भवन की देखरेख, उपकरणों, कुर्सी- मेज, पुस्तकालय और अन्य ऐसी ही मदों में खर्च होता है। छात्रवृत्ति पर खर्च होने वाला धन घटता जा रहा है। यह भी संकेत मिला है कि प्राइमरी और उच्चतर प्राथमिक स्कूलों में खर्च का सर्वाधिक प्रतिशत वेतन का खर्च है जबकि व्यावसायिक और पेशागत स्कूलों में यह सबसे कम है।

### केंद्र सरकार की भूमिका

42वें संविधान संशोधन से पहले उ.प्र. की स्कूल शिक्षा में केंद्र सरकार की भूमिका बहुत सीमित थी। 42वें संशोधन के बाद शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। इस तरह राज्य स्तर पर स्कूली शिक्षा में भी हस्तक्षेप का अधिकार केंद्र सरकार को मिल गया। केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष प्रबंधन में काम करने वाली संस्थाओं को अनुदान देने के अतिरिक्त केंद्र सर्वशिक्षा अभियान जैसे प्रयासों और केंद्रीय स्तर पर आयोजित योजनाओं के माध्यम से शैक्षिक विकास में आर्थिक सहायता करता है।

### विदेशी वित्त पोषित योजनाएं

उ.प्र. जैसे बड़े राज्य के लिए शिक्षा में विदेशी सहायता बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। यहां 2000-2001 के शिक्षा बजट का आकार 6000 करोड़ रुपये से अधिक का था। बहरहाल, विश्व बैंक, आई.डी.ए. और यू.एस. एड की वित्तीय मदद कुछ खास क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस समय विश्व बैंक महत्वाकांक्षी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) के दूसरे और तीसरे चरण के लिए वित्तीय मदद दे रहा है। यू.एस. एड प्राइमरी स्तर पर लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए खासकर सहायता प्रदान कर रहा है। डी.पी.ई.पी. के लिए वित्तीय मदद केंद्र सरकार के जरिए आती है जिसमें 15 प्रतिशत हिस्सा उ.प्र. सरकार को भी वहन करना पड़ता है। केंद्र सरकार का हिस्सा राज्य को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होता है जिसमें 70 प्रतिशत ऋण तथा 30 प्रतिशत अनुदान है।

### शिक्षा व्यय पर राजकोषीय संकट का प्रभाव

राजकोष की वित्तीय सीमाओं का अर्थ है कि राज्य में राजकोषीय सुधार कार्यक्रम लागू करने होंगे जिसमें बजटीय राजस्व और व्यय की पुनः संरचना के लिए अनेक उपाय भी सम्मिलित हैं।

नई (सुधरी) बजट नीति में प्राइमरी शिक्षा और साक्षरता अभियान को विशेष प्राथमिकता दी गई है। विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से डी.पी.ई.पी. का विस्तार राज्य के 77 जिलों तक किया गया है। सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 1999-2000 में शिक्षा गारंटी योजना (ई.जी.एस.) शुरू की गई। अन्य अनेक नीतिगत परिवर्तन किए गए हैं ताकि शिक्षा के लिए उपलब्ध संसाधनों को बढ़ाया जा सके।

### बाक्स 3.8: उ.प्र. में राजकोषीय सुधार और शिक्षा क्षेत्र

उ.प्र. सरकार के राजकोषीय सुधार कार्यक्रम में बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य पर होने वाले सार्वजनिक व्यय को सुरक्षित रखने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इसी के साथ उच्च और व्यावसायिक शिक्षा को दी जा रही गुणवत्ताहीन वित्तीय सहायता में कटौती भी होगी। इन कदमों में शामिल हैं:

1. 1999-2000 में अध्यापकों और प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मियों के अतिरिक्त नई भर्तियों पर रोक।
2. अध्यापकों और प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मियों के पदों को छोड़कर बाकी एक वर्ष से खाली पड़े पदों की समाप्ति।
3. इंजीनियरिंग, मेडिकल, अन्य कालेजों और माध्यमिक स्कूलों में फीस का पुनरीक्षण ताकि लागत भरपाई 6 प्रतिशत से दोगुना बढ़ाकर 12 प्रतिशत की जाए।
4. गुणवत्ताहीन वित्तीय सहायता को कम करने और इसे उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा इत्यादि से स्थानांतरित करने की व्यापक योजना ताकि इसे 2004-05 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के न्यूनतम स्तर, 0.5 प्रतिशत, तक लाया जा सके।
5. माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों, डिग्री कालेजों और विश्वविद्यालयों के अनुदान को, चयनित आधार पर, 1998-99 के स्तर पर ही बनाए रखना।
6. नए पदों के सृजन पर रोक और खाली पदों पर नियुक्ति न करना।
7. अनुदान सूची में नई शैक्षिक संस्थाओं को शामिल करने पर रोक।

### शिक्षा से राजस्व उगाही

हाल तक उ.प्र. सरकार उच्चतर माध्यमिक स्तर तक ट्यूशन फीस नहीं लेती थी। लेकिन वित्त पोषित संस्थाएं निर्धारित ट्यूशन फीस ले सकती थीं और सरकार समय-समय पर ट्यूशन फीस की संरचना (उच्च शिक्षा के स्तर पर) तथा अन्य फीसों और शुल्क निर्धारित करती थी। लेकिन इन फीसों की संरचना में कई वर्षों से कोई सुधार नहीं किया गया था। इसके फलस्वरूप शैक्षिक संस्थाओं के व्यय में राजस्व (फीस) प्राप्ति का योगदान लगातार कम होता गया।

हाल के वर्षों में उ.प्र. सरकार ने माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और उच्चशिक्षा स्तरों पर दी जाने वाले फीस में बढ़ोत्तरी का संगठित प्रयास किया। इसने कुछ विशेष तरह की संस्थाओं को अपनी फीस दर तय करने का लचीलापन प्रदान किया तथा स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों, परामर्श इत्यादि के जरिए संसाधन बढ़ाने की छूट दी है।

उ.प्र. के राज्य बजट में फीस का योगदान बहुत कम रहा है। 1984-85 में राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति 13.46 करोड़ रुपये थी जो उस वर्ष राज्य के शैक्षिक व्यय का मात्र 2 प्रतिशत था। पिछले वर्षों में यह हिस्सेदारी बहुत नहीं बदली है। 1998-99 में फीस का योगदान 95.89 करोड़ रुपये था। यह राशि उस वर्ष के कुल शैक्षिक व्यय का मात्र 1.63 प्रतिशत थी।

अन्ततः खासकर माध्यमिक स्तर की शिक्षा संस्थाओं की फीस संरचना में सुधार से धीरे-धीरे कुछ फल निकलने लगे हैं। माध्यमिक शिक्षा से राजस्व प्राप्ति जहां 1999-2000 में 81.28 करोड़ रुपये थी, वहीं 2000-01 में बढ़कर यह 108.64 करोड़ रुपये हो गई और 2001-02 के बजट में 127.22 करोड़ रुपये तक इसके बढ़ने का अनुमान है। 1999-2000 में उच्च शिक्षा से

राजस्व प्राप्ति मात्र 4.24 करोड़ रुपये थी लेकिन 2000-01 में गिरकर यह केवल 1.01 करोड़ रुपये रह गई। बहरहाल, 2001-02 के बजट में इस क्षेत्र से प्राप्तियों के 75.15 करोड़ रुपये तक बढ़ने का अनुमान है। 1999-00 में तकनीकी शिक्षा से प्राप्त फीस 36.65 करोड़ रुपये थी। 2000-01 में थोड़ी गिरावट के साथ यह 33.95 करोड़ रुपये हो गई लेकिन 2001-02 में इसके 45.95 करोड़ रुपये तक बढ़ने की उम्मीद है।

**तालिका 3.21 : उ.प्र. में सामान्य और तकनीकी शिक्षा से कुल राजस्व प्राप्ति और व्यय ( करोड़ रुपए )**

वर्ष	राजस्व प्राप्ति	व्यय	व्यय (राजस्व प्राप्ति का %)
1990-91	33.89	2079.84	1.63
1991-92	34.68	1984.95	1.75
1992-93	55.70	2267.68	2.46
1993-94	29.74	2474.59	1.20
1994-95	41.12	2922.19	1.41
1995-96	48.53	3337.48	1.45
1996-97	46.71	3823.24	1.22
1997-98	81.67	4229.65	1.93
1998-99	94.53	5787.09	1.63
1999-00	183.91	5654.23	3.25
2000-01(RE)	234.41	6451.74	3.63
2001-02(BE)	421.49	6236.69	6.76

स्रोत : राज्य बजट

फीस संरचना में सुधार से शिक्षा-व्यवस्था की पहुंच तथा समानता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

छात्र/घर शिक्षा लेने की जो 'कीमत' चुकाते हैं उसके अनेक घटक हैं, उनमें फीस केवल एक है। इसलिए अगर फीस नगण्य हो तो भी इसका यह मतलब नहीं है कि घर द्वारा चुकाई गई कीमत भी नगण्य है। इसी तरह 'फीस' में भी ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अनेक स्कूली कर शामिल होते हैं। 1995-96 में शिक्षा से सरकार की राजस्व प्राप्ति मात्र 48.5 करोड़ रुपये थी। लेकिन एन.एस.एस. के 52वें दौर के अनुमान बताते हैं कि राज्य के छात्रों ने शिक्षा संस्थाओं को फीस और अन्य शुल्कों के रूप में अनुमानतः 628.9 करोड़ रुपये दिए।

इसलिए जहां शिक्षा के लिए संसाधन जुटाने को वरीयता दी जानी चाहिए वहीं इसका संतुलन समानता और विकास के साथ बिटाना भी जरूरी है। इस संबंध में दिए गए कुछ सुझावों का सार बाक्स 3.9 में बताया जा रहा है।

### बाक्स 3.9 : अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु सुझाव

खासकर शिक्षा के तृतीयक क्षेत्र में संसाधन जुटाने की अनेक वैकल्पिक रणनीतियां हैं। कुछ सुझाव नीचे दिए जा रहे हैं :

- 1- स्ववित्त पोषित संस्थाओं की स्थापना विशेषतः शिक्षा के उच्चस्तर पर निजी क्षेत्र में होनी चाहिए। इससे सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बोझ कम होगा। इस दिशा में राज्य में पहले ही शुरुआत हो चुकी है।
- 2- शिक्षा में उपयोगकर्ताओं का शुल्क बढ़ाना होगा, खासकर तृतीयक स्तर पर। लेकिन इसके साथ ही गरीब वर्गों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों या मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। माता-पिता द्वारा फीस चुकाने की क्षमता के आधार पर छात्रों के अलग-अलग समूहों के लिए फीस की अलग-अलग संरचना लागू करनी होगी।
- 3- छात्रों के लिए बैंक ऋण का उदार प्रावधान ताकि वे विशेषीकृत या उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें।
- 4- शिक्षा हेतु अतिरिक्त फंड जुटाने के लिए कुछ कर राजस्व या अतिरिक्त कराधान या शैक्षिक उपकर का आवंटन करना होगा। जो लोग उच्च और विशेषीकृत शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं उन पर कोई कर लगाने पर भी विचार किया जा सकता है।
- 5- विदेशी छात्रों से अधिक फीस वसूलनी होगी क्योंकि अनेक शिक्षा संस्थानों (विशेषतौर पर उ.प्र. के विश्वविद्यालयों और कालेजों) में उनकी संख्या बढ़ रही है।
- 6- निजी क्षेत्र द्वारा प्रायोजित शोध और उन्हें सलाहकार सेवा उपलब्ध करानी होगी।
- 7- ग्रामीण क्षेत्रों में भू-राजस्व एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिसका महत्व धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। अगर भू-राजस्व को संबंधित गांव की प्राइमरी शिक्षा की वित्तीय सहायता के लिए पूरी तरह आवंटित कर दिया जाए तो इसका महत्व फिर से बढ़ जाएगा और खेतिहर लोग कर अदायगी बढ़ाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि इसका पैसा उन्हीं के बच्चों की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता के रूप में पड़ोस में ही खर्च किया जाएगा।
- 8- शहरी संपत्ति कर को शहरी क्षेत्रों में प्राइमरी शिक्षा की वित्तीय सहायता से जोड़ा जा सकता है। इससे स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में स्कूली शिक्षा को फंड प्रदान की जिम्मेदारी अच्छी निभाएंगे।
- 9- प्राइमरी शिक्षा के लिए स्थानीय संसाधन जुटाने में ग्राम शिक्षा समितियों (वी.ई.सी.) को और बड़ी भूमिका निभानी होगी। वे ग्राम पंचायत को मामूली गृहकर, सार्वजनिक सड़कों का उपयोग करने वाले वाहनों पर कर लगाने की सलाह दे सकती हैं। वी.ई.सी. ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा के लिए स्वैच्छिक दान एकत्र करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

संसाधनों की बरबादी को रोकना शिक्षा के खर्च को नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण साधन है।

### उपलब्धियां और चुनौतियां

पिछले दशक में (उत्तरांचल को छोड़कर) उ.प्र. में साक्षरता के मामले में उल्लेखनीय सुधार दिखाई पड़ा। विशेषकर महिलाओं के मामले में सुधार की उच्च दर दर्ज की गई। इस बात का संकेत भी मिलता है कि प्रोजेक्ट वाले क्षेत्रों में शिक्षा उपलब्धि में सुधार हुआ है।

1981 और 1991 के बीच जिला स्तर पर साक्षरता और नामांकन दरों तथा इन परिवर्तनों में सकारात्मक आपसी संबंध रहा। बहरहाल, 1991-2001 के दौरान शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में, जहां तक पुरुष साक्षरता का संबंध है, सुधार की अपेक्षाकृत तेज दर दर्ज की गई लेकिन महिला साक्षरता के मामले में ऐसा नहीं हुआ।

खराब अवस्थापना सुविधाएं, अध्यापन की खराब गुणवत्ता और खराब उपलब्धि दर (गुणवत्ता) उत्तर प्रदेश की बड़ी चिंताएं हैं। सार्वजनिक वित्तीय संसाधन भी स्कूलों के पर्याप्त सार्वजनिक प्राविधान के लिए जरूरी स्तरों से काफी कम हैं।

अब तक अनेक पहलकदमियों की गई हैं:

- \* 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए विकेंद्रीकरण ने शैक्षिक संस्थाओं के प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भूमिका बढ़ाई है।
- \* उ.प्र. में शिक्षा की वित्तीय मदद की व्यवस्था धीरे-धीरे राज्य नियंत्रण से राज्य के नियमों के तहत निजी प्रबंधन और निजी अनुदान व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, हालांकि अब भी राज्य की भूमिका बहुत बड़ी है।
- \* प्राथमिक स्तर से ऊपर की सरकारी मदद वाली शिक्षा संस्थाओं में संसाधन जुटाने के लिए धीरे-धीरे फीस बढ़ाई जा रही है। बहरहाल, फीस बढ़ाने के साथ ही गरीब छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा के पर्याप्त प्राविधान करने होंगे ताकि वे स्कूली शिक्षा से वंचित न रहें।
- \* निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देने की जरूरत है लेकिन सरकार को शोषण रोकने तथा न्यूनतम नियम बरतने हेतु सावधान निरीक्षण भी करना चाहिए।
- \* वंचित समूहों की शैक्षिक क्षमता को विकसित करने के लिए और अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

**निष्कर्षतः** इस बात के स्पष्ट प्रमाण दिखाई दे रहे हैं कि हाल के वर्षों में उ.प्र. के प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। विकेंद्रीकरण में बढ़ोतरी, निजी क्षेत्र को बढ़ावा और फीस की संरचना में सुधार जैसे कदम अब शिक्षा के उच्चस्तरों में अपना योगदान बढ़ाएंगे। संसाधनों में बढ़ोतरी के साथ ही राज्य नीति को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षा में संभवतम एक सीमा तक समानता बनाए रखी जाए।

## स्वास्थ्य की स्थिति

“किसी भी राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति उसकी जनता है और विकास का उद्देश्य जनता के लिए लम्बी, स्वास्थ्य तथा रचनात्मक *thou* जीने का माहौल बनाना है।”

— पहला मानव विकास प्रतिवेदन, 1990


1983 तक अलमा अता घोषणा के पहले तक, भारत की कोई स्वास्थ्य नीति नहीं थी। अलमा अता घोषणा में 2000 ई. तक सबके लिए स्वास्थ्य प्राप्त करने की मांग की गई और प्राथमिक स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया गया। **bl ds QyLo: i** भारतीय स्वास्थ्य नीति वक्तव्य 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य की पुष्टि करता है। यह लक्ष्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के सार्वभौमिक प्राविधान से प्राप्त होगा। 1982 में राष्ट्रीय नीति घोषणा का अंग ‘सबके लिए स्वास्थ्य’ बना।

उ.प्र. में पोषण संबंधी विशेष कार्यक्रम, शुद्ध पेयजल और सफाई के *ilko/ku*, व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम, जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम, व्यक्तिगत सफाई संबंधी *ilfkfed* स्वास्थ्य शिक्षा और *o; olkf; d* स्वास्थ्य सेवाएं संचालित की जा रही हैं। मलेरिया, हैजा, दृष्टिहीनता, घेंघा और कुष्ठ जैसी बड़ी बीमारियों से निपटने के लिए विशेष कार्यक्रम भी संचालित किये जा रहे हैं।

हालांकि उ.प्र. में सार्वजनिक क्षेत्र में काफी बड़ी स्वास्थ्य *voLFkiki uk* है लेकिन सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए केवल 9 प्रतिशत लोग ही इस सुविधा का *mi ; kx* करते हैं। अधिकांशतः लोग निजी स्वास्थ्य सेवाओं की सहायता लेते हैं। निजी क्षेत्र में ये सुविधाएं प्रदान करने वाले अधिकांश वैद्य और झाड़ फूंक करने वाले हैं।

उ.प्र. में स्वास्थ्य की स्थिति *ekuo fodkl grq , d pwlkth* है और यह देश में सबसे कम जीवन प्रत्याशा वाले राज्यों में से एक है। एस.आर.एस. अनुमानों के अनुसार उ.प्र. में सकल मृत्यु दर समूचे देश की तुलना में अधिक है। चित्र 4.1 में भारत, उ.प्र. और केरल (जहां भारत में सबसे कम मृत्यु दर है) में *vifjiDo* मृत्यु दर (सी.डी.आर.) के अस्थायी प्रवृत्ति को दिखाया गया है।

1971 में भारत की *vifjiDo* मृत्यु दर (सी.डी.आर.) प्रति हजार की जनसंख्या में 14.9 थी, जबकि उ.प्र. में 20.1 थी। 1981 में यही आंकड़े क्रमशः 12.5 और 16.3 थे। यही अंतराल 1991 में भी जारी रहा, भारत का



औसत तो 9.8 था लेकिन उ.प्र. का 11.3 था। इस तरह पिछले वर्षों में सकल मृत्यु दर में गिरावट के बावजूद उ.प्र. का सी.डी.आर. राष्ट्रीय औसत से इन सभी वर्षों में काफी कम रहा। हालांकि केरल में मृत्यु दर 1981 से लगभग स्थिर है।


उ.प्र. में जच्चा-बच्चा मृत्यु दर पूरे देश में सबसे अधिक है। क्षय रोग और कुष्ठ जैसी अनेक बड़ी संक्रामक बीमारियों की भी अधिकता है। जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य की हालत खराब है और अब एड्स का भूत भी आ पहुंचा है। जुलाई 2000 के अंत तक अनुमानतः 259 लोग एड्स के मरीज थे और 889 लोगों में इसकी शुरुआत हो चुकी थी।

स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सामाजिक *ilfkfr* से *fu/kkfjr* होती है। गरीबों में शिशु मृत्यु दर ढाई गुना अधिक है। इसके *lkfk gh* जनसंख्या के निचले 20 प्रतिशत पर ऊपर के 20 प्रतिशत की तुलना में सार्वजनिक संसाधनों का कम ही हिस्सा खर्च किया जाता है।

नए-नए समाधानों से कुछ *vk' k* पैदा हो सकती है। उदाहरण के लिए सस्ती “दाई किट” ने जच्चा-बच्चा मृत्यु दर को घटाने में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। हालांकि राज्य में स्वास्थ्य रक्षा पर अपेक्षाकृत कम खर्च किया जाता है और ज्यादातर पैसा वेतन की मांग पूरी करने में खर्च हो जाता है लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जच्चा-बच्चा मृत्यु दर में कमी सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक प्रारम्भिक उपायों से आई है।

### जन्म के समय जीवन प्रत्याशा

जन्म के समय जीवन प्रत्याशा खुशहाली के प्रमुख सूचकों में से एक है। 1970-75 में उ.प्र. में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 43 वर्ष की थी। यह राष्ट्रीय औसत से 6 वर्ष और केरल से 19 वर्ष कम थी (जहां सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा है)। 1992-96 में जीवन प्रत्याशा 43 से बढ़कर 57 हुई। फिर भी यह राष्ट्रीय औसत, 60.7 वर्ष, से कम थी। पुरुष और महिला जीवन प्रत्याशा में अंतर भी 1970-75 में 5 वर्ष था जो 1992-96 में घटकर यह 1.3 वर्ष रह गया। 1991 में उ.प्र. में जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा 61.8 वर्ष थी।





इस प्रतिवेदन के लिए उ.प्र. में जिला और क्षेत्र स्तर पर जीवन प्रत्याशा का वृद्धि गत गया है, लेकिन पद्धतिगत कारणों के चलते ये वृद्धि ऊपर वर्णित राज्यस्तरीय एस.आर.एस. वृद्धि से तुलनीय नहीं हैं। बहरहाल, उनसे क्षेत्रों/जिलों में जनसंख्या के स्वास्थ्य की स्थिति में अंतर का पता चलता है।

उ.प्र. के जिलों के जीवन प्रत्याशा असमान तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। 1991 में उत्तर प्रदेश क्षेत्र में जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक (66.6 वर्ष) थी। यह क्षेत्र अब उत्तरांचल राज्य में है। अन्य क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा के मामले में बहुत अंतर नहीं दिखाई पड़ा। पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में 62 वर्ष की समान जीवन प्रत्याशा है जबकि बुंदेलखंड का आंकड़ा कुछ कम 60.3 वर्ष है।

विभाजित उ.प्र. के जिलों में बलिया और कानपुर नगर ऐसे जिले हैं जहां जन्म के समय सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा क्रमशः 74.4 वर्ष और 74.3 वर्ष है। इसके बाद गाजियाबाद में 70.1 वर्ष है। इस तरह पश्चिमी क्षेत्र में गाजियाबाद में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा थी। इसके बाद आगरा और मेरठ हैं। इन जिलों में शहरी जनसंख्या अधिक है। इस क्षेत्र में सबसे कम जीवन प्रत्याशा अधिकतर ग्रामीण और अपेक्षाकृत पिछड़े जिलों, बदायूं (51.8 वर्ष), शाहजहांपुर (56 वर्ष) और एटा (56.3 वर्ष) में दिखाई पड़ी।

मध्य क्षेत्र में शहरी औद्योगिक कानपुर नगर में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा थी। उसके बाद लखनऊ (69.5 वर्ष) था। सबसे कम जीवन प्रत्याशा हरदोई (53.6 वर्ष), राय बरेली (56.7 वर्ष) और फतेहपुर (58.8 वर्ष) में थी। पूर्वी क्षेत्र में बलिया में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा थी। इसके बाद गाजीपुर (68.3 वर्ष), गोरखपुर (66.7 वर्ष) और मऊ (66.5 वर्ष) आते हैं। सात जिलों में जीवन प्रत्याशा 60 वर्ष से कम थी। बहराइच में सबसे कम 54.4 वर्ष थी। बुंदेलखंड क्षेत्र के पांच जिलों में झांसी में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा 62.5 वर्ष थी, जबकि ललितपुर में सबसे कम 57.3 वर्ष थी। कम जीवन प्रत्याशा वाले जिलों का सबसे बड़ा घेरा पूर्वी उ.प्र. में है। यह भी ध्यान में रखना होगा कि पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं और उ.प्र. की जनसंख्या सबसे अधिक इसी क्षेत्र में निवास करती है।

महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों से काफी कम है। केवल सात जिलों में महिला जीवन प्रत्याशा, पुरुष जीवन प्रत्याशा से अधिक दिखाई पड़ी। इनमें से दो जिले, सहारनपुर और लखीमपुर खीरी, उत्तरांचल राज्य के नजदीक स्थित हैं। इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि उ.प्र. के मुकाबले बहुत छोटे राज्य उत्तरांचल में महिलाओं की प्रबल जीवन प्रत्याशा वाले पांच जिले हैं।

अधिकांश जिलों में पुरुष और महिला जीवन प्रत्याशा में अंतर अधिक है। आठ जिलों में तो यह अंतर पुरुषों के पक्ष में चार वर्ष या उससे अधिक है। दिलचस्प है कि इनमें से चार जिले पश्चिमी क्षेत्र में और तीन पूर्वी क्षेत्र में स्थित हैं। कुछेक जिलों में यह अनुपात महिलाओं के पक्ष में झुका हुआ है लेकिन अंतर बहुत कम है। इस प्रकार उ.प्र. में महिलाएं लगभग सार्वभौमिक भेदभाव की शिकार हैं।

### मृत्यु-दर की चुनौती

समय बीतने के साथ उ.प्र. में मृत्यु-दर सूचकांकों में कुछ सुधार आया है। फिर भी, शिशु, बाल और जच्चा मृत्यु दरें देश में सर्वाधिक हैं। ग्रामीण और शहरी मृत्यु दरों में अंतर बना हुआ है। हालांकि पिछले 1990 के वर्षों में इसमें कमी आई है। राज्य में आंकड़ा मृत्यु का वृद्धि 1971 में 20.1 प्रति हजार था कि 1997 में गिरकर 10.3 हो गया। ग्रामीण मृत्यु दर की दे


21.1 प्रति हजार से 10.7 हो गई तथा शहरी मृत्यु दर में 13.1 प्रति हजार से 8.2। यह देखा जा सकता है कि 1990 के बाद शिशु मृत्यु दर में आई तेज दे

बालिका मृत्यु का अनुपात बालक मृत्यु की तुलना में 1.24 था। यही अनुपात पांच वर्ष से कम की सभी मृत्यु दरों का है। बहरहाल, सबसे बड़ा अंतर तो बाल मृत्यु दर में है। इससे एक से पांच वर्ष की आयु में मृत्यु के खतरों का पता चलता है। इसमें बालिकाओं का अनुपात बालकों की तुलना में 1992-93 में 1.70 था तथा 1998-99 में 1.85 (एन.एफ.एच.एस.- 1 और 2)। इस तरह, जन्म के समय बालिका शिशु को प्राकृतिक शारीरिक लाभ हासिल होता है लेकिन इस तथ्य को सामाजिक हानियां को दूर कर देती हैं।

### शिशु मृत्यु दर

शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) से अभिप्राय उन बच्चों की संख्या से है, जो प्रति हजार जन्मों में से एक वर्ष की आयु तक जीवित नहीं रह पाते। आई.एम.आर. और बाल मृत्यु दर (सी.एम.आर.) का सीधा संबंध जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य की स्थिति से तो है ही, वे किसी समाज में स्वास्थ्य की कुल स्थिति और स्वास्थ्य प्राविधानों के प्रति भी संवेदनशील होते हैं। दुर्भाग्यवश उ.प्र. में शिशु मृत्यु दर देश भर में उड़ीसा के ठीक बाद दूसरे नंबर पर है। उड़ीसा में शिशु मृत्यु दर देश में सर्वाधिक है। हालांकि उ.प्र. में आई.एम.आर. में पिछले अनेक दशकों में दे

एस.आर.एस. के आंकड़ों के अनुसार 1971 में राज्य में आई.एम.आर. प्रति 1000 जन्मों में 167 था। जो 129 के राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक था। 1981 में घटकर यह 150 हुआ लेकिन तब भी 119 के राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक था। 1995 में यह 86 था जबकि राष्ट्रीय आंकड़ा 74 था। 1999 के आते आते उ.प्र. में आई.एम.आर. घटकर महज 84 रह गया। इस तरह हालांकि राज्य में समय के साथ आई.एम.आर. घट रहा है लेकिन यह राष्ट्रीय औसत से हमेशा ही अधिक रहा है।




चित्र 4.3 में यह देखा जा सकता है कि उ.प्र. में ग्रामीण आई.एम.आर. शहरी आई.एम.आर. से अधिक रहा है। इससे ग्रामीण जनसंख्या के अपेक्षाकृत खराब स्वास्थ्य का पता चलता है। बालकों के आई.एम.आर. के मुकाबले बालिकाओं का आई.एम.आर. अधिक रहा है। ऐसा खासकर उ.प्र. के ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है जहां 1982 में बालिका शिशुओं का आई.एम.आर.



162 था और clyd शिशु का आई.एम.आर. 150 था। 1999 में ग्रामीण क्षेत्र में बालिका और बालक का आई.एम. आर. घटकर क्रमशः 91.1 और 82.7 हो गया।

विभिन्न क्षेत्रों के आई.एम.आर. में खासी भिन्नता दिखाई पड़ती है। एन.एफ.एच.एस. (1998-99) के अनुसार मध्य उ.प्र. में सर्वाधिक आई.एम.आर. 122.4 था। इसके बाद बुंदेलखंड (118) और पूर्वी उ.प्र. (97.8) आते हैं। पश्चिमी क्षेत्र में सबसे कम आई.एम.आर., 81.8, था। उ.प्र. में सी.एम.आर. भी काफी अधिक है और आई.एम.आर. के ही अनुरूप चलता है।



uotkr शिशुओं और बच्चों की ऊँची मृत्यु दर के लिए अनेक प्रत्यक्ष कारक जिम्मेदार हैं। इनमें शामिल हैं—कम साक्षरता और अज्ञानता, गर्भवती माताओं के पोषण की खराब स्थिति, यथोचित जन्म पूर्व देख-रेख का अभाव, प्रसव Lfky पर सफाई न होना, शिशुओं तथा बच्चों को होने वाली पेट की, सांस की तथा अन्य बीमारियां।

1971 में उ.प्र. में पैदा होनेवाले प्रति हजार बच्चों में 13.3 ejs cPPks išk gq FkA और जन्म के आसपास (जिसमें ertkr vj्ज जन्म के एक सप्ताह के भीतर मरनेवाले बच्चे शामिल हैं) dh मृत्यु दर 69.4 थी। नवजात मृत्यु दर (जन्म के 28 दिन के भीतर मरने वाले बच्चे) 99.2 थी जबकि जन्म के पश्चात मृत्यु दर (जन्म के बाद 28 दिन से लेकर 1 वर्ष तक मरने वाले बच्चे) 67.8 थी। 1997 तक er išk gq cPpk dh nj, जन्म के आसपास मृत्युदर और नवजात मृत्युदर (सभी माता के पोषण की स्थिति और प्रसव से जुड़ी हुई स्थितियों के प्रति संवेदनशील हैं) अधिक तो थीं लेकिन क्रमशः 7.8, 45.6 और 51.1 तक कम हो गई थीं।

शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर, निवास, शिक्षा, धर्म और जाति जैसी सामाजिक विशेषताओं से काफी प्रभावित होती हैं। बच्चे का लिंग, जन्म के समय माता की आयु, जन्म क्रम और जन्मों के बीच अंतराल जैसी जनांकिकीय विशेषताओं का भी इन पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आई.एम.आर. शहरी क्षेत्रों से दोगुनी है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में शहरी बच्चों के मुकाबले खतरा पांच गुना अधिक पांच वर्ष पूरा करने से पहले मर जाने का होता है। लगभग दो-तिहाई शिशुओं की मृत्यु नवजात काल में होती है। माता की शिक्षा में बढ़ोतरी के साथ शिशु मृत्यु दर तेजी से गिरने लगती है। निरक्षर महिलाओं को पैदा होने वाले प्रति एक हजार शिशुओं

में आई.एम.आर. 127 होता है। इसके foijhr शिक्षित माताओं के बच्चों में यही दर 55 होती है।

मृत्यु दर vuęku बताते हैं कि बच्चे के जन्म के समय माता की आयु से इसका संबंध U आकार का होता है। 20 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक आयु की माताओं के बच्चों में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक होती है। यह भी देखा गया है [d] बच्चों के जन्म में अंतराल से बच्चों के जीवित रहने के अवसर बहुत बढ़ जाते हैं। जिन बच्चों के जन्म से 24 महीने से कम अंतराल में पिछला बच्चा पैदा हुआ था उनमें शिशु मृत्यु दर, 48 महीने या उससे अधिक के अंतराल वाले बच्चों के मुकाबले तीन गुना अधिक होती है (एन.एफ.एच.एस. 1992-93)। पारंपरिक तौर पर पूरा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम वंध्याकरण की ओर लक्षित होता है। उपर्युक्त उदाहरण बताता है कि बच्चों के बीच अंतराल के तरीके इस कार्यक्रम का आधार होना चाहिए था। इससे उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर में delh आ सकती थी। यदि इंडोनेशिया जैसे कुछ अन्य देशों तथा तमिलनाडु और केरल जैसे अन्य राज्यों के उदाहरण पर fo'okl किया जाए तो आई.एम.आर. में delh जनसंख्या पर नियंत्रण भी सुनिश्चित करता है। अतः नीतिगत स्तर पर महिलाओं के गर्भ धारण आचरण में परिवर्तन बच्चों की मृत्यु के खतरों को काफी कम कर देता है।

### अस्वस्थता दर की चुनौतियां

अकाल मृत्यु और गैर जानलेवा बीमारियों से अपंगता (अपंगता समायोजित जीवन वर्ष [डी.ए.एल.वाई.] के रूप में आकलित) के dkj.k सम्मिलित {kfr बहुत अधिक हैं। भारत के 6 राज्यों में डी.ए.एल.वाई. {kfr के अनुमान बताते हैं कि उ.प्र., 273.2 डी.ए.एल.वाई. के कारण, अब तक fo'yfkr सभी भारतीय राज्यों में सर्वाधिक हानि दर वाला राज्य है (विश्व बैंक 2000)। बीमारियों का कारणवार विश्लेषण बताता है कि अकाल मृत्यु और अपंगता का सबसे बड़ा कारण 'ग्रुप 1' की बीमारियां कहा जा सकता है। ये बीमारियां संक्रामक बीमारियां, कुपोषण, और जन्म के le; आस-पास की परिस्थितियों से होती हैं। बीमारियों का यह LO: i गरीब जनसंख्या में |kekj; है।

अतः राज्य के बीमारी बोझ का बड़ा Hkx वे बीमारियां हैं जिनकी रोकथाम या नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। संक्रामक बीमारियों के अतिरिक्त मधुमेह, दमा, हृदय धमनी में गड़बड़ी और कैंसर जैसी असंक्रामक बीमारियों की व्यापकता भी तेजी से बढ़ रही है।

राज्य में अस्वस्थता की स्थिति की व्यापक तस्वीर अस्वस्थता और स्वास्थ्य रक्षा सुविधाओं के उपयोग से संबंधित एन.एस.एस. के 52वें दौर (1995-96) के सर्वेक्षण में आत्मकथित बीमारियों के आंकड़ों से समझी जा सकती है। बीमारियों का वर्गीकरण डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा बीमारियों के दसवें अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण (आई.सी.डी.-X) के अनुसार किया गया है। छोटी बीमारियों का आंकड़ा n'kk है कि दर्ज की गई 56 प्रतिशत vYi कालीन बीमारियां संक्रामक और परजीवी बीमारियों की Jskh में आती थीं जो uxjh; क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक थी। इस Jskh ea vYi dkyhu c[kj dk vdk सबसे अधिक (दर्ज की गई सभी बीमारियों में 38.6 प्रतिशत) Fk। इसके बाद पेचिश और गैस्ट्रोएंटराइटिस (7.88 प्रतिशत) थे। श्वास संबंधी बीमारियां भी (ए.आर.आई. और ब्रोंकाइटिस) vYi कालीन बीमारियों का 10 प्रतिशत थीं। कुल मिलाकर अस्वस्थता के मामले, uxjh; {ksh dh vi{kk ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक थे।

ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल में दाखिल मामलों में 92 प्रतिशत संक्रामक और परजीवी कोटि के fo'kkcj पेचिश और गैस्ट्रोएंटराइटिस के मामले थे। इससे पेयजल की खराब गुणवत्ता और सफाई तथा स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी

तालिका 4.1 : उ.प्र. में दर्ज बीमारों का बीमारीवार वितरण

बीमारियाँ	कुल दर्ज मामलों में छोटी बीमारियाँ			मामलों का प्रतिशत अस्पताल जाने योग्य बीमारियाँ		
	ग्रामीण	UXJH	कुल	ग्रामीण	UXJH	कुल
संक्रामक और परजीवी नियोप्लाज्म	56.21	54.86	55.98	92.07	20.19	91.00
एंडोक्राइन, पोषण संबंधी और शरीर रचना की गड़बड़ी	0.33	0.60	0.37	0.17	6.29	0.26
रक्त और रक्त निर्माता अंगों की बीमारी	0.73	1.02	0.78	0.07	1.04	0.09
मानसिक, साइको न्यूराटिक और व्यक्तित्व संबंधी गड़बड़ी	0.21	0.28	0.22	0.06	0.91	0.07
स्नायु तंत्र और इंद्रियों की बीमारी	0.67	0.26	0.60	0.07	0.79	0.08
रक्त संचार तंत्र की बीमारी	2.89	3.31	2.96	0.34	6.06	0.43
श्वस तंत्र की बीमारी	1.35	6.19	2.16	0.16	9.25	0.30
पाचन तंत्र की बीमारी	10.58	8.97	10.31	0.11	2.97	0.15
जनन-मूत्र तंत्र की बीमारी	2.45	2.21	2.41	0.14	2.52	0.17
गर्भ और प्रसव संबंधी बीमारियाँ	0.90	1.65	1.02	0.22	6.11	0.31
चर्म और पेशी तंत्र की बीमारी	0.57	0.92	0.63	0.31	7.54	0.42
दुर्घटना और चोट	0.91	1.03	0.93	0.01	0.34	0.02
अन्य बीमारियाँ	1.63	2.22	1.73	0.32	11.12	0.48
कुल	20.60	16.48	19.91	5.94	24.86	6.22
कुल	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

स्रोत : राष्ट्रीय प्रतीक सर्वेक्षण 52वां आवृत्ति (1995-96)

सुविधाओं के अभाव की व्यापक समस्या का पता चलता है। UXJH; क्षेत्रों में पेचिश के मामले कम थे और अस्पताल में दाखिल होनेवाले मामलों का 10.5 प्रतिशत ही थे। कुल मिलाकर संक्रामक और परजीवी बीमारियाँ अस्पताल में दाखिल होने वाले मामलों का 20 प्रतिशत थीं। इस तरह के (अस्पताल) मामलों में UXJH; क्षेत्रों में कैंसर और अन्य ट्यूमर 10% थे। वे इन मामलों का 6 प्रतिशत थे। UXJH; क्षेत्रों में अन्य प्रमुख बीमारियाँ थीं : रक्त संचार तंत्र की बीमारियाँ, दुर्घटनाओं से होने वाली क्षति, गर्भावस्था से जुड़ी बीमारियाँ, स्नायु तंत्र और संवेदन तंत्र की बीमारियाँ तथा हड्डी और किडनी की गड़बड़ी।

चिरकालिक बीमारियाँ ग्रामीण क्षेत्रों के विपक्ष में बहुत अधिक हैं लेकिन उसका कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित होने वाली संक्रामक और परजीवी बीमारियाँ UXJH; क्षेत्रों में बहुत कम हैं। मलेरिया, क्षयरोग, कुष्ठ, पेचिश और खसरा जैसी बीमारियाँ अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित हैं।

कुष्ठ रोग का एन.एफ.एच.एस. ने 1992-93 के अपने पहले ही सर्वे में यह सर्वेक्षण किया था कि उ.प्र. में कुष्ठ रोग की व्यापकता दर 222 मामले प्रति लाख जनसंख्या थी और यह आंकड़ा 120 मामले प्रति लाख जनसंख्या के राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक था। इसकी व्यापकता UXJH; क्षेत्रों के विपक्ष में अधिक थी।

मलेरिया संबंधी आंकड़े आर.सी.एच.एस. और एच.एफ.एच.एस. दोनों में ही उपलब्ध हैं। इन सर्वेक्षणों की सभी बीमारियों में इसका होना सर्वाधिक पाया गया। बहरहाल, उ.प्र. में मलेरिया में काफी देरी आई है। 1992-93

में यह प्रति लाख जनसंख्या पर 7395 थी लेकिन 1998-99 में घटकर 3552 रह गई। यह संख्या राष्ट्रीय औसत से 10% अधिक है। इससे उ.प्र. में मलेरिया की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होने का पता चलता है। इसकी व्यापकता ग्रामीण क्षेत्रों के विपक्ष में अधिक थी।

दोनों ही क्षेत्रों में इसका होना पुरुषों के विपक्ष में महिलाओं में अधिक है लेकिन ऐसा UXJH; क्षेत्रों में ज्यादा है। आर.सी.एच.एस.(1998) के जिलेवार आंकड़े बताते हैं कि पश्चिमी उ.प्र. में बिजनौर और मध्य उ.प्र. में लखीमपुर खीरी, फतेहपुर, कानपुर नगर तथा पूर्वी उ.प्र. में बहराइच में यह बीमारी सबसे अधिक हुई। यह उल्लेखनीय है कि ऊँची दर वाले जिलों में अधिकांश वे हैं जो तराई में हैं या कानपुरनगर जैसे जिले हैं जहाँ सफाई और स्वास्थ्य की अपेक्षाकृत स्थिति खराब है।

दृष्टिहीनता बहुत बड़ी जनसंख्या को प्रभावित करती है। संपूर्ण दृष्टिहीनता का सकल स्तर 5 प्रति हजार है (एन.एफ.एच.एस. 1998-99)। ग्रामीण लोग (6 प्रति हजार) UXJH; लोगों (3 प्रति हजार) के विपक्ष में दो गुना संपूर्ण दृष्टिहीनता के शिकार हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े जिलों में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं संपूर्ण दृष्टिहीनता से थोड़ा अधिक प्रभावित हैं और UXJH; क्षेत्रों में थोड़ा कम प्रभावित हैं। लेकिन यह अंतर बहुत मामूली है, 0.1 प्रतिशत। संपूर्ण दृष्टिहीनता की स्थिति 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में 15-59 वर्ष आयु के लोगों से पांच से दस गुना अधिक है। हालांकि संपूर्ण दृष्टिहीनता 0-14 वर्ष आयु वर्ग के लोगों में 15-59 वर्ष आयु वर्ग के लोगों से अधिक है लेकिन अंतर कोई 1% नहीं है।

एन.एफ.एच.एस. के अनुसार क्षयरोग (टी.बी.) की कुल व्यापकता दर 1992-93 में 560 प्रति लाख जनसंख्या थी। 1998-99 में थोड़ा  $de\ gksj$  यह 551 प्रति लाख जनसंख्या हुई। ;  $fi$ , दोनों ही वर्षों में उ.प्र. का आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से अधिक था।  $uxjh$ ; क्षेत्रों की  $visk$  ग्रामीण क्षेत्रों में टी.बी. की व्यापकता अधिक थी। 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या में इसकी व्यापकता सबसे अधिक थी। मध्य उ.प्र. में [फतेहपुर] पश्चिमी उ.प्र. में [सहारनपुर, मेरठ] बुंदेलखंड में जालौन तथा पूर्वी उ.प्र. में  $okj.kl$  में इस बीमारी का होना सबसे अधिक दिखाई पड़ता है। आमतौर पर कहा जाता है कि इस बीमारी की व्यापकता पश्चिमी और मध्य उ.प्र. में अधिक है।

एन.एफ.एच.एस. (1998-99) द्वारा दमा और पीलिया का भी सर्वेक्षण किया गया था। राज्य में दमे की व्यापकता बहुत अधिक है और मरीजों  $dh\ vfk/d\ l$ ;  $k$  60 वर्ष से ऊपर की आयु में है। इस तरह यह बीमारी मुख्यतः वृद्ध लोगों को प्रभावित करती है। दमे की कुल व्यापकता 1979 मरीज प्रति लाख जनसंख्या है। दमे की व्यापकता  $uxjh$ ; क्षेत्रों के  $visk$  ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में इसकी व्यापकता अधिक है।

पीलिया भारत में व्याप्त सबसे आम संक्रामक बीमारियों में से एक है। इसका कारण सफाई की खराब स्थिति और प्रदूषित खान-पान है। एन.एफ.एच.एस. (1998-99) के 12 महीने पहले पीलिया के 963 मामले प्रति लाख जनसंख्या  $vfd\ dh\ xba$  पीलिया का होना ग्रामीण क्षेत्रों (943) के  $visk\ uxjh$ ; क्षेत्रों (1037) में अधिक था। यह प्रवृत्ति अब तक देखी गई प्रवृत्ति के विपरीत थी। इससे शहरी क्षेत्रों में सफाई की खराब स्थिति का पता चलता है। जहां तक पुरुषों की बात है उनमें  $uxjh$ ; क्षेत्रों के  $visk$  ग्रामीण क्षेत्रों में पीलिया अधिक हुआ। कुल मिलाकर महिलाओं के  $visk$  पुरुषों में पीलिया की व्यापकता अधिक थी। 15-59 वर्ष आयु वर्ग में इसकी व्यापकता सबसे अधिक थी।

### बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति

उ.प्र. में बच्चों के स्वास्थ्य का विश्लेषण प्रमुखतः एन.एफ.एच.एस. (1992-93 और 1998-99) तथा आर.सी.एच.एस. (1998) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित है। ये आंकड़े बच्चों की कुछ आम बीमारियों, उनके टीकाकरण की स्थिति और उनके पोषण की स्थिति से संबंधित हैं।

### बचपन की पेचिश, खसरा और गहन श्वास अवरोध ( ए.आर.आई. )

बच्चों को  $l\ kklr; k$  होने वाली तीन प्रमुख बीमारियों (बचपन की पेचिश, खसरा और गहन श्वास अवरोध [ ए.आर.आई. ] ) से संबंधित आंकड़े एन.एफ.एच.एस. में उपलब्ध हैं। उ.प्र. में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु का प्रमुख  $dkj.k$  पेचिश है। 03-59 माह के बीच के लगभग 37 प्रतिशत बच्चे पेचिश से ग्रस्त हैं ( आर.सी.एच.एस. 1998 )। लड़कियों और लड़कों में पेचिश की व्यापकता एक समान है। तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों में इसकी व्यापकता ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है।


$vuk$  के अनुसार ही अधिक शिक्षित माताओं के बच्चों में पेचिश की व्यापकता कम है। निरक्षर माताओं के 23 प्रतिशत बच्चे पेचिश के शिकार होते हैं। इसके  $visk$  हाईस्कूल और उससे अधिक शिक्षित माताओं के 8 प्रतिशत बच्चे ही  $bl\ l\ s\ i\ h\ k\ for\ gks$  हैं ( आर.सी.एच.एस. 1998 )। पानी की कमी से होने वाली समस्त  $er; p/ks$  में पेचिश से  $er; p/ks$  अनुपात काफी अधिक है। यथोचित जल प्रबन्धन के द्वारा इन्हें रोका जा सकता था। केवल 36 प्रतिशत माताओं ने कभी ओ.आर.एस.पैकेटों का  $mi; ks$  किया था या उन्हें पानी की कमी से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए धरेलू घोलों की सलाह दी गई थी।

एन.एफ.एच.एस. 1998-99 द्वारा सर्वेक्षित तीन बीमारियों में बुखार की व्यापकता सबसे अधिक थी। 28 प्रतिशत बच्चों के बारे में पता चला कि वे सर्वेक्षण के दो सप्ताह पहले इस  $s\ i\ h\ k\ for\ gq\ fks$  क्षेत्रीय  $fp=k\ n'k\ rk$  है कि मध्य उ.प्र. में बुखार की व्यापकता सबसे अधिक थी। इसके बाद पूर्वी, पश्चिमी, बुंदेलखंड और  $i\ orh$ ; क्षेत्र आते हैं।

उ.प्र. के बच्चों में प्रचलित अन्य प्रमुख बीमारियां खसरा और ए.आर.आई. थीं। खसरा और ए.आर.आई. पांच प्रतिशत से कम हुए थे। खसरा सबसे अधिक मध्य क्षेत्र में हुआ था। उ.प्र. में गरीबी से संबंधित विश्व बैंक प्रतिवेदन में बुंदेलखंड को राज्य के सबसे गरीब क्षेत्रों में से पाया था और यह क्षेत्र अधिकांश सामाजिक आर्थिक सूचकांकों में पीछे है ( विश्व बैंक, 2002 )। इसलिए इस क्षेत्र में बच्चों में बीमारियों की कम व्यापकता चौंकाने वाली है।  $bl\ rf; dh\ 0; k[; k$  जन्म के पश्चात् जल्दी ही बच्चे को स्तनपान कराने में निहित है। बुंदेलखंड में जनसंख्या का अपेक्षाकृत बड़ा हिस्सा प्रसव के एक घंटे के भीतर ही बच्चे को स्तनपान कराना शुरू कर देती है। ;  $g\ lo\ ofnr\ gs$  कि मां के पहले दूध में कोलस्ट्रम होता है जो बच्चों में बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोध विकसित करने में  $lgk; rk$  करता है।


### बच्चों के पोषण की स्थिति

एन.एफ.एच.एस. (1998-99) के अनुसार तीन वर्ष से कम आयु के 52 प्रतिशत बच्चों का वजन कम है और 56 प्रतिशत अपनी आयु के हिसाब से नाटे हैं या अविकसित हैं। राष्ट्रीय स्तर के अनुमानों के  $visk$  यह स्थिति प्रतिकूल है। राष्ट्रीय अनुमान क्रमशः 47 प्रतिशत और 46 प्रतिशत हैं। गंभीर कुपोषण के अनुमान अपनाए गए मापदंड के  $vud\ kj$  से अलग-अलग हैं। आयु के  $vud\ kj$  वजन के मापदंड से यह 22 प्रतिशत है और आयु के  $vud\ kj$  लंबाई के मापदंड से यह 31 प्रतिशत है। 1992-93 से 1998-99 के बीच कुछ मानकों में प्रगति हुई है लेकिन यह बहुत ही कम रही है। तीन वर्ष से कम आयु के कम वजन बच्चों का प्रतिशत 57 से घटकर 52 हुआ है और गंभीर रूप से कम वजन वालों का अनुपात 24 प्रतिशत से घटकर 22 प्रतिशत हुआ है।



गरीब घरों के बच्चों में अमीर घरों के बच्चों के  $visk$  डेढ़ गुना अधिक कम वजन और अविकसित होने की संभावना होती है। ;  $fi$  सभी क्षेत्रों का ही प्रदर्शन खराब है, लेकिन गरीबी से ग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में गंभीर रूप से कुपोषित और अविकसित बच्चों की संख्या सबसे अधिक है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विरुद्ध; क्षेत्रों में कुपोषण कम है। फिर भी, उ.प्र. में 74 प्रतिशत बच्चों में किसी न किसी तरह की रक्ताल्पता (Anaemia) है। 48 प्रतिशत मामूली या गंभीर रक्ताल्प बच्चे हैं। महिलाओं के मामले में यह आंकड़ा और भी अधिक है। रक्ताल्पता की व्यापकता ग्रामीण और उ.प्र. क्षेत्रों में एक समान ही दिखाई पड़ती है।




क्षेत्रों के स्तर पर रक्ताल्पता की सर्वाधिक व्यापकता मध्यक्षेत्र में विद्यमान की गई। इसके बाद पूर्व क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र हैं—सबसे रक्ताल्पता 79 प्रतिशत से अधिक है। पूर्वी क्षेत्र के बच्चों में अपेक्षाकृत कम दर, 72 प्रतिशत पाई गई, सबसे कम दर पश्चिमी उ.प्र. की (70.8 प्रतिशत) रही।

### बच्चों का टीकाकरण


एन.एफ.एच.एस. के अनुसार 1992-93 में 12 से 23 माह के बच्चों में से भारत में केवल लगभग 27.5 प्रतिशत का ही पूरी तरह से टीकाकरण हुआ था। उ.प्र. में तो यह प्रतिशत और भी कम 19.8 है। 1998-99 में राष्ट्रीय आंकड़ा 42 प्रतिशत की प्रशंसनीय हद तक बढ़ गया, ; ; संतोषजनक स्तर से कम ही रहा। इस क्षेत्र में उ.प्र. की प्रगति बहुत धीमी रही। इसमें 21.2 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी ही दिखाई पड़ी। ग्रामीण और उ.प्र. क्षेत्रों में आंकड़े बहुत नीचे थे, लेकिन उ.प्र. क्षेत्रों में अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों के विरुद्ध अधिक था। टीकाकरण के लिए प्रमुख बीमारियों के उन्मूलन और नियंत्रण की दिशा में हो जगसि शिक्षा लेनी होगी।

प्रमुख टीकों में पोलियो के विरुद्ध संपूर्ण प्रतिरोध उ.प्र. में 1992-93 में 37.1 प्रतिशत बच्चों में हो चुका था जबकि राष्ट्रीय औसत 53.4 प्रतिशत था। 1998-99 में बढ़कर यह 42.3 प्रतिशत हुआ जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यही बढ़त 62.8 प्रतिशत तक पहुंची।



ग्रामीण क्षेत्रों के विरुद्ध; क्षेत्रों में बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण का अनुपात अधिक था। टी.बी. के विरुद्ध प्रतिरोध (बी.सी.जी.) सर्वाधिक 57.2 प्रतिशत था। इसके बाद पोलियो (42.3 प्रतिशत), खसरा (34.6 प्रतिशत), और डिप्थीरिया, पर्तुसिस और टिटनस (डी.पी.टी.-33.9 प्रतिशत) आते हैं। पोलियो और डी.पी.टी. दोनों ही मामलों में प्रतिरोध की पहली खुराक तो काफी दी गई लेकिन बाद में अंतिम खुराक तक आते-आते संख्या काफी तेजी से गिर गई। इस तरह जनसंख्या का छोटा हिस्सा ही टीकाकरण का संपूर्ण चक्र पूरा कर पाता है। केवल 16 प्रतिशत बच्चों का ही 12 माह की आयु तक संपूर्ण टीकाकरण हुआ था। इसका अर्थ है कि संपूर्ण टीकाकरण वाले बच्चों में से एक-चौथाई का टीकाकरण जन्म के 12 माह की प्रदत्त अवधि के भीतर नहीं हो पाता। लड़कियों का संपूर्ण टीकाकरण 19 प्रतिशत है। लड़कों (24 प्रतिशत) का। विरुद्ध उनके टीकाकरण को कम वरीयता दी गई।

आर.सी.एच.एस. 1998-99 से लिखा जा रहा है कि केवल दो जिले ही ऐसे थे जहां 80 प्रतिशत से अधिक बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण हुआ था। राज्य का औसत 42 प्रतिशत था। 6



जिलों में संपूर्ण टीकाकरण स्तर 30 प्रतिशत से नीचे था। पश्चिमी क्षेत्र में यह आंकड़ा 35 से 40 प्रतिशत था गाजियाबाद में सबसे अधिक (51.4 प्रतिशत) और बदायूं तथा मुजफ्फरनगर में सबसे कम। मध्य उ.प्र. में सबसे अधिक लखनऊ में 74 प्रतिशत और फतेहपुर तथा उन्नाव में सबसे कम 35 प्रतिशत के बीच यह आंकड़ा रहा। बुंदेलखंड क्षेत्र में संपूर्ण टीकाकरण वाले बच्चों का अनुपात ललितपुर में सबसे अधिक (57 प्रतिशत) तथा बांदा में सबसे कम (28 प्रतिशत) था। पूर्वी उ.प्र. के जनपदों में यह प्रतिशत सर्वाधिक बलिया में (71.5 प्रतिशत) तथा सबसे कम सोनभद्र में (18.8 प्रतिशत) रहा।

प्रत्येक जिले में बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे थे जिनका कोई प्रतिरोधन नहीं हुआ था। चित्र 4.8 में इस मामले में सबसे अच्छा और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के बारे में बताया गया है।

राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम के  $VitA$  विटामिन ए की आपूर्ति ऐसे घोल के रूप में की जाती है जो प्रत्येक 6 माह पर 9 माह की आयु से शुरू होकर 35 माह की आयु तक दिया जाता है। सर्वेक्षण में पता चला कि  $1000$  बच्चों में से केवल 14 प्रतिशत को ही उ.प्र. में विटामिन ए की आपूर्ति की गई है।

### एन.एफ.ए. और महिला जीवन प्रत्याशा जैसे पूर्व $CDs$ सूचकांकों से $LiV$ $gls$ $l$ $ds$ उ.प्र. में

जच्चा स्वास्थ्य से जुड़े हुए कुछ सूचकांकों पर इस खंड में विचार किया गया है ताकि महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति  $LiV$   $gls$   $l$   $ds$  उ.प्र. में महिलाओं का स्वास्थ्य पुरुषों के  $Vi$   $gls$  काफी खराब है। ऐसा आई.एम.आर., सी.एम.आर. और महिला जीवन प्रत्याशा जैसे पूर्व  $CDs$  सूचकांकों से  $LiV$   $gls$   $l$   $ds$  है। अधिकतर ऐसा पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की निम्नतर सामाजिक स्थिति और उपेक्षा के कारण होता है। जच्चा स्वास्थ्य की विशेष समस्याओं पर आगे विचार किया जाएगा।

### जच्चा मृत्यु-दर

एस.आर.एस. के अनुसार प्रमुख राज्यों में उ.प्र. में जच्चा मृत्यु दर (प्रति एक लाख प्रसव पर जच्चा मृत्यु की संख्या) सबसे अधिक है। 1997 में उ.प्र. में अनुमानतः एक लाख प्रसव पर 707 जच्चों की मृत्यु हुई। केरल की  $Vi$   $gls$  यह संख्या  $yxHlx$  8 गुना है और राष्ट्रीय औसत, 436 से 70 प्रतिशत अधिक है।


1998-99 के आर.सी.एच. सर्वेक्षण में पाया गया कि मध्य, पश्चिमी और पूर्वी उ.प्र. में जच्चा मृत्यु की संख्या सबसे अधिक थी। कानपुर देहात, सहारनपुर और गाजीपुर में जच्चा  $ER$ ;  $V$  का अत्यंत ऊंचा स्तर  $V$  किया गया A

### प्रजनन स्वास्थ्य

भारत सरकार के प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वस्थ प्रजनन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं की देखभाल का समेकित पैकेज उपलब्ध कराना है जिसमें जन्मपूर्व देखभाल, रक्ताल्पता निरोधक उपाय, टिटनस टाक्साइड का टीका, अत्यंत  $tV$  प्रसवों का प्रबंधन, संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन, जन्म पश्चात देखरेख का प्राविधान तथा प्रजनन-तंत्र की बीमारियों का इलाज  $lfefyr$  हैं।

### प्रसव पूर्व देख-रेख

उ.प्र. में सभी गर्भवती महिलाओं में से केवल आधी को ही प्रसव पूर्व देख-रेख की सेवा मिलती है। केवल 35 प्रतिशत गर्भों में ही प्रसव पूर्व जांच होती है जिनमें से अधिकांश प्रसव डाक्टरों के यहां होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 0 प्रतिशत



प्रसव में कोई प्रसव पूर्व देखरेख नहीं होती,  $uxjh$ ; क्षेत्रों में यही आंकड़ा 34 प्रतिशत ही रह जाता है ( एन.एफ.एच.एस. 1998-99)। जिन प्रसवों में कोई प्रसव पूर्व देख-रेख नहीं होती उनका अनुपात पश्चिमी उ.प्र. में सबसे अधिक था।  $bl$   $ds$  बुंदेलखंड, पूर्वी और मध्य उ.प्र. आते हैं। पूर्वी  $l$   $OR$ ; क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहां 40 प्रतिशत से अधिक प्रसव में प्रसव पूर्व देखरेख  $iklr$  हुई थी। यह देखा गया है कि सवर्ण जातियों में प्रसव पूर्व जांच की संख्या सबसे अधिक है।  $bl$   $ds$   $ckn$   $vul$   $fpr$   $tkfr$   $tut$   $tkfr$  ,  $oa$   $fin$   $M$   $tkfr$   $dk$   $LF$   $ku$   $V$   $krk$   $g$

टिटनस टाक्साइड (टी.टी.) की सुई जिन्हें लगी थी उनका प्रतिशत 1992-93 में 37 प्रतिशत था लेकिन 1998-99 में बढ़कर 51 प्रतिशत हो गया ( एन.एफ.एच.एस.-2)। इससे पता चलता है कि राज्य सरकार के '  $ds$   $i$   $v$   $flk$ ;  $ku$  ' के कुछ सफल  $ifj$ .  $lke$  निकले हैं। जिन महिलाओं को आयरन की गोलियां दी गईं उनका प्रतिशत 1992-93 में 30 प्रतिशत से बढ़कर 1998-99 में 32 प्रतिशत ही हो सका। प्रसव पूर्व सेवाओं का उपयोग युवा महिलाओं (15-34 वर्ष) ने प्रौढ़ महिलाओं (35-49 वर्ष) की अपेक्षा अधिक किया।


$egroi$   $wkz$  है कि गोरखपुर में गर्भावस्था की जटिलताएं सबसे कम अनुपात में  $V$   $idr$  की गईं। उतना ही महत्वपूर्ण यह भी तथ्य है कि प्रसव और प्रसव के बाद की जटिलताओं के  $l$   $o$   $k$ ; में जिन महिलाओं ने इलाज कराया उनका प्रतिशत कानपुर नगर और गोरखपुर में सबसे अधिक रहा। यह  $uxjh$ ;  $dj$ .  $k$  और नागरिक समाज के हस्तक्षेपों का परिणाम हो सकता है। उदाहरण के लिए, गोरखपुर के  $yxHlx$  सभी ब्लाकों में कोई न कोई एन.जी.ओ. कार्यरत है और 1993-94 के बाद प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक कार्यदायी स्वयंसेवी संस्थाओं को स्टेट इनोवेशंस इन फेमिली प्लानिंग सर्विसेज प्रोजेक्ट एजेंसी (सिफसा) ने प्रोत्साहित किया और वित्तीय मदद दी।



## प्रसव कालीन देखरेख

1998-99 का आर.सी.एच.एस. सर्वेक्षण बताता है कि प्रसवों में से केवल 16.8 प्रतिशत संस्थागत थे। एन.एफ.एच.एस. 1998-99 के अनुसार संस्थागत प्रसवों का अनुपात 1992-93 में 11 प्रतिशत से बढ़कर 1998-99 में केवल 17 प्रतिशत हो सका। ये आंकड़े राष्ट्रीय औसत से काफी कम हैं जो 1992-93 में 26 प्रतिशत से बढ़कर 1998-99 में 34 प्रतिशत हो गया। पश्चिमी क्षेत्र के पांच जिलों के आंकड़े राज्य औसत से ऊपर थे। आगरा इनमें सबसे ऊपर था। सबसे नीचे बदायूं (6 प्रतिशत) था। मध्य क्षेत्र में अधिकांश जिलों का आंकड़ा राज्य औसत से कम था। केवल कानपुर नगर और लखनऊ में यह 25 प्रतिशत से अधिक था। हरदोई का आंकड़ा (5.3 प्रतिशत) सबसे कम था। बुंदेलखंड में दो जिलों का आंकड़ा ही 20 प्रतिशत से अधिक था। इनमें झांसी का आंकड़ा सबसे अधिक था और हमीरपुर में सांस्थानिक प्रसवों का सबसे कम अनुपात 12.3 प्रतिशत था। पूर्वी उ.प्र. के 10 जिलों में सांस्थानिक प्रसवों का प्रतिशत राज्य औसत से अधिक था। सबसे अधिक बलिया तथा सबसे कम सिद्धार्थनगर (6 प्रतिशत) में था इस तरह कुल मिलाकर संस्थागत प्रसवों के प्रतिशत का आंकड़ा राज्य में बहुत कम था जिनमें किसी भी जनपद में यह आंकड़ा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं था।

राज्य के समस्त प्रसवों में से एक चौथाई से भी कम में प्रशिक्षित लोगों का जगह मिल पाती है (आर.सी.एच.एस., 1998)। तीन चौथाई प्रसव



घरेलू अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में होते हैं। केवल 14.2 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय डाक्टरों से जगह मिली। सहायक नर्स और दाई (ए.एन.एम.) की मदद सिर्फ 8.1 प्रतिशत को मिली। पारंपरिक प्रसव सहायकों (टी.बी.ए.) से जगह पाने वालों का अनुपात बहुत अधिक, 34.6 प्रतिशत था लेकिन सबसे अधिक अनुपात, 42 प्रतिशत, ऐसे लोगों का था जिन्हें अन्य स्रोतों से जगह मिली (एन.एफ.एच.एस. 1998-99)। ऐसी स्थिति में यह आश्चर्य की बात नहीं कि उ.प्र. में जच्चा मृत्यु दर इतनी ज्यादा है।

लक्ष्य तो सबके लिए सांस्थानिक प्रसव उपलब्ध कराना होना चाहिए लेकिन अंतरिम तौर पर टी.बी.ए. और ग्रामीण चिकित्सकर्मियों (आर.एम.पी.) को 'दाई कितों' की पर्याप्त उपलब्धता के साथ बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इससे जच्चा मृत्यु दर में कमी आ सकती है।

## प्रसव पश्चात देखरेख

प्रसव पश्चात देख-रेख ग्रामीण क्षेत्रों के विपरीत; क्षेत्रों में अधिक होती है। विभिन्न क्षेत्रों में बुंदेलखंड में 3.7 प्रतिशत और मध्य क्षेत्र में 5.8 प्रतिशत प्रसव पश्चात जांच परख होती है। इसीलिए इन क्षेत्रों का प्रदर्शन ठीक खराब रहा। इनके मुकाबले पूर्वी क्षेत्र में यह अनुपात 7.5 प्रतिशत और निवर्तमान उत्तर; क्षेत्र में 8.8 प्रतिशत था।

## प्रजनन स्वास्थ्य समस्याएं

एन.एफ.एच.एस. 1998-99 के अनुसार प्रजनन स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में कुल 41 महिलाओं का अनुपात उ.प्र. में बहुत अधिक था—उत्तर; क्षेत्रों में 41 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 37 प्रतिशत। जिन महिलाओं ने प्रजनन स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बताया उनका अनुपात सबसे अधिक पश्चिमी उ.प्र. (48 प्रतिशत) में था। इसके बाद उत्तर; क्षेत्र और बुंदेलखंड (40-45 प्रतिशत) आते हैं। प्रजनन स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बताने वाली महिलाएं पूर्वी क्षेत्र में 35 प्रतिशत थीं जबकि सबसे कम आंकड़ा मध्य उ.प्र. में 23 प्रतिशत दर्ज किया गया। प्रजनन तंत्र में संक्रमण के लक्षण महिलाओं में बहुत अधिक दिखाई पड़े। यह सबसे अधिक पश्चिमी क्षेत्र में पाया गया। वहां रामपुर (59.2 प्रतिशत), मुरादाबाद (58 प्रतिशत) और पीलीभीत (56 प्रतिशत) जिलों का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। कुल 20 सोनभद्र को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में 20 प्रतिशत से अधिक महिलाओं के प्रजनन तंत्र में संक्रमण पाया गया।

उ.प्र. में प्रजनन स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही खराब है और इस क्षेत्र में दीर्घकालीन हस्तक्षेप की जरूरत है।

## महिलाओं के पोषण की स्थिति

राज्य में गंभीर कुपोषण की शिकार महिलाओं का प्रतिशत 1975-76 में 12.7 था। 1995 में गिरकर यह 5 प्रतिशत रह गया। इसी अवधि में मामूली कुपोषण भी 51.8 प्रतिशत से गिरकर 30 प्रतिशत पर आ गया। कुपोषण की व्यापकता सबसे अधिक पूर्वी क्षेत्र में है। इसी क्षेत्र में गंभीर कुपोषण के सबसे अधिक मामले भी दर्ज किए गए। ग्रामीण महिलाओं में कुपोषण उत्तर; महिलाओं का विपरीत अधिक है। पश्चिमी क्षेत्र के उत्तर; क्षेत्रों की महिलाओं में कुपोषण का स्तर सबसे कम था।

जिन महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले होता है वे इसके बाद विवाहित महिलाओं के विपरीत कम वजन की होती हैं। जिन महिलाओं को गर्भ के अंतिम तीन महीनों में बेहतर भोजन, आराम मिलता है और जो वजन नहीं उठातीं वे उन महिलाओं की अपेक्षा कम कुपोषित होती हैं जिनको पर्याप्त देखरेख नहीं मिलती। बहराइच (पूर्वी उ.प्र.) में महिलाओं का कुपोषण सबसे अधिक दिखाई पड़ा जबकि मुरादाबाद (पश्चिमी उ.प्र.) में सबसे कम। स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए विशेष ध्यान देने का विषय है कि राज्य की राजधानी वाला क्षेत्र (मध्य उ.प्र.) महिलाओं में सबसे अधिक कुपोषण वाले क्षेत्रों में से एक है।

मध्य और बुंदेलखंड क्षेत्रों में 18.5 बी.एम.आई. (बाडी मास इंडेक्स) वाली महिलाओं का अनुपात 40 प्रतिशत से अधिक था। इससे इन क्षेत्रों में दीर्घकालीन ऊर्जा अभाव (सी.ई.डी.) की ऊंची व्यापकता दर का पता चलता है।


जच्चा मृत्युदर और प्रजनन स्वास्थ्य समस्याओं का एक और प्रमुख कारण रक्ताल्पता है। लक्ष्य यह आयरन, फोलेट, विटामिन बी-12 और कुछ अन्य पोषकों के पोषण अभाव से पैदा होता है। अनुमान है कि उ.प्र. में 51 प्रतिशत महिलाओं में रक्ताल्पता नहीं है, 34 प्रतिशत में मामूली रक्ताल्पता

और 15 प्रतिशत में गंभीर रक्ताल्पता है। गर्भवती महिलाओं में मामूली और गंभीर रक्ताल्पता सबसे अधिक स्पष्ट थी। 15-19 वर्ष आयु वर्ग में रक्ताल्पता की व्यापकता दर सबसे अधिक (52.8 प्रतिशत) थी और उम्र बढ़ने के साथ इसमें मामूली *deh vifdr* की गई। ग्रामीण महिलाओं के *vi{kk uxjh*; महिलाओं में रक्ताल्पता की व्यापकता दर थोड़ी कम थी। सामाजिक समूहों के *ni"Vdksk* से रक्ताल्पता की व्यापकता दर अनुसूचित जनजाति में सबसे अधिक (53 प्रतिशत) थी। इसके बाद अनुसूचित जाति (52 प्रतिशत) और ओ.बी.सी. (51 प्रतिशत) आते हैं। ऊंची जातियों में रक्ताल्पता की व्यापकता दर सबसे कम (45.2 प्रतिशत) दिखाई पड़ी। आयरन की गोलियों (आई.एफ.ए.) का वितरण उ.प्र. में परिवार कल्याण कार्यक्रम के *vlrXt* एम.सी.एच. गतिविधियों का अभिन्न अंग है। गर्भवती महिलाओं को आयरन *dh lkr finu ea* 100 गोलियां खाने की संस्तुति की गई है और स्वास्थ्य कर्मियों को तदनुसार निर्देश दे दिए गए हैं।

1996 से 1998 के *e/*; आई.एफ.ए. गोलियों का इस्तेमाल करने वाली माताओं में *luokl*, माता की शिक्षा, जन्मक्रम जैसी सामाजिक और जनांकिकीय विशेषताओं के *ni"Vdksk* से महत्वपूर्ण अंतर दिखाई पड़े। जिन माताओं ने तीन या उससे अधिक माह तक आई.एफ.ए. गोलियों या घोल का सेवन किया था उनमें 38.5 प्रतिशत *uxjh*; क्षेत्रों में रहती थीं जबकि केवल 17.2 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में थीं। आई.एफ.ए. गोलियों/घोल का सेवन करनेवाली 14.3 प्रतिशत माताएं निरक्षर थीं जबकि 50.3 प्रतिशत माताएं ऐसी थीं जिनकी शिक्षा कम से कम हाई स्कूल या इससे अधिक हुई थी।

### जनन क्षमता और परिवार कल्याण

अध्याय 1 में बताया गया है कि 1991-2001 के बीच राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर भारत में सबसे अधिक थी। *|fi* राज्य की कुल जनसंख्या में कुल पंजीकृत जन्मों का अनुपात (अपक्व (crude) जन्म दर या सी.बी.आर.) 1971 में 44.9 से *de gkdj* 1999 में 32.8 हो गया फिर भी यह दर राष्ट्रीय औसत से अधिक ही रही और इन दोनों के बीच अंतर में मामूली *deh vifdr* की गई। *lEiwkz Hkkjr* में यही आंकड़ा 1971 में 36.9 था जो 1999 में *?kVdj* 26.1 हो गया।



कुल जनन क्षमता दर (टी.एफ.आर.) बच्चों की वह संख्या है जो कोई भी महिला अपनी प्रजनन आयु में औसतन जन्म देती है। यह 1992-93 में 4.8 थी जबकि घटकर 1998-99 में 4.0 हो गई। यह गिरावट 17 प्रतिशत

थी। *fQj Hkh* उ.प्र. का टी.एफ.आर. भारत में सबसे अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों का *vi{kk uxjh* क्षेत्रों में टी.एफ.आर. कम था।

पश्चिमी क्षेत्र में टी.एफ.आर. सबसे अधिक था। इसके बाद पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड और निवर्तमान *iorh*; क्षेत्र आते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य में परिवार कल्याण सेवाओं के और सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है।

### ckDI &4-1 mRj insk dh tul {;k ulfr&2000 y{;

*tul {;k ulfr dk y{; mRj insk ds ykxks ds thou Lrj ea l qkkj djuk gA ,dk djra gq fodkl ijd dneka vlg dk; bfg;ka ij Li"V : i ls tkj fn;k tk; sxA ykxkq [kl dj vlg rta vlg cPpla dh LokLF; dh flFkr ea l qkkj vlg tul {;k dls flFkj j[kuk fVdkA fodkl dh eyHkr ioz 'kra gA*

### mnaS ;

*tul {;k ulfr dk e{; mnaS ; lu-2016 rd ituu nj dks 2-1 rd ys vkuk gA bl mnaS ; ds fy, vk/kqud xHkzujks'kdka dh 0;kiDrk nj c<kuh gksxA 1998&99 ea ;g nj 22 ifr'kr FkA 2016 rd bls c<kdj 52 ifr'kr bls ys tkuk gksxA ituu nj vlg xHkzujks'kdka ds bLræky dk l h/kk lEcl/k f'k'q vlg cky er;q nj vuqkr dks de djus dh rRdky t:jr gA tul {;k ulfr ds fo'ksk mnaS ; uhpS crk;s tk jgsgA*

- 1- 2016 rd vlg rta ds e/; vk;q 16-4 ls c<kdj 19-5 o"lz djuh gksxA bl ds fy, foolg dh dkumh vk;q ds cksj ea tkudkj c<kuh gksx l Hkh foolgla dk iatdj.k ipk;ra djxkA
- 2- ldy ituu nj 1997 ea 4-3 FkA bls ?kVkdj 2011 rd 2-6 rd rFk 2016 rd bls 2-1 rd ys vk;k tk; sxA xHkzujks'kdka dk bLræky c<kdj bls ikr fd;k tk; sxA xHkzujks'kdka dh vkifirZ eak 1998&99 ea 56 ifr'kr FkA bls ?kVkdj 2016 rd 10 ifr'kr dj fn;k tk; sxA vlg rta ds igys cPps ds tle ds le; mudh vlg r vk;q vktdy 18 o"lz gA 2016 rd bls c<kdj 21 o"lz djuk gksxA
- 3- tPpk er;q nj ea deh yk; h tk; sxA bl ds ,0,uOI hO lfor {ks-ka dks c<k; k tk; sxA ,ds {ks- 1997 ea 46 ifr'kr FkA 2016 rd 90 ifr'kr {ks- ,0,uOI hO lfor cuk; k tk; sxA fVvul l qz yxus okys {ks- Hkh c<k; s tk; sxA vcl½ if'kfkr fpdfRI k dfe;ka dh nqkj{dk ea ilo nj c<k; h tk; sxA ¼[k½ vLirkyka ea ilo dks c<kok fn;k tk; sxA ¼x½ xHkzrh ekrvka ea jDrkYirk de dh tk; sxA 2011 rd l Hkh vlg rta es xHkhj jDrkYirk ij dlcw dj fy;k tk; sxA ¼?k½ [krs okys xHkh dks igpkus dh 0; oLFk etcw dh tk; sxA vlg xEHkhj [krs okys ekyka dh nqkHky vPNh l qo/kk okys vLirkyka ea dh tk; sxA
- 4- f'k'q er;q nj vlg 5 l ky ls de vk;q ea er;q nj dh deh & ¼cl½ 1997 ea 42 ifr'kr cPpla dk lEiwkz Vhdkdj.k gvk FkA 2006 rd bls 69 ifr'kr 2011 rd 85 ifr'kr djuk gksxA 2016 rd lkjs cPpla dk Vhdkdj.k gksxA ¼[k½ i sp l s ch ekj cPpla ea thou j{kd ?kky dk iz; sx c<k; k tk; sxA ¼x½ 2011 rd cPpla ds xEHkhj dq'ksk.k ij dlcw ikuk gksxA ¼?k½ cPpla ea gYdh vlg xEHkhj jDrkYirk ea deh ykuh gksxA ¼p½ cPpla ea xgu 'okd vojks'k ¼,0vkj0vkbD½ dh ?kVvka ea deh ykuh gksxA ¼N½ 2006 rd 50 ifr'kr cPpla dks foVku , dh [kjd nus dh xjUVh djuh gksxA ¼t½ 2016 rd ;g ifr'kr c<kdj 90 ifr'kr dj fy;k tk; sxA
- 5- 'okd uky l æe.k; k; l æe.k vlg ,M dh 0;kiDrk ea deh yk; h tk; sxA

## परिवार नियोजन के तरीकों की जानकारी और उपयोग

उ.प्र. में परिवार नियोजन के तरीकों की जानकारी लगभग सभी विवाहितों को है क्योंकि हाल में विवाहित महिलाओं में से 98 प्रतिशत गर्भ निरोध के किसी न किसी एक आधुनिक तरीके से परिचित थीं। सर्वाधिक ज्ञात तरीका महिला नसबंदी थी जिसकी जानकारी 97 प्रतिशत महिलाओं को थी। इसके बाद पुरुष नसबंदी (93 प्रतिशत) थी। गर्भों के बीच अंतराल का सर्वज्ञात तरीका खाने वाली गो依据 थी। 85 प्रतिशत महिलाओं को इसकी जानकारी थी। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के विज्ञान के क्षेत्रों की महिलाओं को गर्भ निरोधक तरीकों की अधिक जानकारी थी।

राज्य में परिवार नियोजन के तरीकों की जानकारी और उनके उपयोग में बहुत बड़ा बदलाव है। गर्भ निरोधक के तरीकों की लगभग सार्वभौमिक जानकारी के कारण हाल की विवाहित महिलाओं में से केवल 38 प्रतिशत ने कभी गर्भनिरोधक के किसी तरीके का मिश्रण किया और केवल 30 प्रतिशत ने ही किसी आधुनिक तरीके का उपयोग किया था। केवल 28 प्रतिशत ही गर्भनिरोधक के किसी तरीके का मिश्रण कर रही थीं, इसकी तुलना में राष्ट्रीय औसत 48 प्रतिशत था। इनमें से 22 प्रतिशत आधुनिक तरीकों का मिश्रण कर रही थीं, 6 प्रतिशत पारंपरिक तरीके अपनाती थीं। उ.प्र. में गर्भनिरोधक व्यापकता दर (सी.पी.आर.) भारत में सबसे कम है।

यू.एन.एफ.एच.एस.-1 ने 1992-93 में 20 प्रतिशत सी.पी.आर. दर्ज किया था, उसमें तो यह सुधार ही है। क्षेत्रों में गर्भनिरोधक व्यापकता दर 45 प्रतिशत थी जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 24 प्रतिशत थी। महिलाओं की शिक्षा के स्तर में बढ़त के साथ गर्भनिरोधक के मिश्रण में भी बढ़त दिखाई पड़ती है। क्षेत्रवार आंकड़े बताते हैं कि निवर्तमान क्षेत्र क्षेत्र में गर्भनिरोधक व्यापकता अधिक (44 प्रतिशत) थी, इसके बाद बुंदेलखंड (34 प्रतिशत) और पश्चिमी, मध्य तथा पूर्वी क्षेत्र आते हैं जहां यह व्यापकता 26 प्रतिशत से 28 प्रतिशत के बीच थी।

गर्भनिरोधक का सबसे प्रचलित तरीका महिला नसबंदी है। इसका मिश्रण 15 प्रतिशत महिलाओं ने किया। गर्भ अंतराल के तीन मुख्य तरीकों, खानेवाली गो依据, कंडोम और आई.यू.डी., की समेकित व्यापकता दर केवल 6.4 प्रतिशत थी। प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का अधिक जोर गर्भ अंतराल के तरीकों को अपनाने पर होता है क्योंकि इनसे न केवल कुल प्रजनन दर में घटा आती है बल्कि जच्चा-बच्चा को स्वास्थ्य लाभ भी होता है।

## परिवार नियोजन हेतु अपूर्त मांग (unmet need)

जो महिलाएं बच्चों के बीच अंतराल चाहती हैं या और बच्चे नहीं चाहतीं लेकिन फलहाल परिवार नियोजन के किसी तरीके का मिश्रण नहीं कर रही हैं उन्हीं की संख्या को परिवार नियोजन की अपूर्त मांग कहा जाता है।

उ.प्र. में परिवार नियोजन की अपूर्त मांग 1992-93 में 30 प्रतिशत थी। 1998-99 में थोड़ा घटा 25 प्रतिशत हुई। भारत के सभी राज्यों में अब भी यह सबसे अधिक है। बच्चों में अंतराल की अपूर्त मांग 11.8 प्रतिशत है जबकि बच्चे रोक देने की लगभग 13 प्रतिशत। जो महिलाएं कहती हैं कि वे बच्चों में अंतराल चाहती हैं या और बच्चे नहीं चाहतीं अगर वे सभी परिवार नियोजन का मिश्रण करने लगे तो गर्भनिरोधक व्यापकता दर विवाहित महिलाओं में 28 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, इसका मतलब है कि वर्तमान कार्यक्रम परिवार नियोजन की मांग का 40 प्रतिशत ही पूरा कर पा रहे हैं।

क्षेत्रों में अपूर्त मांग 20 प्रतिशत है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह इससे अधिक 27 प्रतिशत है। क्षेत्रों के अनुसार से सबसे अधिक अपूर्त मांग

पश्चिमी क्षेत्र में (26.1 प्रतिशत) है। इसके बाद पूर्वी क्षेत्र (25.5 प्रतिशत), मध्य क्षेत्र (25.1 प्रतिशत), निवर्तमान क्षेत्र (21.8 प्रतिशत) और बुंदेलखंड (17.7 प्रतिशत) आते हैं। रोचक तथ्य यह है कि सभी शैक्षिक समूहों में अपूर्त मांग समान ही है, लेकिन निरक्षर महिलाओं की कुल मांग के पूरी होने की सबसे कम आशा वर्तमान परिवार नियोजन कार्यक्रमों से है।

निष्कर्षतः, उ.प्र. में टी.एफ.आर. अधिक होने और गर्भ-निरोधक के तरीकों की लोगों में व्यापक जानकारी के कारण मुद्दों से यह राज्य व/कि प्रजनन दर को कम करने के लिए

## स्वास्थ्य रक्षा का प्राविधान

भारे समिति के प्रतिवेदन की संस्तुतियों के अनुरूप भारत सरकार ने श्रेणी क्रमानुसार स्वास्थ्य केंद्रों का संजाल बिछाया। इसमें सबसे छोटे स्तर पर उपकेंद्र हैं और सबसे ऊपर जिला अस्पताल। निश्चित जनसंख्या पर निर्धारित अनुसार स्थापित किए गए उदाहरण के लिए नियमतः प्रति 5000 जनसंख्या पर एक उपकेंद्र होगा और प्रत्येक 30,000 जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पी.एच.सी.) होगा।

इस तरह सरकार ने ऐसे केंद्रों के लिए समस्त जनसंख्या को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ली। 1983 की स्वास्थ्य नीति ने विशिष्ट सेवाओं के विकास को मुख्यतः निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया। सरकार इन्हें भरपूर सहायता और प्रोत्साहन देगी। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र न्यूनतम लागत पर सभी लोगों की पहुंच बुनियादी स्वास्थ्य सेवा तक बनाने के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित हैं। इसीलिए इनमें सेवा प्रदान की जाती है। सिद्धांत और व्यवहार के बीच गहरी खाई है और स्वास्थ्य में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रदर्शन से और भी दूर है।

## स्वास्थ्य अवस्थापना

के बाद के दशकों में उ.प्र. में स्वास्थ्य की अवस्थापना के क्षेत्र में काफी निवेश किया गया है। 1961 और 2001 के बीच अस्पतालों और औषधालयों की संख्या 1368 से बढ़कर 4939 हो गई और अस्पतालों में बिस्तरों से बढ़कर 65,154 हो गए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 590 से बढ़कर 3640 हुए। स्वास्थ्य उपकेंद्र 1971 में 3974 से बढ़कर 2001 में 18,577 हो गए। नर्सों की संख्या 1971 में 3,408 से चार गुना बढ़कर 1991 में 12,197 हो गई जबकि डाक्टरों की संख्या 1961 में 2701 से दस गुना बढ़कर 1991 में 31561 हो गई (तालिका 4.2)।

अस्पतालों/औषधालयों की संख्या में अधिकांश बढ़त 1970 और 1980 के दशकों में हुई जबकि पी.एच.सी. और उपकेंद्र 1980 के दशक में तेजी से बढ़े। यह बढ़त प्रशंसनीय है लेकिन जनसंख्या वृद्धि के साथ में स्वास्थ्य सुविधाओं में अंतराल का अंतराल घट रहा है। अस्पतालों और औषधालयों की संख्या 1960 और 1970 के दशक में प्रति लाख जनसंख्या जितनी थी उसके 1990 के दशक में कम हो गई है। प्रति लाख जनसंख्या अस्पतालों की संख्या भी दशकों से स्थिर बनी हुई है। 1970 और 1980 के दशक में पी.एच.सी. और उपकेंद्रों की संख्या प्रति लाख जनसंख्या बढ़ती रही, लेकिन इसमें भी 1990 के दशक में घटा देखा गई है।

स्वास्थ्य अवस्थापना सुविधाओं की अखिल भारतीय उपलब्धता और अन्य राज्यों में उपलब्धता से तुलना करने पर अखिल भारतीय उ.प्र. का प्रदर्शन खराब ही रहा है। अवस्थापना की औसत उपलब्धता उ.प्र. में सभी सूचकों के हिसाब से तुलना करने पर अखिल भारतीय औसत से खराब रही है (तालिका 4.3)।

तालिका 4.2 : उपरोक्त स्वास्थ्य सेवाओं की संख्या

वर्ष	अस्पतालों/दवाखानों की संख्या	'किसी/क, अ	पी.एच.सी.	मि.डी.ओ.	डाक्टर और नर्स	
					डॉक्टर	नर्स
1961	1368	26420	590	-	2701	-
1971	2191	38764	971	3974	12883	3408
1981	3187	50681	1109	10092	23888	7519
1991	4160	50424	4356	23892	31561	12197
2000-01	4939	65154	3640	18577	-	-

स्रोत : (1) हेल्थ इन्फार्मेशन आफ इंडिया, सेंट्रल ब्यूरो आफ हेल्थ इंटेलिजेंस, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार; (2) स्टैटिस्टिकल ऐबस्ट्रैक्ट, उ.प्र., 1992; (3) उ.प्र. दसवीं योजना

तालिका 4.3 : मिड एरिफर यकतुलक इज लोकल; लोक

वर्ष	अस्पतालों की संख्या			बिस्तर			दवाखाने			पी.एच.सी.	उप केंद्र	डाक्टर और नर्स	
	कुल	ग्रामीण	UXJH;	कुल	ग्रामीण	UXJH;	कुल	ग्रामीण	UXJH;			डॉक्टर	नर्स
1961	0.7	0.1	4.4	35.8	-	-	1.5	1.2	7.9	0.8	-	-	3.66
1971	0.9	-	-	43.9	-	-	1.6	-	-	1.1	4.5	14.59	3.86
1981	0.7	0.1	3.2	45.7	7.8	219.1	1.4	1.3	5.9	1.0	9.1	21.54	6.78
1991	0.5	0.1	2.4	38.2	6.9	165.3	1.3	1.2	4.8	3.3	18.1	23.91	9.24
1998	0.6	0.1	2.8	42.4	7.6	191.7	1.4	1.3	1.8	3.0	15.8	-	-

स्रोत : सेंटर फार बिडोक; जे इटू हेल्थ एंड एलाइड थोम्स (सेहत), हेल्थ इन्फार्मेशन आफ इंडिया, सेंट्रल ब्यूरो आफ हेल्थ इंटेलिजेंस, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार पर आधारित।

तालिका 4.4 : जकतुक इफर यकतुलक इज लोकल; लोककध लोक

राज्य	अस्पतालों की संख्या			'किसी/क, अ			वसु/मि;			पी.एच.सी.	प्राथमिक मि.डी.ओ.	डाक्टर और नर्स	
	कुल	1998 ग्रामीण	UXJH;	कुल	1998 ग्रामीण	UXJH;	कुल	1998 ग्रामीण	UXJH;			1998	1998
आंध्र प्रदेश	4.2	2	9.5	94.59	27.28	255.44	0.2	0.2	0.1	3.2	20.3	49.67	23.34
असम	1.2	0.8	4.7	56.31	19.87	348.13	1.4	1.5	1.1	2.7	23.4	47.08	10.18
बिहार	0.4	0.1	2	33.12	3.94	226.69	0.5	0.5	0.1	2.7	17.9	30.55	10.29
गुजरात	5.4	0.6	13.7	155.12	24.16	381.01	15.5	8.2	28.1	3.3	24.5	52.98	59
हरियाणा	0.4	0.1	1.4	38.23	3.93	132.87	0.7	0.2	1.9	2.8	16.3	*	20.73
कर्नाटक	0.6	0.1	1.6	78.1	11.26	213.19	1.6	1.7	1.4	4.7	24	98.58	52.21
केरल	6.7	9.1	0.9	309.36	334.81	249.11	0.2	0.2	0.1	4.3	22.9	56.72	78.41
मध्य प्रदेश	0.5	0.9	0.7	26.59	11.79	75.55	0.4	0.2	0.8	3	20.9	16.92	88
महाराष्ट्र	3.8	0	8.3	97.72	20.72	219.7	9.9	0.7	24.4	3.3	18.6	62.72	48.64
उड़ीसा	0.8	0.3	3.1	34.85	5.56	189.77	3.4	3.8	1.1	4.6	20	35.19	50.23
पंजाब	1	0.5	2	88.76	45.35	184.43	6.4	7.7	3.5	3.1	18	134.51	116.25
राजस्थान	0.4	0	1.6	41.63	2.95	159.55	0.5	0	2.1	4.3	25.3	32.01	22.38
तमिलनाडु	0.7	0.2	1.6	82.22	11.14	218.99	0.9	0.4	1.8	3.7	22.4	81.94	60.49
उत्तर प्रदेश	0.6	0.1	2.8	42.41	7.62	191.7	1.4	1.3	1.8	3	15.8	23.91	9.24
उत्तर प्रदेश का स्थान	10	13	6	10	11	10	7	6	7	11	14	13	15
पश्चिम बंगाल	0.5	0.2	1.3	69.88	9.12	224.57	0.7	0.8	0.7	2.8	14.7	61.38	25.26
भारत	1.6	0.7	3.7	71.5	23.25	188.55	2.7	1.5	5.5	3.3	19.7	47.19	36.88

स्रोत : सेंटर फार इन्वायरी इटू हेल्थ एंड एलाइड थोम्स (सेहत), हेल्थ इन्फार्मेशन आफ इंडिया, सेंट्रल ब्यूरो आफ हेल्थ इंटेलिजेंस, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार पर आधारित।




केरल में सामाजिक विकास का स्तर ऊंचा रहा है। उसके साथ तुलना इस मामले में मार्गदर्शक होगी। केरल में 6.7 अस्पताल प्रति लाख जनसंख्या की तुलना में उ.प्र. में 1998 में 0.6 अस्पताल प्रति लाख जनसंख्या थी। जहां केरल में प्रति लाख जनसंख्या 309 डॉक्टर, फ्ल, वहीं उ.प्र. में केवल 42 फ्ल। केरल में प्रति लाख जनसंख्या 4.3 पी.एच.सी. और 22.9 उपकेंद्र थे-वहीं उ.प्र. में ये 1.5 और 3 पी.एच.सी. और 15.8 उपकेंद्र प्रति लाख जनसंख्या थे। केरल में उ.प्र. डॉक्टरों की संख्या 8 गुनी और डाक्टरों की संख्या दोगुनी से अधिक थी।

स्वास्थ्य अवस्थापना सुविधाओं के क्षेत्र में क्षेत्रीय असमानताएं भी एक बड़ी समस्या हैं। पूर्ववर्ती पर्वती; क्षेत्र में स्वास्थ्य VOLFKiuk, a सबसे VPN थी। प्रति लाख जनसंख्या चिकित्सा संस्थानों और अस्पताल के 'k; k, k के nVdsk से राज्य औसत से तीन गुना सुविधा वहां थी। संपूर्ण औसत से तुलना करने पर प्रति लाख जनसंख्या ij उपकेंद्रों की संख्या दो गुनी और पी.एच.सी. की संख्या डेढ़ गुनी थी। अन्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य VOLFKiuk का सबसे अधिक प्राविधान बुंदेलखंड में था। इसके बाद मध्य क्षेत्र आता है।

स्वास्थ्य प्राविधानों की प्रमुख समस्याओं में से एक ग्रामीण uxjh; अंसतुलन भी है। चिकित्सकमी दूरस्थ ग्रामीण पोस्टिंग को छोड़ देते हैं। फलस्वरूप वहां या तो चिकित्सक होते ही नहीं या अनियमित होते हैं।

स्वास्थ्य व्यवस्था की एक और प्रमुख कमजोरी कर्मचारियों की कमी है। ए.एन.एम. स्वास्थ्यकर्मियों के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। वे काम के बोझ से दबे रहते हैं और उन्हें अपेक्षित सहारा और समर्थन नहीं मिलता। फिलहाल 6200 की जनसंख्या पर एक ए.एन.एम. उपकेंद्र की संस्तुति है। 2004 में 1036 ए.एन.एम.के पद खाली थे। यह पाया गया कि पिछले आठ वर्षों में अनेक क्षेत्रों में ए.एन.एम. के खाली पदों पर कोई नई नियुक्ति नहीं हुई है




(विश्व बैंक 2002)। दिलचस्प बात तो यह है कि प्रदेश में ए.एन.एम. के 1000 से अधिक पद खाली हैं और 7000 महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें ए.एन.एम.का प्रशिक्षण प्राप्त है तथा अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रही हैं। कर्मचारियों की इस कमी के कारण जिले के अधिकांश ए.एन.एम. निर्धारित मानकों से बड़ी जनसंख्या को सेवा देने के लिए बाध्य हैं।

ये सांगठनिक और डांचागत समस्याएं दवाओं और उपकरणों की कमी तथा जवाबदेही के अभाव से और भी बढ़ जाती हैं। विभिन्न अध्ययनों का कहना है कि इतनी विशाल सार्वजनिक स्वास्थ्य VOLFKiuk होने के कल Hk उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा में लचीलापन नहीं है। वह स्वास्थ्य उपभोक्ताओं

पर आर्थिक बोझ लादती है और उपभोक्ता सेवाओं की गुणवत्ता से आम तौर पर असंतुष्ट रहते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (52वां दौर) में पाया गया कि 1995-96 में 90.22 प्रतिशत बाह्य रोगियों ने निजी डाक्टरों से चिकित्सा कराई, 5.45 ने मिश्रित या अनिश्चित स्रोतों से और केवल 4.33 प्रतिशत ने सरकारी स्रोतों से। जब मरीजों से कkj.k iNk X;k तो उन्होंने सरकारी सुविधाएं न लेने का एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण कारण इसकी सेवाओं से असंतुष्टि बताई। कुछ लोगों ने इन सेवाओं की खराब पहुंच और निजी डाक्टरों की आसान उपलब्धता भी bl dk dkj.k crk;k (26%)। (श्रीवास्तव 2002 ए, और चित्र 4.13)

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, पहुंच न होने और सेवाओं की खराब गुणवत्ता की समस्या से गंभीर रूप से ग्रस्त है। भारी अकुशलता, भ्रष्टाचार और उदासीनता के साथ-साथ सेवाओं की खराब गुणवत्ता गरीब लोगों को ज्यादा महंगी निजी स्वास्थ्य सेवाओं की ओर धकेल देती हैं। मुफ्त दवाएं कभी भंडार में नहीं रहतीं, या उनकी तिथि ।eklr हो गई होती है या फिर ठीक से उनका भंडारण नहीं होता। इससे वे या तो निष्प्रभावी हो जाती हैं या खाने पर खतरा पैदा हो जाता है।



। Eiwk उ.प्र. में निजी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तृत संजाल उपलब्ध है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार एलोपैथिक डाक्टरों की उपलब्धता पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अधिक है। इसके बाद मध्य और पूर्वी क्षेत्र आते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में यह सेवा सबसे कम उपलब्ध है। हालांकि अधिकांश निजी चिकित्सक, fo'k'kdj ग्रामीण क्षेत्रों में, पर्याप्त शिक्षित नहीं हैं फिर भी उनकी प्रैक्टिस फल-फूल रही है। इस बात के अनेक उदाहरण हैं कि उनकी bykt से रोग की जटिलता मूल समस्या की तुलना में और भी गंभीर हो गई (रोड और विश्वनाथन, 1995)।

1997-98 में विश्व बैंक ने पूर्वी उ.प्र. और बुंदेलखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर का सर्वेक्षण किया था। उससे पता चलता है कि आमतौर पर लोगों ने अशिक्षित चिकित्सकों और वैद्यों की सेवा का उपयोग किया था। झांड-फूक करने वालों, वैद्यों और केमिस्टों ने 58.2 प्रतिशत मामलों में चिकित्सा सेवा प्रदान की। 'पंजीकृत चिकित्सा कर्मियों', या आर.एम.पी. (आमतौर पर अशिक्षित चिकित्सा कर्मियों के लिए प्रचलित नाम) सहित निजी डाक्टरों ने 24.5 प्रतिशत मामलों में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई।



अपेक्षाकृत समृद्ध परिवार भी अशिक्षित चिकित्साकर्मियों की शरण में चले जाते हैं।

**तालिका 4.5 : विभिन्न तरह के स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा मामूली बीमारियों के इलाज का प्रतिशत, प्रति व्यक्ति उपभोग प्रति के अनुसार**

स्वास्थ्यकर्मी	प्रति व्यक्ति उपभोग प्रति					कुल औसत
	1	2	3	4	5	
देसी डॉक्टर/ओझा	8.6%	11.7%	7.8%	8.4%	5.3%	8.3%
झोला छाप डॉक्टर (वैद्य)	53.2	52.6	49.6	42.9	43.1	48.3
केमिस्ट	0.9	1.6	1.7	3	0.9	1.6
सरकारी डॉक्टर पी.एच.सी.,	5.1	4.0	5.2	6.4	5.5	5.2
सी.एच.सी., उपकेंद्र या ग्राम						
स्वास्थ्य कार्यकर्ता						
सरकारी डॉक्टर,	9.0	10.4	10.6	12.9	14.7	11.5
अस्पताल या अन्य						
निजी डाक्टर या क्लिनिक	23.0	19.4	24.7	24.7	30.5	24.5
धर्मार्थ, एन.जी.ओ., अन्य	0.2	0.3	0.5	1.8	0.1	0.5
कुल	100	100	100	100	100	100

स्रोत : विश्व बैंक यू.पी., बिहार जीवन स्तर सर्वेक्षण 1997-98 से आकलित

अधिक स्वास्थ्य अवस्थापना में प्रयास का प्रयास तो बहुत खर्चीला होगा। ज्यादा बेहतर विकल्प बहुदेशीय ग्रामीण परामर्शदाताओं को विकसित करने का कार्य होगा। आज भी जमीनी स्तर के बहुत सारे कार्यकर्ता अनेक विकास अभिकरणों के लिए काम करते हैं। एन.जी.ओ. और पंचायतें स्वास्थ्य सेवा का विस्तार बहुत अधिक बढ़ा सकती हैं।

**कडि & 4-2 LokLF; Lokva ea Lokj i fkd igydnfe; kll**

**mOid LokLF; izkkyh fodkl i kstDV  
% OihO, pO, lOMhOihO%**

o'kz 2000 ea fo'o cbl dh lgk;rk ls 10 o'ka ds fy, ; OihO, pO, lOMhOihO 'kq fd;k x; k fka i kstDV dk igyk nlg 5 o'kz rd pxyka bl nlg ea yxHx 468 djkm+ : i;s dh yxrk vk; xhA bl dk 86 ifr'kr fo'o cbl ls \_\_.k ds : i ea feyxA bl i kstDV dk mna; : cgrj izcl/k okyh ,dh LokLF; izkkyh [kMh djuk gS tks uhr; ka ea Lokj] l k.fkfud vlg ekuo l kku/ku ea fodkl rFkk LokLF; Lokva ea fuo;sk ds }kjk iHkoh <x ls dk;Z dja

**; OihO, pO, lOMhOihO ds e[; mna; ; fuEu gA%&**

- LokLF; ds {ks- ea vto;v dk; e djuk vlg mls c<kuk rFkk LokLF; Lok ea vo;fud Hkh ea vto;v c<kukA
- l kku dh deh dks /;ku ea j[krs gq LFkkh; t; jrs dks ij k djus grq tuin Lrj ij ;kstuk cukuk vlg ctV dh 0; oLFkk djukA
- vo;fud pkyw [kplA dks djus ds fy, yxrk ea Hkxhnhkj vlg miHkxrkvka ls i; k ol yhA l kfk gh ,ds dne mBluk rkd l ekt ds xjh c rdka dks l j{k.k feyA
- tu tolcng c<kuk vlg ukxfjdka ds ekx i= dks ylxw djukA
- uhr vlg j.kuhr fodlir djus dh {kerk c<kukA

- dqkyrk dh ekx dks ij k djuk xteh.k {ks-ka ea fu; qDr ds fy, ij k djukA
- LokLF; {ks- ds y{; ka dks ij k djus ds fy, futh {ks- dk lg; kx yxk] futh LokLF; Lokva ij cgrj fu; ;k vlg iHkoh Hkxhnhkj djukA
- lgk; d Lokva ds fy, Bdk izkkyh ylxw djukA
- LokLF; Lokj ds foHMu i kstDVka ea rkyey i k djukA

; g i kstDV or'eku LokLF; vf/kl jpk dks etar djus ds fy, dke djkxA bl ds Hkouka vlg ifjogu ea Lokj fd;k tk; xkA 28 p; fur tuinka ea 117 LokLF; bdkbz; ka dks foj ls dk; e fd;k tk; xk vlg ml setar cuk; k tk; xk] buea t: jh l ktk;l ekuo vlg vf/kl jpkRed l fo/kk; a miyC/k dj; h tk; xkA bl dk; ;de dh igp c<kus ds fy, l kepkf; d] , urhvk vlg futh l jdkjh Lokva ea Hkxhnhkj dks i k l kgu fn; k tk; xkA

**i ksk.k dk; ;kgh l Ecl/kh i nsk dk; ;de & SPAN**

**(State Programme Rel ating to Nutri onl Activi ties)**

efgyk vlg cky fodkl foHkx] mOid l jdkj us cky dj ksk.k ea deh ykus ds fy, i ksk.k dk; ;kgh l Ecl/kh i nsk dk; ;de 'kq fd;k gA foHkx dh vlg ls ; fu l Q] ds j] MCV; w, Q-i-h- vlg Hkj l jdkj ds lg; kx ls l efd rky fodkl Lok v/krbZ l h-Mh-, l -1/2 pykbl tk jgh gA ; g Lok 550 xteh.k fodkl [k.Mka vlg 21 uxjh; >fx; ka ea pyk; h tk jgh gA fo'o cbl ds lg; kx ls bl s 110 xteh.k fodkl [k.Mka rd foLkfr fd;k tkuk gA bl h ds l kfk vl; dk; ;de vlg LokLF; l Ecl/kh xfrfof/k; ka Hkh pyk; h tk jgh gA

**izkuea-h xteks; ; kstuk %**

dlnz l jdkj }kjk ik; kstr; g ; kstuk o'kz 2000&01 ea 'kq dh x; hAbi dk mna; ; Hkj ea xte Lrj ij fvdA ekuo fodkl i ktr djuk gA bl dk i k fkd ?Vd LokLF; vlg i ksk.k gAbi dk; ;de dk e[; tlg; nl oha ; kstuk dh vof/k ea ?kkr y{; ka ds vuq i LokLF; vf/kl jpk fufe; djus ij gA bl dk; ;de ds e[; vx fuEu gA&

- or'eku xteh.k LokLF; vf/kl jpk ds fy, nokva vlg vto'; d midj.k dh vki rZ vlg or'eku midj.kka ds dyi;ka dks Bhd djukA
- lgk; d ulZ vlg ntb; ka ds ; k=k 0; ; grq /kujkr'k dh 0; oLFkk djukA
- tyki r; l Okb; vlg bykt ds ckn ds dpjs dk fuLrkj.k dk izcl/kuA or'eku LokLF; vf/kl jpk dk j[kj[kko vlg mla ea Lokj rFkk mls etar djukA
- l Hkh l kepkf; d LokLF; dlnka ij ,Ec yd] ,Dl j} tujv; vlg vto'; d Lokva dk ikfo/ku djukA


i ksk.k dk e[; y{; vkbDI HOMHO, lO ds vlrxr vkuokMh dlnka ds }kjk rhu o'kz ls de vk; q ds djkkr cPka dks vrfjDr [kjd nclj bl ij fu; ;k ikukA

% l k% mOid dh nl oha ; kstuk%


## LokLF; j{kk l okvka ds mi ; ks dh ykxr

इस विश्लेषण का आधार एन.एस.एस. के 52वें दौर (श्रीवास्तव 2002; एन.सी.ए.ई.आर.2000) के परिणाम हैं।

1995-96 में उ.प्र. में पिछले 30 दिनों में कोई न कोई बीमारी होने की बात Lohdkj djus वाले लोगों का अनुपात कुल मिलाकर 6.1 प्रतिशत था। यह अनुपात पुरुषों dh vi{kk महिलाओं में थोड़ा अधिक था। Lohdkj djus वाले कुल मामलों में 92 प्रतिशत ने दवा ली। इनमें महिलाओं dh ryuk es पुरुषों की संख्या थोड़ी ज्यादा थी। ग्रामीण क्षेत्रों dh ryuk uxjh; क्षेत्रों में mi ; ks दर अधिक रही। क्षेत्रवार आंकड़े बताते हैं कि पूर्वी उ.प्र. में mi ; ks सबसे अधिक रहक जबकि मध्य उ.प्र. में सबसे कम रहक।



बाह्य रोगियों के इलाज के lck में प्रति व्यक्ति औसत खर्च ग्रामीण क्षेत्रों में 202 रुपए और uxjh; क्षेत्रों में 212 रुपए पड़ा। चित्र 4.14 में देखा जा सकता है कि यह राष्ट्रीय औसत से अधिक था।



अस्पताल Hkrh की दर स्वाभाविक रूप से कम 0.8 प्रतिशत थी। रोचक तथ्य यह है कि उपभोग व्यय के nVdksk से 40 प्रतिशत घरों से 53 प्रतिशत अस्पताल में Hkrh हुए जबकि सबसे fuEu के 40 प्रतिशत घरों से केवल 28 प्रतिशत अस्पताल में Hkrh हुए (श्रीवास्तव 2002ए)। अस्पताल Hkrh बताने वालों में 60 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र से और 55 प्रतिशत uxjh; क्षेत्रों से अस्पतालों के मुफ्त (जनरल) वार्डों में भर्ती हुए जबकि ग्रामीण क्षेत्र के केवल 23 प्रतिशत मरीजों को और uxjh; क्षेत्र के 20 प्रतिशत मरीजों को वास्तव में मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध हुई। अस्पताल Hkrh और उससे जुड़ी दवाइयों के खर्च की औसत लागत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति लगभग 4638 रुपये आई जबकि uxjh; क्षेत्रों में यह लागत लगभग 6044 रुपये पड़ी। स्वाभाविक रूप से निजी अस्पतालों में अस्पताल Hkrh की लागत सरकारी अस्पतालों से बहुत अधिक थी, निजी अस्पतालों में यह राशि 6234 रुपये थी तो सरकारी अस्पतालों में 4852 रुपये। निवर्तमान iOrh क्षेत्र में प्रति व्यक्ति अस्पताल Hkrh की लागत सबसे अधिक दर्ज की गई।

इसके बाद पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र आए। बुंदेलखंड में यह लागत सबसे कम रही।

भारत और उ.प्र. दोनों में सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा कराने की दर गिरती रही है। लेकिन उ.प्र. में सरकारी संस्थानों में अस्पताल Hkrh का प्रतिशत कम रहा और 1995-96 आते आते यह आंकड़ा 50 प्रतिशत से भी कम (46 प्रतिशत) पर आ गया।

एन.एस.एस. के 52वें दौर के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर कृष्णन (1996) ने पाया कि अस्पताल Hkrh का सापेक्षिक Hkkj (अर्थात् संबंधित दस प्रतिशत जनसंख्या के प्रति व्यक्ति वार्षिक व्यय और इलाज की लागत का अनुपात) ग्रामीण क्षेत्र के गरीब आय समूहों पर अधिक पड़ा। सबसे नीचे के दस प्रतिशत आय वर्ग पर उ.प्र. के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों में इलाज का Hkkj 230 प्रतिशत था। दिलचस्प रूप से केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में यह Hkkj 30 प्रतिशत से कम आया। उ.प्र. के ग्रामीण क्षेत्रों में निजी अस्पतालों में इलाज का Hkkj yxHkx 175 प्रतिशत था। uxjh; क्षेत्रों में सबसे नीचे के दस प्रतिशत के लिए सरकारी अस्पतालों में यह प्रतिशत 350 प्रतिशत से अधिक था और निजी क्षेत्र में 130 प्रतिशत से अधिक था।

दूसरी ओर सबसे ऊपर के दस प्रतिशत आय वर्ग के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज का खर्च सरकारी अस्पतालों में 30 प्रतिशत और निजी अस्पतालों में 20 प्रतिशत आया। शहरी क्षेत्रों में इलाज का सापेक्षिक Hkkj सरकारी सेवाओं में 12 प्रतिशत और निजी सेवाओं में 25 प्रतिशत पड़ा। इलाज की कुल लागत इलाज के स्रोत पर निर्भर है। इलाज के सरकारी स्रोतों dh ryuk es निजी स्रोतों पर भरोसा बहुत अधिक था। निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वालों पर ज्यादा भरोसा होने के कारण बीमारियों का इलाज चाहने वाले अधिकांश लोगों पर इलाज का Hkkj बहुत अधिक है।

अस्पताल में इलाज का व्यय पूरा करने का मुख्य स्रोत लोगों के लिए आय और बचतें हैं। ; |fi यह एक चिंताजनक बात है कि अस्पताल Hkrh के खर्च का एक तिहाई कर्ज से पूरा किया जाता है। संपदा बिक्री और अन्य स्रोत भी अस्पताल Hkrh के खर्च पूरा करने का एक छोटा vdk Fk।

विडंबना यह है कि सरकार वस्तुतः कुछ भी नहीं वसूलती। लेकिन लोगों को या तो अपनी जीवनभर की बचतें स्वाहा करनी होती है या फिर जीवन भर के लिए कर्ज में डूबना पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार, उ.प्र. में स्वास्थ्य पर सालाना खर्च yxHkx 2800 करोड़ रुपया है (श्रीवास्तव 2002)!


bl idkj bruh cMk LokLF; voLFkiuk iR; d 6000 tul{;k ij iRkfed LokLF; dhn dk gsk gB

### उ.प्र. में स्वास्थ्य सेवा को वित्तीय मदद

उ.प्र. में स्वास्थ्य पर 0; ; भारत के अन्य राज्यों से सबसे कम है और उ.प्र. स्वास्थ्य-पर सार्वजनिक संसाधनों का जो अनुपात खर्च करता है वह भारतीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही मानकों से कम है। इससे पता चलता है कि स्वास्थ्य की प्राथमिकता कितनी कम है। वास्तव में, उ.प्र. में स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय देश में सबसे कम खर्चों में से है। उ.प्र. में 1999 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर राज्य सरकार की ओर से प्रति व्यक्ति व्यय 76.15 रुपये था। यह सोलह प्रमुख राज्यों, जिनके आंकड़े उपलब्ध थे, में सबसे कम था (चित्र 4.16)। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर एक मात्र अन्य राज्य बिहार में ही 100 रुपये से कम (97.11) खर्च किया गया था।

1. 2000-2001 के व्यय अनुमानित हैं।

चित्र 4.16 प्रमुख राज्यों में चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर प्रति व्यक्ति व्यय, 1999



यह एक रोचक तथ्य है कि 1971-72 में पूरे बजट का 5.2 प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्र को आवंटित किया गया था। यही अब तक का सबसे अधिक आवंटन है। उसके बाद यह घटने लगा और 1978-79 में सबसे नीचे पहुंच गया। बाद में आवंटन थोड़ा बढ़ा लेकिन फिर घटकर 1991-92 में 3.8 प्रतिशत रह गया। इसके बाद 1995-96 में इसकी बढ़ोतरी 4.5 प्रतिशत तक ही हो सकी। कुल राजस्व व्यय के अनुपात में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर व्यय उ.प्र. में 1999 में 4.42 प्रतिशत था।

केवल हरियाणा का आंकड़ा ही इससे कम, 4.08 प्रतिशत था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर खर्च पहले 1996-97 में कुल राजस्व बजट का 6.1 प्रतिशत था। उसके बाद से 1999-2000 तक गिरता हुआ यह 4.4 प्रतिशत रह गया और 2000-01 तक 4.4 प्रतिशत पर टिका रहा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण व्यय में यह कमी सामाजिक सेवा-व्यय के अनुपात के कारण भी हुई। 1996-97 में यह 18.12 प्रतिशत था लेकिन 2000-01 में घटकर 12.6 प्रतिशत हो गया।


### सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय की संरचना

नीचे दिया गया चित्र स्पष्ट रूप से यह बताता है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण व्यय का बड़ा हिस्सा (72 प्रतिशत) वेतन भुगतान को प्राप्त होता है। वेतन व्यय का अनुपात कुल स्वास्थ्य क्षेत्र व्यय में बढ़ा है। 1996-97 में जहां यह 65.95 प्रतिशत था तथा वहीं 2000-2001 में कुल स्वास्थ्य क्षेत्र व्यय का 85.25 प्रतिशत हो गया। वेतन पर इतने अधिक व्यय के बाद अन्य किसी उद्देश्य के लिए बहुत कम व्यय के पिछले कुछ वर्षों के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर कुल व्यय का 4.31 प्रतिशत से लेकर 8.74 प्रतिशत ही सामग्री आपूर्ति, दवाओं, उपकरण और मशीनों के लिए आवंटित हुआ। बाकी संसाधन व्यवस्था और उससे जुड़े अन्य खर्चों के लिए आवंटित हुए। व्यय की ऐसी विषम संरचना और समूचे स्वास्थ्य के लिए आवंटन के कम स्तर के होते हुए आश्चर्य की कोई बात नहीं कि सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता बहुत ही खराब है।

यहां तक कि सामाजिक कल्याण का तर्क भी संदिग्ध हो उठा है। स्वास्थ्य सेवा पर सार्वजनिक व्यय का विश्लेषण बताता है कि कुल मिलाकर यह कम हो रहा है, हालांकि टीकाकरण और अस्पतालेतर बाह्य सेवा जैसी

कुछ सेवाएं गरीबों की पक्षधर हैं। उ.प्र. में आरोग्य स्वास्थ्य सेवाओं में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा खर्च होने वाले प्रत्येक 100 रुपये में से सबसे गरीब 20 प्रतिशत आबादी को 10 रुपये मिलते हैं जबकि सबसे अमीर 20 प्रतिशत को 41 रुपये। स्पष्ट है कि उ.प्र. में अनेक अन्य राज्यों की तुलना में सार्वजनिक व्यय गरीबों के पक्षधर नहीं है। (एन.सी.ए.ई.आर. 2000)।


चित्र 4.17 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किये गये काम का विवरण, 1997-98



### सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय का वितरण

स्पष्ट है कि अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की स्थिति सुधारने में उ.प्र. की प्रगति धीमी रही है और खराब स्वास्थ्य का बोझ गरीबों, सामाजिक रूप से वंचितों, महिलाओं और बच्चों पर अनुपात से बहुत अधिक है।

परिणामों में यह भी दिखाई पड़ा कि स्वास्थ्य परिणाम, लिंग और शैक्षिक स्थिति में उल्लेखनीय समाभिरूपता है। चित्र 4.18 में इनमें से कुछ आयामों के आधार पर चुने गए जिलों का (सबसे नीचे से) क्रमस्थान बताया गया है। अतः स्वास्थ्य क्षेत्र को अलग से नहीं देखा जा सकता।



1 मल निकासी और स्वच्छता के क्षेत्र में 46 शहरों में मल निकासी की मजबूत व्यवस्था को पुनर्जीवित करना और एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले बाकी 14 शहरों में मल निकासी की व्यवस्था बनाना ताकि स्वच्छता की खराब व्यवस्था से उद्भूत पर्यावरणिक क्षरण और स्वास्थ्य विनाश की समस्या से लड़ा जा सके।  
(स्रोत : उ.प्र. की दसवीं योजना)

राज्य सरकार ने दसवीं योजना और अपनी जनसंख्या नीति में स्वास्थ्य से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिन पर पहले विचार किया जा चुका है। इनमें शामिल हैं—ए.एन.सी. के प्रभाव क्षेत्र और प्रशिक्षित लोगों द्वारा प्रसवकालीन देखरेख के अनुपात को बढ़ाने, जच्चाओं में रक्ताल्पता तथा एम.एम.आर. में कमी लाने, बच्चों की टीकाकरण दर बढ़ाने, आई.एम.आर. और सी.एम.आर. में कमी लाने, बच्चों के कुपोषण में कमी लाने, पेचिश और ए.आर.आई. के मामले कम करने तथा विटामिन ए का प्रभावक्षेत्र विस्तारित करने के लिए समयबद्ध लक्ष्यों पर दृढ़ रहना।

ऊपर विस्तार से बताया गया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अनेक सुधार कार्यक्रम पहले से ही चल रहे हैं जो संस्थागत, प्रबंधकीय, व्यावसायिक और वित्तीय मुद्दों से जुड़े हुए हैं। सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुछ खास परिणाम संबंधित लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं (बाक्स 4.B)।

कुछ मुद्दे जिन्हें रेखांकित करना जरूरी है और जो उ.प्र. में स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन पर नीचे विचार किया जाएगा—

**बाक्स 4.3 : दसवीं योजना के स्वास्थ्य लक्ष्य—**

उ.प्र. में दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्य—

- भौतिक अवस्थापना की दृष्टि से योजना अवधि में अस्पतालों और दवाखानों की संख्या 4959 से बढ़ाकर 6139; उपकेन्द्रों की संख्या 18577 से बढ़ाकर 27577, पी.एच.सी. की संख्या 3629 से बढ़ाकर 3640 और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 340 से बढ़ाकर 540 कर देने का लक्ष्य है।
- जन्म दर को 32.1 प्रति हजार जनसंख्या से घटाकर 22 प्रति हजार जनसंख्या तक ले आना है।
- मृत्यु दर को 10.2 से घटाकर 9 प्रति हजार जनसंख्या तक ले आना है।
- शिशु मृत्यु दर को 84 से घटाकर 72 प्रति हजार जनसंख्या तक ले आना है।
- टी.एफ.आर. में 3.32 तक की  $deh\ ykukA$
- एम.एम.आर. को घटाकर 400 प्रति लाख जनसंख्या करना।
- जच्चा-बच्चा सुरक्षा दर को बढ़ाकर 36.2% तक ले जाना।
- 70% महिलाओं को प्रसव पूर्व देखरेख  $mi\ yC/k$  कराना।
- सांस्थानिक प्रसव को 38% और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों के  $ek/e\ |s$  प्रसव को 65% तक ले आना।
- $iR; d$  बस्ती तक पेयजल और अन्य सामाजिक  $voLFkki\ uk$  के विस्तार और सुधार के जरिए 'सबके लिए स्वास्थ्य' के लक्ष्य को  $iR$  करना शहरी जलापूर्ति और स्वच्छता के क्षेत्र में प्रमुख लक्ष्य है।
- ग्रामीण जलापूर्ति के क्षेत्र में सभी ग्रामीण बस्तियों तक साफ पेयजल की पहुंच सुनिश्चित करना और आपूर्ति हो रहे जल की गुणवत्ता को (catchment) क्षेत्र दृष्टिकोण के तहत  $VUj\ O.k$  और निगरानी की चौकस व्यवस्था के  $ek/e\ |s$  बनाए रखना।

- संपूर्णतावादी दृष्टिकोण की  $viO'; drk$  है। स्वास्थ्य को केवल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की चिंता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। स्वास्थ्य लक्ष्यों को पर्यावरणिक स्वच्छता, पेयजल, जच्चा-बच्चा कुपोषण उन्मूलन, शिक्षा और स्वास्थ्य चेतना के क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्यों के साथ समायोजित किया जाना चाहिए। सुरक्षित पेय जल, शौचालयों की उपलब्धता, जल निकासी और मल  $fudkl\ h$  व्यवस्था तथा कूड़े की सफाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। पेयजल की गुणवत्ता स्वास्थ्य बोर्ड की ओर से नियमित रूप से परखी जानी चाहिए और जांच के  $ifj.kkels$  को रेडियो और अखबारों के जरिए प्रसारित किया जाना चाहिए।
- क्षेत्रीय भिन्नताएं विकेंद्रित स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता प्रकट करती हैं। स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई जनसमितियों ( $Fkk&$  ग्राम स्वास्थ्य समिति, जिला स्वास्थ्य परिषद इत्यादि) द्वारा स्थानीय सूचना और स्थानीय स्वास्थ्य रक्षा संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसी दृष्टिकोण की संस्तुति भोरे समिति ने की थी और केरल तथा कर्नाटक जैसे राज्यों में स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली का यही आधार है।
- जिला स्वास्थ्य योजना बनाते समय स्थानीय जानकारी का प्रयोग करना चाहिए। इन योजनाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा के स्तर से ऊपर बढ़ते हुए मांग और जरूरत संबंधी अंतरालों की पहचान करनी चाहिए तथा ऐसे स्पष्ट लक्ष्य तय करने चाहिए जो मुख्य स्वास्थ्य परिणामों से जुड़े हों। स्वास्थ्य रक्षा अधिकारियों के प्रदर्शन का समय-समय पर मूल्यांकन करना चाहिए।

- (iv) िर; d स्तर पर, सरकार के सहयोग से, मुख्य मानकों का एक समूह चिह्नित करना चाहिए तथा इन्हें सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।
- (v) स्वास्थ्य योजनाओं को ऐसे समाधान खोजने होंगे जिनके लिए अतिरिक्त संसाधनों की वक़्त; drk हो। इसी के साथ स्वास्थ्य योजनाओं को महत्वपूर्ण संसाधन अंतरालों की पहचान भी करनी होगी।
- (vi) अब यह मान लिया गया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुदान कम है और नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का उद्देश्य जी.डी.पी. में स्वास्थ्य व्यय के हिस्से को लगभग एक से दो प्रतिशत तक बढ़ाना है। इसका अधिकांश अतिरिक्त बोझ केंद्र को ही उठाना होगा।
- (vii) यह स्पष्ट है कि उ.प्र. में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में निजी क्षेत्र को मुख्य भूमिका निभानी होगी। लेकिन, निजी क्षेत्र में वस्तुतः कोई भी प्रभावी नियम नहीं हैं। निजी क्षेत्र अपने प्रदर्शन से संबंधित कोई भी सूचना नहीं देता और मरीज की सुरक्षा या उचित कीमत की कोई भी व्यवस्था उसमें नहीं है। उ.प्र. में स्वास्थ्य रक्षा के विस्तार क्षेत्र के बारे में भी सूचना का अभाव है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इलाज की लागत उन प्रदेशों में सबसे अधिक है जहां सार्वजनिक स्वास्थ्य अवस्थापना सुविधाओं का विकास कम हुआ है। यह तथ्य बाह्य चिकित्सा के साथ ही सरकारी और निजी अस्पताल किराए पर भी लागू होता है। जहां सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली ठीक से विकसित है वहां सरकारी और निजी क्षेत्र में इलाज सुविधा की लागत कम है। सरकारी सुविधाओं के साथ होड़ निजी सुविधाओं के शुल्क निर्धारण में महत्वपूर्ण निर्धारक बन जाती है (केरल के अनुभव से यह प्रत्यक्ष होता है)।
- (viii) पिछले कुछ दशकों में शिशु और बाल मृत्युदर में गिरावट की

मुख्य वजह सरकार द्वारा आयोजित रोकथाम मूलक प्रयास हैं। इनमें टीकाकरण केंद्र, ग्रामीण क्षेत्रों में साफ पानी के केंद्रों की स्थापना इत्यादि लक्ष्य हैं। समय आ गया है कि इन ि; kl k को और तेज कर दिया जाए।

- (ix) राज्य में बड़ी संख्या में प्रशिक्षित निजी चिकित्सा और अर्धचिकित्सा कर्मचारी हैं तथा उससे भी बड़ी संख्या में अप्रशिक्षित लोग हैं जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में थोड़ी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलाकर करते रहे हैं। अब तो रोकथाम मूलक स्वास्थ्य में भी ऐसे उदाहरण हैं (तुलना आइ.पी.ओ.वी. और खसरे का टीका) जहां निजी-सरकारी साझेदारी ठीक से काम कर रही है। सरकारी अस्पताल नियमित रूप से निजी क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई गई दैनिक सुविधाओं का उपयोग करते हैं और कुछ कार्यक्रमों में निजी डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ सेवाएं मिलाकर कराने का ठेका दिया जा रहा है। इनमें से कुछ उदाहरण जहां सार्वजनिक क्षेत्र की अक्षमता से पैदा हुए हैं वहीं कुछ अन्य संभवतः पहले से ही उपलब्ध संसाधनों के कम लागत पर अधिकतम इस्तेमाल की इच्छा से सामने आए हैं। विकेंद्रित स्वास्थ्य योजना को यह देखना होगा कि कैसे निजी क्षेत्र की उपलब्धता का सर्वोत्तम इस्तेमाल स्वास्थ्य रक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने में किया जाए। इसके साथ ही सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में आकर्षित करने के लिए यथोचित प्रेरणा के साथ व्यापक योजना तैयार करनी होगी।
- (x) स्वास्थ्य रक्षा के असाधारण व्यय भार, खासकर अस्पताल दाखिले की ऊंची लागत, दस नवंबर जलकसेण्डा ऐसा लगता है कि 'अस्पताल दाखिले के लिए स्वास्थ्य बीमा' एक महत्वपूर्ण विकल्प होगा। इसकी संभावना तलाशी जानी चाहिए।



## आर्थिक खुशहाली

### हिंदक

विकास को सामान्यतः जी.एन.पी. या लघु विकास को आधार पर आंका जाता है। लेकिन वर्तमान विकास की अवधारणा आर्थिक वृद्धि को मानव विकास के साध्य के रूप में नहीं बल्कि साधन के रूप में देखती है।

### उत्तर प्रदेश में आय स्तर

#### बाक्स 5.1

#### एन.एस.डी.पी., एन.आर.डी.पी. और एन.डी.डी.पी. की अवधारणाएं


एन.डी.पी. या शुद्ध घरेलू उत्पाद कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन, सेवाओं इत्यादि जैसे अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में पूँजी के अवमूल्यन को घटाकर निकाला गया मूल्य है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (एन.एस.डी.पी.), शुद्ध क्षेत्रीय घरेलू उत्पाद (एन.आर.डी.पी.) और शुद्ध जिला घरेलू उत्पाद (एन.डी.डी.पी.) इसी तरह की अवधारणाएँ हैं जब उसे ही क्रमशः राज्य, क्षेत्र और जिले के संदर्भ में लागू किया जाता है। फिर भी, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा में जिले और राज्य की सीमाओं के बाहर का आय-वितरण सम्मिलित नहीं किया जाता। उसके संबंध में पर्याप्त आँकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं।

राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आय के अनुमान काफी लंबे समय से तैयार किए जाते रहे हैं। लेकिन उ.प्र. में जिला स्तर पर आय अनुमान पहली बार इस प्रतिवेदन के लिए ही तैयार किया गया है। जिला स्तर पर आय अनुमानों के लिए अपनाई गई पद्धति सांख्यिकीय परिशिष्ट में दे दी गई है।

योजना के पहले पच्चीस वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मंद गति से आगे बढ़ी। उस समय लगभग 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि दर्शाई गई है। यह दर जनसंख्या वृद्धि दर से थोड़ी ही अधिक थी। इस अवधि में राज्य में प्रति व्यक्ति आय वस्तुतः स्थिर रही। 1970 दशक के मध्य से परिस्थिति में परिवर्तन दिखाई पड़ने लगा। 1980 दशक के दौरान उत्तर प्रदेश में जी.एस.डी.पी. राष्ट्रीय स्तर पर 5.5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर की तुलना में 4.9 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ा। वास्तव में, 1990 दशक में उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर गिरकर 3.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष हो गई जबकि भारत की वार्षिक वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत की दर से बढ़ी। इस अवधि में उत्तर प्रदेश से कम वृद्धि दरें केवल दो राज्यों, बिहार और उड़ीसा, में रही हैं। अतः 1990 दशक के काल में आरम्भ हुई आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया गरीब राज्यों पर अनुकूल प्रभाव डालने में असफल रही और इस तरह उसने देश में आय संबंधी विषमताओं को जन्म दिया।

उत्तर प्रदेश में वृद्धि दर के कम होने के जो प्रमुख कारक हैं वे निम्न हैं— शासन की राजकोषीय संकट बढ़ने के कारण सार्वजनिक निवेश में घटोतरी और अवस्थापना के कारण सार्वजनिक निवेश आकर्षित करने में

सम्पूर्ण योजना अवधि में उत्तर प्रदेश में आय की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे रही। फलस्वरूप 1974-79 और 1990-92 की दो लघु अवधियों को छोड़कर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर सम्पूर्ण भारत से कम रही (चित्र 5.1)। इसके परिणामस्वरूप राज्य की और भारत की प्रतिव्यक्ति आय में समय के साथ-साथ निरंतर बढ़ता रहा (अध्याय 1)।



राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1950-51 में राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय के लगभग बराबर थी। आज वह राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय का लगभग 3/5 हो गई है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश की अपेक्षा शेष अधिक तेज गति से आगे बढ़ रहा है।

स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर इतनी कम रही है कि वह राज्य के लोगों की गरीबी और निम्न जीवन स्तर जैसी समस्याओं के क्षेत्र में कोई दर्शनीय स्पष्ट अंतर नहीं डाल सकी है।

इसके अतिरिक्त, प्रति व्यक्ति आय में जो भी थोड़ा बहुत सुधार हुआ वह काफी सीमा तक गैर कृषि-क्षेत्र तक ही सीमित रहा, कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय का स्तर वस्तुतः स्थिर रहा। इस तरह कृषक जनसंख्या की प्रति व्यक्ति आय 1950-51 से 1990-91 की अवधि में 0.6 प्रतिशत वार्षिक की धीमी गति से बढ़ी जबकि गैर-कृषि क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय इससे काफी अधिक 2.3 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ी।

इसके परिणामस्वरूप गैर-कृषि प्रति व्यक्ति आय और कृषक प्रति व्यक्ति आय के बीच विषमता अनुपात जहां 1950-51 में 1.8 था वहीं 1990-91 में तकरीबन दोगुना होकर 3.6 हो गया।


### सेक्टरवार विकास का स्वरूप

राज्य की अर्थव्यवस्था में जो ठहराव दिखाई पड़ा था वह 1970 दशक के मध्य तक अर्थतंत्र के तीनों प्रमुख सेक्टरों में व्याप्त हो गया। बहरहाल उसके बाद सभी सेक्टरों के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ। वृद्धि के सेक्टर वार पैटर्न से पता चलता है कि 1975-1990 के दौरान राज्य में हरित क्रांति की सफलता से पैदा हुई थी।

1990 दशक में कृषि की वृद्धि में गिरावट के कारण राज्य के अर्थतंत्र में चौतरफा एकाग्रता आई। बहरहाल, इस व्यापक प्रवृत्ति के भीतर भी द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों में तेज वृद्धि दर्ज की गई। उदाहरण के लिए 1981-98 के दौरान ये दोनों सेक्टर 5.4 प्रतिशत वार्षिक की दर से आगे बढ़े। इसकी तुलना में प्राथमिक सेक्टर में वार्षिक वृद्धि दर 2.4 प्रतिशत ही रही।

इसके परिणामस्वरूप राज्य के अर्थतंत्र में सेक्टरवार हिस्सेदारी में महत्वपूर्ण ढांचगत परिवर्तन हुए। निर्माण उद्योग और तृतीयक सेक्टरों की हिस्सेदारी में भारी वृद्धि हुई और इसी के अनुरूप प्राथमिक सेक्टर की हिस्सेदारी में गिरावट आई। विकास की प्रक्रिया से आमतौर पर जुड़े ये परिवर्तन 1970-71 के बाद खास तौर पर मुखर हो गए (चित्र 5.2)।

बहरहाल यह सेक्टरवार परिवर्तन पूरे देश के मुकाबले उ.प्र. में कम मुखर रहा। 2000-01 में राज्य की आय का 33.3 प्रतिशत प्राथमिक सेक्टर में पैदा होता था, जबकि राष्ट्रीय आय का केवल 26.6 प्रतिशत इस सेक्टर में पैदा होता था।



### जिला स्तरीय परिवर्तन

क्षेत्रों के बीच तुलना करने में कुछ पद्धतिगत समस्याएं हैं। 1981 की जनगणना के समय उ.प्र. में 56 जिले थे। 1991 की जनगणना के समय यह संख्या 63 हो गई और 1998 आते आते 83 हो गई। उत्तरांचल के जन्म के साथ ही 13 जिले उसमें चले गए, उ.प्र. में 70 बचे रह गए। कालक्रमानुसार तुलना करने के लिए इन जिलों को 56 जिलों में समूहबद्ध किया है जैसे वे 1981 में थे। विस्तृत विवरण पद्धति संबंधी परिशिष्ट में दिया गया है। कुछेक मामलों में नए जिलों की सीमाएं दो या दो से अधिक जिलों में घुली मिली हैं उनके आंकड़े ठीक-ठीक तुलनीय नहीं हैं लेकिन उनसे परिवर्तन के समीपवर्ती परिणाम की सूचना मिलती है।

तालिका 5.1 चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति क्षेत्रीय शुद्ध घरेलू उत्पाद, 2001-02 (रुपए में)

क्षेत्र	प्राथमिक सेक्टर	द्वितीयक सेक्टर	तृतीयक सेक्टर	सभी सेक्टर
पश्चिमी क्षेत्र	4516	2635	5719	12271
मध्य क्षेत्र	3179	1752	5049	9980
पूर्वी क्षेत्र	2793	1140	3392	7283
बुंदेलखंड	4289	1570	4364	10223
उत्तर प्रदेश	3571	1822	4360	9753

स्रोत : अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य विकास संस्थान, उ.प्र.

### प्रति व्यक्ति आय-स्तर में भिन्नताएं

आर्थिक समृद्धि में स्पष्ट क्षेत्रीय विषमताएं हैं। 2001-2002 में पश्चिमी क्षेत्र राज्य का सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र था। पूर्वी क्षेत्र सर्वाधिक गरीब था। मध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड मध्य श्रेणी में थे।

जिला स्तर पर आय संबंधी भिन्नताएं और भी स्पष्ट थीं। 1997-98 में जिला 2001-02 में प्रति व्यक्ति एन.डी.डी.पी. जिले में सबसे कम (4872 रुपये) था, जबकि बुंदेलखंड मध्य श्रेणी में सबसे अधिक (31917 रुपये) था। यह अंतर तकरीबन 7 गुना है। जिन 70 जिलों के अनुमान उपलब्ध थे उनमें से केवल 34 जिलों की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक थी।

तालिका 5.2 : ऊपर से नीचे के क्रम में प्रति व्यक्ति डीडीपी वाले जिले, 1997-98

पहला चौथाई	दूसरा चौथाई	तीसरा चौथाई	चौथा चौथाई
स्थान जिला	स्थान जिला	स्थान जिला	स्थान जिला
1 नैनीताल	18 बुलंदशहर	35 फर्रुखाबाद	52 हरदोई
2 गाजियाबाद	19 चमोली	36 इलाहाबाद	53 कानपुर देहात
3 हरिद्वार	20 झांसी	37 फतेहपुर	54 महाराजगंज
4 उत्तरकाशी	21 अल्मोड़ा	38 फिरोजाबाद	55 रायबरेली
5 सोनभद्र	22 आगरा	39 गोंडा	56 संत रविदासनगर
6 उधमसिंह नगर	23 अलीगढ़	40 मैनपुरी	57 गोरखपुर
7 देहरादून	24 पीलीभीत	41 सीतापुर	58 कुशीनगर
8 कानपुर नगर	25 बरेली	42 जालौन	59 जौनपुर
9 मेरठ	26 मथुरा	43 बदायूं	60 आजमगढ़
10 पिथौरागढ़	27 शाहजहाँपुर	44 मिर्जापुर	61 बस्ती
11 गढ़वाल	28 रामपुर	45 महोबा	62 अंबेडकरनगर
12 सहारनपुर	29 ललितपुर	46 मऊ	63 प्रतापगढ़
13 लखनऊ	30 खीरी	47 बांदा	64 गाजीपुर
14 मुजफ्फरनगर	31 मुरादाबाद	48 उन्नाव	65 बलिया
15 टेहरी गढ़वाल	32 एटा	49 बाराबंकी	66 देवरिया
16 बिजनौर	33 हमीरपुर	50 इटावा	67 बहराइच
17 वाराणसी	34 सुल्तानपुर	51 फैजाबाद	68 सिद्धार्थनगर

स्रोत : राज्य विकास संस्थान, उ.प्र.

तालिका 5.2 में जिलों को प्रति व्यक्ति एन.डी.डी.पी. के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सबसे ऊपर का चौथाई 14 जिलों से 10 पश्चिमी क्षेत्र, 1 पूर्वी क्षेत्र 2 पश्चिमी और एक बुंदेलखंड में हैं। सोनभद्र जिले का मामला विचित्र है। वैसे तो यह पिछड़ा हुआ जिला है लेकिन जिले में एक प्रमुख पनबिजली परियोजना के अवस्थित होने से यहां प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है। प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से सबसे नीचे की चौथाई के 14 जिलों में पूर्वी क्षेत्र में हैं,

### एन.डी.डी.पी. की वृद्धि दरें


क्षेत्र और जिला स्तर पर आय वृद्धि दरों की गणना दो अवधियों, अर्थात् 1980-81 से 1996-97 तक और 1993-94 से 2001-02 तक के लिए की गई है। पहली अवधि से दीर्घतर अवधि में वृद्धि दरों की प्रवृत्ति का अंदाजा मिलता है, जबकि दूसरी अवधि विगत वर्षों में वृद्धि का प्रदर्शन करती है। 1980-81 से 1996-97 तक की अवधि में पश्चिमी क्षेत्र (अब उत्तरांचल) में राज्य के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले आय की कम बढ़त दर्ज की गई। लेकिन

तालिका 5.2(V): ऊपर से नीचे के क्रम में प्रति व्यक्ति डीडीपी वाले जिले, 2001-2002

	पश्चिमी 20%	पश्चिमी 20%	पश्चिमी 20%	पश्चिमी 20%	पश्चिमी 20%	पश्चिमी 20%	पश्चिमी 20%		
LFक्र	फाय	LFक्र	फाय	LFक्र	फाय	LFक्र	फाय		
1	खजूरपुर	15	एतहा	29	कन्नौज	43	फतेहगढ़	57	खजूरपुर
2	लखनऊ	16	दुमका	30	बलिया	44	कन्नौज	58	कन्नौज
3	यमुना	17	वाराणसी	31	एतहा	45	कन्नौज	59	कन्नौज
4	कन्नौज	18	कन्नौज	32	हमीरपुर	46	एतहा	60	खजूरपुर
5	कन्नौज	19	कन्नौज	33	कन्नौज	47	कन्नौज	61	कन्नौज
6	कन्नौज	20	कन्नौज	34	कन्नौज	48	कन्नौज	62	कन्नौज
7	कन्नौज	21	कन्नौज	35	कन्नौज	49	कन्नौज	63	कन्नौज
8	कन्नौज	22	कन्नौज	36	कन्नौज	50	कन्नौज	64	कन्नौज
9	कन्नौज	23	कन्नौज	37	कन्नौज	51	कन्नौज	65	कन्नौज
10	कन्नौज	24	कन्नौज	38	कन्नौज	52	कन्नौज	66	कन्नौज
11	कन्नौज	25	कन्नौज	39	कन्नौज	53	कन्नौज	67	कन्नौज
12	कन्नौज	26	कन्नौज	40	कन्नौज	54	कन्नौज	68	कन्नौज
13	कन्नौज	27	कन्नौज	41	कन्नौज	55	कन्नौज	69	कन्नौज
14	कन्नौज	28	कन्नौज	42	कन्नौज	56	कन्नौज	70	कन्नौज

### कन्नौज के 14 जिलों में प्रति व्यक्ति डीडीपी

आय स्तर में असमानता द्वितीयक सेक्टर में सबसे अधिक थी। समय बीतने के साथ यह बढ़ती गई। इससे औद्योगिक गतिविधियों में बढ़ते हुए संकेंद्रण Concentration की सूचना मिलती है। तृतीयक सेक्टर में अंतर-जिला असमानताएं सबसे कम थीं लेकिन 1980-81 के बाद उनमें वृद्धि हुई है। (चित्र 5.3)।



1990 दशक में इस क्षेत्र का प्रदर्शन बहुत सुधरा (तालिका 5.3)। 1990 के दशक में बुंदेलखंड में सभी क्षेत्रों के मुकाबले सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश के तीनों मैदानी क्षेत्रों की आय वृद्धि दरों में बहुत अंतर नहीं दिखाई पड़ा। पश्चिमी 5-3, मध्य 5-3, पूर्वी 5-3, बुंदेलखंड 5-3, उत्तर प्रदेश 5-3।

तालिका 5.3: 1980-81 से कुल और प्रति व्यक्ति शुद्ध क्षेत्रीय उत्पाद की वार्षिक चक्रवृद्धि दर (प्रतिशत में)


क्षेत्र	कुल शुद्ध क्षेत्रीय उत्पाद		प्रति व्यक्ति शुद्ध क्षेत्रीय उत्पाद	
	1980-81 से 1996-97	1993-94 से 1997-98	1980-81 से 1996-97	1993-94 से 1997-98
पश्चिमी	2.2	4.1	-0.1	2.0
पश्चिमी	4.2	5.0	1.8	2.7
मध्य	4.3	4.5	2.1	2.4
पूर्वी	4.2	4.6	2.0	2.2
बुन्देलखण्ड	4.0	3.4	1.8	1.3
उत्तर प्रदेश	4.2	4.6	1.8	2.4

**तालिका 5.3 1/2: 1993-94 से कुल और प्रति व्यक्ति शुद्ध क्षेत्रीय उत्पाद की वार्षिक चक्रवृद्धि दर ( प्रतिशत में )**

क्षेत्र	क्षेत्रीय उत्पाद 1993-94	क्षेत्रीय उत्पाद 1993-94 से 2001-02
पश्चिमी	3.5	1.1
मध्य	4.2	1.8
पूर्वी	4.0	1.7
बुन्देलखण्ड	3.9	1.8
उत्तर प्रदेश	3.9	1.5

बहरहाल, जिला स्तर पर आय वृद्धि दर में अंतर एकदम स्पष्ट हैं। 1980-81 से 1996-97 तक की अवधि में राज्य में सबसे तेज वृद्धि वाले जिलों में वाराणसी, सुल्तानपुर, गाजियाबाद, गोंडा और ललितपुर थे। इन सबमें वार्षिक वृद्धि दर 6 प्रतिशत से अधिक दर्ज की गई।

दूसरी तरफ, बहुत कम वार्षिक वृद्धि दर ( 2.5 प्रतिशत से कम) पिथौरागढ़, अलमोड़ा, टिहरी गढ़वाल, गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली ( अब सभी उत्तरांचल में), गाजीपुर और जौनपुर ( दोनों पूर्वी उ.प्र. में) जिलों में दर्ज की गई। यह भी उल्लेखनीय है कि सभी क्षेत्रों में वृद्धि दरों में काफी अंतर दिखाई पड़े। चित्र 5.4 में सबसे तेज और सबसे धीमी बढ़त वाले जिलों ( फिलहाल जो उत्तरांचल में हैं उन्हें छोड़कर ) को दिखाया गया है।




**जिला स्तर पर सेक्टरवार वृद्धि दरें**

सेक्टरवार वृद्धि दरों के विश्लेषण से उस आर्थिक परिवर्तन की गति का पता चलता है जो क्षेत्रीय स्तर पर हो रही है। प्राथमिक सेक्टर के मामले में उ.प्र. के सभी मैदानी क्षेत्रों में 1980 से 97 तक की अवधि में ठीक-ठाक ऊंची वार्षिक वृद्धि दर, 3 प्रतिशत से अधिक, दर्ज की गई, जबकि पूर्वी क्षेत्र ( अब उत्तरांचल ) में वृद्धि कम दिखाई पड़ी ( चित्र 5.5 )। ऐसा मुख्यतः इसलिए हुआ क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में पेड़ काटने पर कानूनी प्रतिबंध लग जाने से जंगलात क्षेत्र का योगदान कम हो गया। बहरहाल, द्वितीयक सेक्टर का प्रदर्शन विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग रहा। बुंदेलखंड और पूर्वी क्षेत्र अन्य

क्षेत्रों से बहुत पीछे रहे। तृतीयक सेक्टर आम तौर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर है और विभिन्न क्षेत्रों में इसकी वृद्धि दर बहुत अलग-अलग नहीं रही।

सेक्टरवार वृद्धि दरों के विलक्षण कारण क्षेत्रीय आय की संरचना पिछले दो दशकों के दौरान तेजी से गैर-कृषि आय के पक्ष में बदली है ( तालिका 5.4 )। यह बदलाव मुख्यतः तृतीयक सेक्टर के पक्ष में हुआ है। सारे क्षेत्रों में यह प्रमुख सेक्टर के रूप में उभरा है। आय में द्वितीयक सेक्टर की हिस्सेदारी भी बुंदेलखंड को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में बढ़ी है।

सेक्टरवार संरचना की ये भिन्नताएं क्षेत्रीय स्तर पर बहुत स्पष्ट नहीं हैं। वर्ष 1997-98, 2001-02 के बुंदेलखंड का सबसे अधिक हिस्सा प्राथमिक सेक्टर में है और सबसे कम हिस्सा द्वितीयक सेक्टर में है। दूसरी तरफ, मध्य क्षेत्र का सबसे अधिक हिस्सा तृतीयक सेक्टर में है लेकिन सबसे कम हिस्सा प्राथमिक सेक्टर में है।



**तालिका 5.4 : 1980-81 और 1997-98 में शुद्ध क्षेत्रीय उत्पाद की सेक्टरवार संरचना**

क्षेत्र	कुल शुद्ध क्षेत्रीय उत्पाद में प्रतिशत हिस्सा							
	प्राथमिक सेक्टर		द्वितीयक सेक्टर		तृतीयक सेक्टर		सभी सेक्टर	
	1980-81	1997-98	1980-81	1997-98	1980-81	1997-98	1980-81	1997-98
पूर्वी	52.1	38.6	16.8	18.6	31.2	42.8	100.0	100.0
पश्चिमी	52.6	38.3	16.8	20.7	30.5	41.0	100.0	100.0
मध्य	49.0	32.0	15.6	18.2	35.4	49.8	100.0	100.0
पूर्वी	53.1	36.3	12.9	19.5	34.0	44.2	100.0	100.0
बुन्देलखण्ड	51.3	41.9	14.9	14.6	33.8	43.5	100.0	100.0
उत्तर प्रदेश	52.1	36.9	15.4	19.6	32.5	43.6	100.0	100.0

**तालिका 5.4 : (V) 1993-94 और 2001-02 में शुद्ध क्षेत्रीय उत्पाद की सेक्टरवार संरचना**

क्षेत्र	कुल शुद्ध क्षेत्रीय उत्पाद में प्रतिशत हिस्सा							
	प्राथमिक सेक्टर		द्वितीयक सेक्टर		तृतीयक सेक्टर		सभी सेक्टर	
	1993-94	2001-02	1993-94	2001-02	1993-94	2001-02	1993-94	2001-02
पश्चिमी	40.9	38.4	23.1	22.8	36.0	38.8	100.0	100.0
मध्य	38.2	33.7	17.5	18.4	44.3	47.9	100.0	100.0
पूर्वी	47.7	40.6	13.2	16.3	39.1	43.1	100.0	100.0
बुन्देलखण्ड	44.1	45.2	15.2	15.5	40.7	49.3	100.0	100.0
उत्तर प्रदेश	41.7	38.6	19.2	17.6	39.1	41.8	100.0	100.0

## बाक्स 5.2 : आय वृद्धि की प्रमुख बातें

### प्रमुख उपलब्धियाँ

- राज्य में आय की वृद्धि दर 1970 दशक के मध्य से तेजी से बढ़नी शुरू हुई। 1980-81 से 1997-98 तक के बीच उ.प्र. में कुल एस.डी.पी. में प्रति वर्ष 4.0 प्रतिशत की नियमित किंतु मंथर वृद्धि दर्ज की गई। प्रति व्यक्ति एस.डी.पी. में 1.9 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि देखी गई।
- खासकर कृषि क्षेत्र के मामले में बढ़त की प्रक्रिया भौगोलिक रूप से व्यापक थी। आमतौर पर, थोड़े गरीब जिले तीव्रतर गति से आगे बढ़े जिसके कारण प्रति व्यक्ति जिला आय में असमानताएं कम हुईं।
- राज्य आय की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों के पक्ष में स्पष्ट बदलाव आया जबकि प्राथमिक सेक्टर के हिस्से में तेजी से गिरावट आई।

### चिंता के क्षेत्र

- अन्य राज्यों के मुकाबले उ.प्र. की वृद्धि दर काफी कम रही। इसके कारण राष्ट्रीय और राज्य की प्रति व्यक्ति आय में अंतराल बढ़ गया।
- अस्सी के दशक की तुलना में नब्बे के दशक में वृद्धि दर कम हो गई।
- खासकर द्वितीयक सेक्टर के मामले में जिला स्तर पर एन.डी.डी.पी. की वृद्धि दर में काफी भिन्नताएं देखी गईं। औद्योगिक क्षेत्र के कई जिलों में प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर की आय में गिरावट आई।
- कृषि और गैर-कृषि सेक्टर की प्रति व्यक्ति आय में असमानता तेजी से बढ़ी। गैर-कृषि सेक्टर में प्रति व्यक्ति आय कृषि की प्रति व्यक्ति आय से तकरीबन साढ़े तीन गुना अधिक है।
- प्रति व्यक्ति आय में क्षेत्रीय और जिला स्तरों पर काफी भिन्नताएं हैं। औद्योगिक और पश्चिमी जिलों में प्रति व्यक्ति आय अन्य क्षेत्रों के जिलों से अधिक है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में पूर्वी उ.प्र. सबसे गरीब क्षेत्र है।
- कुछेक चुनिंदा जिलों में औद्योगिक गतिविधियों का संकेंद्रण (concentration) बहुत अधिक है, जबकि अनेक जिलों में खेती ही प्रमुख कार्य बनी हुई है।

जिला स्तर पर जिला आय की संरचना में स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ते हैं। तालिका 5.5 में जिला आय में विभिन्न सेक्टरों की अपेक्षाकृत अधिक और कम हिस्सेदारी वाले जिलों की सूची प्रस्तुत की गई है।

## रोजगार, बेरोजगारी और श्रम उत्पादकता


### उ.प्र. में बेरोजगारी

आमतौर पर यह माना जाता है कि भारत जैसे अर्थतंत्र में बेरोजगारी के विविध रूप हैं। 'खुली' बेरोजगारी की तुलना में अल्प रोजगार और 'प्रच्छन्न' बेरोजगारी संभवतः अधिक लोगों को प्रभावित करती है। वास्तव में, उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि उ.प्र. में जनसंख्या का अपेक्षाकृत छोटा अनुपात ही बेरोजगार/अल्परोजगार है तथा समूचे देश की तुलना में भी यह अनुपात कम ही है।

आम स्थिति, चालू साप्ताहिक स्थिति और चालू दैनिक स्थिति के आधार पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण बेरोजगारी की सीमा के बारे में सूचना उपलब्ध कराता है। आम स्थिति (यू.एस.) और चालू साप्ताहिक स्थिति (सी.डब्ल्यू.एस.) के अनुमान क्रमशः पिछले वर्ष और पिछले सप्ताह के संदर्भ में दीर्घकालीन बेरोजगारी दरों के बारे में बताते हैं। चालू दैनिक स्थिति (सी.डी.एस.) का आकलन मानव दिवस के अनुसार से किया जाता है और यह सर्वाधिक व्यापक अवधारणा है। यह श्रमशक्ति की बेरोजगारी और अल्परोजगार की सीमा का भी आकलन करती है।

इन तीनों परिभाषाओं के अनुसार, आम स्थिति के अनुसार 1999-2000 में उ.प्र. में केवल 1.2 प्रतिशत ग्रामीण श्रमशक्ति और 4.5 प्रतिशत शहरी श्रम शक्ति बेरोजगार थी। लेकिन ये ही दरें अखिल भारतीय स्तर पर अधिक थीं—क्रमशः 1.9 प्रतिशत और 5.2 प्रतिशत। दैनिक स्थिति परिभाषा के अनुसार बेरोजगारी दरें सबसे अधिक दर्ज की गईं। इसमें अल्प रोजगार का भी ध्यान रखा जाता है। इस मामले में 3.6 प्रतिशत ग्रामीण श्रम शक्ति और 6.2 प्रतिशत शहरी श्रम शक्ति 1999-2000 में बेरोजगार थी। यह संख्या भी अखिल भारतीय आंकड़ों से कम थी (क्रमशः 7.1 प्रतिशत और 7.7 प्रतिशत)।

चित्र 5.6 : 1999-00 में उ.प्र. और भारत में बेरोजगारी दरें



महत्वपूर्ण रूप से ग्रामीण महिलाओं में सभी तीनों बेरोजगारी मानकों के लिहाज से बेरोजगारी दरें पुरुषों की तुलना में कम थीं लेकिन शहरी महिलाओं में थोड़ी अधिक थीं। ध्यान देने की बात यह है कि अखिल भारतीय स्तर पर शहरी महिलाओं में बेरोजगारी दरें पुरुषों की तुलना में काफी अधिक हैं।

उ.प्र. में और अखिल भारतीय स्तर पर भी शिक्षितों में बेरोजगारी काफी अधिक है और इसमें भी, अधिकांश मामलों में, महिलाओं में अधिक है। उदाहरण के लिए 7.1 प्रतिशत शिक्षित ग्रामीण महिलाएं और 17.2 प्रतिशत शिक्षित शहरी महिलाएं (15 और उससे अधिक आयु की) बेरोजगार थीं। लेकिन पुनः शिक्षित बेरोजगारी दरें उ.प्र. के मुकाबले राष्ट्रीय स्तर पर अधिक थीं।

समूची श्रम शक्ति की तुलना में 15 से 29 वर्ष आयु के युवकों में बेरोजगारी काफी अधिक है। युवकों में प्रत्यक्ष बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समस्या के बतौर उभरी है। इस तरह 1999-2000 में उ.प्र. में 9.3 प्रतिशत शहरी युवा दीर्घकालीन बेरोजगारी से ग्रस्त थे (जबकि 1993-94 में 8.6 प्रतिशत), लेकिन केवल 2.0 प्रतिशत ग्रामीण युवा ही इस कोटि में थे।

इसी तरह, चालू साप्ताहिक और दैनिक स्थिति के आधार पर शहरी क्षेत्रों की श्रमशक्ति में क्रमशः 11.1 और 12.5 प्रतिशत युवक बेरोजगार हैं जबकि क्रमशः 4 प्रतिशत और 6.1 प्रतिशत ग्रामीण युवक इस कोटि में आते हैं।



तालिका 5.5 : जिला आय में विभिन्न सेक्टरों के सबसे अधिक और सबसे कम हिस्से वाले जिले, 1997-98

तालिका 5.5 : जिला आय में विभिन्न सेक्टरों के सबसे अधिक और सबसे कम हिस्से वाले जिले, 1997-98								
प्राथमिक सेक्टर			द्वितीयक सेक्टर			तृतीयक सेक्टर		
स्थान	जिला	हिस्सा (%)	स्थान	जिला	हिस्सा (%)	स्थान	जिला	हिस्सा (%)
<b>अग्रणी दस जिले</b>								
1	महाराजगंज	55.9	1	गाजियाबाद	43.8	1	लखनऊ	65.5
2	खीरी	55.7	2	वाराणसी	40.8	2	कानपुर नगर	60.9
3	पीलीभीत	54.4	3	हरिद्वार	33.3	3	देहरादून	56.5
4	उत्तरकाशी	53.0	4	सोनभद्र	31.8	4	कानपुर देहात	54.7
5	सिद्धार्थनगर	52.6	5	गोंडा	30.2	5	इलाहाबाद	54.1
6	बदायूं	52.6	6	सुल्तानपुर	29.2	6	गोरखपुर	53.7
7	कुशीनगर	52.2	7	देहरादून	26.6	7	प्रतापगढ़	51.5
8	मैनपुरी	52.0	8	कानपुर नगर	25.9	8	आगरा	50.2
9	महोबा	51.2	9	बरेली	25.4	9	फिरोजाबाद	49.7
10	ललितपुर	40.4	10	मेरठ	24.8	10	मिर्जापुर	49.4
<b>पिछड़े दस जिले</b>								
59	मिर्जापुर	30.8	59	बहराइच	8.3	59	गाजियाबाद	37.8
60	हरिद्वार	30.8	60	प्रतापगढ़	8.2	60	कुशीनगर	37.7
61	गोंडा	29.9	61	बस्ती	8.0	61	पिथौरागढ़	37.7
62	आगरा	27.7	62	खीरी	7.6	62	पीलीभीत	36.8
63	इलाहाबाद	25.2	63	बदायूं	7.6	63	खीरी	36.6
64	गाजियाबाद	18.4	64	मैनपुरी	7.1	64	ऊधमसिंह नगर	36.0
65	वाराणसी	17.1	65	बलिया	7.0	65	हरिद्वार	35.9
66	देहरादून	16.5	66	गाजीपुर	6.1	66	संत रविदास नगर	34.0
67	कानपुर नगर	13.2	67	महाराजगंज	4.6	67	सोनभद्र	33.7
68	लखनऊ	11.2	68	सिद्धार्थ नगर	4.2	68	उत्तरकाशी	32.8

तालिका 5.5 : 1/2 जिला आय में विभिन्न सेक्टरों के सबसे अधिक और सबसे कम हिस्से वाले जिले, 2001-02

तालिका 5.5 : 1/2 जिला आय में विभिन्न सेक्टरों के सबसे अधिक और सबसे कम हिस्से वाले जिले, 2001-02								
प्राथमिक सेक्टर			द्वितीयक सेक्टर			तृतीयक सेक्टर		
स्थान	जिला	हिस्सा (%)	स्थान	जिला	हिस्सा (%)	स्थान	जिला	हिस्सा (%)
<b>अग्रणी दस जिले</b>								
1	egkck	59.3	1	xkfecq uxj	53.2	1	y[kuÅ	63.6
2	fl }kfkuxj	57.8	2	l rjfonkl uxj	42.2	2	कानपुर नगर	61.2
3	egjkt xat	54.8	3	xkft ; kckn	39.9	3	bykgkckn	53.9
4	ckkk	54.3	4	okjk.kl h	28.6	4	xkj [ki j	53.1
5	[khjh	54.0	5	dkuij ngkr	26.6	5	okjk.kl h	50.6
6	ebi gh	53.9	6	fQjst kckn	26.1	6	dkuij ngkr	49.3
7	cd khuxj	53.8	7	ejB	25.5	7	vxjk	46.6
8	cnk; W	53.4	8	vjs k	24.4	8	irki x<+	47.6
9	vEcMdj uxj	51.0	9	ckS kEch	24.3	9	>kW h	45.9
10	cgjkbp	52.3	10	cjyh	24.2	10	ckS kEch	45.6
<b>पिछड़े दस जिले</b>								
70	dkuij uxj	12.3	70	fl }kfkuxj	3.3	61	fp=dW	36.4
69	xkfecq uxj	13.8	69	egjkt xat	7.1	62	ckkk	36.2
68	y[kuÅ	14.2	68	vEcMdj uxj	7.8	63	i hyhHkr	35.4
67	l rjfonkl uxj	16.8	67	egkck	8.1	64	et Qjuxj	35.3
66	okjk.kl h	20.8	66	irki x<+	8.2	65	cd khuxj	35.2
65	xkft ; kckn	21.1	65	ebi gh	9.1	66	fctukj	34.4
64	bykgkckn	23.9	64	vktx<+	9.2	67	xkfecq uxj	33.0
63	vxjk	27.5	63	ckkk	9.5	68	egkck	32.5
62	ckS kEch	30.1	62	JkoLrh	9.7	69	[khjh	32.0
61	xkj [ki j	30.5	61	cnk; W	9.8	70	l ksHknz	31.2

अधिकतम बेरोजगारी दरें 20 से 24 वर्ष आयु वर्ग में पाई जाती हैं लेकिन आयु वर्ग बढ़ते ही तेजी से गिरने लगती हैं।

एन.एस.एस. शहरों की आकार कोटि के लिहाज से भी बेरोजगारी की दरों का आंकड़ा उपलब्ध कराता है। पुरुषों में अधिकतम बेरोजगारी दरें सबसे बड़े शहरों की कोटि में (10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्र) पाई जाती हैं। महिलाओं की बेरोजगारी दरें छोटे शहरों में ज्यादा अधिक हैं। आमतौर पर शहरों की सभी कोटियों में दैनिक स्थिति बेरोजगारी दरें आम स्थिति बेरोजगारी दरों या साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी दरों से अधिक हैं। इससे रोजगार अवसरों की मौसमी भिन्नताओं का पता चलता है।

ग्रामीण पुरुषों की बेरोजगारी दरें 1993-94 से 1999-2000 तक की अवधि में बढ़ी हुई दिखाई देती हैं जबकि इससे पीछे की पंचवर्षीय अवधि में घटी थीं। शहरी क्षेत्रों में 1993-94 से 1999-2000 तक की अवधि में पुरुषों और महिलाओं, दोनों में बेरोजगारी दरें बढ़ीं जबकि इससे पहले की अवधियों में इसमें लगातार गिरावट आई थी।

विकासशील देशों में कामगार मुख्यतः खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों में लगे रहते हैं इसलिए यहां प्रत्यक्ष बेरोजगारी की समस्या के मुकाबले अल्प रोजगारी की समस्या अधिक गंभीर होती है। अपर्याप्त आय और श्रम क्षमता के अपर्याप्त इस्तेमाल से अल्प रोजगारी पैदा होती है।

1999-2000 के एन.एस.एस. परिणामों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले संदर्भित सप्ताह भर (सी.डी.एस. मानदंड द्वारा) 91.8 प्रतिशत आमतौर पर रोजगारशुदा पुरुषों और केवल 61.7 प्रतिशत आमतौर पर रोजगारशुदा महिलाओं को ही रोजगार हासिल रहा। शहरी क्षेत्रों के मामले में 95 प्रतिशत आमतौर पर रोजगारशुदा पुरुषों और केवल 72.5 प्रतिशत आमतौर पर रोजगारशुदा महिलाओं को पिछले संदर्भित सप्ताह भर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार हासिल रहा। पिछले संदर्भित सप्ताह में जिन महिलाओं ने काम नहीं किया था उनका एक बड़ा प्रतिशत काम के लिए अनुपलब्ध बताया गया। पुनः इस बात पर ध्यान देना होगा कि इस प्रकार आकलित प्रत्यक्ष अल्परोजगार राष्ट्रीय स्तर पर इससे अधिक था।

पुनः उसी वर्ष (1999-2000) के दौरान उ.प्र. में आम स्थिति के अनुसार 10 प्रतिशत ग्रामीण मजदूरों और 6.5 प्रतिशत शहरी मजदूरों ने बताया कि वे नियमित तौर पर काम नहीं करते। इसे दीर्घकालीन अल्परोजगार कहा जा सकता है।

फिर, आम स्थिति से 7.9 प्रतिशत ग्रामीण मजदूरों और 5.2 प्रतिशत शहरी मजदूरों ने बताया कि वे अतिरिक्त काम खोज रहे हैं या पा गए हैं। अन्य 7.1 प्रतिशत ग्रामीण मजदूर और 5.1 प्रतिशत शहरी मजदूर वैकल्पिक काम के लिए उपलब्ध पाए गए। इसे राज्य में प्रच्छन्न अल्परोजगार का मोटा पैमाना माना जा सकता है।

संक्षेप में, उ.प्र. में प्रत्यक्ष बेरोजगारी तो बहुत नहीं है लेकिन नियमित रोजगार अवसरों का अभाव और अल्परोजगार प्रमुख समस्या प्रतीत होते हैं।

### रोजगार का पैटर्न और प्रवृत्तियां

भारत जैसे संक्रमणशील अर्थतंत्र के संदर्भ में 'काम' और 'रोजगार' की धारणाएं उतनी ही समस्याग्रस्त हैं जितना बेरोजगारी का अनुमान। खासकर महिलाओं के 'काम' और 'रोजगार' को परिभाषित करने और आकलित करने में महत्वपूर्ण समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। रोजगार संबंधी आंकड़ों के दो प्रमुख स्रोत-जनगणना और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन-रोजगार के एक दूसरे से जुड़े हुए लेकिन भिन्न अवधारणाओं का प्रयोग करते हैं।

(देखें बाक्स 5.3)।

### बाक्स 5.3 : जनगणना और एन.एस.एस. में कार्यशक्ति की धारणाएं

प्रत्येक दस वर्ष पर होने वाली जनगणना लोगों की आर्थिक गतिविधियों के संबंध में सूचनाएं एकत्र करती है। काम की परिभाषा है आर्थिक रूप से उत्पादक किसी गतिविधि में भागीदारी। इस भागीदारी शारीरिक या मानसिक हो सकती है। काम में केवल वास्तविक काम नहीं बल्कि प्रभावी देखरेख और काम का निर्देशन भी शामिल हैं। इसमें खेत पर या घर में बिना मजदूरी के किया गया काम भी शामिल है। संदर्भित अवधि गणना की तिथि से एक वर्ष पूर्व की होती है।

जनगणना कामगारों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करती है :

- मुख्य कामगार, अर्थात् जिन्होंने पिछले वर्ष के अधिकांश हिस्से में किसी आर्थिक गतिविधि में काम किया हो, अर्थात् 6 महीने (183 दिन) या उससे अधिक दिनों तक; और
- सीमांत कामगार, अर्थात् जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान कुछ समय तक काम किया हो, अधिकांश हिस्से तक नहीं, अर्थात् 183 दिन से कम।

1981 और 1991 की जनगणना में इन्हीं धारणाओं का प्रयोग किया गया लेकिन 1991 में महिलाओं की आर्थिक गतिविधि को समेटने के बेहतर प्रयास किए गए।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन भी रोजगार और बेरोजगारी के संबंध में पंच-वर्षीय सर्वेक्षण करता है। एन.एस.एस.ओ. ने काम या लाभप्रद गतिविधि की परिभाषा ऐसी गतिविधि के रूप में की है जिसे वेतन, मुनाफा या पारिवारिक लाभ के लिए किया जाए। दूसरों शब्दों में, ऐसी गतिविधियां जो राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य जोड़ें। जनगणना की तरह ही यह भी कृषि क्षेत्र से संबंधित किसी भी बाजार गतिविधि और गैर बाजार गतिविधि को काम में शामिल करता है।

एन.एस.एस.ओ. ने रोजगार और बेरोजगारी को नापने के लिए तीन भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों को अपनाया है :

- आम स्थिति, जिसमें संदर्भित अवधि सर्वेक्षण की तिथि से पहले के 365 दिन हैं;
- चालू साप्ताहिक स्थिति, जिसमें संदर्भित अवधि सर्वेक्षण की तिथि से पहले के सात दिन हैं;
- चालू दैनिक स्थिति, सर्वेक्षण की तिथि से पहले के सात दिनों में से प्रत्येक दिन। इसमें काम को मानव दिवस से नापा जाता है।


आम स्थिति दृष्टिकोण पर आधारित रोजगार की एन.एस.एस. धारणा जनगणना से लगभग तुलनीय है। एन.एस.एस. में कामगारों को आगे मुख्य स्थिति कामगार और सहायक स्थिति कामगार में इस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है कि आर्थिक गतिविधि में उनकी भागीदारी साल के लंबे हिस्से में रही है या नहीं।

एन.एस.एस.ओ. द्वारा अनुमानित पुरुष कार्य भागीदारी दर की तुलना तो जनगणना से की जा सकती है लेकिन महिलाओं की कार्य भागीदारी दर एन.एस.एस.ओ. में काफी अधिक बताई गई है।

रोजगार केवल बेरोजगारी का दूसरा पहलू नहीं है। ऐसा मानने का एक कारण यह है कि लोगों का बड़ा अनुपात ऐसा है जो बस अपने आपको श्रमशक्ति में शामिल नहीं बताते <sup>98</sup> अर्थात् न तो काम करते हैं न ही प्रत्यक्षतः काम खोज रहे हैं। मामला यह भी हो सकता है कि जो लोग श्रम शक्ति में शामिल नहीं हैं उनके भीतर काम खोजने का उत्साह पिछले अनुभव के कारण

और रोजगार संभावनाओं की जानकारी के कारण पैदा ही नहीं होता हो। इस संदर्भ में जो लोग वास्तव में रोजगारशुदा हैं उनका अनुपात महत्वपूर्ण हो जाता है।

जनगणना और एन.एस.एस. के आंकड़े बताते हैं कि देश की तुलना में उ.प्र. रोजगार के अवसर कम उपलब्ध हैं। खासकर आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बहुत सीमित है। यह तथ्य महिलाओं के विकास को बाधित करता है।



उ.प्र. का अर्थतंत्र अब भी बहुत कुछ कृषि अर्थतंत्र है। 1999-2000 में आमतौर पर सभी रोजगारशुदा लोगों में (मुख्य और सहायक स्थिति के मजदूरों सहित) 76.2 प्रतिशत खेती में काम करते थे। केवल 11.2 प्रतिशत मजदूर द्वितीयक सेक्टर में काम करते थे और 12.4 प्रतिशत तृतीयक सेक्टर में काम करते थे। ग्रामीण महिला मजदूरों में 87.5 प्रतिशत खेती में काम करती थीं। शहरी क्षेत्रों में स्वाभाविक रूप से खेती पर निर्भरता कम थी। केवल 9 प्रतिशत मजदूर इसमें थे जबकि तृतीयक सेक्टर (व्यापार, परिवहन, वित्तीय और अन्य सेवाएं) में 59 प्रतिशत कार्यशक्ति काम करती थी। उ.प्र. में पेशागत विविधता कम रही है।

### रोजगार का क्षेत्रीय और जिला स्तरीय आकार

राज्यस्तर पर जनगणना के परिणाम एन.एस.एस. के समान ही हैं। 1991 में रोजगार के लिहाज से कृषि राज्य अर्थतंत्र का प्रबल क्षेत्र रहा। इस क्षेत्र में 72.2 प्रतिशत मजदूर काम करते थे। राज्य में मुश्किल से 8 प्रतिशत मजदूर निर्माण संबंधी गतिविधियों में लगे हुए थे, उनमें से एक-तिहाई घरेलू उद्योगों में थे। 18 प्रतिशत श्रम शक्ति को तृतीयक सेक्टर में रोजगार मिला हुआ था। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार केवल 15 प्रतिशत ग्रामीण मजदूर गैर-कृषि गतिविधियों में लगे हुए थे।

पुरुष और महिला मजदूरों की रोजगार संरचना में भी स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ता है। इस तरह प्राथमिक सेक्टर में 71.4 प्रतिशत पुरुष मजदूरों के मुकाबले 84.5 प्रतिशत महिला मजदूर लगी हुई थीं। द्वितीयक सेक्टर में मुश्किल से 6.2 प्रतिशत मजदूर महिलाएं लगी हुई थीं तथा तृतीयक सेक्टर में केवल

9.3 प्रतिशत। पुरुष मजदूरों के प्रसंग में ये आंकड़े 9.3 प्रतिशत और 19.4 प्रतिशत थे।

औद्योगिक संरचना के लिहाज से राज्य के पूर्व; (अब उत्तरांचल) और पश्चिमी क्षेत्र में बाकी तीन क्षेत्रों की तुलना में अधिक विविधता थी।

राज्य के दो-तिहाई जिलों में 10 प्रतिशत से कम लोग द्वितीयक सेक्टर में काम करते थे।

तालिका 5.6 में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों में मजदूरों के रोजगार के लिहाज से अग्रणी और पिछड़े जिलों की सूची दी गई है।

**तालिका 5.6 : प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों में सबसे अधिक और सबसे कम कामगारों के हिस्से वाले जिले, 1991**

स्थान	प्राथमिक सेक्टर		द्वितीयक सेक्टर		तृतीयक सेक्टर	
	जिला	हिस्सा (%)	जिला	हिस्सा (%)	जिला	हिस्सा (%)
<b>अग्रणी दस जिले</b>						
1	सिद्धार्थनगर	90.9	वाराणसी	26.3	कानपुर नगर	56.1
2	महाराजगंज	89.1	कानपुर नगर	26.0	देहरादून	47.5
3	बहराइच	88.5	गाजियाबाद	24.1	लखनऊ	46.0
4	गोंडा	88.5	फिरोजाबाद	20.9	गाजियाबाद	35.8
5	खीरी	87.6	आगरा	20.1	आगरा	31.8
6	बांदा	86.6	मिर्जापुर	18.0	गढ़वाल	28.1
7	बस्ती	85.9	मेरठ	17.3	मेरठ	27.4
8	हरदोई	85.8	मऊ	17.2	हरिद्वार	26.7
9	बदायूं	85.3	देहरादून	17.0	नैनीताल	25.8
10	सुल्तानपुर	84.5	हरिद्वार	16.0	झांसी	25.4
<b>पिछड़े दस जिले</b>						
54	नैनीताल	62.9	मैनपुरी	3.9	सुल्तानपुर	10.9
55	फिरोजाबाद	59.3	बांदा	3.8	बाराबंकी	10.5
56	हरिद्वार	57.3	अल्मोड़ा	3.3	खीरी	10.1
57	मेरठ	55.2	बहराइच	3.1	बस्ती	9.6
58	वाराणसी	51.8	हरदोई	2.9	बांदा	9.6
59	आगरा	48.1	बदायूं	2.9	महाराजगंज	9.2
60	गाजियाबाद	40.1	गोंडा	2.7	गोंडा	8.8
61	लखनऊ	40.0	खीरी	2.3	बहराइच	8.4
62	देहरादून	35.5	महाराजगंज	1.7	सिद्धार्थनगर	7.4
63	कानपुर नगर	17.3	सिद्धार्थ नगर	1.7	देवरिया	5.2


### रोजगार में वृद्धि

जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि 1981 से 1991 तक की अवधि के दौरान उ.प्र. में कुल कार्यशक्ति (मुख्य और सीमांत को जोड़कर) 2.8 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि (Of) दर से बढ़ी। पुरुष मजदूरों की तुलना में (2.1 प्रतिशत वार्षिक) महिला मजदूरों (6.7 प्रतिशत वार्षिक) में यह बढ़त दर काफी तेज रही। शहरी कार्यशक्ति पुरुष और महिला दोनों ही मजदूरों के मामले में ग्रामीण कार्यशक्ति के मुकाबले तेजी से बढ़ी।

उ.प्र. के क्षेत्रों में बुंदेलखंड में कुल मजदूरों की सबसे तेज बढ़त दर (3.5 प्रतिशत वार्षिक) अंकित की गई। इसके बाद पूर्वी क्षेत्र (2.9 प्रतिशत वार्षिक) और पश्चिमी क्षेत्र (2.8 प्रतिशत वार्षिक) आते हैं। लेकिन उत्तरांचल क्षेत्र (अब उत्तरांचल) और मध्य क्षेत्र में कार्यशक्ति की बढ़त औसत से कम दर्ज की गई।

जिन जिलों में मजदूरों की बहुत तेज बढ़त (3.5 प्रतिशत वार्षिक से अधिक) दिखाई पड़ी वे हैं : नैनीताल, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, अलीगढ़, इलाहाबाद, बहराइच, गोंडा, वाराणसी, हमीरपुर और झांसी। दूसरी ओर, जिन जिलों में रोजगार की बढ़त धीमी (2.0 प्रतिशत वार्षिक से कम) दिखाई पड़ी वे हैं : टिहरीगढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली, शाहजहांपुर, कानपुर और देवरिया। गढ़वाल में रोजगार का स्तर वस्तुतः स्थिर रहा।

सीमांत मजदूर वे लोग हैं जिन्होंने बताया कि वर्ष भर में 183 दिनों से कम काम उन्हें मिला। 1981 में कुल मजदूरों में 4.8 प्रतिशत ये ही थे। 1991 में यह प्रतिशत बढ़कर 7.7 प्रतिशत हो गया। कुल सीमांत मजदूरों में 95 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में थे। ग्रामीण सीमांत मजदूरों में 92.6 प्रतिशत महिलाएं थीं और शहरी सीमांत मजदूरों में 83.3 प्रतिशत। वे मुख्यतः गरीब परिवारों से आती हैं और अधिकांशतः खेती तथा इससे जुड़ी गतिविधियों, लकड़ी चुनना इत्यादि में लगी हुई हैं। उ.प्र. के मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पर्यावरणिक रूप से प्रतिकूल दो क्षेत्रों (उत्तराखंड और बुंदेलखंड) में सीमांत मजदूरों की संख्या बहुत अधिक है।



एन.एस.एस. के अनुसार 1978 से 1999-2000 तक की अवधि के दौरान निर्माण क्षेत्र में रोजगार वृद्धि दर सबसे तेज (6 प्रतिशत वार्षिक) रही। इसके बाद व्यापार (4%) और परिवहन (3.6%) का स्थान था। उत्पादन और सेवाओं में रोजगार की वृद्धि दर 2.7 प्रतिशत और 2.6 प्रतिशत वार्षिक बढ़ा, जबकि कृषि क्षेत्र में रोजगार की बढ़त सबसे धीमी, अर्थात् 1.5 प्रतिशत वार्षिक रही। कुल मिलाकर तृतीयक सेक्टर में रोजगार की बढ़त सबसे तेज (3.5 प्रतिशत) रही। इसके बाद द्वितीयक सेक्टर (3.4 प्रतिशत) का स्थान था जबकि प्राथमिक सेक्टर में रोजगार 1.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ा।

तालिका 5.7 में विभिन्न सेक्टरों में कार्यशक्ति की अपेक्षाकृत अधिक और अपेक्षाकृत कम बढ़त वाले जिलों को चिह्नित किया गया है।


**तालिका 5.7 : 1981-91 के दौरान सेक्टरवार कामगारों की अपेक्षाकृत अधिक और अपेक्षाकृत कम वृद्धि वाले जिले**

प्राथमिक सेक्टर			द्वितीयक सेक्टर			तृतीयक सेक्टर		
स्थान	जिला	सीएजीआर (%)	स्थान	जिला	सीएजीआर (%)	जिला	स्थान	सीएजीआर (%)
<b>अग्रणी दस जिले</b>								
1	अल्मोड़ा	3.8	1	मैनपुरी	7.0	1	चमोली	6.9
2	झांसी	3.4	2	नैनीताल	4.2	2	बाराबंकी	6.9
3	इलाहाबाद	3.3	3	गाजियाबाद	3.9	3	खीरी	6.6
4	ललितपुर	3.2	4	लखनऊ	3.6	4	प्रतापगढ़	6.6
5	वाराणसी	2.9	5	वाराणसी	3.2	5	फतेहपुर	6.3
6	हमीरपुर	2.9	6	अलीगढ़	3.1	6	जौनपुर	6.2
7	बांदा	2.9	7	सहारनपुर	2.8	7	हरदोई	6.2
8	गाजीपुर	2.8	8	मेरठ	2.4	8	मैनपुरी	6.1
9	मिर्जापुर	2.7	9	झांसी	2.4	9	टिहरी गढ़वाल	6.0
10	नैनीताल	2.7	10	रायबरेली	2.4	10	गाजियाबाद	6.0
<b>पिछड़े दस जिले</b>								
47	बदायूं	1.7	47	शाहजहांपुर	-1.2	47	ललितपुर	3.6
48	कानपुर	1.7	48	बरेली	-1.3	48	वाराणसी	3.4
49	शाहजहांपुर	1.7	49	चमोली	-1.5	49	बांदा	3.4
50	एटा	1.7	50	हरदोई	-1.8	50	गढ़वाल	3.4
51	पिथौरागढ़	1.6	51	उत्तरकाशी	-1.8	51	कानपुर	3.4
52	उत्तरकाशी	1.5	52	गाजीपुर	-1.9	52	मेरठ	3.3
53	मैनपुरी	0.8	53	गढ़वाल	-3.0	53	सहारनपुर	3.1
54	चमोली	0.6	54	खीरी	-3.3	54	झांसी	2.8
55	टेहरी गढ़वाल	-0.4	55	बदायूं	-3.5	55	उत्तरकाशी	2.6
56	गढ़वाल	-1.5	56	अल्मोड़ा	-3.6	56	आगरा	2.2

## कार्यशक्ति की संरचना में क्षेत्रवार बदलाव

द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों में रोजगार तेजी से बढ़े हैं। एन.एस.एस. के आंकड़े बताते हैं कि 1977-78 से 1999-2000 के बीच द्वितीयक सेक्टर का हिस्सा कुल रोजगार में 15.6 प्रतिशत से बढ़कर 21.2 प्रतिशत हो गया। तृतीयक सेक्टर का हिस्सा भी 11.4 प्रतिशत से बढ़कर 15.1 प्रतिशत हो गया। इसी के अनुपात में प्राथमिक सेक्टर (मुख्यतः खेती) का हिस्सा घटा। बहरहाल, जैसा पहले ही बताया गया है, राज्य की दो-तिहाई से थोड़ी कम कार्यशक्ति अब भी खेती और प्राथमिक गतिविधियों पर निर्भर है।

चित्र 5.9 : सेक्टरवार रोजगार में परिवर्तन (यू.पी.एस. + यू.पी.एस.)  
उ.प्र. में हिस्सा (कुल का प्रतिशत)



जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि 1981 से 1991 तक की अवधि के दौरान अयोध्या, आगरा, इलाहाबाद, बस्ती, गाजीपुर, बांदा, हमीरपुर, झांसी और ललितपुर के अलावा सभी जिलों में प्राथमिक सेक्टर के मजदूरों के हिस्से में गिरावट दिखाई पड़ी। अधिकांश जिलों में द्वितीयक सेक्टर के मजदूरों के हिस्से में भी गिरावट दिखाई पड़ी। इसके अपवाद नैनीताल, टिहरी गढ़वाल, अलीगढ़, गाजियाबाद, मैनपुरी, सहारनपुर, लखनऊ, रायबरेली और वाराणसी रहे।


तृतीयक सेक्टर में केवल झांसी के अपवाद को छोड़कर सभी जिलों में स्पष्ट सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़े। तृतीयक सेक्टर के अनुकूल बदलाव (4.5 प्रतिशत बिंदु से अधिक) निम्नलिखित जिलों में खासकर स्पष्ट थे : चमोली, देहरादून, गढ़वाल, पिथौरागढ़, बरेली, गाजियाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, मथुरा, कानपुर और लखनऊ है।

### संगठित क्षेत्र में रोजगार

उ.प्र. की कुल कार्यशक्ति का केवल 6 प्रतिशत और गैर-कृषक कार्यशक्ति का 23 प्रतिशत संगठित क्षेत्र में है। संगठित क्षेत्र के कुल रोजगार का तकरीबन 4/5 सार्वजनिक क्षेत्र में है। निजी क्षेत्र सिर्फ उत्पादन में प्रबल है। संगठित क्षेत्र के रोजगार का तकरीबन आधा सामाजिक सेवाओं, खासकर नागरिक प्रशासन और शिक्षा में पाया गया। संगठित क्षेत्र के मजदूर ज्यादातर बड़े शहरों में केंद्रित हैं।

पिछले तीन दशकों की प्रवृत्तियों के विश्लेषण से पता चलता है कि पिछले दशक में संगठित क्षेत्र के रोजगार में खेती, उत्पादन, निर्माण, व्यापार और परिवहन क्षेत्रों का हिस्सा घटा है जबकि बिजली, गैस और जल आपूर्ति के हिस्से में थोड़ी बढ़त दर्ज की गई।

चित्र 5.10 : उ.प्र. में संगठित क्षेत्र रोजगार में परिवर्तन, 1961-1999



संगठित क्षेत्र की खपत क्षमता कम रही है और हाल के वर्षों में 1/6 घटी है। दरअसल उ.प्र. में 1970-71 के बाद संगठित क्षेत्र में निजी क्षेत्र का रोजगार कोई बढ़त दर्ज नहीं कर सका है।

संगठित क्षेत्र में रोजगार की कमी के मुख्य कारण राज्य बजट में राजस्व की कमी तथा सरकारी और निजी उद्यमों, खासकर वस्त्र निर्मात्री इकाइयों का लगातार बीमार रहना है। संगठित क्षेत्र में मुख्य औद्योगिक इकाइयों वस्त्रोद्योग थे।

अतः रोजगार उपलब्ध कराने का बोझ भीमकाय असंगठित क्षेत्र पर आ पड़ता है जो उत्पादकता की कमी से लगातार ग्रस्त है।

### कार्यशक्ति का अस्थायीकरण

देश के अन्य हिस्सों की तरह ही उ.प्र. में कार्यशक्ति में जो वर्तमान परिवर्तन देखे गए हैं उनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता कार्यशक्ति का बढ़ता हुआ अस्थायीकरण है। इसका कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जोतों का बढ़ता हुआ सीमांतकरण और भूमिहीनता है। 1951 की जनगणना के अनुसार कुल मजदूरों में कृषि मजदूरों का अनुपात 7.5 प्रतिशत था। 1961 में यह बढ़कर 11.3 प्रतिशत हुआ और 1971 में उससे भी अधिक 19.9 प्रतिशत हो गया तथा उसके बाद से इसी स्तर पर बना हुआ है। एन.एस.एस. के आंकड़े स्वरोजगार और नियमित मजदूरी वाले रोजगार में गिरावट दिखाते हैं। वे यह भी बताते हैं कि पिछले दो दशकों में अस्थायी मजदूरों के अनुपात में स्पष्ट बढ़ोतरी हुई है (तालिका 5.8)। तथापि, समूचे भारत की तुलना में उ.प्र. में श्रमशक्ति के अस्थायीकरण की सीमा काफी कम है। इस तरह, भारत में अस्थायी मजदूरों का अनुपात 32.8 प्रतिशत है जबकि उ.प्र. का आंकड़ा 20.0 प्रतिशत का है।

तालिका 5.8 : उ.प्र. में रोजगार की किस्म के अनुसार कामगारों का प्रतिशत वितरण

रोजगार की किस्म	1972-73 27वां दौर	1977-78 32वां दौर	1987-88 43वां दौर	1993-94 50वां दौर	1999-00 55वां दौर
स्वरोजगार	76.8	73.3	71.8	71.6	69.4
नियमित वेतन/मजदूरी भोगी	12.5	9.7	9.8	8.8	10.6
अस्थायी मजदूर	10.7	17.0	18.4	19.6	20
सभी मजदूर	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत : एन.एस.एस. रिपोर्ट



## श्रम उत्पादकता

श्रम उत्पादकता (सेक्टरवार/कुल आय में मजदूरों की संख्या से भाग देकर इसकी गणना की जाती है) आय में प्रति मजदूर योगदान का आकलन करती है और उस ऊपरी सीमा को निर्धारित करती है जहां तक मजदूर उत्पादन प्रक्रिया में प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। श्रम उत्पादकता में बढ़त किसी भी अर्थतंत्र में तकनीकी प्रगति की दर बताती है और आर्थिक वृद्धि का प्रमुख निर्धारक होती है।

श्रम उत्पादकता के विश्लेषण से निम्नलिखित निष्कर्ष सामने आते हैं:

पहला, जिस प्राथमिक सेक्टर में राज्य की 73 प्रतिशत कार्यशक्ति लगी हुई है उसमें उत्पादकता 0.1 स्तर द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर के मुकाबले काफी कम है।

दूसरा, सभी सेक्टरों में जिला स्तर पर श्रम उत्पादकता में बहुत अधिक भिन्नताएं मौजूद पाई गईं।

तीसरा, खासकर प्राथमिक और तृतीयक सेक्टरों में श्रम उत्पादकता की वृद्धि दर अपेक्षाकृत कम रही। अनेक जिलों में इन सेक्टरों में उत्पादकता में नकारात्मक वृद्धि दिखाई पड़ी। इससे खेती तथा अनौपचारिक क्षेत्र में भीड़भाड़ का पता चलता है।

चौथा, नब्बे के दशक में श्रम उत्पादकता की वृद्धि दर तेजी से घटी।

विकास नीति को केवल रोजगार में आम वृद्धि का ही ध्यान नहीं रखना चाहिए बल्कि कार्यस्थिति और आय तथा मजदूरी स्तरों में प्रकट रोजगार की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए। इस लिहाज से खेती में तकनीकी प्रगति, खासकर पिछड़े जिलों में, निरंतर बल तथा ग्रामीण अर्थतंत्र में गैर-कृषि गतिविधियों के अनुकूल विविधीकरण के प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे।

## राज्य में रोजगार सृजन की रणनीति और कार्यक्रम

राज्य सरकार ने एक श्रम सघन विकास रणनीति बनाई है ताकि बेरोजगारी और अल्परोजगार की समस्याओं से निपटा जा सके। इसमें निम्न बिंदुओं पर जोर है:

- उत्पादकता में बढ़ोतरी और कृषि में विविधीकरण के जरिए खेती में तेज विकास।
- दुग्ध उत्पादन, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन इत्यादि जैसी सहायक गतिविधियों को प्रोत्साहन।
- छोटे स्तर के और कुटीर उद्योगों, खासकर कृषि आधारित और ग्रामीण उद्योगों, का विकास।
- पूँजी सहायता, कौशल सुधार और प्रशिक्षण सुविधाओं के जरिए स्वरोजगार कार्यक्रमों को प्रोत्साहन।

सरकार सिंचाई, भूमि संरक्षण, वानिकी और सड़क, मकान आदि जैसी ग्रामीण अधिसंरचनाओं पर काफी धन खर्च कर रही है। इनमें मजदूरी का हिस्सा बड़ा है और इनकी प्रकृति रोजगार सघन है।

जो दो प्रमुख रोजगार सृजन कार्यक्रम चल रहे हैं वे हैं—जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.) जो जवाहर रोजगार योजना का ही नया रूप है और रोजगार गारंटी योजना (ई.ए.एस.)। दोनों योजनाएं केंद्र द्वारा प्रायोजित हैं। इनमें केंद्र और राज्य की 75:25 हिस्सेदारी है। लेकिन इन दोनों कार्यक्रमों की धारणा और लागू करने के तरीके में काफी अंतर है। जे.जी.एस.वाई. का लक्ष्य ग्राम स्तर पर टिकाऊ उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन करना है तथा इसे सीधे पंचायतीराज संस्थाओं के जरिए लागू किया जाता है। ई.ए.एस. मांग संचालित कार्यक्रम है। इसमें उन खेतिहर मजदूरों को 100 दिन के रोजगार

की गारंटी की जाती है जो इस योजना के तहत अपना पंजीकरण कराना चाहते हैं। सिद्धांततः इस कार्यक्रम को डी.आर.डी.ए. के जरिए लागू किया जाता है। बहरहाल, राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों को भी अपने गांवों में ऐसी परियोजनाओं को लागू करने का अधिकार सौंप रखा है।

तालिका 5.9 और तालिका 5.10 में क्रमशः जे.जी.एस.वाई. और ई.ए.एस. की पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई वित्तीय और भौतिक प्रगति को प्रस्तुत किया गया है, जबकि परिशिष्ट III और IV में जिला स्तर पर वित्तीय व्यय और रोजगार सृजन को प्रदर्शित किया गया है।

**तालिका 5.9 : उत्तर प्रदेश में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की प्रगति**

विषय	व्यय (लाख रुपये में)		
	1999-2000	1998-99	1997-98
1. लागत	447975	5274293	4730156
2. उपलब्ध धन			
(i) विविध प्राप्तियां	-	11913	-
(ii) वर्ष की शुरुआत का शेष	54718	84940	119428
(iii) कुल अवमुक्त	446803	5129.037	446734
3. उपलब्ध कुल धन	501522	609791	566162
4. कुल उपलब्ध पर व्यय	358048	555072	481221
5. लागत पर प्रतिशत व्यय	79.9%	105.2%	101.7%
6. कुल धन पर प्रतिशत व्यय	71.4%	91.0%	85.0%
7. वर्ष के अंत में शेष	143474	54719	8494
<b>भौतिक प्रगति (लाख मानव दिवसों में रोजगार सृजन)</b>			
1. लक्ष्य	तय नहीं	6263	5617
2. हासिल	4389	6914	5995
3. हासिल प्रतिशत	-	110.4%	106.7%

स्रोत : आयुक्त, ग्राम विकास, उ.प्र.

**तालिका 5.10 : उत्तर प्रदेश में रोजगार गारंटी योजना की प्रगति**

विषय	व्यय (लाख रुपये में)		
	1999-2000	1998-99	1997-98
1. लागत	4945655	4957500	4505000
2. उपलब्ध धन			
(i) विविध प्राप्तियां	-	34282	-
(ii) वर्ष की शुरुआत का शेष	55815	170890	178886
(iii) कुल अवमुक्त	519462	438810	398600
3. उपलब्ध कुल धन	575277	643982	577546
4. कुल उपलब्ध पर व्यय	408462	588167	406655
5. लागत पर प्रतिशत व्यय	82.6%	118.6%	90.3%
6. कुल धन पर प्रतिशत व्यय	71.0%	91.3%	70.4%
7. वर्ष के अंत में शेष	166815	55815	170890
<b>भौतिक प्रगति (लाख मानव दिवसों में रोजगार सृजन)</b>			
1. लक्ष्य	6246	7702	5674
2. हासिल	4857	7543	5228
3. हासिल प्रतिशत	77.8%	97.9%	92.1%

स्रोत : आयुक्त, ग्राम विकास, उ.प्र.

उ.प्र. देश का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम चला रहा है। जे.जी.एस.वाई. और ई.ए.एस. को जोड़ दिया जाए तो 1999-2000 में इनकी वार्षिक लागत 1 अरब रुपये से अधिक थी, तकरीबन 7660 लाख रुपये खर्च हुए और तकरीबन 1 अरब मानव दिवसों का प्रतिवर्ष सृजन हुआ। बहरहाल, इन दोनों योजनाओं में धन के दुरुपयोग की खबरें हैं। वांछित परिणाम प्रदान करने में ये असफल रहीं और इन्हें लागू करने के मामले में काफी सुधार की गुंजाइश है।

### गरीबी स्तर

भारत में गरीबी की धारणा को ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के पोषण स्तर से जोड़कर देखा जाता है। इस पोषण स्तर को एन.एस.एस. के उपभोक्ता व्यय आंकड़ों का प्रयोग कर प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के लिहाज से मौद्रिक समतोल में बदल दिया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का अनुपात अर्थात् गरीबी अनुपात की गणना फिर एन.एस.एस. सर्वेक्षणों में बताए गए विभिन्न व्यय वर्गों में लोगों को वितरित करने के जरिए की जाती है। एन.एस.एस. के सर्वेक्षण पंचवर्षीय होते हैं। इस प्रतिवेदन में एक्सपर्ट ग्रुप आफ द प्लानिंग कमीशन आन इस्टीमेशन आफ प्रोपोर्शन एंड नंबर आफ पुअर के दृष्टिकोण पर आधारित गरीबी अनुमानों का उपयोग किया गया है।

#### बाक्स 5.4 : योजना आयोग के विशेषज्ञ समूह द्वारा राज्यस्तरीय गरीबी के अनुमान के लिए अपनाई गई पद्धति—

विशेषज्ञ समूह ने ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी की पोषण आवश्यकता को स्वीकार किया और इसके मुताबिक 1973-74 की कीमतों के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में 49 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 57 रुपए मासिक प्रति व्यक्ति व्यय को गरीबी के मानदंड के बतौर लिया राज्य विशेष की गरीबी रेखा की गणना करते हुए इन मानदंडों का उपयोग किया गया। राज्य विशेष के लिए गरीबी रेखा का आधार वर्ष का निर्धारण 1973-74 की राज्य स्तरीय कीमतों पर किया गया। गरीबी रेखा का यह निर्धारण मानकीकृत वस्तु समूहों के आधार पर किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा का आधार वर्ष राज्यवार भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के आधार पर चुना गया जो 1973-74 में गरीबी रेखा के आसपास रहने वाले कृषि मजदूरों की 20 से 30 प्रतिशत जनसंख्या का उपभोग पैटर्न था। यह भारांकन मानचित्र के अनुसार किया गया। शहरी गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए औद्योगिक कामगारों और शहरी गैर श्रमिक कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों को आधार बनाया गया। विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तावित पारिवारिक वितरण में एन.एस.एस. के उपभोग संबंधी आंकड़ों का समायोजन नहीं किया गया।

### राज्य स्तर पर गरीबी की प्रवृत्तियां

उत्तर प्रदेश अत्यधिक गरीबी वाले राज्यों की कोटि में आता है। 1993-94 में भारत के प्रमुख 14 राज्यों में यह राज्य गरीबी स्तर के लिहाज से 11वें स्थान पर था। यहां 36 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। राज्य में गरीबी की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि 1993-94 को छोड़कर बाकी वर्षों में शहरी गरीबी अनुपात ग्रामीण गरीबी अनुपात से अधिक रहा है, हालांकि गरीबी की बहुसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।

1957-58 से 1977-78 तक की अवधि के दौरान उ.प्र. में ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में गरीबी का स्तर ऊंचा रहा हालांकि साल दर साल विचलन भी दिखाई पड़ते हैं। बाद के वर्षों में गरीबी स्तर में धीरे धीरे गिरावट आई लेकिन अखिल भारतीय स्तर की तुलना में इस गिरावट की दर थोड़ी कम थी। परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश में आज देश के गरीबों का संकेंद्रण बहुत अधिक है।

1970 तथा 1980 दशकों के दौरान उ.प्र. में ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों की गरीबी में कमी आई। 1973-74 से 1987-88 तक की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में यह गिरावट 15.4 प्रतिशत थी तथा शहरी क्षेत्रों में 14.3 प्रतिशत। बहरहाल, 1987-88 से 1993-94 तक की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अनुपात तकरीबन स्थिर रहा लेकिन शहरी क्षेत्रों में इसमें तेजी से गिरावट आती रही। फिर भी गरीबी की कुल संख्या 1973-74 से 1993-94 के बीच 70 लाख बढ़ गई।

1993-94 में उ.प्र. में 6050 लाख लोग गरीब थे। यह भीषण संख्या दुनिया के किसी भी हिस्से में गरीबों का सबसे बड़ा संकेंद्रण है।

गरीबी की राज्यव्यापी प्रवृत्तियां जितना कुछ उजागर करती हैं उससे बहुत अधिक पर परदा डाल देती हैं। उ.प्र. के क्षेत्रों में गरीबी स्तर के मामले में काफी भिन्नताएं हैं। 1993-94 में दक्षिणी क्षेत्र (बुंदेलखंड) में गरीबी का स्तर सबसे ऊंचा था। वहां ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी हिमालयी क्षेत्र (अब उत्तरांचल) के स्तर से ढाई गुना से अधिक तथा शहरी क्षेत्रों में हिमालयी क्षेत्र से चार गुना से अधिक थी। सामान्य तौर पर iorh; और पश्चिमी क्षेत्रों में गरीबी का स्तर काफी कम दिखाई पड़ता है जबकि दक्षिणी क्षेत्र में गरीबी का स्तर सर्वाधिक है।

तालिका 5.11 : उ.प्र. के क्षेत्रों में गरीबी, 1993-94

क्षेत्र/सेक्टर	गरीबी अनुपात	गरीबी की गहनता (गरीबी अंतराल अनुपात)	गरीबी की तीव्रता (गरीबी अंतराल वर्ग)	गरीबी का हिस्सा (%)	कुल गरीबी में योगदान
<b>ग्रामीण</b>					
iorh;	25.0	17.2	1.1	3.5	1.8
पश्चिमी	29.6	20.4	1.8	22.3	16.7
मध्य	50.2	27.3	4.9	19.7	23.6
पूर्वी	48.6	24.5	4.0	47.1	47.0
दक्षिणी	66.7	30.2	8.0	7.5	10.9
कुल	42.3	24.4	3.5	100.0	100.0
<b>शहरी</b>					
iorh;	17.5	18.1	0.9	4.1	2.3
पश्चिमी	31.0	24.7	2.7	39.9	39.1
मध्य	34.9	27.0	3.5	21.0	23.5
पूर्वी	38.6	24.0	3.1	24.1	21.7
दक्षिणी	72.5	28.8	7.9	10.9	13.4
कुल	35.3	25.3	3.2	100.0	100.0

स्रोत : दत्त और शर्मा, 2000

दरअसल दक्षिणी क्षेत्र का गरीबी स्तर भारत के सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक है।

एक और ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि 1993-94 के दौरान मध्य क्षेत्र में ग्रामीण गरीबी सभी आयामों—गरीबी का अनुपात, गरीबी की गहनता और इसकी तीव्रता—के मामले में पूर्वी क्षेत्र के मुकाबले अधिक थी, जबकि पारंपरिक तौर पर पूर्वी क्षेत्र में गरीबी का स्तर बहुत अधिक माना जाता है।

तालिका 5.12 में गरीबी के वितरण की कुछ और विशेषताएं प्रस्तुत की गई हैं।

तालिका 5.12: 1993-94 में गरीबी रेखा के ऊपर और नीचे के परिवारों में खपत, असमानता और वितरण						
राज्य/क्षेत्र	लॉरेंज अनुपात	ऊपर के 10% का नीचे के 30% के मुकाबले खपत अनुपात	गरीबी रेखा से दूरी के अनुसार परिवारों का वितरण			
			अति गरीब	कुछ गरीब	कुछ अगरीब	ज्यादा अगरीब
<b>ग्रामीण</b>						
उ.प्र.	0.24	2.7	7.1	17.9	43.6	31.4
पश्चिमी	0.27	3.3	10.2	19.4	34.5	35.9
मध्य	0.28	4.4	26.8	23.4	29.1	20.7
पूर्वी	0.26	3.4	23.2	25.4	32.0	19.4
औसत	0.30	6.2	39.7	27.0	18.9	14.4
भारत	0.28	3.7	19.6	22.8	32.2	25.5
<b>शहरी</b>						
उ.प्र.	0.27	3.2	5.5	12.0	21.3	61.2
पश्चिमी	0.34	5.2	14.4	16.7	29.5	39.1
मध्य	0.31	4.7	17.6	17.3	33.2	31.9
पूर्वी	0.29	4.1	18.5	20.1	31.5	29.9
औसत	0.24	12.6	37.5	35.0	16.6	10.9
भारत	0.32	5.0	16.9	18.4	29.6	35.1
भारत	0.34	4.6	14.9	17.4	28.8	38.9

टिप्पणी : अति गरीब : गरीबी रेखा से 75% नीचे लोगों का %; कुछ गरीब : गरीबी रेखा और 75% के बीच; कुछ अगरीब : गरीबी रेखा और उसके 1.5 गुना ऊपर; ज्यादा अगरीब : 1.5 गुना से अधिक गरीबी रेखा से ऊपर

यह लिखें कि उ.प्र. के तीन क्षेत्रों (दक्षिणी, मध्य और पूर्वी) में अति गरीब घरों का अनुपात राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है।

### गरीबी की ताजा प्रवृत्तियां

1990 के दशक में गरीबी की प्रवृत्तियों के बारे में अत्यंत जीवंत बहसें चलीं। अनेक विश्लेषणकर्ताओं में इस बात पर विवाद चला कि गरीबी की परिघटना स्थिर है या बढ़ रही है (तुलनीय दत्त 1999, वर्ल्ड बैंक 1989)। एन.एस.एस.ओ. द्वारा पंचवर्षीय सर्वेक्षण के पिछले दौर से यह बहस और भी तेज हुई है। दुर्भाग्यवश इस दौर के परिणामों की तुलना पूर्ववर्ती दौरों से नहीं की जा सकती तथा विश्लेषणकर्ताओं ने 1999-2000 के अनुमानों को तैयार करने के लिए अनेक समायोजन किए हैं ताकि इनकी तुलना पूर्ववर्ती दौरों से की जा सके।

कुछेक परिवर्तनशील अनुमानों को तालिका 5.13 में प्रस्तुत किया गया है। अधिकारिक अनुमान बताते हैं कि 1993-94 और 1999-00 के बीच उ.प्र. में गरीबी में लगभग 10 प्रतिशत की घटोत्करी हो सकती है। दत्त इत्यादि द्वारा निर्मित एक वैकल्पिक अनुमान (2003) बताता है कि इस अवधि में गरीबी की घटोत्करी काफी कम रही है। इसकी तुलना में सुंदरम और तेंदुलकर (2003बी) तथा डी.टन और मिज (2002) द्वारा तैयार किए गए अनुमान गरीबी में जीने वाली जनसंख्या के प्रतिशत में काफी गिरावट दिखाते हैं।

तालिका 5.13 : 1999-2000 में उ.प्र. में गरीबी के विभिन्न अनुमान

	शहरी	ग्रामीण	कुल
योजना आयोग (2001)-30 दिन अनुमान (आधिकारिक अनुमान)	30.89	31.22	31.15
योजना आयोग (2001)-7 गिन अनुमान	28.75	29.04	28.22
दत्त, कोजेल और रावेलियन (2003)	29.30	37.10	35.40
डीटन और मिज (2002)	17.30	21.50	—
सुंदरम और तेंदुलकर (2003बी) (एमआरपी)	31.75	25.50	26.80

1999-2000 में अंतरक्षेत्रीय तुलनाओं पर संभवतः पद्धतिगत परिवर्तनों का कम प्रभाव पड़ेगा। बहरहाल, तालिका 5.14 में हमने दत्त इत्यादि (2000) द्वारा तैयार माडल आधारित परिणाम भी प्रस्तुत किए हैं (वर्ल्ड बैंक 2002 में उद्धृत)। इसमें कुछ दिलचस्प विशेषताएं सामने आती हैं। आधिकारिक और 'संशोधित' दोनों ही परिणाम बताते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र में ग्रामीण गरीबी का स्तर मध्य और पूर्वी क्षेत्र की तुलना में कम हुआ है। फिर, ग्रामीण गरीबी सबसे अधिक मध्य क्षेत्र में दिखाई पड़ती है। हाल फिलहाल का यह परिवर्तन शोधकर्ताओं तथा नीति निर्माताओं के ध्यान देने योग्य तथा अत्यंत उपयोगी है। गौर से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि हाल के दिनों में इस क्षेत्र में सिंचाई तथा खेती में अत्यन्त वृद्धि हुई है। फिर, तिलहन का उत्पादन छोटे खेतियों के अनुकूल दिखाई पड़ता है। खेती में मजदूरी भी दक्षिणी क्षेत्र में अपेक्षाकृत तेज दर से बढ़ी है (वर्ल्ड बैंक 2002; श्रीवास्तव 2003)। इसके विपरीत मध्य क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में हाल के दिनों में बहुत धीमी वृद्धि हुई।

तालिका 5.14 : 1999-2000 उ. प्र. के क्षेत्रों में गरीबी का वितरण

क्षेत्र	शहरी		ग्रामीण		कुल
	आधिकारिक	संशोधित	आधिकारिक	संशोधित	
उ.प्र.	14.1	19.7	15.6	18.1	15.2
पश्चिमी	30.0	30.5	21.7	22.5	23.9
मध्य	33.4	30.0	42.2	43.0	39.7
पूर्वी	31.1	33.7	36.4	40.3	35.9
औसत	40.9	38.1	20.9	38.1	34.4
उत्तर प्रदेश	30.7	30.4	31.1	33.7	31.0

स्रोत : विश्व बैंक 2002, पृष्ठ 35

टिप्पणी : संशोधित आंकड़े 1999-00 में गरीबी के माँडल आधारित प्रोजेक्शन से संबद्ध हैं।

यह तथ्य Li'w gS कि हमारे जिलास्तरीय परिणाम (जिन पर नीचे विचार किया गया है) 1993-94 से संबंधित हैं tCfd गरीबी बुंदेलखंड में सबसे अधिक थी।

### ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

सरकार ने बहुत अनुदान समन्वित ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) के लिए आवंटित कर रखा है। इस कार्यक्रम के तहत चुनिंदा लाभार्थियों को आय-सर्जक परिसम्पत्तियां खरीदने के लिए बैंक ऋण मुहैया कराया जाता है। एस.सी.और एस.टी. लाभार्थियों के लिए सरकार 33 प्रतिशत की दर से तथा अन्य समूहों को 25 प्रतिशत की दर से आर्थिक सहायता प्रदान करती है। व्यय में केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी 80:20 के अनुपात में होती है।

उत्तर प्रदेश में आठवों योजना के अंतर्गत आई.आर.डी.पी. पर कुल व्यय 5640 लाख रुपया था। लाभार्थियों की संख्या 192 लाख fll। आई.आर.डी.पी. की शुरुआत से 1998-99 के वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 1000 लाख लाभार्थियों से अधिक इसके अंतर्गत लाभान्वित हुए। लगभग आधे लाभार्थी आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी अनुसूचित जातियों और जनजातियों से थे।

विगत वर्षों में आई.आर.डी.पी. की कार्यप्रणाली और प्रभाव का मूल्यांकन करते हुए अनेक सरकारी और गैर-सरकारी अध्ययन सामने आए हैं। इन अध्ययनों से पता चलता है कि जहां आई.आर.डी.पी. ने लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त आय और रोजगार का सृजन करने में मदद की है वहीं यह कार्यक्रम अनेक कमजोरियों से ग्रस्त है। इन अध्ययनों में जिन अनेक प्रशासनिक खामियों को उजागर किया गया है, वे हैं: लाभार्थियों की गलत पहचान, अनुदान के वितरण में लूट, अनियमितता, परिसम्पत्तियों की अनुचित देखभाल, उनकी बिक्री या लोप, vfk/bकाया, लालफीताशाही 0 रुकावटें rflk अपर्याप्त निरीक्षण, बाद की कार्यवाही का अभाव इत्यादि ds dlj .k कार्यक्रम में योजना और कार्यान्वयन संबंधी अनेक खामियां भी मौजूद हैं।

इस स्थिति में सुधार करने के लिए स्वरोजगार योजनाओं को पुनर्रचित किया गया है और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.सी.एस.वाई.) नामक एक नया कार्यक्रम अप्रैल 1999 में आई.आर.डी.पी., ट्राइसेम, डवाकरा आदि जैसे पुराने कार्यक्रमों की जगह पर शुरू किया गया है। एस.जी.एस.वाई. एक समग्र कार्यक्रम है जो स्वरोजगार के सभी पहलुओं (जैसे गरीबों को स्वसहायता समूहों में संगठित करना, प्रशिक्षण, ऋण, तकनीक, अधिसंरचना और खरीद-फरोखा) को आच्छादित करता है। कार्यक्रम में अनुदान केंद्र और राज्य 75:25 के अनुपात में प्रदान करते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक सहायता प्राप्त परिवार के लिए कम से कम 2000 रुपये मासिक की शुद्ध आय का सृजन करना है।

एस.जी.एस.वाई. हरेक मुख्य गतिविधि के लिए परियोजनापरक दृष्टिकोण अपनाएगा और बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के घनिष्ठ सहयोग से काम करेगा। कार्यक्रम महिला समूहों सहित समूह केंद्रित दृष्टिकोण अपनाएगा। यह नया दृष्टिकोण पूर्ववर्ती दृष्टिकोण से धारणात्मक रूप से बेहतर है और इससे बेहतर परिणामों की आशा है।

संक्षेप में, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की पहुंच, आच्छादन और सहायता स्तर के लिहाज से सीमित रही है तथा इसका कार्यान्वयन ढीला और असमायोजित रहा है। इसमें स्थानीय भागीदारी भी बहुत कम रही है। इसीलिए राज्य में गरीबी की स्थिति पर इसका कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ा है।

### बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच

#### आवास

आवास के मामले में उ.प्र. और भारत की स्थिति कमोबेश एक ही तरह की है। ग्रामीण क्षेत्रों में केवल एक-तिहाई परिवार पक्के मकानों में रहते हैं और बाकी आधे पक्के या कच्चे मकानों में। इससे ग्रामीण जनसंख्या को उपलब्ध मकानों की खराब गुणवत्ता का पता चलता है। शहरी क्षेत्रों में भी लगभग एक-चौथाई जनसंख्या आधे पक्के या कच्चे मकानों में रहती है।


जिला स्तर पर मकानों की स्थिति में भारी अंतर दिखाई पड़ता है (परिशिष्ट तालिका बी.-31)। अनेक जिलों में आधे से अधिक मकान पक्के हैं जबकि एक-तिहाई जिलों में यह अनुपात 1/5 से भी कम का है।

मकानों के अभाव की गणना परिवारों की संख्या और रिहाइशी मकानों की संख्या में अंतर तथा बेघर परिवारों की संख्या और कच्चे घरों की संख्या को जोड़कर की जाती है। 1991 की जनगणना के अनुसार उ.प्र. में मकानों का कुल अभाव ग्रामीण क्षेत्रों में 6.9 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 11.0 प्रतिशत था। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 12.5 लाख मकान और शहरी क्षेत्रों में 4.8 लाख मकान बनाने की जरूरत है। उम्मीद है कि उसके बाद से स्थिति और खराब ही हुई है। 1991 में उ.प्र. में शहरी क्षेत्रों में 22000 परिवार और ग्रामीण क्षेत्रों में 13000 परिवार बेघर थे जिन्हें किसी भी तरह की शरणस्थली की जरूरत थी।

#### नागरिक सुविधाएं

उ.प्र. में नागरिक सुविधाएं निराशाजनक हैं (चित्र 5.11)। 1991 तक राज्य के एक-तिहाई से अधिक परिवारों को उनके मकानों में शुद्ध पेयजल की सुविधा नहीं थी। केवल 1/10 ग्रामीण मकानों में बिजली थी, हालांकि यह अनुपात शहरी क्षेत्रों में तकरीबन दो-तिहाई था। शौचालय सुविधाओं की उपलब्धता के मामले में भी कमोबेश यही स्थिति थी। केवल 1/6 परिवारों के मकानों में ये तीनों सुविधाएं उपलब्ध थीं जबकि एक-तिहाई परिवारों को नागरिक सुविधाओं में से कोई भी उपलब्ध नहीं था।

चित्र 5.11 : बुनियादी नागरिक सुविधाओं वाले परिवारों का प्रतिशत



स्रोत : भारत की जनगणना, 1991, आवास और परिवारिक सुविधाओं से संबंधित तालिकाएँ

सामाजिक अवस्थापना की उपलब्धता के मामले में दो और तथ्यों के विशेष उल्लेख की आवश्यकता है। पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं की हालत शोचनीय है। दूसरा, अन्य सामाजिक समूहों की तुलना में अनुसूचित जाति के परिवारों में नागरिक सुविधाओं की विलुप्तता की सीमा बहुत अधिक है।

दूसरे, ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में विभिन्न जिलों के बीच बुनियादी अधिसंरचना की उपलब्धता के मामलों में भारी अंतर है (परिशिष्ट




तालिका बी-32)। इस तरह सभी सुविधाओं वाले परिवारों के प्रतिशत में भिन्नता 5 प्रतिशत से कम से लेकर 50 प्रतिशत से अधिक तक के बीच है। 14 जिलों में आधे से अधिक परिवारों के घरों में तीनों बुनियादी सुविधाओं में से एक भी नहीं हैं। ये जिले सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, फतेहपुर, हमीरपुर, बाराबंकी, प्रतापगढ़, ललितपुर, सोनभद्र, बांदा, रायबरेली, कानपुर देहात, मिर्जापुर और सुल्तानपुर हैं (परिशिष्ट तालिका बी-32)।

आमतौर पर पश्चिमी क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता अपेक्षाकृत बेहतर है जबकि बुंदेलखंड बहुत पीछे है।

### खाना पकाने का ईंधन

यह चिंता का विषय है कि राज्य के बहुसंख्यक परिवारों में 1991 तक लकड़ी और गोबर का खाना पकाने के लिए ईंधन के मुख्य स्रोत के बतौर प्रयोग किया जाता था। शहरी क्षेत्रों में भी खाना पकाने का मुख्य ईंधन लकड़ी ही बनी हुई है। 1991 में तकरीबन एक-चौथाई परिवारों में खाना पकाने के लिए गैस का प्रयोग होता था। उम्मीद है कि उसके बाद से यह अनुपात बढ़ा होगा।

खाना पकाने के सस्ते और स्वास्थ्यकर ईंधन प्राप्त करना, गरीबों के लिए एक बड़ी समस्या है। लकड़ी और गोबर का प्रयोग घर में खाना पकाने में लगी हुई महिलाओं के स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि लकड़ी और गोबर इकट्ठा करने का कष्टसाध्य और [kuk cukus le; okyk dk; l] ग्रामीण महिलाओं खासकर लड़कियों पर भारी शारीरिक बोझ भी डालता है और इस तरह इसके व्यापक सामाजिक i Hkko i Mrs हैं। ईंधन के रूप में लकड़ी की समस्या जंगल विनाश और पेड़ों की गैरकानूनी कटाई के बड़े मुद्दे से भी जुड़ी है।



### vkokl ] पेयजल और स्वच्छता संबंधी सरकारी कार्यक्रम

केंद्र सरकार तथा बहुपक्षीय सहायता अभिकरणों के समर्थन से राज्य में अनेक कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी मकान, पेयजल तथा स्वच्छता के क्षेत्र में चल रहे हैं। नीचे उनकी प्रगति का मूल्यांकन संक्षेप में किया जा रहा है।

### ग्रामीण vkokl और स्वच्छता

केंद्रीय स्तर पर प्रायोजित योजना के बतौर इंदिरा आवास योजना 1985-86 में शुरू की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में रहनेवाले गरीब व बेघर परिवारों को मुफ्त आवास मुहैया कराने वाली यह एक प्रमुख योजना है। मूलतः यह एस.सी./

एस.टी. परिवारों तक सीमित थी लेकिन 1993-94 के बाद इसकी सीमा सभी ग्रामीण गरीब परिवारों तक बढ़ा दी गई। इसके साथ यह बंधन भी था कि लाभार्थी परिवारों में 60 प्रतिशत परिवार एस.सी./एस.टी. Cs ही होंगे।

इस योजना के तहत 20 वर्ग मी. के न्यूनतम फर्श वाले मकान की लागत प्रति मकान 20,000 रु. है। लाभार्थी अपने ही भूखंड पर स्वयं मकान बनाते हैं। बेघरों के लिए नए मकान बनाने और कच्चे घरों को बेहतर बनाने के लिए अनुदान 80:20 प्रतिशत के अनुपात में दिया जाता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान राज्य में इंदिरा आवास योजना के तहत 4.6 लाख मकान बनाए गए। इस समय प्रतिवर्ष तकरीबन 1.5 लाख मकान इस योजना के तहत बन रहे हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के तहत आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक राज्य के कुल 1,12,804 आबाद गांवों में से 87,079 गांवों का विद्युतीकरण हो चुका था। 2000-01 के अंत तक कुल 67,592 गांवों में एल.टी. लाइनें थीं।

सार्वजनिक आवास योजनाएं शहरी क्षेत्रों खासकर बड़े शहरों तक सीमित हैं। मकानों के लिए वित्तीय मदद देने वाल वित्तीय संस्थाएं भी इसी तरह मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में ही काम करती हैं। इंदिरा आवास योजना केवल बेघरों की मकान संबंधी समस्या देखती है। अतः मौजूदा कच्चे मकानों को पक्के मकानों में बदलने और कच्चे तथा पक्के मकानों में सुधार की ग्रामीण क्षेत्रों की मांग बहुत हद तक पूरी नहीं हो पाती। सरकारी नीति को खुलकर मकान संबंधी समस्या के इस पहलू को हल करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों के लिए सांस्थानिक वित्तीय मदद को उदार बनाया जाना चाहिए। सहकारी ऋण समितियों के जाल का भी इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। निजी क्षेत्र की भागीदारी से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मकान निर्माण की सस्ती, मानक सामग्री के प्राविधान की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में घर के भीतर और शहरी क्षेत्रों में गरीब तबकों के लिए शौचालयों की उपलब्धता तकरीबन नगण्य है। लोग शौच करने के लिए खुली जगहों में जाने के अब भी आदी हैं। इससे पर्यावरणिक समस्याएं और बीमारियों की व्यापकता तो पैदा होती ही है; इसके अतिरिक्त महिलाओं को खासकर असुविधा का सामना करना पड़ता है। इंदिरा आवास योजना के तहत बने मकानों में भी जो शौचालय बनाए गए हैं उनका इस्तेमाल पुरानी सांस्कृतिक आदतों की वजह से नहीं होता। मकानों में पानी के नल का अभाव और जल निकासी व्यवस्था की गैरमौजूदगी के कारण भी ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों का कम प्रयोग होता है।

इसलिए जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रमों को समेकित ढंग से चलाने की जरूरत है। साफ पानी का प्रयोग, स्वच्छता और स्वास्थ्य की स्थिति के बीच संबंध के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। इसीलिए उचित स्वच्छता तथा साफ पानी के प्रयोग के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए जनअभियानों की जरूरत है। इन ज्ञानवर्धक अभियानों में जन-संचार माध्यमों और एन.जी.ओ. को बड़े पैमाने पर शामिल करने की जरूरत है।

### जल आपूर्ति

ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य और केंद्र सरकारों के संयुक्त योगदान से चलने वाले न्यूनतम बुनियादी सेवा कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण घटक जल आपूर्ति है। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन सभी ग्रामीण बस्तियों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की गारंटी करना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 40 लीटर पेयजल का eluud निश्चित किया गया है। इसके लिए प्रति



250 लोगों के लिए एक हैंड पंप उपलब्ध कराया गया है। उम्मीद है कि 2000-01 के अंत तक सभी 2,40,949 बस्तियों तक शुद्ध जल की आपूर्ति होने लगेगी।

अनुमानतः राज्य के 9,218 गांव पानी की खराब गुणवत्ता (अत्यधिक खारापन, आयरन, फ्लोराइड, आर्सेनिक या अन्य जहरीले तत्वों) की समस्या से प्रभावित हैं। इनमें से 4,849 बस्तियों की पहचान गुणवत्ता प्रभावित के बतौर कर ली गई है तथा 3128 बस्तियों को शुद्ध पेयजल योजना के अंतर्गत आच्छादित करने के लिए उनकी सूची बना ली गई है।

पेयजल कार्यक्रमों के क्षेत्र में जिन प्रमुख पहलकदमियों का जिक्र किया जाना चाहिए, वे हैं—1977-78 में शुरू किया गया भारत-डच सहयोग कार्यक्रम और विश्व बैंक अनुदानित उ.प्र. ग्रामीण जलापूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता परियोजना (स्वजल)। इन दोनों कार्यक्रमों में सामुदायिक भागीदारी के दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है। इनसे हासिल अनुभवों के आधार पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप एक संशोधित दृष्टिकोण 2001-02 से लागू किया गया। इसमें लक्ष्य आधारित आपूर्ति संचालित दृष्टिकोण की जगह पर मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है। उपयोग कर्ता जो सेवा चाहते हैं और उसके लिए पैसा देने को तैयार हैं वह सेवा उन्हें दी जाएगी। इससे सेवा की बेहतर गुणवत्ता और योजना की वित्तीय व्यावहारिकता की गारंटी होगी।

1994 में त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी.) शुरू किया गया ताकि 20,000 से कम जनसंख्या वाले सभी शहरी क्षेत्रों को पाइप के जरिए जलापूर्ति मुहैया कराई जाए। केंद्र और राज्य सरकार के बीच लागत का बंटवारा 50:50 के आधार पर होगा। उ.प्र. में नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के तहत शहरी जलापूर्ति और मल व्ययन व्यवस्था हेतु 47060 लाख रु. मंजूर किए गए हैं जिसमें उत्तरांचल के लिए 3267 लाख रु. भी शामिल हैं।

होता। मल व्ययन सुविधा के मामले में तो स्थिति और भी खराब है क्योंकि राज्य के 686 शहरों में से केवल 60 शहरों में मल व्ययन सुविधा है।

तालिका 5.15 में आठवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर जलापूर्ति और सीवरेज सुविधा की स्थिति तथा नौवीं योजना के लक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं।

**'kjfh vkokl , oafyuf cflr; kx**

जमीन और भवन निर्माण की मौजूदा लागत आम आदमी के लिए बहुत अधिक है। शहरी क्षेत्रों में अनेक बंदिशों को हटाकर जमीन के बाजार को सक्रिय करने की जरूरत है। शहरी केंद्रों के आसपास जमीन की सट्टेबाजी पर रोक लगानी चाहिए। किराया नियंत्रण अधिनियम को खत्म करके किराया बाजार को मुक्त किया जाना चाहिए ताकि vkokl kx में निवेश को प्रोत्साहन मिले। vkokl बनाने का काम अपने हाथ में लेने की बजाय सरकार को निजी क्षेत्र द्वारा भूमि विकास और vkokl निर्माण में निवेश को मदद देने वाले मददगार के बतौर काम करना चाहिए।

पिछले दिनों vkokl निर्माण की सार्वजनिक कोशिशें उच्च और मध्य आय समूहों के लिए ही मुख्यतः काम करती रहीं। वित्तीय संस्थाओं को कमजोर तबकों के लिए मामूली ब्याज दर पर दीर्घकालीन आवास निवेश की नई योजनाएं शुरू करनी चाहिए। कम लागत में vkokl के क्षेत्र में शोध और विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए तथा इन्हें मकान निर्माण सामग्री के पर्याप्त प्राविधान के साथ लोगों में प्रचारित करना चाहिए।

हालांकि समस्त जनसंख्या का शहरीकरण 19.8 प्रतिशत की दर से हो रहा है जो अपेक्षाकृत कम है लेकिन शहरों की बढ़ती जनसंख्या और ग्रामीण क्षेत्रों से इनकी ओर पलायन, शहरी अधिसंरचनात्मक सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव डाल रहा है जिससे आबादकार जनसंख्या और efyu cflr; kx की समस्याएं पैदा हो रही हैं। efyu cflr; kx में रहने वाली जनसंख्या 1981 में 258 लाख थी, 1991 में बढ़कर 585 लाख हो गई और अब 1 करोड़ के

**तालिका 5.15: नवीं पंचवर्षीय योजना में शहरी जलापूर्ति और सीवरेज के लक्ष्य (1997-2002)**

क्रम	विषय	आठवीं योजना की समाप्ति पर स्थिति	नवीं योजना लक्ष्य	2001-02 का लक्ष्य	नवीं योजना की समाप्ति पर स्थिति
1	नल के जरिए जलापूर्ति वाले शहर (संख्या)	622.00	64.00	5.00	686.00
2	आच्छादित जनसंख्या (दस लाख)	30.37	12.83	8.53	43.21
3	उपलब्ध जल (एमएलडी)	2433.80	873.40	325.60	3307.20
4	सीवरेज सुविधा वाले शहर (संख्या)	60.00	9.00	9.0	69.00
5	आच्छादित जनसंख्या (दस लाख)	11.91	0.17	0.17	12.08
6	हाथ की सफाई Okys सीवरेज (एमएलडी)	638.00	13.40	13.40	651.40

स्रोत : उत्तर प्रदेश सरकार, वार्षिक योजना 2001-2002, वाल्यूम I, पार्ट II, पृष्ठ 146, राज्य योजना vk; kx

शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति की खराब उपलब्धता इस तथ्य से स्पष्ट है कि राज्य के 686 शहरों में से 29 शहरों में जलापूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं है, 132 शहरों में मानक से 25 प्रतिशत कम की व्यवस्था है, 219 शहरों में मानक से कमी 25 से 50 प्रतिशत है, 128 शहरों में यह कमी 50 से 75 प्रतिशत के बीच है तथा 178 शहरों में 75 प्रतिशत से अधिक है। इसके अलावा, शहरों के धनी और गरीब तबकों में जलापूर्ति का समान बंटवारा नहीं

ईर्द-गिर्द पहुंच गई होगी। अनुमान है कि शहरी जनसंख्या में efyu cflr; kx का अनुपात 1981 में 13 प्रतिशत था जो 1991 में 21.2 प्रतिशत तक पहुंच गया।

efyu cflr; kx में पर्यावरण सुधार (ई.आई.यू.एस.) योजना, राज्य की ओर से एक प्रमुख पहल थी। इसका उद्देश्य efyu cflr; kx ds परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना था। ये योजनाएं स्वागत योग्य तो हैं लेकिन महज मरहम के बतौर काम करती हैं।

## उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उ. प्र. में अब भी 365 लाख महिलाएं निरक्षर हैं और जच्चा मृत्यु दर 7.07 ifr gtlj देश में सबसे अधिक है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2000 में सबसे अधिक, 2059 दहेज हत्याएं उ.प्र. में दर्ज की गईं। यह संख्या देश भर में दर्ज मामलों का 30 प्रतिशत है।

दूसरी तरफ, पिछले दशक में उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता के क्षेत्र में काफी वृद्धि दर्ज की गई। इसी दौरान जनसंख्या में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का अनुपात भी बढ़ा है। उच्च शिक्षा के प्रसार से महिलाएँ लाभान्वित हुईं। सांस्कृतिक, शैक्षिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में उन्होंने अपनी छाप लगाई। विभिन्न महिला समूहों के बीच संजाल का निर्माण एक महत्वपूर्ण विकास रहा है। अनेक महिलाओं ने सर्वाधिक वंचित तबकों में काम करने के लिए अपने आरामदेह घर छोड़े। उन्होंने घरेलू हिंसा, जीवनयापन, जातीय उत्पीड़न के मुद्दों को उठाया और सांप्रदायिक विभाजन का विरोध किया। पंचायतों में महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी आशा की एक और किरण है।

### लिंग असमानता का पैमाना; जी.डी.आई. और जी.ई. एम.

1995 के मानव विकास प्रतिवेदन में लिंग असमानता को नापने के लिए दो सूचकों, महिला विकास सूचकांक (जी.डी.आई.) और महिला सशक्तीकरण माप (जी.ई.एम.), की रचना की गई जिससे एक नये आधार को जन्म मिला। जी.डी.आई. बुनियादी क्षमताओं, अर्थात् स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच में असमानता पर ध्यान केंद्रित करता है। लिंग असमानता के हिसाब से एच.डी.आई. का मान या तो घटा दिया जाता है या समायोजित किया जाता है। इस तरह जी.डी.आई. का अधिक मान असमानता में कमी का संकेतक है और जी.डी.आई. मान के कम होने का मतलब है मानव जीवन में खुशहाली को बढ़ावा देने वाले तीनों आयाम महिलाओं को कम मिल रहे हैं।

महिला सशक्तीकरण माप उस अधिक को आंकना चाहता है जहां तक महिलाएं और पुरुष आर्थिक, व्यावसायिक और राजनीतिक सत्ता को नियंत्रित करते हैं। इस पैमाने के तीन सूचक हैं: प्रति व्यक्ति आय; पेशेवर, तकनीकी, प्रबंधकीय और प्रशासनिक कार्यों में हिस्सेदारी तथा संसदीय सीटों में हिस्सा। ; [fi] जाति, समुदाय, ईंधन और चारे तक पहुँच, जमीन और अन्य परिस्मृतियों पर नियंत्रण, विरासत में अधिकार, हिंसा और हिंसा का खतरा भी महिलाओं की स्थिति से सीधे-सीधे जुड़े हुए हैं लेकिन जी.ई.एम. में इनका प्रतिबिंबन नहीं होता।



### जी.डी.आई. : राज्यों के बीच तुलना

जी.डी.आई. का पैमाना तीन आयामों में उपलब्धि की गणना कर महिलाओं की स्थिति को प्रस्तुत कर सकता है। इसीलिए इसके गुण नीति निर्माताओं को जल्दी ही समझ में आ गए। इसने भारत के राज्यों के जी.डी.आई. की गणना करके उनका स्थान निर्धारित करने की कोशिशों को बढ़ावा दिया (शिव कुमार 1996; सीता प्रभु, सरकार और राधा 1996; आशा कपूर मेहता 1996; हिरवे और महादेविया 1996)। एच.डी.आई. और जी.डी.आई. की तुलना करने से पता चलता है कि पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में विकास अन्यायपूर्ण रहा है तथा विकास के लाभों में महिलाओं की हिस्सेदारी बराबर की नहीं रही है। उत्तर प्रदेश एच.डी.आई. और जी.डी.आई.

दोनों ही मामलों में सबसे निचले स्तर पर है। यहाँ पुरुष और महिला दोनों ही समान भागीदार रहे हैं। चुनौती यह है कि गतिशीलता में भी उन्हें समान भागीदार कैसे बनाया जाए।

### जी.डी.आई. : जिलों के बीच तुलना

अगर हम उत्तर प्रदेश में जिलों का स्थान निर्धारित करें (जो जिले अब उत्तरांचल में हैं उन्हें छोड़कर) तो कानपुर (नगर), गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ और झांसी में जी.डी.आई. मान सबसे अधिक है। स्वास्थ्य और शिक्षा में महिलाओं को इन जिलों में अपेक्षाकृत बेहतर उपलब्धि हुई है। ; [fi], महिला विकास के तीसरे घटक, अर्थात् महिलाओं की अनुमानित अर्जित आय, के संदर्भ से ये जिले कुछ नीचे हैं। उदाहरण के लिए राज्य की राजधानी लखनऊ जी.डी.आई. में ऊपर से तीसरे स्थान पर है, शिक्षा सूचकांक में दूसरे स्थान पर है, स्वास्थ्य उपलब्धि में काफी आगे है लेकिन महिलाओं की अर्जित आय के अनुमानों में अठारहवें स्थान पर है। जी.डी.आई. के स्थान क्रम में सबसे नीचे स्थित जिले राज्य के सभी क्षेत्रों में लगभग बराबर हैं। ये जिले हैं- सिद्धार्थनगर, हरदोई, बहराइच, शाहजहाँपुर और बदायूँ। जी.डी.आई. के सभी घटक आयामों के मामले में इन जिलों का प्रदर्शन बहुत ही खराब था।



### एच.डी.आई. और जी.डी.आई. के मामले में प्रदर्शन

किसी भी जिले का एच.डी.आई. हमें खुशहाली के बारे में बताता है, लेकिन यह खुशहाली जिले के पुरुषों और महिलाओं में एक समान नहीं भी हो सकती है। लिंग असमानता बहुत अधिक हो

सकती है। प्रत्येक जिले में यह पाया गया कि मानव विकास के मामले में लिंग असमानता मौजूद है। प्रत्येक जिले में जी.डी.आई. मान की तुलना में एच.डी.आई. मान अधिक होने से इसका पता चलता है (तालिका 6.1)।


**तालिका 6.1 : जिलों का एच.डी.आई., प्रति व्यक्ति शुद्ध जिला घरेलू उत्पाद ( पी.सी.एन.डी.डी.पी. ) और जी.डी.आई. \***

जिले	एच.डी.आई.		पी.सी.एन.डी.डी.पी.		जी.डी.आई.	
	स्थान	मूल्य	स्थान	मूल्य	स्थान	मूल्य
आगरा	14	0.58	14	1863	16	0.493
अलीगढ़	30	0.53	20	1669	18	0.488
बरेली	43	0.49	15	1802	48	0.390
बिजनौर	25	0.54	8	2183	25	0.467
बदायूं	63	0.40	38	1276	54	0.315
बुलंदशहर	18	0.57	10	2078	12	0.509
एटा	50	0.48	27	1467	38	0.423
इटावा	29	0.54	36	1303	44	0.410
फर्रुखाबाद	32	0.52	39	1275	35	0.440
फिरोजाबाद	34	0.52	37	1293	47	0.400
गाजियाबाद	4	0.65	1	3734	2	0.616
मैनपुरी	27	0.54	34	1350	39	0.420
मथुरा	16	0.57	11	2006	13	0.504
मेरठ	11	0.60	3	2521	4	0.562
मुरादाबाद	46	0.49	18	1700	41	0.413
मुजफ्फरनगर	21	0.55	5	2243	10	0.517
पीलीभीत	48	0.49	13	1940	40	0.417
रामपुर	55	0.47	19	1683	46	0.404
सहारनपुर	20	0.56	7	2221	20	0.485
शाहजहाँपुर	57	0.46	17	1721	53	0.324
बाराबंकी	49	0.48	30	1427	33	0.447
फतेहपुर	35	0.51	32	1422	17	0.492
हरदोई	60	0.44	43	1135	51	0.366
कानपुर ( देहात )	22	0.55	26	1497	19	0.487
कानपुर ( नगर )	2	0.69	4	2288	1	0.626
खीरी	42	0.49	22	1616	42	0.410
लखनऊ	6	0.63	6	2236	3	0.595
रायबरेली	52	0.47	40	1235	34	0.441
सीतापुर	56	0.47	33	1352	49	0.389
उन्नाव	47	0.49	42	1215	29	0.453
बांदा	40	0.50	31	1425	24	0.469
हमीरपुर	36	0.51	16	1726	21	0.484
जालौन	26	0.54	23	1538	11	0.510
झांसी	15	0.57	9	2097	5	0.550
ललितपुर	53	0.47	21	1661	32	0.448
इलाहाबाद	38	0.50	29	1431	22	0.474
आजमगढ़	44	0.49	46	1066	28	0.458
बहराइच	62	0.40	49	991	52	0.364
बलिया	17	0.57	51	944	7	0.532
बस्ती	54	0.47	52	934	37	0.431
देवरिया	45	0.49	48	1034	30	0.452
फैजाबाद	33	0.52	45	1072	26	0.467
गाजीपुर	28	0.54	47	1044	14	0.499
गोंडा	58	0.45	25	1501	45	0.405
गोरखपुर	31	0.53	44	1090	15	0.493
जौनपुर	39	0.50	53	922	27	0.458
महाराजगंज	59	0.45	41	1228	43	0.410
मऊ	23	0.55	35	1315	9	0.527
मिर्जापुर	37	0.50	28	1446	23	0.474
प्रतापगढ़	51	0.48	50	946	36	0.438
सिद्धार्थनगर	61	0.42	54	758	50	0.386
सोनभद्र	24	0.55	2	3445	8	0.529
सुल्तानपुर	41	0.50	24	1534	31	0.452
वाराणसी	19	0.56	12	1983	6	0.533


\*iokh; जिलों को छोड़कर जो अब उत्तरांचल में हैं।

स्रोत : यू.पी.एच.डी.आर. के लिए आकलित।

चित्र 6.3: पी.सी.एन.डी.डी.पी, एच.डी.आई और जी.डी.आई के अनुसार जिलों का स्थान :  
वि/द्रे इ-1-1, u-M-i-h- olys ftyS



चित्र 6.4 : पी.सी.एन.डी.डी.पी, एच.डी.आई. और जी.डी.आई के अनुसार जिलों का स्थान :  
न्यूनतम पी.सी.एन.डी.डी.पी. वाले जिले



एच.डी.आई. में ऊपर लेकिन जी.डी.आई. में नीचे जिलों के बारे में कहना होगा कि खुशहाली का स्तर तो अपेक्षाकृत ऊँचा है, लेकिन लिंग के आधार पर असमानताएँ बहुत हैं। दूसरी तरफ, एच.डी.आई. में नीचे लेकिन जी.डी.आई. में ऊपर होने का मतलब है कि लिंग के आधार पर बहुत कम भेदभाव है, लेकिन मानव-क्षमताओं का विकास कम हुआ है।

उत्तर-प्रदेश के 17 जिलों का जी.डी.आई. स्थान एच.डी.आई. स्थान से नीचे था। सबसे अधिक असमानता वाले जिले इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बरेली और फर्रुखाबाद उत्तर-प्रदेश के आर्थिक रूप से विकसित पश्चिमी क्षेत्र में पड़ते हैं। इससे पता चलता है कि मानव विकास के क्षेत्रों में जो भी उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं उनका वितरण पुरुषों और महिलाओं के बीच समान रूप से नहीं हुआ है।

### बाक्स 6.1: घातक निर्धारण

#### लिंग निर्धारण के तरीके—

जन्म पूर्व लिंग निर्धारण के जो तरीके हैं वे महत्वानुसार निम्नवत हैं : अल्ट्रा सोनोग्राफी लिंग निर्धारण का सबसे आम तरीका है। इसके फायदे यह हैं कि यह स्पष्ट और सस्ती है तथा पहले 13-14 हफ्तों में भ्रूण का लिंग बता देती है। लिंग निर्धारण के बढ़ती हुई अल्ट्रासाउंड केंद्र फल फूल रहे हैं और शहरों तथा छोटे कस्बों में भी फैले हुए हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कुछ शहरों में सचल वाहन यह काम 500 से 5000 रुपए में कर देते हैं।

चोरियन विलोअस बायोप्सी जैसे तो गर्भ की शुरुआत में ही आनुवंशिक बीमारियों और जन्मजात खामियों के निदान के लिए होती है लेकिन

इसका प्रयोग लिंग निर्धारण के लिए अधिक होता है। यह खतरनाक है और इसके लिए अत्यंत सुरक्षित स्थितियों की जरूरत होती है।

एम्नियोसेंटिसिस का प्रयोग लिंग निर्धारण के लिए अब नहीं होता, लेकिन 1980-95 के दौरान इसकी बदनामी बहुत हुई क्योंकि तब यह लिंग निर्धारण का पर्यायवाची हो गया था। इसका प्रयोग 35 वर्ष से अधिक आयु की गर्भवती महिलाओं में गर्भपात के लक्षण और अन्य खामियों की जाँच के लिए किया जाता था। इसमें भ्रूण के ऊतकों में जीवाणु समूह की 3 हफ्तों तक परीक्षा की जाती है और इसमें काफी खतरे होते हैं।

#### लिंग चुनाव की तकनीकें—

**एक्स-वाई अलगाव :** वीर्य में मौजूद एक्स और वाई क्रोमोसोमों को अलगाने के लिए एरिक्स पद्धति का प्रयोग किया जाता है। फिर वाई क्रोमोसोमयुक्त वीर्य को गर्भाशय में डाला जाता है ताकि गर्भ में लड़के की गारंटी हो। इस पद्धति की सफलता दर 65-70 प्रतिशत है।

**प्री इंप्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस ( पी.जी.डी. ) :** गर्भधारण के कुछ दिनों बाद भ्रूण के एक या दो ऊतक निकाले जाते हैं, उनकी परीक्षा की जाती है। भ्रूण को पुनः गर्भाशय में डाल दिया जाता है।

#### गर्भ और लिंग निर्धारण के मेडिकल समापन से संबंधित कानून—

जन्म पूर्व निदान तकनीक (दुरुपयोग नियमन और नियंत्रण) अधिनियम, 1994

गर्भ का मेडिकल समापन अधिनियम, 1971 ।

भारतीय दंड संहिता, भ्रूण हत्या से संबंधित विशेष अनियम, 1870 ।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और यूनिसेफ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिविर (लिंग पूर्वाग्रह, भ्रूण हत्या और शिशु हत्या), नई दिल्ली, अगस्त 1999 की रिपोर्ट से।

37 जिलों का जी.डी.आई. स्थान उनके एच.डी. स्थान के बराबर या उससे ऊँचा था। इससे पता चलता है कि मानव क्षमताओं का अपेक्षाकृत समान विकास हुआ है। इन 37 जिलों में 18 पूर्वी उत्तर-प्रदेश में हैं। पूर्वी क्षेत्र में इनकी अधिक संख्या यह बताती है कि मानव विकास में बेहतर लिंग समानता आय स्तर या विकास की स्थिति पर निर्भर नहीं है।

#### आय स्तर और जी.डी.आई.

प्रतिव्यक्ति शुद्ध जिला घरेलू उत्पाद (पी.सी.एन.डी.डी.पी.) और जी.डी.आई का विकास एक साथ नहीं दिखाई देता। 29 जिलों का प्रदर्शन जी.डी.आई. के मोर्चे पर बहुत खराब रहा, इसकी तुलना में आय स्केल पर उनका स्थान ऊपर था। इन जिलों में से 18 अपेक्षाकृत समृद्ध पश्चिमी क्षेत्र में हैं। सबसे अधिक अंतर शाहजहाँपुर, बरेली, पीलीभीत, रामपुर और मुरादाबाद में है। इन जिलों का यह कर्तव्य है कि वे ऊँचे आय-स्तरों को महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक बेहतरी में बदल दें।

#### महिला-पुरुष अनुपात

1991 की जनगणना के सबसे निराशाजनक परिणामों में एक यह था कि भारत की जनसंख्या में महिलाओं का अनुपात घटा है। उत्तर-प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात लगातार राष्ट्रीय औसत से कम रहा है और ताजा जनगणना से पता चलता है कि यह प्रवृत्ति जारी है, हालाँकि 2001 में एफ.एम.आर. 898

हो गया जबकि 1991 की जनगणना में यह 879 था इसलिए इस मामले में काफी उल्लेखनीय सुधार आया है।


2001की दशकीय जनगणना के अंतरिम परिणाम 0-6 वर्ष आयु समूह में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या में दुखद घटोतरी प्रदर्शित करते हैं। नब्बे के दशक में यह प्रवृत्ति अनेक राज्यों (हिमाचल प्रदेश, पंजाब, आसाम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु) में दिखाई पड़ी।

**तालिका 6.2 : उपेक्षा के शिकार, भारत में महिला पुरुष अनुपात, 1901-2001**

वर्ष	1901	1911	1921	1931	1941	1951	1961	1971	1981	1991	2001
एफएम आर-भारत	972	964	955	950	945	946	941	930	934	927	933
एफएम आर-उ.प्र.	938	915	909	904	907	910	919	879	885	879	898
उ.प्र. के लड़कियों की संख्या प्रति 1000 लड़कों पर	34	49	46	46	38	36	22	51	49	48	35

स्रोत : जनगणना

**चित्र 6.5 : शिशु मृत्यु दर, उ.प्र. और भारत, 2000**




### लड़कों को वरीयता

कोई नई बात नहीं है। 1870 में ही अंग्रेज सरकार ने शिशु हत्या के खिलाफ कानून पारित किया था। इसके बावजूद देश के कुछ हिस्सों में नवजात लड़कियों की निर्मम हत्या जारी है। इसके अनेक तरीके हैं—गला दबाना, साँस रोक देना, यूरिया या अन्य कोई जहरीला पदार्थ दे देना, या फिर शिशु के सिर को कसकर पटक देना। पिछले डेढ़ दशकों में विज्ञान और अंधविश्वास, तकनीक और परंपरा का अपवित्र गठबंधन हुआ है। अजन्मे बच्चे का लिंग आसानी से निर्धारित किया जा सकता है और गर्भस्थ भ्रूण के लड़की पाए जाने पर उससे छुटकारा ले लिया जाता है। हालाँकि जन्मपूर्व परीक्षण तकनीक (दुरुपयोग नियंत्रण और निवारण) अधिनियम, 1994 कुछ वर्षों से लागू है, लेकिन इस कानून के व्यापक उल्लंघन के बावजूद सजा बहुत कम लोगों को मिली है।

जीव-वैज्ञानिक दृष्टि से प्रति 100 लड़कियों पर 105 लड़के पैदा होते हैं। चूँकि नरभ्रूण अधिक असुरक्षित होता है जबकि नवजात लड़कियाँ अधिक स्वस्थ होती हैं और जन्म के समय जीवित रहने की अधिक संभावना होती है (आगे की दौड़ में कमजोरी की प्राकृतिक शुरुआती क्षतिपूर्ति) इसलिए यह संख्या बराबर हो जाती है। आदर्श के लिए 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाएं होनी चाहिए। नर शिशु के लिए बीमारी की हद तक मोहग्रस्त समाज में यह जैविकीय लाभ 'भेदभावमूलक नुकसान' से खत्म हो जाता है क्योंकि लड़कियों को माँ का दूध कम मात्रा में तथा कम अवधि के लिए

**चित्र 6.6 : मृत्यु दर, उ.प्र. और भारत, 2000**



मिलता है, उन्हें पर्याप्त पोषण, प्रतिरोधन और स्वास्थ्य रक्षा मिलने की कम ही संभावना होती है।

महिलाओं के विरुद्ध व्यवस्थागत भेदभाव उनके जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है और जीवन भर चलता रहता है; शैशव से कैशोर्य और अंततः प्रौढ़ावस्था तक। उत्तर प्रदेश में एफ.एम.आर. दुनियाभर में सबसे कम है और भारत के भी प्रमुख राज्यों में 2001 में इसका स्थान नीचे से तीसरा था।


चिंता के अनेक मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए।

- उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु-दर और मृत्यु-दर राष्ट्रीय स्तर से काफी अधिक है। इससे स्वास्थ्य की खराब स्थिति का पता चलता है।
- उत्तर प्रदेश में महिला मृत्यु-दर देश में सबसे अधिक है। शहरी महिलाओं की मृत्यु-दर तो सबसे अधिक है, ग्रामीण महिलाओं की मृत्युदर भी म.प्र. और छत्तीसगढ़ के बाद तीसरे स्थान पर है।
- राष्ट्रीय-स्तर पर पुरुष मृत्यु-दर महिला मृत्यु-दर से अधिक है। केवल बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में स्थिति इसके विपरीत है अर्थात् महिला मृत्यु-दर पुरुष मृत्यु-दर से अधिक है।
- उत्तर प्रदेश में महिला शिशु मृत्यु-दर देशभर में म.प्र. और उड़ीसा के बाद सर्वाधिक है।
- आई.एम.आर. और मृत्युदरों में पुरुष-महिला अंतराल उत्तर प्रदेश में अधिक है। इससे भेदभाव मूलक आचरण का पता चलता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में शिशु मृत्यु-दर कम है। आश्चर्यजनक यह है कि लिंग अंतराल ग्रामीण क्षेत्रों (13.4 का अंतराल)की तुलना में शहरी क्षेत्रों (19.6 का अंतराल) में अधिक है।
- कम एफ.एम.आर. कभी-कभी गलत आकड़ों का नतीजा भी होता है। इसलिए हमने 0-6 वर्ष आयु समूह सहित सभी आयु समूहों में एफ.एम.आर. के आधार पर जिलों की तुलना की है।


1. श्रीवास्तव (2003)। यह याद रखिए कि सहसंबंध सांयोगिकता को नहीं प्रदर्शित करता।



चित्र 6.7 : सबसे अधिक और सबसे कम महिला पुरुष अनुपात ( सभी आयु ) वाले जिले, 2001



चित्र 6.8 : सबसे अधिक और सबसे कम महिला पुरुष अनुपात ( 0-6 वर्ष ) वाले जिले, 2001 ( उत्तर प्रदेश-916 )



तालिका 6.3 : क्षेत्रवार महिला पुरुष अनुपात, 2001

	एफ.एम.आर. (सभी आयु)	एफ.एम.आर. (0-6 वर्ष)
उत्तर प्रदेश	898	916
बुंदेलखंड	863	905
मध्य	880	916
पूर्वी	942	944
पश्चिमी	864	885

स्रोत : जनगणना 2001

तालिका 6.4 : कार्य भागीदारी दर, उत्तर प्रदेश और भारत, 2001

	मुख्य जफेद		सीमांत जफेद		द्वि-जफेद	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
उत्तर प्रदेश	39.6	6.1	7.68	10.18	47.26	16.28
भारत	45.4	14.68	6.59	10.99	51.93	25.68

स्रोत : जनगणना

दोनों आयु समूहों में विभिन्न क्षेत्रों में एफ.एम.आर. का ढर्रा यह बताता है कि यदि हम निवर्तमान उत्तरांचल को अलग कर दें तो पूर्वी उत्तर-प्रदेश में एफ.एम.आर. सबसे अधिक है जबकि बुंदलेखंड (राज्य का कम विकसित दक्षिणी क्षेत्र) और पश्चिमी (आर्थिक रूप से विकसित) क्षेत्रों में यह सबसे कम है।

राज्यों के विभिन्न जिलों के बीच महिला-पुरुष अनुपात (सभी आयु समूह) में काफी भिन्नता है। उच्चतम अनुपात 1076 है (आजमगढ़) और न्यूनतम अनुपात 838 है (शाहजहाँपुर)।

राज्य के विभिन्न जिलों के बीच महिला-पुरुष अनुपात (0-6 वर्ष आयु समूह) में भी भिन्नता है। उच्चतम अनुपात 977 है (गोरखपुर) और न्यूनतम अनुपात 817 है (बागपत)।

राज्य के विभिन्न जिलों के बीच महिला-पुरुष अनुपात (सभी आयु समूह) में काफी भिन्नता है। उच्चतम अनुपात 1076 है (आजमगढ़) और न्यूनतम अनुपात 838 है (शाहजहाँपुर)।

जिन जिलों में एफ.एम.आर. अधिक था वहाँ बालश्रम कम दिखाई पड़ा।

- आँकड़ों से संभवतः निश्चित रूप से यह स्थापित हो गया कि 'काम ही कीमत' है। जिन जिलों में श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी अधिक थी वहाँ एफ.एम.आर. भी अधिक था।
- अतः, अधिक एफ.एम.आर. का संबंध जनसंख्या वृद्धि दर में कमी, अपक्व मृत्यु दर में कमी, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में कमी से भी प्रतीत होता है। बहरहाल, ये सह-संबंध नकारात्मक तो हैं लेकिन आँकड़ों के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं हैं।

### 'औरत का काम हमेशा चलता रहता है': महिलाएँ और काम में भागीदारी

'औरत का काम कभी खत्म नहीं होता' यह कहावत अधिकांश महिलाओं के जीवन में लगातार मेहनत को व्यक्त करती है। फिर भी जब जनगणना में मजदूरों की संख्या का जिक्र आया तो 2001 में उत्तर प्रदेश में 47.3 प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले सिर्फ 16.3 प्रतिशत महिलाएँ मजदूर बताई गईं क्योंकि काम की धारणा को समझना सबसे भ्रामक और मुश्किल काम है। काम का आकलन इस पर निर्भर है कि उसको कैसे परिभाषित किया जाता है और राष्ट्रीय लेखा व्यवस्था में जिस तरह उसे परिभाषित किया जाता है, परिणामस्वरूप जिस तरह उसका आकलन किया जाता है और उसका मान निकाला जाता है वह पूरी तरह से महिलाओं के प्रतिकूल है। जनगणना में 'काम' की परिभाषा 'आर्थिक रूप से किसी उत्पादक गतिविधि में भागीदारी' दी गई है। इसमें बहुत हद तक, बाजार के लिए उत्पादन शामिल है लेकिन वही नहीं है। अगर कोई महिला अपने बच्चों का कपड़ा सिलती है तो उसे काम नहीं माना जाता, लेकिन अगर वह बाजार में बिकने के लिए कपड़ा सिलती है तो वह 'काम' है। फिर उसे 'Jed' के बतौर दर्ज किया जाता है। यही विरोधाभास है। खाना बनाते, सफाई करते, पानी और ईंधन लाने के लिए मीलों पैदल चलते, बच्चों और बूढ़ों की देखभाल करते महिलाएँ थककर चूर हो जा सकती हैं लेकिन इसे 'काम' नहीं माना जाएगा।

### बाक्स 6.2 : महिला का महत्व मानकर गणना


एक तरफ तो महिलाएँ घर और घर के बाहर दोनों ही जगह अनवरत काम करती रहती हैं। दूसरी तरफ जनगणना में महिला कार्य भागीदारी दर अत्यल्प दिखाई देती है। इस विडंबना के कारण अनेक लोग उस तरीके पर सवाल उठाने लगे जिस तरह जनगणना में महिला कार्य की धारणा बनाई जाती है और जिस तरह इसे अंकित किया जाता है। इसकी वजह से आँकड़ा संग्रह में लिंग संवेदनशीलता बढ़ाने के प्रयासों को बल मिला। 2001 की जनगणना में गंभीर प्रयास से निम्नलिखित बिन्दु शामिल हुए :

- महिला प्रश्नों के निरीक्षण और सभी स्तरों पर जनगणना कर्मियों को संवेदनशील बनाने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया गया।
- महिलाओं के अंशकालिक और बगैर मजाली काम को समझने के लिए गवेषणा पद्धति का प्रशिक्षण दिया गया और गणना करने वालों को महिलाओं द्वारा बगैर मजाली किए जाने वाले तमाम ऐसे कामों के चित्र दिखाए गए जिन्हें अक्सर काम के बतौर दर्ज नहीं किया जाता।
- गणना करने वालों को लिंग विशेष के तरीके से सवाल पूछने का प्रशिक्षण दिया गया। उदाहरण के लिए सामान्यतः 'आपको कितने बच्चे पैदा हुए?' पूछने की बजाय यह पूछना कि 'आपको कितनी लड़कियाँ और कितने लड़के पैदा हुए?' इससे किसी भी लड़की के छूटने की संभावना कम होगी।

- महिला कार्य भागीदारी के पंजीकरण में सुधार के लिए एक विशेष अध्ययन किया गया। पद्धति में सुधार और गणना करने वालों की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा में जनगणना पूर्व सर्वेक्षण किया गया।
- 1991 की जनगणना में 266 जिले ऐसे थे जहाँ महिला कार्य भागीदारी दर 15 प्रतिशत से कम दिखाई पड़ी थी या जहाँ प्रति हजार पुरुषों पर 50 से अधिक महिलाएँ कम थीं। इन्हें संकटग्रस्त जिले कहा गया और कई यू. एन. एजेंसियों के सहयोग से विशेष जनगणना सलाहकार नियुक्त किए गए ताकि गणना की विश्वसनीयता में सुधार आ सके।
- कोशिश की गई कि महिला गणनाकर्ताओं और निरीक्षकों की संख्या जितनी संभव हो बढ़ाई जाए। इस उद्देश्य के लिए आँगनवाड़ी कर्मियों को भी जनगणना कर्मों का प्रशिक्षण दिया गया।
- विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं के योगदान पर जोर देने के लिए प्रचार अभियानों की योजना बनाई गई। महिला कार्य के पोस्टर प्रदर्शित किए गए और महिलाओं से अपील की गई कि वे आगे आएँ और अपनी आर्थिक गतिविधियों को दर्ज कराएँ।
- 2001 जनगणना की पूरी रिपोर्ट की उत्सुकता से प्रतीक्षा की जा रही है ताकि देखा जा सके कि इन उपायों का महिला कार्य भागीदारी की गणना पर क्या असर पड़ा है।

पिछले वर्षों में महिला संगठनों ने काम की परिभाषा को उदार बनाने की वकालत की ताकि इसमें महिलाओं के काम की स्थिति बेहतर तरीके से प्रतिबिंबित हो। उन्होंने पंजीकरण में भी अधिक संवेदनशीलता और कुशाग्रता की मांग की। फलस्वरूप 1991 की जनगणना में ऐसे परिवर्तन किए गए जिससे घर में महिलाओं के काम का पता चले। पारिवारिक फर्मी और पारिवारिक उद्यमों में बेगार को काम की परिभाषा में शामिल करने वाली धारा स्पष्ट की गई। महिलाओं का अधिकांश काम इसी बेगार, गैर मान्यता प्राप्त कोटि में आता है। अतः महिलाओं की भागीदारी दर काम के आकलन के लिए प्रयुक्त परिभाषा और गिनती संबंधी पूर्वाग्रहों के कारण कम रहती है।

चित्र 6.9 सबसे अधिक महिला कार्य भागीदारी दर वाले जिले, 2001 (मुख्य श्रमिक)




काम में पुरुषों की भागीदारी दर विभिन्न जिलों में बहुत ऊपर-नीचे नहीं होती लेकिन इसके विपरीत काम में महिलाओं की भागीदारी दर में नाटकीय भिन्नता है; पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुर में यह 1.6 प्रतिशत है तो बुंदेलखंड में चित्रकूट में 16 प्रतिशत। दिलचस्प बात यह है कि काम में

महिलाओं की भागीदारी दर जिन दस जिलों में सबसे कम थी वे सब पश्चिमी क्षेत्र में हैं तथा जिन आठ जिलों में यह सबसे अधिक थी वे सब कम विकसित पूर्वी और बुंदलखंड क्षेत्र में हैं। इसका कारण यह है कि परिवार जैसे जैसे समृद्ध होता जाता है वैसे वैसे उनकी महिलाएं श्रम शक्ति से अलग होती जाती हैं क्योंकि यह बढ़ती हैसियत का प्रतीक माना जाता है।




बहरहाल, विभिन्न जिलों में भिन्नताओं के बावजूद काम में पुरुषों की भागीदारी की तुलना में महिलाओं की भागीदारी दर कम है और राष्ट्रीय औसत की तुलना में उत्तर प्रदेश में यह कम है।

कितनी महिलाएँ मजदूर हैं? कितनी गैर मजदूर हैं? प्रत्येक 100 पुरुषों में आधों को मजदूर और बकाया आधों को गैर मजदूर के बतौर वर्गीकृत किया गया है। दूसरी तरफ, प्रत्येक 100 महिलाओं में से केवल 13 को मजदूर के तौर पर वर्गीकृत किया गया है, जबकि एक विशाल बहुसंख्या, 87, को गैर-मजदूर गिना गया है।



महिला समूहों का तर्क है कि आधिकारिक आँकड़ा प्रणाली में घरेलू पत्नी के बतौर महिलाओं की गिनती पर अधिक जोर दिया गया है और मजदूर के बतौर उसके योगदान को कम करके दर्ज किया गया है।


श्रम बाजार में महिलाओं के साथ अनुचित सौदेबाजी होती है। वे निरक्षरता की बेड़ी में जकड़ी रहती हैं, उनमें कुशलता का अभाव होता है, परिसम्पत्ति



तालिका 6.5 : विभिन्न कृषि कार्यों में पुरुष महिला मजूरी में अंतर, उ.प्र.

काम		मजूरी
बुआई	महिला	45.29
	पुरुष	51.12
कटाई	महिला	47.43
	पुरुष	52.03
e<tbl	महिला	47.83
	पुरुष	51.95
अन्य	महिला	45.47
	पुरुष	60.49

स्रोत : जी.ओ.यू.पी. (1999), कृषि विभाग



और गतिशीलता उनमें कम होती है, इसके कारण वे मोल-तोल नहीं कर पातीं। उत्तर-प्रदेश में प्राथमिक सेक्टर में 72 प्रतिशत पुरुष मजदूर लगे हुए हैं जबकि 84 प्रतिशत महिला मजदूर इसमें कार्यरत हैं। इस सेक्टर में केवल जीवनयापन भर आय होती है और कुछ ही महीने काम रहता है ( एन.एस.एस. 1999-00)

इस सेक्टर में भी महिलाओं की स्थिति नाजुक है। पुरुष तो अधिकांशतः खेत-खेत के बतौर काम करते हैं जबकि अधिकांश महिलाएं खेत मजदूर के बतौर काम करती हैं। अधिकांश खेत मजदूरों के लिए 10-12 दिन जीवन संघर्ष के समान है। न केवल कमाई बहुत कम होती है बल्कि मानव श्रम के विकल्प के बतौर श्रेणियों, हार्वेस्टों और क्रशों के इस्तेमाल से काम की उपलब्धता भी घट रही है। इसका अर्थ रोजी-रोटी का खात्मा तथा गंभीर गरीबी होगा। पुरुषों के पास काम पाने के लिए बाहर जाने का, हालाँकि विकल्प है।

अपने पुरुष साथियों से स्वतंत्र होकर महिलाएं यह विकल्प नहीं चुन सकतीं। इसके अलावा खेत मजदूर महिलाओं को आमतौर पर ऊँची जाति के सामंती मालिकों द्वारा यौन उत्पीड़न का भी शिकार होना पड़ता है।

शहरी उत्तर प्रदेश में द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों में महिला मजदूरों की संख्या 10% पुरुष मजदूरों के बराबर ही है लेकिन इन सेक्टरों में अधिसंख्य महिलाएँ घरेलू उद्योगों और अनौपचारिक क्षेत्र में काम करती हैं जिसकी विशेषता काम के अनंत घंटे, किसी दिन छुट्टी नहीं, कोई सामाजिक अंतःक्रिया नहीं, बहुत कम या कोई पगार नहीं तथा कोई मान्यता न होना इत्यादि हैं। 1998 में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल कर्मचारियों का 91 प्रतिशत पुरुष, और केवल 9 प्रतिशत महिलाएँ थीं। इसके विपरीत द्वितीयक सेक्टर में काम करने वाले अधिकांश पुरुष गैर घरेलू उद्योगों में थे।


एन.एस.एस. सभी मजदूरों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। उनमें नौकरी की सुरक्षा, नियमित वेतन तथा काम के हालात समाहित हो जाते हैं। घटती हुई स्थिति के क्रम में ये हैं : नियमित कर्मचारी, स्वरोजगार और अस्थायी मजदूर/पुरुषों की तुलना में अधिकांश महिलाओं को अस्थायी मजदूरों के रूप में सबसे निचली कोटि में काम करना पड़ता है।

### अनौपचारिक क्षेत्र

शहरी अनौपचारिक क्षेत्र समाज की कठोर असमानताओं की दुखद और निरंतर याद दिलाता रहता है। यह ऐसे विकारग्रस्त विकास के प्रतिमान की याद दिलाता है जिसका परिणाम विशाल जनसमुदाय के लिए गंदगी, झुग्गियाँ और बेरोजगारी है तथा कुछ लोगों के लिए आश्चर्यजनक समृद्धि।

उत्तर-प्रदेश में अनौपचारिक क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में महिलाएँ हैं। शहरी क्षेत्रों, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर और आगरा जैसे शहरों में महिलाएँ सभी तरह के कामों में लगी हुई हैं। निर्माण मजदूरों, छोटे दुकानदारों, घरेलू नौकरानियों, बीड़ी मजदूरों और अन्य कम वेतन मजदूरों के रूप में वे काम करती हैं। श्रम बाजार में भीषण होड़ है, काम के घंटे लंबे हैं, वेतन जीवनयापन के लिए भी पर्याप्त नहीं होता, काम की कोई सुरक्षा नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय ने एक मशहूर मुकदमे (विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान सरकार और अन्य, 1997) में कहा था कि कार्यस्थल पर शक्ति की गैर-बराबरी यौन-उत्पीड़न में प्रतिबिंबित होती है और कामगार महिलाओं की सुरक्षा नियोक्ता का कर्तव्य है। इसने निर्देश दिया कि प्रत्येक कार्यस्थल पर शिकायत समिति का गठन किया जाए। उसकी अध्यक्ष कोई महिला हो और शिकायतों का समयबद्ध निपटारा किया जाए। इसने यौन-उत्पीड़न को व्यापक ढंग से परिभाषित किया और सरकारी तथा निजी दोनों ही तरह के नियोक्ताओं



को इस मुद्दे पर चेतना पैदा करने का निर्देश दिया, कहा कि वे निवारक उपाय करें और ज्योंही कोई शिकायत दर्ज होती है तुरंत अनुशासनात्मक कार्यवाह शुरू करें। इसे लागू करने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों को सौंपी गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए कुछ कदम तो उठाए हैं लेकिन इनका कार्यान्वयन कमजोर है।

श्रम बाजार तथा नौकरी में महिलाओं के साथ भेदभाव हर जगह होता है। श्रम बाजार में, पुरुषों और महिलाओं के काम अलग-अलग बँटे हुए हैं और महिलाओं की मजदूरी हमेशा पुरुषों की मजदूरी से कम होती है, अगर वे समान कठिन काम करें तो भी। शहरी क्षेत्रों का भी सच यही है। विशेष काम तय करने में भी यह भेद-भाव प्रकट होता है। नए, गैर पारंपरिक कामों में कुछ महिलाओं के आगमन के कारण महिलाओं की बहुसंख्या अब भी बहुत ही पारंपरिक कामों में फंसी हुई है। इसका मतलब है कि अनेक तरह की नौकरियों के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, इसका कोई कारण नहीं कि महिलाएँ उत्तर-प्रदेश में टैपो चालक या बस कंडक्टर क्यों नहीं बन सकतीं। व्यापार और वाणिज्य की औद्योगिक कोटि में 25 लाख पुरुष मजदूरों की तुलना में राज्य में महिला मजदूरों की संख्या तकरीबन 0.7 लाख ही है। इसी तरह परिवहन, भंडारण और संचार की कोटि में केवल 0.07 लाख महिलाएँ थीं, जबकि पुरुषों की संख्या इसके 108 गुना से अधिक थी।

नौकरी मिल जाने के बाद भी पदोन्नति और उच्चतर आय के अवसर महिलाओं को नहीं दिए जाते। उदाहरण के लिए महिलाएँ निर्माण मजदूरों को नहीं दिए जाते। उदाहरण के लिए महिलाएँ निर्माण मजदूरों को नहीं दिए जाते। उदाहरण के लिए महिलाएँ निर्माण मजदूरों को नहीं दिए जाते।

अपनी आय पर महिलाओं का नियंत्रण नहीं होता है। जहाँ पुरुष अपनी आय का अधिकांश हिस्सा गैर-जरूरी चीजों पर, या परिवार के लिए हानिकारक शराब या तम्बाकू पर खर्च करते हैं वहीं महिलाओं की अधिकांश आय परिवार की जीवन रक्षा जरूरतों और शिक्षा के खर्च होती है।

महिलाओं का काम अभिन्न रूप से पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। जंगल, गांव के तालाबों और नदियों के उत्पाद गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं। पर्यावरणिक विनाश हमेशा ही महिलाओं के काम का बोझ बढ़ा देता है। दलित महिलाओं की विशेष समस्याएँ हैं। तीन तरह से उनका उत्पीड़न होता है। महिला के बतौर उनका यौन उत्पीड़न हो सकता है। श्रम बाजार में उनका शोषण होता है। एस.सी./एस.टी. महिलाओं में कार्य भागीदारी दर अन्य जाति समूहों की महिलाओं की कार्य भागीदारी दर से अधिक है। एस.सी./एस.टी. समूहों में महिला और पुरुष के बीच कार्य भागीदारी का अंतर अन्य गैर-अनुसूचित समूहों के मुकाबले कम है। इससे

पता चलता है कि इन कोटियों में अधिक महिलाएँ काम करती हैं। एस.सी./एस.टी. और 'अन्य' के बीच कार्य भागीदारी दरों में यह अंतर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बराबर ही है। इससे पता चलता है कि शहरी क्षेत्रों में भी स्थिति बेहतर नहीं है। उत्तर-प्रदेश में महिलाओं की कार्य भागीदारी दरें सभी समूहों में (एस.टी. शहरी क्षेत्रों को छोड़कर) और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की कार्य भागीदारी दरों से कम है।

### संगठित क्षेत्र

औपचारिक क्षेत्र में महिलाएँ अपने आपको हाशिए पर खड़ा पाती हैं क्योंकि कुल कर्मचारियों में उनकी संख्या बहुत कम है। जनगणना ने सभी मजदूरों (मुख्य और सीमांत, ग्रामीण और शहरी) को 1 से 4 तक को सफेद कालर पेशे कहा जा सकता है। ये हैं (1) पेशेवर, तकनीकी और संबद्ध कर्मचारी, (2) प्रशासनिक, कार्यपालिका और प्रबंधन से जुड़े कर्मचारी, (3) लिपिक और संबद्ध कर्मचारी, (4) सेल्स कर्मचारी। 1991 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि इन अपेक्षाकृत बेहतर पेशों में महिलाओं का प्रतिशत

विभिन्न जिलों में बहुत भिन्न नहीं है। यह बस कम और अत्यंत कम के बीच डोलता रहता है।

संगठित क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार से संबंधित एकदम ताजा अनुमान रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय से लिए गए हैं जो सभी सार्वजनिक निकायों में रोजगार से संबंधित आँकड़े एकत्र करता है। उत्तर प्रदेश में संगठित क्षेत्र के सभी कर्मचारियों में महिलाएँ केवल 9 प्रतिशत हैं। राष्ट्रीय औसत 16 प्रतिशत से यह काफी कम है। कानपुर, लखनऊ और गाजियाबाद जैसे सर्वाधिक औद्योगिकृत जिलों में संगठित क्षेत्र में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है, जबकि महोबा, संत रविदास नगर और अंबेडकर नगर जैसे औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में यह संख्या बहुत कम थी।

संगठित क्षेत्र के रोजगार निजी क्षेत्र के मुकाबले सार्वजनिक क्षेत्र अधिक मिश्रित करता है। चूँकि सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदा इकाइयों को बेचा या बंद किया जा रहा है और इस क्षेत्र में नया निवेश नहीं हो रहा है इसलिए अधिकांश महिलाओं को असंगठित क्षेत्र में असहनीय जीवन बिताने की कोशिश जारी रखनी होगी।

**तालिका 6.6 : संगठित क्षेत्र में सर्वाधिक महिलाओं वाले जिले, 1998**

	महिला कर्मचारी			सभी कर्मचारियों में महिलाओं का %		
	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	संगठित क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	संगठित क्षेत्र
उत्तर प्रदेश	156763	49353	206116	8.63	10.08	8.94
कानपुरनगर	12727	5983	18710	8.87	11.47	9.56
लखनऊ	12002	4346	16348	6.6	21.73	8.1
गाजियाबाद	3961	8851	12812	9.25	11.35	10.61
इलाहाबाद	8851	3010	11861	6.53	13.33	7.5
मेरठ	5308	2555	7863	9.92	11.2	10.3
वाराणसी	5341	1873	7214	6.87	8.07	7.15
आगरा	4638	2406	7044	8.76	16.52	10.43
मुरादाबाद	4969	1566	6535	7.28	12.96	8.13
बरेली	5037	1163	6200	8.78	9.95	8.98
गोरखपुर	4616	1290	5906	8.11	10.9	8.59


स्रोत : रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय, लखनऊ

**तालिका 6.7 : संगठित क्षेत्र में सबसे कम महिलाओं वाले जिले, 1998**

	महिला कर्मचारी			सभी कर्मचारियों में महिलाओं का %		
	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	संगठित क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	संगठित क्षेत्र
उत्तर प्रदेश	156763	49353	206116	8.63	10.08	8.94
जालौन	1210	238	1448	9.01	6.92	8.58
ललितपुर	1132	106	1238	12.45	16.23	12.7
हमीरपुर	1014	41	1055	10.8	4.07	10.15
प्रतापगढ़	980	74	1054	8.19	2.57	7.1
महाराजगंज	819	56	875	8.42	2.54	7.33
सिद्धार्थनगर	788	30	818	11.98	1.72	9.83
कुशीनगर	553	103	656	7.02	2.23	5.25
अम्बेडकर नगर	491	149	640	7.47	6.02	7.07
संत रविदास नगर	328	50	378	6.71	4.78	6.37
महोबा	328	7	335	9.05	2.9	8.67

स्रोत : रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय, लखनऊ

**चित्र 6.16 : उ.प्र. विधान सभा में महिलाएँ**



स्रोत : चुनाव आयोग



## राजनीतिक भागीदारी

उत्तर प्रदेश देश में पहली महिला राज्यपाल (सरोजिनी नायडू) और पहली महिला मुख्यमंत्री (सुचेता कृपलानी) के होने पर गर्व कर सकता है। बहुजन समाज पार्टी नेता मायावती के रूप में ऐतिहासिक रूप से वुमिफर जाति की एक महिला मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची।

उत्तर प्रदेश में पहली विधानसभा में 13 महिलाएँ थीं, 1957 में उनकी संख्या 29 हुई, 1985 में 30 महिलाएँ विधानसभा में थीं। 1991 में यह संख्या घटकर 10 रह गई, 1993 में पुनः बढ़कर 14 हुई। 1996 के विधान चुनावों में केवल 19 महिलाएँ जीत सकीं।

### बाक्स 6.3 : अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस ( 8 मार्च 2000 )

उ.प्र. के अनेक महिला समूहों ने इस दिन को 'राजनीति में अपराधीकरण खात्मा दिवस' के रूप में मनाया। राजनीति में महिलाओं की सीमांत भूमिका को उजागर करने के लिए जुलूस, जनसभा और कार्यशिविर आयोजित किए गए। उन्हें लगा कि जब तक हिंसा, भ्रष्टाचार और अपराध पर रोक नहीं लगेगी तब तक राजनीतिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सपना ही बनी रहेगी। जहां भ्रष्टाचार है वहां हिंसा फलती फूलती है। जहाँ चुनाव जीतना तेजी से सत्ता तक पहुंचा देता है और तुरंत अमीर बना देता है ऐसी राजनीति में इसके लिए हत्या, अपहरण, लूट या भयादोहन होगा ही। व्यवस्था की सफाई के लिए उन्होंने निम्न उपाय सुझाए :

- 1 जो प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं वे अपने नामांकन पर्चे के साथ अपने और अपने परिवार के लोगों की आय तथा संपत्ति के संबंध में सार्वजनिक बयान दायर करें। जब तक वह व्यक्ति पद पर बना रहता है तब तक 18 वर्ष ऐसा होना चाहिए।
- 1 अगर किसी प्रत्याशी का कोई पुलिस रिकार्ड या आपराधिक इतिहास रहा है तो उसे सार्वजनिक किया जाए।
- 1 चूँकि चुनाव फंड भ्रष्टाचार का स्रोत है इसलिए जिन पार्टियों ने लेखा परीक्षण प्रस्तुत नहीं किया है उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाए।
- 1 सूचना का सार्वजनिक अधिकार पूरी तरह से लागू किया जाए और सभी तरह के लेन-देन में पारदर्शिता हो।

### तालिका 6.8 : उ.प्र. से लोकसभा में महिलाएँ

वर्ष	1989		1991		1996	
	महिला प्रत्याशी	निर्वाचित महिलाएँ	महिला प्रत्याशी	निर्वाचित महिलाएँ	महिला प्रत्याशी	निर्वाचित महिलाएँ
संख्या	41	6	50	2	103	9
स्रोत : चुनाव आयोग						

व्यवस्थागत महिला विरोधी पूर्वाग्रहों और महिलाओं के प्रवेश में बाधा ने हमारी राजनीति को यथार्थ पुरुष एकाधिकार में बदल दिया है। आम बोध में राजनीति लालच, सत्ता की भूख और अपराध का पर्यायवाची हो गई है। न केवल महिलाएँ बल्कि अनेक पुरुष भी राजनीति जुड़े हुए विषाद, हिंसा और धन-बल तथा बाहुबल से परहेज करते हैं। इसके अतिरिक्त चुनावी

राजनीति के लिए व्यापक सामाजिक अंतःक्रिया, यात्रा, जातीय राजनीति का धंधा, सामुदायिक और क्षेत्रीय संपर्कजरूरी हैं जो महिलाएँ करना नहीं चाहतीं।

हालाँकि भारत में महिलाएँ प्रधानमंत्री और अनेक मुख्यमंत्री रही हैं लेकिन यह कहा जा सकता है कि एक बार सत्ता में पहुंचने के बाद कुछ ने ही महिलाओं की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता और सहानुभूति प्रदर्शित की या महिला सशक्तीकरण के वकील के रूप में काम कर सकीं।

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की एक जटिल विशेषता यह है कि उनकी भागीदारी साक्षरता या उनकी स्थिति के अन्य सूचकों से जुड़ी हुई नहीं दिखाई पड़ती। पूरे देश में किसी भी राज्य के साक्षरता स्तर से प्रांतीय विधानसभा में महिलाओं की संख्या का बहुत कम संबंध है। केरल में महिला साक्षरता दर 1991 में 86.17 प्रतिशत थी जबकि विधानसभा में उनकी संख्या 8 (5.7 प्रतिशत) थी, जबकि उड़ीसा में 1990 में महिला साक्षरता दर 34.68 प्रतिशत और विधानसभा में 9 (6.1 प्रतिशत) महिलाएँ थीं। इसके अलावा, साक्षरता में बढ़ोतरी के साथ विधानसभा में महिलाओं का अनुपात नहीं बढ़ा। उत्तर प्रदेश के लिए यह बात जितनी सही है उतना ही किसी भी राज्य के लिए।

1996 के उत्तर-प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणामों (अविभाजित उत्तर प्रदेश के) का अध्ययन करने से दिलचस्प निष्कर्ष निकलते हैं। जिन चर्चों का विश्लेषण किया गया है वे हैं : (i) पुरुष/महिला प्रत्याशियों की संख्या (ii) पुरुष/महिला प्रत्याशियों का संबद्ध मतदाताओं में प्रतिशत, (iii) मतदान करने वाले पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत (पुरुष मतदान प्रतिशत) (iv) मतदान करने वाले महिला मतदाताओं का प्रतिशत (महिला मतदान प्रतिशत)।

425 सदस्यों की विधानसभा में चुनी गई महिलाओं की संख्या 19 थी। महिला प्रत्याशी 186 थीं, जबकि पुरुष प्रत्याशियों की संख्या 4173 थी। अर्थात् जो पुरुष प्रत्याशी के बतौर मैदान में उतरे उनमें से प्रत्येक 22 पर एक ही महिला ऐसा करने की हिम्मत जुटा सकी।

महिलाओं का मतदान प्रतिशत सबसे कम अयोध्या में 31 प्रतिशत था तो सबसे अधिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजनौर में 70 प्रतिशत। पुरुष मतदान प्रतिशत सबसे कम टिहरी गढ़वाल में 48 प्रतिशत था तो सबसे अधिक 76 प्रतिशत मुरादाबाद में। पुरुष मतदान प्रतिशत यथार्थ हमेशा ही महिला मतदान प्रतिशत से अधिक रहा। जिन जिलों में अधिक चुनावी उत्साह दिखाई पड़ा वे पिछड़ेपन के सूचकों से जुड़े हुए थे। इससे यह प्रमाणित होता है कि शहरी, शिक्षित, समृद्ध लोगों में निरक्षर, ग्रामीण लोगों के मुकाबले चुनाव लड़ने और मतदान करने का उत्साह कम होता है।

### पंचायतों में महिलाएँ

महिलाओं के इस व्यापक सीमांतीकरण के बीच महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण देने वाला 73वां संविधान संशोधन आशा की एक किरण है। इस कानून के कारण तीनों स्तरों गाँव, ब्लॉक और जिला पर स्थानीय स्वशासन की 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं।

हाल के महीनों में उत्तर प्रदेश में पंचायतों को बहुत सारे वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दे दिए गए हैं। इसके कारण स्कूलों, स्वास्थ्य रक्षा केंद्रों, अधिसंरचना के विकास इत्यादि पर उनका नियंत्रण बढ़ गया है।

अगर पंचायतें प्रभावी ढंग से काम करें अर्थात् अगर वे स्कूलों में लड़कियों की हाजिरी बढ़ाने के लिए उसका संचालन दुरुस्त करें, ऋण की पहुंच बढ़ाएँ, जमीन के पट्टों के लिए कमजोर महिलाओं को चिह्नित करें, न्यूनतम मजदूरी कानून लागू करें और रोजगार के अवसर बढ़ाएँ तो ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में वे काफी दूर तक काम कर सकती हैं। पंचायतें महिलाओं के विरुद्ध हिंसा भी घटा सकती हैं।

**तालिका 6.9 : 1996 विधान सभा चुनाव, p; fur जिले में महिला मतदाताओं में मतदान करनेवाली महिलाएं ( महिला मतदान प्रतिशत ) तथा अन्य परिणाम**

अधिक महिला मतदान प्रतिशत वाले जिले						
जिले	पुरुष प्रत्याशी (संख्या)	महिला प्रत्याशी (संख्या)	पुरुष मतदान %	महिला मतदान %	अंतर	सभी प्रत्याशियों में महिला प्रत्याशियों का %
उ.प्र.	4173	186	60	50	10	4
बिजनौर	71	6	68	70	-2	8
सहारनपुर	45	7	69	66	4	13
महाराजगंज	73	2	62	61	1	3
मुरादाबाद	138	2	76	60	16	1
मुजफ्फरनगर	81	7	69	60	9	8
रामपुर	49	3	76	59	16	6
सीतापुर	78	5	75	56	19	6
फैजाबाद	108	6	62	56	6	5
बहराइच	75	6	55	56	-1	7
देवरिया	150	4	58	56	3	3
कम महिला मतदान प्रतिशत वाले जिले						
उ.प्र.	4173	186	60	50	10	4
कानपुर नगर	82	3	48	44	4	4
हमीरपुर	42	1	59	44	15	2
मैनपुरी	35	2	64	43	21	5
इलाहाबाद	152	9	55	42	13	6
लखनऊ	84	2	54	41	13	2
शाहजहांपुर	48	1	76	41	35	2
सोनभद्र	19	2	58	40	18	10
गाजियाबाद	73	3	52	40	12	4
आगरा	76	3	53	37	16	4
मथुरा	47	1	55	36	19	2

**बाक्स 6.4 : नारी अदालतें**

पश्चिमी उ.प्र. के सहारनपुर जिले में महिला समाख्या द्वारा शुरू की गई 'नारी अदालतें' दिलचस्प प्रयोग हैं। इसका उद्देश्य है ऐसे मंच की स्थापना जहाँ महिलाएँ "समानता के अधिकार और मानव गरिमा के सम्मान के सिद्धान्तों के किसी भी उल्लंघन" का समाधान खोज सकें (महिला समाख्या, 1998)। नारी अदालतें पहले सहारनपुर में स्थापित हुईं जहाँ हिंसा एक प्रमुख मुद्दा था। अदालतों की लोकप्रियता बढ़ने पर मेरठ, हरिद्वार और मुजफ्फरनगर जैसे पड़ोसी जिलों से भी मामले आने लगे। इस समय यहाँ 25 ऐसी अदालतें चल रही हैं जिन्होंने भूमि विवाद, दहेज, बलात्कार और घरेलू हिंसा के अनुमानतः 1215 मामले हल किए हैं।

महिला समाख्या (1998), सामूहिकता की भावना: उ.प्र. महिला समाख्या के अनुभव, वार्षिक रिपोर्ट, 1997-98, लखनऊ।

उत्तर-प्रदेश में 73वें संविधान संशोधन के लागू होने के बाद सैकड़ों गरीब और निरक्षर महिलाएं अंधेरे से बाहर निकलकर पहली बार किसी पद पर काबिज हुईं। दो चुनाव बाद इसके परिणामों का मूल्यांकन महत्वपूर्ण होगा।

अब तक के परिणाम मिली-जुली तस्वीर पेश करते हैं। पंचायत में चुने जाने के बाद अधिकांश महिलाओं की हैसियत घर और समुदाय दोनों में बढ़ गई। पहली बार उन्हें अपनी कीमत का अहसास हुआ।

खराब पहलू के बतौर प्रधान पतियों की सुपरिचित परिघटना सामने आई अर्थात् चुनी गई महिलाओं के पतियों ने सारे अधिकार खुद ही हड़प लिए।

इसके कई उदाहरण सामने आये कि महिलाओं ने इस अवसर का उपयोग हिंसा, शराबखोरी, सफाई और पेयजल जैसे मुद्दों को उठाने में किया। ; |fi , दूसरी तरफ कई महिलाएं व्यवस्था में ही खप गईं और उन्होंने अपराध तथा भ्रष्टाचार के साथ समझौता कर लिया।

; |fi, पंचायतों में आरक्षण कोई दीर्घकालीन समाधान नहीं बल्कि एक औजार है। समाज में बुनियादी परिवर्तनों के बगैर कोई महिला सरपंच सुधार की गारंटी नहीं कर सकती। पंचायतों को विराट निहित हितों से बचाया जाना चाहिए और उनके सक्षम संचालन के लिए जन दबाव और चेतना का निर्माण किया जाना चाहिए। जून 2000 के पंचायत चुनावों में अभूतपूर्व हिंसा दिखाई पड़ी। महिलाओं की भागीदारी तब तक अर्थपूर्ण नहीं होगी जब तक आपराधिकता को रोका नहीं जाएगा। इसके अलावा, चुनी गई कई महिलाओं में बुनियादी कौशल का अभाव है और वे सरकारी योजनाओं के बारे में नहीं जानतीं। इस तरह की चिंताजनक रिपोर्ट आई है कि उप-प्रधानों ने निरक्षर महिला प्रधानों से फर्जी दस्तावेजों पर अंगूठा लगवा लिया।

### महिलाओं की सुरक्षा

महिलाओं के अधिकार मानवाधिकार हैं। इस दृष्टिकोण को अनेक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में पुष्ट किया गया है। इसमें शामिल हैं : 1993 में विएना में आयोजित मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन, 1994 में काहिरा में आयोजित जनसंख्या और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 1995 में बीजिंग में आयोजित संयुक्तराष्ट्र विश्व महिला सम्मेलन। महिलाओं के विरुद्ध सभी तरह के भेदभाव का उन्मूलन समझौते (सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू.) की पुष्टि के साथ ही जुलाई 1993 में अंतराष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिबद्धता पुनः पुष्ट हुई। भारतीय संविधान कानून के समक्ष समानता की गारंटी करता है और अपने सभी नागरिकों को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार देता है।

### बाक्स 6.5 : महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के आँकड़े अविश्वसनीय क्यों होते हैं ?

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के आँकड़े जमीनी यथार्थ को प्रकट नहीं करते। वे उस असुरक्षा और भय को व्यक्त नहीं करते जो महिलाओं पर छाया रहता है, उनको गतिशील नहीं होने देता और उनकी आजादी को सीमित कर देता है।

अधिकांश महिलाएँ अपराध दर्ज नहीं कराती। क्यों ?

इसलिए कि, सबसे पहले, उन्हें विश्वास नहीं होता कि अपराधी को सजा मिलेगी। अगर अपराधी अमीर और ताकतवर हुआ तब तो न्याय सपना हो जाता है।

दूसरी तरफ, अपराध दर्ज कराते ही धमकी और उत्पीड़न बढ़ जाता है। ऐसा न सिर्फ अपराध के शिकार के साथ होता है बल्कि उसके समर्थकों के साथ भी होता है। अनेक महिलाओं ने आतंकित जीवन के मुकाबले आत्महत्या का रास्ता चुन लिया।

जहाँ कहीं दोषियों को छुट्टा घूमने दिया गया वहाँ अक्सर उन्होंने मामला पलट दिया। उत्पीड़ित महिला और उसके परिवार वालों को 'सबक सिखाने के लिए' झूठे मामलों में फँसा दिया गया। 'सबक' बहुत जल्दी काम आता है। चुपचाप सहन करने में ही भलाई है। रिपोर्ट न करने में ही भलाई है। और भी कई वजहों से अपराध संबंधी आँकड़े अविश्वसनीय होते हैं।

### राज्य की संस्थाएं

#### पूर्वाग्रहग्रस्त दृष्टिकोण और आचरण

तालिका 6.10 : संज्ञेय अपराध ( आई.पी.सी. )  
उ.प्र. में अपराध की प्रकृति के अनुसार

001	1997	1998	1999	2000
<b>अपराध</b>				
बलात्कार	1457	1605	1593	1865
महिलाओं और लड़कियों का अपहरण	2460	2882	2746	2755
दहेज हत्याएं	1786	2229	2088	2222
छेड़खानी	2023	2423	2481	2607
यौन उत्पीड़न	105	2571	2255	3160
पति और रिश्तेदारों के अत्याचार	3393	5113	5372	6021
आईपीसी के तहत कुल संज्ञेय अपराध	152779	184461	173643	175668

क्राइम इन इंडिया 2000, एनसीआरबी, नई दिल्ली

राज्य की संस्थाएं अक्सर गहराई से विभाजित सामाजिक माहौल के वर्गीय, जातीय और लैंगिक पूर्वाग्रहों को प्रकट करती हैं। जब 1999 में यू.एन.डी.पी. ने पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर लगाया तो पुलिस को अपने ही व्यवहार का स्वाद चखना पड़ा। संवेदनाजनक प्रक्रिया के तहत प्रशिक्षण ले रहे पुलिस अधिकारियों को सादे कपड़े पहनकर किसी थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा गया। उनका ही अनुभव संभवतः उनकी आंखें खोलने के लिए काफी था क्योंकि उन्हें कई बार आना पड़ा और पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा।

### बाक्स 6.6 : अपराध के शिकारों के पक्ष में बोलने वाली लुप्त प्रजाति—

महिलाओं के विरुद्ध अपराध भयानक हैं। इससे भी भयानक इसे दर्ज कराना और न्याय मांगना हो सकता है। अपराधी अगर अमीर और 'kDr' klyh हुए तो वे उत्पीड़ित को पुलिस तक पहुँचने और कानूनी सलाह लेने से रोकने के लिए जातीय संपर्कों, धनबल और बाहुबल का सहारा लेते हैं। उत्पीड़ित के पक्ष में बोलने वालों को धमकाया जाता है। जीवन पर खतरे के अलावा ऊर्जा, धैर्य, समय और संसाधनों की अपार आवश्यकता न्याय माँगने के लिए पड़ती है।

28 मई, 1999 को बांदा जिले के आऊ गाँव में गाँव के अमीरों ने शिवदुलारी नामक एक गरीब दलित महिला को उसकी झोंपड़ी से बाहर खींचा, गाली दी और अपमानित किया। शिवदुलारी की गलती यह थी कि वह लल्लू नामक व्यक्ति की पत्नी थी जिसने ऊँची जाति के एक बड़े जमींदार के खिलाफ प्रधान का चुनाव लड़ने और जीतने की pSVk की थी। शिवदुलारी ने उसी क्षेत्र में स्कूल चलाने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता की मदद से एन.एच.आर.सी. में शिकायत दर्ज की। एन.एच.आर.सी. ने अपनी रिपोर्ट में सी.बी.सी.आई.डी. को मामले की जाँच करने का निर्देश दिया। निर्देश की तो क्या परवाह की जाती जिस सामाजिक कार्यकर्ता ने शिवदुलारी का साथ दिया था उसे गाली दी गई, उसके विरुद्ध झूठा एफ.आई.आर. दर्ज कराया गया और उसका पुतला जलाया गया।

अनेक कार्यकर्ताओं के त्रासद अनुभव ऐसे ही हैं। अमीर और 'कॉर्पोरेट' लोगों के खिलाफ रिपोर्ट अक्सर दर्ज नहीं होती। अगर दर्ज भी हो गई तो उत्पीड़ित और समर्थकों का उत्पीड़न जारी रहता है जबकि अपराधी अक्सर भयमुक्त होकर घूमते रहते हैं। यह मामला इस दुखद यथार्थ को भी उजागर करता है कि महिलाओं का शरीर और उनकी गरिमा पवित्र नहीं है; यही वह जगह है जहाँ झगड़े सुलटाए जाते हैं; यहाँ सत्ता संघर्ष और ताकत का 'कूटनीय' होता है।


एक महिला पुलिस अफसर ने छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज करानी चाही तो उसे गाली खानी पड़ी और उसकी शिकायत दर्ज नहीं हुई।

महिला कार्यकर्ताओं का कहना है कि बलात्कार के मामलों को आई.पी.सी. की धारा 376 के तहत दर्ज किया जाना चाहिए लेकिन अक्सर उन्हें आई.पी.सी. की धारा 511(बलात्कार का प्रयास) या धारा 354(महिला की इज्जत लूटने के इरादे से उस पर आक्रमण) के तहत दर्ज किया जाता है। राज्य में अतिशिक्षित महिलाएं भी कानूनी प्रावधानों से परिचित नहीं हैं, ऐसे हालात में गरीब निरक्षर महिलाओं के लिए परिणाम और भी असहनीय हो जाते हैं।

**साक्ष्य की परेशानियाँ**

उदाहरण के लिए बलात्कार जैसे अपराधों में जब कोई महिला अपराध दर्ज कराने की कोशिश करती है तो साक्ष्य नष्ट हो जाते हैं क्योंकि मेडिकल परीक्षण या तो होता ही नहीं या समय से नहीं होता।

दूर तक फैले हुए पुलिस बल पर निपटारा दर बढ़ाने का दबाव पड़ता है इसलिए वे उत्पीड़ित महिलाओं पर हमलावारों के साथ समझौता कर लेने और शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डालते हैं।



**फॉरेंसिक विज्ञान [कंप्यूटरिकल्स]**

अदालत में मुकदमा लड़ने की लागत और समय अनेक उत्पीड़ितों को हमलावरों से समझौता कर लेने के लिए मजबूर कर देता है। उत्तर प्रदेश की मसौदा महिला नीति का कथन है, “सरकार उच्च न्यायालय से अनुरोध करेगी कि वह राज्य में महिलाओं के विरुद्ध गंभीर आपराधिक मामलों की समयबद्ध समीक्षा करे और उनके निपटारे के लिए समय सीमा तय कर दे।” राज्य सरकार को चाहिए कि इस प्रस्ताव के संबंध में तुरंत कार्यवाही करे।

**तालिका 6.11: 2000 में महिलाओं के विरुद्ध संज्ञेय अपराध (आईपीसी), उनकी दर और 1999 से अंतर**

	घटना	दर	प्रतिशत अंतर	घटना	दर	प्रतिशत अंतर
	<b>बलात्कार</b>			<b>महिलाओं का अपहरण</b>		
उ.प्र.	1865	1.1	17.1	2755	1.6	0.3
भारत	16496	1.6	6.6	15023	1.5	-5.9
	<b>छेड़खानी</b>			<b>यौन उत्पीड़न</b>		
उ.प्र.	2607	1.5	5.1	3160	1.8	40.1
भारत	32940	3.3	1.9	11024	1.1	24.5
	<b>दहेज हत्याएं</b>			<b>पति और रिश्तेदारों के अत्याचार</b>		
उ.प्र.	2222	1.3	6.4	6021	3.5	12.1
भारत	6995	0.7	4.4	45778	4.6	4.5

\*दर का अर्थ प्रति लाख जनसंख्या अपराध है।  
 स्रोत : क्राइम इन इंडिया, 2000 एनसीआरबी, मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर्स, जीओआई, नई दिल्ली

**धमकी और प्रतिहिंसा**

हाशिए पर खड़े समूहों के विरुद्ध अधिकांश हिंसा वे लोग करते हैं जिनके पास सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक शक्ति का भंडार है। इसके कारण उत्पीड़ितों और उनके समुदायों तथा अक्सर सरकारी संस्थाओं पर भी उनका प्रचुर प्रभाव रहता है। इसीलिए जब इन समुदायों की महिलाएं न्याय मांगती हैं तो उन्हें तथा उनके समर्थकों को उत्पीड़न, अपमान और यंत्रणा का शिकार होना पड़ता है।

न्याय प्रदान के विरुद्ध एक प्रमुख समस्या पुलिस पर राजनीतिक प्रभाव को रोकने में सरकार की अक्षमता है। पुलिस पर राजनीतिक प्रभाव तथा जातीय, वर्गीय और धार्मिक जुड़ाव तथा लिंग दुराग्रह मिलकर न्याय मांगने वाली महिला के लिए सफर लंबा, अकेला और मुश्किल बना देते हैं।

**समुदाय**

उत्तर-प्रदेश जैसे गहराई से वर्गीकृत और जातियों में बंटे हुए समाज में महिलाएं सामुदायिक और जातीय अहंकार का मोहरा बन जाती हैं। महिला समाख्या ने एक जवान लड़की की त्रासदी को दर्ज किया है जिसकी हत्या सहारनपुर जिले के बंधेली गाँव में उसके अपने ही भाई ने कर दी। जब यह पता चला कि उसके संबंध किसी और जाति के एक लड़के के साथ हैं तो परिवार को बेइज्जती का अहसास हुआ और भाई ने बदला लेने की कसम खाई। लड़की को खाट से बांधकर जला दिया गया। भाई को इस अपराध में समुदाय का समर्थन मिला, क्योंकि यह लगा कि लड़की की करतूत ने समुदाय को लांछित किया है। समुदाय में एकता इतनी जबर्दस्त थी कि पुलिस असहाय हो गई। गांव वालों ने यह मानने से ही इंकार कर दिया कि लड़की मरी है। उन्होंने कहा कि वह दूसरे गांव किसी से मिलने गई है (श्रीवास्तव 1996)।

राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या देश में सबसे अधिक है। कमजोर OX के खिलाफ अपराध की श्रेणी में एन.सी.आर.बी. का 2000 का आँकड़ा बताता है कि 7330 अपराध दर्ज किए गए। यह संख्या अन्य किसी भी राज्य से अधिक है। पुलिस दस्तावेजों के मुताबिक, 2000 के दौरान कमजोर तबके की महिलाओं के साथ बलात्कार के औसतन 32 मामले हर महीने दर्ज किए

गए। 2000 में दर्ज बलात्कार के 1865 मामलों में 379 (20 प्रतिशत) एस.सी./एस.टी. महिलाओं के साथ के थे।

आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश में गंभीर सांप्रदायिक टकरावों का नजारा आम रहा है। अक्सर महिलाएं इन टकरावों की तकलीफ सबसे अधिक झेलती हैं और दंगों के समय महिलाओं के विरुद्ध गंभीर अपराध होते हैं।

### परिवार

महिला समूहों द्वारा चित्रकूट और इलाहाबाद जिलों में दर्ज की गई घटनाएं बताती हैं कि परिवार में अनेक तरीकों से हिंसा की जाती है। बाल यौन शोषण, मानसिक यंत्रणा, मारपीट, विकृत यौनाचार, खाना बंद कर देना, जलाना और हत्या इत्यादि अनेक ऐसे कठोर तरीके हैं जिनके जरिए परिवार में हिंसा होती है।

2000 के एन.सी.आर.बी. आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध दर्ज अपराधों में सबसे अधिक (6021) 'पतियों और संबंधियों द्वारा क्रूरता' कोटि में दर्ज किए गए थे। 1999 से 2000 के बीच यौन उत्पीड़न अपराधों में 40 प्रतिशत का सबसे लंबा उछाल आया। राज्य के भीतर सबसे अधिक मामले अपेक्षाकृत विकसित पश्चिमी क्षेत्र में दर्ज किए गए।

भारतीय समाज में दहेज शब्दशः एम.एन. श्रीनिवासन के शब्दों में 'ज्वलंत समस्या' बन चुकी है। यह समस्या अपनी तमाम बर्बरता के साथ उन क्षेत्रों

और उन समुदायों में भी फैलती जा रही है जहां यह पहले नहीं थी। 2000 में देश भर में दहेज दहन के सर्वाधिक मामले उत्तर-प्रदेश में दर्ज किए गए। यहां के अपराध राष्ट्रीय स्तर के सभी मामलों के 31.8 प्रतिशत थे। आंकड़े बताते हैं कि दहेज हत्याएं 1999 से 2000 के बीच बढ़ीं और उत्तर प्रदेश में यह बढ़ोतरी राष्ट्रीय स्तर की तुलना में बहुत अधिक थी।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा सबसे अधिक विकसित पश्चिमी क्षेत्र में दर्ज की गई। इससे पता चलता है कि आर्थिक विकास ने अबाध उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया है। दहेज, कभी-कभी बार-बार दहेज (पहली पत्नी की मृत्यु हो जाने पर) चटपट, 'तुरत धनी होने' होने का रास्ता बन गया है।

उत्तर-प्रदेश में अपराध के आंकड़ों के विश्लेषण से निम्नलिखित बातें सामने आती हैं (श्रीवास्तव 2003):

- 1 अपराध की घटनाएं (दर्ज अपराधों की कुल संख्या) और उनकी दर (अपराध प्रति लाख जनसंख्या) विभिन्न जिलों और क्षेत्रों में काफी अलग अलग हैं। अपराध दर मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में सबसे अधिक है तथा आर्थिक रूप से गरीब पूर्वी और बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में सबसे कम है।
- 1 1997-98 में प्रति व्यक्ति शुद्ध जिला घरेलू उत्पाद और जिला स्तर पर महिलाओं के विरुद्ध कुल अपराध के बीच संबंध नकारात्मक दिखाई देते हैं लेकिन किसी भी स्तर पर यह बहुत अधिक नहीं था। इसी तरह, महिलाओं के विरुद्ध दर्ज अपराधों की 6 कोटियों में से प्रत्येक का सह-

## तालिका 6. 12: महिलाओं के विरुद्ध अपराध, उत्तर प्रदेश 2000

### सर्वाधिक अपराध वाले जिले

बलात्कार	दहेज हत्याएं	पति और रिश्तेदारों के अत्याचार	सभी अपराध
सीतापुर 83	सीतापुर 85	कानपुर नगर 319	कानपुर नगर 923
अलीगढ़ 71	कानपुर नगर 70	लखनऊ 309	लखनऊ 783
बरेली 66	खीरी 69	बरेली 297	आगरा 696
खीरी 63	बदायूं 67	अलीगढ़ 278	बरेली 678
पीलीभीत 60	हरदोई 63	मेरठ 272	अलीगढ़ 639
हरदोई 56	एटा 59	आगरा 271	इलाहाबाद 636
उन्नाव 54	उन्नाव 56	इलाहाबाद 197	मेरठ 622
मुरादाबाद 51	अलीगढ़ 54	बुलंदशहर 195	बुलंदशहर 523
शाहजहांपुर 49	मैनपुरी 54	मुजफ्फरनगर 180	गाजियाबाद 469
बाराबंकी 48	फतेहपुर 53	पीलीभीत 167	मुरादाबाद 464

### सबसे कम अपराध वाले जिले

चंदौली 9	चित्रकूटधाम 9	गाजीपुर 19	सिद्धार्थनगर 90
बस्ती 8	महोबा 9	संतरविदासनगर 19	ललितपुर 86
जौनपुर 8	महाराजगंज 8	सिद्धार्थनगर 19	महाराजगंज 86
चित्रकूट 7	श्रावस्ती 8	कुशीनगर 13	श्रावस्ती 67
फतेहपुर 7	बलरामपुर 7	संतकबीरनगर 12	चंदौली 60
महोबा 7	मऊ 7	श्रावस्ती 12	महोबा 55
गाजीपुर 6	सोनभद्र 7	महाराजगंज 9	संतरविदासनगर 46
सोनभद्र 5	ललितपुर 6	सोनभद्र 7	संतकबीरनगर 43
संतकबीरनगर 4	संतकबीरनगर 4	महोबा 6	चित्रकूट 36
संतरविदासनगर 0	चंदौली 3	चित्रकूट 5	सोनभद्र 36
कुल 1865	कुल 2222	कुल 6021	कुल 18630

स्रोत : एनसीआरबी, 2000



संबंध जब प्रति व्यक्ति शुद्ध जिला घरेलू उत्पाद से निकाला गया तो भी सहसंबंध बहुत अधिक नहीं दिखाई पड़ा। किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास का महिलाओं की सुरक्षा पर कोई खास असर नहीं दिखाई देता।

- 1 महिलाओं के विरुद्ध अपराध की घटनाओं में कमी महिला-पुरुष अनुपात की अधिकता से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। चाहे हम सभी आयु वर्गों का महिला पुरुष अनुपात लें या केवल 0-14 आयु समूह का अनुपात लें, परिणाम वही रहता है। लगता है जहां महिलाओं की स्थिति अच्छी है, वहाँ उनके विरुद्ध अपराध कम होते हैं।
- 1 ऊंची अपराध दर महिला और पुरुष दोनों की ही बाल मृत्यु दर की अधिकता से जुड़ी हुई है। जहां महिलाओं की सुरक्षा का अहसास होगा और कानून-व्यवस्था की स्थिति अच्छी होगी वहाँ बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति भी प्रकट होती है, अनुकूल होगी।
- 1 महिलाओं की स्थिति और महिलाओं की सुरक्षा के बीच मधुर रिश्ते का पता इससे भी चलता है कि महिला कार्य भागीदारी दर और महिलाओं के विरुद्ध अपराध दर में काफी नकारात्मक सहसंबंध है। पुरुष कार्य भागीदारी दर के साथ भी यही स्थिति है। बहरहाल, महिलाओं की साक्षरता और महिलाओं की सुरक्षा के बीच का रिश्ता कमजोर है।
- 1 एक दिलचस्प नतीजा यह है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में से प्रत्येक अलग-अलग अपराधों में आपसी रिश्ता बहुत ही मजबूत है। अतः उदाहरण के लिए यदि किसी जिले में दहेज हत्याएं अधिक होती हैं तो यौन उत्पीड़न या बलात्कार की अधिकता भी संभावित है।
- 1 इसीलिए इस बात पर जोर देना होगा कि विकास के साथ-साथ जहां खुशहाली के अधिकांश अन्य सूचक आगे बढ़ रहे हैं वहीं सुरक्षा, और विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा, नहीं बढ़ रही है। इससे अंदाजा होता है कि विकास पर निर्भर रहने से अत्यंत बुनियादी मानव स्वतंत्रताओं में से एक, भय से स्वतंत्रता, नहीं भी प्राप्त हो सकती है।

## राज्य की पहल

1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत महिला ,0a बाल विकास विभाग की स्थापना की गई ताकि भारत सरकार महिलाओं और बच्चों के सर्वतोमुखी विकास के प्रयासों को संयोजित और निर्देशित करने में मुख्य एजेंसी की भूमिका निभाए। अधिकांश राज्यों में इसी तरह महिलाओं और बच्चों के राज्य विभाग (डी.डब्ल्यू.सी.डी.) को महिला मुद्दों की व्यापक जिम्मेदारियाँ सौंपी गईं।

उत्तर प्रदेश में डी.डब्ल्यू.सी.डी. में पांच विभाग हैं :

### 1. बाल विकास सेवा और पोषण निदेशालय

निदेशालय की जिम्मेदारी समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम को संचालित करना है। इसका उद्देश्य छोटे बच्चों तथा गर्भवती एवं स्तन पान करने वाली माताओं को अतिरिक्त पोषण मि yC/k कराना है।

इंदिरा महिला योजना ( आई.एम.वाई. ) का उद्देश्य समूह निर्माण के जरिए आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। सरकार प्रत्येक समूह को एकमुश्त 5000 रुपये देती है। फिलहाल 30 ब्लाकों में 2780 आई.एम.वाई. केन्द्र हैं।

### 2. महिला कल्याण निदेशालय

यह निदेशालय शरण देने वाले अनेक गृहों के संचालन के लिए जिम्मेदार है। ये हैं -

- (क) लड़कियों के लिए विशेष गृहों समेत अनाथ और छोड़े गए बच्चों के शरण गृह,
- (ख) कामगार महिलाओं के हास्टल,
- (ग) vušrd 0; ki kj %fujkskd% vf/kfu; e vkbDVH0% ho%, DV (1956) के तहत अनैतिक कार्यों के उन्मूलन के लिए महिला संरक्षण गृह,
- (घ) परित्यक्ता, असहाय अथवा परेशान महिलाओं के लिए शरण गृह,
- (ङ) मानसिक रूप से अक्षम महिलाओं की सेल जो बरेली शरण गृह से जुड़ी हुई है।

निदेशालय द्वारा संचालित अन्य योजनाएं हैं :

- 1 **दहेज के कारण उत्पीड़ित गरीबी रेखा के नीचे की महिलाओं की आर्थिक सहायता।** ऐसी महिलाओं को प्रतिमाह 125 रु. दिये जाते हैं।
- 1 **दहेज उत्पीड़ितों का कानूनी मदद का भुगतान:** गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को 2500 रु. दिये जाते हैं।
- 1 **विधवा पेंशन योजना:** इस योजना के तहत 125 रु. प्रति माह की पेंशन उन विधवाओं की दी जाती है जिनके बड़े बच्चे नहीं हैं या जिनके बच्चे उनकी सहायता नहीं कर सकते।
- 1 **विधवा पुनर्विवाह:** विधवा पुनर्विवाह के प्रोत्साहन स्वरूप कोई व्यक्ति यदि 35 वर्ष से कम आयु की विधवा से विवाह करता है तो दंपति को 11000 रुपए दिए जाते हैं। अब तक 665 दंपति इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं।
- 1 **राज्य द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं की ओर से महिलाओं की विशेष सहायता:** जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है उन्हें 7,500 रु. तथा अन्य को 5000 रु. दिए जाते हैं।
- 1 **वृत्तियाँ :** (50 से 425 रुपए प्रतिमाह तक): गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है।
- 1 **बालिका समृद्धि योजना :** केंद्रीय स्तर पर प्रायोजित योजना है। बी.पी.एल. परिवारों की महिलाओं को लड़की पैदा होने पर 500 रु. एक मुश्त दिए जाते हैं।

### 3. राज्य सामाजिक कल्याण सलाहकार CkMZ

परिषद स्वैच्छिक संगठनों को कुछ विशेष योजनाओं के लिए सहायता देती है।

### 4. उत्तर प्रदेश नियंत्रण परिषद

vušfky; v% vU; i rZ vkJe %i; b%k.k v% fu; % k% vf/kfu; e 1960 ds fdz kUo; u grq o%k 1991 ea in%k ea mRj in%k fu; % k ckMZ dh LFkkiuk dh x; h gA ckMZ dk e[; dk; Z mDr vf/kfu; e dh ifjf/k ea vkus okyh l kFkv% dks eU; rk n%k o eU; rk dk uohudj.k djuk gA

### 5. उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड

1998 में स्थापित यह संख्या निम्न प्रमुख योजनाओं को fdz kflor करती है :

**एन.ओ.आर.ए.डी. योजना**—इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को कुशलता और प्रशिक्षण प्रदान करना है। प्रशिक्षण के दौरान थोड़ी आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना को एन.जी.ओ. की सहायता से fdz kflor किया गया है।

**ग्रामीण महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम**—इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और सामाजिक परिवर्तन का okrkoj .k बनाना है। ऋण तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाना और आय उत्पादक

कारगर गतिविधियों की स्थापना में उन्हें सक्षम बनाना—इस कार्यक्रम की मुख्य गतिविधियां हैं। इसका लक्ष्य 42,000 महिलाओं के 2800 एस.एच.जी. का निर्माण है। इस योजना का कार्यकाल 1998 से 2003 तक था जिसका कुल योजना व्यय 62 करोड़ रु. था।

**महिला समाख्या**—ग्रामीण महिला सशक्तीकरण में महिला समाख्या एक अनूठा प्रयोग है। अपने बुनियादी दर्शन को छोड़े बगैर यह एन.जी.ओ. और समाज सेवा संगठनों के साथ साझेदारी करता है। इसने परिश्रमपूर्वक सेवा प्रदाता की भूमिका में फंसने से अपने आपको बचाया है जिसमें महिलाओं को निष्क्रिय गृहीता मात्र समझा जाता है। इसकी बजाय इसने कार्यक्रम के मूल उद्देश्य को लगातार बढ़ाने की कोशिश की है जो 'महिलाओं की आत्म छवि और आत्मविश्वास को बढ़ाना है' ताकि वे अपने और समाज के विकास के संबंध में सुचिंतित निर्णय लेने का साहस कर सकें। कार्यक्रम की शुरुआत 1989 में हुई और फिलहाल 10 जिलों में चल रहा है।

**रोजगार** : 1999 में जवाहर रोजगार योजना की जगह जवाहर स्वर्ण जयंती रोजगार योजना आई। मुख्य उद्देश्य रोजगार मिश्रण कराने की बजाय अधिसंरचना का निर्माण हो गया। पूर्ववर्ती योजना में कम से कम 30 प्रतिशत लाभार्थियों को महिला होना था। यह लक्ष्य कभी पूरा नहीं हो सका। 1998-99 में उत्तर प्रदेश में आंकड़े कम थे और लाभार्थियों में केवल 22.76 प्रतिशत महिलाएं थीं। शायद इसी तथ्य की व्यावहारिक स्वीकृति के बतौर नई योजना में महिला लाभार्थियों के लक्ष्य का कोई नियम नहीं रखा गया है। महिलाओं को उपलब्ध रोजगार के मानव दिवस, 1998-99 में 156.7 मानव दिवसों से अचानक घटकर 1999-2000 में 99.6 मानव दिवस रह गए। महिला लाभार्थियों का अनुपात पहले की तरह ही मोटे रूप में 23 प्रतिशत बना रहा।

रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य कम काम वाले मौसम में रोजगार मिश्रण कराना है। यह मांग संचालित योजना है जिसके लिए कोई वार्षिक अनुदान नियत नहीं है। 1998-99 में इस योजना के तहत महिलाओं को 138.27 लाख मानव दिवसों का रोजगार उपलब्ध हुआ जो कुल का 18.33 प्रतिशत था। रोजगार सृजन 1999-2000 में घटक आधार रह गया अर्थात् 72.47 लाख मानव दिवसों का रोजगार जो कुल का 14.92 प्रतिशत था।

**क** : आई.आर.डी.पी.को समायोजित कर उसे नया नाम दिया गया है— एस.जी.एस.वाई.। इसका लक्ष्य गरीबों को कम दरों पर क उपलब्ध कराना है ताकि वे आय उत्पादक योजनाएं शुरू कर सकें। उत्तर प्रदेश में 1997-98 में लगभग 1,36,192 महिलाएं, जो कुल का 38.79 प्रतिशत थीं, इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुईं। 1998-99 में महिला लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 1,52,300 हो गई हालाँकि कुल लाभान्वितों में महिलाओं का प्रतिशत नहीं बढ़ा। एस.जी.एस.वाई. एक क योजना है जो युवाओं पर केन्द्रित है। तदनुसार लाभान्वितों में तकरीबन 50 प्रतिशत एस.सी./एस.टी. और 40 प्रतिशत महिलाओं को स्वरोजगारी होना था। ; fi , इस योजना के संचालन का मूल्यांकन करने की जरूरत है।

**क** : इंद्रिया आवास योजना (आई.ए.वाई.) का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों की आवास संबंधी जरूरतों को पूरा करना है। योजना में यह शर्त है कि लाभान्वित परिवार की महिला के नाम पर ही आवंटन किया जाएगा। बाद में यह पति और पत्नी दोनों के संयुक्त नाम से हो सकता है। विधवाओं/अविवाहित महिलाओं की प्रमुखता में गरीबी रेखा से नीचे के एस.सी./एस.टी. परिवारों, और जुल्म के शिकार एस.सी./एस.टी. परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में 1998-99 के दौरान आई.ए.वाई. के तहत 18,274 मकान बनाए गए जिनमें से 91,201 या 50.13 प्रतिशत घर महिला लाभार्थियों के थे।

## परिवर्तन के प्रति निष्ठा

राज्य में अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें महिला सशक्तीकरण के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करनी होगी।

**महिला प्रश्नों को मुख्यधारा में लाना** : एक बड़ी चुनौती जनता और नीति-निर्माताओं तथा सरकार चलाने वाली एजेंसियों को यह समझाना है कि गरीबी और पिछड़ेपन का महिला आयाम भी है। यह समझ बढ़नी चाहिए कि राज्य का विकास महिलाओं के विकास से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। जब तक उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में महिलाओं से जुड़े अनेक मापदंडों के मामले में संदिग्ध विशेषता बनी रहती है; निरक्षरता की तीसरी सबसे ऊँची दर, दूसरी सबसे अधिक मृत्यु दर, दूसरा सबसे कम महिला पुरुष अनुपात; जब तक महिलाएं बाहर सुरक्षित नहीं हैं और कभी-कभी अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं; परिवर्तन के सक्रिय वाहक के बतौर जब तक वे अपनी क्षमताओं को साकार नहीं करतीं तब तक राज्य आगे नहीं बढ़ सकता। महिला प्रश्नों को मुख्यधारा में लाने का VFL है महिला सशक्तीकरण को केवल महिलाओं का ही नहीं बल्कि सबका कार्यभार बना देना। इसका VFL है परिस्थितियों को महिलाओं की नजर से देखना। इसका VFL है सभी नीतियों और कार्यक्रमों के महिलापरक विश्लेषण और महिलापरक मूल्यांकन को संस्थाबद्ध करना।

महिला नीति ds ilrko को व्यापक स्तर पर वितरित करने, उस पर बहस करने और प्राप्त सूचनाओं की रोशनी में उसे संशोधित करने तथा सरकार द्वारा उसे अपनाने की आवश्यकता है।

**सुधारों के नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षा** : महिलाओं को आर्थिक सुधार के लाभों से वंचित नहीं करना चाहिए, न ही उन्हें इस प्रक्रिया की कीमत अनुपात से अधिक चुकानी चाहिए। राज्य के राजस्व घाटे और चलायमान सुधारों का VFL होगा अनेक सरकारी सेवाओं में कटौती। जहां सभी नागरिकों की पहुंच बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं तक होनी चाहिए वहीं वे महिलाओं के लिए विशेषकर महत्वपूर्ण हैं। जहां लड़कियों को पराया धन माना जाता हो वहां उनकी शिक्षा या स्वास्थ्य पर खर्च करना 'पड़ोसी के बगीचे को सींचने' के बराबर है। जब संसाधन ही कम हों तो उन्हें महंगा इलाज या महंगी शिक्षा मिलने की संभावना कम ही होगी। सार्वजनिक सेवाओं में कटौती का सबसे गहरा प्रभाव महिलाओं पर पड़ेगा।

**महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाना** : महिलाओं की स्थिति, उनका स्वास्थ्य और उनकी मृत्यु-दर उनकी सुरक्षा से गहरे जुड़ी हैं। बहुत कम महिलाएं अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराती हैं और कराती भी हैं तो न्याय की उम्मीद बहुत कम होती है।

पुलिस, न्यायपालिका और वकालत में प्रत्येक स्तर पर बहुत कम महिलाएं हैं। अब भी ये लगभग पूरी तरह पुरुषों के गढ़ बने हुए हैं। इन क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए महिलाओं को तत्काल प्रोत्साहित करना होगा। इसके लिए संचार माध्यमों की मदद लेनी चाहिए।

**महिलाओं के लिए आर्थिक अवसर बढ़ाना और संपत्ति पर अधिकार की गारंटी**: जिला स्तरीय आंकड़े बताते हैं कि लाभप्रद रोजगार में महिलाओं की भागीदारी और उनकी स्थिति के बीच घनिष्ठ संबंध है। फिर भी राज्य में 16 प्रतिशत से कुछ ही अधिक महिलाएं लाभदायक काम पा सकी हैं। जिन्हें संगठित क्षेत्र में नियमित रोजगार मिल सका वे तो और भी कम हैं।

आय के अतिरिक्त संपत्ति में अधिकार किसी भी व्यक्ति की हैसियत खास बना देता है। उत्तर-प्रदेश में अब जमीन का पट्टा दंपति के संयुक्त नाम से दिया जा रहा है। हाल के वर्षों में कुछ क्षेत्रों में प्रगतिशील कानूनों के

बावजूद संपत्ति से जुड़े कानून अब भी भेदभाव पूरक हैं और महिलाओं को संपत्ति में उनका देय हिस्सा नहीं देते। उत्तर-प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून की धारा 171 खेती की जमीन की विरासत लड़कियों को सौंपने से इंकार करती है। जब कोई पुरुष वारिस न हो तो वह दावा कर सकती है (अग्रवाल 1994)। ऐसी असमानताओं को तुरंत सुधारना चाहिए। हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विधेयक पारित किया है जो पति के मर जाने पर उसकी कृषि संपत्ति पर विधवा का हक मानता है।

अनेक क्षेत्र कानूनी सुधार की तत्काल मांग कर रहे हैं। समान विरासत कानून, संपत्ति का अधिकार, वैवाहिक घर में महिला का अधिकार, घरेलू हिंसा, बच्चों का यौन उत्पीड़न आदि अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें नए कानूनों की तत्काल जरूरत है, जहां-कहीं कानून हैं भी, वहाँ व्यापक लिंग पूर्वाग्रह के कारण महिलाओं को न्याय नहीं मिलता। हालांकि उत्तर प्रदेश में लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण अनेक स्तरों पर दिया गया है लेकिन गहरे जड़ जमाए पूर्वाग्रहों वाले समाज में इन कार्यक्रमों को संस्थाबद्ध किया जाना चाहिए।

राज्य के अनेक हिस्सों में महिला समूह और अन्य जमीनी संगठन सक्रिय हैं। वे महिलाओं और बच्चों के साथ हिंसा की घटनाओं को सार्वजनिक बातचीत में ले आने में सफल हुए हैं। हाल ही में एक बुंदेलखंड यात्रा का आयोजन किया गया जिसमें उत्तर प्रदेश के इस सबसे गरीब क्षेत्र की 4000 महिलाएं थीं। यात्रा का उद्देश्य सामाजिक चेतना पैदा करना था। सरकार

अनेक परियोजनाओं में एन.जी.ओ. के साथ मिलकर काम कर रही है। इसके प्रमुख उदाहरण स्वजल (पानी और स्वच्छता संबंधी परियोजना) तथा सिफ्सा (प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम) हैं। कुल मिलाकर जनआंदोलन अब भी कमजोर हैं। उन्हें मजबूत करने और उनके बीच घनिष्ठ संपर्क बनाने की जरूरत है।

**राज्यों में महिलाओं की प्रगति की देखरेख के लिए महिला डाइरेक्टरी :** अब तक हुई प्रगति को समझने और राज्य की महिलाओं पर विभिन्न नीतियों के प्रभाव की जांच के लिए शोध, दस्तावेजीकरण और देखरेख आवश्यक है। सुझाव दिया गया है कि हर 5 साल में राज्य की ओर से व्यापक महिला डाइरेक्टरी/महिला प्रोफाइल का प्रकाशन होना चाहिए।

प्रोफाइल में ट्रेड यूनियनों, पेशेवर संगठनों, कानूनी, मेडिकल, शैक्षिक पेशों इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपस्थिति को दर्ज करना चाहिए। इसमें राजनीतिक पार्टियों में निर्णय लेने के पदों पर महिलाओं की उपस्थिति, पंचायतों में महिलाओं की संख्या, उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, उनमें से कितनी दूसरी बार चुनी गईं, कितनों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया आदि का भी उल्लेख होना चाहिए। कानूनों और सरकारी नीतियों में होनेवाले बदलावों को भी दर्ज करना चाहिए। इसे गैर-सरकारी संगठनों की डाइरेक्टरी भी होना चाहिए। इसके वरिष्ठ, उत्पाद के समान प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। प्रक्रिया को ही लिंग संवेदनशीलता वर्धक तथा अंतिम उत्पाद को मुक्ति का ;# होना चाहिए।

## मानव विकास और सामाजिक समूह

उत्तर-प्रदेश एक सांस्कृतिक बहुरंगदर्शी राज्य है जिसमें विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग एक साथ रहते हैं। 1991 की जनगणना  $1991$  है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग जनसंख्या में क्रमशः 21.1 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत हैं। राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का अनुपात पंजाब, हिमाचल और पश्चिम बंगाल से कम है, लेकिन राज्य में अनुसूचित जनजाति का अनुपात बहुत ही कम (0.1 प्रतिशत) है। राज्य में एस.सी./एस.टी. जनसंख्या मुख्यतः ग्रामीण है क्योंकि इनकी 87.7 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण पर आधारित जनसंख्या के अनुमान बताते हैं कि 1999-00 में राज्य की जनसंख्या में 18.3 प्रतिशत धार्मिक अल्पसंख्यक थे। मुसलमान राज्य में सबसे विशाल धार्मिक अल्पसंख्यक हैं जो इसकी जनसंख्या में 17.3 प्रतिशत हैं। मुसलमान जनसंख्या का यह अनुपात केवल चार राज्यों के अनुपात से कम है—जम्मू-कश्मीर, असम, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित लक्षद्वीप। हिंदुओं में ऊंची और मध्यवर्ती जातियाँ, अन्य पिछड़ी जातियाँ (ओ.बी.सी.), अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ राज्य की जनसंख्या में क्रमशः 24.5, 34.4 और 23.8 प्रतिशत हैं। हिंदू जनसंख्या की ऊंची जातियाँ और मुसलमान जनसंख्या मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में हैं, जबकि ओ.बी.सी. और एस.सी./एस.टी. जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित है।

क्षेत्र	हिंदू- mPp tlfrr; k	हिंदू-एस.सी. एस.टी.	हिंदू- ओ.बी.सी.	मुसलमान	अन्य धर्म	कुल
ग्रामीण	22.42	25.94	37.50	13.36	0.67	100.00
शहरी	32.82	15.27	21.96	28.67	1.37	100.00
कुल	24.53	23.77	34.35	16.47	0.81	100.00

स्रोत : एन.एस.एस. के 55वें दौर (रोजगार/बेरोजगार) से आकलित

राज्य की ऐतिहासिक विरासत तथा अन्य अनेक कारणों के चलते मानव विकास के मामले में विभिन्न सामाजिक समूहों में काफी असमानताएं हैं। कई आयामों में तो यह अनेक अन्य राज्यों से बहुत अधिक है। एक तरफ तो ऐसे सामाजिक समूह हैं जिनमें मानव विकास बहुत अधिक है, दूसरी तरफ ऐसे सामाजिक समूह भी हैं जो वृद्धि और विकास के लाभों से  $0.1$  हैं और इनमें मानव विकास  $0.1$  बहुत कम है। वास्तव में, उत्तर-प्रदेश में अत्यंत कम मानव विकास  $0.1$  का कारण यह है कि राज्य के विभिन्न सामाजिक समूहों, वर्गों और महिला-पुरुष के मानव विकास स्तरों में बहुत अधिक असमानता विद्यमान है।

दुर्भाग्यवश, हिंदुओं, मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों के विभिन्न वर्गों में मानव विकास के अनेक आयामों से संबंधित आंकड़े सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। जनगणना में अन्य पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों की स्थिति से संबंधित परिणाम प्रकाशित नहीं किये जाते, जबकि अनुसूचित जातियों

(एस.सी.) और अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) की खोज खबर ली जाती है। उत्तरप्रदेश में एस.सी. और एस.टी. ऐतिहासिक रूप से सामाजिक और आर्थिक वंचना के शिकार हैं। अब भी वे कई सामाजिक आर्थिक सूचकों के लिहाज से गैर-अनुसूचित समूहों से काफी नीचे हैं। इन जातियों के बारे में माना जाता है कि ये कई सदियों से सामाजिक बहिष्कार का दंड भोगती आ रही हैं। अस्पृश्यता तथा सामाजिक आर्थिक बहिष्कार के अन्य रूपों के जरिए ऐसा किया गया है। सदियों से उनके साथ किया गया भेदभाव और बहिष्कार ही राज्य तथा देश में उनकी सामाजिक और आर्थिक वंचना के अपेक्षाकृत ऊंचे स्तर का कारण है। लेकिन उनकी तथा अन्य वंचित समूहों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी आए हैं। पिछले अनेक दशकों में सचेतन सरकारी नीति और सरकारी कार्यवाही इसका कोई कम महत्वपूर्ण कारण नहीं है।

इस अध्याय में हमने उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग (जिसमें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षणों की अब तक अप्रकाशित सूचनाओं का विश्लेषण भी शामिल है) इसीलिए किया है ताकि उत्तर प्रदेश में विभिन्न सामाजिक समूहों के मानव विकास स्तरों में मौजूद असमानता की ओर ध्यान खींचा जा सके।

### शिक्षा

ऐतिहासिक रूप से भारत में केवल कुछ ही समूहों की शिक्षा तक पहुंच थी। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी आधुनिक शिक्षा हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ ऊपरी जाति समूहों तक ही सीमित थी। इनकी जिम्मेदारी प्रबंधकीय और शासकीय कार्यभारों को पूरा करना था जिसके लिए शैक्षिक कौशल की जरूरत थी। स्वतंत्र भारत की सरकार ने 14 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बच्चे को, उसकी जाति या धर्म का ध्यान दिए बगैर, मुफ्त प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य बनाया। उसके बाद देश में और राज्य में सामाजिक रूप से वंचित समूहों तक शिक्षा की पहुंच धीरे-धीरे बढ़ी। आगे हम देखेंगे कि वर्तमान तस्वीर मिली-जुली है: काफी हद तक प्रगति के बावजूद विभिन्न समूहों में शिक्षा तक पहुंच के मामले में भारी अंतराल मौजूद हैं। ये अंतराल केवल मात्रात्मक नहीं गुणात्मक भी हैं और सामाजिक रूप से वंचित समूहों के गरीब लोग शिक्षा से हमेशा समानुपातिक लाभ नहीं ले पाते हैं।

राज्य/क्षेत्र	सामाजिक समूह					कुल
	हिंदू- अन्य	हिंदू एससी एसटी	हिंदू- ओबीसी	मुसलमान	अन्य धर्म	
पश्चिमी	74.9	49.8	52.9	40.8	77.1	56.0
मध्य	81.6	39.7	53.4	41.1	72.5	54.3
पूर्वी	75.9	38.8	49.0	48.4	41.9	52.3
बुंदेलखंड	79.0	36.0	52.9	58.1	75.9	54.4
कुल	76.8	42.4	51.3	43.7	69.6	54.1

स्रोत : एनएसएस 55 वें दौर से आकलित

जनगणना में सामाजिक समूहों के अनुसार साक्षरता के आँकड़े नहीं दिए जाते। इनकी गणना 1999-00 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 55वें दौर के आँकड़ों के आधार पर की जा सकती है। तालिका 7.2 में परिणामों को प्रस्तुत किया गया है। इनसे पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के साक्षरता स्तर में काफी भिन्नताएँ हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों में 1999-00 में साक्षरता दर सबसे कम (42.4%) थी लेकिन उनसे थोड़ी ही अधिक मुस्लिम समुदाय में थी। इनमें कुल साक्षरता दर 43.7 प्रतिशत थी। दरअसल, पश्चिमी क्षेत्र में मुसलमानों में साक्षरता दर एक समूह के बतौर सबसे कम थी। इन दो समुदायों से अधिक साक्षरता उत्तर प्रदेश में ओ.बी.सी. में थी। उनमें आधी से थोड़ा ही अधिक जनसंख्या (51.3%) साक्षर थी। हिंदुओं की ऊँची और मध्यवर्ती जातियों की साक्षरता दर सबसे अधिक 76.8 प्रतिशत थी। इसके बाद ही अन्य धर्मों के लोग आते हैं।

प्रौढ़ों की शैक्षिक उपलब्धि विभिन्न सामाजिक तबकों में अत्यंत भिन्न-भिन्न है। 1999-00 के 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी से संबंधित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण परिणामों के आंकड़ों के विश्लेषण (तालिका 7.3) से पता चलता है कि दो-तिहाई एस.सी./एस.टी. जनसंख्या और थोड़ी ही कम मुस्लिम जनसंख्या स्वतंत्रता के पांच दशक बाद भी निरक्षर बनी हुई है। निरक्षरता ओ.बी.सी. में भी बहुत अधिक है, उनमें 48.7 प्रतिशत 1999-00 में निरक्षर थे। ऊँची जातियों में एक-चौथाई से थोड़ी अधिक जनसंख्या निरक्षर थी।

**तालिका 7.3: 1999-00 में उ.प्र. में 14 वर्ष से अधिक की जनसंख्या की शैक्षिक उपलब्धि**


शिक्षा की स्तर	हिंदू-अन्य	हिंदू एससी एसटी	हिंदू-ओबीसी	मुसलमान	अन्य धर्म	कुल
निरक्षर	27.8	67.1	56.5	64.5	32.3	52.3
प्राइमरी से कम	6.8	5.6	6.5	10.7	7.5	7.0
प्राइमरी	10.0	7.8	10.1	8.0	10.7	9.2
मिडिल	17.5	10.5	13.6	8.2	15.5	13.1
माध्यमिक	13.5	4.3	6.7	4.3	14.7	7.7
उच्चतर	11.8	2.8	4.4	2.4	9.2	5.7
माध्यमिक स्नातक और अधिक	12.6	2.0	2.2	1.9	10.1	5.0
कुल	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत : एनएसएस 55वें दौर से आकलित

सभी बच्चों को कम से कम प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की संवैधानिक जिम्मेदारी 14 वर्ष की आयु पार कर चुकी 53.4 प्रतिशत ऊँची जाति की जनसंख्या के लिए पूरी की गई। लेकिन यह लक्ष्य केवल 26.9 प्रतिशत ओ.बी.सी. जनसंख्या, 19.6 प्रतिशत एस.सी.एस.टी. जनसंख्या और 16.8 प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या में पूरा किया जा सका।


सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब सभी बच्चों को स्कूल लाया जाए और उनकी स्कूली शिक्षा 14 वर्ष या उससे अधिक तक, उनके 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेने तक जारी रखी जाए। नामांकन, बने रहने और छंटाई में सामाजिक समूहों के बीच असमानता

**चित्र 7.1 : 1999-00 में उ.प्र. में औपचारिक/अनौपचारिक स्कूलों में जाने वाले 6-14 वर्षीय बच्चों का प्रतिशत**



पर तीसरे अध्याय में हमने विचार किया है। वहाँ बताया जा चुका है कि ऊँची जातियों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के बच्चों की नामांकन दर 90 प्रतिशत से अधिक है। लेकिन 20% ओ.बी.सी. बच्चे अब भी स्कूल से बाहर हैं। जहाँ तक एस.सी./एस.टी. बच्चों की बात है 22.3 प्रतिशत बच्चे स्कूल से बाहर हैं जबकि सबसे खराब स्थिति मुसलमान बच्चों की है, उनमें 46.2 प्रतिशत 1999-00 में किसी भी तरह के स्कूल में नहीं जाते थे।

**चित्र 7.2: सभी व्यक्तियों और अनुसूचित जातियों की साक्षरता दरें, उ.प्र. और भारत, 1961-1991**



हमने चित्र 7.1 में एन.एस.एस. 1990-00 के परिणामों के आधार पर किसी भी तरह के स्कूल जाने वाले 6 से 14 वर्ष आयु समूह के बच्चों का प्रतिशत दिखाया है। इस आयु समूह में नामांकन दरों में लिंग अंतराल मौजूद तो है लेकिन समग्रतः मात्र 4.6 प्रतिशत है। यह अंतराल ओ.बी.सी. बच्चों में 8.2 प्रतिशत और (मुसलमानों को छोड़कर) धार्मिक अल्पसंख्यकों में 14.2 प्रतिशत है।

हमारे पास सीमित आंकड़े उपलब्ध हैं इसलिए हम अनुसूचित जाति/जनजाति की साक्षरता में विभिन्न समयों के परिवर्तनों और उत्तर-प्रदेश के विभिन्न जिलों और क्षेत्रों में भिन्नताओं के विश्लेषण तक ही अपने आपको सीमित रखेंगे। एक तरीके से इन आंकड़ों के जरिए हम सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति पर नजर रख सकेंगे क्योंकि एस.सी./एस.टी. राज्य में शैक्षिक रूप से सर्वाधिक वंचित सामाजिक समूह हैं। 1961 में अनुसूचित जातियों में साक्षरता महज 7.1 प्रतिशत थी (तालिका 7.4)। महिलाओं में तो साक्षरता 1.1 प्रतिशत ही थी। 1991 तक आते-आते स्थिति काफी बदल गई, क्योंकि लगभग एक-तिहाई एस.सी. पुरुष साक्षर हैं हालांकि महिलाओं की साक्षरता अब भी कम (8.3 प्रतिशत) बनी हुई है। अनुसूचित जनजातियों में स्थिति थोड़ी



**तालिका 7.4: उ.प्र. में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की साक्षरता दरों में परिवर्तन, 1961-1991**

	व्यक्ति				पुरुष				महिला			
	1961	1971	1981	1991	1961	1971	1981	1991	1961	1971	1981	1991
<b>अनुसूचित जाति</b>												
कुल	7.1	10.2	15.0	21.1	12.8	17.1	24.8	32.3	1.1	2.5	3.9	8.3
ग्रामीण	6.3	9.1	13.5	19.4	11.6	15.8	23.2	30.7	0.7	1.7	2.7	6.6
शहरी	19.0	23.4	27.4	33.6	28.5	33.0	38.5	43.9	7.7	11.8	14.3	21.5
<b>अनुसूचित जनजाति</b>												
कुल	-	14.6	20.5	28.4	-	22.5	31.2	40.0	-	5.6	8.7	15.7
ग्रामीण	-	13.3	19.0	26.8	-	21.4	29.7	38.5	-	4.3	7.3	14.1
शहरी	-	29.1	50.7	54.2	-	35.1	60.9	63.9	-	21.1	38.1	42.3

स्रोत : भारत की जनगणना

बेहतर है। उनमें कुल साक्षरता दर 28.4 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 15.7 प्रतिशत है।

लड़कियों का प्रतिशत अब भी कम है हालांकि नामांकन में वृद्धि के अनुमान थोड़ी आशा बंधाते हैं। 1986-87 से 1995-96 के बीच अनुसूचित जाति के बच्चों का नामांकन काफी तेजी से बढ़ा। इसकी दर कुल नामांकन की बढ़त दर से काफी अधिक तेज थी।

एस.सी./एस.टी. साक्षरता और स्कूलों में नामांकन की क्षेत्रवार और जिलावार भिन्नताओं पर पर्याप्त ध्यान तक नहीं दिया गया है। ये भिन्नताएं विचारणीय हैं और राज्य की नीति और रणनीति के लिए इसके गहरे निहितार्थ हैं। साक्षरता और नामांकन दोनों ही निवर्तमान पहाड़ी क्षेत्र (अब उत्तरांचल) और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अधिक हैं। इसके बाद बुंदेलखंड, पूर्वी और मध्य क्षेत्र आते हैं। तालिका 7.5 में 1999-00 में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न सामाजिक समूहों के स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत प्रस्तुत किया गया है।

जिला स्तर पर साक्षरता दरें सबसे कम सोनभद्र और गोंडा जिलों में क्रमशः 14.31 प्रतिशत और 14.37 प्रतिशत थीं। सबसे अधिक गढ़वाल और कानपुर नगर में क्रमशः 51.73 प्रतिशत और 49.78 प्रतिशत थीं। एस.सी./एस.टी. में पुरुष और महिला साक्षरता दरें भी काफी भिन्न हैं। राज्य के कुछ जिलों में महिला साक्षरता दर काफी कम है। बहराइच, गोंडा और सिद्धार्थनगर जिलों में महिला साक्षरता 3 प्रतिशत से भी कम थी। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कानपुर नगर में (36.45 प्रतिशत) दिखाई पड़ी। इसके बाद गढ़वाल

**तालिका 7.4:1 उ.प्र. साक्षरता दर 2001**

	व्यक्ति	पुरुष	महिला
<b>अनुसूचित जाति</b>			
कुल	46.3	60.3	30.5
ग्रामीण	44.5	59.0	28.3
शहरी	58.2	69.1	45.5
<b>अनुसूचित जनजाति</b>			
कुल	35.1	48.4	20.7
ग्रामीण	33.0	46.7	18.3
शहरी	51.1	60.6	39.5


स्रोत : भारत की जनगणना

राज्य में अनुसूचित जाति की साक्षरता दर राष्ट्रीय स्तर से कम है और केरल जैसे राज्यों द्वारा हासिल दर से तो काफी कम है। फिर भी एक उत्साहवर्धक बात है : काफी नीचे के आधार से शुरू करके एस.सी. साक्षरता राज्य में कुल साक्षरता की तुलना में कुछ तेज दर से बढ़ी है। इसके कारण इन दोनों के बीच का अंतराल धीरे-धीरे कम हो रहा है। 80 के दशक में राज्य की एस.सी. साक्षरता 6.1 प्रतिशत बढ़ी, जबकि कुल साक्षरता 5 प्रतिशत बढ़ी। बहरहाल, राष्ट्रीय स्तर पर एस.सी. साक्षरता की प्रगति काफी तेजी से हुई और अंतराल भी उत्तर प्रदेश के मुकाबले ज्यादा कम हुआ।

यही स्थिति एस.सी. पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दरों के बीच अंतराल के संबंध में भी दिखाई देती है जो कुल जनसंख्या में मौजूद अंतराल से अधिक है। नतीजतन महिला साक्षरता पुरुष साक्षरता का एक छोटा अंश ही है। इस क्षेत्र में पुरुषों की तुलना में एक-चौथाई एस.सी. महिलाएं ही साक्षर हैं जबकि समूचे देश के आंकड़े काफी अधिक हैं।

पहले ही बताया गया है कि स्कूल में नामांकित अनुसूचित जातियों की

**चित्र 7.3 पुरुष साक्षरता प्रतिशत के सापेक्ष महिला साक्षरता, उ.प्र. और भारत, सभी व्यक्ति और अनुसूचित जातियों, 1961-1991**



स्रोत : भारत की जनगणना

(32.18 प्रतिशत) और देहरादून (29.61 प्रतिशत) थे। पुरुषों में सर्वाधिक साक्षरता दर गढ़वाल (71.59 प्रतिशत), चमोली (65.81 प्रतिशत) और पिथौरागढ़ में दर्ज की गई जबकि सबसे कम साक्षरता दर सोनभद्र (23.77 प्रतिशत), गोंडा (24.26 प्रतिशत), और बहराइच (24.37 प्रतिशत) में दर्ज की गई।

1991 की जनगणना बताती है कि 5 से 14 वर्षीय एस.सी./एस.टी. बच्चों के नामांकन और जिला स्तरीय साक्षरता में घनिष्ठ सहसंबंध है। जिन जिलों में सबसे कम साक्षरता है वहीं सबसे कम नामांकन दर है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि राज्य में शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए खास-खास {k-k} पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।

### बाक्स 7.1: उ.प्र. के स्कूलों में अनुसूचित जाति के बच्चे क्यों नहीं हैं?

इसका एक कारण अक्सर बताया जाता है- एस.सी. परिवारों की गरीबी। पारंपरिक तर्क के अनुसार, माता-पिता की गरीबी के कारण इन बच्चों को या तो अपनी आजीविका के लिए काम करना पड़ता है या फिर माताओं के काम पर चले जाने के बाद भाई-बहनों की देखभाल करनी पड़ती है। यह भी कहा जाता है कि उनकी पढ़ाई का खर्च माता-पिता नहीं उठा पाते (क्योंकि सरकारी स्कूलों में भी कुछ तो लागत लगती ही है)। ये कारण हैं, लेकिन कुछ हद तक ही। अन्य अनेक राज्यों में गरीब एस.सी. बच्चे काफी अधिक मात्रा में स्कूल जाते हैं जबकि उसी राज्य में उसी आर्थिक पृष्ठभूमि वाले अन्य सामाजिक समूहों के बच्चों के स्कूल जाने की संभावना अधिक होती है।

कभी-कभी एक और कारण बताया जाता है- अनुसूचित जातियों में निरक्षरता की संस्कृति (सामान्यतः पढ़ने वालों की पहली पीढ़ी वाले परिवारों में)। इसमें भी थोड़ी सच्चाई है क्योंकि माता-पिता की शिक्षा का बच्चे की शिक्षा पर काफी प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर बाहरी वातावरण अनुकूल रहा तो बहुतायत परिवार जल्दी ही शिक्षा का महत्व समझ जाते हैं और शैक्षिक अवसरों का लाभ उठाने लगते हैं।

अनेक अध्ययन (ग्रोब 1999, श्रीवास्तव 2000) कई और कारण बताते हैं जिनकी वजह से एस.सी./एस.टी. और मुसलमान बच्चे स्कूल नहीं जाते। इनमें शामिल हैं- पाठ्यक्रम और स्कूल के समय की सांस्कृतिक वृत्ति; सामाजिक भेदभाव, और स्कूलों की शिक्षा के माहौल में नीरसता तथा व्यवस्था बनाए रखने पर जोर।

### स्वास्थ्य

विभिन्न सामाजिक समूहों की स्वास्थ्य तक पहुंच और स्वास्थ्य परिणामों के संबंध में अपेक्षाकृत कम सूचक उपलब्ध हैं। बहरहाल, इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों में इस मामले में काफी असमानताएं हैं और खराब स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की अल्प पहुंच का बोझ वंचित सामाजिक समूहों पर अनुपात से अधिक है।

बचपन के प्रारम्भ में ही मृत्यु की संभावना कुछ जनसंख्या आयु-समूह में अन्यो के अपेक्षा अधिक होती है। हिंदुओं में, मुसलमानों के मुकाबले शिशु और बाल मृत्यु 1998-1999 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार अधिक है (आई.एम.आर. के संदर्भ में 32% अधिक और बाल मृत्यु के संदर्भ में 19% अधिक)। सामाजिक समूहों के समूचे रंगपट पर देखें तो एस.सी.

### तालिका 7.5: 1999-00 में उ.प्र. में स्कूल जाने वाले बच्चों (6-14 वर्ष) का क्षेत्रवार प्रतिशत

क्षेत्र	हिंदू- अन्य	हिंदू-एससी एसटी	हिंदू- ओबीसी	मुसलमान	अन्य धर्म	कुल
पहाड़ी	95.4	88.8	93.7	84.4	100.0	93.6
पश्चिमी	87.4	72.9	71.4	55.1	92.1	71.7
मध्य	89.5	64.3	73.4	54.9	87.1	70.9
पूर्वी	85.1	67.4	73.1	65.7	49.3	72.7
दक्षिणी	92.5	57.2	75.9	88.6	100.0	74.0
उ.प्र.	88.0	68.6	72.9	59.4	85.3	72.8

स्रोत : एनएसएस 55 वॉ दैर (रोजगार-बेरोजगार) से आकलित

विवरण: 1999-00 में 6-14 वर्षीय बच्चों का प्रतिशत

### तालिका 7.6: 1991 में सबसे अधिक और सबसे कम साक्षरता रफ़्तक एससी/एसटी नामांकन वाले जिले

अग्रणी 10 जिले				पिछड़े 10 जिले			
साक्षरता		नामांकन		साक्षरता		नामांकन	
गढ़वाल*	51.73	गढ़वाल*	60.11	महाराजगंज	18.80	रामपुर	20.21
कानपुर नगर	49.78	पिथौरागढ़*	52.33	मिर्जापुर	17.96	ललितपुर	18.70
पिथौरागढ़*	47.45	चमोली*	52.08	खीरी	17.81	खीरी	18.65
चमोली*	46.75	अलमोड़ा*	47.38	बदायूं	17.72	मिर्जापुर	17.83
देहरादून*	44.01	गाजियाबाद	45.96	सिद्धार्थनगर	16.44	बदायूं	17.66
नैनीताल*	43.87	देहरादून*	45.91	ललितपुर	16.41	बाराबंकी	17.64
गाजियाबाद	42.47	कानपुर नगर	45.61	बाराबंकी	16.16	सीतापुर	17.23
अलमोड़ा*	42.16	नैनीताल*	44.98	बहराइच	14.48	गोंडा	17.08
इटवा	40.86	मेरठ	42.79	गोंडा	14.37	बहराइच	16.21
जालौन	39.54	जालौन	39.87	सोनभद्र	14.31	सोनभद्र	13.16

स्रोत : 1991 की जनगणना के आंकड़ों से आकलित


टिप्पणी : \* वाले जिले अब उत्तरांचल में हैं।

जनसंख्या में आई.एम.आर. और बाल मृत्यु सबसे अधिक है। इसके बाद ओ.बी.सी. आते हैं। 1992-1993 का एन.एफ.एच.एस. बताता है कि अन्य सामाजिक समूहों के मुकाबले अनुसूचित जाति/जनजातियों में शिशु और 5 वर्ष से कम दोनों की मृत्यु दर अधिक है। हालांकि 1998-99 में सभी सामाजिक समूहों की स्थिति में सुधार आया लेकिन एस.सी. और ओ.बी.सी. समुदायों के सदस्यों के मामले में स्थिति खराब ही बनी रही।


राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणों में सामाजिक समूह वार बच्चों (3 वर्ष से कम) की पोषण स्थिति के बारे में भी सूचना दी जाती है। यह सूचना तीन मानवमितिक पैमानों: आयु के अनुसार वजन, आयु के अनुसार लंबाई और लंबाई के अनुसार वजन के सर्वेक्षण के आँकड़ों पर आधारित होती है। कुपोषण के आयु के अनुसार वजन पैमाने (कम वजन के बच्चों का प्रतिशत) के आधार पर हिंदू बच्चों की तुलना में मुसलमान के बच्चों का कम वजन का प्रतिशत अधिक था। एस.सी. तथा ओ.बी.सी. बच्चों का वजन अन्य सामाजिक समूहों के बच्चों के मुकाबले कम था। हिंदू बच्चे, मुसलमान बच्चों के सापेक्ष कुछ अविक्सित थे (आयु के अनुसार कम लंबाई)। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ी जाति के बच्चे अन्य तर्कों; समूहों के बच्चों के मुकाबले अपनी आयु के लंबाई से कम लंबे थे। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ी जाति के

बच्चे क्रमशः मुसलमान बच्चों और अन्य जातियों के बच्चों की तुलना में बहुत दुबले या सूखे हुए थे। इस तरह कुपोषण के सभी तीनों पैमानों के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के बच्चे अन्य बच्चों के मुकाबले अधिक कुपोषित हैं।

दुबलापन या मोटाई का आकलन करने के लिए बाडी मास इंडेक्स (बी.एम.आई.) का प्रयोग किया जाता है। 38.8 प्रतिशत मुसलमान महिलाओं का बी.एम.आई. 18.5 किग्रा / एम.<sup>2</sup> से कम था और उनका अनुपात विवाहित हिंदू महिलाओं से अधिक था। इसी तरह अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ी जाति में 18.5 किग्रा / एम.<sup>2</sup> से कम बाडी मास इंडेक्स वाली महिलाओं का प्रतिशत अन्य सामाजिक समूहों की महिलाओं की तुलना में अधिक था।




उत्तर प्रदेश में बच्चों और महिलाओं में रक्ताल्पता गंभीर चिंता की बात है। रक्ताल्पता की व्यापकता सभी सामाजिक समूहों में अधिक है, विशेषकर मुसलमान और अनुसूचित जाति की जनसंख्या में। जच्चा और जन्मपूर्व महिला मृत्यु का यह एक अप्रत्यक्ष कारण होता है। रक्ताल्पता की व्यापकता अनुसूचित जाति की महिलाओं (51.9%), एसटी महिलाओं (53.6%) और अन्य पिछड़ी जातियों (51%) में अधिक है। हिंदू महिलाओं में रक्ताल्पता की समस्या (49.1%) मुसलमान महिलाओं (47.3%) के मुकाबले अधिक है।



जिन बच्चों का टीकाकरण नहीं होता उनमें पोलियो, डिप्थीरिया और टी.बी. जैसी घातक बीमारियों की संभावना होती है। हालांकि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह टीकाकृत बच्चों का प्रतिशत कम है फिर भी अनुमानतः 22.4 प्रतिशत हिंदू बच्चों को सारी टीकाकरण खुराकें दी गई हैं जबकि केवल 14.8 प्रतिशत मुसलमान बच्चे पूरी तरह आच्छादित हैं। जिन बच्चों को किसी तरह का टीका नहीं मिला उनमें अन्य सामाजिक समूहों के बच्चों के मुकाबले अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के बच्चे संभवतः अधिक हैं।


जिन बच्चों को कोई भी टीका नहीं दिया गया, 1998-99 में उनका

चित्र 7.6 : 18.5 किग्रा/ एम.<sup>2</sup> से नीचे बी.एम.आई. वालों का सामाजिक समूहवार प्रतिशत



स्रोत : एन.एफ.एच.एस. 1998-1999


चित्र 7.7 : टीकाकरण वाले बच्चों ( वर्ष से कम ) का प्रतिशत, 1998-1999 ( एन.एफ.एच.एस. )



स्रोत : एन.एफ.एच.एस.

अनुमानित प्रतिशत 37 था। हिंदुओं में यह आंकड़ा 27.8 प्रतिशत था। एस.सी. बच्चों में 30.8 प्रतिशत को कोई टीका नहीं दिया गया, जबकि 55.6 प्रतिशत एस.टी. बच्चों को कोई टीका नहीं दिया गया। ओ.बी.सी. बच्चों में 29.4 प्रतिशत को कोई टीका नहीं दिया गया। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के बच्चों का टीकाकरण मुख्यतः सरकारी स्रोतों से हुआ। उनकी तुलना में अन्य सामाजिक समूहों के बच्चों के लिए संभवतः निजी स्रोतों का इस्तेमाल हुआ।

चित्र 7.8 : प्रसव पूर्व परीक्षण वाले प्रसवों का प्रतिशत वितरण, 1998-99 ( एन.एफ.एच.एस. )



स्रोत : एन.एफ.एच.एस.

बच्चों में अस्वस्थता और मृत्यु का एक प्रमुख कारण पेचिश है। मुसलमान और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को पेचिश होने का खतरा अन्य सामाजिक समूहों के बच्चों के मुकाबले थोड़ा अधिक होता है। बुखार के साथ गहन श्वास अवरोध की व्यापकता भी इन सामाजिक समूहों में अधिक है। यह हिंदुओं (20.2 प्रतिशत) के मुकाबले मुसलमानों (25.1 प्रतिशत) में खासकर अधिक है। अन्य सामाजिक समूहों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में बच्चों को गहन श्वास अवरोध (33 प्रतिशत) और बुखार (36.8 प्रतिशत) अधिक होता है।

जन्मपूर्व देखरेख (ए.एन.सी.) का अर्थ है किसी डाक्टर या किसी स्वास्थ्य कर्मचारी द्वारा प्रदत्त गर्भावस्था संबंधी स्वास्थ्य सेवा। जन्मपूर्व सेवा का इस्तेमाल धर्मवार बहुत अलग अलग नहीं है। बहरहाल, जिन गर्भवती महिलाओं को जन्मपूर्व परीक्षण नहीं उपलब्ध होता है उनका प्रतिशत एस.टी., ओ.बी.सी. और एस.सी. महिलाओं (क्रमानुसार) में ऊंची जाति की महिलाओं की तुलना में अधिक है।


प्रसव के समय सहायता के मामले में प्रमुख धर्मों के बीच कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन किसी स्वास्थ्य कर्मचारी की देख-रेख में प्रसव का प्रतिशत ऊंची जाति की महिलाओं की तुलना में निचली जाति (एस.टी., ओ.बी.सी. और एस.सी.) की महिलाओं के प्रसव के मामले में काफी कम था।

जच्चा-बच्चा का स्वास्थ्य प्रसवोपरांत परीक्षणों पर भी निर्भर होता है। प्रसवोपरांत परीक्षण हिंदुओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ी जाति से भिन्न महिलाओं में अधिक है।

तमाम तरह की प्रजनन स्वास्थ्य समस्याएं मुसलमान महिलाओं में हिंदू या सिख महिलाओं के मुकाबले ज्यादा आम हैं। प्रजनन स्वास्थ्य समस्याओं की व्यापकता अन्य पिछड़ी जाति की महिलाओं में 35 प्रतिशत है तो ऊंची जाति की महिलाओं में 41 प्रतिशत।

इस स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता इसमें प्रकट होती है कि स्वास्थ्यकर्मियों स्वास्थ्य और परिवार नियोजन से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने, महिलाओं को परिवार नियोजन के उपाय अपनाने के लिए प्रेरित करने और अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कितनी बार जाते हैं। उत्तर प्रदेश में केवल 3 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि स्वास्थ्यकर्मियों उन तक पहुंचे थे। यह राष्ट्रीय औसत (13 प्रतिशत) से काफी कम है। अनुसूचित जनजाति (2.3 प्रतिशत) और अन्य पिछड़ी जाति (2.8 प्रतिशत) के मामले में तो आंकड़ा और भी कम है।

अतः जो भी सीमित सूचक मौजूद हैं वे बताते हैं कि कुल मिलाकर स्वास्थ्य और परिवार नियोजन और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच प्रमुख धार्मिक समुदायों (हिंदू और मुसलमान) के बीच बहुत अलग नहीं है। शायद इसका कारण यह तथ्य है कि मुसलमान ज्यादातर शहरों में रहते हैं। लेकिन विभिन्न जाति समूहों के बीच अंतर बहुत गहरे हैं और इसका निदान त्वरित गति से होना चाहिए।



## रोजगार, आय और जीवन-यापन

जमीन और अन्य उत्पादक संपत्तियों के स्वामित्व, शैक्षिक स्तरों, सामाजिक और राजनीतिक पूंजी में अंतर विभिन्न सामाजिक समूहों के रोजगार के दरें और औसत जीवन स्थितियों में भी अंतर पैदा कर देते हैं। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां खासकर, राज्य की बाकी जनसंख्या की तुलना में निम्न जीवनस्तर का अहसास कर रही हैं।

## उत्तर-प्रदेश के सामाजिक समूहों में गरीबी

एस.सी./एस.टी. और गैर एस.सी./एस.टी. समूहों में गरीबी की भिन्नता पर इस प्रतिवेदन के अध्याय 5 में विचार किया गया है। 1987-88 में राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों के गरीब होने की संभावना गैर एस.सी./एस.टी. परिवारों की तुलना में 1.5 गुना थी। 1993-94 और 1999-00 में यह संभावना बढ़कर 1.6 गुना हो गई। 1993-94 में शहरी क्षेत्रों में एस.सी./एस.टी. परिवारों के गरीब होने की संभावना अन्य परिवारों की तुलना में 1.8 गुना थी।

विभिन्न सामाजिक समूहों में गरीबी का आगे विश्लेषण करने से न केवल एस.सी./एस.टी. परिवारों में गरीबी की अपेक्षाकृत ऊंची दर प्रमाणित होती है, बल्कि विभिन्न सामाजिक श्रेणियों में गरीबी के विचलन का भी पता चलता है। विश्लेषण की सुविधा के लिए हमने उन परिवारों को अति गरीब कहा है जिनकी प्रति व्यक्ति आय सरकारी 'गरीबी रेखा' से 25 प्रतिशत से भी कम है जबकि जो परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं उन्हें 'कम गरीब' कहा गया है। इसी तरह जिन परिवारों में प्रति व्यक्ति खपत स्तर गरीबी रेखा से 25% से भी अधिक है उन्हें 'गरीबी रेखा से काफी ऊपर' कहा गया है, जबकि गरीबी रेखा के ऊपर के अन्य परिवारों को 'गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर' कहा गया है।

**तालिका 7.7 : उ.प्र. में एससी/एसटी और अन्य परिवारों में गरीबी**

वर्ष	जाति समूह	गरीबी		प्रतिशत		
		शहरी	ग्रामीण	कुल	जनसंख्या	गरीब
1987-88	एससी/एसटी	48.3	56.2	55.3	24	32
	अन्य	35.7	37.5	37.2	76	68
	कुल	37.4	42.3	41.5	100	100
1993-94	एससी/एसटी	57.5	58.6	58.4	23	33
	अन्य	31.3	37.0	35.7	77	67
	कुल	35.0	42.4	40.9	100	100
1999-00	एससी/एसटी	42.5	43.0	42.9	24	33
	अन्य	28.4	26.4	27.2	76	67
	कुल	30.7	31.1	31.0	100	100

स्रोत : विश्व बैंक (2002)

हमारा विश्लेषण बताता है कि 14.5 प्रतिशत एस.सी./एस.टी. परिवार 'अति गरीब' की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद मुसलमान परिवारों और ओ.बी.सी. परिवारों का नंबर है। इस श्रेणी में ऊंची और मध्यवर्ती जाति के परिवार सबसे कम हैं। इसी क्रम में परिवारों का कुल प्रतिशत भी है- सबसे अधिक गरीबी एस.सी./एस.टी. परिवारों में है, उसके बाद मुसलमान परिवारों और ओ.बी.सी. परिवारों में है। सबसे कम गरीबी अन्य धर्मों के परिवारों और ऊंची जाति के हिंदू परिवारों में है।

इसके उल्टी तस्वीर तब पैदा होती है जब हम उन परिवारों को देखते हैं जिनका प्रति व्यक्ति खपत स्तर गरीबी रेखा स्तर से 25 प्रतिशत से अधिक है। इसमें 70 प्रतिशत जनसंख्या अन्य धार्मिक समूहों की है, 69 प्रतिशत ऊंची जातियां इस श्रेणी में आती हैं। लेकिन केवल 43 प्रतिशत ओ.बी.सी., 41.3 प्रतिशत मुसलमान और 33 प्रतिशत एस.सी./एस.टी. परिवारों के बारे में कहा जा सकता है कि इन अनुमानों के अनुसार वे गरीबी से बच गए हैं, इस अर्थ में कि उनका खपत स्तर गरीबी रेखा स्तर से 25 प्रतिशत या उससे अधिक ऊपर है।

**तालिका 7.8 : 1999-00 में उ.प्र. में सामाजिक समूह और गरीब वर्ग के सापेक्ष जनसंख्या प्रतिशत (ग्रामीण+शहरी)**

गरीब वर्ग	सामाजिक समूह					कुल
	हिन्दू-एससी/एसटी	हिन्दू-ओबीसी	हिन्दू-अन्य	मुसलमान	अन्य धार्मिक समूह	
अति गरीब	14.52	8.82	4.73	10.90	6.86	9.48
दे गरीब	28.71	24.15	9.80	24.09	6.44	21.53
गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर	23.75	24.08	16.49	23.66	17.01	22.01
गरीबी रेखा से काफी ऊपर	33.02	42.95	68.98	41.35	69.68	46.98
कुल	100	100	100	100	100	100

स्रोत : एनएसएस 55वें दौर (खपत स्तर) से आकलित

### जमीन का स्वामित्व


ग्रामीण भारत में जमीन पर नियंत्रण और स्वामित्व का आधार कुछ जाति समूहों के पक्ष में काफी झुका हुआ है। जमीन का 'स्वामित्व' और उसका निजी संपत्ति बनना अपेक्षाकृत आधुनिक धारणाएं हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में अपनाया गया। लेकिन प्राचीन और मध्यकालीन भारत में भी जमीन संबंधी अधिकार बहुत स्पष्टतापूर्वक विद्यमान थे। बादशाह के आदेश से सामंती सरदारों (जागीरदारों, ताल्लुकेदारों, राजाओं इत्यादि) को सर्वाधिक अधिकार हासिल थे। ब्रिटिश काल में मुट्ठीभर जातियों—राजपूत, मुसलमान, भूमिहार आदि को जमीन तत्कालीन जमीनी पट्टों पर मिली थी हालांकि धीरे-धीरे अन्य खेतिहर जातियों ने भी दीर्घकालीन पट्टों या जमीन के हस्तांतरण संबंधी अन्य रूपों के जरिए कुछ कम जमीनी अधिकार हासिल कर लिए (सक्सेना 1984, लिटन और श्रीवास्तव 1999)।

स्वतंत्रता के बाद जमींदारी उन्मूलन को एक हद तक जमींदारों ने पहले ही रोक दिया। इसके लिए उन्होंने जमीन के एक बड़े हिस्से से ऐच्छिक पट्टेदारों (ऐसे पट्टेदार जिनके पास सुरक्षित पट्टेदारी नहीं थी जो आमतौर पर निचली जातियों के थे) को बेदखल कर दिया। 1960 के दशक में हरित क्रांति के बाद फिर से ऐसी ही बेदखली हुई जब भूमिधरों ने जमीन पर खुद ही खेती करने के लिए बटाईदारों को बेदखल कर दिया। उसी समय राज्य में हुए भूमि-सुधार मध्यवर्ती खेतिहर जातियों (इनमें से अनेक 'अन्य पिछड़ी जातियों' में थीं) के पक्ष में गये जिनके पास अपेक्षाकृत सुरक्षित, हालांकि निचले स्तर के, भूमि अधिकार थे। दूसरे शब्दों में, संभव है कि स्वतंत्रता के बाद के कुछ दशकों में सबसे निचली जाति समूहों ने वस्तुतः राज्य में भूमि पर अधिकार खोया हो।

बहरहाल, इस बात के साक्ष्य उपलब्ध हैं कि उसके बाद उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों (स्वामित्व और कार्यकारी स्वामित्व दोनों ही मामलों के अलग आकड़े मौजूद हैं) की दोनों ही मामलों में स्थिति कुछ सुधरी, हालांकि उनकी अपनी और जोत की जमीनों में उनका हिस्सा अब भी काफी कम है और जो भी जमीन उनकी अपनी है उसकी गुणवत्ता काफी खराब है।

1982 में ग्रामीण उत्तर-प्रदेश में अनुसूचित जाति परिवारों के पास 10.18 प्रतिशत जमीन थी। 1992 आते-आते यह अनुपात 1.66 प्रतिशत बढ़ गया और कुल जमीन का 11.81 प्रतिशत हो गया। कुल परिवारों में अनुसूचित


**चित्र 7.10 : ग्रामीण क्षेत्रों में निजी स्वामित्व वाली जमीन का प्रतिशत 1992**



जातियों का जो प्रतिशत (23.18) था उससे काफी कम उनकी हिस्सेदारी जमीन में थी। अनुसूचित जनजाति परिवारों का हिस्सा 0.24 प्रतिशत पर टिका हुआ है। इसी तरह की लेकिन कुछ अधिक ही ध्यानाकर्षक बढ़त राष्ट्रीय स्तर पर जमीन के स्वामित्व में एस.सी./एस.टी. के हिस्से में दिखाई पड़ी। राष्ट्रीय स्तर पर इसी दशक में इन परिवारों के स्वामित्व वाली जमीन का प्रतिशत 17.99 से बढ़कर 22.05 हो गया था।

वर्ष 1995-96 तक जो पंचवर्षीय कृषि जनगणना हुई थी उसके उपलब्ध परिणामों से कार्यकारी तत्त्व के सापेक्ष ऐसी ही तस्वीर उभरती है। 1980-81 में एस.सी. परिवार राज्य की जमीनों के 9.5 प्रतिशत क्षेत्र पर कार्यकारी अधिकार रखते थे। 1990-91 यह हिस्सा बढ़कर 10.8 प्रतिशत हो गया जिसमें 25.4 प्रतिशत क्षेत्र मंडोली या बड़े आकार की जमीनों का था। 1995-96 में एस.सी./एस.टी. परिवार मिलकर 11.05 प्रतिशत क्षेत्र पर कार्यकारी अधिकार रखते थे।

**चित्र 7.11 : भूमिहीनता 1982-1992**



शायद इतनी ही महत्वपूर्ण प्रवृत्ति यह है कि उत्तर-प्रदेश में आमतौर पर ग्रामीण परिवारों और खासतौर पर एस.सी./एस.टी. परिवारों की भूमिहीनता में गिरावट आई है। बहरहाल 1982-92 के दशक में जहां एस.सी. परिवारों की भूमिहीनता में गिरावट दर्ज की गई (7.18 प्रतिशत से 6.15 प्रतिशत परिवार) वहीं एस.टी. और अन्य परिवारों की भूमिहीनता में कुछ बढ़त दिखाई पड़ी—एस.टी. में 7.44 से 7.81 प्रतिशत तथा अन्य में 4.01 से 4.41 प्रतिशत परिवार। जैसा चित्र 7.11 से स्पष्ट है अखिल भारतीय स्तर पर एस.सी./एस.टी. परिवारों में भूमिहीनता काफी अधिक है, हालांकि एस.टी. परिवारों में यह 1982 और 1992 के बीच घटी है। अनुसूचित जनजातियों के भूमि अधिकार कानून अहस्तान्तरणीय हैं फिर भी 1982 और 1992 के बीच उनकी भूमिहीनता में बढ़ोतरी के कारणों पर और विचार किया जाना चाहिए।



**तालिका 7.9 : भूमिहीन परिवारों को उ.प्र. में मार्च 2000 तक आवंटित भूमि ( हेक्टेयर में )**

	कुल	एससी	एसटी	ओबीसी	अन्य	कुल आवंटित जमीन (कुल हे./ क्षेत्र का%)	एससी/एसटी आवंटन (कुल हे./ क्षेत्र का %)
1. ग्राम सभा की जमीन संख्या	3250518	1841223	3185	833460	572493	17.95	36.99
कुल का %		56.64	0.10	25.64	17.61		
क्षेत्रफल	1093836	611395	1582	284278	196510	5.89	29.87
कुल का %		55.89	0.14	25.99	17.97		
2. सीलिंग की जमीन संख्या	293598	200071	699		92828	1.62	4.03
कुल का %		68.14	0.24		31.62		
क्षेत्रफल	258407	179979	1195		77233	1.39	8.83
कुल का %		69.65	0.46		29.89		
3. कुल आवंटित जमीन संख्या	3544116	2041294	3884	833460	665321	19.57	41.02
कुल का %		57.60	0.11	23.52	18.77		
क्षेत्रफल	1352243	791374	2777	284278	273743	7.28	38.70
कुल का %		58.52	0.21	21.02	20.24		

स्रोत : राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की भूमिहीनता में गिरावट ( और तदनुसार स्वामित्व/कार्यकारी अधिकार वाली जमीन का हिस्सा बढ़ना) का एक महत्वपूर्ण कारण प्रदेश में ग्रामसभा जमीन वितरण कार्यक्रम का अपेक्षाकृत सुसंगत संचालन है।

मार्च 2000 तक राज्य में 35.4 लाख आवंटियों को 13.5 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन बांटी जा चुकी थी। इनमें 57.7 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजातियों के लोग थे। राज्य में कुल मिलाकर लगभग 7.3 प्रतिशत जोत की जमीनें, लगभग 20% ग्रामीण परिवारों को आवंटित की गईं। 40% से अधिक एस.सी./एस.टी. परिवारों (1991 के आंकड़े) को जमीन आवंटित की गई जो उनके द्वारा 1995-96 में जोती जा रही जमीन का 38.7 प्रतिशत थी।

विभिन्न सामाजिक समूहों के स्वामित्व में जमीन के जिलास्तरीय आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं लेकिन अनुसूचित जाति और जनजातियों तथा अन्यो द्वारा जोती जा रही जमीन के जिलावार आंकड़े उपलब्ध हैं। दिलचस्प रूप से विभिन्न जिलों के बीच काफी भिन्नताएं हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां एस.सी./एस.टी. परिवारों द्वारा जोती जा रही जमीन कुल जोत क्षेत्र के 20 प्रतिशत हिस्से के या तो निकट है या उससे अधिक है। सोनभद्र और लखनऊ जिले इस मामले में उत्तम हैं। यहां एस.सी./एस.टी. परिवारों द्वारा जोती जा रही जमीन 36.8 प्रतिशत और 27.6 प्रतिशत है। इसके बाद बाराबंकी (22.7 प्रतिशत), सीतापुर (19.9 प्रतिशत), रायबरेली (19.6 प्रतिशत), उन्नाव (18.3 प्रतिशत), मिर्जापुर (17.3 प्रतिशत) और झांसी (15.7 प्रतिशत) आते हैं। कुल मिलाकर ये विकास महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जीवन-यापन में जमीन का योगदान तो होता ही है, भूस्वामियों का राजनीतिक असर और हैसियत भी काफी बढ़ जाती है।

एन. एस.एस.ओ. द्वारा प्रत्येक दस वर्ष में जमीन के स्वामित्व का सर्वेक्षण किया जाता है। सबसे ताजा सर्वेक्षण 1992 का है। बहरहाल अन्य

**तालिका 7.10: ग्रामीण उ.प्र. में सामाजिक समूहवार जमीन का स्वामित्व, 1999-00**

सामाजिक समूह	परिवारों का प्रतिशत	मालिकाना जमीन का %	औसत मालिकाने की जमीन (एकड़)
हिन्दू-अन्य	22.38	38.17	1.2
हिन्दू-एससी एसटी	27.69	13.26	0.34
हिन्दू-ओबीसी	36.83	38.43	0.74
मुसलमान	12.29	8.09	0.46
अन्य धर्म	0.81	2.24	1.94
कुल	100	100.00	0.71

स्रोत : एनएसएस 55 वें दौर (रोजगार/बेरोजगार) से आकलित

एन.एस.एस.ओ. दौरों में जमीन के स्वामित्व और जुताई संबंधी आंकड़ा भी एकत्र किया गया है और एस.सी./एस.टी. श्रेणी के अलावा अन्य सामाजिक श्रेणियों के बारे में भी यह आंकड़ा उपलब्ध है। इस सर्वेक्षण के नतीजों के अनुसार एस.सी./एस.टी. परिवारों के पास 13.3 प्रतिशत जमीन का स्वामित्व है जबकि कुल ग्रामीण परिवारों में उनका अनुपात 27.7 प्रतिशत है। मुसलमान परिवार (कुल का 12.3 प्रतिशत) 8.1 प्रतिशत जमीन के मालिक हैं। ग्रामीण उत्तर-प्रदेश में ओ.बी.सी. परिवार आबादी में अपने अनुपात के बराबर ही जमीन के मालिक हैं। ऊंची और मध्यवर्ती जातियों के परिवार 38.2 प्रतिशत जमीन के मालिक हैं जबकि कुल परिवारों में इनका हिस्सा 22.4 प्रतिशत है। अतः, संभव है उत्तर प्रदेश में एस.सी./एस.टी. परिवारों के स्वामित्व वाली जमीन के अनुपात में कुछ इजाफा हुआ हो, लेकिन मुसलमान परिवारों सहित


इनकी भी पहुंच राज्य के ग्रामीण इलाकों में इस मुख्य उत्पादक संसाधन तक अब भी कम है।

### उत्तर प्रदेश में सामाजिक पहचान और पेशागत स्थिति

भारत में ऐतिहासिक रूप से जाति और पेशागत स्थिति में घनिष्ठ सहसंबंध रहा है। यही उत्तर प्रदेश के लिए भी सही है। औपनिवेशिक काल में जब अनेक पारंपरिक और हस्तशिल्प आधारित पेशे न्यूनतम जीवन  $Lrj\ grq$  में भी सक्षम नहीं रह गए तो इन जातियों के मजदूर कृषि मजदूरों में शामिल हो गए या फिर अन्य पेशों में चले गए। 'धक्का' देने वाले इन कारकों के अलावा जो जातियाँ निम्नस्तर के काम करती थीं वे अपने पारंपरिक पेशों के साथ अब और नहीं रह सकीं और ऐसे कामों में परहेज करने लगीं जो सामाजिक रूप से घटिया काम माने जाते थे। बहरहाल, यह प्रक्रिया सुस्त और तकलीफ देह थी। 1931 की जनगणना में जातिवार, पेशावार विवरण दिए गए हैं। उनसे पता चलता है कि तब इन दोनों के बीच काफी घनिष्ठ सहसंबंध था।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन रोजगार और बेरोजगारी संबंधी अपने सर्वेक्षण दौरों में प्रत्येक व्यक्ति की रोजगार स्थिति के बारे में सूचना एकत्र करता है। ऐसा वह व्यापक रोजगार स्थितियों (स्वरोजगारशुदा, अस्थायी मजदूर, नियमित या वेतन भोगी मजदूर, अस्थायी मजदूर, बेरोजगार और श्रमहीन मजदूर) के अनुसार करता है। तालिका 7.12 में 15 वर्ष या अधिक आयु के मजदूरों की व्यापक रोजगार स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया है। नियमित वेतन भोगी  $debjk$  में सर्वाधिक प्रतिशत (22.4) ऊँची जाति का है। अस्थायी मजदूरों में सबसे कम प्रतिशत भी ऊँची जाति का ही है। दूसरी ओर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों तथा ओ.बी.सी. मजदूरों का सबसे कम प्रतिशत (7.9%) नियमित वेतनभोगी है और एस.सी./एस.टी. का प्रतिशत तो अस्थायी मजदूरों में सर्वाधिक भी है। अस्थायी मजदूरों में इसके बाद सबसे अधिक प्रतिशत (20.7%) मुसलमान मजदूरों का है। नियमित/वेतनभोगी मजदूरों का प्रतिशत उनमें एस.सी. या ओ.बी.सी. मजदूरों के मुकाबले कुछ अधिक था।

चित्र 7.12 : 1999-00में व्यापक रोजगार स्थिति के अनुसार उ.प्र. में मजदूरों (15 और उसके ऊपर) का वितरण



स्रोत : एन.एस.एस.5 वें दौर (रोजगार बेरोजगार) से आकलित

स्वतंत्रता के बाद स्वाभाविक रूप से सभी नागरिकों की आकांक्षाएं बढ़ गईं। देश ने इसके उत्तर में सबके लिए अवसरों की समानता की पुष्टि की और जो सामाजिक समूह ऐतिहासिक रूप से वंचना के शिकार रहे थे उनके मामले में सकारात्मक कार्यवाही की। इसके चलते विभिन्न पेशों के बीच सभी समूहों की गतिशीलता का दायरा बढ़ गया और पहले जो गढ़ केवल चुनिंदा ऊपरी सामाजिक तबकों के कब्जे में थे, वे निचले जाति समूहों के लिए भी खुल गए।

सामाजिक समूहवार रोजगार और जीवनयापन के संबंध में केवल सीमित सूचनाएं ही उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए, यह तो पता है कि आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया में अनेक शिल्पी समूह अपने पेशों से हाथ धो रहे हैं (इनमें से अनेक मुख्यतः मुसलमान समूह हैं), और यह प्रक्रिया हाल के वर्षों में तेज हुई हो सकती है, लेकिन इन समूहों के बारे में वास्तव में बहुत कम जानकारी है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण मजदूरों का पेशेवार वितरण भी बताता है। इससे विभिन्न किस्म की नौकरियों (एक ओर तो प्रबंधकीय, तकनीकी या वैज्ञानिक नौकरियाँ तथा दूसरी ओर शारीरिक और अस्थायी नौकरियों) में उनके प्रवेश के मूल्यांकन का अवसर मिलता है।


इसके आगे जो विश्लेषण होगा (तालिका 7.11) उसमें पेशों की श्रेणियों को एक साथ कर दिया गया है ताकि तुलना करने में सुविधा हो। सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में दशकों के आरक्षण और सकारात्मक पक्षपात के बावजूद नौकरियों के सर्वाधिक ऊंचे स्तरों पर सामाजिक समूहों के बीच भारी असमानताएँ हैं। इनमें वैज्ञानिकों, पेशेवरों और प्रशासकों की नौकरियाँ शामिल हैं। 1999-00 के ये अनुमान बताते हैं कि पेशागत ढाँचे के ऊपरी हलकों में किसी एस.सी. या एस.टी. व्यक्ति के मुकाबले ऊँची जाति के व्यक्ति के होने की संभावना 5.4 गुना अधिक है। ओ.बी.सी. और मुसलमान समुदाय के महिला

**तालिका 7.11: वयस्कों के मुख्य धंधों का वितरण, आयु 17 से अधिक ( ग्रामीण+शहरी ), 1999-00**

सामाजिक समूह	प्रबंधकीय, तकनीकी, सेवा	सफेद कालर, कालर, फुड, फिथि, सेवा	दलित	दलित	खेती	दलित	कुल
हिन्दू-अन्य	11.5	21.6	50.5	5.1	7.0	4.3	100.0
हिन्दू-एससीएसटी	2.1	10.2	30.3	35.2	8.7	13.5	100.0
हिन्दू-ओबीसी	2.7	11.1	57.7	12.8	8.4	7.3	100.0
मुसलमान	4.4	19.3	26.3	12.2	25.5	12.4	100.0
अन्य धर्म	10.2	18.3	34.1	17.2	15.3	4.9	100.0
कुल	4.9	14.6	44.2	16.8	10.6	8.9	100.0

स्रोत: एनएसएस 55वें दौर (रोजगार/बेरोजगार) से आकलित

और पुरुष के मुकाबले अन्य महिलाओं और पुरुषों के इन नौकरियों में होने की संभावना क्रमशः 4.3 गुना और 2.6 गुना अधिक है। सफेद कालर नौकरियों की निचली श्रेणियों (लिपिक की नौकरी, बिक्री या सेवा क्षेत्र इत्यादि में नौकरी) में असमानताएँ तो अपेक्षाकृत कम हैं लेकिन निचली गंभीर चिंता का विषय हैं। अगर सभी सफेद कालर नौकरियों को जोड़ दिया जाए तो ऊंची जाति के किसी व्यक्ति के इसमें होने की संभावना किसी एस.सी. व्यक्ति के मुकाबले 2.7 गुना, किसी ओ.बी.सी. व्यक्ति के मुकाबले के 2.4 गुना और किसी मुसलमान के मुकाबले 1.4 गुना अधिक है।



दूसरी तरफ, मजदूरों और शारीरिक श्रम करने वालों में अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों का प्रतिशत सबसे अधिक है। इसके बाद मुसलमान आते हैं। ओ.बी.सी. समुदाय में सबसे अधिक संख्या में खेतिहर हैं।



जनगणना, सामान्य जनसंख्या के साथ ही अनुसूचित जाति और जनजातियों की पेशागत संरचना के बारे में विस्तृत सूचनाएं प्रदान करती है। चूंकि हमारा विश्लेषण बताता है कि एस.सी./एस.टी. समुदाय पेशे की सीढ़ी पर सबसे निचले पायदान पर खड़े हैं इसलिए 1991 की जनगणना के आधार पर हमने चित्र 7.13 और चित्र 7.14 में काफी विस्तार से उ.प्र. में एस.सी./एस.टी. समुदाय की पेशागत स्थिति का विश्लेषण किया है।

हालांकि परिवर्तन की प्रक्रिया जारी है इसके बावजूद ये समूह कम वेतन वाले पेशों में ही हैं। जहां तक उनकी जनसंख्या के कामगार हिस्से का संबंध है तो यह बाकी जनसंख्या के मुकाबले काफी अधिक है और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के बारे में यह खासकर सही है

क्योंकि अन्य जातियों/समूहों की कार्यशक्ति में भागीदारी काफी कम है। खेत मजदूरों में उनका अनुपात जनसंख्या में उनके अनुपात से कहीं अधिक है। कुल पुरुष खेत मजदूरों में 45.1 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के हैं जबकि कुल महिला खेत मजदूरों में 54.1 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की हैं लेकिन खेतिहरों और अन्य मजदूरों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का अनुपात अपेक्षाकृत कम है।

जब बेहतर वेतन वाले पेशों और नौकरियों की बात आती है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोग इन पेशागत समूहों में प्रवेश तो कर चुके हैं लेकिन अब भी उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है तथा ऊंची जातियों और उनमें असमानताएं बहुत अधिक हैं। उदाहरण के लिए, 1991 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग (राज्य की आबादी का 21.25%) 'पेशेवर, तकनीकी और संबद्ध' नौकरियों में 8.6 प्रतिशत थे और प्रशासन और कार्यपालिका तथा प्रबंधन से जुड़ी नौकरियों में मात्र 8.2 प्रतिशत थे। सरकारी सेवाओं में भी उनका प्रतिनिधित्व लगभग ऐसा ही है, जहाँ आरक्षण के बावजूद उनका हिस्सा कम ही है (1991में क्लास ए में 8.16 प्रतिशत और क्लास बी सेवाओं में 10.21 प्रतिशत) (उत्तर प्रदेश सरकार नौवीं योजना) लेकिन जैसे जैसे सीढ़ी के निचले पायदानों, शारीरिक और कम वेतन पेशों, की ओर बढ़ते हैं उनका हिस्सा राज्य की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ता है। संबद्ध चार्ट यही बताता है।

ऊपर का विश्लेषण स्पष्ट रूप से बताता है कि राज्य की पेशागत संरचना में जो भी परिवर्तन आए हैं वे काफी सीमित हैं और अब भी आरोपित सामाजिक स्थिति और पेशागत संरचना के बीच उत्तर-प्रदेश में गहरा सहसंबंध बना हुआ है।




## बच्चों की जनसंख्या में बालश्रम और सामाजिक समूहवार 'VI E) बच्चे'

जैसा पिछले अध्याय में बताया गया है राज्य के असंगठित और संगठित दोनों ही क्षेत्रों में लगी हुई कार्यशक्ति का एक घटक बालश्रम है। हालांकि पिछले दशक में बालश्रम के सवाल पर असंख्य अध्ययन हुए हैं लेकिन उनमें बालश्रम करने वाले बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि पर यथेष्ट ध्यान नहीं दिया गया है।

1999-00 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के रोजगार/बेरोजगार दौर में बताया गया है कि उत्तर-प्रदेश के अनुमानतः 13.9 लाख बालश्रमिक मुख्यतः वंचित सामाजिक समूहों से आते हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में सबसे कम बालश्रमिक ऊँची जातियों से हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक बालश्रमिक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चे हैं। इसके बाद मुसलमान बच्चे आते हैं। शहरी क्षेत्रों में सर्वेक्षण बताता है कि सर्वाधिक बालश्रमिक मुसलमान और ओ.बी.सी. बच्चे हैं।

1991 की जनगणना यह भी बताती है कि बच्चों की जनसंख्या में बालश्रमिकों का प्रतिशत एस.सी./एस.टी. बच्चों की जनसंख्या में (4.26 प्रतिशत) राज्य के गैर एस.सी./एस.टी. जाति समूहों (2.78 प्रतिशत) के मुकाबले लगभग दो गुना अधिक है। यह स्थिति राज्य के लगभग सभी जिलों में मौजूद है। यह तथ्य कि, गैर एस.सी./एस.टी. समूहों के मुकाबले ज्यादा एस.सी./एस.टी. बच्चे जीवन चलाने के लिए काम करते हैं, यही साबित करता है कि ये समूह सामाजिक-आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत कमजोर हैं।




विभिन्न जिलों के बीच की भिन्नताएं बताती हैं कि सभी जिलों में तकरीबन यही स्थिति मौजूद है। एस.सी./एस.टी. में बालश्रमिक गैर एस.सी./एस.टी. जनसंख्या के मुकाबले अधिक हैं। एस.सी./एस.टी. में सर्वाधिक बालश्रमिक सोनभद्र (8.74 प्रतिशत) में दर्ज किए गए और गैर एस.सी./एस.टी. में सर्वाधिक बालश्रमिक उत्तरकाशी (6.13 प्रतिशत) में दर्ज किए गए। ; गुल्लिसका उल्लेख djuk जरूरी है कि कुछ जिलों (रामपुर, बांदा, बहराइच और सोनभद्र) में दर्ज किया गया कि एस.सी./एस.टी. में 10 प्रतिशत से अधिक लड़के काम करते हैं। इतनी ऊँची संख्या गैर एस.सी./एस.टी. जनसंख्या में नहीं दर्ज की गई।

स्पष्ट है कि 'VI E) बच्चे' (ऐसे बच्चे जो न तो स्कूल में हैं न काम करते हैं) अन्यों के मुकाबले एस.सी./एस.टी. में अधिक हैं। 1991 में 5-9 वर्ष आयु समूह में 80 प्रतिशत से अधिक और 10-14 वर्ष आयु समूह में

आधे से अधिक एस.सी./एस.टी. बच्चे न तो स्कूल में थे, न ही कोई काम करते थे। लड़कियों 08 अपेक्षाकृत अधिक वंचना एस.सी./एस.टी. और अन्य दोनों में ही देखी गई।

'VI E) बच्चों' में लड़कियों का प्रतिशत लड़कों से अधिक है तथा यह अंतराल 10-14 वर्ष आयु समूह में और बढ़ जाता है। इस समूह में जो लड़कियां न तो स्कूल में, VI E) न ही काम पर दर्ज की गईं उनका अनुपात लड़कों के दो गुना से अधिक है। दरअसल, इन लड़कियों (और लड़कों) में अनेक मौसमी या अंशकालिक मजदूर हैं तथा अनेक, खासकर लड़कियाँ, घरेलू जिम्मेदारियां निभाती हैं जिसे जनगणना में 'काम' के बतौर नहीं गिना जाता। इसी वजह से 10-14 वर्ष आयु समूह में उनका अनुपात इतना अधिक है।



## वेतन और कमाई में भिन्नताएँ

कम संपत्ति का Lokfero और अल्प लाभ वाले पेशों में निचली जातियों तथा अन्य वंचित सामाजिक श्रेणियों की भीड़ तो कहानी का एक अंश ही है। इस बात के साक्ष्य भी हैं कि एक ही नौकरी। DXL में होने के बावजूद वंचित सामाजिक समूहों को अन्य के मुकाबले कम लाभ/मानदेय मिलता है।

ग्रामीण मजदूर परिवारों में पुरुषों और महिलाओं की औसत कमाई की तुलना करने पर पता चलता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति परिवारों की महिलाओं और पुरुषों की मजदूरी उत्तर-प्रदेश के कुल मजदूरों की औसत कमाई से कम थी। तुलना के सभी वर्षों (1987-88 और 1993-94) में ऐसा ही देखा गया। यह प्रवृत्ति अखिल भारतीय प्रवृत्ति के विपरीत है क्योंकि वहां इन समूहों को कम मजदूरी नहीं दिखाई देती।

कुछ ऐसे अध्ययन भी हुए हैं जो एक ही तरह के रोजगार में विभिन्न सामाजिक समूहों के लाभों की तुलना करते हैं। विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित एक

तालिका 7.12 : कृषक ग्रामीण मजदूर परिवारों के पुरुषों और महिलाओं की औसत दैनिक कमाई

	पुरुष		महिला	
	1987-88	1993-94	1987-88	1993-94
उत्तर प्रदेश				
कुल	9.07	21.59	6.99	16.57
अनुसूचित जाति	8.74	20.07	6.82	16.26
अनुसूचित जनजाति	8.86	20.97	7.22	13.04
भारत				
कुल	9.46	21.52	7.05	15.33
अनुसूचित जाति	9.51	21.79	7.03	15.74
अनुसूचित जनजाति	8.57	18.54	7.26	14.93

स्रोत : रुरल लेबर इक्वायरीज

सर्वेक्षण पूर्वी उत्तर-प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में कराया गया। उसमें वेतनभोगी नौकरियों, अस्थायी मजदूरों और निजी/संचालित उद्यमों में सामाजिक समूहवार लाभों की तुलना की गई है। परिणाम (तालिका 7.13) बताते हैं कि वंचित सामाजिक समूहों के मजदूरों के लिए लाभ हमेशा ही कम रहे। उदाहरण के लिए, औसत मासिक वेतन ऊँची जाति के मजदूरों के लिए सबसे अधिक था। उनसे काफी पीछे अन्य पिछड़ी जातियों के मजदूर थे जबकि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और मुसलमान मजदूरों का सबसे कम औसत वेतन था।

**तालिका 7.13: पूर्वी उ.प्र. और बुंदेलखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में वेतन भोगी रोजगार, मजदूरी और स्वरोजगार से सामाजिक समूहवार लाभ (1997-98)**

सामाजिक समूह	मासिक वेतन (रु.)			अस्थायी काम की दैनिक मजदूरी (रु.)			निजी/संचालित उद्यमों से शुद्ध मासिक आय (रु.)
	सरकारी कर्मचारी	निजी कर्मचारी	सभी कर्मचारी	कृषि	गैर कृषि	सभी क्षेत्र	
ऊँची जातियाँ	4216	1884	3137	23	49	40	2209
पिछड़े OX	3560	1662	2356	23	45	31	1471
एससी/एसटी	3526	1471	2182	23	42	27	1271
मुसलमान	2000	1760	1782	20	45	33	1256
कुल	3801	1672	2522	23	44	29	1478

स्रोत : विश्व बैंक उ.प्र.-बिहार जीवन स्थिति सर्वेक्षण, 1997-98 से आकलित

अस्थायी मजदूरी वाले काम में विभिन्न सामाजिक श्रेणियों की मजदूरी खेती में लगभग बराबर ही थी, लेकिन गैर-कृषि कार्यों में मजदूरी में काफी अंतर था। एक साथ देखा जाए तो ऊँची जाति के मजदूरों को 40 रुपए प्रतिदिन मजदूरी मिली जबकि एस.सी./एस.टी. मजदूरों को सबसे कम दैनिक मजदूरी (27 रुपए प्रतिदिन) मिली।

निजी उद्यमों या स्वरोजगार से लाभ भी विभिन्न सामाजिक समूहों में अलग-अलग थे। जो ऊँची या मध्यवर्ती जातियों द्वारा संचालित/निजी उद्यम थे उनमें सर्वाधिक लाभ (2209 रुपए प्रतिमाह) दर्ज किया गया जबकि जो अनुसूचित जातियों और मुसलमानों द्वारा संचालित या निजी उद्यम थे उनमें प्रतिमाह शुद्ध लाभ सबसे कम दर्ज किया गया (क्रमशः 1271 रुपए और 1256 रुपए प्रतिमाह)।



हाल के अध्ययन एस.सी./एस.टी. और अन्य मजदूरों के लाभों पर ध्यान देते हैं। इनसे साबित होता है लगभग समान भौतिक और मानव पूंजी होने पर भी संभवतः इन समूहों को कम लाभ मिलता है। अनेक कारणों से ये परिणाम  $ifjy\{kr$  हो सकते हैं- श्रम बाजार का बंटो होना जिसके कारण वे अपेक्षाकृत निम्नस्तरीय नौकरियों में बँधे रहते हैं, सौदेबाजी की कम शक्ति (जैसे, भूमिहीनता और लगभग भूमिहीनता के कारण), श्रम बाजार में भेदभाव, जहाँ वे स्वरोजगार शुदा हैं वहाँ अल्प पूंजी निवेश इत्यादि।

अतः भौतिक और मानव पूंजी तथा बेहतर गुणवत्ता वाले रोजगारों तक वंचित सामाजिक समूहों की पहुँच बढ़ाने के साथ-ही-साथ उन खामियों को

भी ठीक करने की दिशा में कोशिश होनी चाहिए जिनके कारण विभिन्न नौकरियों में उनको कम लाभ मिलता है।

### सामाजिक समूहवार सुविधाओं की उपलब्धता

पिछले कई दशकों में सरकारी नीति एस.सी./एस.टी. परिवारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सभी नागरिकों को न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की ओर लक्षित रही है। हालांकि इस संबंध में स्थिति में बेशक सुधार आया है लेकिन अब भी समुदायों और सामाजिक समूहों में (क्षेत्रों तथा जिलों में भी) अंतराल बने हुए हैं।




LOPN पेयजल और उचित गुणवत्ता वाले मकान मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। इन सूचकांकों के सिलसिले में सामाजिक समूहवार आंकड़े राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 1993-94 में संचालित एन.सी.ए.ई.आर. मानव विकास सर्वेक्षण में उपलब्ध हैं। सर्वेक्षण में पाया गया कि सभी ग्रामीण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों में लगभग 30 प्रतिशत को पेयजल उपलब्ध नहीं है और सभी हिंदू परिवारों में भी इसी के बराबर परिवारों को पेयजल नहीं मिलता। अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की बेहतर पहुँच साफ पेयजल तक है।

ग्रामीण इलाकों में दो-तिहाई से अधिक एस.सी./एस.टी. परिवारों के मकान कच्चे हैं जबकि सभी हिंदू परिवारों में 57.8 प्रतिशत के मकान कच्चे हैं, मुसलमानों में 59.9 प्रतिशत के मकान कच्चे हैं। ये अनुपात राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज अनुपातों के समान ही हैं जिनमें पुनः एस.सी./एस.टी. परिवारों के कच्चे मकानों का अनुपात सबसे अधिक है, इसके बाद मुसलमान परिवार आते हैं।

शौचालय और बिजली जैसी सुविधाओं की पहुँच देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कम ही है। यही हाल उत्तर प्रदेश के ग्रामीण परिवारों का भी है। लेकिन एन.सी.ए.ई.आर. सर्वेक्षण के अनुसार बिजली युक्त ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिकांश सामाजिक समूहों के मामले में काफी कम था। उत्तर प्रदेश में 2.5% एस.सी. परिवारों में ही बिजली थी। इसकी तुलना में सभी हिंदू और मुसलमान परिवारों में से प्रत्येक 30 प्रतिशत परिवारों में बिजली थी। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर 20 प्रतिशत एस.सी./एस.टी. परिवार बिजली युक्त थे।




शौचालय की सुविधा वाले एस.सी./एस.टी. परिवारों की संख्या भी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम है। लेकिन राज्य में आमतौर पर बहुत कम ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध शौचालय सुविधा की पृष्ठभूमि में इसे देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में केवल 5.2 प्रतिशत एस.सी. परिवारों में शौचालय की सुविधा दर्ज की गई। इसकी तुलना में 7.5 प्रतिशत हिंदू परिवारों में यह सुविधा उपलब्ध थी। इससे अधिक अनुपात में (33.3 प्रतिशत) मुसलमान परिवारों में शौचालय सुविधा उपलब्ध थी। उत्तर प्रदेश की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर 9.6 प्रतिशत एस.सी. घरों और 13.2 प्रतिशत हिंदू घरों में शौचालय थे।



LOPN पेयजल, बिजली और शौचालय जैसी सुविधाओं के लिहाज से यह स्पष्ट है कि राज्य स्तर पर इन सुविधाओं तक पहुंच के मामले में अनुसूचित समूहों के मुकाबले कुल मिलाकर गैर अनुसूचित समूह बेहतर स्थिति में हैं। घरों में इन सुविधाओं की उपलब्धता के जिलावार आंकड़े केवल 1991 की जनगणना में ही उपलब्ध हैं लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कुल घरों के संबंध में ही संख्याएं दी गई हैं। LOPN पेयजल, बिजली और शौचालय सुविधा की उपलब्धता 1991 की जनगणना के मुताबिक क्रमशः 55.40 प्रतिशत, 11.86 प्रतिशत और 7.21 प्रतिशत एस.सी. और एस.टी. घरों में थी। गैर एस.सी. और एस.टी. घरों में तुलनात्मक रूप से यही आंकड़े क्रमशः 64.61 प्रतिशत, 25.39 प्रतिशत और 21.77 प्रतिशत थे। इन समूहों के बीच अंतराल ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक ही मुखर था।

वस्तुतः जिलास्तर पर न केवल एस.सी./एस.टी. घरों में इन सुविधाओं की उपलब्धता में अंतर ही मुखर थे, बल्कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य घरों के बीच अंतराल की सीमा और दिशा में भी काफी भिन्न थी। इससे और भी विभेदपरक विश्लेषण की जरूरत पैदा होती है ताकि उन समूहों को चिह्नित किया जा सके जो एस.सी./एस.टी. घरों से भी बदतर स्तर पर हो सकते हैं। जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उनके आधार पर यह कर पाना संभव नहीं है।

उत्तर प्रदेश के घरों में LOPN पानी की उपलब्धता विभिन्न जिलों में काफी अलग-अलग है। गाजियाबाद में घरों में LOPN पानी की उपलब्धता



एस.सी. और एस.टी. घरों (88.48 प्रतिशत) तथा गैर एस.सी./एस.टी. घरों (93.84 प्रतिशत) दोनों ही मामलों में सबसे अधिक दर्ज की गई। एस.सी. और एस.टी. घरों में LOPN पेयजल की सबसे कम उपलब्धता मध्य, पूर्वी और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में दर्ज की गई। मध्य उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एस.सी./एस.टी. घरों में LOPN पेयजल की सबसे कम उपलब्धता (23.59 प्रतिशत) दर्ज की गई। इसके बाद सीतापुर (23.87 प्रतिशत) और सोनभद्र (25.73 प्रतिशत) जिले आते हैं।

आमतौर पर अधिकांश जिलों में LOPN पानी की उपलब्धता एस.सी./एस.टी. घरों में कम ही थी। समग्र Lrj ij शहरी क्षेत्रों में और अधिक मुखर था। लेकिन 19 जिले ऐसे थे जहां ग्रामीण क्षेत्रों में गैर एस.सी./एस.टी. घरों में कम उपलब्धता दर्ज की गई और 3 जिले ऐसे थे जहां शहरी क्षेत्रों में गैर एस.सी./एस.टी. घरों में कम उपलब्धता दर्ज की गई।

**तालिका 7.14 : 1991 में ग्रामीण क्षेत्रों में एससी और एसटी को उपलब्ध सुविधाओं के समेकित स्थानक्रम के अनुसार क्रमबद्ध जिले**

Øe	ftys	Øe	ftys	Øe	ftys
1	गढ़वाल*	24	बिजनौर	43	सोनभद्र
2	गाजियाबाद	24	मुरादाबाद	44	बस्ती
3	चमोली*	24	झांसी	45	आगरा
4	देहरादून*	25	बरेली	46	फर्रुखाबाद
6	मेरठ	26	गोरखपुर	47	गोंडा
6	मऊ	27	मथुरा	48	प्रतापगढ़
7	टिहरी गढ़वाल*	28	गाजीपुर	49	सिद्धार्थनगर
8	उत्तरकाशी*	29	फैजाबाद	50	इटावा
9	अयोध्या*	30	जालौन	51	रायबरेली
10	नैनीताल*	31	जौनपुर	52	कानपुर (देहात)
11	बलिया	32	वाराणसी	53	बांदा
12	आजमगढ़	33	इलाहाबाद	54	फतेहपुर
13	पिथौरागढ़*	35	शाहजहाँपुर	55	बहराइच
14	हरिद्वार*	35	सुल्तानपुर	56	हमीरपुर
15	पीलीभीत	36	बदायूं	57	एटा
17	रामपुर	37	मिर्जापुर	58	लखनऊ
17	मुर्शिदाबाद	38	कानपुर (नगर)	59	ललितपुर
19	बुलंदशहर	40	फिरोजाबाद	60	बाराबंकी
19	महाराजगंज	40	खीरी	61	उन्नाव
21	सहारनपुर	42	अलीगढ़	62	सीतापुर
21	देवरिया	42	मैनपुरी	63	हरदोई

टिप्पणी : \* युक्त जिले अब उत्तरांचल राज्य में हैं।

पहले ही बताया जा चुका है कि 11.8 प्रतिशत एस.सी./एस.टी. घर और 25.4 प्रतिशत अन्य घर 1991 में बिजली युक्त थे। राज्य के शहरी क्षेत्रों में बिजली युक्त घरों का अनुपात अधिक था (50% एस.सी./एस.टी. घर और 71.2% गैर एस.सी./एस.टी. घर)। राज्य के एस.सी./एस.टी. घरों में बिजली की उपलब्धता सबसे कम (1.82 प्रतिशत) हरदोई में थी जबकि सबसे अधिक उपलब्धता (48.3 प्रतिशत) कानपुर नगर में थी। एस.सी./एस.टी. घरों में सबसे कम बिजली की उपलब्धता हरदोई, सिद्धार्थनगर, बहराइच, फतेहपुर, सीतापुर, बाराबंकी, बांदा, गोंडा और बस्ती जिलों में थी। ये जिले मुख्यतः राज्य के मध्य, पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में हैं। दूसरी तरफ एस.सी./एस.टी. घरों में बिजली की सबसे अधिक उपलब्धता राज्य के उत्तरांचल और पश्चिमी क्षेत्र में थी (कानपुर नगर, इसके बाद देहरादून, गाजियाबाद, आगरा,

गढ़वाल, मेरठ, नैनीताल, उत्तरकाशी, हरिद्वार, अलमोड़ा और चमोली)।

जहां सभी जिलों में बिजलीयुक्त गैर एस.सी./एस.टी. घरों का अनुपात काफी अधिक था वहीं चार जिलों (गढ़वाल, फिरोजाबाद, एटा और मैनपुरी) के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली युक्त एस.सी./एस.टी. घरों का अनुपात थोड़ा अधिक था तथा एक जिले (मथुरा) के शहरी क्षेत्र में भी ऐसा ही था।

1991 में उत्तर प्रदेश में शौचालय सुविधा युक्त घर काफी कम थे लेकिन एस.सी./एस.टी. और अन्य घरों के बीच अंतराल बहुत अधिक था। जहां 7.2 प्रतिशत एस.सी./एस.टी. घरों में शौचालय सुविधा थी वहीं 21.7 प्रतिशत गैर एस.सी./एस.टी. घरों में यह सुविधा थी। एस.सी./एस.टी. और अन्य के बीच सुविधाओं के मामले में अंतराल शहरी क्षेत्रों में खासकर मुखर था जहां 39.6 प्रतिशत एस.सी./एस.टी. घरों में तथा 71.8 प्रतिशत गैर एस.सी./एस.टी. घरों में शौचालय थे।

एस.सी./एस.टी. घरों में शौचालय सुविधा की जिलावार उपलब्धता की सीमा सिद्धार्थनगर में 1.18 प्रतिशत से लेकर कानपुर नगर में 48.3 प्रतिशत तक थी। निचले सिरे पर जो अन्य जिले थे (हरक में शौचालय सुविधा वाले एस.सी./एस.टी. घर 2% से कम), वे थे: प्रतापगढ़, हरदोई, जौनपुर, बाराबंकी, बस्ती, सुल्तानपुर, सीतापुर, और फतेहपुर। ये सभी मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। ऊपरी सिरे पर देहरादून के बाद रामपुर, गाजियाबाद, देहरादून, आगरा, मथुरा और मेरठ थे। ये सभी राज्य के पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरांचल में पड़ते हैं।

**तालिका 7.15 : 1991 में शहरी क्षेत्रों में एससी और एसटी को उपलब्ध सुविधाओं के समेकित क्रमस्थान के अनुसार क्रमबद्ध जिले**

Øe	ftys	Øe	ftys	Øe	ftys
1	पिथौरागढ़*	22	फिरोजाबाद	43	फर्रुखाबाद
2	उत्तरकाशी*	23	शाहजहाँपुर	44	गाजीपुर
3	इलाहाबाद	24	जालौन	45	महाराजगंज
4	गढ़वाल*	26	अल्मोड़ा*	46	जौनपुर
5	मथुरा	26	रामपुर	47	सोनभद्र
7	टेहरी गढ़वाल*	27	चमोली*	48	सीतापुर
7	आगरा	28	फैजाबाद	49	ललितपुर
9	देहरादून*	29	बलिया	50	बरेली
9	मेरठ	30	नैनीताल*	51	रायबरेली
10	वाराणसी	31	झांसी	52	बिजनौर
11	गाजियाबाद	32	लखनऊ	54	मैनपुरी
13	गोरखपुर	33	मुजफ्फरनगर	54	बांदा
13	मऊ	35	अलीगढ़	55	प्रतापगढ़
14	आजमगढ़	35	मिर्जापुर	56	खीरी
15	सहारनपुर	37	एटा	57	उन्नाव
16	कानपुर (नगर)	37	सुल्तानपुर	58	कानपुर (देहात)
18	हरिद्वार*	38	बदायूं	59	बाराबंकी
18	पीलीभीत	39	बस्ती	60	हमीरपुर
19	बुलंदशहर	40	इटावा	61	फतेहपुर
21	मुरादाबाद	41	बहराइच	62	हरदोई
21	गोंडा	42	देवरिया	63	सिद्धार्थनगर

टिप्पणी: \* युक्त जिले अब उत्तरांचल राज्य में हैं।

1. जिन सुविधाओं के बारे में जिला स्तर पर जनगणना में आँकड़े उपलब्ध हैं और उनका उपयोग किया गया है, वे हैं 1. साफ पेय जल की उपलब्धता 2. एक से अधिक कमरों की उपलब्धता 3. बिजली और 4. शौचालय।


ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को उपलब्ध सुविधाओं के लिहाज से जिलों के क्रम स्थान के आधार पर समेकित क्रम स्थान की गणना की गई है और उसे (तालिका 7.14 और 7.15) में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग प्रस्तुत किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ऊपर के तकरीबन सभी जिले पहाड़ और पश्चिमी क्षेत्र के हैं, लेकिन कुछ जिले (मऊ, बलिया और आजमगढ़) पूर्वी क्षेत्र के भी हैं। सबसे नीचे के अधिकांश जिले मध्य क्षेत्र के हैं, लेकिन कुछ-कुछ सभी क्षेत्रों (पहाड़ों को छोड़कर) के हैं।

शहरी क्षेत्रों की भी स्थिति लगभग ऐसी ही है। लेकिन अनेक जिलों का क्रम बदल गया है क्योंकि बड़े शहरों (इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ) वाले अनेक जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में एस.सी./एस.टी. की सुविधाओं के मामले में बेहतर क्रम स्थान दिखाई पड़ता है।

### सुरक्षा और अपराध

अपराध को सामुदायिक विखंडन का एक प्रमुख सूचकांक माना जाता है क्योंकि इससे उस लोक का पता चलता है जहां तक व्यक्ति समुदाय की नैतिक और सामाजिक जरूरतों के अनुरूप रह नहीं पाते। अपराध, अपराध का भय और असुरक्षा का बोध किसी क्षेत्र में जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं और सामाजिक व्यवस्था के अन्य आधारों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर देते हैं।

जातीय आधार पर किए गए अपराध सबसे गंभीर अपराध हैं। देश में होने वाली जातीय हत्याओं में से 50 प्रतिशत से अधिक हत्याएँ उत्तर प्रदेश में होती हैं। राज्य में हर महीने औसतन 20 जातीय हत्याएँ होती हैं। एस.सी./एस.टी. समुदाय की महिलाओं के विरुद्ध हिंसा भी काफी अधिक है। राज्य में



**तालिका 7.16 : 1998 में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध घटित अपराध**

अपराध	उत्तर प्रदेश		भारत		
	घटना	प्रति लाख जनसंख्या	भारत में अपराध का % पर दर	घटना प्रति लाख जनसंख्या पर दर	
हत्या	259	0.2	50.2	516	0.1
बलात्कार	238	0.1	25.8	923	0.1
अपहरण	139	0.1	54.9	253	0.0
एससी/एसटी एक्ट	2737	1.7	36.8	7443	0.8
कुल	6511	4.0	25.4	25638	2.6

हर महीने औसतन 20 महिलाएं बलात्कार का शिकार होती हैं। एस.सी./एस.टी. (उत्पीड़न निरोधक) अधिनियम के तहत राज्य में हर महीने तकरीबन 230 मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। यह संख्या देश में दर्ज होने वाले ऐसे मुकदमों का तकरीबन 37 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध संज्ञेय अपराधों की दर (प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध) 3.97 है। इसकी तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर यह 2.64 है। बहरहाल, राज्य में दोषसिद्धि दर अखिल भारतीय दोषसिद्धि दर से काफी अधिक है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) के आंकड़ों से पता चलता है कि 1998 में एस.सी./एस.टी. उत्पीड़न निरोधक अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश में दोष सिद्धि दर 50.54 प्रतिशत थी, जबकि राष्ट्रीय दोषसिद्धि दर 32.97 प्रतिशत थी।

### बंधित सामाजिक समूहों के लिए सरकारी हस्तक्षेप

राज्य में बंधित सामाजिक समूहों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियां और धार्मिक अल्पसंख्यक) की स्थिति सुधारने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई कार्यक्रम और रणनीतियाँ शुरू कर चुकी हैं।

अनुसूचित जातियों के पक्ष में हस्तक्षेप का इतिहास राज्य में सबसे पुराना है। अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचना तो उत्तर प्रदेश में 1967 में जारी हो सकी। अन्य पिछड़ी जातियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के पक्ष में हस्तक्षेप का दायरा भी पिछले कुछ वर्षों में ही बढ़ा है।

### अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां

राज्य में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक स्थिति सुधारने के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए गए वे हैं:

- सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में 21 प्रतिशत तक आरक्षण;
- भूमि वितरण, आई.आर.डी.पी., जे.आर.वाई. (अब जी.एस.वाई.) और ई.ए.एस. जैसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में अनुपात से अधिक का लक्ष्य और आवंटन;
- एस.सी./एस.टी. के अधिक अनुपात वाले गांवों/बस्तियों में सुविधाओं और बुनियादी अधिसंरचना का प्राविधान
- उत्पीड़न और शोषण निरोधक उपाय तथा (जनजातियों के लिए) जमीन बेदखली रोकना;
- वुड फ़ोर टर्नर; लॉ वुड टूटफ़र; लॉ द्स फोडल द्स फु, ifj0;; द्क व्कोवु
- एस.सी./एस.टी. बच्चों के लिए प्रोत्साहनों (छात्रवृत्तियां, फीस माफी, किताबें और कोचिंग) का प्रावधान, स्कूली अधिसंरचना (अलग आवासीय स्कूल) को सुदृढ़ करना, और उनके लिए प्रशिक्षण और कोचिंग कार्यक्रम;
- विकास के लिए वित्तीय l gk; rk mi yC/k कराने हेतु वित्त निगमों की स्थापना;
- मैला ढुलाई जैसे निम्नस्तरीय कामों से मुक्त करने के लिए विशेष कार्यक्रम।

पहले दो ipo "khz दार्यक्रमों में एस.सी./एस.टी. की शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कल्याणकारी योजनाओं का सामान्य दृष्टिकोण तथा जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया था। इनकी जगह पर आर्थिक और मानव संसाधन विकास प्रयासों पर केंद्रित ज्यादा व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया।

o"lz 1967 ea mRrj insk ea ikp vud fpr tutkfr; kw dks fplgr fd;k x;k gS tks Fkk: ] tkil kjh Hkkv; k] cDlk ,oa

jkth] FkA forrh; o"lz 2000-01 ea mRrj kpy jkT; dk xBu gkus ds QyLo: i tkil kjh Hkkv; k ,oa jkth vud fpr tutkfr mRrj kpy jkT; ea pyh x;h vjg uoxfBr mRrj insk ea ek= nks vud fpr tutkfr cDlk ,oa Fkk: jghA o"lz 2003 ea Hkkjr ljdkj us uoxfBr mRrj insk ea ek= nks vud fpr tutkfr cDlk ,oa Fkk: jghA o"lz 2003 ea Hkkjr ljdkj us uoxfBr mRrj insk e&&

- 1- xkM] ?kj; k] uk; d] vks-k] i Bkj] jkt dM ftyk& egjktxat] fl }kFzuxj] cLrh] xlg [ki] nbfj; k] eA vktex<} tkil] cfy; k] xkthi] okjk.kl h] fetk] ,oa lksHknz ea A
- 2- [kjok] [k]ok] nbfj; k] cfy; k] xkthi] okjk.kl h] ,oa lksHknz ftys gA
- 3- lgfj;k& ftyk yfyri] ea
- 4- igfj;k&lksHknz tuin ea
- 5- cSk& lksHknz tuin ea
- 6- i[kk] ifudk] ftyk& lksHknz ,oa fetk] ea
- 7- vxfj;k& ftyk lksHknz ea
- 9- pjkk& lksHknz ,oa okjk.kl h ftyk ea
- 10- Hkq; k] Hkq; k & lksHknz tuin ea vf/kl fpr dhA

ikpoh ;kstuk ea tutkrh; mi ;kstuk Lohdr dh x;h vjg NBoh ;kstuk ea fo'kks ?Vd ;kstuk Lohdr dh x;hA ifj.kke Lo: i muds fodkl ds fy, vyx vko'vu gq'ka vkBoha ;kstuk ds nksku , lO i hO@, lO vHO l ekt ds vl; oxk ds chip vlRjky ?Vkus vjg muds mRi hMta ds lsr l ekr djus ij tk] fn; k x; k gA ;kstuk ds vlre lky , lO i hO@vHO, lO i hO ds fy, vko'vu jkT; dh tul ;k ea muds vudkr ds fgl kc l s fd; k x; kA bl h idkj uoha ;kstuk ea , lO i hO@vHO, lO i hO ds fy, jkT; ea mudh tul ;k ds vudkr ds fgl kc l s ctV vko'vu ea ek=kj.k dk de tkjh jgk rFkk , lO i hO@vHO, lO i hO dh ;kstuk ds l h d j .k] fujh{k.k ,oa eW; kdu ea enn djus ds fy, l ekt dY; k.k foHkx ds vlRr , d fo'kks l y %dY; k.k fu; kst u idkSB½ LFkfr fd; k x; k FkA nl oha ;kstuk ea forrh; o"lz 2003&04 l s Lis ky dEi ksh lyku ,oa VRboy l clyku ds fy, , d vyx l s vupku l ;k&83 l ftr fd; k x; k vjg i d ea fd; s tkus okys ek=kj.k dks l ekr djrs gq vud fpr tkr@vud fpr tutkfr ds dY; k.kFz foHkU fodkl foHkxka ea vyx l s ctV vko'vu dh dk; Bkgh dh x; h bl ds vfrfjDr l ekt dY; k.k vk; Dr dh v/; {rkr ea i e[k l fpo fu; kst u ,oa i e[k l fpo forr ds l kFk , d l efr xBr djrs gq l ekt dY; k.k vk; Dr dks fu; kst u foHkx dh Hkh 'kfrDr; kw inRr dj nh x; hA bl idkj vud fpr tkr@vud fpr tutkfr ds fy, l ekt dY; k.k vk; Dr dks , lO i hO@vHO, lO i hO lyku cuk] foHkUok foHkxka dks fu; kst u foHkx dh Hkkv' vko'; d ifj0;; fu/kkZr djus ctV vko'vu ea vko'; d iqfofu; kx djus rFkk Lohdr; kw tkjh djus dk dk; l k k x; kA ek=kj.k l ekr dj

bl 0; oLFk dks ykxw djus dk e[; m)S; ;g Fkk fd , lOl hO@, lO VhO dh vko'; drk ds vuq i rFkk muds vkj cgrj dY; k.kFkZ ifj; kstuk; a lpkfyr gls lclA

### बाक्स 7.3 : उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का विकास—

1967 में उत्तर प्रदेश में पाँच अनुसूचित जनजातियाँ चिह्नित की गईं। 1984-85 में अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए अलग से अनुसूचित जनजाति विकास निदेशालय की स्थापना की गई। इसके पहले समाज कल्याण निदेशालय अनुसूचित जनजाति संबंधी सभी गतिविधियों की देखरेख करता था।

जनजातीय विकास निदेशालय की स्थापना मुख्यतः उ.प्र. में अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर उठाने के लिए की गई। यह मानव संसाधन विकास, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन संबंधी योजनाओं की देखरेख तो करता ही है अनुसूचित जनजातियों के किसी भी तरह के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक शोषण से उन्हें संरक्षण भी देता है।

इस समय 24 सरकारी आवासीय विद्यालय इस विभाग के प्रबंधन में चलते हैं जिनमें से विशेषकर छात्राओं के 4 हाईस्कूल, 3 जूनियर हाईस्कूल और 2 प्राइमरी स्कूल हैं। इसी तरह लड़कों के 8 हाईस्कूल, 7 जूनियर हाईस्कूल विभाग द्वारा चलाए जाते हैं। इन स्कूलों में भोजन, वस्त्र, स्टेशनरी, दवाई इत्यादि मुफ्त दी जाती है। इसके अतिरिक्त विभाग स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों को भी अनुदान देता है। छात्रवृत्तियाँ भी दी जाती हैं। 1998-99 में 3400 छात्र सरकारी आवासीय स्कूलों से लाभान्वित हुए और 16980 को छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिला।

जनजातीय छात्रों को तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विभाग उधमसिंह नगर जिले के 1/2 orèku ea mkrjky jkT; e[ खटीमा और गुलेरभोज में दो सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान pyk; s tk jgs g[ 1998 में देहरादून 1/2 orèku ea mkrjky jkT; e[ जिले के चकराता में एक सरकारी आई.टी.आई. की स्थापना की गई है।

अनुसूचित जातियों के ykH के लिए विभाग की ओर से पहाड़ों में पाँच समेकित जनजातीय विकास योजनाएँ 1/2 orèku ea mkrjky jkT; e[ और मैदानों में 3 विकास योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के अलावा जनजातियों को सस्ती कीमत पर दैनिक vko'; drk की वस्तुएँ miyC/k djkus ds n'Vdksk l s देहरादून 1/2 orèku ea mkrjky jkT; e[ में विकासनगर तथा उधमसिंह नगर में खटीमा 1/2 orèku ea mkrjky jkT; e[ में दो जनजातीय विकास सहकारी यूनियनें चलाई जा रही हैं।

वर्ष 1999-2000 में दिसंबर 1999 तक योजना व्यय मैदानी इलाके में 1/2 orèku ea mkrjky jkT; e[ 76.68 लाख रुपए और पहाड़ी इलाके में 133.18 लाख रुपए था, गैर-योजना व्यय क्रमशः 556.11 लाख रुपए और 765.97 लाख रुपए था।

इस दृष्टिकोण की एक प्रमुख समस्या यह रही कि मौजूदा योजनाओं में मनमाना परिमाण निर्धारित किया गया और इन वर्गों के बुनियादी विकास संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए कोई विशेष रणनीति नहीं बनाई गई (जी.ओ.यू.पी., नौवीं योजना)। परिणाम यह निकला कि छठवीं और सातवीं

योजना में अल्प आवंटन हुए (9 से 13 प्रतिशत के बीच) और खर्च भी कम किया गया। केंद्र द्वारा प्रदत्त विशेष केंद्रीय सहायता का भी यही हथ्थ हुआ।

छठवीं योजना के बाद से अपनाए गए लाभकारी कार्यक्रमों में एस.सी./एस.टी. घरों और व्यक्तियों के विकास पर विशेष जोर दिया गया। 1999-2000 के दौरान रोजगार योजनाओं (ई.ए.एस. और जी.एस.वाई.) में 52 प्रतिशत लाभान्वित एस.सी./एस.टी. घरों के थे। इसी तरह स्वरोजगार योजनाओं के 51 प्रतिशत से अधिक लाभान्वित एस.सी./एस.टी. घरों के थे। पहले ही बताया गया है कि भूमि वितरण कार्यक्रमों के तहत अधिकांश लाभान्वित भी अनुसूचित जाति और जनजातियाँ ही थीं।

दसवीं योजना का दृष्टिकोण अनुसूचित जातियों और जनजातियों की गरीबी में उनके आर्थिक आधार के विविधीकरण और उत्पादक संपत्तियों के सृजन के जरिए काफी कमी ले आना है। योजना में मानव संसाधन विकास तथा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के पर्याप्त प्रावधान और शोषण के विरुद्ध शारीरिक और आर्थिक सुरक्षा पर भी बल दिया गया है।

शिक्षा के क्षेत्र में उ.प्र. सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। उनमें शामिल हैं : कक्षा 8 तक छात्रवृत्ति का सार्वभौमिक प्रावधान, d{k 9] 10 rFkk n'kelrj d{kvk ea 0; olkf; d iBdeka rd Nk=ofrr , oa 'kyd dk i mtkqrku आश्रम टाईप स्कूलों की स्थापना और mudk d{k 12 rd dk mppkhdj.k] एस.सी./एस.टी. के लिए छात्रवास सुविधा बढ़ाना (Nk=kvka , oa vLoPN i s ea yxs ykka ds cPpa ds fy, fo'kSk : i l s /; ku nrs gg Nk=ofrr vkfn dh l fjo/kk miyC/k djjukA), बुक बैंक, efjV mpphd r ; kstuk] vkbD, 0, l O] ihOl hO, l O dkspx dh l fjo/kk miyC/k djjuk vkfn ds tfj, fo'kSk शैक्षिक सुविधाओं का प्रावधान।

1980 में उत्तर प्रदेश एस.सी. वित्त और विकास निगम की स्थापना की गई। यह एस.सी. उद्यमियों को तकनीकी, प्रबंधकीय और बाजार संबंधी सहायता मुहैया कराता है। स्थापना के बाद से 1.5 मिलियन से अधिक को वित्तीय सहायता दी जा चुकी है।

इन जाति समूहों के लोगों के लिए अनेक अन्य विकास संबंधी और सामाजिक कार्यक्रम चल रहे हैं। उदाहरण के लिए लड़कियों की शादी और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की योजनाएँ।

कुल मिलाकर सरकार ने राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आर्थिक और सामाजिक विकास, सामाजिक सुरक्षा और संरक्षण तथा सामाजिक और भौतिक सार्वजनिक अधिसंरचना के प्रावधान की विशाल इमारत बनाई है।

### पिछड़ी जातियाँ और अल्पसंख्यक

राज्य की जनसंख्या में लगभग 36 प्रतिशत पिछड़ी जातियाँ हैं। उनके विकास स्तर में rki jrk लाने के दृष्टिकोण से सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों और शैक्षिक {k=ka में आरक्षण का दायरा 27 प्रतिशत बढ़ाया है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार राज्य में सभी चुनावी पदों पर पिछड़ी जातियों को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

0"l 1995-96 तक पिछड़ी जातियों के विकास के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने के mkrjnkf; Ro समाज कल्याण विभाग dk FkkA उसके बाद सरकार ने vyx l s , d fi NMk oxL dY; k.k foHkx l ftr fd; ka bu fi NMk tkfr; k[ के शैक्षिक विकास grq i m l n'ke ea ek= dN Nk=ka dks Nk=ofrr inku dh tkrh Fh] ijUrq ljdkj us vc forrh; 0"l 2004&05 l s fi NMk tkfr; ka ea i m l n'ke ds l eLr Nk=ka , oa n'kelrj Nk=ofrr vuq fpor tkfr dh HkkM nuss



dk ikfo/kku dj fn;k gA bl ds vfrfjDr mRrj insk fiNMh  
tkfr foRr ,oa fodkl fuxe fiNMh tkfr;ka ds m|fe;ka dks  
foRrh; l gk;rk Hkh inku djrk gA

### बाक्स 7.4

jkT; ljdkj us o"iz 1993 ea jkT; fiNMh oxz vk; sx dk  
Hkh xBu fd;k gS tks fd fiNMh oxz ds ykxka dh  
f'kdk; rka ds fujkdj.k gsrq l qok;h djrk gS vkj muds  
fof/k ekl; l ek/kku gsrq fofHkUk l EcfU/kr fofHkxka dks  
l efrpr dk; bkg h gsrq funz k nrk gS vkj mudk vuqkyu  
l fuf'pr djrk gA vk; sx insk dh fofHkUu tkfr;ka dks  
fiNMh tkfr ea 'kfe y fd; s tkus vFkok 'kfe y u fd; s  
tkus ds ckjs ea ikr iR; kosuka ij Hkh 'kkl u dks viuk  
ijke' iz nrk gA

राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर मुसलमानों, सिखों, बौद्धों, ईसाइयों और पारसियों को उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय घोषित किया FkkA ckn ea 29 eplZ 2003 dks tS l eplk; dks Hkh vYil f; k l eplk; ?kks"kr dj fn;k x; kA tS k fd iwl ea gh बताया गया है कि अल्पसंख्यकों में सबसे बड़ा समूह eflye हैं और राज्य की जनसंख्या में इनकी आबादी 17.33 प्रतिशत है। अन्य अल्पसंख्यक समुदाय राज्य की जनसंख्या में एक प्रतिशत से कम हैं। सरकार ने उन जिलों को अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र घोषित किया है जहां की समूची जनसंख्या में अल्पसंख्यक 20 प्रतिशत या उससे अधिक हों। इन जिलों की संख्या 21 है: रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, शाहजहांपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, हरिद्वार, बहराइच, सिद्धार्थनगर, मेरठ, पीलीभीत, गोंडा, नैनीताल, YmRrjkpy jkT; eB गाजियाबाद, बाराबंकी, बदायूं, लखनऊ, देवरिया, कानपुर नगर और बुलंदशहर। eflyeka ea f'k{kk की पहुंच बढ़ाने और स्वरोजगार अवसरों को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

### बाक्स 7.5 : उ. प्र. सरकार और अल्पसंख्यकों का विकास

अल्पसंख्यकों के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए उ.प्र. सरकार कई योजनाएं चलाती है। इन स्कीमों और योजनाओं के संचालन, प्रबंधन और संयोजन के लिए उ.प्र. सरकार ने 1995-96 में एक अलग विभाग बनाया जिसका नाम अल्प संख्यक कल्याण और वक्फ विभाग था।

ljdkj dk ,d e[; m)S; vYil f; dka ea vf'k{kk nj dks ?KVuk rFkk f'k{kk dks i kkl kgu nsuk gS iwl ea ljdkj vYil f; dka dks iwl n'ke Nk=ofRr inku djrh ijUrq foRrh; o"iz 2004&05 l s vuq fpr tkfr dh Hkh n'ke kRrj Nk=ofRr nsus dk Hkh ikfo/kku dj fn;k x;k gA enj l k eDrcka ea xf.kr vxat h foKku] fgluh] dEl; Wj vkj 0; ol kf; d f'k{kk dks 'kfe y dj mUga vk/kqud cukus dk dk; bE Hkh vc pyk; k tk jgk gA शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए अल्पसंख्यक बाहुल इलाकों में अल्पसंख्यकों के लिए u dpy उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोलने tk jgs gS vfi r q Nk=kvka ds fy, Nk=kokl Hkh fufeZ djus dk dk; l fd; k tk jgk

gA vYil f; dka }kjk स्थापित और संचालित शैक्षिक संस्थाओं को 'अल्पसंख्यक संस्थान' का दर्जा ljdkj देती है।

विभाग का लक्ष्य वक्फ संपत्ति को विकसित करना और उसकी अर्जित आय को बढ़ाना भी है। इसके साथ अल्पसंख्यक औरतों/बच्चों और वृद्धों की स्वास्थ्य कार्यक्रमों तक पहुँच बनाना, निजी और अर्धसरकारी क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के रोजगार की योजनाएँ लागू करना तथा उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम के जरिए स्वरोजगार सृजन के लिए ऋण, सावधि ऋण और अतिरिक्त राशि मुहैया कराना तथा प्रतिभाशाली छात्रों को उच्चतर व्यावसायिक शिक्षा के लिए ब्याजमुक्त ऋण मुहैया कराना भी इसके काम हैं।

सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विभाग में शामिल हैं : सर्वे कमिश्नर, वक्फ; निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण; उ.प्र. अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम; उ.प्र. हज कमेटी; उ.प्र. सुन्नी सेंट्रल बोर्ड आफ वक्फ; उ.प्र. शिया सेंट्रल बोर्ड आफ वक्फ; उ.प्र. अल्पसंख्यक आयोग; इंस्पेक्टर/रजिस्ट्रार, अरबी/फारसी मद्रसे, उ.प्र. और वसिका कार्यालय। ये इकाइयाँ विभाग के अनेक कार्यक्रमों का संचालन, प्रबंधन और संयोजन करती हैं। 1997-98 में विभाग का योजना और गैर योजना व्यय 15067.83 लाख रुपए था। वर्ष 2000-2001 की अनुमानित राशि 17923.12 लाख रुपए थी। foRrh; Ok"iz 2002&03 ea vk; kstuxr 0; ; : 0 1156-34 yk[k Fkk vkj vk; ksturj i{k ea : 0 14720-07 yk[k 0; ; fd; k x; k tcf d o"iz 2004&05 ea : 0 405-17 yk[k dk vk; &0; ; ikfo/kku dj; k x; kA

### निष्कर्ष:

### उत्तर प्रदेश में मानव विकास और सामाजिक समूह—हम कहां खड़े हैं ?

इस अध्याय में जो समीक्षा की गई वह उत्तर प्रदेश के सामाजिक समूहों में मानव विकास की स्थिति से संबंधित सीमित तौर पर उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित gS हालांकि अति वंचित सामाजिक समूहों के विकास पर लगातार विशेष ध्यान दिया गया है और हाल में उसमें विस्तार भी आया है फिर भी उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के बीच वंचित सामाजिक समूहों के मानव विकास स्तर में भारी अंतर मौजूद है। यही अंतर राज्य के विभिन्न सामाजिक समूहों में भी है। इन अंतरों में कमी आती भी दिखाई दे रही है, लेकिन उसकी रफ्तार काफी Mch है।

राज्य और क्षेत्रों के स्तर पर विभिन्न सामाजिक श्रेणियों की शैक्षिक भागीदारी में भारी असमानताएं हैं। इस मामले में मुसलमान और अनुसूचित जाति के बच्चे सर्वाधिक वंचित हैं। यह वंचना विभिन्न समूहों की शैक्षिक उपलब्धता में भी प्रकट होती है। स्वास्थ्य परिणामों और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच के लिहाज से अनुसूचित और पिछड़ी जातियां सबसे कमजोर हैं।

गरीबी और आय-स्तरों के विश्लेषण से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक श्रेणियों में भारी विभेद हैं और पुनः अनुसूचित जातियां और मुसलमान उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वंचित समूह दिखाई पड़ते हैं। मुख्य उत्पादक संसाधन (जमीन) तक उनकी पहुंच से भी यह उजागर होता है। गरीबी और सामाजिक वंचना ने वंचित समूहों के अधिकांश बच्चों को श्रम बाजार में i gpk दिया है। स्वतंत्रता के बाद की अनेक नीतिगत पहलकदमियां भी कठोर पारंपरिक श्रम विभाजन को सुधार नहीं पाई हैं और आज भी पेशागत तारतम्य के ऊपरी हिस्सों में ऊंची जातियों की बहुतायत है। दिलचस्प बात यह है कि समान स्तर



की शारीरिक और मानव-पूँजी लगाने के बाद भी सामाजिक तौर पर वंचित समूहों को लाभ कम मिलता है।

विभिन्न जिलों के बीच का अंतर मिला-जुला है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का शिक्षा स्तर, जमीन तक उनकी पहुंच और अन्य सुविधाओं के मामले में विभिन्न जिलों में काफी विभेद है। अनुसूचित जातियों के आंकड़े उपलब्ध हैं। एस.सी./एस.टी. और अन्य जातियों के बीच अंतराल भी काफी अलग-अलग है। कुछ मामलों में अंतराल अप्रत्याशित दिशा में है। एस.सी./एस.टी. घरों में सुविधाओं की पहुंच अधिक दर्ज की गई है। इन दोनों आयामों के संबंध में गहराई से छानबीन और विश्लेषण की जरूरत है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि राज्य के सकारात्मक हस्तक्षेप की एक बड़ी

भूमिका एस.सी./एस.टी., जिन पर वंचना का बोझ सबसे अधिक होता है, तथा अन्य समूहों के बीच अंतर घटाने में रही है। लेकिन माना जाता है कि इन समूहों के पक्ष में किए गए निवेश का कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं हुआ है। यह भी पूछने की जरूरत है कि योजनाओं की संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल कर सकी है या नहीं। इसलिए समूहों के दृष्टिकोण के व्यवस्थित और व्यापक मूल्यांकन की जरूरत है।

मानव विकास का स्तर और वंचित सामाजिक समूहों को विकास की परिधि में ले आने के मामले में राज्य के प्रयासों में व्यापकता तो आई है लेकिन प्रगति का आंकड़ा करने के लिए आंकड़ा आधार बहुत कमजोर है। राज्य में विभिन्न सामाजिक समूहों में विकास के स्तर के संबंध में कोई व्यवस्थित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

## प्रशासन और विकेन्द्रीकरण

**आमतौर पर यह माना जाता है कि उत्तर प्रदेश की गरीबी, पिछड़ेपन और अल्प मानव विकास में कमी का प्रमुख कारण प्रशासन में शिथिलता तथा व्यापक भ्रष्टाचार है।**

आर्थिक वृद्धि दर सुस्त है और राजस्व संकट बढ़ रहा है। ऐसे में शासन में सुधार एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। सेवाओं की खराब अदायगी, नियमों और विनियमों की भरमार और सार्वजनिक धन का बेहिसाब तथा व्यर्थ खर्च, कमजोर प्रशासन के लक्षण हैं जो उत्तर प्रदेश की प्रगति को बाधित करने वाला एक प्रमुख कारक है।

1996 के बाद राज्य सरकार ने प्रशासन के कई गंभीर आयामों में सुधार और संशोधन के लिए एक महत्वपूर्ण *ifdzk dk ikjEHk fd;kA* 1999 तक उतार-चढ़ाव से गुजरती हुई यह प्रक्रिया आगे बढ़ती रही। सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रशासनिक सुधार में अब तक तीन मुख्य आयामों पर जोर दिया गया है:

**पारदर्शिता में बढ़ोत्तरी :** सामान्य जनता तक सूचना प्रवाह में बढ़ोत्तरी मनमानेपन पर अंकुश लगाएगी।

**जवाबदेही को बढ़ाना :** इसका *vfkz* है कि निर्णय लेने (और लागू करने) वाली कार्यपालिका अपने निर्णयों के लिए जवाबदेह होगी। इसका अर्थ होगा कि गलत निर्णयों को तेजी से सुधार लिया जाएगा और उनकी पुनरावृत्ति आसान नहीं होगी।

**सरकार की संरचना और भूमिका में परिवर्तन :** इसमें सरकार की भूमिका और प्रकार्यों की समीक्षा शामिल है। सरकार, चिंता के मुख्य क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित करे और जहां उसकी *vko' ; drk* नहीं है उन क्षेत्रों में उसकी भूमिका घटानी होगी।

इन सारे उपायों को एक साथ करने पर आशा की जा सकती है कि ज्यादा तेज मानव विकास करने में सरकार की सक्षमता बढ़ेगी।

ढाँचागत परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पहलू विकेन्द्रीकरण है। इसमें प्रशासनिक सुधार के अन्य सभी तत्व समाहित हो जाते हैं।

हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण आधार विकेन्द्रीकरण रहा है इसलिए इस अध्याय में खासकर ग्रामीण उत्तर प्रदेश में विकेन्द्रीकरण और सत्ता अंतरण के क्षेत्र में हाल की प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

### उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार और उसका प्रभाव

भ्रष्टाचार के दो कारण सुविख्यात हैं- एकाधिकार और स्वनिर्णय।

सरकार के एकाधिकारी प्रकृति के कार्य अक्सर ऐसे बोझिल कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं के जरिए सामने आते हैं जो निर्णय लेने की प्रक्रिया को भरपूर अपारदर्शी और कठिन बना देते हैं। इनके कारण साधारण रोजमर्रा के काम असाधारण रूप से बढ़ जाते हैं जिसे पेशेवर दलाल ही करा सकते हैं और अधिकारियों को उन्हीं के जरिए काम करने की आदत पड़ जाती है।

इसलिए उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सुधारों का लक्ष्य है% नौकरशाही के बोझ को खत्म करना (नौकरशाही के आकार को प्रतिवर्ष *yxHkX* 2 प्रतिशत

की दर से घटाना), कानूनों और नियमों की समीक्षा करना ताकि अनावश्यक को हटाया और *VO' kSk* को आसान बनाया जा सके।

प्रशासन नीति-पत्र में प्रस्तुत अनुमानों के अनुसार सरकार के 30 विभाग राज्य और केन्द्र सरकार के 349 कानूनों को लागू करते हैं। इसके अलावा, 268 नियम और 78 विनियम/आदेश हैं जो विभिन्न केंद्रीय अधिनियमों द्वारा जारी किए गए हैं। अब विभागों से कहा गया है कि वे अपने द्वारा लागू होने वाले सभी कानूनों, नियमों, विनियमों और आदेशों की समीक्षा करें। राज्य सरकार ने यह गारंटी करने की कोशिश की है कि बाजार की शक्तियों के प्रवेश से गरीबों तक *vK/kjHk* न्यूनतम सेवाओं की पहुंच न रुके; और नियम ऐसे हों जो आसानी से समझे जा सकें, स्पष्ट रूप से कार्यान्वित हो सकें और सीधे लागू किए जा सकें। इस का; *l*के लिए एक प्रतिनिधि समिति *xBr* की गई है।

इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि तमाम भिन्नताओं के बावजूद उत्तर प्रदेश में मूलभूत सार्वजनिक सेवाएं और कार्यक्रम (उदाहरणार्थ, वे जो गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए हैं) अपेक्षाकृत अक्षम ढंग से चलते हैं। ऐसा एक तरफ तो प्रणना, जवाबदेही के अभाव कार्यक्रम मूल्यांकन की गैर मौजूदगी एवं प्रोत्साहन और दंड की प्रणाली का अभाव, कर्मचारियों की कमी, काम करने के खराब हालात के कारण होता है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के कारण बड़े पैमाने पर धन की कमी के कारण भी होता है।

### प्रशासनिक सुधारों के जरिए भ्रष्टाचार और अक्षमता से निपटना

उत्तर प्रदेश सरकार प्रशासन में सुधार के लिए दृढ़संकल्प है।

प्रशासनिक सुधार की कार्य सूची में शामिल है: विकेन्द्रीकरण, जनसेवा का नवीनीकरण, खुली और जवाबदेह सरकार, भ्रष्टाचार का निपटारा और कानून के शासन की स्थापना तथा ई-प्रशासन पर आधारित बहुमुखी रणनीति।

**जनसेवा का नवीनीकरण :** जनसेवा सुधारों के क्षेत्र में सरकार के सामने तीन गंभीर चुनौतियाँ हैं : उत्पादकता बढ़ानी होगी, दीर्घकालीन जनसेवा की गारंटी करनी होगी, और ऐसे नियम लागू करने होंगे जो योग्यता को पुरस्कृत और प्रोत्साहित करें, कुशासन और दुराचरण पर रोक लगाएं, जवाबदेही और कार्य गुणवत्ता को सङ्गठ करें।

जनसेवा के नवीनीकरण की गारंटी के लिए मानव संसाधन प्रबंध और विकास महत्वपूर्ण है। इसके लिए निम्न कदम उठाने होंगे:

- वरिष्ठ जनसेवकों के स्थिर कार्यकाल की सर्वोत्तम शैली अपनाना,
- बहुप्रचारित स्थानांतरण नीति,
- वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के मूल्यांकन की व्यवस्था ताकि इसका प्रभाव बढ़ाया जा सके,
- व्यापक माँग आधारित प्रशिक्षण।

वित्तीय प्रबंध प्रणाली एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसे ठीक करना होगा ताकि बजटीय हिसाब-किताब से प्रभावी वित्तीय प्रबंधन और योजना की ओर संक्रमण सुनिश्चित किया जा सके।

### *ikjn' kZ | jdkj*

इसके लिए सरकार ने निम्न ठोस उपाय प्रस्तावित किए हैं:

- jkT; ik; kstr vk; kskx dh fjik/ka rFkk eQ; ulfr i=ka dk idk'ku glskkA
- सूचना प्रवाह का उपयोग होगा। सेवा प्रदान करने वाले विभागों की ओर से प्रबंध सूचना प्रणाली विकसित की जाएगी ताकि उपभोक्ता उपलब्ध सेवाओं में बेहतर चुनाव करने में सक्षम हो सकें।

## tokns ljdkj

सरकार के संचालन को जनोन्मुखी और जरूरतमंद केंद्रित बनाने के लिए सरकार ने तय किया है कि प्रत्येक विभाग निम्न कदम उठाए:

- प्रत्येक विभाग और कार्यालय के लिए नागरिक मांग-पत्र (सिटिजन चार्टर) बनाया जाए जो जनता से संवाद स्थापित कर सके।
- जिन विभागों में नागरिक मांग-पत्र बन गए हैं वे इस बात की गारंटी करें कि विभाग के संचालन के प्रत्येक पहलू में आवश्यक परिवर्तन हुए हैं और निम्न स्तर पर इन मांग-पत्रों की मांगों में तय मानकों के अनुरूप काम किया जा रहा है।

नागरिक मांग-पत्र बनाते समय विभाग निम्न चीजों की गारंटी करें:

1. नागरिक मांगपत्रों (सिटिजन चार्टर) की अधिसूचना ही अपने आपमें उद्देश्य नहीं है। हरेक विभाग अपने कर्मचारियों के दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए बृहदस्तरीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करेगा।
2. जनता के साथ अधिकारियों का संवाद। हर एक कम से कम एक दिन सामान्य कामकाज के लिए नागरिकों के लिए कार्यक्रम आयोजित करेगा।

## नागरिक मांग-पत्रों की अधिसूचना

कानून का शासन स्थापित करने के लिए अदालतों को मुकदमों की भीड़, लोक अदालत (झगड़ों के निपटारे के लिए वैकल्पिक जन अदालत) जैसे सृजनात्मक तरीकों की सहायता से कम करनी चाहिए।

- गांवों में न्याय पंचायतों की स्थापना की जाएगी।
- जनसंवाद वाले क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा व्यवसायियों, नागरिक समाज और जनसेवकों की धारणा व अनुभवों के संबंध में सर्वेक्षण कराया जाएगा। यह सर्वेक्षण किसी स्वतंत्र संस्थान या सर्वेक्षण में अनुभवी और ईमानदार निकाय द्वारा कराया जाएगा और इसके परिणाम समयबद्ध रूप से प्रकाशित होंगे। इन सर्वेक्षणों की संस्तुतियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।
- ऐसे नियमों/विनियमों का प्रावधान होगा जो सरकार और इसके निकायों के सभी ठेकों में प्रतिद्वन्द्वता मूलक प्रयासों को बढ़ावा देंगे। तमाम काम, सेवाएँ, सामानों और सेवाओं को लेते समय निविदा सूचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित की जाएंगी, निविदा की अंतिम तिथि घोषित की जाएगी और ठेके मिलने की सूचना भी प्रकाशित होगी।

(क) भ्रष्टाचार विरोधी निकायों को मजबूत बनाने, और (ख) व्यापक भ्रष्टाचार विरोधी रणनीति तैयार करने के लिए निम्न उपाय करने होंगे:

1. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में व्यापक आधार वाले टास्क फोर्स का गठन होना चाहिए, जिसमें सरकार और नागरिक समाज दोनों के प्रतिनिधि हों। यह टास्क फोर्स निगरानी विभाग, सतर्कता आयोग और प्रशासनिक न्यायाधिकरण, निगरानी ढांचे, विभिन्न विभागों के मुख्य सतर्कता

अधिकारियों और लोक आयुक्त जैसे मुख्य जवाबदेह संस्थाओं को मजबूत करने के विकल्पों पर विचार करेगा। खासकर यह बल उनके आदेशों, कर्मचारियों, आय-व्यय, सांगठनिक ढांचे, कार्यपद्धति, नियमों, दिशानिर्देशों और प्रदर्शन के सूचकों का ध्यान रखेगा।

2. 1991 से 1998 तक के लोक आयुक्तों की रिपोर्ट दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
3. यह सुनिश्चित किया जाए कि लोक आयुक्त सभी विभागीय कर्मचारियों में से कम से कम 50% की नियुक्ति करे, साथ ही उसे इन्हें स्वतंत्रापूर्वक प्रशिक्षित, स्थानांतरित, प्रोन्नत करने और हटाने का अधिकार दिया जाए।
4. लोक आयुक्त कार्यालय के रिक्त पदों को भरा जाए और अग्रणी दस्ते में छानबीन करने वाले और तकनीकी कर्मचारियों की संख्या वर्तमान से तीन गुना बढ़ाई जाए; इसी अनुपात में आगामी वर्ष का बजट भी बढ़ाया जाए।
5. सतर्कता अधिष्ठान को अपने कर्मचारियों में कम से कम 50% को नियुक्त करने, स्थानांतरित करने और हटाने का अधिकार दिया जाए।
6. छानबीन करने वाले अग्रणी दस्ते के सभी रिक्त पदों को तुरंत भरा जाए और 2000-01 के लिए 20% बजट तत्काल बढ़ाया जाए।
7. मानक सर्वेक्षण पद्धति के अनुरूप सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों में भ्रष्टाचार, सेवा की गुणवत्ता और सरकार के प्रदर्शन संबंधी उनके दृष्टिकोण का सर्वेक्षण किया जाए।

## भ्रष्टाचार और अक्षमता की रोकथाम: नागरिक समाज की कार्यवाही

बेहतर इरादे से शुरू किए गए सरकारी कार्यक्रम केवल तभी पूरी तरह प्रभावी हो सकते हैं जब व्यापक तौर पर जनता की भागीदारी हो। उ.प्र. सरकार ने व्यापक आधार वाले प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम शुरू किए हैं। देश के अन्य भागों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोकप्रिय संघर्ष चल रहे हैं। राजस्थान के एक संगठन, मजदूर किसान शक्ति संगठन, ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध लंबी लड़ाई लड़ी और सूचना के अधिकार के लिए इसका अभियान राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुआ।

इस संदर्भ में सुधार के उद्देश्य से नागरिक समाज ने अन्य पहल की हैं, उदाहरणार्थ- लोक सेवक संघ और ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल इंडिया। संबद्ध नागरिकों और संगठनों के हाथ में एक मजबूत हथियार जनहित याचिका (पी.आई.एल.) है। कामन काज जैसे संगठन ऊंचे स्तर पर भ्रष्टाचार के मामले दर्ज कराते हैं। पब्लिक अफेयर्स सेंटर, बंगलौर जैसे संगठनों ने मतदाताओं की शिक्षा का काम हाथ में लिया है ताकि वे भ्रष्टाचार और समझ-बूझकर चुनाव कर सकें (शर्मा 2000)।

## कानून का शासन

प्रशासन का मुख्य कर्तव्य संविधान के प्रावधानों के अनुसार कानून व्यवस्था बनाए रखना है। संविधान के अनुच्छेद 14 यही प्रशासन की जान है। मानव विकास प्राप्त करने की बुनियाद कानून का अभाव वाला समाज है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुताबिक उ.प्र. में मानवाधिकार उल्लंघन की काफी शिकायतें दर्ज की गई हैं। 1995-96 और 1996-97 में आयोग में पंजीकृत कुल शिकायतों में केवल उत्तर प्रदेश का हिस्सा क्रमशः 27 प्रतिशत और 43.3 प्रतिशत था (वार्षिक रिपोर्ट, 1995-96 और 1996-97)।

1995-96 के दौरान मानवाधिकार आयोग ने उ.प्र. में थाने में 37 शिकायतें, 5 लोगों के गायब होने के मामले, गैरकानूनी गिरफ्तारी के 15 मामले, झूठे मुकदमों के 16 मामले और पुलिस उत्पीड़न के 443 अन्य मामले प्राप्त किए। 1996-97 में थानों में 49 और बलात्कार के 171 मामले

मानवाधिकार आयोग में दर्ज किए गए। उस साल आयोग में दर्ज इस प्रकृति की कुल शिकायतों का 19.1 प्रतिशत अकेले उ.प्र. से था।

अपराध, अपराध का भय और असुरक्षा बोध, नागरिक जीवन के आधार पर ही गंभीर खतरा पैदा कर देते हैं। भारत में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़ों का संग्रह करे और राज्य स्तर पर राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एस.सी.आर.बी.) की जिम्मेदारी है कि वह सूचनाएं प्रकाशित/प्रसारित करे। एन.सी.आर.बी. और एस.सी.आर.बी. दोनों ने ही अपराध आंकड़ों की गुणवत्ता सुधारने के लिए अनेक परिवर्तन किए हैं, लेकिन अब भी अपराध की सांख्यिकी अपर्याप्त है, उसका कोई व्यवस्थित विश्लेषण करना काफी कठिन है। इनके अलावा अपराधों की सूचना और उसके पंजीकरण भी है। अपराध आंकड़ों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों या लिंग तथा आयु की कोटियों के अनुसार वर्गीकृत भी नहीं किया गया है।

एस.सी.आर.बी. में उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि 1998 में उ.प्र. में कुल 184461 संज्ञेय आई.पी.सी.<sup>2</sup> अपराध दर्ज किए गए। दूसरे शब्दों में उ.प्र. में प्रतिदिन 505 अपराध दर्ज किए गए। हालांकि देश भर में पंजीकृत कुल आई.पी.सी. संज्ञेय अपराधों में उत्तर प्रदेश का हिस्सा 10.5 प्रतिशत है लेकिन हत्या, अपहरण, डकैती और दहेज हत्या जैसे अधिकांश बड़े अपराधों में इसका 14.1 काफ़ी अधिक है। इसके कारण राष्ट्रीय अपराध दर की तुलना में उ.प्र. में अपेक्षाकृत अधिक अपराध दर (प्रति लाख जनसंख्या) हो जाती है।

उ.प्र. और संपूर्ण भारत में अपराध की घटनाएं तालिका 8.1 में प्रस्तुत की गई हैं। जिलावार आंकड़ों में से कि राज्य के क्षेत्र (अब उत्तरांचल) और पूर्वी क्षेत्र में सबसे कम अपराध दर्ज हुए। एस.सी.आर.बी. के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, सबसे अधिक अपराध प्रभावित है।

**तालिका 8.1 : 1998 में उत्तर प्रदेश और भारत में कुल प्रमुख संज्ञेय अपराध और उनकी दर**

	कुल	हत्या	बलात्कार	अपहरण	डकैती	दहेज हत्याएँ	अन्य अपराध	कुल संज्ञेय अपराध
उ.प्र.	184461	8303	1605	4369	1207	2229	64088	184461
	दर	5.1	1.0	2.7	0.7	1.4	39.1	112.4
भारत	1779111	38653	15031	23504	8064	6917	744769	1779111
	दर	4.0	1.5	2.4	0.8	0.7	76.7	

स्रोत: राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, नई दिल्ली

1998 में अदालतों द्वारा निपटाए गए आई.पी.सी. मुकदमों की सूचना यह है कि कुल मुकदमों में से 82.1 प्रतिशत अनिर्णित थे। यह आंकड़ा उसी वर्ष के राष्ट्रीय औसत से थोड़ा ही अधिक है क्योंकि अखिल भारतीय अनिर्णय दर प्रतिशत 81.0 था। 1998 में कुल आई.पी.सी. अपराधों की दोषसिद्धि दर उत्तर प्रदेश में (52.15 प्रतिशत) अखिल भारतीय दोषसिद्धि दर (37.42 प्रतिशत) से अधिक थी।

स्वशासन की संस्थाओं की धारणा की जड़ें भारत के इतिहास में हैं। पारंपरिक रूप से पंचायतें, ग्राम और ग्रामोपरि दोनों ही स्तरों पर स्थानीय स्वशासन का मूर्तिमान रूप रही हैं। आधुनिक भारत में स्वयं ब्रिटिश प्रशासन के तहत एकाधिक सदी पहले ही स्वशासन के अति सीमित अधिकारों सहित पंचायतें और स्थानीय निकाय स्थापित किए गए। जैसे-जैसे स्वतंत्रता करीब आई वैसे-वैसे ग्राम आधारित लोकतंत्र की धारणा भी बलवती होती गई। इसी के अनुरूप संविधान की धारा 40 में सरकार को सलाह दी गई कि वह ग्राम पंचायतें गठित करने के लिए कदम उठाए और उन्हें ऐसे अधिकार और प्राधिकार सौंपे जिससे वे 'स्वशासन की इकाइयों के बतौर काम करने' में सक्षम हो सकें। इस धारा को संविधान के 5वें भाग में रखा गया और इस तरह यह राज्य सरकारों के लिए यथोचित कानून बनाने का निर्देश बन गया।

## अपराध और नागरिक समाज की कार्यवाही

चूंकि अपराध की सामाजिक-आर्थिक जड़ें हैं और यह कानून लागू करने की कमजोरी से पैदा होता है, इसलिए अपराध नियंत्रण में सामाजिक गोलबंदी की महत्वपूर्ण भूमिका है।

पिछले अध्याय में महिलाओं के विरुद्ध अपराध रोकने में महिला गोलबंदी के अनुभव पर हमने विचार किया है। पीपुल्स यूनिशन फार सिविल लिबर्टीज जैसे राज्य के मानवाधिकार समूहों तथा अनेक राजनीतिक और गैर-राजनीतिक संगठनों ने मानवाधिकार उल्लंघन पर ध्यान दिया है और सरकार से पुलिस में सुधार लाने की मांग की है।

चूंकि एन.एच.आर.सी. में दर्ज मानवाधिकार उल्लंघनों की संख्या 1996, 2000 और 2002 में राज्य सरकार को नोटिस भेजकर ऐसा करने का निर्देश दिया। सरकार ने पहले तो मानवाधिकार अदालतों की स्थापना की (अक्टूबर 2002) मानवाधिकार आयोग की भी स्थापना की।

## उ.प्र. में विकेन्द्रीकरण

स्थानीय निकायों को अधिकार सौंपना, केंद्र और राज्य दोनों में ही प्रशासनिक सुधार के एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश ने प्रशासनिक सुधार कार्यक्रमों के रूप में शहरी और स्थानीय निकायों को अधिकार सौंपने की जरूरत स्वीकार की है।

केंद्र से राज्य को सत्ता का विकेन्द्रीकरण अब आमतौर पर ऐसी प्रक्रिया के रूप में माना जाता है जिसका परिणाम लोक सशक्तीकरण, जनभागीदारी को प्रोत्साहन और क्षमता की बढ़त में निकलता है।

विकेन्द्रीकरण स्थानीय संसाधनों की गोलबंदी में मदद कर सकता है, स्थानीय और क्षेत्रीय तौर पर भिन्न-भिन्न समाधानों को प्रोत्साहित कर सकता है और गरीबों को विकास की मुख्य धारा में लाकर समतामूलक वृद्धि को प्रेरित कर सकता है। यह सरकारों पर दबाव बना सकता है कि वे उन मानव प्राथमिक चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करें जिनका चयन संभवतः स्थानीय समुदाय अधिक करता है।

अन्ततः, सत्ता के पुनर्वितरण के बगैर विकेन्द्रीकरण स्थानीय जनता की बजाय स्थानीय अभिजन का सशक्तीकरण बनकर रह जाएगा। अगर सुधारात्मक उपायों की योजना नहीं बनाई जाती तो वित्तीय विकेन्द्रीकरण विभिन्न इकाइयों में असमानता भी पैदा कर सकता है। विकेन्द्रीकरण को ऐसे व्यवहार की तरह भी देखा जा सकता है (और अक्सर देखा जाता है) जिसमें सरकार और नौकरशाही के भीतर ही सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो बजाय इसके कि केंद्र या राज्य स्तर की सरकारों से सभी स्तरों पर जनता तक वास्तविक सत्तांतरण हो।

स्वशासी स्थानीय संस्थाओं की धारणा की जड़ें भारत के इतिहास में हैं। पारंपरिक रूप से पंचायतें, ग्राम और ग्रामोपरि दोनों ही स्तरों पर स्थानीय स्वशासन का मूर्तिमान रूप रही हैं। आधुनिक भारत में स्वयं ब्रिटिश प्रशासन के तहत एकाधिक सदी पहले ही स्वशासन के अति सीमित अधिकारों सहित पंचायतें और स्थानीय निकाय स्थापित किए गए। जैसे-जैसे स्वतंत्रता करीब आई वैसे-वैसे ग्राम आधारित लोकतंत्र की धारणा भी बलवती होती गई। इसी के अनुरूप संविधान की धारा 40 में सरकार को सलाह दी गई कि वह ग्राम पंचायतें गठित करने के लिए कदम उठाए और उन्हें ऐसे अधिकार और प्राधिकार सौंपे जिससे वे 'स्वशासन की इकाइयों के बतौर काम करने' में सक्षम हो सकें। इस धारा को संविधान के 5वें भाग में रखा गया और इस तरह यह राज्य सरकारों के लिए यथोचित कानून बनाने का निर्देश बन गया।

उत्तर प्रदेश ने 1947 में ए.जी. खेर की अध्यक्षता में बनी समिति की सिफारिशों के आधार पर उ.प्र. पंचायती राज अधिनियम पारित किया। संविधान की धारा 40 के प्रावधानों के आधार पर उ.प्र. पंचायत राज अधिनियम को 1955 में संशोधित किया गया। 1947 के अधिनियम में ग्राम पंचायतों या गांव पंचायतों की स्थापना का प्रस्ताव था। सरकार को आशा थी कि 'एक बार स्थापित हो जाने के बाद ये पंचायतें न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी जीवन को पुनर्जीवित करेंगी, बल्कि सरकार की ग्राम विकास योजनाओं को लागू करने में सक्षम और भी साबित होंगी' (जी.ओ.यू.पी. 1948, पृष्ठ 5)।

राज्य ने छोटी पंचायतों का विकल्प चुना जो कमोबेश गांव का केन्द्रक होंगी। इसके मुकाबले अन्य राज्यों ने कई गांवों के समुच्चय का विकल्प चुना। ग्राम पंचायत को ग्राम सभा के नियंत्रण में काम करने वाली कार्यसमिति होना था। पंचायत के अधिकार क्षेत्र के सभी बालिग ग्रामवासी सभा के सदस्य होने के योग्य थे और वे ग्राम पंचायत के लिए मतदान करने योग्य थे। स्वयं ग्रामसभा की बैठक में दो बार होनी थी; एक बार पंचायत का बजट पारित करने के लिए और दूसरी बार लेखा निरीक्षण के लिए।

1947 में, अनेक वैधानिक और विवेकाधीन कर्तव्यों की सूची बनाई गई। यह कहा गया कि 'जहां तक ग्राम पंचायतों का फंड इजाजत देता हो वहां तक उसमें से प्रत्येक का कर्तव्य है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में' बाईस प्रदत्त नियामक, देखरेख और विकास कार्यों के संबंध में 'यथोचित प्राविधान बनाएं'। गांव पंचायतों के विवेकाधीन प्रकार्यों में अनेक कल्याणकारी, नियामक और विकास कार्य शामिल थे जिनका केंद्र पंचायत के विकास पर कार्य था। पंचायतों को प्रदत्त कार्यों के संपादन के लिए राजस्व के स्रोत बहुत ही कम उपलब्ध थे।

भारत सरकार ने 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं की समीक्षा के लिए बलवन्तार; मेहता समिति गठित की। समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की। इसमें सबसे नीचे ग्राम समिति, बीच में ब्लॉक स्तरीय पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होनी थी ताकि स्थानीय स्वशासन में जन भागीदारी और योजनाबद्ध विकास में मदद मिले। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने समिति की सिफारिशों को लागू किया और पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित की। उ.प्र. क्षेत्र समिति और जिला परिषद अधिनियम 1961 में पारित किया गया और पूर्ववर्ती अधिनियमों में यथोचित संशोधन किए गए।

हालांकि 1947 के पंचायती राज अधिनियम में कई बार संशोधन किए गए, उ.प्र. में देश के अनेक अन्य हिस्सों की तरह ही 1960 के दशक में यह संस्था ही मृतप्राय हो गई। आपातकाल की समाप्ति और उसके बाद कई राज्यों में गैर कांग्रेस पार्टियों के सत्ता में आने के बाद सत्तांतरण में रुचि फिर से जागी। पश्चिम बंगाल और कर्नाटक जैसे राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं को नए अधिकार देकर इसकी अगुआई की। बहरहाल, उ.प्र. इन परिवर्तनों से अप्रभावित रहा, हालांकि 1978 में एक लंबे अंतराल के बाद इन संस्थाओं का चुनाव फिर से हुआ।

इसी बीच केंद्र सरकार ने ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए क्रमशः 73वें और 74वें संशोधन के जरिए संविधान में परिवर्तन किया। 73वें संशोधन का उद्देश्य है—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के जरिए सत्तांतरण और स्थानीय स्वशासन को भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता बना देना।

1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुरूप उ.प्र. पंचायत राज अधिनियम, 1947 और उ.प्र. क्षेत्र समिति और जिला परिषद अधिनियम, 1961 में संशोधन किए गए और अप्रैल 1994 से यह लागू हुआ। 73वें

संविधान संशोधन की भावना को उसके अनुरूप बना कानून आगे बढ़ाता है और त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना के सभी स्तरों पर अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ी जातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध कराता है। संशोधित अधिनियमों के प्रावधानों की रोशनी में त्रिस्तरीय पंचायती निकायों के चुनाव तीन बार हो चुके हैं— 1995, 2000 और 2005 में।

उ.प्र. में पंचायत का ढांचा त्रिस्तरीय प्रणाली है जिसमें ग्राम पंचायत के ऊपर जिला स्तर पर जिला परिषद और ब्लॉक (खंड) स्तर पर क्षेत्र समिति है। पंचायत प्रणाली का अभिन्न अंग एक और संस्था ग्राम सभा है।

**तालिका 8.2 : उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकायों की संरचना**

स्थानीय निकाय	संख्या
<b>ग्रामीण</b>	
ग्राम पंचायत	52028
क्षेत्र पंचायत	813
जिला पंचायत	70
<b>शहरी</b>	
नगर पंचायत	422
नगर पालिका परिषद	195
नगर निगम	11

ग्राम पंचायत का मुखिया प्रधान और उसकी गैर मौजूदगी में उप-प्रधान होता है। पंचायत एक हजार जनसंख्या पर होती है। इसमें एक या अनेक गांव होते हैं। यह अनेक चुनाव क्षेत्रों (वार्डों) में होती है जिसमें से सदस्यों का चुनाव होता है। इन चुनाव क्षेत्रों को लिंग और जाति आधारित आरक्षण के हिसाब से चक्राकार घुमाया जाता है। पहले ही बताया जा चुका है कि 1992 के संशोधन के बाद चुनावों में एस.सी./एस.टी. और 'अन्य पिछड़ी जातियों' के लिए आरक्षण किया गया है और श्रेणी (एस.सी./एस.टी., ओ.बी.सी. और सामान्य) में सभी स्तरों पर प्रधान (ग्राम पंचायत का मुखिया), ब्लॉक प्रमुख (क्षेत्र पंचायत का मुखिया) और जिला परिषद अध्यक्ष (जिला स्तर पर) के पदों सहित सभी चुनावी पदों पर महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण है।

73वें संविधान संशोधन के बाद ग्राम पंचायत के पूर्वनिर्धारित प्रकार्यों को 1994 के राज्य संशोधन के बदल दिया गया और संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल कई कर्तव्य इसके भी कर्तव्य बना दिये गये। इनमें सरकारी कार्यक्रमों में सहायता देना, मौजूदा कार्यक्रमों को लागू करना तथा अन्य अनेक शामिल हैं। नए कानून के पंचायतों से यह उम्मीद की गई कि वे कर्तव्य पालन में मदद के लिए निम्न समितियां गठित करेंगी: विकास समिति (खेती, ग्रामोद्योग और विकास योजनाएं), शिक्षा समिति (शिक्षा), लोकहित समिति (जनस्वास्थ्य, लोकनिर्माण) और समता समिति (महिला और बाल कल्याण तथा एस.सी./एस.टी. और पिछड़ी जातियों के हित, 'सामाजिक अन्याय और किसी भी तरह के शोषण' से इन समूहों की रक्षा)।

अधिनियम यह भी कहता है कि "ग्राम पंचायत, पंचायत क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष एक विकास योजना बनाएगी और उसे नियत तिथि से पहले नियत रूप में संबंधित क्षेत्र पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करेगी।"

### 1994 के संविधान संशोधन के बाद प्रशासनिक सत्तांतरण

73 वां संविधान संशोधन और उसके बाद 1994 का संविधान संशोधन



ग्यारहवीं (और शहरी क्षेत्रों के लिए बारहवीं) अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्रों में पंचायत संस्थाओं की जिम्मेदारी काफी बढ़ा देता है लेकिन इन जिम्मेदारियों की निर्वहन क्षमता उनमें सीमित है।

पी.आर.आई. को मिले नए संवैधानिक जनादेश के बाद राज्य सरकार ने प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण जे.एल. बजाज की अध्यक्षता में बनी समिति को सौंप दिया। प्रशासन के विकेन्द्रीकरण पर बजाज समिति की रिपोर्ट (1995) में जो सिफारिशें की गईं, वे अन्य राज्यों में जो अधिकार दिए गए थे, उससे भी कम अधिकार प्रस्तावित करती हैं। बजाज समिति की सिफारिशों की परीक्षा, बाद में एक उच्चस्तरीय समिति (एच.पी.सी.) ने की। सरकार का रवैया इसके प्रति सावधानीपूर्ण और धीमा रहा।

स्वाभाविक रूप से सरकारी विभागों का भी विकेन्द्रीकरण धीमी गति से हुआ। संशोधित राज्य कानून के पांच वर्ष बाद ही बत्तीस सरकारी विभागों को अपने अधिकार और प्रकार्य पी.आर.आई. को सौंपने के निर्देश दिए जा सके। लेकिन अब भी लगभग तमाम मामलों में संबद्ध अधिकारियों का प्रशासनिक नियंत्रण कमोबेश विभागों के हाथ में ही है।

कहना आम तौर पर सही होगा कि तक एक तरफ तो पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक अधिकार सौंपने के लिए नीचे से कोई मजबूत दबाव नहीं था, दूसरी तरफ अन्य हिस्सों में सत्तांतरण का प्रचुर प्रतिरोध भी था। प्रतिरोध राजनीतिक प्रतिनिधियों की ओर से आया जो विकास की थैली के वितरण में स्थानीय प्रतिनिधियों के बढ़ते प्रभाव से संतुष्ट नहीं थे और उनके राजनीतिक प्रतिद्वन्दी के उभरने की संभावना से परेशान थे। प्रतिरोध निचले स्तर के जनसेवकों की ओर से भी आया, जो स्थानीय प्रशासन-नियंत्रण के अधीन होने से इंकार कर रहे थे।

मध्य प्रदेश में बृहद सत्तांतरण के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 1999 में सत्तांतरण में तेजी लाने का निर्णय लिया। एक नई उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया और उसने स्थानीय ग्राम निकायों को सत्ता सौंपने में तेजी लाने के लिए अनेक सिफारिशें की। इन सिफारिशों में राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का लागू करना शामिल है जिनमें कुछ संशोधनों के साथ वित्तीय सत्तांतरण के लिए कहा गया था।

उ.प्र. सरकार का उद्देश्य ऐसे कदम उठाना है जो सबसे छोटे स्तर की पंचायत इकाई-ग्राम पंचायत-की प्रशासनिक क्षमता और अधिकारों को बढ़ाएं। इन्हें कदमों में आठ सरकारी विभागों के ग्रामस्तरीय पदों का एक में विलय है ताकि हरेक गांव पंचायत के मामलों में मदद करने के लिए कम-से-कम एक सरकारी उपलब्ध हो सके (बजाज समिति की सिफारिशों में भी यह कदम सुझाया गया था लेकिन कुछ भिन्न रूप में)। साथ ही स्कूल और ट्यूबवेल जैसी अपनी ही परिसंपत्तियों के प्रशासन में ग्राम पंचायतों को सक्षम बनाने वाले अन्य कदम भी उठाए गए हैं।

सत्तांतरण संबंधी इन कदमों ने ग्राम पंचायतों की प्रशासनिक क्षमता और अधिकार बढ़ाए हैं। उनकी भूमिका प्राइमरी स्कूलों और बच्चों की स्कूल पूर्व देख-रेख तथा आई.सी.डी.एस. जैसे पोषाहार कार्यक्रमों, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों और ग्राम विकास/गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों (यह अंतिम 73वें संविधान संशोधन के पहले भी कम से कम सिद्धांततः गांव पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आता था) जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक सेवाओं की अदायगी में बढ़ी है।

कुछ दिशाओं में कुछ प्रगति तो हुई है लेकिन अन्य क्षेत्रों में सरकार को अपने कुछ पूर्वघोषित कदमों की समीक्षा करनी होगी। आठ सरकारी विभागों के ग्राम स्तरीय प्रशासन कर्मियों का विलय हो चुका है और राज्य सरकार की कोशिश है कि 2000 मतदाताओं वाली हरेक पंचायत की सहायता के लिए कम से कम एक सरकारी उपलब्ध कराया जाए।

इन लोगों की प्रशासनिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि भिन्न-भिन्न होने के कारण इनका विलयन आसान नहीं रहा और विभिन्न करने की उनकी क्षमता में भी भिन्नताएं हैं। इन नए कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए न्याय पंचायत, ब्लाक और जिला स्तर पर तीन आयोजित किए जा चुके हैं। दूसरा यह है कि सरकारी विभागों को अपने विभाग से बाहर के और उनके प्रति जवाबदेह न रहने वाले इन कार्यकर्ताओं के साथ करने में होती है जिनकी जिम्मेदारियां बहुमुखी हैं।

सरकार द्वारा अपनाए गए सर्वाधिक दूरगामी परिवर्तनों में से कुछ प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। प्राइमरी अध्यापकों का आंशिक प्रशासनिक नियंत्रण पंचायतों को सौंप दिया गया है। मौजूदा अध्यापकों की सेवाशर्तों में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं है। इन्हें सरकारी कर्मचारी माना जाता है (लेकिन थोड़ा नियंत्रण, ग्राम पंचायत ग्राम शिक्षा समिति का भी रहेगा)। पंचायतों को शिक्षाकर्मियों नामक अध्यापकों की नियुक्ति का अधिकार दे दिया गया है। इनकी नियुक्ति, आवश्यकता और सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप 2250 रुपये प्रतिमाह के वेतन पर होगी।

उ.प्र. में ग्राम विकास प्रक्रिया का अत्यंत बारीक संबंध अतीत की पंचायती राज संस्थाओं से है। डी.आर.डी.ए. (केंद्रीय स्तर पर प्रायोजित सभी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय अभिकरण) जिला परिषद (जिसे संवैधानिक रूप से गरीबी उन्मूलन की जिम्मेदारियों का आदेश हासिल है) से अलग स्वतंत्र इकाई बनी हुई है। लेकिन 1999 में किए गए परिवर्तनों के मुताबिक जिला परिषद अध्यक्ष को डी.आर.डी.ए. का अध्यक्ष भी बना दिया गया है।

पंचायती राज कर्मियों और जिला प्रशासन के बीच संवाद के मामले में अनेक समस्याएं बनी हुई हैं।

## वित्तीय संसाधन

73वें और 74वें संविधान संशोधन भारतीय संविधान ने पंचायती राज संस्थाओं को 'स्वशासन की संस्थाएं' कहा है और उन्हें अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं। ये जिम्मेदारियां केवल पी.आर.आई. के पास नहीं हैं बल्कि उनमें राज्य और केंद्र सरकारों की भी हिस्सेदारी है। संशोधन में राज्य विधायिकाओं और राज्य वित्त आयोगों (एस.एफ.सी.) पर इन कार्यभारों में बदलने का काम छोड़ दिया गया है और वे ही इन कार्यभारों को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार सौंपेंगे।

उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति, विगत दिनों में चिंतनीय रूप से खराब रही है। अशोक मेहता समिति के अनुमानों के अनुसार 1976-77 में उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की आय 463 लाख रुपये थी जिसमें से 297 लाख (64 प्रतिशत) करों और राजस्व के जरिए वसूला गया था। प्रति पंचायत वार्षिक आय महज 640 रुपये थी जबकि प्रति व्यक्ति आय 64 पैसे अनुमानित थी। 1984-85 में राज्य की 4800 से अधिक ग्राम सभाओं की वार्षिक आय 500 रुपये से कम थी (पंचायती राज डिपार्टमेंट, 1985)। 1989 के बाद से पंचायतों की आय बढ़ी जबकि केंद्रीय स्तर की जवाहर रोजगार योजना का 70 प्रतिशत धन सीधे पंचायतों को प्रदान किया गया।

विभिन्न योजनाओं में वित्तीय मदद के लिए प्रशासन के ऊपरी स्तरों से वित्तीय सत्तांतरण के अलावा 1994 के अधिनियम के तहत पंचायतों को कर लगाने और जमीन तथा संपत्ति अधिग्रहित करने का अधिकार है। जमीन, जानवर, वाहन, मनोरंजन सुविधाओं और खरीद बिक्री पर कराधान किया जा सकता है और पंचायतों द्वारा की जा रही सफाई, गलियों में रोशनी, सिंचाई और अन्य सुविधाओं पर कर लगाकर भी आय पैदा की जा सकती है। अधिनियम के तहत राज्य विधायिका पी.आर.आई. को वित्तीय अनुदान और

कराधान के अधिकार दे सकती है तथा पंचायतों को कर वसूलने, शुल्क वसूली और अन्य अधिकारों के लिए अधिकृत कर सकती है।

लेकिन राज्यपाल द्वारा स्थापित राज्य वित्त आयोग की जिम्मेदारी है कि वह कार्यभार और करों में हिस्सेदारी तय करे; पंचायतों को वित्तीय अनुदान प्रदान करे और पंचायतों तथा राज्य के संसाधनों में वृद्धि के तरीके खोजे। यह सब उसे केंद्रीय वित्त आयोग की तरह ही हर पांच साल में करना होगा।

उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्य वित्त आयोग ने कुछ दिनों की उसी समय की जब पंचायती राज संस्थाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्यभार नहीं सौंपे गए थे। राज्य वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं को नए कर सौंपना जरूरी नहीं समझा क्योंकि वे पहले से ही प्राधिकृत करों और गैर-कर राजस्वों का कराधान करने और वसूलने में अक्षम साबित हुए थे। बजाय स्थानीय संसाधन को गतिशील बनाने की प्रेरणा और प्रोत्साहन के बतौर राज्य वित्त आयोग ने दिखाने की कि जो स्थानीय निकाय अपना राजस्व वसूलने में उल्लेखनीय सुधार दिखा सकें उनके लिए कुल वित्तीय अंतरण का 10 प्रतिशत अवमुक्त कर दिया जाए। समिति ने स्थानीय कर और गैर कर संसाधनों को बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव दिए।

पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार में वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए पहले राज्य वित्त आयोग ने राज्य सरकार के शुद्ध राजस्व में स्थानीय निकायों को एक हिस्सा देने की सिफारिश की। उसने कहा कि शुद्ध राजस्व का 3 प्रतिशत वित्तीय अंतरण के लिए आवंटित कर देना चाहिए। इस राशि में से 20 प्रतिशत जिला परिषदों के लिए और 80 प्रतिशत ग्राम पंचायतों के लिए आवंटित होना था। ग्राम पंचायतों के हिस्से में से 10 प्रतिशत क्षेत्र (ब्लाक) पंचायत को दिया जा सकता था, यदि इन्हें परिसंपत्तियों इत्यादि की देख रेख की जिम्मेदारी दी जाए।

स्थानीय ग्राम निकायों के बीच आंतरिक वितरण के लिए राज्य वित्त आयोग ने एक मानदंड की सिफारिश की जिसमें 80 प्रतिशत भार जनसंख्या पर था और 20 प्रतिशत क्षेत्रफल पर। केंद्रीय स्तर पर प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय सेक्टर की योजनाओं के लिए वित्तीय अनुदान की वर्तमान व्यवस्था जारी रहनी थी।

सरकार ने ग्रामीण पंचायतों को अंतरित होने वाली राशि का हिस्सा बढ़ाकर राज्य कर राजस्व का 4 प्रतिशत कर दिया। इसमें से ग्रामीण सुविधाओं के लिए राज्य बिजली बोर्ड और जल निगम की अदायगी काटकर बाकी सीधे पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ये 1997-98 से लागू हो गईं।

जुलाई 2003 में श्री टी.एन. धर की अध्यक्षता में द्वितीय राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें सौंपी गईं और सरकार ने उन्हें मंजूर कर लिया। आयोग ने शुद्ध राजस्व कर में स्थानीय निकायों को अंतरित किया जाने वाला हिस्सा 11 से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया (पंचायतों को 4 से बढ़ाकर 5 प्रतिशत)। आंतरिक वितरण के लिए इसने प्रथम राज्य आयोग का सूत्र ही बने रहने दिया।

संविधान की धारा 280 जी के तहत केंद्रीय वित्त आयोग की यह जिम्मेदारी है कि वह वित्तीय सत्तांतरण के कारण राज्य पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को भरपाई करे और इसकी सिफारिश करे। दसवें वित्त आयोग ने इस जिम्मेदारी का संज्ञान लिया और स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के बाद यह सिफारिश की कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को तदर्थ अनुदान प्रदान करे। उ.प्र. में दसवें केंद्रीय वित्त आयोग ने 2000 तक प्रतिवर्ष 24000 लाख रुपये के अनुदान की सिफारिश की जिसमें से 18980 लाख स्थानीय ग्रामीण निकायों के लिए होना था। ग्यारहवें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगर

पंचायतों) के लिए 2000-05 के दौरान 10,000 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की। इस धन को (उस राशि को छोड़कर जो लेखा बही दुरुस्त रखने, लेखा-परीक्षण और आंकड़ा आधार विकसित करने के लिए आवंटित थी) नागरिक सेवाओं की देखरेख (वेतन और मजदूरी के भुगतान को छोड़कर) में इस्तेमाल होना था। पंचायतों और नगर पंचायतों के लिए प्रदत्त अनुदान का राज्य स्तर पर आंतरिक वितरण उ.प्र. की ग्रामीण/शहरी जनसंख्या, विकेन्द्रीकरण सूचकांक, अधिकतम प्रति व्यक्ति आय से दूरी, स्थानीय निकायों के राजस्व प्रयास और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर होना था। केंद्र सरकार ने कुछ एक संशोधनों के साथ इन सिफारिशों को मान लिया।

हालांकि वित्तीय संसाधनों का बड़ा हिस्सा केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य आयोग से आता है, लेकिन पी.आर.आई. तक धन का प्रवाह सुस्त है। राज्य आयोग की राशि के मामले में व्यय संबंधी स्पष्ट नियमों के अभाव में वित्तीय अंतरण 1998-99 में ही शुरू हो सका। लेकिन उसके बाद भी वित्तीय अनुशासन के कारण अंतरण को मासिक किस्तों में विभाजित कर दिया गया और अक्सर इसमें देरी और प्रक्रियागत समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। दसवें वित्त आयोग के मामले में राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों को बराबर योगदान की जिम्मेदारी पूरी करने में मुश्किलें आईं जिसके कारण अनुदान को अवमुक्त करने में देर हुई (1998-99 का अनुदान 1999 के उत्तरार्ध में अवमुक्त हो सका)।

**तालिका 8.3 : राज्य वित्त आयोग के वित्तांतरण में स्थानीय निकायों का हिस्सा (राज्य कर राजस्व में प्रतिशत)**

क्र.सं.	स्थानीय निकाय का नाम	एस.एफ.सी.	एस.एफ.सी.
1.	पंचायती राज संस्थाएँ	4	5
	1 ग्राम पंचायत	70%	70%
	2 क्षेत्र पंचायत	10%	10%
	3 जिला पंचायत	20%	20%
2.	शहरी स्थानीय निकाय	7	7.5
	1 नगर पंचायत	3.125	3.20
	2 नगर पालिका परिषद	3.125	3.20
	3 नगर निगम	0.75	1.10
	कुल	11.0	12.5

केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के अनुदानों के अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं को अंतरित किया जाने वाला हिस्सा 11 से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया (पंचायतों को 4 से बढ़ाकर 5 प्रतिशत)। आंतरिक वितरण के लिए इसने प्रथम राज्य आयोग का सूत्र ही बने रहने दिया।

पहले ही लक्षित किया गया है कि उ.प्र. में पंचायतों के वित्तीय संसाधन बहुत कम थे और 1989 तक लगातार कम होते गए। बहरहाल, अब उल्लेखनीय बढ़त आई है। सरकारी अनुमान बताते हैं कि वर्ष प्रत्येक पंचायत को एक लाख रुपये स्थानांतरित किया जाता है।

## पंचायती राज संस्थाओं की लोकतांत्रिक जीवन्तता ( Vitality ) और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त अंतरण ( Devolution ) के संभावित प्रभाव

सांस्थानिक वित्त अंतरण की प्रक्रिया full scale महत्वपूर्ण है लेकिन इसे मौजूदा स्थानीय स्थितियों के संदर्भ में देखना चाहिए।

उ.प्र. पर किए गए अनेक अध्ययन बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक असमानता की गहरी जड़ें हैं, इसीलिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में गरीबों और महिलाओं की भागीदारी में मुश्किलें आती हैं। इसके अतिरिक्त सरकारें, विधायिकाएं और राज्य के अन्य उपकरण केंद्र और राज्य दोनों ही स्तरों पर अमीरों और ताकतवर लोगों के प्रभाव से बच नहीं पातीं ( इसमें भूमिधर हितों के शक्तिशाली ldk; भी शामिल हैं )।

इसके अतिरिक्त पहले ही बताया गया है कि कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ऐसी नौकरशाही द्वारा किया जाता है जो गांवों से दूर है और उनके प्रति जवाबदेह नहीं है। ऐसे में भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है। अब yxHkx सभी सरकारी और गैर-सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आमतौर पर लक्षित लाभान्वितों की भागीदारी कराई जाती है।

व्यावहारिक रूप से पहले ग्राम सभा और पंचायत की बैठकें या तो केवल औपचारिक होती थीं या फिर होती ही नहीं थीं (लीटन और श्रीवास्तव 1999)। प्रधान ही गांव के मुखिया के बतौर नौकरशाही और ग्रामवासियों के बीच मुख्य संपर्क होता है तथा लक्षित "लाभान्वितों" की पहचान करने में और विकास लक्ष्यों को पूरा करने में उसका सहयोग अपेक्षित होता है। इस तरह, व्यावहारिक रूप से प्रधान की औपचारिक या अनौपचारिक मध्यस्थता विकास की प्रक्रिया के साथ समुदाय के संपर्क का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और उसी पर यह छोड़ दिया जाता है कि वह संबद्ध ग्राम समिति/सभा में सहमति/सर्वानुमति बनाए।

73वें संविधान संशोधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पंचायती राज संस्थाओं के नेतृत्व में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। सभी स्तरों पर नवनिर्वाचित अनेक नेता NkVh जातियों या महिलाओं में से आए हैं। अनेक जगहों पर वंचित सामाजिक समूहों के निर्वाचित प्रतिनिधि स्थानीय रूप से दबंग समूहों के प्रतिनिधि के बतौर काम करते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर औपचारिक नेतृत्व की संरचना में आए बदलाव वास्तविक बदलाव को प्रतिबिंबित करते हैं। इससे ग्रामीण समाज में हो रहे मंथन का पता चलता है। उ.प्र. के मामले में लीटन और श्रीवास्तव ( 1999 ) ने पाया कि पंचायत नेतृत्व के परिवर्तनों ने कम से कम आंशिक रूप से वंचित सामाजिक समूहों की jktu8rd और सामाजिक दावेदारी को काफी हद तक बढ़ाया है। हालांकि अनेक मामलों में पारंपरिक अभिजन की ओर से प्रतिरोध ( कानूनी छिद्रों और बात मानने वाली नौकरशाही की मदद से ) आया है, फिर भी वंचित समूहों के सदस्यों और महिलाओं ने अपनी नई जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक ग्रहण किया है।

1998 में सहयोग नामक एक स्वैच्छिक संगठन ने पुष्पा नामक एक कोल जनजातीय लड़की की ओर से झंडा उठाया। पुष्पा मिर्जापुर जिले के अपने गांव में ऊंची जाति के पूर्व प्रधान के समर्थन से प्रधान चुनी गई थी। पूर्व प्रधान, जाति आधारित आरक्षण के कारण दुबारा चुनाव न लड़ सके थे और उप-प्रधान के पद से उन्हें संतोष करना पड़ा था। पुष्पा पढ़ी-लिखी थी और इसके कारण अपने गांव में विकास कार्यों के कार्यान्वयन में सक्रियतापूर्वक (और ईमानदारी से) लग गई। इसके कारण उसके पूर्व संरक्षक नाराज हो गए और उन्होंने सफलतापूर्वक पंचायत में उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करवा लिया। पुष्पा को उसके पद से हटा दिया गया। वह मुकदमा भी हार गई। 6 महीने बाद प्रधान पद के लिए जब दुबारा चुनाव हुआ तो वह भारी बहुमत से चुनी गई और उसने अपना कार्यकाल पूरा किया।

नेतृत्व की संरचना में परिवर्तन के कारण full scale नई चुनौतियां पैदा हुई हैं। अनेक प्रतिनिधि पहली बार चुने गए हैं और उन्हें अपने कार्यभार और जिम्मेदारियों को पूरा करने का अनुभव या ज्ञान नहीं है। अनेक निर्वाचित प्रतिनिधि और प्रधान पहले तो अपने रिश्तेदारों या अन्य प्रभावशाली ग्रामवासियों से अलग स्वतंत्रतापूर्वक काम ही नहीं कर पाते थे। श्रेणीबद्ध ग्राम संरचना, निरक्षरता, सामाजिक नियम और सुदृढ़ पितृसत्तात्मक नियम अन्य प्रमुख अवरोध थे। VHKk तक पंचायतों में कोई सरकारी delv नहीं था और गरीब पृष्ठभूमि के प्रधानों से यह उम्मीद की जाती थी कि वे अपने ( बगैर धन के ) कार्यभार पूरा करने के लिए धन और समय लगाएं। Vfi rj अनुमान बताते हैं कि इन सब बाधाओं के बावजूद गरीब तबकों से आए हुए पंचायती राज नेतृत्व ने समय बीतने पर इनके संचालन में गुणात्मक सुधार लाया है।

जमीनी स्तर पर लोकतंत्र ले आना चुनौती भरा काम है। ग्राम सभा और पंचायत की बैठकें पहले तो कभी-कभार ही होती थीं, अब थोड़ी नियमित हुई हैं लेकिन अब भी ग्राम पंचायत की बैठकों की निरंतरता और बैठकों में भागीदारी की गुणवत्ता को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। पहले ही बताया गया है कि उ.प्र. में ग्राम पंचायतें छोटी होने के बावजूद पंचायतों को उपलब्ध संसाधनों की राशि काफी अधिक है। अगर पर्याप्त रोकथाम न हो तो निर्वाचित प्रधान, स्थानीय पंचायत कर्मचारी और अन्य सरकारी अधिकारियों में इन संसाधनों के दुरुपयोग की प्रवृत्ति पैदा होना स्वाभाविक है। कुछेक जगहों पर प्रधान पद के प्रत्याशी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए काफी पैसा खर्च करने के लिए जाने जाते हैं। पंचायत के संचालन पर रोकथाम प्रथमतः समुदाय के स्तर पर होनी चाहिए और कुछ राज्यों में एन.जी.ओ. ने पंचायतों के भीतर भ्रष्टाचार रोकने और उसका भंडाफोड़ करने के लिए सामाजिक लेखा परीक्षण की क्रांतिकारी प्रक्रिया शुरू की है।

73 वें/74 वें संविधान संशोधन के कारण पहले दौर के सत्ता अंतरण से जो प्रमुख सीखें मिली हैं, वे निम्नवत हैं:

- सत्ता अंतरण की प्रक्रिया को बनाए रखना चाहिए। 11वीं और 12वीं अनुसूची में दिए गए अधिकार और प्रकार्य उचित स्तर पर स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करना चाहिए। स्थानीय कर्मचारी का प्रशासनिक नियंत्रण स्थानीय निकायों द्वारा होना चाहिए।
- स्थानीय निकायों को इसी के अनुरूप सक्षम बनाया जाना चाहिए। इसके लिए उसके सदस्यों और समितियों का प्रशिक्षण तथा भौतिक और वित्तीय संसाधनों का हस्तांतरण होना चाहिए। स्थानीय निकायों को विकास हेतु स्थानीय संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और प्रेरणास्वरूप धन स्थानांतरित करना चाहिए।
- विकास से जुड़ी हुई नौकरशाही के दृष्टिकोण में बदलाव लाना चाहिए। इसे तीसरे स्तर की सरकार का सहायक बनना चाहिए और सभी स्तरों पर निर्वाचित सरकारों तथा नौकरशाही के बीच स्वस्थ संबंध विकसित होना चाहिए।
- स्थानीय निकायों, उनकी स्थायी समितियों और प्रतिनिधियों की जवाबदेही बढ़ानी चाहिए। नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आचार संहिता बनाने में मदद करनी चाहिए। नियमों और प्रक्रियाओं को सरल एवं पारदर्शी बनाना चाहिए। वित्तीय प्रबंधन और लेखा परीक्षण की प्रक्रिया को मजबूत करना चाहिए ताकि जीवन के सभी क्षेत्रों से आए निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने कार्य संपादन में मदद मिल सके।

प्रशासन की कार्यसूची के केंद्र में सुशासन को रखा गया है। नौकरशाही में सुधार, नए प्रबंधन और सूचना तकनीक का प्रवेश, निम्नतम स्तर तक प्रकार्यों और अधिकारों का अंतरण, स्थानीय नेताओं को जवाबदेह बनाना प्रशासनिक सुधार के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। इन सुधारों के बगैर उ.प्र. के नागरिक कभी मानव विकास का आनंद नहीं ले सकेंगे।

## प्रमुख चुनौतियां और आगामी कार्य

### चुनौतियां और प्रमुख संदेश

1. सुशासन और सत्तांतरण दो मुख्य आवश्यकताएँ हैं जो सरकारों को ज्यादा पारदर्शी, जिम्मेदार और जवाबदेह बनाती हैं। इन दोनों को केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख वरीयता माना जाता है।

उ.प्र. में सुधार की कार्यसूची में प्रशासन संबंधी मुद्दे केंद्रीय बन गए हैं। सरकार बहुमुखी और समयबद्ध प्रशासनिक सुधार के लिए कटिबद्ध है। कार्यसूची का उद्देश्य है नौकरशाही को पुनर्संयोजित, पुनर्सुधार और उसकी दिशा ठीक करना ताकि वह अपने मुख्य कार्यभार पूरा करे, वे ही (नियामक) प्रकार्य अपने पास रखे जो उसकी नई भूमिका से मेल खाते हों, नई प्रबंधकीय और सूचना तकनीक से परिचित हो, सरकारी कामकाज को निम्नतम स्तर तक अंतरित करे, जहां उनकी विस्तार से जांच-परख हो और स्थानीय समुदाय के प्रति उसकी सीधी जवाबदेही हो। सुधार का उद्देश्य सभी स्तरों पर सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना तथा भ्रष्टाचार को रोकना भी है। आर्थिक विभागों (वित्त, बिजली, कृषि, सिंचाई और लोक निर्माण) में विशेष सुधार किए जा रहे हैं ताकि 'vuko'; d नियमों में कटौती हो और पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़े।

2. विकेंद्रीकरण को उ.प्र. में केंद्रीकृत, अपारदर्शी और गैरजवाबदेह सरकार में एक बड़े सुधार के रूप में Bhd ghi देखा जाता है। सरकार के ऊपरी हलकों के सहयोग से विकेंद्रित योजना तीव्र मानव विकास का सर्वोत्तम समाधान है। 73वें और 74वें संशोधन xte स्तर से ऊपर बढ़ते हुए जिला स्तर तक योजना बनाने की संवैधानिक सहमति और जगह देते हैं। ऐसी योजनाओं को वास्तव में भागीदारीमूलक बनाने की vlo'; drk है और इनमें जमीनी स्तर से ऊपर बढ़ते हुए मानव विकास की चिंताएं प्रकट होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वशिक्षा अभियान इस तरह की योजना का एक और ढांचा उपलब्ध कराता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसा कुछ होना शेष है; |fi कुछ परियोजनाएं vlo'; drk के अनुसार स्थानीय योजना को प्रोत्साहित करती हैं।

73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के बाद उ.प्र. में विकेंद्रीकरण के अनुभव से जो मुख्य शिक्षाएं मिली हैं वे निम्नवत हैं:

- सत्ता अंतरण की प्रक्रिया को बनाए रखना चाहिए। 11वीं और 12वीं अनुसूची में दिए गए अधिकार और प्रकार्य उचित स्तर पर स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करना चाहिए। स्थानीय कर्मचारी का प्रशासनिक नियंत्रण स्थानीय निकायों द्वारा होना चाहिए।
- स्थानीय निकायों को इसी के अनुरूप सक्षम बनाया जाना चाहिए। इसके लिए उसके सदस्यों और समितियों का प्रशिक्षण तथा भौतिक और वित्तीय संसाधनों का हस्तांतरण होना चाहिए। स्थानीय निकायों को विकास हेतु स्थानीय संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और प्रेरणास्वरूप धन स्थानांतरित करना चाहिए।
- विकास से जुड़ी हुई नौकरशाही के दृष्टिकोण में बदलाव लाना चाहिए। इसे तीसरे स्तर की सरकार का सहायक बनना चाहिए और सभी स्तरों पर निर्वाचित सरकारों तथा नौकरशाही के बीच स्वस्थ संबंध विकसित होना चाहिए।
- स्थानीय निकायों, उनकी स्थायी समितियों और प्रतिनिधियों की जवाबदेही

बढ़ानी चाहिए। नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आचार-संहिता बनाने में मदद करनी चाहिए। नियमों और प्रक्रियाओं को सरल एवं पारदर्शी बनाना चाहिए। वित्तीय प्रबंधन और लेखा परीक्षण की प्रक्रिया को मजबूत करना चाहिए ताकि lakt के सभी क्षेत्रों से आए निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने कार्य संपादन में मदद मिल सके।

3. जवाबदेही सभी स्तरों पर और भी मजबूत होगी; |fi राज्य सरकार मानव विकास के सेक्टर और राज्यस्तरीय स्पष्ट लक्ष्य निश्चित करे। इन लक्ष्यों और इन्हें हासिल करने के उपकरणों को व्यापक तौर पर प्रचारित करना चाहिए। इन लक्ष्यों की पूर्ति का कानूनी और लेखा परीक्षण होना चाहिए। केंद्र सरकार के पदचिह्नों पर चलते हुए राज्य सरकार ने ekulVjony Vkjxv/ dh एक सूची जारी की है जिनमें से अनेक सीधे मानव विकास से जुड़े हैं (बाक्स 9.1)। ; |fi, इन लक्ष्यों को पूरा करने और इनका vuqlo.k करने की पद्धति पर्याप्त, oa Li"V : i l s mfyf[kr ugha gA

### ckDI 9-1 nl oha ;kstuk ds vlrzr' ekulVjony Vkjxv/

- o"lz 1999&2000 ea xjhch jfkk ds uhrs jgus okys 0; fDr; ka dk ifr'kr 31-15 l s ?kVkdj nl oha ;kstuk ds vlr rd 25-41 ifr'kr ds Lrj rd ykukA
- nl oha ;kstuk vof/k ea 81-00 yk[k jkstkj ds voljka dk l tu djuk] rfd uoha ;kstuk ds vlr ea cjktxkj ds cdykd rfk nl oha ;kstuk ea tMus okys vfrfjDr Je 'kDr dks jkstkj miyC/k gks l dA
- nl oh ;kstuk vof/k ea lHh cPpa dks f'k{k grq fo|ky; dh lfo/k miyC/k djukA
- efgyk vlg iq "k l{kjrk ds chip orzku 27 ifr'kr ds vlrj dks de djus ds fy, efgyk l{kjrk ij fo'k{k cy nuka
- orzku tle nj 32-1 ifr gtkj dks de djds nl oha ;kstuk ds vlr rd 22-0 ifr gtkj rd ykukA
- orzku er;q nj 10-2 ifr gtkj l s de djds nl oha ;kstuk ds vlr rd 9-0 ifr gtkj rd ykukA
- orzku f'k'kq er;q nj 84 ifr gtkj dks de djds nl oha ;kstuk ds vlr rd 72 ifr gtkj rd ykukA
- 'kr&ifr'kr l{kjrk nj ikr djus grq iz kl fd;k tk; xk] nl oha ;kstuk ds vlr rd de l s de 75 ifr'kr l{kjrk ikr djukA
- ;kstuk vof/k ea lHh cFlr; ka ea ihus dk ikuh i; klr ek=k ea miyC/k djukA



- efgyk l'kfDrdj.k ij cy inku djukA
- Lo; a l gk; rk l egnk dk xBu rFkk mUga i k l k fgr fd; k tkukA
- l ekftd l j {kk dk foLrkj vj l q < h d j . k A
- iz'kkueh xie l Me l ; stuk ds v l r x r 500 l s v f / k d tul f ; ; k okys l Hkh xteka dks l Me l s t k m / k u k A
- fo f H k U u fo H k k x k a j k j l p k f y r d k ; z t e k a d k s , d l k f k y d j l d k / k u k a d k l o k r / k d m i ; k s A
- n l o h a ; k s t u k d s v l r r d i h 0 , e 0 t h 0 o k b D d s v l r x r l H k h x t e k a d k f o | q h d j . k A
- fo d b h d j . k i f d z ; k d s e k / ; e l s l H k h l F k k u h ; f u d k ; k a d k s v k r e f u H k j c u k u k A

4. शिक्षा को fuf'pr : i l s मानव विकास का एक प्रमुख आयाम माना गया है। उ.प्र. के परिणाम बताते हैं कि इसका बहुत ही मजबूत संबंध खुशहाली के अन्य सभी आयामों से है (mnkgj .MkFz भागीदारी, सशक्तीकरण, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसरों तक पहुंच)। हाल के दशक में उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल को छोड़कर) में साक्षरता के मामले में काफी सुधार दिखाई पड़ा है, खासकर लड़कियों के मामले में तो सुधार की काफी ऊंची दर दर्ज की गई है। नामांकन में सुधार भी लड़कियों और सामाजिक रूप से वंचित समूहों में काफी अधिक है। वर्तमान रणनीतियों और कार्यक्रमों ने नामांकन (लड़कियों और सामाजिक रूप से वंचित समूहों को अधिक लाभ) और स्कूल में बने रहने पर प्रभाव डाला है। इस बात के भी प्रमाण हैं कि प्रोजेक्ट वाले क्षेत्रों में शिक्षा उपलब्धि के मामले में सुधार आया है।

बहरहाल, एक-चौथाई बच्चे राज्य में अब भी स्कूल से बाहर हैं, और अनेक जिलों में यह अनुपात vj Hkh अधिक है। खराब अधिसंरचना, अध्यापन की गुणवत्ता और खराब उपलब्धि स्तर (गुणवत्ता) चिंता के प्रमुख विषय हैं।

राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं जिनमें जीर्णोद्धार कार्यक्रम, सांस्थानिक सुधार, क्षमता निर्माण और उपयोगकर्ताओं के शुल्क के जरिए शिक्षा के लिए संसाधनों की गोलबंदी तथा निजी क्षेत्र की ज्यादा भागीदारी शामिल हैं। बहरहाल, 2010 तक यू.ई.ई. का लक्ष्य हासिल करने के राह में कई गंभीर चुनौतियां अवशेष हैं।

- शिक्षा व्यवस्था के पर्याप्त सार्वजनिक प्रांO धान के लिए आवश्यक स्तर से काफी कम सार्वजनिक वित्तीय संसाधन हैं। सभी संभव मान्यताओं के तहत सरकार को शिक्षा के लिए उपलब्ध संसाधन बढ़ाने होंगे। प्राथमिक शिक्षा के लिए संसाधनों को कम से कम जी.एस.डी.पी. के 0.7 प्रतिशत तक बढ़ाना होगा, जबकि पिछले दशक में यह स्थिर रहा है। आवश्यक संसाधनों को बढ़ाने के लिए नए तरीकों और केंद्र के अतिरिक्त सहयोग की v l o ' ; d r k पड़ेगी।
- माध्यमिक स्तर तक सरकारी शिक्षा के प्रबंधन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए ताकि स्थानीय समुदायों की भूमिका बढ़ सके। शिक्षा के विकेंद्रीकरण का समर्थन राज्य सरकार पर्याप्त वित्तीय सहायता, तकनीकी समर्थन और मानक के यथोचित fu; e l k के जरिए कर सकती है।
- m - i z e a धीरे-धीरे शिक्षा की वित्तीय सहायता प्रणाली में बदलाव आ रहा है। यह अब राज्य नियंत्रण और राज्य अनुदान से अधिकाधिक निजी प्रबंधन और निजी अनुदान की प्रणाली होती जा रही है। फीस की दर में

वृद्धि का दबाव दो तरफ से पड़ रहा है—संसाधनों की कमी O निजी क्षेत्र की ओर से। समतापूर्ण पहुंच पर इसका प्रभाव पड़ने की संभावना है। गरीब छात्रों की फीस माफी का पर्याप्त प्रांO धान किया जाना चाहिए ताकि वे स्कूली शिक्षा से वंचित न रहें। निजी क्षेत्र की भागीदारी तो बढ़ानी चाहिए लेकिन सरकार को सावधानीपूर्वक नजर रखनी होगी ताकि शोषण न होने पाए और ekuclka का पालन Hkh gksi

- सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि चालू सुधार ऐसी शिक्षा के प्रसार में मदद करें जिसकी गुणवत्ता अच्छी हो, जो बालक केंद्रित हो और स्थानीय रूप से प्रासंगिक हो।

5. स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार की प्रगति धीमी रही है और परिणाम बताते हैं कि खराब स्वास्थ्य का बोझ गरीबों, सामाजिक रूप से वंचितों और महिलाओं तथा बच्चों पर अनुपात से अधिक पड़ जाता है। स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूती सरकारी और निजी दोनों ही प्रांO धानों की मजबूती पर निर्भर है। इस प्रतिवेदन का विश्लेषण बताता है कि स्वास्थ्य परिणामों, लिंग और शैक्षिक स्थिति के बीच उल्लेखनीय स्थानगत समरूपता है। बढ़ाया, बहराइच, हरदोई और एटा जैसे जिले शिक्षा, स्वास्थ्य और लिंग संबंधी सूचकों के मामले में एक जैसा ही खराब प्रदर्शन करते हैं।

राज्य सरकार ने दसवीं योजना और अपनी जनसंख्या नीति में स्वास्थ्य संबंधी अनेक महत्वपूर्ण लक्ष्य तय किए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले से ही कई सुधार चल रहे हैं जो सांस्थानिक, प्रबंधकीय, पेशेवर और वित्तीय मुद्दों से जुड़े हुए हैं।

6. त्वरित आर्थिक विकास, कम वृद्धि की प्रवृत्ति को j k d u और राज्य तथा शेष देश के बीच अंतराल को कम करने के लिए आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के समक्ष व्यापक आधार वाली बढ़त हासिल करने की चुनौती है जो लोगों को रोजगार दे और उन्हें गरीबी से मुक्त करे। राज्य और देश के बढ़त प्रदर्शन में v u o j r v l r j बढ़ रहा है।

राज्य के राजस्व संकट की गहरी जड़ बढ़त प्राप्त करने और सामाजिक क्षेत्र के समर्थन के काम को मुश्किल बना देती है। राजस्व के स्रोत भरपूर नहीं हैं और राजकोषीय व्यय बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में भयानक राजस्व संकट के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। चूंकि चालू परियोजनाओं की वित्तीय सहायता के लिए कर्ज लिया जा रहा है, इसलिए सरकार के पास निवेश पर खर्च करने के लिए धन ही नहीं है। राजस्व असंतुलन और व्यय वरीयताओं को ठीक करने सहित तमाम राजस्व संबंधी सुधार सरकार के कार्यभारों की त्वरित कार्यसूची में शामिल हैं।

राज्य को आर्थिक और सामाजिक अधिसंरचना पर अपना व्यय l e f p r : i l s बढ़ाना होगा। इसके लिए राज्य की वित्तीय व्यवस्था को पुनर्संयोजित करना होगा। न सिर्फ संसाधनों के अतिरिक्त गोलबंदी की रणनीति बनानी होगी बल्कि राजस्व घाटे में कमी भी लानी होगी तथा वरीयता वाले क्षेत्रों में व्यय को पुनर्निर्देशित करना होगा।

निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार को यथोचित वातावरण बनाना होगा। इसके लिए कानून व्यवस्था की स्थिति v j सुधारनी होगी तथा नियामक प्रणाली द्वारा पैदा किए गए अनावश्यक अवरोधों को हटाना होगा जो संभावित निवेशकों को दूर भगा देते हैं।

चूंकि गरीबों का संकेन्द्रण ग्रामीण क्षेत्रों में है और उनकी निर्भरता खेती तथा उससे जुड़ी हुई गतिविधियों पर होती है, इसलिए गरीबी उन्मूलन के लिए खेती में तीव्र और निरंतर वृद्धि अत्यावश्यक है। इसी के साथ जमीन पर दबाव घटाने तथा बढ़ती हुई कार्य शक्ति को रोजगार और आय के अवसर मुहैया कराने के लिए ग्रामीण अर्थतंत्र का विविधीकरण आवश्यक है। गरीब



जनता के आय स्तर में सुधार लाने के लिए तकनीकी मानोन्नयन और बेहतर निवेश तथा बाजार की सुविधाओं के जरिए खेती और पारंपरिक उद्योगों तथा अनौपचारिक सेक्टर की उत्पादकता का स्तर बढ़ाना  $VkO'$ ;  $d$  है। ग्रामीण अधिसंरचना की बेहतरी के लिए भारी निवेश से आर्थिक वृद्धि में त्वरण तो आएगा ही, लोगों की जीवन स्थितियों में भी सुधार होगा।

7. सामाजिक और लिंग असमानता को समाप्त करना और नाजुक समूहों की सुरक्षा आवश्यक है ताकि विकास की प्रक्रिया में सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो और सभी इससे लाभ उठा सकें। उ.प्र. में अल्प मानव विकास की स्थिति मुख्यतः इसलिए है क्योंकि पुरुषों और महिलाओं के बीच तथा सामाजिक विशेषाधिकार युक्त समूहों और सामाजिक रूप से वंचितों के बीच भारी असमानताएं हैं।

राज्य में अनेक क्षेत्र हैं जिनमें महिला सशक्तीकरण के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करनी होगी।

- महिला प्रश्नों को मुख्यधारा में लाना  $\& gekjh$  मुख्य चुनौती लोगों, खासकर सरकार में बैठे लोगों को यह मनवाना है कि राज्य का विकास अभिन्न रूप से महिलाओं के विकास से जुड़ा है। साथ ही वह सामाजिक रूप से वंचित समूहों के विकास से भी जुड़ा हुआ है। महिला प्रश्नों को मुख्यधारा में लाने का  $Vk'k$ ; है  $d$  महिला सशक्तीकरण को केवल महिलाओं का नहीं, सबका कार्यभार बना देना। इसका  $Vfk$  है सभी नीतियों और कार्यक्रमों के महिलापरक विश्लेषण और महिलापरक मूल्यांकन को संस्थाबद्ध करना। मसौदा महिला नीति को व्यापक स्तर पर वितरित करने, उस पर बहस करने और प्राप्त सूचनाओं की रोशनी में उसे संशोधित करने तथा सरकार द्वारा उसे अपनाने की  $VkO'$ ;  $drk$  है।
- सुधारों के नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षा  $\&$  राज्य में सुधार चल रहे हैं, इस संबंध में यह गारंटी करनी होगी कि महिलाएं सुधारों के लाभ से वंचित न रहें, साथ ही वे इस प्रक्रिया की कीमत अनुपात से अधिक न चुकाएँ। इसके विपरीत ऐसी योजना होनी चाहिए कि महिलाएँ विभिन्न सेक्टरों में पैदा हो रहे अवसरों से लाभ उठा सकें।
- सार्वजनिक सेवाओं की पहुँच और गुणवत्ता बढ़ाना  $\&$  महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और सफाई जैसी सेवाओं की अदायगी में क्रांतिकारी सुधार  $VkO'$ ;  $d$  है।
- महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाना  $\&$  महिलाओं के  $nl''Vdksk$  से उसके भविष्य के लिए 'जीवन मरण' का प्रश्न उनकी सुरक्षा है। राज्य के जिलावार आंकड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं कि महिलाओं और लड़कियों की स्थिति, उनका स्वास्थ्य और उनकी मृत्यु दर उनकी सुरक्षा से गहरे जुड़ी हुई है।
- महिलाओं के लिए आर्थिक अवसर बढ़ाना और संपत्ति पर अधिकार की गारंटी  $\&$  जिला स्तरीय आंकड़े बताते हैं कि लाभप्रद रोजगार में महिलाओं

की भागीदारी और उनकी स्थिति में घनिष्ठ संबंध है। आय के अतिरिक्त संपत्ति में अधिकार किसी भी  $0; fDr ds Lrj dks fo'kV$  बना देता है।

- राज्य में महिलाओं की प्रगति की देखरेख के लिए महिला डाइरेक्टरी  $\&$  सुझाव दिया गया है कि हर 5 साल में राज्य की ओर से व्यापक महिला डाइरेक्टरी/महिला प्रोफाइल का प्रकाशन होना चाहिए। प्रोफाइल में महिलाओं की  $lflfr$  के साथ साथ महिला सशक्तीकरण की नीतियों, संस्थाओं और समाज का भी लेखा जोखा होना चाहिए।

8. समाज सेवा संगठनों को प्रोत्साहन : यदि जनसंगठनों की ओर से भरपूर दबाव पड़े तो वास्तविक मानव विकास की चिंता के प्रति सरकार का ज्यादा जवाबदेह होना संभावित है। आज उ.प्र. की विशेष असफलता उसके नागरिक संगठनों की कमजोरी है। गतिविधि और चिंता में  $C<lkjh$  के कुछ लक्षण तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन वे बहुत थोड़े हैं।

मजबूत नागरिक समाज कार्यवाही के अभाव में प्रभुत्वशाली संरचनाएं और सरकारी संस्थान लोगों की सहमति मानकर चलना सीख जाते हैं। नागरिक समाज कार्यवाही सरकार के प्रयास से पैदा नहीं हो सकती लेकिन अगर सरकारें जवाबदेह हैं और सरकारी संस्थाओं की निगरानी व्यवस्था मजबूत है तो संगठनों को शक्ति मिल सकती है। दूसरे शब्दों में मजबूत और प्रतिभाशाली नेतृत्व मजबूत नागरिक समाज और जवाबदेह सरकार का वास्तविक चक्र बनाने में मदद कर सकता है।

ऐसे संगठनों के अलावा, जो दबाव समूह के बतौर काम कर सकते हैं, उ.प्र. में अत्यंत भिन्न-भिन्न स्वैच्छिक और गैर सरकारी संगठन भी हैं जो स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं के प्राविधान सहित अनेकमुखी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। उभरता हुआ एक ऐसा निजी क्षेत्र भी अब है जो इन सेवाओं को मुहैया कराना चाहता है।

यह प्रक्रिया अनेक अवसर और चुनौतियां प्रस्तुत करती है। पहले तो नियमन की ऐसी व्यवस्था लागू करनी होगी, जिसमें जनता का विश्वास हो और जो सरकार के खर्च में ही बढ़ो  $lkr$  न करे। दूसरे, यह सुनिश्चित करना होगा कि सार्वजनिक संसाधनों को निजी लाभ प्राप्त करने के लिए  $i, kx$  न किया जाए। तीसरे, मानव विकास और सामाजिक क्षेत्र के लिए संसाधनों की लामबंदी करनी होगी। अंततः स्वैच्छिक क्षेत्र के कौशल और अनुभव से नई अनुभवपरक शिक्षा पैदा करनी होगी, जिसका उपयोग व्यापक स्तरों पर किया जा सके।

निहितार्थ यह है कि सरकार और एन.जी.ओ. सेक्टर के बीच जटिल दोतरफा संबंध है। सरकार की तात्कालिक  $VkO'$ ;  $drk$  के अधीन इस सेक्टर को लाने की प्रवृत्ति, तीव्र मानव विकास की मांग को पूरा करने में संभवतः मदद नहीं करेगी।

## 1. यूपी एच डी आर के परिप्रेक्ष्य पत्र—

हुसैन, सहबा (2001), “ए टाइम लाइन आन एलीमेंटरी एजुकेशन”  
 मोहन, अरविंद (2001), “हेल्थ इन उत्तर प्रदेश”  
 मुजम्मिल, मुहम्मद (2001), “सेकंडरी एंड हायर लेवेल्स आफ एजुकेशन एंड द फाइनेंसिंग आफ एजुकेशन”  
 सेनगुप्ता, ए.के. (2001), “उत्तर प्रदेश : ऐन ओवरव्यू”  
 सिंह, अजीत के. (2001), “इनकम, प्रोडक्टिविटी एंड इंप्लायमेंट इन यूपी”  
 सिंह, अजीत के. (2001), “अनइंप्लायमेंट एंड पावर्टी इन उत्तर प्रदेश”  
 श्रीवास्तव, निशा (2001), “अनवीलिंग वीमेंस स्टेटस इन उत्तर प्रदेश”  
 श्रीवास्तव, निशा और श्रीवास्तव, रवि (2001), “द चाइल्ड इन उत्तर प्रदेश”  
 श्रीवास्तव, निशा और श्रीवास्तव, रवि (2001), “सोशल ग्रुप्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट”  
 श्रीवास्तव, रवि (2001), “गवर्नेंस एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन उत्तर प्रदेश”

## 2. दस्तावेज और रिपोर्ट—

एमनेस्टी इंटरनेशनल (2001), द इंपैक्ट आफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, मीमियो।  
 डेवलपमेंट एंड रिसर्च सर्विसेज(1999), स्टडी आन पार्टिसिपेशन आफ चिल्ड्रेन इन प्राइमरी एजुकेशन इन टू डिस्ट्रिक्ट्स आफ यूपी., नई दिल्ली।  
 भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (1997) सैकिया कमेटी : रिपोर्ट आफ द कमेटी आफ स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर्स आन इंप्लिकेशंस आफ द प्रोजेक्टल टु मेक एलीमेंटरी एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट; डिपार्टमेंट आफ एजुकेशन, नई दिल्ली।  
 भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (1999), एक्सपर्ट ग्रुप रिपोर्ट आन फाइनेंसियल रिक्रायमेंट्स फार मेकिंग एलीमेंटरी एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट, डिपार्टमेंट आफ एजुकेशन, नई दिल्ली।  
 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, इकोनामिक सर्वे (विभिन्न वर्ष), नई दिल्ली : डिपार्टमेंट आफ इकोनामिक अफेयर्स।  
 भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एजुकेशन इन इंडिया (विभिन्न वर्ष), नई दिल्ली : डिपार्टमेंट आफ एजुकेशन।  
 भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सेलेक्टेड एजुकेशनल स्टेटिस्टिक्स (विभिन्न वर्ष), नई दिल्ली : डिपार्टमेंट आफ एजुकेशन।  
 भारत सरकार, सेंट्रल ब्यूरो आफ हेल्थ इंटेलिजेंस, डी.जी. एच.एस., स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, हेल्थ इनफार्मेशन इंडिया (वार्षिक प्रकाशन)  
 भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ड्राफ्ट नेशनल हेल्थ पालिसी, 2001  
 भारत सरकार, योजना आयोग (2002), “नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2001”, नई दिल्ली।  
 भारत सरकार, योजना आयोग, दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) के लिए प्राथमिक और वयस्क शिक्षा की स्थायी समिति की रिपोर्ट, दिसंबर 2001, टी.एफ.वाई.पी. स्टियरिंग कमेटी सीरियल नं.9/2001

भारत सरकार, योजना आयोग, टेंथ फाइव ईयर प्लान, 1992–97, जिल्द 1–3।  
 भारत सरकार (1999), योजना आयोग, नाइंथ फाइव ईयर प्लान, जिल्द 1 और 2।  
 भारत सरकार, योजना आयोग (1957), रिव्यू आफ द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान, नई दिल्ली।  
 भारत सरकार, योजना आयोग (1961), थर्ड फाइव ईयर प्लान, नई दिल्ली।  
 भारत सरकार, प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो, “पावर्टी इस्टीमेट्स फार 1999–2000,” 21 फरवरी (योजना आयोग)।  
 भारत सरकार, डिपार्टमेंट आफ स्टेटिस्टिक्स, एन.एस.एस.52 बाँ राउंड सर्वे(1995–96) : अटेंडिंग ऐन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया : इट्स लेवल, नेचर एंड कॉस्ट।  
 भारत सरकार, डिपार्टमेंट आफ हेल्थ एंड फेमिली वेलफेयर (2000), उत्तर प्रदेश पापुलेशन पालिसी।  
 भारत सरकार, डिपार्टमेंट आफ रूरल डेवलपमेंट (1997 ए), “कांपेंडियम आफ इंपोर्टेंट लेटर्स एंड सर्कुलर्स आन पंचायती राज,” अगस्त, मीमियो।  
 भारत सरकार, डिपार्टमेंट आफ रूरल डेवलपमेंट(1997बी), “स्टेटवाइज इनफार्मेशन आन पंचायती राज,” अगस्त, मीमियो।  
 कर्नाटक सरकार, प्लानिंग डिपार्टमेंट (1999), ह्यूमन डेवलपमेंट इन कर्नाटक 1999, बंगलौर  
 उत्तर प्रदेश सरकार, डिपार्टमेंट आफ एग्रीकल्चर (2000), स्टेट एग्रीकल्चर पालिसी उत्तर प्रदेश सरकार, शिक्षा विभाग, शिक्षा की प्रगति (हिंदी में), वार्षिक रिपोर्ट।  
 उत्तर प्रदेश सरकार, डिपार्टमेंट आफ फाइनेंस (2001), एनुअल फाइनेंसियल रिपोर्ट एंड ब्रीफ रिव्यू आफ द फाइनेंसियल सिचुएशन, 2000–01 (हिंदी में)  
 उत्तर प्रदेश सरकार, डिपार्टमेंट आफ फाइनेंस, एनुअल बजट (विभिन्न वर्ष), लखनऊ।  
 उत्तर प्रदेश सरकार, डिपार्टमेंट आफ हेल्थ एंड फेमिली वेलफेयर(2000), उत्तर प्रदेश पापुलेशन पालिसी।  
 उत्तर प्रदेश सरकार, डिपार्टमेंट आफ हेल्थ एंड फेमिली वेलफेयर(2000), एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2000–01 (हिंदी में)  
 उत्तर प्रदेश सरकार, स्टेट प्लानिंग कमीशन (2002), टेंथ फाइव ईयर प्लान (2002–2007) एंड एनुअल प्लान 2002–2003, जिल्द 1 और 2, लखनऊ।  
 उत्तर प्रदेश सरकार, डिपार्टमेंट आफ प्लानिंग, नाइंथ फाइव ईयर प्लान, (1997–2002) एंड एनुअल प्लान 1997–98 जिल्द 1।  
 उत्तर प्रदेश सरकार, डिपार्टमेंट आफ प्लानिंग, एनुअल प्लान (2000–2001), जिल्द 1 भाग 1 और जिल्द 2 भाग 2।  
 उत्तर प्रदेश सरकार, डिपार्टमेंट आफ प्लानिंग, एनुअल प्लान (2001–2002) जिल्द 1 भाग 1 और जिल्द 2 भाग 2।  
 उत्तर प्रदेश सरकार, डिपार्टमेंट आफ रूरल डेवलपमेंट, एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट आफ प्रोग्राम्स/स्कीम्स (1999–2000), हिंदी में।  
 उत्तर प्रदेश सरकार, डिपार्टमेंट आफ रूरल डेवलपमेंट, प्रोग्रेस रिपोर्ट आफ प्रोग्राम्स/स्कीम्स, सितंबर 2000, हिंदी में।

उत्तर प्रदेश सरकार, डिपार्टमेंट आफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एनुअल रिपोर्ट आफ द डिपार्टमेंट आफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, 1999-2000

उत्तर प्रदेश सरकार, डिपार्टमेंट आफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ( जनवरी 1999), उत्तर प्रदेश, न्यूट्रीशनल स्टेटस आफ वीमेन एंड चिल्ड्रेन इन उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उत्तर प्रदेश सरकार (1999), रिपोर्ट आफ द कंप्यूटर जनरल आफ इंडिया फार द ईयर एंडेड 31 मार्च 1999, नं. 3 सिविल।

झा, ज्योत्सना (1999), फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फार अचीविंग युनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश, डी.पी.ई.पी. उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार रिपोर्ट।

इंटरनेशनल इंस्टीच्यूट फार पापुलेशन साइंसेज (2001), नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे—, u-, Q-, p-, l -&2 (1998-99) efcba

bwjuskuy bblVp;W vkQ ikiygsu l kbd st 2001 uskuy Ofeyh gYfk l of mlkj insk %1998&99% efcba

इंस्टीच्यूट आफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च (2000), “मैन पावर प्रोफाइल इंडिया ईयर बुक 2000”, नई दिल्ली, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस।

महिला समाख्या (1998) द स्प्रिट आफ द कलेक्टिव : यू.पी. महिला समाख्या एक्सपीरिएंस, एनुअल रिपोर्ट, 1997-98, लखनऊ।

नेशनल कौंसिल आफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, सिक्स्थ आल इंडिया एजुकेशनल सर्वे: सेलेक्टेड स्टेटिस्टिक्स।

नेशनल कौंसिल आफ अप्लाइड इकोनामिक रिसर्च (2000), हू बेनिफिट्स फ्राम पब्लिक स्पेंडिंग आन हेल्थ इन इंडिया ? (ड्राफ्ट)

नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एनुअल रिपोर्ट्स 1995-96, 1996-97, 1997-98, नई दिल्ली।

नेशनल सैंपल सर्वे आर्गनाइजेशन, डिपार्टमेंट आफ स्टेटिस्टिक्स, भारत सरकार (1996ए), लेवेल एंड पैटर्न आफ कंज्यूमर एक्सपेंडीचर, फिफथ विवनक्वेनियल सर्वे, एन एस एस 50वां राउंड 1993-94 रिपोर्ट नं. 402।

नेशनल सैंपल सर्वे आर्गनाइजेशन, डिपार्टमेंट आफ स्टेटिस्टिक्स, भारत सरकार (1996 बी), न्यूट्रीशनल इनटेक इन इंडिया, फिफथ विवनक्वेनियल सर्वे, एन एस एस 50 वां राउंड, 1993-94 अक्टूबर।

नेशनल सैंपल सर्वे आर्गनाइजेशन, डिपार्टमेंट आफ स्टेटिस्टिक्स, भारत सरकार (1997), इकोनामिक एक्टिविटीज एंड स्कूल अटेंडेंस बाइ चिल्ड्रेन आफ इंडिया, फिफथ विवनक्वेनियल सर्वे, एन एस एस 50 वां राउंड, 1993-94, रिपोर्ट नं. 412।

नेशनल सैंपल सर्वे आर्गनाइजेशन, डिपार्टमेंट आफ स्टेटिस्टिक्स, भारत सरकार (1998), अटेंडिंग ऐन एजुकेशनल इंस्टीच्यूशन इन इंडिया : इट्स लेवेल, नेचर एंड कॉस्ट, एन एस एस 52 वां राउंड, 1993-94, जुलाई 1995-जून 1996, रिपोर्ट नं. 439।

पब्लिक रिपोर्ट आन बेसिक एजुकेशन इन इंडिया (1999): आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (प्रोब रिपोर्ट)

रिजर्व बैंक आफ इंडिया (2001), स्टेटिस्टिक्स रिलेटिंग टु द इंडियन इकोनामी, बाम्बे स्टेट कौंसिल फार एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, बेस लाइन असेसमेंट स्टडी आफ डी पी ई पी- II इन यू.पी., लखनऊ, उ.प्र.।

स्टेट कौंसिल फार एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, मिडटर्म असेसमेंट स्टडी आफ डी पी ई पी- II इन यू.पी., लखनऊ, उ.प्र.।

स्टेट कौंसिल फार एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, फाइनल असेसमेंट स्टडी आफ डी पी ई पी- II इन यू.पी., लखनऊ, उ.प्र.।

स्टेट इंस्टीच्यूट आफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (1998), “क्लासरूम आब्जर्वेशन स्टडी इन यू.पी.बी.ई.पी. डिस्ट्रिक्ट्स”, इलाहाबाद।

स्टेट प्लानिंग इंस्टीच्यूट (1992), “स्टेटिस्टिकल ऐब्स्ट्रैक्ट उत्तर प्रदेश 1992”, लखनऊ डाइरेक्टोरेट आफ इकोनामिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स।

स्टेट प्लानिंग इंस्टीच्यूट (1995), “डिस्ट्रिक्टवाइज इकोनामिक इंडिकेटर्स फार एनालिसिस आफ उत्तर प्रदेश इकोनामिक सिचुएशन”, लखनऊ डाइरेक्टोरेट आफ इकोनामिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स।

स्टेट प्लानिंग इंस्टीच्यूट (2001), “स्टेटिस्टिकल डायरी उत्तर प्रदेश 2001”, लखनऊ डाइरेक्टोरेट आफ इकोनामिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स।

यू.पी. एजुकेशन फार आल बोर्ड, मेकिंग ए डिफरेंस: प्राइमरी एजुकेशन फार गर्ल्स इन उत्तर प्रदेश।

यू.पी. एजुकेशन फार आल बोर्ड, बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट: एनुअल रिपोर्ट्स, 1998-99, 1999-00

यू.पी. एजुकेशन फार आल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन यू पी, एनुअल रिपोर्ट, 1998-99, 1999-00, 2000-01।

यू.पी. एजुकेशन फार आल प्रोजेक्ट बोर्ड (1996), “ए स्टडी आन पार्टिसिपेशन आफ गर्ल्स इन क्लास रूम इंटरैक्शंस”, लखनऊ।

यू.पी. एजुकेशन फार आल प्रोजेक्ट बोर्ड (2000) यूनीसेफ (1996), “ग्लिमर आफ होप”, लखनऊ।

यू.पी. एजुकेशन फार आल प्रोजेक्ट बोर्ड, “मेकिंग ए डिफरेंस”

युनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट (1995), नई दिल्ली, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, चैप्टर 6, पृष्ठ 117

वर्ल्ड बैंक (1997), इंडिया अचीवमेंट्स एंड चेलेंजेज इन रिड्यूसिंग पावर्टी, फिफटी ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, ए वर्ल्ड बैंक कंट्री स्टडी, वाशिंगटन डी.सी.: द वर्ल्ड बैंक

वर्ल्ड बैंक (1998), रिड्यूसिंग पावर्टी इन इंडिया : आशंस फार मोर इफेक्टिव पब्लिक सर्विसेज, रिपोर्ट नं. 17881 आईएन, पावर्टी रिडक्शन एंड इकोनामिक मैनेजमेंट यूनिट, साउथ एशिया रीजन, द वर्ल्ड बैंक, वाशिंगटन डी.सी.।

वर्ल्ड बैंक (1999), “इंडिया टुवर्ड्स रूरल डेवलपमेंट एंड पावर्टी रिडक्शन, 18 मार्च 1999”, रूरल डेवलपमेंट सेक्टर यूनिट, साउथ एशिया रीजन, रिपोर्ट नं. 18921-आईएन।

वर्ल्ड बैंक (2001 ए) , इंडिया : कंफ्रंटिंग पावर्टी : द चैलेंज इन उत्तर प्रदेश (ड्राफ्ट), प्रेम : साउथ एशिया रीजन

वर्ल्ड बैंक (2001 बी), इंप्लीमेंटेशन कंफ्लिशन रिपोर्ट फार द सेकिंड उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट, एजुकेशन सेक्टर यूनिट, साउथ एशिया रीजन, रिपोर्ट नं. 217551।

### 3. किताबें, लेख और पेपर्स—

अग्रवाल, बी. (1994), ए फील्ड आफ ओसे ओन : जेडर एंड लैंड राइट्स इन साउथ एशिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।

अगवाल, यश (2000), ऐन एक्सेस आफ ट्रेड्स इन एक्सेस एंड रिटेशन, नेशनल इंस्टीच्यूट आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली

अग्निहोत्री, एस.बी. (2000), सेक्स रेशियो पैटर्न्स इन इंडियन पापुलेशन : ए फ्रेश एक्सप्लोरेशन, सेज पब्लिकेशंस

अनंत, टी.सी.ए., के.एल. कृष्णा और उमादत्त राय चौधरी (1999), “मेजरिंग इंटर स्टेट डिफरेंशियल्स इन इन्फ्रास्ट्रक्चर”, एलेवेथ फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, 2000

पब्लिक अफेयर्स सेंटर, 2002, “स्टेट आफ इंडियाज पब्लिक सर्विसेज : बेंचमार्क्स फार द न्यू मिलेनियम; बंगलौर।

बंद्योपाध्याय, डी. (1997), “वाल्डरी आर्गनाइजेशंस एंड पंचायत्स”, मेनस्ट्रीम, मार्च 29।

बंद्योपाध्याय, डी. (1997), “पीपुल्स पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग : केरल एक्सपेरिमेंट”, इकोनामिक एंड पोलिटिकल वीकली, वाल्यूम XXXII, नं. 39, सितंबर 27।

बशीर, साजित (2000), गवर्नमेंट एक्सपेंडीचर आन एलीमेंटरी एजुकेशन इन द नाइटीज, द यूरोपियन कमीशन।

कंपोस, नाउरो एफ. और जेफरी बी. न्यूजेंट(1999), “डेवलपमेंट परफार्मेंस एंड द इंस्टीच्यूशंस आफ गवर्नेंस : एविडेंस फ्रॉम ईस्ट एशिया एण्ड लैटिन अमेरिका”, वर्ल्ड डेवलपमेंट, वाल्यूम 27, नं. 3, पृष्ठ 439-52।

सेंटर फार पालिसी डायलाग (1998), क्राइसिस इन गवर्नेंस, ढाका : द यूनिवर्सिटी प्रेस, चैबर्स, राबर्ट, 1995, “पावर्टी एंड लाइवलीहुड्स : हूज रियलिटी काउंट्स”, यू एन डी पी, मीमियो।

कोज, आर.एच. (1960), “द प्रब्लम्स आफ सोशल कॉस्ट”, द जर्नल आफ ला एंड इकोनामिक्स, वाल्यूम 111, अक्टूबर।

दत्त, गौरव (1999), “हैज पावर्टी डिक्लाइंड सिंस इकोनामिक रिफार्म्स? स्टेटिस्टिकल डाटा एनालिसिस”, इकोनामिक एंड पोलिटिकल वीकली, दिसंबर 11-17, पृष्ठ 3516-3518

दत्त, गौरव, वी. कोजेल और एम. एवेलियन (2003) : ‘ए माडल बेस्ड असेसमेंट आफ इंडियाज प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग पावर्टी इन 1990 ज इकोनामिक एंड पोलिटिकल वीकली, जनवरी 25

दत्त, गौरव और मार्टिन एवेलियन (1996), इंडियाज चेकड हिस्ट्री इन फाइव अग्रेस्ट पावर्टी : आर देयर लेसंस फार फ्यूचर? इकोनामिक एंड पोलिटिकल वीकली, स्पेशल नंबर, वाल्यूम XXI, नं. 35, 36 और 37, सितंबर, पृष्ठ 2479-2486

दत्त, के.एल. और सविता शर्मा (2000), “लेवेल आफ लिविंग इन इंडिया : ऐन एनालिसिस आफ कंजप्शन एंड पावर्टी”, नई दिल्ली, प्लानिंग कमीशन, भारत सरकार, वर्किंग पेपर सीरीज, पेपर नं. 3/2000 पी.सी.

डीटन, आंगुस (2000), “एनरोलमेंट आफ चिल्ड्रेन इन द 42<sup>nd</sup> एंड 52<sup>nd</sup> राउंड (1995-96) राउंड्स आफ द एन एस एस”, मीमियो

डीटन, आंगुस और ट्रेज, ज्यॉ (2002) : ‘पावर्टी एंड इनइकालिटी इन इंडिया : ए रिएक्जामिनेशन’, इकोनामिक एंड पोलिटिकल वीकली, सितंबर 7

डीटन, आंगुस (2003), ‘एडजस्टेड इंडियन पावर्टी : इस्टीमेट्स फार 1999-2000’, इकोनामिक एंड पोलिटिकल वीकली, जनवरी 25

डीटन, आंगुस (2003), ‘प्राइसेज एंड पावर्टी इन इंडिया 1987-2000’, इकोनामिक एंड पोलिटिकल वीकली, जनवरी 25

ट्रेज, ज्यॉ और अमर्त्य सेन (संपा.) (1997 ए), इंडियन डेवलपमेंट : सेलेक्टेड रीजनल कल्पसंपेक्टिविज (दिल्ली, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस)

ट्रेज, ज्यॉ और हैरिस गजदर (1997 बी), “उत्तर प्रदेश : द बर्डेन आफ इनर्शिया”, ज्यॉ ट्रेज और अमर्त्य सेन (संपा.), ऊपर उद्धृत में।

ट्रेज, जे. और ए. सेन (2002), इंडिया : डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।

ट्रेज, ज्यॉ और गजदर, हैरिस (1997) “उत्तर प्रदेश : द बर्डेन आफ इनर्शिया”, ट्रेज, ज्यॉ और सेन, ए.के. (संपा.), इंडियन डेवलपमेंट : सेलेक्टेड रीजनल कल्पसंपेक्टिविज, आक्स फोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में।

ट्रेज, ज्यॉ और खेड़ा, रीतिका (1999), क्राइम, जेंडर एंड सोसाइटी इन इंडिया : सम क्लूज फ्रॉम होमीसाइड डाटा, वर्किंग पेपर नं. 66, सेंटर फार डेवलपमेंट इकोनामिक्स, नई दिल्ली।

ट्रेज, ज्यॉ (1990), ‘पावर्टी इन इंडिया एंड द आई आर डी पी डिल्यूजन’, इकोनामिक एंड पोलिटिकल वीकली, वाल्यूम 26, नं. 29, सितंबर

फान, शेगेन, हैजेक, पीटर और थोराट, सुखदेव (1999), लिंकेजेज बिटवीन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ग्रोथ, एंड पावर्टी इन रूरल इंडिया, रिसर्च रिपोर्ट नं. 110, आई एफ पी आर आई, वाशिंगटन।

हनुमंतराव, सी.एच. (1989), “डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग : ऐन ओवरव्यू आफ एक्सपीरिंस एंड प्रॉस्पेक्ट्स”, इकोनामिक एंड पोलिटिकल वीकली, वाल्यूम XXIV, नं. 8 फरवरी 28, पृष्ठ 411-16

हैरिस, एम. (1993), “द इवोल्यूशन आफ ह्यूमन जेंडर हायराकीज : ए ट्रायल फार्मुलेशन” मिलर, बी. (संपा.), सेक्स एंड जेंडर हायराकीज में, केंब्रिज, केंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस

हिरवे, इंदिरा और दर्शिनी महादेविया (1996), क्रिटिक आफ जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स: टुवर्ड्स ऐन आल्टरनेटिव, इकोनामिक एंड पोलिटिकल वीकली, अक्टूबर 26

आइजक, टी.एम. थामस और के.एन. हरिलाल (1997), “प्लानिंग फार एंपावरमेंट: पीपुल्स कैंपेन फार डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन केरल”, ई पी डब्ल्यू, जनवरी 4-11 जैन, अरविंद के. (2000), “करण: ए रिव्यू”, जर्नल आफ इकोनामिक सर्वेज, स्पेशल इशू आन न्यू पोलिटिकल इकोनामी

जैन, एल.सी. (1985), ग्रास विदाउट रूट्स: रूरल डेवलपमेंट अंडर गवर्नमेंट आस्पीसेज, नई दिल्ली : सेज

जेनकिंस, रॉब और एने मारी गोएल्ज (1989), “एकाउंट्स एंड एकाउंटेबिलिटी : थियोरिटिकल इंप्लिकेशंस आफ द राइट टु इन्फार्मेशन मूवमेंट इन इंडिया”, थर्ड वर्ल्ड क्वार्टरली, वाल्यूम 20, नं. 3, पृष्ठ 603-22

कानितकर, तारा (1979), “डेवलपमेंट आफ मैटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया”, के. श्रीनिवासन, पी.सी. सक्सेना और तारा कानितकर (संपा.), चाइल्ड इन इंडिया में, बाम्बे हिमालय पब्लिशिंग हाउस

कोजेल, वलेरी ओर बी.पार्कर (1998), “पावर्टी इन रूरल इंडिया : द कंट्रीव्यूशन आफ कवालिटेटिव रिसर्च इन पावर्टी एनालिसिस”, वर्ल्ड बैंक, मीमियो

कोजेल, वी. और बी. पार्कर (2003), ‘ए प्रोफाइल एंड डायनोस्टिक आफ पावर्टी इन उत्तर प्रदेश’ इकोनामिक एंड पोलिटिकल वीकली, जनवरी 25

क्रीजेल, स्तेफान और सलमान जैदी (1999), “द टार्गेटेड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम इन उत्तर प्रदेश, इंडिया-ऐन इवोलुएशन” द वर्ल्ड बैंक, मीमियो

कृष्णन, टी.एन. (1995), “एक्सेस एंड बर्डेन आफ ट्रीटमेंट : इंटरस्टेट कंपेरीजन”, तिरुवनंतपुरम, सेंटर फार डेवलपमेंट स्टडीज

लिटन, जी. के. और रवि श्रीवास्तव (1999), अनईक्वल पार्टनर्स : पावर रिलेशंस, डिबोल्यूशन एंड डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, सेज

मैथ्यू, पी. एम. (1997), “वीमेन इन पंचायतस : द मोर रिलेटेड क्वेश्चंस”, ई पी डब्ल्यू, जून 7।

माउसे, पावलो (1995), “करण एंड ग्रोथ”, द क्वार्टरली जर्नल आफ इकोनामिक्स, अगस्त।

मेहता, अशोक (1978), रिपोर्ट आफ द कमेटी आन पंचायती राज इंस्टीच्यूशंस, नई दिल्ली, कृषि और सिंचाई मंत्रालय।

मेहता, बलवंतराय (1957), रिपोर्ट आफ द टीम फार द स्टडी आफ कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स एंड नेशनल एक्सपेंशन सर्विसेज, वाल्यूम I, नई दिल्ली, योजना आयोग मायर, जेराल्ड एम (1995), लीडिंग इशूज इन इकोनामिक डेवलपमेंट, दिल्ली, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, छठा संस्करण, पृष्ठ 315

नेशनल इंस्टीच्यूट आफ रूरल डेवलपमेंट (1995 ए), पंचायती राज इंस्टीच्यूशंस इन इंडिया : ऐन अप्राइजल, हैदराबाद

नेशनल इंस्टीच्यूट आफ रूरल डेवलपमेंट (1995 बी), पंचायती राज इंस्टीच्यूशंस इन इंडिया : ऐन एनालिटिकल स्टडी, हैदराबाद

नैयर, रोहिणी (1996), “न्यू इनीशिएटिविज फार पावर्टी एलीविएशन इन रूरल इंडिया”, राव और लिनेमान (संपा.) में

नार्थ, डगलस सी. (1984), "गवर्नमेंट एंड द कॉस्ट आफ एक्सचेंज इन हिस्ट्री", जर्नल आफ इकोनामिक हिस्ट्री, वाल्यूम XLIV, नं. 2, जून।

ओल्सन, मांकर (1996), "बिग बिल्स लेफ्ट आन द साइडवाक : हवाई समनेशंस आर रिच एंड अदर्स पूअर", डिस्टिंग्विशड लेक्चर आन इकोनामिक्स इन गवर्नमेंट, जर्नल आफ इकोनामिक पर्सपेक्टिव्ज, वाल्यूम 10, स्प्रिंग, पृष्ठ 3-24

ओमेन, एम.ए. और अभिजीत दत्त (1995), पंचायत एंड देयर फाईनांस, नई दिल्ली, इंस्टीच्यूट आफ सोशल साइंसेज

पंचमुखी, पी.आर., रंजना श्रीवास्तव, रवि श्रीवास्तव और संतोष मेहरोत्रा (2001), अनेकजिंग II टाइगर इकोनामी : फाइनेंसिंग एलीमेंटरी एजुकेशन इन इंडिया, सितंबर (प्रेस में)

पंचू, श्रीराम (1999), "लीगल इंस्टीच्यूशंस फार डेवलपमेंट : सम आस्पेक्ट्स आफ वेलफेयर, गवर्नेंस एंड ला इंडिया", बी. हैरिस ह्विट और एस. सुब्रह्मणियन (संपा.), इलफेयर इन इंडिया : एसेज आन इंडिया सोशल सेक्टर इन आनर आफ एस. गुहा, नई दिल्ली, सेज

पंत, निरंजन (1995), स्टेट्स आफ गर्ल चाइल्ड एंड वीमेन इन इंडिया, नई दिल्ली, आशीष पब्लिशिंग हाउस

प्रकाश, वेद, एस.के.एस. गौतम और जे.के. बंसल (2000), स्कोलास्टिक अटेनमेंट अंडर एम ए एस, डी पी ई कोर ग्रुप, नेशनल काँसिल आफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नई दिल्ली, नवंबर

सचरोपाडलोस, जी. (1973), रिटर्न्स टु एजुकेशन, एम्सटर्डम, अलजेवियर पब्लिकेशन कं., पृष्ठ 17

रामचंद्रन, वी.के., विकास रावल और मथुरा स्वामीनाथन (1997), "इनवेस्टमेंट गैप्स इन प्राइमरी एजुकेशन : ए स्टेटवाइज स्टडी", इकोनामिक एंड पोलिटिकल वीकली, जनवरी 4-11

राव, एम. गोविंदा (2002), "स्टेट फाइनेंसिंग इन इंडिया : इश्यूज एंड चेलेंजेज", इकोनामिक एंड पोलिटिकल वीकली, अगस्त 3

राव, सी.एच. हनुमंत और हांस लिनेमान (संपा.) (1996), इकोनामिक रिफार्म्स एंड पावर्टी एलीमिनेशन इन इंडिया, नई दिल्ली, सेज।

राव, सी.एच.हनुमंत और पी.रंगास्वामी (1988), "एफीशिएंसी आफ इनवेस्टमेंट्स इन आईआरडीपी, ए स्टडी आफ उत्तर प्रदेश, इकोनामिक एंड पोलिटिकल वीकली, वाल्यूम 23, नं. 26, पृष्ठ 69-ए 76

jko] oh,-e-] 1989% 1/4MI 1/4ybTM lykux ik; kfjVh bdkulfed ll; 1/4] bdkulfed , .M ikfyfVdy ohdyh okY; 24 i"B 1399&1406A

राव, वी.एम., ए. एन. शर्मा और रवि श्रीवास्तव (1999), वायसेज आफ द पूअर, शास्त्री इंडो-कनाडियन इंस्टीच्यूट, नई दिल्ली के लिए तैयार रिपोर्ट

रोड, जे.ई. और हेमा विश्वनाथन (1995), द रूरल प्राइवेट प्रैक्टिशनर, नई दिल्ली, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस

राय, बंकर (1997), "ह्वेयर डज आल द मनी गो ? पीपुल्स स्टूगल फार इनफार्मेशन," ईपीडब्ल्यू जुलाई 12

राय, एम. सैम (1995), "इमर्जिंग पंचायत लीडरशिप एंड पोलराइजेशन आफ पोलिटिकल पावर ऐट ग्रासरूट लेवेल", जर्नल आफ रूरल डेवलपमेंट, वाल्यूम 14

सक्सेना, एन.सी. (1984), 'कास्ट, लैंड एण्ड पोलिटिकल पावर इन रूरल उत्तर प्रदेश', कांफ्रेंस आन कास्ट, क्लास एंड डामिनेंस में प्रस्तुत पेपर, यूनिवर्सिटी आफ पेनसिलवानिया, मई

सान्याल, एस.के. और तुलसीधर, वी.बी. (1995), "यूटिलाइजेशन, पैटर्न एंड फाइनेंसिंग आफ पब्लिक हास्पिटल्स : ए रिपोर्ट", नेशनल इंस्टीच्यूट आफ पब्लिक फाइनेंस एंड पोलिटी, नई दिल्ली (मीमियो)

सी।प्रभु, के., पी.सी.सरकार और ए.राधा(1996), जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स फार इंडियन स्टेट्स : मेथाडालाजिकल इश्यूज, इकोनामिक एंड पोलिटिकल वीकली, अक्टूबर 26

ds lhrkiHk ih-lh- ljdkj vKj , jk/kk 1/1996% tsMj fjyVM MoyieW bUMDI Qkj bf.M;u LW4 eFkMkykshdy b'; bduKfed , .M ikfyfVdy ohdyh vDVWj 26] JhokLro lh,-l-] 1996 ^, xhdYpj fjQkE , .M n : jy ipj bu iohz mlkj insk ^ohlxlmUM isj Qkj oMcbI dUVh bduKfed eakjsMe 1996A

सेन, अभिजित (1996), "इकोनामिक रिफार्म्स, इंफ्लायमेंट एंड पावर्टी : ट्रेड्स एंड आप्शंस", इकोनामिक एंड पोलिटिकल वीकली, स्पेशल नंबर, वाल्यूम XXXI, नं. 35, 36 और 37, सितंबर, पृष्ठ 2459-278

सेन, अमर्त्य (2000) डेवलपमेंट ऐज फ्रीडम, नई दिल्ली, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस

शंकर, कृपा (1994) 'जवाहर रोजगार योजना : ऐन असेसमेंट इन यूपी; इकोनामिक एंड पोलिटिकल वीकली XXIX 29:1845-48

शैरिफ, ए. (1999), इंडिया : ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, दिल्ली, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस

शरीफ, अबूसलेह (1999), इंडिया : ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, नई दिल्ली, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस

शर्मा, पी.एन. (2000), "रोल आफ प्राइवेट इंस्टीच्यूशंस इन एकपेंडिंग एलीमेंटरी एजुकेशन", डी पी ई पी/एस आई ई एम ए टी के लिए तैयार रिसर्च स्टडी रिपोर्ट, सोसाइटी फार एक्शन, विजन एंड इंटरप्राइज, लखनऊ

शर्मा, राजू (2000), "रेगुलेटिंग करप्शन बाई रेगुलेटिंग ट्रांसफर्स", एक्शन ग्रुप वेबसाइट

शर्मा, एस.डी. (2000), इंडियन एनजीओज इनिशिएटिव्ज फार मोबिलाइजेशन एंड एंपावरमेंट आफ सिविल सोसाइटी फार इनश्योरिंग गुड गवर्नेंस विथ ट्रांसपेरेंसी, मोरल इंटीग्रिटी एंड एकाउंटेबिलिटी", 9वाँ इंटरनेशनल एंटी-करप्शन कांफ्रेंस में पेपर

शिवकुमार, ए.के. (1996), यू एन डी पीज जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स : ए कंप्यूटेशन फार इंडियन स्टेट्स, इकोनामिक एंड पोलिटिकल वीकली, अक्टूबर 26

सिंह, शैलेन्द्र और कला एस.श्रीधर (2000), "ए स्टडी आफ प्राइवेट स्कुलिंग एंड चिल्ड्रेन इन डी पी ई पी-11 डिस्ट्रिक्ट्स", डी पी ई पी/एस आई ई एम ए टी, आई आई एम, लखनऊ के लिए तैयार रिसर्च स्टडी रिपोर्ट

सिन्हा, अमरजीत और ए.के. सिन्हा (1997), "पंचायत एंड द पूअर इन इंडिया", विलेज स्टडी यूनिट, एल.बी.एस. नेशनल एकेडेमी आफ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी

श्रीवास्तव, के.बी. (1995), "स्टेट-पंचायत फिस्कल रिलेशंस : इश्यूज बिफोर स्टेट फाइनेंस कमीशंस", जर्नल आफ रूरल डेवलपमेंट, वाल्यूम 14(2), अप्रैल-जून श्रीवास्तव, एन. (2003), वीमेंस स्टेट्स इन उत्तर प्रदेश, बैकग्राउंड पेपर फार द यू पी एच डी आर

श्रीवास्तव, निशा (1999), "एक्सपोजिंग वायलेंस अगेंस्ट वीमेन : ए कैम्पेन इन यू पी", इकोनामिक एंड पोलिटिकल वीकली फरवरी 20-26

श्रीवास्तव, निशा (1997), "क्वॉलिटेटिव असेसमेंट आफ पावर्टी इन चितौरी विलेज, इलाहाबाद", रिपोर्ट प्रीपेयर्ड फार द वर्ल्ड बैंक स्टडी आन क्वालिटेटिव असेसमेंट आफ पावर्टी इन सम आफ इंडियाज पूअर रीजंस (मीमियो)

श्रीवास्तव, रवि (2000), "एक्सेस टु बेसिक एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश", ए. वैद्यनाथ और पी.आर.जी.नायर (संपा.), एलीमेंटरी एजुकेशन इन इंडिया में, नई दिल्ली, सेज श्रीवास्तव, रवि एस., 1996, "एग्रीकल्चरल रिफार्म्स एंड द रूरल पूअर इन ईस्टर्न



उत्तर प्रदेश”, बैकग्राउंड पेपर फार द वर्ल्ड बैंक कंट्री इकोनामिक मेमोरेंडम 1996 श्रीवास्तव, रवि एस.(2001 ए), “कॉस्ट्स एंड फाइनेंसिंग आफ एलीमेंटरी एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश”, यूनीसेफ, नई दिल्ली के लिए तैयार स्टडी रिपोर्ट

श्रीवास्तव, रवि एस. (2001 बी), “पब्लिक एक्सपेंडीचर आन एलीमेंटरी एजुकेशन”, पंचमुखी इत्यादि, ऊपर उद्धृत में अध्याय....

श्रीवास्तव, रवि एस. (2001 सी), “रिसोर्स नीड्स फार यूनिवर्सल एलीमेंटरी एजुकेशन इन द स्टडी स्टेट्स”, पंचमुखी इत्यादि ऊपर उद्धृत में अध्याय

श्रीवास्तव, रवि (2001 डी), “पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन रूरल उत्तर प्रदेश”, एम.डी. अस्थाना और पेट्रो मेद्रानों द्वारा संपादित टुवर्ड्स हंगर फ्री इंडिया : एजेंडा एंड इंफोरेटिव में (यू एन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, प्लानिंग कमीशन और एम.एस. स्वामीनाथन फाउंडेशन), नई दिल्ली, मनोहर

श्रीवास्तव, रवि (2001 ए), ऐन इवैलुएशन आफ एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स इन उत्तर प्रदेश, प्लानिंग कमीशन के लिए तैयार स्टडी रिपोर्ट, नई दिल्ली, प्लानिंग कमीशन

श्रीवास्तव (2002 बी), “रीजनल ग्रोथ एंड डिस्पैरिटीज”, आल्टर्नेटिव सर्वेयुप (संपा.), उल्टरनेटिव इकोनामिक सर्वे 2000-01, इकोनामिक ‘रिफार्म्स’: डेवलपमेंट डिनाइड में, नई दिल्ली, रेनबो पब्लिशर्स

श्रीवास्तव, रवि एस. (2002 सी), “सोशल सेक्टर डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश”, प्लानिंग कमीशन, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट रिपोर्ट के लिए तैयार अध्याय

श्रीवास्तव (2003), “रीजनल कंट्रॉस आफ पावर्टी, इंफ्लायमेंट एंड मोबिलिटी एमंग रूरल लेबरर्स इन उत्तर प्रदेश”, लेबर एंड पावर्टी इन उत्तर प्रदेश विषयक नेशनल सेमिनार में प्रस्तुत पेपर, जी.बी.पंत सोशल साइंस इंस्टीच्यूट, इलाहाबाद

श्रीवास्तव, तूलिका (1996), फाउंडिंग ऐंसर्स : महिला समाख्या, सहारनपुर, एक्जामिंस इट्स वर्क आन वायलेंस अगैस्ट वीमेन (मीमियो), महिला समाख्या, सहारनपुर द्वारा कराया गया अध्ययन

सुब्बाराव, के. (1998), “एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स इन उत्तर प्रदेश : ऐन असेसमेंट एंड रिफार्म आप्शंस”, बैकग्राउंड पेपर फार द यूपी इकोनामिक एंड फिस्कल स्टडी, वर्ल्ड बैंक

सुब्बाराव, के. (1985), “रीजनल वेरिएशंस इन द इंपैक्टआफ एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स”, इकोनामिक एंड पोलिटिकल वीकली, अक्टूबर 26, पृष्ठ 1829-34

सुब्रह्मण्यम, के.एस. (1996), “द कांसेप्ट आफ पंचायत एज इंस्टीच्यूशंस आफ सेलफ गवर्नमेंट : नीड फार ए वाइडर डिबेट”, जर्नल आफ रूरल डेवलपमेंट, वाल्यूम 15(2)

सुंदरम, के और तेंदुलकर, सुरेश डी. (2003), “पावर्टी इन इंडिया इन द 1990 ज :

ऐन एनालिसिस आफ चेंजेज इन 15 मेजर स्टेट्स”, इकोनामिक एंड पोलिटिकल वीकली, अप्रैल 5

सुंदरम, के. और तेंदुलकर, सुरेश डी. (2003), ‘एन ए एस-एन एस एस इस्टीमेंट्स आफ प्राइवेट कंजंप्शन फार पावर्टी इस्टीमेंशन : ए फर्दर कंपैरेटिव एक्जामिनेशन’, इकोनामिक एंड पोलिटिकल वीकली, जनवरी 25

द महबूब उल हक डेवलपमेंट सेंटर (1999), ह्यूमन डेवलपमेंट इन साउथ एशिया 1999 : द क्राइसिस आफ गवर्नेंस, आक्सफोर्ड, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस

द प्रोब टीम (1999), पब्लिक रिपोर्ट आन बेसिक एजुकेशन इन इंडिया, नई दिल्ली, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस

उपाध्याय, वाई. (1999), ‘पैरा टीचर्स : देयर रोल, प्राब्लम्स एंड प्रास्पेक्ट्स’, पेपर प्रेजेंटेशन इन द इंटरनेशनल सेमिनार आन रिसर्च इन स्कूल इफेक्टिवनेस एट प्राइमरी स्टेज, जुलाई, 1999, एन सी ई आर टी, नई दिल्ली

उपेंद्रनाथ, सी. (1993), ‘स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट एंड एजुकेशन : इशूज रिलेटेड टु इक्विटी’, इकोनामिक एंड पोलिटिकल वीकली में, अक्टूबर 30, 1993

उत्तर प्रदेश एकेडेमी आफ एडमिनिस्ट्रेशन (1999), “रिफार्म्स इन गवर्नमेंस इन द स्टेट आफ उत्तर प्रदेश”, डिस्कशन पेपर फार टेकनिकल एसिस्टेंस फ्राम वर्ल्ड बैंक, नैनीताल, उत्तर प्रदेश एकेडेमी आफ एडमिनिस्ट्रेशन

वैद्यनाथ, ए. और पी.आर.जी. नायर (संपा.), (2001), एलीमेंटरी एजुकेशन इन रूरल इंडिया : ए ग्रासरूट्स व्यू, सेज पब्लिकेशंस

वशिष्ठ, एस.आर. (संपा.), (1994), एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, नई दिल्ली, अनमोल पब्लिकेशंस

विसारिया, पी. (1971), द सेक्स रेशियो आफ द पापुलेशन आफ इंडिया, मोनोग्राफ नं. 10, सेंसस आफ इंडिया 1961, नई दिल्ली, आफिस आफ द रजिस्ट्रार जनरल, इंडिया

व्यास, वी.एस. और प्रदीप भार्गव (1995), “पब्लिक इंटरवेंशन फार पावर्टी एलीविएशन : ऐन ओवर व्यू”, इकोनामिक एंड पोलिटिकल वीकली, अक्टूबर 14-21

विलियमसन, विलियम ई. (1998), “द इंस्टीच्यूशंस आफ गवर्नेंस”, अमेरिका इकोनामिक रिव्यू, मई

विलियमसन, विलियम ई. (1994), “द इंस्टीच्यूशंस आफ गवर्नेंस आफ इकोनामिक डेवलपमेंट एंड रिफार्म”, प्रोसीडिंग्स आफ द वर्ल्ड बैंक एनुअल कांफ्रेंस आन डेवलपमेंट इकोनोमिक्स

यादव, एम.एस. इत्यादि (2002), “लॉनिंग कंडीशंस एंड लर्नर अचीवमेंट इन प्राइमरी स्कूल्स : ए रिव्यू”, आर. गोविंद (संपा.), इंडिया एजुकेशन रिपोर्ट में, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृष्ठ 167-88

jkT; ka ds e/; ryukRed rkfydk, a

तालिका A-1: मानव विकास सूचकांक 1991 और 2001

राज्य	एन.एच.डी.आर. पद्धति*				यू.पी.एच.डी.आर. पद्धति*			
	1991		2001		1991		2001	
	मूल्य	स्थान	मूल्य	स्थान	मूल्य	स्थान	मूल्य	स्थान
आंध्रप्रदेश	0.377	9	0.416	10	0.548	9	0.713	9
असम	0.348	10	0.386	14	0.522	10	0.705	10
बिहार	0.308	15	0.367	15	0.484	15	0.616	15
गुजरात	0.431	6	0.479	6	0.610	6	0.767	6
हरियाणा	0.443	5	0.509	5	0.631	5	0.790	4
कर्नाटक	0.412	7	0.478	7	0.596	7	0.743	8
केरल	0.591	1	0.638	1	0.769	1	0.869	1
मध्य प्रदेश	0.328	13	0.394	12	0.504	13	0.672	13
महाराष्ट्र	0.452	4	0.523	4	0.665	3	0.771	5
उड़ीसा	0.345	12	0.404	11	0.520	11	0.660	14
पंजाब	0.475	2	0.537	2	0.666	2	0.818	2
राजस्थान	0.347	11	0.424	9	0.518	12	0.691	11
तमिलनाडु	0.466	3	0.531	3	0.636	4	0.793	3
उत्तर प्रदेश	0.314	14	0.388	13	0.488	14	0.684	12
पश्चिम बंगाल	0.404	8	0.472	8	0.586	8	0.756	7
भारत	0.381		0.472		0.570		0.740	

स्रोत : 2 से 5 तक : एन.एच.डी.आर. 2001, पृष्ठ 25.

6 से 9 तक: प्रतिवेदन की गणना.

टिप्पणी : \*स्थान ऊपर से नीचे के क्रम में

तालिका A-2: लिंग समानता 1981 और 1991

राज्य	1981*		1991*	
	मूल्य	स्थान	मूल्य	स्थान
आंध्रप्रदेश	0.744	2	0.801	3
असम	0.462	14	0.575	13
बिहार	0.471	13	0.469	15
गुजरात	0.723	4	0.714	6
हरियाणा	0.536	12	0.714	7
कर्नाटक	0.707	6	0.753	5
केरल	0.872	1	0.825	1
मध्य प्रदेश	0.664	8	0.662	10
महाराष्ट्र	0.740	3	0.793	4
उड़ीसा	0.547	11	0.639	11
पंजाब	0.688	7	0.710	8
राजस्थान	0.650	9	0.692	9
तमिलनाडु	0.710	5	0.813	2
उत्तर प्रदेश	0.447	15	0.520	14
पश्चिम बंगाल	0.556	10	0.631	12
भारत	0.620		0.676	

स्रोत : एन.एच.डी.आर. 2001, तालिका 1.1 और 1.2, पृष्ठ 140-141.

टिप्पणी : स्थान ऊपर से नीचे के क्रम में

मानव विकास सूचक

तालिका A-3 : मानव गरीबी सूचकांक-1991

राज्य	ग्रामीण		शहरी		संयुक्त	
	मूल्य	स्थान	मूल्य	स्थान	मूल्य	स्थान
आंध्रप्रदेश	43.19	9	25.12	10	38.34	9
असम	49.32	12	22.62	8	46.29	13
बिहार	53.65	15	29.70	14	50.48	15
गुजरात	31.83	6	20.87	6	28.05	5
हरियाणा	31.64	5	18.57	4	28.41	6
कर्नाटक	35.28	7	21.59	7	30.99	7
केरल	24.57	1	17.23	1	22.73	1
मध्य प्रदेश	45.43	10	25.69	11	40.79	10
महाराष्ट्र	29.30	3	17.65	2	24.73	2
उड़ीसा	47.97	11	28.29	13	45.22	12
पंजाब	28.04	2	18.47	3	25.25	3
राजस्थान	51.17	14	26.73	12	44.73	11
तमिलनाडु	30.31	4	18.61	5	26.45	4
उत्तर प्रदेश	50.02	13	32.62	15	46.65	14
पश्चिम बंगाल	42.43	8	23.22	9	37.35	8
भारत	42.25		23.03		37.42	

स्रोत : एन.एच.डी.आर., तालिका 15, पृष्ठ 144.

टिप्पणी : स्थान ऊपर से नीचे के क्रम में

जनसंख्या और स्वास्थ्य

तालिका A-4: जनांकिकीय विशेषताएं

प्रमुख राज्य	जनसंख्या 2001 (दस लाख में)	जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि (%)		जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) 2001	शहरीकरण की दर 2001	लिंग अनुपात (प्रति हजार पुरुषों पर महिलाएं)
		1981-91	1991-01			
1	2	3	4	5	6	
आंध्रप्रदेश	75.7	2.2	1.3	275	27.1	978
असम	26.6	1.2	1.7	340	12.7	932
बिहार	82.9	2.1	2.5	880	10.5	921
गुजरात	50.6	1.9	2.1	258	37.4	921
हरियाणा	21.1	2.5	2.5	477	29.0	861
कर्नाटक	52.7	1.9	1.6	275	34.0	964
केरल	31.8	1.4	0.9	819	26.0	1058
मध्य प्रदेश	60.4	2.4	2.2	196	26.7	920
महाराष्ट्र	96.8	2.3	2.1	314	42.4	922
उड़ीसा	36.7	1.8	1.5	236	15.0	972
पंजाब	24.3	1.9	1.8	482	34.0	874
राजस्थान	56.5	2.5	2.5	165	23.4	922
तमिलनाडु	62.1	1.4	1.1	478	43.9	986
उत्तर प्रदेश	166.1	2.3	2.3	689	20.8	898
पश्चिम बंगाल	80.2	2.2	1.7	904	28.0	934
<b>नए राज्य</b>						
छत्तीसगढ़	20.8	2.3	1.7	338	20.1	990
झारखण्ड	26.9	2.2	2.1	154	22.3	941
उत्तरांचल	8.5	2.2	1.8	159	25.6	964
भारत	1027	2.1	2.0	324	27.8	933

स्रोत : एन.एच.डी.आर. 2001, आर.जी.आई., नई दिल्ली.

जनसंख्या और स्वास्थ्य

तालिका A-5: जन्म, मृत्यु और कुल प्रजनन दर

प्रमुख राज्य 1	जन्म दर 2000**			मृत्यु दर 2000**			कुल प्रजनन दर 1995-97		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
आंध्रप्रदेश	21.3	21.7	20.1	8.2	9.0	5.8	2.8	3.1	2.3
असम	26.9	27.9	18.6	9.6	10.0	6.1	3.3	3.5	2.1
बिहार	31.9	32.8	25.6	8.8	9.1	7.1	4.5	4.6	3.2
गुजरात	25.2	26.8	21.9	7.5	8.3	5.8	3.1	3.3	2.9
हरियाणा	26.9	28.0	23.1	7.5	7.9	6.2	3.5	3.8	2.8
कर्नाटक	22.0	23.3	19.1	7.8	8.6	5.8	2.6	2.8	2.2
केरल	17.9	18.0	17.5	6.4	6.5	6.2	1.8	1.8	1.8
मध्य प्रदेश	31.4	33.4	23.5	10.3	11.1	7.5	4.1	4.4	2.6
महाराष्ट्र	21.0	21.4	20.4	7.5	8.6	5.8	2.8	3.2	2.4
उड़ीसा	24.3	24.9	20.1	10.5	11.0	7.0	3.1	3.3	2.3
पंजाब	21.5	22.7	18.6	7.4	7.9	5.9	2.8	3.0	1.8
राजस्थान	31.4	32.8	25.1	8.5	8.9	6.6	4.2	4.5	3.0
तमिलनाडु	19.3	20.0	18.1	7.9	8.7	6.5	2.1	2.2	1.8
उत्तर प्रदेश	32.8	34.0	27.2	10.3	10.8	8.0	4.9	5.1	3.8
पश्चिम बंगाल	20.7	23.0	14.1	7.0	7.2	6.7	2.7	3.0	1.8
<b>नए राज्य</b>									
छत्तीसगढ़	26.7	29.2	22.8	9.6	11.2	7.1	-	-	-
झारखण्ड	26.5	28.8	19.4	9.0	9.8	6.5	-	-	-
उत्तरांचल	20.2	24.6	17.1	6.9	10.3	4.5	-	-	-
<b>भारत</b>	25.8	27.6	20.7	8.5	9.3	6.3	3.4	3.7	2.5

स्रोत : 2 और 3: रजिस्ट्रार जनरल, भारत, एस.आर.एस. बुलेटिन, नई दिल्ली, अप्रैल 2002.

4 : कंपेडियम आफ इंडियाज फर्टिलिटी एंड मोर्टलिटी इंडीकेटर्स 1971-1997, आर:जी.आई., नई दिल्ली 1999.

टिप्पणी : \*बिहार, म.प्र. और उ.प्र. के आंकड़ों में क्रमशः झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल शामिल हैं।

\*\*ये आंकड़े प्रति हजार जनसंख्या पर अपक्व जन्मदर और अपक्व मृत्यु दर बताते हैं।



जनसंख्या और स्वास्थ्य

तालिका A-6: मृत्यु दर सूचक

प्रमुख राज्य	शिशु मृत्यु दर 2000			पांच वर्ष से कम मृत्यु दर 1998-99*	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 1992-96*			एम.एम.आर. (प्रति सौ हजार) 1998*
	कुल	ग्रामीण	शहरी		पुरुष	महिला	कुल	
आंध्रप्रदेश	65	74	36	85.5	60.8	63.0	62.0	159
असम	75	78	35	89.5	56.1	56.6	56.2	409
बिहार	62	63	53	85.1	60.2	58.2	59.4	452
गुजरात	62	69	45	105.1	60.5	62.5	61.4	28
हरियाणा	67	69	57	76.8	63.4	64.3	63.8	103
कर्नाटक	57	68	24	69.8	61.1	64.5	62.9	195
केरल	14	14	14	18.8	70.2	75.8	73.1	198
मध्य प्रदेश	87	93	54	137.6	55.1	54.7	55.2	498
महाराष्ट्र	48	56	33	58.1	63.8	66.2	65.2	135
उड़ीसा	95	99	66	104.4	56.9	56.6	56.9	367
पंजाब	52	56	38	72.1	66.4	68.6	67.4	199
राजस्थान	79	82	58	114.9	58.6	59.6	59.5	670
तमिलनाडु	51	56	38	63.3	62.8	64.8	63.7	79
उत्तर प्रदेश	83	87	65	122.5	57.7	56.4	57.2	707
पश्चिम बंगाल	51	54	37	67.6	61.8	63.1	62.4	266
<b>नए राज्य</b>								
छत्तीसगढ़	79	95	49	-	-	-	-	-
झारखण्ड	70	74	48	-	-	-	-	-
उत्तरांचल	50	73	26	-	-	-	-	-
<b>भारत</b>	68	74	44	94.9	60.1	61.4	60.7	407

स्रोत : 2 : रजिस्ट्रार, जनरल, भारत एस.आर.एस. बुलेटिन, नई दिल्ली, अप्रैल 2002.

3 : एन.एफ.एच.एस. (2), 1998-99, अक्टूबर, 2000, तालिका 6.6, पृष्ठ 194.

4 और 5: कंपेंडियम आफ इंडियाज फर्टिलिटी एंड मोर्टलिटी इंडिकेटर्स, 1971-1997, आर.जी.आई. नई दिल्ली 1999.

टिप्पणी : \* बिहार, म.प्र. और उ.प्र. के आंकड़ों में क्रमशः झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल शामिल हैं।

जनसंख्या और स्वास्थ्य

तालिका A-7: स्वास्थ्य सूचक

प्रमुख राज्य 1	बाल टीकाकरण 1998-99*			मेडिकल संस्थानों में प्रसव (%) 1998-99*			प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में प्रसव (%) 1998-99*	जच्चा-बच्चा सुरक्षा दर (%) 1998-99*			शादी के समय VIF आयु (महिलाएं) 1998-99*
	कुल 2	ग्रामीण 3	शहरी 4	कुल 5	ग्रामीण 6	शहरी 7		कुल 8	ग्रामीण 9	शहरी 10	
आंध्रप्रदेश	52	48.9	61	50	40.4	78.6	65.2	59.6	58.3	63.4	15.1
असम	17	14.9	50.1	17.6	15	59.9	21.4	43.3	42.3	53.4	18.1
बिहार	10.6	9.4	22.4	14.7	12.4	39.9	23.4	24.5	22.9	38.9	14.9
गुजरात	48.3	44.9	54.3	46.4	33.2	69.4	53.5	59	57	61.8	17.6
हरियाणा	62.7	58.2	76.5	22.3	14.9	47.1	42	62.4	60.4	67.2	16.9
कर्नाटक	60	60.4	59	51.1	38.7	78.8	59.1	58.3	57.4	59.9	16.8
केरल	79.2	77.9	84.9	93	91.5	99.4	59.4	63.7	63.2	65.5	20.2
मध्य प्रदेश	22.4	17	41.2	20.4	12.3	49.8	29.7	44.3	40.7	55.2	14.7
महाराष्ट्र	78.2	76.8	80.4	52.8	34.6	80.9	22.4	60.9	62.7	58.5	16.4
उड़ीसा	43.7	42.2	56.4	22.9	19.3	54.7	33.4	46.8	45.9	54	17.5
पंजाब	72.1	66.3	86.2	37.5	32	56	62.6	66.7	64.4	71.7	20
राजस्थान	16	13.1	26.4	21.7	15	47.9	35.8	40.3	37.1	50.4	15.1
तमिलनाडु	78.2	76.6	81	79.8	73.1	92.6	83.3	52.1	48.8	58.2	18.7
उत्तर प्रदेश	21.2	19.2	32.3	15.7	11.7	37.3	22.4	28.1	23.9	44.8	15
पश्चिम बंगाल	43.1	40.8	56.3	40.4	31.5	80.1	44.2	66.6	64.5	73.4	16.8
<b>भारत</b>	<b>42</b>	<b>36.6</b>	<b>60.5</b>	<b>33.6</b>	<b>24.6</b>	<b>65.1</b>	<b>42.3</b>	<b>48.2</b>	<b>44.7</b>	<b>58.2</b>	<b>16.4</b>

स्रोत : 2, 3, 4, 5 और 6 : एन.एफ.एच.एस. I और II.

टिप्पणी : \* बिहार, म.प्र. और उ.प्र. के आंकड़ों में क्रमशः झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल शामिल हैं।

जनसंख्या और स्वास्थ्य

तालिका A-8: महिलाओं और बच्चों की पोषण स्थिति

प्रमुख राज्य	महिलाओं में रक्ताल्पता (%) 1998-99*	महिला की बी एम आई <18.5 किग्रा/मी <sup>2</sup> 1998-99*	बच्चों में रक्ताल्पता प्रतिशत (2 एस.डी. से कम वाले बच्चे) 1998-99*		
			आयु के अनुसार वजन	आयु के अनुसार लंबाई	लंबाई के अनुसार वजन
1	2	3	4		
आंध्रप्रदेश	17.3	37.4	37.7	38.6	9.1
असम	26.5	27.1	36.0	50.2	13.3
बिहार	20.5	39.3	54.4	53.7	21
गुजरात	16.9	37	45.1	43.6	16.2
हरियाणा	16.1	25.9	34.6	50	5.3
कर्नाटक	15.7	38.8	43.9	36.6	20
केरल	3.2	18.7	26.9	21.9	11.1
मध्य प्रदेश	16.6	38.2	55.1	51	19.8
महाराष्ट्र	17	39.7	49.6	39.9	21.2
उड़ीसा	18	48	54.4	44	24.3
पंजाब	13	16.9	28.7	39.2	7.1
राजस्थान	16.2	36.1	50.6	52	11.7
तमिलनाडु	19.8	29	36.7	29.4	19.9
उत्तर प्रदेश	15.2	35.8	51.7	55.5	11.1
पश्चिम बंगाल	17.4	43.7	48.7	41.5	13.6
<b>भारत</b>	<b>16.7</b>	<b>35.8</b>	<b>47.0</b>	<b>45.5</b>	<b>15.5</b>

स्रोत : 2 : एन.एफ.एच.एस. (2), 1998-99, अक्टूबर.2000, तालिका 7.7, पृष्ठ 252 और तालिका 7.19, पृष्ठ 273.

3 और 4 : एन.एफ.एच.एस. (2), 1998-99, अक्टूबर .2000,तालिका 7.5,पृष्ठ 246 और तालिका 7.17, पृष्ठ 270, पृष्ठ 57

टिप्पणी : \* बिहार, म.प्र. और उ.प्र. के आंकड़ों में क्रमशः झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल शामिल हैं।

शिक्षा

तालिका A-9: 2001में साक्षर जनसंख्या का प्रतिशत

प्रमुख राज्य 1	कुल साक्षरता दर 2			ग्रामीण साक्षरता दर 3			शहरी साक्षरता दर 4		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
आंध्रप्रदेश	70.9	51.2	61.1	66.1	44.4	55.3	83.2	69.3	76.4
असम	71.9	56.0	64.3	69.0	52.3	60.9	89.9	81.0	85.8
बिहार	60.3	33.6	47.5	57.7	30.0	44.4	80.8	63.3	72.7
गुजरात	80.5	58.6	70.0	70.7	45.8	58.5	85.5	72.2	79.2
हरियाणा	79.3	56.3	68.6	76.1	49.8	63.8	86.6	72.1	79.9
कर्नाटक	76.3	57.5	67.0	70.6	48.5	59.7	86.9	74.9	81.1
केरल	94.2	87.9	90.9	93.5	86.8	90.1	96.1	90.9	93.4
मध्य प्रदेश	76.8	50.3	64.1	72.1	43.0	58.1	87.8	70.6	79.7
महाराष्ट्र	86.3	67.5	77.3	82.2	59.1	70.8	91.4	79.3	85.8
उड़ीसा	76.0	51.0	63.6	73.6	47.2	60.4	83.0	72.7	81.0
पंजाब	75.6	63.6	70.0	71.1	57.9	65.2	87.1	74.6	79.1
राजस्थान	76.5	44.3	61.0	72.7	37.7	55.9	88.4	65.4	76.9
तमिलनाडु	82.3	64.6	73.5	77.5	55.8	66.7	78.1	75.6	82.1
उत्तर प्रदेश	70.2	43.0	57.4	68.0	37.7	53.7	86.5	62.1	70.6
पश्चिम बंगाल	77.6	60.2	69.2	73.8	53.8	64.1	91.6	76.1	81.6
<b>नये राज्य</b>									
छत्तीसगढ़	77.9	52.4	65.2	74.6	47.4	60.9	89.9	71.6	81.1
झारखण्ड	67.9	39.4	54.1	61.6	30.3	69.0	87.7	70.7	79.9
उत्तरांचल	84.0	60.3	72.3	82.7	55.5	69.0	87.2	74.8	81.5
<b>भारत</b>	76.0	54.3	65.4	71.2	30.6	59.2	86.4	73.0	80.1

स्रोत : अंतरिम परिणाम - भारत की जनगणना 2001, आर.जी.आई., नई दिल्ली

शिक्षा

तालिकाA -10: 6 से 14 वर्ष तक के स्कूल जानेवाले बच्चों का प्रतिशत 1999-00

प्रमुख राज्य 1	ग्रामीण*			शहरी*			कुल*		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
आंध्रप्रदेश	78.8	67.5	73.3	86.6	81.2	84.1	81.2	71.4	76.5
असम	80.7	76.4	78.7	93.9	81.4	88.0	82.0	76.9	79.6
बिहार	59.1	43.0	51.9	75.6	67.6	72.0	61.3	46.1	54.5
गुजरात	84.4	71.9	78.5	89.8	85.0	87.6	86.0	75.7	81.2
हरियाणा	88.9	81.9	85.7	87.5	86.2	86.9	88.6	83.0	86.0
कर्नाटक	78.3	73.7	76.0	88.2	87.1	87.6	80.8	76.7	78.7
केरल	95.2	94.3	94.8	94.6	95.6	95.1	95.1	94.6	94.8
मध्य प्रदेश	74.2	62.2	68.5	88.7	81.7	85.3	77.1	66.3	72.0
महाराष्ट्र	88.1	82.9	85.6	94.6	91.7	93.2	90.4	86.2	88.4
उड़ीसा	76.7	65.3	71.0	86.3	80.1	83.4	78.4	67.7	73.1
पंजाब	86.5	83.5	85.0	91.0	87.9	89.6	87.8	84.7	86.3
राजस्थान	82.5	54.4	69.4	87.6	81.5	84.7	83.5	59.9	72.5
तमिलनाडु	90.7	86.5	88.7	90.8	90.2	90.5	90.8	87.8	89.4
उत्तर प्रदेश	79.1	62.9	71.6	80.2	75.6	78.0	79.3	65.5	72.8
पश्चिम बंगाल	77.2	70.8	74.1	84.6	77.4	81.0	78.4	71.9	75.2
<b>भारत</b>	<b>78.4</b>	<b>67.2</b>	<b>73.1</b>	<b>87.3</b>	<b>82.9</b>	<b>85.2</b>	<b>80.5</b>	<b>70.9</b>	<b>75.9</b>

स्रोत : एन.एस.एस. 55वें दौर से आकलित

टिप्पणी : \* बिहार, म.प्र. और उ.प्र. के आंकड़ों में क्रमशः झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल शामिल हैं।



शिक्षा

तालिका A-11 : 15 वर्ष से अधिक की ek/; fed या उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त जनसंख्या, 1999-2000

प्रमुख राज्य 1	ग्रामीण*			शहरी*			कुल*		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
आंध्रप्रदेश	26.6	11.1	18.8	61.0	41.9	51.5	36.9	20.2	28.5
असम	41.5	27.0	34.7	74.2	63.6	69.3	45.7	31.5	39.0
बिहार	32.0	9.9	21.1	65.0	39.9	53.2	36.8	13.9	25.6
गुजरात	41.7	20.2	31.0	67.8	51.1	59.6	50.6	30.4	40.6
हरियाणा	46.7	19.8	33.8	64.1	46.8	56.1	51.8	27.4	40.3
कर्नाटक	36.0	18.3	27.3	69.8	56.4	63.2	45.9	29.5	37.8
केरल	61.7	52.9	57.0	70.0	63.6	66.6	63.9	55.7	59.5
मध्य प्रदेश	26.3	8.6	17.8	60.2	41.1	51.0	34.3	16.3	25.7
महाराष्ट्र	47.1	25.1	36.1	72.7	54.9	64.3	57.7	36.6	47.4
उड़ीसा	30.3	15.7	22.9	61.7	40.2	51.3	35.9	19.7	27.7
पंजाब	40.4	25.2	32.9	61.9	53.5	58.0	47.8	34.3	41.3
राजस्थान	30.6	6.3	18.6	63.6	38.2	51.7	38.9	13.7	26.6
तमिलनाडु	38.7	23.4	30.9	65.8	47.5	56.8	48.7	31.9	40.2
उत्तर प्रदेश	39.4	13.4	26.5	56.9	40.8	49.4	43.3	19.1	31.5
पश्चिम बंगाल	34.3	17.9	26.3	63.6	50.0	57.2	41.7	25.7	33.9
<b>भारत</b>	<b>37.0</b>	<b>17.6</b>	<b>27.4</b>	<b>65.4</b>	<b>48.6</b>	<b>57.4</b>	<b>44.9</b>	<b>25.8</b>	<b>35.5</b>

स्रोत : एन.एस.एस. के 55वें दौर से आकलित

टिप्पणी : \* बिहार, म.प्र. और उ.प्र. के आंकड़ों में क्रमशः झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल शामिल हैं।

आय, रोजगार और गरीबी

तालिका A-12: आय और गरीबी

प्रमुख राज्य	प्रति व्यक्ति एन.एस.डी.पी. 1998-99*	एन.एस.डी.पी. की वृद्धि दर 1991-01	गरीबी स्तर 1999-2000 (%)*	प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय रु. प्रति माह 1999-00*			प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय की गिनी अनुपात 1999-00*		
				ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
1	2	3	4	5			6		
आंध्रप्रदेश	13993	5.5	15.8	454	774	551	0.238	0.31	
असम	8826	-	36.1	426	814	473	0.201	0.311	
बिहार	4474	1.7	42.6	385	602	417	0.208	0.318	
गुजरात	18815	7.3	14.1	551	892	678	0.233	0.288	
हरियाणा	19716	4.9	8.7	714	912	768	0.24	0.285	
कर्नाटक	15420	6.5	20	500	911	639	0.241	0.321	
केरल	16029	6.2	12.7	766	933	817	0.27	0.23	
मध्य प्रदेश	10682	4.5	37.4	402	694	479	0.241	0.312	
महाराष्ट्र	20356	7.1	25	497	973	697	0.258	0.345	
उड़ीसा	8324	2.6	47.2	373	618	414	0.242	0.292	
पंजाब	21184	4.1	6.2	742	899	792	0.238	0.29	
राजस्थान	12348	5.8	15.3	549	796	611	0.209	0.281	
तमिलनाडु	17613	6.6	21.1	514	972	681	0.279	0.398	
उत्तर प्रदेश	8633	4.2	31.2	467	691	517	0.245	0.327	
पश्चिम बंगाल	13614	6.4	27	454	867	572	0.224	0.328	
<b>नए राज्य</b>									
छत्तीसगढ़	10056	-	-	-	-	-	-	-	
झारखंड	9126	-	-	-	-	-	-	-	
उत्तरांचल	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>भारत</b>	13614	-	26.1	486	855	591	0.258	0.341	

स्रोत : 1 आर्थिक सर्वेक्षण 2002-2003

4 आर्थिक सर्वेक्षण 2002-2003

5 पारिवारिक उपभोग व्यय के 38वें, 50वें, 55वें एम.एस.एस. दौर

टिप्पणी: \* बिहार, म.प्र. और उ.प्र. के आंकड़ों में क्रमशः झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल शामिल हैं।

आय, रोजगार और गरीबी

तालिका A-13: कार्यशक्ति भागीदारी दर, 2001

प्रमुख राज्य	ग्रामीण			शहरी			कुल		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
आंध्रप्रदेश	51.9	30.9	41.5	47.5	10.0	29.1	50.7	25.2	38.1
असम	41.5	9.9	26.1	48.3	8.4	29.6	42.3	9.7	26.6
बिहार	41.1	9.2	25.8	37.9	4.6	22.4	40.7	8.8	25.4
गुजरात	50.4	18.9	35.1	52.6	7.0	31.3	51.3	14.5	33.7
हरियाणा	42.7	15.8	30.2	45.8	7.4	28.2	43.6	13.4	29.6
कर्नाटक	52.3	24.7	38.7	51.2	13.5	32.9	51.9	20.9	36.7
केरल	41.0	10.8	25.4	44.5	10.6	27.1	41.9	10.7	25.9
मध्य प्रदेश	45.2	20.4	33.3	43.9	8.5	27.1	44.9	17.3	31.7
महाराष्ट्र	47.8	33.6	40.8	49.8	10.6	31.5	48.6	24.1	36.9
उड़ीसा	42.5	8.9	25.8	45.9	7.0	27.6	43.1	8.6	26.1
पंजाब	49.3	13.9	32.7	51.1	7.9	31.3	50.0	11.9	32.2
राजस्थान	43.7	20.0	32.3	44.2	6.2	26.3	43.8	16.8	30.9
तमिलनाडु	51.8	30.1	41.0	52.9	15.7	34.5	52.3	23.8	38.1
उत्तर प्रदेश	39.3	6.6	23.8	40.5	4.0	23.5	39.6	6.1	23.7
पश्चिम बंगाल	46.0	8.9	27.9	50.6	8.8	30.9	47.3	8.9	28.8
<b>नए राज्य</b>									
छत्तीसगढ़	45.6	25.3	35.4	44.8	9.9	28.0	45.4	22.3	33.9
झारखंड	37.0	11.5	24.5	38.1	4.4	22.4	37.2	10.0	24.0
उत्तरांचल	36.1	19.5	27.8	43.6	5.9	26.3	38.1	16.2	27.4
Hkkjr	44.5	16.8	31.0	47.5	9.1	29.3	45.3	14.7	30.5

स्रोत : 2 से 4 तक जनगणना 2001 आर.जी.आई.

तालिका A-14: प्रति हजार मानव दिवस की चालू दैनिक स्थिति में बेरोजगारी दर (1999-00)

प्रमुख राज्य*	ग्रामीण			शहरी		
	1	2	3	4	5	6
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
आंध्रप्रदेश	81	81	81	72	89	76
असम	64	125	74	99	219	119
बिहार	72	62	70	87	135	93
गुजरात	51	42	48	40	54	42
हरियाणा	53	18	47	45	49	45
कर्नाटक	44	40	43	53	59	54
केरल	200	261	217	155	282	191
मध्य प्रदेश	40	35	38	72	57	70
महाराष्ट्र	63	69	65	77	100	81
उड़ीसा	76	56	71	98	82	95
पंजाब	42	17	37	48	53	49
राजस्थान	33	19	28	47	35	45
तमिलनाडु	143	123	135	90	86	89
उत्तर प्रदेश	40	21	36	63	50	62
पश्चिम बंगाल	152	251	170	100	139	106
भारत	72	70	71	73	94	77

स्रोत : दस मिलियन रोजगार के लक्ष्य के लिए विशेष समूह की रिपोर्ट

दसवीं योजना में प्रति वर्ष अवसर, योजना V/1; IX जी.ओ.आई., 2002

टिप्पणी : \* बिहार, म.प्र. और उ.प्र. के आंकड़ों में क्रमशः झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल शामिल हैं।

तालिका A-15: घरों में सुविधाएं 2001

प्रमुख राज्य	स्थायी आवास में रहनेवाले परिवारों का अनुपात	घर के भीतर पेयजल के स्रोत वाले परिवारों का अनुपात	रोशनी के लिए बिजली वाले परिवारों का अनुपात	शौचालय की सुविधा वाले परिवारों का अनुपात
1	2	3	4	5
आंध्रप्रदेश	54.7	27	67.2	18.1
असम	19.7	33	24.9	15.9
बिहार	40.7	38	10.3	7.9
गुजरात	65.3	46	80.4	31.1
हरियाणा	65.8	42	82.9	10.9
कर्नाटक	54.9	32	78.5	18.6
केरल	68.1	62	70.2	65.2
मध्य प्रदेश	41.5	23	70.0	12.5
महाराष्ट्र	57.8	47	77.5	21.9
उड़ीसा	27.6	16	26.9	8.8
पंजाब	86.1	84	91.9	20.4
राजस्थान	64.9	33	54.7	11.9
तमिलनाडु	58.5	25	78.2	23.2
उत्तर प्रदेश	53.4	46	31.9	8.0
पश्चिम बंगाल	40.4	32	37.5	20.9
<b>नए राज्य</b>				
छत्तीसगढ़	25.4	19	53.1	8.9
झारखंड	31.4	20	24.3	10.7
उत्तरांचल	86.3	44	60.3	15.4
<b>भारत</b>	<b>51.8</b>	<b>86</b>	<b>55.8</b>	<b>18.0</b>

स्रोत : 2 से 4 तक : भारत की जनगणना 2001, आर.जी.आई., नई दिल्ली



तालिका A -16: स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार में लिंग अंतराल

प्रमुख राज्य	शिशु मृत्यु दर (महिला-पुरुष)	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (महिला-पुरुष)	लिंग अनुपात 2001	6 से 14 0"llमें स्कूल में जानेवाले बच्चों का प्रतिशत 1999-00 (पुरुष-महिला)	15 0"ll से अधिक आयु में साक्षरता दर 1999-00 (पुरुष-महिला)	मुख्य मजदूरों में कार्य शक्ति भागीदारी दर 2001 (पुरुष-महिला)	संगठित क्षेत्रों में महिला कामगारों का प्रतिशत* 1998
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्रप्रदेश	-2.2	-2.2	978	8.5	22.3	25.5	18.8
असम	1.7	-0.5	932	9.1	19.0	32.7	29.7
बिहार	-0.4	2	921	11.9	29.0	32.0	6.7
गुजरात	8	-2	921	8.2	24.8	36.7	12.6
हरियाणा	7.9	-0.9	861	6.2	28.9	30.3	13.1
कर्नाटक	-18.1	-3.4	964	3.5	21.7	31.0	28.8
केरल	-1.2	-5.6	1058	-0.1	8.1	31.2	38.1
मध्य प्रदेश	11.8	0.4	920	10.2	29.8	27.6	11.2
महाराष्ट्र	4.2	-2.4	922	4.1	24.0	24.5	14.4
उड़ीसा	-5.9	0.3	972	10.8	26.2	34.5	11.2
पंजाब	16.5	-2.2	874	3.1	15.2	38.0	15.1
राजस्थान	4.8	-1	922	17.6	38.9	27.0	13.3
तमिलनाडु	5.2	-2	986	1.9	21.7	28.5	28.4
उत्तर प्रदेश	5.8	1.3	898	10.8	32.2	33.5	9.0
पश्चिम बंगाल	-7.3	-1.3	934	6.7	22.0	38.5	10.6
<b>नए राज्य</b>							
छत्तीसगढ़	-	-	990	-	-	23.2	-
झारखंड	-	-	941	-	-	27.2	-
उत्तरांचल	-	-	964	-	-	21.9	-
<b>भारत</b>	<b>2.1</b>	<b>-1.3</b>	<b>933</b>	<b>8.1</b>	<b>25.3</b>	<b>30.7</b>	<b>16.9</b>

स्रोत: 2: रजिस्ट्रार जनरल, भारत, एस.आर.एस.बुलेटिन,नई दिल्ली अप्रैल 2002

3: कर्पेंडियम आफ इंडियाज फर्टिलिटी एंड मोर्टलिटी इंडिकेटर्स, 1971-1997, आर.जी.आई., नई दिल्ली 1999.

4 और 7:जनगणना 2001.

5 और 6: एन.एस.एस. 55वां दौर

8: मैन पावर प्रोफाइल इंडिया, ईयर बुक,2000.

टिप्पणी : \* बिहार, म.प्र. और उ.प्र. के आंकड़ों में क्रमशः झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल शामिल हैं

ftyka ds e/; ryukRed rkfydk, a

तालिका: B-1 : मानव विकास सूचकांक I\* : 1990-91

क्रम सं.	जिले	एच. डी. आई		वयस्क साक्षरता	साक्षरता सूचकांक	ए. एस. ई. आर. 5-14	नामांकन सूचकांक	शिक्षा सूचकांक	एल. ई. बी.	एल. ई. बी. सूचकांक	पीसी एन. डी. डी. पी.	आय सूचकांक
		स्थान	मूल्य									
1	अयोध्या	7	0.63	51.0	0.51	62.9	0.63	0.57	68.4	0.72	1873	0.60
2	चमोली	5	0.64	55.1	0.55	59.2	0.59	0.57	67.7	0.71	2109	0.62
3	देहरादून	1	0.69	65.7	0.66	66.7	0.67	0.66	70.0	0.75	2702	0.67
4	गढ़वाल	3	0.68	57.4	0.57	69.1	0.69	0.63	72.0	0.78	2089	0.62
5	नैनीताल	8	0.63	51.1	0.51	53.0	0.53	0.52	63.6	0.64	3796	0.72
6	पिथौरागढ़	9	0.62	53.8	0.54	58.0	0.58	0.56	64.8	0.66	2200	0.63
7	टिहरी गढ़वाल	12	0.59	41.7	0.42	54.5	0.55	0.48	65.8	0.68	1986	0.61
8	उत्तरकाशी	13	0.59	41.9	0.42	47.9	0.48	0.45	60.2	0.59	4072	0.73
9	हरिद्वार	10	0.60	44.7	0.45	44.1	0.44	0.44	66.1	0.69	3043	0.69
10	आगरा	14	0.58	46.5	0.46	37.0	0.37	0.42	67.3	0.71	1863	0.60
11	अलीगढ़	30	0.53	41.5	0.42	37.5	0.37	0.39	62.4	0.62	1669	0.59
12	बरेली	43	0.49	30.9	0.31	26.7	0.27	0.29	60.8	0.60	1802	0.60
13	बिजनौर	25	0.54	37.5	0.37	35.1	0.35	0.36	63.1	0.64	2183	0.63
14	बदायूं	63	0.40	22.3	0.22	21.0	0.21	0.22	51.8	0.45	1276	0.54
15	बुलंदशहर	18	0.57	39.7	0.40	39.9	0.40	0.40	65.8	0.68	2078	0.62
16	एटा	50	0.48	36.3	0.36	34.8	0.35	0.36	56.3	0.52	1467	0.56
17	इटावा	29	0.54	49.2	0.49	44.2	0.44	0.47	60.8	0.60	1303	0.54
18	फर्रुखाबाद	32	0.52	43.7	0.44	37.7	0.38	0.41	61.4	0.61	1275	0.54
19	फिरोजाबाद	34	0.52	41.8	0.42	41.6	0.42	0.42	60.3	0.59	1293	0.54
20	गाजियाबाद	4	0.65	49.6	0.50	47.7	0.48	0.49	70.1	0.75	3734	0.72
21	मैनपुरी	27	0.54	46.0	0.46	43.8	0.44	0.45	61.8	0.61	1350	0.55
22	मथुरा	16	0.57	41.1	0.41	40.9	0.41	0.41	66.2	0.69	2006	0.62
23	मेरठ	11	0.60	46.1	0.46	44.0	0.44	0.45	67.2	0.70	2521	0.65
24	मुरादाबाद	46	0.49	28.4	0.28	24.5	0.25	0.26	62.5	0.63	1700	0.59
25	मुजफ्फरनगर	21	0.55	38.8	0.39	42.3	0.42	0.41	61.8	0.61	2243	0.63
26	पीलीभीत	48	0.49	29.2	0.29	26.5	0.27	0.28	59.7	0.58	1940	0.61
27	रामपुर	55	0.47	23.2	0.23	21.6	0.22	0.22	60.3	0.59	1683	0.59
28	सहारनपुर	20	0.56	38.1	0.38	37.3	0.37	0.38	65.5	0.68	2221	0.63
29	शाहजहांपुर	57	0.46	29.2	0.29	27.0	0.27	0.28	55.9	0.52	1721	0.59
30	बाराबंकी	49	0.48	27.1	0.27	28.5	0.28	0.28	62.0	0.62	1427	0.56
31	फतेहपुर	35	0.51	39.6	0.40	43.5	0.44	0.42	58.8	0.56	1422	0.56
32	हरदोई	60	0.44	34.0	0.34	30.5	0.31	0.32	53.6	0.48	1135	0.52
33	कानपुर( देहात)	22	0.55	45.7	0.46	45.1	0.45	0.45	62.8	0.63	1497	0.57
34	कानपुर ( नगर)	2	0.69	64.7	0.65	57.6	0.58	0.61	74.3	0.82	2288	0.64
35	खीरी	42	0.49	26.6	0.27	25.3	0.25	0.26	63.7	0.65	1616	0.58
36	लखनऊ	6	0.63	54.4	0.54	50.7	0.51	0.53	69.5	0.74	2236	0.63
37	रायबरेली	52	0.47	33.1	0.33	38.8	0.39	0.36	56.7	0.53	1235	0.54
38	सीतापुर	56	0.47	29.1	0.29	24.5	0.24	0.27	59.7	0.58	1352	0.55
39	उन्नाव	47	0.49	35.0	0.35	36.6	0.37	0.36	60.2	0.59	1215	0.53
40	इलाहाबाद	38	0.50	39.0	0.39	37.1	0.37	0.38	59.0	0.57	1431	0.56
41	आजमगढ़	44	0.49	32.8	0.33	38.2	0.38	0.35	61.8	0.61	1066	0.51
42	बहराइच	62	0.40	21.6	0.22	23.4	0.23	0.23	54.4	0.49	991	0.50
43	बलिया	17	0.57	39.0	0.39	39.9	0.40	0.39	74.4	0.82	944	0.49
44	बस्ती	54	0.47	31.1	0.31	30.8	0.31	0.31	61.1	0.60	934	0.49

क्रम सं	जिले	एच. डी. आई		वयस्क साक्षरता	साक्षरता सूचकांक	ए. एस. ई. आर. 5-14	नामांकन सूचकांक	शिक्षा सूचकांक	एल. ई. बी.	एल. ई. बी. सूचकांक	पीसी एन. डी. डी. पी.	आय सूचकांक
		स्थान	मूल्य									
45	देवरिया	45	0.49	33.0	0.33	36.9	0.37	0.35	62.4	0.62	1034	0.51
46	फैजाबाद	33	0.52	36.0	0.36	39.3	0.39	0.38	64.6	0.66	1072	0.51
47	गाजीपुर	28	0.54	38.4	0.38	37.5	0.37	0.38	68.3	0.72	1044	0.51
48	गोण्डा	58	0.45	24.1	0.24	25.9	0.26	0.25	57.3	0.54	1501	0.57
49	गोरखपुर	31	0.53	39.6	0.40	36.8	0.37	0.38	66.7	0.70	1090	0.51
50	जौनपुर	39	0.50	36.5	0.37	37.5	0.38	0.37	63.4	0.64	922	0.49
51	महराजगंज	59	0.45	25.8	0.26	27.3	0.27	0.27	57.6	0.54	1228	0.53
52	मऊ	23	0.55	37.6	0.38	43.0	0.43	0.40	66.5	0.69	1315	0.55
53	मिर्जापुर	37	0.50	35.6	0.36	33.6	0.34	0.35	61.1	0.60	1446	0.56
54	प्रतापगढ़	51	0.48	34.7	0.35	40.1	0.40	0.37	59.1	0.57	946	0.49
55	सिद्धार्थनगर	61	0.42	22.9	0.23	27.4	0.27	0.25	58.4	0.56	758	0.45
56	सोनभद्र	24	0.55	31.5	0.31	30.0	0.30	0.31	62.6	0.63	3445	0.71
57	सुल्तानपुर	41	0.50	33.2	0.33	39.3	0.39	0.36	58.1	0.55	1534	0.57
58	वाराणसी	19	0.56	43.9	0.44	39.1	0.39	0.41	64.9	0.67	1983	0.61
59	बांदा	40	0.50	32.4	0.32	31.7	0.32	0.32	61.4	0.61	1425	0.56
60	हमीरपुर	36	0.51	35.3	0.35	36.4	0.36	0.36	59.6	0.58	1726	0.59
61	जालौन	26	0.54	47.2	0.47	42.8	0.43	0.45	60.8	0.60	1538	0.57
62	झांसी	15	0.57	47.9	0.48	45.4	0.45	0.47	62.5	0.63	2097	0.62
63	ललितपुर	53	0.47	28.9	0.29	29.0	0.29	0.29	57.3	0.54	1661	0.58
	<b>उ.प्र.</b>		<b>0.52</b>	<b>37.6</b>	<b>0.38</b>	<b>36.9</b>	<b>0.37</b>	<b>0.37</b>	<b>61.8</b>	<b>0.61</b>	<b>1637</b>	<b>0.58</b>

#### 1991 प्रशासनिक सीमाएं

1	उत्तराखंड	1	0.64	53.75	0.54	58.9	0.59	0.56	66.6	0.69	2603	0.66
2	पश्चिमी	2	0.53	38.38	0.38	36.0	0.36	0.37	62.2	0.62	1922	0.61
3	मध्य	3	0.52	39.12	0.39	38.1	0.38	0.39	62.1	0.62	1542	0.57
4	पूर्वी	5	0.50	34.18	0.34	34.9	0.35	0.35	62.2	0.62	1299	0.54
5	बुंदेलखंड	4	0.52	38.71	0.39	37.1	0.37	0.38	60.3	0.59	1689	0.59

#### 2001 प्रशासनिक सीमाएं

पश्चिमी (हरिद्वार रहित)	0.57	38.2	0.38	56.9	0.57	0.48	62.1	0.62	1914	0.61
उत्तरांचल (हरिद्वार सहित)	0.60	52.3	0.52	35.5	0.35	0.44	66.5	0.69	2746	0.67
उ.प्र. (उत्तरांचल रहित)	0.52	36.8	0.37	35.9	0.36	0.36	62.0	0.62	1577	0.58

टिप्पणियां : एच.डी.आई. 1: ए.एस.ई.आर. 5-14 + सा 15(1:1) + एल.ई.बी. + लाग (पी.सी.एन.डी.डी.पी.)

पी.सी.एन.डी.डी.पी. : प्रति व्यक्ति शुद्ध जिला घरेलू उत्पाद

साक्षरता सूचकांक : साक्षरता के प्रयुक्त आंकड़े 15 वर्ष और उससे ऊपर के लिए हैं।

नामांकन सूचकांक : 5 से 14 वर्ष के लिए ए.एस.ई.आर. को लिया गया है।

शिक्षा सूचकांक : साक्षरता और नामांकन सूचकांक को बराबर भार दिया गया है।

एल.ई.बी. सूचकांक : जन्म के समय जीवन प्रत्याशा

आय सूचकांक : प्रतिव्यक्ति शुद्ध जिला घरेलू उत्पाद के आंकड़ों का लाग इस्तेमाल किया गया है।

तालिका : B-2 : अंतरिम मानव विकास सूचकांक: 2000-01

क्रम सं	जिले	एच. डी. आई		कुल साक्षरता	शिक्षा सूचकांक	सुरक्षित प्रसव का %	सूचकांक	पूर्ण टीकाकरण वाले बच्चे (%)	सूचकांक	स्वास्थ्य सूचकांक	पीसी एन.डी. डी. पी.	आय सूचकांक
		स्थान	मूल्य									
1	आगरा	9	0.572	65	<b>0.650</b>	37.2	0.372	42.0	<b>0.420</b>	0.396	2385.7	0.645
2	अलीगढ़	25	0.556	60	<b>0.597</b>	40.3	0.403	43.1	<b>0.431</b>	0.417	2328.9	0.641
3	औरैया	13	0.569	72	<b>0.715</b>	14.4	0.144	42.2	<b>0.422</b>	0.283	1525.1	0.570
4	बदायूं	39	0.397	39	<b>0.388</b>	18.5	0.185	20.6	<b>0.206</b>	0.196	1773.7	0.596
5	बागपत	68	0.520	66	<b>0.657</b>	71.0	0.710	24.6	<b>0.246</b>	0.478	2562.2	0.657
6	बरेली	54	0.511	48	<b>0.480</b>	34.0	0.340	42.1	<b>0.421</b>	0.381	2217.7	0.633
7	बिजनौर	12	0.529	59	<b>0.594</b>	64.5	0.645	32.9	<b>0.329</b>	0.487	2671.2	0.664
8	बुलंदशहर	6	0.607	60	<b>0.602</b>	35.6	0.356	54.8	<b>0.548</b>	0.452	2778.9	0.671
9	एटा	48	0.508	56	<b>0.562</b>	30.2	0.302	36.0	<b>0.360</b>	0.331	1846.7	0.602
10	इटावा	7	0.593	71	<b>0.708</b>	16.0	0.160	46.9	<b>0.469</b>	0.315	1834.9	0.601
11	फर्रुखाबाद	14	0.568	62	<b>0.623</b>	21.3	0.213	47.1	<b>0.471</b>	0.342	1932.3	0.610
12	फिरोजाबाद	36	0.536	67	<b>0.665</b>	23.2	0.232	32.6	<b>0.326</b>	0.279	1998.4	0.616
13	गौतम बुद्ध नगर	3	0.671	70	<b>0.698</b>	59.5	0.595	51.4	<b>0.514</b>	0.555	6057.1	0.801
14	गाजियाबाद	4	0.636	71	<b>0.709</b>	59.5	0.595	51.4	<b>0.514</b>	0.555	3030.3	0.685
15	हाथरस	32	0.548	63	<b>0.634</b>	20.8	0.208	39.6	<b>0.396</b>	0.302	1974.3	0.614
16	ज्योतिबापुर नगर	60	0.470	50	<b>0.502</b>	31.6	0.316	26.2	<b>0.262</b>	0.289	2383.4	0.645
17	कन्नौज	22	0.559	63	<b>0.626</b>	21.3	0.213	47.1	<b>0.471</b>	0.342	1616.5	0.580
18	मैनपुरी	23	0.558	67	<b>0.665</b>	14.9	0.149	41.2	<b>0.412</b>	0.281	1777.0	0.596
19	मथुरा	16	0.565	62	<b>0.622</b>	38.2	0.382	40.2	<b>0.402</b>	0.392	2793.2	0.671
20	मेरठ	20	0.561	66	<b>0.660</b>	88.8	0.888	30.8	<b>0.308</b>	0.598	3603.8	0.714
21	मुरादाबाद	61	0.470	46	<b>0.457</b>	39.5	0.395	32.8	<b>0.328</b>	0.362	2099.5	0.624
22	मुजफ्फरनगर	35	0.539	62	<b>0.617</b>	54.3	0.543	34.0	<b>0.340</b>	0.442	2595.5	0.659
23	पीलीभीत	49	0.505	51	<b>0.509</b>	18.8	0.188	36.4	<b>0.364</b>	0.276	2338.1	0.642
24	रामपुर	64	0.455	39	<b>0.390</b>	31.2	0.312	36.4	<b>0.364</b>	0.338	1961.2	0.612
25	सहारनपुर	26	0.556	63	<b>0.626</b>	58.2	0.582	36.4	<b>0.364</b>	0.473	2885.2	0.677
26	बाराबंकी	59	0.490	49	<b>0.487</b>	16.5	0.165	39.3	<b>0.393</b>	0.279	1710.6	0.590
27	फतेहपुर	44	0.516	60	<b>0.597</b>	24.0	0.240	35.4	<b>0.354</b>	0.297	1786.9	0.597
28	हरदोई	45	0.512	53	<b>0.526</b>	29.5	0.295	45.8	<b>0.458</b>	0.377	1353.7	0.551
29	कानपुर देहात	11	0.571	67	<b>0.666</b>	16.4	0.164	42.6	<b>0.426</b>	0.295	2053.2	0.620
30	कानपुर नगर	2	0.683	78	<b>0.776</b>	56.3	0.563	62.8	<b>0.628</b>	0.596	2393.5	0.646
31	यमुना नगर	40	0.528	49	<b>0.494</b>	11.4	0.114	48.1	<b>0.481</b>	0.298	1915.9	0.609
32	लखनऊ	1	0.710	69	<b>0.694</b>	42.0	0.420	74.1	<b>0.741</b>	0.581	3244.9	0.696
33	रायबरेली	34	0.539	55	<b>0.551</b>	27.0	0.270	51.9	<b>0.519</b>	0.395	1328.3	0.547
34	शाहजहांपुर	51	0.494	49	<b>0.488</b>	15.1	0.151	37.2	<b>0.372</b>	0.262	2093.9	0.623
35	सीतापुर	56	0.489	49	<b>0.491</b>	24.5	0.245	38.6	<b>0.386</b>	0.316	1705.2	0.589
36	उन्नाव	53	0.490	56	<b>0.557</b>	20.7	0.207	35.6	<b>0.356</b>	0.282	1411.5	0.558
37	इलाहाबाद	33	0.548	63	<b>0.629</b>	30.6	0.306	39.0	<b>0.390</b>	0.348	2105.2	0.624
38	अम्बेडकर नगर	27	0.554	59	<b>0.591</b>	19.6	0.196	55.5	<b>0.555</b>	0.376	1093.4	0.515
39	आजमगढ़	10	0.571	56	<b>0.562</b>	32.8	0.328	61.5	<b>0.615</b>	0.472	1243.9	0.536
40	बलिया	70	0.609	59	<b>0.589</b>	35.2	0.352	71.5	<b>0.715</b>	0.534	1148.5	0.523
41	बलरामपुर	5	0.395	35	<b>0.347</b>	12.5	0.125	31.7	<b>0.317</b>	0.221	1130.1	0.520
42	बस्ती	46	0.570	54	<b>0.543</b>	22.0	0.220	63.7	<b>0.637</b>	0.429	1198.9	0.530
43	बहराइच	42	0.366	36	<b>0.358</b>	10.7	0.107	22.1	<b>0.221</b>	0.164	1114.8	0.518



क्रम सं.	जिले	एच.डी.आई		कुल साक्षरता	शिक्षा सूचकांक	सुरक्षित प्रसव का %	सूचकांक	पूर्ण टीकाकरण वाले बच्चे (%)	सूचकांक	स्वास्थ्य सूचकांक	पीसी एन.डी. डी.पी.	आय सूचकांक
		स्थान	मूल्य									
44	चौदौली	52	0.491	61	<b>0.611</b>	30.6	0.306	29.3	<b>0.293</b>	0.299	1522.3	0.570
45	देवरिया	19	0.561	60	<b>0.598</b>	24.2	0.242	55.6	<b>0.556</b>	0.399	1177.3	0.527
46	फैजाबाद	41	0.527	57	<b>0.575</b>	24.9	0.249	45.8	<b>0.458</b>	0.354	1335.4	0.548
47	गाजीपुर	38	0.529	60	<b>0.601</b>	34.8	0.348	45.8	<b>0.458</b>	0.403	1188.0	0.529
48	गोण्डा	67	0.424	43	<b>0.430</b>	12.5	0.125	31.7	<b>0.317</b>	0.221	1161.4	0.525
49	गोरखपुर	15	0.565	61	<b>0.610</b>	23.9	0.239	52.7	<b>0.527</b>	0.383	1427.3	0.559
50	जौनपुर	21	0.559	60	<b>0.600</b>	32.1	0.321	54.3	<b>0.543</b>	0.432	1231.9	0.535
51	कौशाम्बी	65	0.449	48	<b>0.482</b>	24.5	0.245	31.2	<b>0.312</b>	0.278	1365.0	0.552
52	कुशीनगर	57	0.488	48	<b>0.484</b>	19.4	0.194	44.5	<b>0.445</b>	0.319	1234.8	0.535
53	महाराजगंज	63	0.457	48	<b>0.477</b>	11.2	0.112	32.9	<b>0.329</b>	0.221	1469.4	0.564
54	मऊ	29	0.551	65	<b>0.649</b>	30.1	0.301	40.6	<b>0.406</b>	0.354	180.1	0.599
55	मिर्जापुर	58	0.482	56	<b>0.561</b>	24.3	0.243	29.3	<b>0.293</b>	0.268	1748.5	0.593
56	प्रतापगढ़	43	0.516	59	<b>0.587</b>	28.6	0.286	43.7	<b>0.437</b>	0.362	1162.5	0.525
57	सन्त कबीर नगर	31	0.549	52	<b>0.517</b>	22.0	0.220	63.7	<b>0.637</b>	0.429	954.8	0.492
58	सन्त रविदास नगर	47	0.511	59	<b>0.591</b>	23.1	0.231	41.7	<b>0.417</b>	0.324	1155.7	0.524
59	श्रावस्ती	50	0.496	34	<b>0.343</b>	22.0	0.220	63.7	<b>0.637</b>	0.429	1050.8	0.508
60	सिद्धार्थनगर	66	0.445	44	<b>0.440</b>	12.5	0.125	37.7	<b>0.377</b>	0.251	1117.9	0.519
61	सोनभद्र	62	0.458	50	<b>0.500</b>	24.4	0.244	18.8	<b>0.188</b>	0.216	3041.8	0.686
62	सुल्तानपुर	17	0.564	57	<b>0.569</b>	30.9	0.309	56.5	<b>0.565</b>	0.437	1416.8	0.558
63	वाराणसी	24	0.558	67	<b>0.671</b>	38.2	0.382	36.6	<b>0.366</b>	0.374	2255.0	0.636
64	बांदा	69	0.475	55	<b>0.548</b>	21.9	0.219	28.0	<b>0.280</b>	0.250	1786.1	0.597
65	चित्रकूट	55	0.489	66	<b>0.661</b>	21.9	0.219	28.0	<b>0.280</b>	0.250	1177.8	0.527
66	हमीरपुर	30	0.550	58	<b>0.581</b>	8.5	0.085	46.0	<b>0.460</b>	0.273	1914.4	0.608
67	जालौन	18	0.561	66	<b>0.661</b>	33.9	0.339	41.9	<b>0.419</b>	0.379	1839.2	0.602
68	झांसी	8	0.574	67	<b>0.667</b>	36.3	0.363	39.9	<b>0.399</b>	0.381	2548.1	0.656
69	ललितपुर	28	0.553	50	<b>0.499</b>	21.5	0.215	56.7	<b>0.567</b>	0.391	1728.3	0.591
70	महोबा	37	0.531	54	<b>0.542</b>	24.3	0.243	43.2	<b>0.432</b>	0.338	2042.3	0.619
	उ.प्र.		<b>0.532</b>	<b>57</b>	<b>0.571</b>	<b>21.9</b>	<b>0.219</b>	<b>41.7</b>	<b>0.417</b>	<b>0.318</b>	<b>1908.8</b>	<b>0.608</b>

### 2001 प्रशासनिक सीमाएं

1	पश्चिमी	2	0.54	59.81	0.60	37.71	0.38	38.76	0.39	0.38	2438.83	0.64
2	मध्य	1	0.57	60.58	0.61	28.01	0.28	49.73	0.50	0.39	2065.53	0.62
3	पूर्वी	3	0.51	53.75	0.54	24.35	0.24	44.48	0.44	0.34	1402.09	0.55
4	बुंदेलखंड	4	0.53	59.43	0.59	24.04	0.24	40.53	0.41	0.32	1862.33	0.60

टिप्पणी :

पी.सी.एन.डी.डी.पी. : प्रति व्यक्ति शुद्ध जिला घरेलू उत्पाद

आय सूचकांक : प्रति व्यक्ति शुद्ध जिला घरेलू उत्पाद संख्या के लाग का प्रयोग किया गया है।

तालिका B-3 : मानव गरीबी सूचकांक और इसके घटक, 1990-91

क्रम	जिला	प्रतिशत परिवार		अभारित औसत (आवास + जल)	40 वर्ष तक न जीने वाले (%)*	गरीबी अनुपात **	एच.पी. आई.
		अनावासीय अस्थायी आवास	साफ पेय जल रहित				
1	अमोड़ा	0.18	31.16	15.67	10.10	27.36	35.95
2	चमोली	0.11	36.03	18.07	10.50	19.19	32.07
3	देहरादून	0.72	24.70	12.71	8.40	12.31	24.22
4	दिल्ली गढ़वाल	0.85	11.60	6.23	6.80	10.02	29.69
5	नैनीताल	12.42	25.90	19.16	14.00	28.96	36.37
6	पिथौरागढ़	0.21	16.80	8.51	13.00	31.34	35.26
7	टिहरी गढ़वाल	0.09	41.13	20.61	12.20	17.17	40.89
8	उत्तरकाशी	0.49	30.41	15.45	18.30	18.60	41.11
9	हरिद्वार	1.72	10.32	6.02	12.00	40.57	42.93
10	आगरा	0.99	39.51	20.25	10.80	28.29	38.96
11	अलीगढ़	0.98	29.82	15.40	15.70	32.91	43.06
12	बरेली	0.97	19.36	10.17	17.20	30.03	49.43
13	बिजनौर	1.98	14.53	8.26	15.00	33.83	45.73
14	बदायूं	1.28	33.48	17.38	27.90	29.81	55.68
15	बुलंदशहर	1.67	13.16	7.42	12.10	32.54	44.01
16	एटा	0.93	42.11	21.52	22.50	35.29	47.15
17	इटावा	1.63	42.12	21.88	18.60	47.09	43.22
18	फर्रुखाबाद	2.10	49.82	25.96	16.70	30.24	41.28
19	फिरोजाबाद	1.52	33.37	17.45	17.90	17.72	41.14
20	गाजियाबाद	1.42	7.29	4.36	8.40	21.44	35.89
21	मैनपुरी	0.76	43.75	22.26	16.80	56.78	48.63
22	मथुरा	1.04	43.25	22.15	12.00	24.84	41.92
23	मेरठ	1.13	8.29	4.71	11.10	17.36	37.91
24	मुरादाबाद	0.94	20.56	10.75	16.00	35.04	51.70
25	मुजफ्फरनगर	0.87	8.00	4.44	16.10	27.56	43.92
26	पौलीभीत	6.79	16.75	11.77	18.30	29.88	50.57
27	रामपुर	1.30	17.66	9.48	18.30	45.80	56.97
28	सहारनपुर	0.99	11.04	6.02	12.50	42.03	47.12
29	शाहजहाँपुर	2.31	42.72	22.52	22.90	17.85	49.89
30	बाराबंकी	3.64	65.58	34.61	16.10	33.95	52.37
31	फतेहपुर	1.14	68.15	34.65	19.70	59.05	52.48
32	हरदोई	1.35	68.89	35.12	25.90	62.54	56.78
33	कानपुर देहात	1.46	62.22	31.84	15.30	29.27	39.76
34	कानपुर नगर	0.79	17.61	9.20	5.20	20.53	26.03
35	कन्नौज	10.73	40.27	25.50	14.30	52.17	56.47
36	लखनऊ	1.39	36.07	18.73	8.80	31.51	34.83
37	रायबरेली	0.81	63.40	32.11	22.20	42.19	50.45
38	सीतापुर	2.60	69.39	36.00	18.70	37.94	51.85
39	उन्नाव	1.93	70.02	35.98	18.30	59.36	54.65
40	इलाहाबाद	0.27	56.11	28.19	19.40	33.45	44.91
41	आजमगढ़	0.77	14.77	7.77	16.80	44.71	51.00

क्रम	जिला	प्रतिशत परिवार		अभारित औसत (आवास + जल)	40 वर्ष तक न जीने वाले (%)*	गरीबी अनुपात **	एच.पी. आई.
		अनावासीय अस्थायी आवास	साफ पेय जल रहित				
42	बहराइच	9.53	45.08	27.31	24.90	51.40	59.54
43	बलिया	6.41	22.84	14.63	5.00	38.30	45.56
44	बस्ती	2.50	27.08	14.79	17.10	26.85	48.92
45	देवरिया	20.54	16.83	18.69	15.70	50.92	52.61
46	फैजाबाद	0.78	30.03	15.41	13.30	54.07	52.04
47	गाजीपुर	0.86	44.65	22.76	9.90	53.89	50.72
48	गोण्डा	5.40	44.37	24.89	21.40	41.87	55.75
49	गोरखपुर	2.39	16.11	9.25	11.30	34.36	44.37
50	जौनपुर	0.31	42.23	21.27	14.60	42.48	48.17
51	महराजगंज	3.64	11.01	7.33	21.10	33.20	53.33
52	मऊ	0.51	13.88	7.20	11.50	37.13	46.17
53	मिर्जापुर	0.94	65.42	33.18	17.10	50.48	51.11
54	प्रतापगढ़	0.15	67.05	33.60	19.30	54.89	53.20
55	सिद्धार्थनगर	1.37	30.38	15.88	20.20	32.81	55.09
56	सोनभद्र	0.59	63.29	31.94	15.50	45.13	51.83
57	सुल्तानपुर	0.69	57.30	29.00	20.40	52.22	53.11
58	वाराणसी	0.35	56.46	28.41	14.50	37.90	42.74
59	बादा	0.22	62.60	31.41	16.80	63.02	57.29
60	हमीरपुर	0.02	67.83	33.93	18.80	38.12	48.07
61	जालौन	0.04	42.23	21.14	18.60	65.07	52.31
62	झांसी	0.07	51.11	25.59	15.60	40.54	41.32
63	ललितपुर	0.16	63.89	32.03	21.50	54.34	56.10
	<b>उ.प्र.</b>	<b>2.47</b>	<b>37.76</b>	<b>20.12</b>	<b>16.80</b>	<b>39.72</b>	<b>46.92</b>

#### 1991 प्रशासनिक सीमाएं

1	उत्तराखंड	38.76	19.38
2	पश्चिमी	25.16	12.58
3	मध्य	57.98	28.99
4	पूर्वी	55.91	27.96
5	बुंदेलखंड	26.30	13.15

**टिप्पणी :** \* दक्षिण एशियाई माडल जीवन तालिका में q(2) मूल्य से गणना की गई है।  
प्रयोग किया गया है।

\*\*1990-91 के प्रतिनिधि के बतौर 1993-94 के आंकड़ों का

**परिभाषा :** अनावासीय अस्थायी आवास : ऐसे अस्थायी आवास जिनकी दीवार घास, पत्ती, सरकंडे या बांस से बनाई गई है।

**साफ पेय जल :** यदि पेयजल का स्रोत नल, हैंड पंप, या uydii है तो उसका साफ पेयजल कहा गया है। यह भी ध्यान रखिए कि यह परिभाषा व्यापक नहीं है।

तालिका-B 4 : महिला विकास सूचकांक 1990-91

क्रम सं	जिले	महिला विकास सूचकांक		वयस्क साक्षरता दर		ए.एस.ई.आर 5-14		एल.ई.बी.		अनुमानित अर्जित आय		जी.डी.आई. स्थान घटाकर एच.डी.आई. स्थान
		स्थान	मूल्य	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	
1	अमोड़ा	6	0.616	76.8	29.5	71.1	54.7	68.5	68.2	2214	1559	2
2	चमोली	4	0.622	80.4	31.6	67.8	50.8	65.5	70.1	2389	1830	2
3	देहरादून	1	0.679	76.0	54.3	70.1	63.0	68.9	71.3	3922	1254	0
4	गढ़वाल	2	0.671	79.7	38.7	72.9	65.3	74.2	70.0	2288	1900	1
5	नैनीताल	5	0.617	64.7	36.6	59.1	46.4	65.0	62.1	5000	2411	0
6	पिथौरागढ़	8	0.602	78.1	30.1	67.2	48.4	63.2	66.5	2269	2130	1
7	टिहरी गढ़वाल	10	0.569	68.5	18.1	66.1	42.9	64.4	67.3	2304	1684	3
8	उत्तरकाशी	11	0.566	66.1	17.0	59.5	35.6	59.3	61.2	4050	4095	0
9	हरिद्वार	14	0.540	57.4	30.5	50.4	36.5	66.5	65.9	5241	445	-4
10	आगरा	25	0.493	62.2	27.9	44.2	28.6	68.8	65.5	3211	243	-10
11	अलीगढ़	27	0.488	58.7	22.1	44.8	28.7	63.8	60.7	2674	477	0
12	बरेली	57	0.390	42.8	17.2	32.6	19.7	61.9	59.5	3179	161	-19
13	बिजनौर	34	0.467	50.7	22.3	42.4	26.7	63.3	62.9	3820	304	-12
14	बदायूं	63	0.315	32.2	10.6	27.3	12.8	52.3	51.2	2174	168	-1
15	बुलंदशहर	21	0.509	59.2	18.5	49.0	29.2	66.3	65.1	3437	492	-4
16	एटा	47	0.423	51.7	18.4	42.6	24.8	58.9	53.2	2378	361	3
17	इटावा	53	0.410	64.3	32.0	49.0	38.7	62.4	58.8	2308	94	-24
18	फर्रुखाबाद	44	0.440	58.7	25.9	42.5	31.9	62.4	60.2	2186	183	-11
19	फिरोजाबाद	56	0.400	57.5	24.1	48.5	32.9	62.5	57.6	2276	113	-22
20	गाजियाबाद	7	0.616	66.3	31.6	53.2	41.1	70.6	69.6	5983	1029	-3
21	मैनपुरी	48	0.420	62.9	26.5	50.1	36.1	65.0	59.5	2384	109	-20
22	मथुरा	22	0.504	59.8	18.8	51.9	27.2	66.9	65.4	3309	409	-6
23	मेरठ	12	0.562	62.1	28.6	49.9	37.4	67.7	66.6	4083	687	0
24	मुरादाबाद	50	0.413	39.8	15.4	30.4	17.8	63.7	61.0	2951	232	-8
25	मुजफ्फरनगर	19	0.517	53.4	23.0	49.6	33.8	63.1	59.9	3459	827	2
26	पीलीभीत	49	0.417	42.6	13.5	34.0	17.7	61.0	58.1	3312	333	-9
27	रामपुर	55	0.404	32.1	12.9	27.3	14.9	62.3	57.9	2852	320	-3
28	सहारनपुर	29	0.485	51.5	22.8	43.8	29.8	65.4	65.6	3864	291	-10
29	शाहजहाँपुर	62	0.324	40.9	15.2	34.1	18.5	57.8	53.6	3041	104	-8
30	बाराबंकी	42	0.447	40.6	11.4	35.3	20.5	63.2	60.4	2175	554	4
31	फतेहपुर	26	0.492	56.3	21.1	52.2	33.6	58.1	59.7	1892	889	9
32	हरदोई	60	0.366	48.4	16.4	38.2	20.8	54.5	52.4	1896	203	0
33	कानपुर देहात	28	0.487	60.4	29.0	50.9	38.5	64.3	61.0	2533	267	-4
34	कानपुर नगर	3	0.626	76.1	54.4	60.7	54.2	74.0	74.7	3928	298	-1
35	खीरी	51	0.410	37.9	13.2	32.7	16.4	62.9	64.8	2801	208	-10
36	लखनऊ	9	0.595	65.5	42.3	54.7	46.1	69.7	69.3	3684	565	-2
37	रायबरेली	43	0.441	50.0	16.0	48.0	28.6	57.5	55.8	1851	573	10
38	सीतापुर	58	0.389	41.8	13.9	30.4	17.4	60.1	59.2	2303	209	-3
39	उन्नाव	38	0.453	49.3	18.8	44.0	28.0	61.3	59.0	1906	423	7
40	इलाहाबाद	31	0.474	57.4	19.0	46.8	26.0	59.9	58.0	1957	829	8
41	आजमगढ़	37	0.458	51.7	16.5	48.2	27.3	63.2	60.2	1624	512	11
42	बहराइच	61	0.364	33.0	8.4	31.2	13.7	54.8	54.0	1511	373	2

क्रम सं.	जिले	महिला विकास सूचकांक		वयस्क साक्षरता दर		ए.एस.ई.आर 5-14		एल.ई.बी.		अनुमानित अर्जित आय		जी.डी.आई. स्थान घटाकर एच.डी.आई. स्थान
		स्थान	मूल्य	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	
43	बलिया	16	0.532	58.1	20.4	48.4	30.0	75.0	73.8	1474	384	7
44	बस्ती	46	0.431	48.3	13.3	40.4	20.3	61.2	61.0	1380	446	12
45	देवरिया	39	0.452	52.8	14.0	47.9	25.1	64.8	59.7	1557	494	10
46	फैजाबाद	35	0.467	53.1	18.4	47.6	30.3	65.1	64.1	1775	312	1
47	गाजीपुर	23	0.499	58.7	18.6	46.7	27.4	69.0	67.4	1588	476	7
48	गोण्डा	54	0.405	37.4	9.6	34.4	15.7	59.5	54.6	2358	519	3
49	गोरखपुर	24	0.493	58.8	19.7	45.8	26.9	67.0	66.3	1665	469	7
50	जौनपुर	36	0.458	58.8	16.2	48.1	26.1	63.7	63.1	1423	418	11
51	महराजगंज	52	0.410	42.9	7.4	39.0	14.1	58.8	56.3	1622	796	7
52	मऊ	18	0.527	55.5	20.7	51.2	34.0	66.2	66.8	1787	831	7
53	मिर्जापुर	32	0.474	52.0	17.9	42.4	23.3	64.2	57.5	1954	872	5
54	प्रतापगढ़	45	0.438	56.4	14.6	50.9	27.9	60.7	57.3	1412	475	11
55	सिद्धार्थनगर	59	0.386	36.7	8.5	37.1	16.1	59.9	56.7	1077	408	2
56	सोनभद्र	17	0.529	46.0	14.3	37.5	21.5	62.3	63.0	4180	2593	1
57	सुल्तानपुर	40	0.452	51.9	14.8	49.5	27.8	60.9	54.9	2377	630	3
58	वाराणसी	15	0.533	62.6	23.8	47.7	29.4	67.2	62.3	2880	982	5
59	बाँदा	33	0.469	49.3	12.5	41.9	19.1	61.5	61.3	1661	1144	11
60	हमीरपुर	30	0.484	51.9	16.1	46.0	24.5	60.8	58.3	2194	1170	2
61	जालौन	20	0.510	65.3	25.4	47.6	36.6	61.8	59.6	2258	670	6
62	झाँसी	13	0.550	65.7	28.4	52.9	36.6	63.4	61.5	2884	1185	1
63	ललितपुर	41	0.448	42.8	13.1	37.6	18.8	58.0	56.5	2122	1126	10
	उ.प्र.		<b>0.49</b>	<b>54</b>	<b>20</b>	<b>44.6</b>	<b>28.0</b>	<b>62.8</b>	<b>60.6</b>	<b>2465</b>	<b>696</b>	
<b>1991 प्रशासनिक सीमाएं</b>												
1	उत्तराखंड	1	<b>0.62</b>	73.8	32.0	66.7	50.9	66.1	67.1	3510	1767	0
2	पश्चिमी	2	<b>0.46</b>	52.7	21.8	42.7	27.8	63.5	60.8	3413	264	0
3	मध्य	4	<b>0.47</b>	52.6	23.7	44.7	30.4	62.6	61.6	2590	356	-1
4	i whl	5	<b>0.45</b>	51.2	15.6	44.2	24.4	63.3	60.9	2068	361	0
5	बुंदेलखंड	3	<b>0.49</b>	55.0	19.1	45.2	27.1	61.1	59.4	2447	785	0



तालिका-B-5 : जनसंख्या और दशकीय वृद्धि दर

क्रम	जिला	जनसंख्या 2001			दशकीय वृद्धि दर	
		व्यक्ति	पुरुष	महिला	1981-1991	1991-2001
1	आगरा	3611301	1949775	1661526	21.90	31.27
2	अलीगढ़	2990388	1607222	1383166	29.95	22.08
3	औरैया	1179496	635527	543969	27.23	14.70
4	बागपत	1164388	630244	534144	22.39	13.00
5	बरेली	3598701	1922833	1675868	24.71	26.96
6	बिजनौर	3130586	1651275	1479311	27.76	27.16
7	बदायूं	3069245	1667499	1401746	24.16	25.36
8	बुलन्दशहर	2923290	1553711	1369579	16.10	22.22
9	एटा	2788270	1509491	1278779	20.78	24.20
10	इटावा	1340031	721913	618118	17.24	21.59
11	फर्रुखाबाद	1577237	848088	729149	24.46	22.80
12	फिरोजाबाद	2045737	1105203	940534	21.65	33.44
13	गौतमबुद्धनगर	1191263	646554	544709	37.64	35.70
14	गाजियाबाद	3289540	1768215	1521325	40.90	47.47
15	हाथरस	1333372	718288	615084	26.90	18.32
16	ज्योतिबा फाल्के नगर	1499193	795439	703754	28.25	29.72
17	कन्नौज	1385227	741380	643847	24.94	19.58
18	मैनपुरी	1592875	858531	734344	24.11	21.50
19	मथुरा	2069578	1123984	945594	22.69	26.95
20	मेरठ	3001636	1604103	1397533	24.91	24.16
21	मुरादाबाद	3749630	1988801	1760829	31.89	26.45
22	मुजफ्फरनगर	3541952	1891937	1650015	26.42	24.61
23	पीलीभीत	1643788	876006	767782	27.25	28.11
24	रामपुर	1922450	1021501	900949	27.45	27.98
25	सहारनपुर	2848152	1525096	1323056	26.76	23.35
26	शाहजहाँपुर	2549458	1387424	1162034	20.62	28.28
27	बाराबंकी	2673394	1417213	1256181	26.59	26.40
28	फतेहपुर	2305847	1218892	1086955	20.79	21.40
29	हरदोई	3397414	1843395	1554019	20.75	23.67
30	कानपुर देहात	1584037	853566	730471	19.89	21.55
31	कानपुर नगर	4137489	2213955	1923534	22.54	27.17
32	खीरी	3200137	1706830	1493307	23.89	32.28
33	लखनऊ	3681416	1946973	1734443	37.14	33.25
34	राय बरेली	2872204	1473690	1398514	23.57	23.66
35	सीतापुर	3616510	1941933	1674577	22.24	26.58
36	उन्नाव	2700426	1422965	1277461	20.73	22.72
37	इलाहाबाद	4941510	2625872	2315638	30.78	26.72
38	अम्बेडकर नगर	2025373	1024712	1000661	25.45	24.31
39	आजमगढ़	3950808	1949827	2000981	25.46	26.28
40	बहराइच	2384239	1278253	1105986	25.19	29.55
41	बलिया	2752412	1409866	1342546	22.27	21.67
42	बलरामपुर	1684567	888559	796008	25.52	23.08
43	बस्ती	2068922	1079971	988951	23.41	22.69

क्रम	जिला	जनसंख्या 2001			दशकीय वृद्धि दर	
		व्यक्ति	पुरुष	महिला	1981-1991	1991-2001
44	चंदौली	1639777	853016	786761	27.33	28.63
45	देवरिया	2730376	1363250	1367126	24.95	25.03
46	फैजाबाद	2087914	1076000	1011914	23.77	23.87
47	गाजीपुर	3049337	1544496	1504841	24.27	26.18
48	गोण्डा	2765754	1456460	1309294	26.62	25.46
49	गोरखपुर	3784720	1931762	1852958	24.60	23.44
50	जौनपुर	3911305	1935576	1975729	26.92	21.67
51	कौशाम्बी	1294937	683673	611264	25.34	26.73
52	कुशीनगर	2891933	1474884	1417049	29.01	28.17
53	महाराजगंज	2167041	1120800	1046241	25.56	29.27
54	मऊ	1849294	932142	917152	28.37	27.91
55	मिर्जापुर	2114852	1115112	999740	31.40	27.62
56	प्रतापगढ़	2727156	1375610	1351546	22.75	23.36
57	सन्त कबीर नगर	1424500	720028	704472	26.46	23.64
58	सन्त रविदास नगर	1352056	704800	647256	38.16	25.47
59	श्रावस्ती	1175428	632452	542976	23.75	27.30
60	सिद्धार्थनगर	2038598	1047573	991025	23.63	26.78
61	सोनभद्र	1463468	771817	691651	38.18	36.13
62	सुल्तानपुर	3190926	1611936	1578990	25.32	24.20
63	वाराणसी	3147927	1650138	1497789	30.65	25.51
64	बांदा	1500253	806543	693710	23.69	18.49
65	चित्रकूट	800592	427705	372887	16.78	34.33
66	हमीरपुर	1042374	562911	479463	21.90	17.85
67	जालौन	1455859	788264	667595	23.64	19.39
68	झांसी	1746715	934118	812597	24.66	23.23
69	ललितपुर	977447	518928	458519	30.18	29.98
70	महोबा	708831	379795	329036	24.20	21.80
	<b>उ.प्र.</b>	<b>166052859</b>	<b>87466301</b>	<b>78586558</b>	<b>25.55</b>	<b>25.80</b>

स्रोत : भारत की जनगणना 2001

तालिका-B-6 : लिंग अनुपात एवं घनत्व

क्रम	जिला	लिंग अनुपात सभी आयु			घनत्व	
		1991	2001	0 से 6 वर्ष 2001	1991	2001
1	आगरा	832	852	849	683	897
2	अलीगढ़	845	861	886	654	798
3	औरैया	828	856	898	501	575
4	बागपत	838	848	847	742	838
5	बरेली	839	872	899	688	873
6	बिजनौर	871	896	902	540	686
7	बदायूं	810	841	887	474	594
8	बुलंदशहर	858	881	868	643	786
9	एटा	824	847	891	505	627
10	इटावा	834	856	895	482	586
11	फर्रुखाबाद	832	860	904	563	692
12	फिरोजाबाद	832	851	923	649	866
13	गौतम बुद्ध नगर	817	842	855	692	939
14	गाजियाबाद	840	860	851	1141	1682
15	हाथरस	830	856	881	644	761
16	ज्योतिबा प्वाले नगर	860	885	914	498	646
17	कन्नौज	835	868	909	581	695
18	मैनपुरी	834	855	883	477	580
19	मथुरा	816	841	872	489	621
20	मेरठ	858	871	854	959	1190
21	मुरादाबाद	849	885	911	813	1028
22	मुजफ्फरनगर	860	872	857	709	884
23	पीलीभीत	853	876	939	367	470
24	रामपुर	858	882	922	635	812
25	सहारनपुर	851	868	894	626	772
26	शाहजहांपुर	816	838	866	434	557
27	बाराबंकी	854	886	945	553	699
28	फतेहपुर	882	892	942	457	555
29	हरदोई	818	843	908	459	568
30	कानपुर देहात	836	856	899	414	504
31	कानपुर नगर	832	869	865	1074	1366
32	खीरी	842	875	933	315	417
33	लखनऊ	866	891	919	1093	1456
34	रायबरेली	931	949	936	506	626
35	सीतापुर	833	862	926	497	630
36	उन्नाव	873	898	915	483	592
37	इलाहाबाद	873	882	920	719	911
38	अम्बेडकर नगर	943	977	943	687	854
39	आजमगढ़	1007	1026	946	743	938
40	बहराइच	845	865	968	320	415
41	बरेली	946	952	947	759	923
42	बलरामपुर	868	896	961	468	576

क्रम	जिला	लिंग अनुपात सभी आयु			घनत्व	
		1991	2001	0 से 6 वर्ष 2001	1991	2001
43	बस्ती	908	916	949	556	682
44	चंदौली	907	922	924	499	642
45	देवरिया	995	1003	964	861	1077
46	फैजाबाद	898	940	952	610	755
47	गाजीपुर	957	974	946	716	903
48	गोण्डा	877	899	949	498	625
49	गोरखपुर	924	959	977	923	1140
50	जौनपुर	994	1021	927	796	969
51	कौशाम्बी	883	894	951	557	705
52	कुशीनगर	940	961	953	775	994
53	महराजगंज	909	933	960	568	734
54	मऊ	974	984	897	844	1080
55	मिर्जापुर	883	897	930	366	468
56	प्रतापगढ़	987	983	934	595	734
57	सन्त कबीर नगर	928	978	923	799	988
58	सन्त रविदास नगर	896	918	900	1123	1409
59	श्रावस्ती	833	859	941	820	1044
60	सिद्धार्थनगर	912	946	963	584	741
61	सोनभद्र	862	896	958	158	216
62	सुल्तानपुर	933	980	934	579	719
63	वाराणसी	890	908	962	1589	1995
64	बांदा	832	860	912	287	340
65	चित्रकूट	862	872	926	186	250
66	हमीरपुर	839	852	906	205	241
67	जालौन	829	847	885	267	319
68	झांसी	864	870	886	282	348
69	ललितपुर	863	884	936	149	194
70	महोबा	845	866	896	204	249
	<b>उ.प्र.</b>	<b>876</b>	<b>898</b>	<b>916</b>	<b>548</b>	<b>689</b>

स्रोत : भारत की जनगणना 2001.

तालिका-B-7 : चुनिंदा प्रजनन सूचक

क्रम	जिला	अपक्व जन्म दर		कुल प्रजनन दर		टी.एफ.आर. के मुताबिक स्थान 91	टी.एफ.आर. में सुधार 81 और 91
		1981	1991	1981	1991		
1	अयोध्या	36.1	33.4	4.9	4.5	3	0.4
2	चमोली	38.9	30.0	5.0	4.1	2	0.9
3	देहरादून	33.7	30.7	4.7	4.0	1	0.7
4	गढ़वाल	36.9	31.1	5.3	4.3	24	1.0
5	नैनीताल	39.4	38.0	5.9	5.4	48	0.6
6	पिथौरागढ़	35.0	31.7	4.7	4.1	50	0.6
7	टिहरी गढ़वाल	41.2	35.7	5.7	4.8	60	0.9
8	उत्तरकाशी	33.5	33.9	5.9	5.6	63	0.3
9	हरिद्वार	39.2	37.0	6.1	5.4	31	0.7
10	आगरा	41.1	33.2	6.3	4.9	4	1.4
11	अलीगढ़	40.6	35.6	6.5	5.7	12	0.8
12	बरेली	39.8	37.6	6.4	5.8	17	0.6
13	बिजनौर	42.9	40.0	6.9	6.3	21	0.6
14	बदायूं	41.1	39.5	6.7	6.3	22	0.4
15	बुलंदशहर	40.6	36.5	6.6	5.9	18	0.7
16	एटा	39.7	38.7	6.4	6.0	19	0.4
17	इटावा	37.9	33.4	6.0	5.1	6	0.9
18	फर्रुखाबाद	39.5	34.3	6.2	5.4	8	0.9
19	फिरोजाबाद	41.1	43.2	6.3	6.7	23	-0.4
20	गाजियाबाद	40.5	29.7	6.1	4.5	25	1.6
21	मैनपुरी	39.5	37.8	6.2	5.8	41	0.4
22	मथुरा	38.8	36.9	6.3	5.7	42	0.6
23	मेरठ	39.8	33.0	6.2	5.1	44	1.1
24	मुरादाबाद	42.5	34.3	6.8	5.5	46	1.3
25	मुजफ्फरनगर	38.7	38.3	6.2	5.8	47	0.4
26	पीलीभीत	39.9	39.8	6.3	6.3	49	0.0
27	रामपुर	43.6	36.9	7.2	5.9	53	1.3
28	सहारनपुर	39.2	37.5	6.1	5.5	54	0.6
29	शाहजहांपुर	40.4	34.9	5.5	5.5	55	0.0
30	बाराबंकी	35.4	33.0	5.2	5.2	7	0.0
31	फतेहपुर	38.0	40.2	5.9	6.1	20	-0.1
32	हरदोई	42.2	35.1	6.6	5.1	30	1.5
33	कानपुर देहात	37.3	38.9	5.5	6.2	35	-0.7
34	कानपुर नगर	37.3	29.3	5.5	3.9	36	1.6
35	खीरी	38.9	32.5	5.9	5.1	37	0.8
36	लखनऊ	36.4	32.3	5.2	4.4	39	0.8
37	रायबरेली	40.9	40.0	6.0	6.0	52	0.0
38	सीतापुर	39.4	34.4	5.2	5.1	57	0.1
39	उन्नाव	38.0	38.0	5.8	5.7	61	0.1
40	इलाहाबाद	39.7	39.2	5.8	5.8	13	0.0
41	आजमगढ़	40.2	39.9	5.8	5.8	16	0.0
42	बहराइच	38.6	35.8	5.9	5.6	11	0.3
43	बलिया	34.1	35.0	5.0	5.0	5	0.0
44	बस्ती	41.3	35.5	6.0	5.5	10	0.6



क्रम	जिला	अपक्व जन्म दर		कुल प्रजनन दर		टी. एफ. आर. के मुताबिक स्थान 91	टी. एफ. आर. में सुधार 81 और 91
		1981	1991	1981	1991		
45	देवरिया	40.0	38.9	5.8	5.8	15	0.0
46	फैजाबाद	37.3	37.1	5.4	5.4	9	0.0
47	गाजीपुर	37.7	34.5	5.3	5.2	26	0.1
48	गोण्डा	39.7	42.1	5.8	6.4	27	-0.6
49	गोरखपुर	40.4	34.9	5.8	5.3	28	0.5
50	जौनपुर	41.8	38.0	5.9	5.6	33	0.3
51	महराजगंज	40.4	34.2	5.0	5.0	40	0.0
52	मऊ	34.1	37.8	5.0	5.6	43	-0.6
53	मिर्जापुर	37.3	40.1	5.6	6.0	45	-0.4
54	प्रतापगढ़	40.2	39.1	5.8	5.6	51	0.2
55	सिद्धार्थनगर	41.3	42.2	6.4	6.4	56	0.0
56	सोनभद्र	37.3	36.9	5.6	5.3	58	0.3
57	सुर्यतानपुर	40.9	40.1	5.8	5.8	59	0.0
58	वाराणसी	37.7	34.6	5.4	5.1	62	0.3
59	बांदा	39.9	38.6	6.1	5.8	14	0.3
60	हमीरपुर	38.0	33.1	5.8	4.9	29	0.9
61	जालौन	37.4	34.1	5.6	4.9	32	0.7
62	झांसी	38.1	32.5	5.6	4.3	34	1.3
63	ललितपुर	42.3	38.7	6.5	5.6	38	0.9
	<b>उ.प्र.</b>	<b>39.42</b>	<b>37.2</b>	<b>5.9</b>	<b>5.6</b>	<b>—</b>	<b>0.3</b>

स्रोत : कंपेडियम ऑफ इंडियाज फर्टिलिटी एंड मोर्टलिटी इंडिकेटर्स, 1971-1997, आर.जी.आई., नई दिल्ली 1999.

तालिका- B-8 : मृत्युदर सूचक

क्रम	जिला	आई.एम. आर.		स्थान	आई.एम. आर में सुधार	5सेकम में मृत्यु दर		स्थान	5 से कम में मृत्यु दर में सुधार
		1981	1991			1981	1991		
1	अयोध्या	82	40	2	42	128	84	6	44
2	चमोली	143	65	11	78	152	82	5	70
3	देहरादून	88	53	5	35	96	76	3	20
4	दिल्ली गढ़वाल	94	69	13	25	128	90	8	38
5	नैनीताल	108	80	20	28	104	111	20	-7
6	पिथौरागढ़	121	76	16	45	139	99	13	40
7	टिहरी गढ़वाल	132	69	14	63	150	93	9	57
8	उत्तरकाशी	113	96	34	17	148	142	44	6
9	हरिद्वार	133	76	17	57	145	98	12	47
10	आगरा	115	58	6	57	177	89	7	88
11	अलीगढ़	129	104	45	25	210	126	28	84
12	बरेली	146	112	55	34	201	139	42	62
13	बिजनौर	160	99	40	61	178	120	25	58
14	बदायूं	180	146	63	34	253	171	61	82
15	बुलंदशहर	127	98	37	29	184	117	24	67
16	एटा	170	131	59	39	215	161	56	54
17	इटावा	117	85	28	32	196	144	48	52
18	फर्रुखाबाद	141	78	19	63	192	132	36	60
19	फिरोजाबाद	115	111	52	4	177	143	47	34
20	गाजियाबाद	114	64	10	50	159	73	2	86
21	मैनपुरी	121	99	41	22	204	128	32	76
22	मथुरा	122	67	12	55	196	111	18	85
23	मेरठ	125	51	4	74	157	104	15	53
24	मुरादाबाद	147	89	31	58	198	125	27	73
25	मुजफ्फरनगर	129	88	30	41	160	129	34	31
26	पीलीभीत	147	123	56	24	202	137	41	65
27	रामपुर	150	101	42	49	192	137	39	55
28	सहारनपुर	133	61	7	72	145	104	16	41
29	शाहजहाँपुर	167	129	57	38	236	164	59	72
30	बाराबंकी	136	98	38	38	206	127	31	79
31	फतेहपुर	111	106	48	5	224	162	57	62
32	हरदोई	173	131	60	42	249	184	62	65
33	कानपुर देहात	121	81	21	40	204	131	35	73
34	कानपुर नगर	91	71	15	20	151	111	19	40
35	खीरी	117	85	29	32	182	129	33	53
36	लखनऊ	101	84	25	17	155	103	14	52
37	रायबरेली	172	107	49	65	237	163	58	74
38	सीतापुर	143	111	53	32	217	137	40	80
39	उन्नाव	149	97	36	52	211	144	49	67
40	इलाहाबाद	110	109	51	1	194	143	46	51
41	आजमगढ़	110	92	33	18	159	127	30	32

क्रम	जिला	आई. एम. आर.		स्थान	आई. एम. आर में सुधार	5सेकम में मृत्यु दर		स्थान	5 से कम में मृत्यु दर में सुधार
		1981	1991			1981	1991		
42	बहराइच	150	138	62	12	220	169	60	51
43	बलिया	68	38	1	30	111	61	1	50
44	बस्ती	164	135	61	29	253	205	63	48
45	देवरिया	120	91	32	29	176	116	23	60
46	फैजाबाद	136	82	22	54	206	110	17	96
47	गाजीपुर	111	63	9	48	155	79	4	76
48	गोण्डा	157	130	58	27	239	157	53	82
49	गोरखपुर	123	61	8	62	192	96	10	96
50	जौनपुर	118	82	23	36	185	124	26	61
51	महाराजगंज	123	98	39	25	192	149	52	43
52	मऊ	110	47	3	63	159	97	11	62
53	मिर्जापुर	105	84	26	21	165	132	38	33
54	प्रतापगढ़	134	111	54	23	205	147	50	58
55	सिद्धार्थनगर	164	101	43	63	253	158	54	95
56	सोनभद्र	105	84	27	21	165	112	22	53
57	सुतानपुर	151	96	35	55	227	143	45	84
58	वाराणसी	96	76	18	20	144	112	21	32
59	बांदा	98	107	50	-9	186	141	43	45
60	हमीरपुर	126	105	46	21	214	148	51	66
61	जालौन	115	83	24	32	187	132	37	55
62	झांसी	120	105	47	15	187	126	29	61
63	ललितपुर	138	103	44	35	229	158	55	71
	<b>उ.प्र.</b>	<b>130</b>	<b>99</b>		<b>31</b>	<b>190</b>	<b>134</b>		<b>56</b>

स्रोत : 1991 के जिला स्तरीय प्रजनन दर और बाल मृत्यु दर अनुमान तथा अन्य चरों के साथ उनके संबंध, जनगणना, ओकेजनल पेपर्स नं. 1, 1997 पृष्ठ 140-43.

तालिका -B-9 : स्वास्थ्य सूचक 1998-99

क्रम	जिला	18 वर्ष से कम उम्र में शादी वाली लड़कियों का %	ए. एन. सी. के साथ गर्भवती महिलाओं का %	पूर्ण ए. एन. सी. के साथ गर्भवती महिलाओं का %	डाक्टरी प्रसव का %	सुरक्षित प्रसव का %	आर. टी. आई./ एस. टी. आई. लक्षण वाली महिलाओं का %	आर. टी. आई./ एस. टी. आई. लक्षण वाले पुरुषों का %	अपूर्त मांग का %
1	अयोध्या	14.0	40.4	17.3	11.9	53.8	39.2	5.9	36.3
2	बागेश्वर	—	—	—	—	—	—	—	—
3	चमोली	7.8	42.4	17.1	11.8	43.8	44.8	7.7	29.6
4	चम्पावत	—	—	—	—	—	—	—	—
5	देहरादून	14.2	69.7	35.1	38.9	87.9	25.0	11.9	33.4
6	दिल्ली गढ़वाल	6.7	51.7	23.3	18.6	56.4	25.3	10.0	36.5
7	नैनीताल	9.5	46.2	16.9	19.3	55.7	40.6	6.6	41.3
8	पिथौरागढ़	22.8	49.1	19.5	12.7	41.6	33.9	4.8	34.9
9	रुद्रप्रयाग	—	—	—	—	—	—	—	—
10	टिहरी गढ़वाल	13.1	34.8	15.6	13.2	43.5	56.5	19.1	23.0
11	उधमसिंहनगर	28.2	37.6	12.4	18.1	37.2	48.2	10.6	20.3
12	उत्तरकाशी	17.1	41.0	16.7	12.7	51.4	21.7	9.7	29.7
13	हरिद्वार	12.5	40.5	17.4	23.5	55.0	47.4	20.5	25.2
14	आगरा	38.2	42.0	8.8	29.9	37.2	41.0	8.4	22.6
15	अलीगढ़	42.6	32.5	9.7	15.4	40.3	44.6	10.1	48.7
16	औरंगा	—	—	—	—	—	—	—	—
17	बागपत	—	—	—	—	—	—	—	—
18	बरेली	29.6	24.8	8.1	10.1	34.0	37.5	9.4	40.2
19	बिजनौर	16.2	39.3	10.7	19.8	64.5	23.1	17.9	49.7
20	बदायूं	50.5	14.3	4.3	5.9	18.5	55.9	18.0	29.9
21	बुलंदशहर	27.2	28.0	8.7	13.6	35.6	42.7	11.7	47.3
22	एटा	57.5	23.9	5.9	11.1	30.2	38.8	9.0	57.2
23	इटावा	44.7	23.4	5.8	8.7	16.0	49.7	13.1	26.4
24	फर्रुखाबाद	37.2	25.8	—	9.8	21.3	48.9	14.7	28.1
25	फिरोजाबाद	51.4	24.9	5.0	14.2	23.2	49.9	8.9	29.5
26	गौतमबुद्धनगर	—	—	—	—	—	—	—	—
27	गाजियाबाद	19.3	47.7	20.5	27.1	59.5	39.4	22.0	22.6
28	हाथरस	47.3	30.7	6.2	14.0	20.8	51.1	9.7	25.1
29	ज्योतिबा फालेनगर	—	—	—	—	—	—	—	—
30	कन्नौज	—	—	—	—	—	—	—	—
31	मैनपुरी	50.0	23.4	5.4	7.5	14.9	43.8	8.9	26.2
32	मथुरा	42.1	34.0	9.4	21.1	38.2	39.2	6.3	36.8
33	मेरठ	14.4	41.8	15.0	22.6	88.8	21.5	18.7	52.6
34	मुरादाबाद	29.5	23.5	8.0	12.4	39.5	58.0	16.8	31.9
35	मुजफ्फरनगर	21.2	30.0	9.4	19.1	54.3	42.8	22.7	26.0
36	पीलीभीत	55.7	24.8	8.3	12.5	18.8	56.0	18.0	24.3
37	रामपुर	31.1	24.2	7.9	9.8	31.2	59.2	19.8	26.9
38	सहारनपुर	18.6	35.6	11.1	14.1	58.2	22.4	16.7	49.1
39	शाहजहांपुर	64.5	20.3	4.7	6.2	15.1	47.6	16.5	27.0
40	बाराबंकी	56.2	48.7	8.0	11.3	16.5	51.7	32.2	23.7
41	फतेहपुर	46.5	53.9	16.2	16.0	24.0	36.2	54.8	37.1
42	हरदोई	44.2	25.7	9.4	5.3	29.5	35.1	4.6	42.0
43	कानपुर देहात	34.5	57.2	66.6	9.7	16.4	35.7	34.7	18.8

क्रम	जिला	18 वर्ष से कम उम्र में शादी वाली लड़कियों का %	ए. एन. सी. के साथ गर्भवती महिलाओं का %	पूर्ण ए. एन. सी. के साथ गर्भवती महिलाओं का %	डाक्टरी प्रसव का %	सुरक्षित प्रसव का %	आर. टी. आई./ एस. टी. आई. लक्षण वाली महिलाओं का %	आर. टी. आई./ एस. टी. आई. लक्षण वाले पुरुषों का %	अपूर्त मांग का %
44	कानपुर नगर	5.6	77.2	25.1	42.9	56.3	30.8	9.0	29.1
45	खीरी	54.0	47.6	7.3	7.6	11.4	49.0	23.5	21.5
46	लखनऊ	35.3	80.0	22.7	36.4	42.0	19.7	16.2	18.3
47	रायबरेली	45.9	60.0	10.1	15.4	27.0	31.6	29.5	32.5
48	सीतापुर	64.2	41.9	11.3	15.3	24.5	29.6	13.3	20.5
49	उन्नाव	45.6	21.2	11.1	12.0	20.7	37.7	44.3	38.8
50	इलाहाबाद	52.4	48.9	14.5	17.8	30.6	37.1	11.2	39.6
51	अंबेडकरनगर	70.0	78.8	9.8	12.6	19.6	25.7	30.6	22.5
52	आजमगढ़	64.1	78.0	7.7	25.0	32.8	22.0	5.8	29.1
53	बहराइच	78.6	47.4	12.5	5.9	10.7	28.6	39.9	53.5
54	बलिया	53.6	61.8	9.3	28.8	35.2	27.6	11.0	23.2
55	बलरामपुर	—	—	—	—	—	—	—	—
56	बस्ती	77.4	58.2	13.7	14.0	22.0	32.9	20.7	31.5
57	चंदौली	—	—	—	—	—	—	—	—
58	देवरिया	56.8	64.6	9.3	16.1	24.2	36.6	12.4	28.8
59	फैजाबाद	64.9	62.1	8.7	18.5	24.9	25.8	33.0	39.8
60	गाजीपुर	61.0	68.1	13.1	20.3	34.8	28.7	7.2	33.2
61	गोण्डा	71.1	51.9	7.2	7.5	12.5	41.1	13.8	23.7
62	गोरखपुर	66.2	73.3	15.9	18.5	23.9	28.4	1.6	41.0
63	जौनपुर	56.4	47.2	8.0	22.1	32.1	22.5	9.7	22.1
64	कौशाम्बी	—	—	—	—	—	—	—	—
65	कुशीनगर	—	—	—	—	—	—	—	—
66	महाराजगंज	82.0	51.3	12.2	8.7	11.2	24.4	20.7	39.2
67	मऊ	38.5	73.9	13.3	19.6	30.1	40.2	15.7	25.2
68	मिर्जापुर	58.6	59.6	6.1	14.8	24.3	29.4	23.0	25.3
69	प्रतापगढ़	55.2	68.4	23.1	14.6	28.6	35.0	32.0	46.4
70	सन्तकबीरनगर	—	—	—	—	—	—	—	—
71	सन्तरविदासनगर	67.9	57.4	4.7	15.1	23.1	37.4	7.6	26.4
72	श्रावस्ती	—	—	—	—	—	—	—	—
73	सिद्धार्थनगर	72.6	52.7	13.4	5.9	12.5	37.2	19.0	47.5
74	सोनभद्र	67.0	36.9	8.8	14.8	24.4	19.7	9.1	32.2
75	सुपौल	65.5	64.0	12.7	19.3	30.9	22.7	11.7	28.4
76	वाराणसी	72.2	46.8	9.7	25.7	38.2	22.1	36.5	39.8
77	बांदा	71.6	37.7	9.4	13.2	21.9	31.4	6.7	40.2
78	चित्रकूट	—	—	—	—	—	—	—	—
79	हमीरपुर	49.6	67.5	8.6	12.3	8.5	21.0	5.9	26.7
80	जालौन	60.4	53.7	15.2	21.8	33.9	44.6	26.7	53.1
81	झांसी	42.4	67.4	11.0	29.0	36.3	34.5	26.4	28.5
82	ललितपुर	83.8	54.6	22.7	15.9	21.5	23.9	10.2	20.4
83	महोबा	65.2	52.0	9.4	20.9	24.3	32.0	15.2	23.0
<b>1991 प्रशासनिक सीमाएं</b>									
1	उत्तराखंड	63.4	60.9	10.7	18.2	26.2	30.5	13.7	30.4
2	पश्चिमी	28.3	36.7	13.4	16.6	41.6	41.2	12.1	33.4
3	मध्य	64.2	53.4	11.9	19.2	26.7	28.0	16.5	32.5
4	पूर्वी	45.0	44.7	13.1	16.1	31.1	37.6	20.6	31.0
5	बुंदेलखंड	65.7	53.9	12.5	12.6	22.2	32.3	16.9	38.1

स्रोत : रैपिड हाउस होल्ड सर्वे 1998-99



तालिका B-10 : स्वास्थ्यकर्मी का घर पर आना 1998-99

क्रम	जिला	ए. एन. एम. द्वारा घर पर आने का प्रतिशत			
		सर्वे तिथि से 3 माह पूर्व स्वास्थ्य कर्मी आगमन	अविवाहित किशोरी को स्वास्थ्य कर्मी द्वारा सलाह	ए. एन. ए. द्वारा किशोरियों को आई. एफ. ए. गोली का वितरण	प्रसव के 2 सप्ताह के भीतर
1	अयोध्या	5.9	6.5	1	7.2
2	चमोली	13.2	9.1	0.7	6.2
3	देहरादून	13.3	12.2	4.6	16.4
4	दिल्ली गढ़वाल	4.8	6.8	2.7	7.4
5	नैनीताल	—	—	—	—
6	पिथौरागढ़	15.5	6.6	4	6.7
7	टिहरी गढ़वाल	7	—	—	—
8	उत्तरकाशी	11	8.4	0	5.6
9	हरिद्वार	10.3	—	—	—
10	आगरा	7.9	—	—	—
11	अलीगढ़	—	—	—	—
12	बरेली	—	—	—	—
13	बिजनौर	7.9	10.2	2.1	14.7
14	बदायूं	7.3	—	—	—
15	बुलंदशहर	—	—	—	—
16	एटा	—	—	—	—
17	इटावा	8.4	—	—	—
18	फर्रुखाबाद	11.8	—	—	—
19	फिरोजाबाद	4.1	—	—	—
20	गाजियाबाद	—	—	—	—
21	मैनपुरी	7.4	—	—	—
22	मथुरा	7.1	4.1	2.3	10.6
23	मेरठ	4.3	10.6	2.6	13.9
24	मुरादाबाद	4.7	—	—	—
25	मुजफ्फरनगर	4.2	—	—	—
26	पीलीभीत	8	—	—	—
27	रामपुर	5	—	—	—
28	सहारनपुर	7.4	1	2.2	10.2
29	शाहजहाँपुर	7.9	—	—	—
30	बाराबंकी	—	—	—	—
31	फतेहपुर	6.1	4	2.1	22
32	हरदोई	—	—	—	—
33	कानपुर देहात	10.7	5	1.6	15.6
34	कानपुर नगर	9.8	2.6	1.8	14.2
35	खीरी	6.1	2.5	0.5	2.1
36	लखनऊ	—	—	—	—
37	राय बरेली	6.8	1	0	7.6
38	सीतापुर	8.3	7.6	0	4.9
39	उन्नाव	11.4	—	—	—
40	इलाहाबाद	—	—	—	—

क्रम	जिला	ए.एन.एम. द्वारा घर पर आने का प्रतिशत			
		सर्वे तिथि से 3 माह पूर्व स्वास्थ्य कर्मी आगमन	अविवाहित किशोरी को स्वास्थ्य कर्मी द्वारा सलाह	ए.एन. , e- द्वारा किशोरियों को आई.एफ.ए. गोली का वितरण	प्रसव के 2 सप्ताह के भीतर
41	आजमगढ़	2.9	2.5	0	2.4
42	बहराइच	12.7	6.8	2.3	33.6
43	बलिया	2.6	0	0	4.4
44	बस्ती	—	—	—	—
45	देवरिया	5.4	6.1	0	6.5
46	फैजाबाद	—	—	—	—
47	गाजीपुर	6.5	3.5	0.5	30.7
48	गोण्डा	—	—	—	—
49	गोरखपुर	1.7	0	1.6	37.3
50	जौनपुर	3.8	0.8	0.8	4.9
51	महराजगंज	6.7	15.9	0.8	25.9
52	मऊ	7.8	5	1	8.7
53	मिर्जापुर	2.9	4.5	0	3.8
54	प्रतापगढ़	—	—	—	—
55	सिद्धार्थनगर	8	0.6	0	25.6
56	सोनभद्र	3.6	4.4	0	10.7
57	सुपुतानपुर	5.3	3.9	0	6.1
58	वाराणसी	3.7	1.3	0	13.7
59	बांदा	—	—	—	—
60	हमीरपुर	—	—	—	—
61	जालौन	15.3	2.5	0.6	11.6
62	झांसी	—	—	—	—
63	ललितपुर	—	—	—	—

स्रोत : रैपिड हाउस होल्ड सर्वे 1998-99

तालिका B-11 : प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों ( पी.एच.सी. ) और  
 I केन्द्रों ( सी.एच.सी. ) की जिलावार संख्या, 2002

क्रम	जिला	ब्लाक पी.एच.सी.	सी.एच.सी.	अतिरिक्त पी.एच.सी.	एलोपैथी डाक्टर	प्रति डाक्टर व्यक्ति
1	अलमोड़ा	14	4	41	83	10079.7
2	चमोली	9	3	19	64	7107.4
3	देहरादून	4	3	22	215	20651.3
4	दिल्ली गढ़वाल	15	2	31	73	9349.8
5	नैनीताल	12	5	50	231	6667.4
6	पिथौरागढ़	11	2	28	183	3095.1
7	टिहरी गढ़वाल	10		29	37	15679.8
8	उत्तरकाशी	4	1	12	44	5447.9
9	हरिद्वार	5	3	26	—	—
10	आगरा	15	3	57	2256	1219.4
11	अलीगढ़	18	6	77	788	4182.7
12	बरेली	15	4	70	419	6765.2
13	बिजनौर	12	4	53	203	12091.2
14	बदायूं	18	4	68	95	25772.0
15	बुलंदशहर	17	5	71	275	10363.1
16	एटा	15	4	64	117	19188.0
17	इटावा	15	5	67	202	10518.1
18	फर्रुखाबाद	15	4	50	192	12712.0
19	फिरोजाबाद	9	1	39	—	—
20	गाजियाबाद	10	6	57	475	5692.5
21	मैनपुरी	9	3	47	164	8028.9
22	मथुरा	12	5	51	151	12789.3
23	मेरठ	19	4	72	1391	2478.7
24	मुरादाबाद	19	7	89	335	12301.6
25	मुजफ्फरनगर	15	5	68	408	6967.0
26	पीलीभीत	8	3	37	72	17820.9
27	रामपुर	7	3	34	125	12017.1
28	सहारनपुर	12	5	56	434	5320.3
29	शाहजहाँपुर	15	3	54	162	12267.9
30	बाराबंकी	17	3	72	162	14957.6
31	फतेहपुर	13	4	66	71	26749.9
32	हरदोई	19	2	70	131	20970.1
33	कानपुर देहात	18	5	66	—	—
34	कानपुर शहर	3	1	11	2820	857.6
35	खीरी*	16	4	60	127	19049.1
36	लखनऊ	10	3	35	3993	691.9
37	रायबरेली	17	4	72	60	38713.5
38	सीतापुर	20	7	81	176	16233.0
39	उन्नाव	16	4	61	105	20956.2
40	इलाहाबाद	29	12	105	1599	3077.7
41	आजमगढ़	22	9	95	262	12037.7
42	बहराइच	19	6	79	81	34120.4

क्रम	जिला	ब्लाक पी. एच. सी.	सी. एच. सी.	अतिरिक्त पी. एच. सी.	एलोपैथी डाक्टर	प्रति डाक्टर व्यक्ति
43	बलिया	17	6	88	210	10772.7
44	बस्ती	20	9	118	155	17667.9
45	देवरिया	30	13	142	347	2955.8
46	फैजाबाद	19	3	80	256	11634.7
47	गाजीपुर	17	5	67	137	17639.5
48	गोण्डा	26	5	102	116	30802.4
49	गोरखपुर	19	5	54	647	4738.8
50	जौनपुर	21	4	89	255	12606.4
51	महाराजगंज	12	2	34	—	—
52	मऊ	9	2	42	—	—
53	मिर्जापुर	12	7	59	157	10555.0
54	प्रतापगढ़	16	6	54	110	20097.3
55	सिद्धार्थनगर	13	2	29	—	—
56	सोनभद्र	8	2	29	8	134380.1
57	सुल्तानपुर	20	8	81	138	18543.3
58	वाराणसी	22	10	112	1543	3150.1
59	बांदा	14	5	85	73	25508.8
60	हमीरपुर	11	4	62	83	17668.6
61	जालौन	9	3	50	108	11290.5
62	झांसी	8	3	48	583	2452.3
63	ललितपुर	6	2	34	32	23501.3

#### 1991 प्रशासनिक सीमाएं

उत्तराखंड	79	20	232	1062	5580.2
पश्चिमी	280	87	1207	8264	5995.5
मध्य	149	37	594	7412	2680.3
पूर्वी	351	116	1459	6122	9317.8
बुंदेलखंड	48	17	279	879	7656.1
<b>2001 प्रशासनिक सीमाएं</b>					
पश्चिमी ( हरिद्वार रहित )	275	84	1181	8264	198496.0
उत्तरांचल ( हरिद्वार सहित )	84	23	258	930	78078.4
<b>mUkj inSk</b> ( उत्तरांचल रहित )	823	254	3513	22809	782876.3

स्रोत : चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय

तालिका-B 12 : साक्षरता और शिक्षा स्तर

क्रम	जिला	7 से अधिक की साक्षरता दर		जनसंख्या प्रतिशत (कम से कम शिक्षित)			छात्र अध्यापक अनुपात		
		1991	1981	1991			ग्रेजुएशन	प्राइमरी	मिडिल
		कुल	कुल	प्राइमरी	मिडिल	मैट्रिक			
1	अमोड़ा	46.09	58.7	72.4	41.8	21.4	4.3	34.57	35.50
2	चमोली	45.72	61.1	70.3	39.0	20.1	4.4	46.12	21.12
3	देहरादून	60.59	69.5	78.9	57.7	39.7	13.3	35.20	25.31
4	गढ़वाल	50.74	65.3	75.7	46.3	25.0	4.9	29.63	32.78
5	नैनीताल	47.36	56.5	76.1	49.5	29.3	8.2	37.07	30.80
6	पिथौरागढ़	48.50	59.0	75.1	43.2	20.4	4.2	29.94	33.26
7	टिहरी गढ़वाल	77.14	48.4	69.7	41.6	22.4	4.9	40.61	22.82
8	उत्तरकाशी	34.58	47.2	76.0	46.0	25.7	5.7	28.42	10.16
9	हरिद्वार	-	48.3	80.4	54.7	32.3	8.7	39.57	93.06
10	आगरा	40.51	48.6	71.2	49.6	29.6	8.0	43.56	27.94
11	अलीगढ़	38.09	45.2	79.6	55.8	30.7	7.6	42.90	36.75
12	बरेली	27.26	32.8	78.5	55.4	30.5	8.3	41.54	25.68
13	बिजनौर	33.35	40.5	76.6	47.5	24.8	5.4	39.74	38.15
14	बदायूं	19.78	24.6	77.8	50.9	25.6	5.0	40.65	23.68
15	बुलन्दशहर	35.64	44.7	73.1	49.3	28.2	5.2	38.99	54.94
16	एटा	32.99	40.2	80.1	51.1	25.1	4.8	38.40	25.03
17	इटावा	45.88	53.7	77.9	50.9	26.3	5.6	42.61	25.58
18	फर्रुखाबाद	39.33	47.1	78.2	51.3	25.6	4.5	41.31	24.72
19	फिरोजाबाद	-	46.3	79.4	53.2	29.3	6.0	51.53	26.80
20	गाजियाबाद	44.20	55.2	76.7	55.9	35.8	10.4	45.95	32.61
21	मैनपुरी	40.61	50.2	82.4	54.3	28.1	4.4	38.01	27.70
22	मथुरा	37.12	45.0	76.3	53.7	32.6	7.2	37.14	31.70
23	मेरठ	42.05	51.3	72.0	50.1	29.9	7.7	40.38	42.98
24	मुरादाबाद	24.83	31	77.3	51.7	27.8	7.0	43.66	28.15
25	मण्डलानगर	36.42	44	72.4	46.6	25.6	5.2	44.25	15.43
26	पीलीभीत	25.50	32.1	72.3	44.6	22.5	4.6	44.75	29.44
27	रामपुर	20.37	25.4	77.4	50.7	26.1	6.6	35.73	31.95
28	सहारनपुर	35.95	42.1	75.4	48.2	27.4	6.6	41.07	39.19
29	शाहजहाँपुर	26.24	32.1	73.5	47.4	22.8	4.1	43.94	24.13
30	बाराबंकी	22.77	30.4	70.1	42.9	23.6	4.0	40.03	24.05
31	फतेहपुर	31.39	44.7	67.8	40.3	20.5	3.8	43.97	32.48
32	हरदोई	27.33	36.3	74.3	43.7	22.5	3.9	45.19	23.92
33	कानपुर देहात	52.14	50.7	78.5	51.7	26.3	3.9	41.13	26.59
34	कानपुर नगर	52.14	68.7	80.9	62.0	42.4	13.5	37.23	33.36
35	खीरी	21.69	29.7	73.5	43.4	21.2	4.3	47.43	27.78
36	लखनऊ	47.41	57.5	80.4	61.1	42.3	16.4	50.28	30.35
37	रायबरेली	28.34	37.8	73.2	44.3	23.2	4.2	41.77	28.41
38	सीतापुर	23.75	31.4	69.1	41.8	22.1	4.3	49.57	21.29
39	उन्नाव	30.63	38.7	73.5	45.2	23.5	4.7	44.67	24.79
40	इलाहाबाद	34.65	42.7	73.2	51.9	34.1	9.8	49.98	34.44
41	आजमगढ़	31.54	39.2	69.0	41.7	23.2	4.2	47.40	34.20



क्रम	जिला	7 से अधिक की साक्षरता दर		जनसंख्या प्रतिशत (कम से कम शिक्षित)			छात्र अध्यापक अनुपात		
		1991	1981	1991			ग्रेजुएशन	प्राइमरी	मिडिल
		कुल	कुल	प्राइमरी	मिडिल	मैट्रिक			
42	बहराइच	19.17	24.4	68.7	38.4	20.4	3.9	36.77	21.77
43	बलिया	34.80	43.9	75.5	52.3	32.0	5.3	40.98	23.49
44	बस्ती	25.02	35.5	69.5	42.6	23.1	4.3	43.80	26.12
45	देवरिया	29.18	37.3	71.2	46.1	28.0	4.9	46.87	28.08
46	फैजाबाद	31.27	39.9	73.6	46.1	25.9	5.8	45.42	31.17
47	गाजीपुर	34.36	43.3	69.7	46.6	26.9	4.6	43.28	29.86
48	गोण्डा	20.07	27.3	69.8	41.6	22.6	4.1	40.42	24.60
49	गोरखपुर	29.62	43.3	73.5	50.5	30.0	7.1	46.43	34.66
50	जौनपुर	33.05	42.2	67.0	42.0	24.2	5.2	48.58	38.30
51	महराजगंज	29.62	28.9	73.3	44.1	23.9	3.7	52.62	31.75
52	मऊ	-	43.8	70.2	45.5	27.3	4.2	45.23	32.85
53	मिर्जापुर	29.21	39.7	72.0	45.3	26.9	5.5	40.98	32.20
54	प्रतापगढ़	29.43	40.4	71.7	44.5	24.6	4.6	43.82	34.19
55	सिद्धार्थनगर	25.02	27.1	72.5	39.2	20.4	3.0	38.57	24.02
56	सोनभद्र	29.21	34.4	72.4	45.0	26.7	5.9	42.63	44.73
57	सुल्तानपुर	27.64	38.7	71.2	41.8	21.2	4.5	40.86	27.72
58	वाराणसी	39.51	47.7	70.8	47.0	29.6	7.5	49.50	38.03
59	झांसी	28.81	51.6	78.4	52.0	29.6	8.2	41.41	23.47
60	जालौन	32.27	50.7	82.6	51.0	28.2	5.6	39.06	23.24
61	हमीरपुर	43.83	39.6	85.0	49.9	25.1	5.0	37.67	23.32
62	बांदा	45.14	35.7	72.4	44.9	24.0	5.1	38.71	29.54
63	ललितपुर	26.61	32.1	82.9	46.2	22.1	5.3	33.63	22.95
	<b>उत्तर प्रदेश</b>	<b>33.35</b>	<b>41.6</b>	<b>74.5</b>	<b>48.8</b>	<b>27.9</b>	<b>6.5</b>	<b>42.30</b>	<b>29.84</b>

स्रोत : 1: उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक प्रोफाइल 1991, भारत की जनगणना, पृष्ठ 78-86.

2 : वही, पृष्ठ 88-97

तालिका - बी -13 : प्रति लाख जनसंख्या स्कूल और अध्यापिकाओं का प्रतिशत (1998-99)

क्रम.	जिला	स्कूल/लाख जनसंख्या			अध्यापिकाओं का %		
		प्राइमरी	मिडिल	माध्यमिक	प्राइमरी	मिडिल	माध्यमिक
1	अमोड़ा	212	35	44	32.61	14.50	13.0
2	चमोली	284	71	41	60.79	9.52	7.9
3	देहरादून	132	32	56	69.03	48.16	46.0
4	गढ़वाल	250	40	38	38.74	23.36	10.2
5	नैनीताल	141	30	55	45.68	27.58	28.0
6	पिथौरागढ़	229	49	63	44.57	15.53	12.7
7	टिहरी गढ़वाल	232	67	40	37.12	12.03	8.1
8	उत्तरकाशी	276	85	46	41.31	10.61	11.2
9	हरिद्वार	76	14	57	50.49	44.03	29.4
10	आगरा	68	17	55	31.69	39.11	36.0
11	अलीगढ़	74	18	58	26.87	18.62	16.8
12	बरेली	77	18	44	36.56	34.71	35.4
13	बिजनौर	111	19	69	30.19	21.80	20.8
14	बदायूँ	80	16	118	25.02	16.02	22.8
15	बुलंदशहर	74	12	66	22.34	23.72	13.2
16	एटा	76	22	63	15.16	21.99	12.0
17	इटावा	87	24	57	22.92	19.47	12.4
18	फर्रुखाबाद	79	27	41	20.52	18.47	13.5
19	फिरोजाबाद	70	18	52	18.16	23.72	22.4
20	गाजियाबाद	58	15	64	37.64	50.49	27.3
21	मैनपुरी	106	36	N A	17.51	16.79	11.8
22	मथुरा	88	16	59	28.29	18.33	15.1
23	मेरठ	66	14	69	37.32	41.00	25.1
24	मुरादाबाद	71	13	61	25.22	33.01	25.6
25	मुजफ्फरनगर	67	14	60	25.49	23.05	21.2
26	पीलीभीत	89	18	88	27.94	18.14	15.5
27	रामपुर	80	11	65	66.29	23.26	29.0
28	सहारनपुर	83	14	57	33.60	30.26	26.9
29	शाहजहाँपुर	93	18	73	22.33	20.07	27.1
30	बाराबंकी	90	18	83	20.96	13.25	12.6
31	फतेहपुर	97	19	59	14.23	19.66	6.6
32	हरदोई	86	20	65	20.29	13.90	12.3
33	कानपुर देहात	87	24	54	17.40	12.35	7.0
34	कानपुर नगर	65	18	72	57.33	52.10	40.6
35	खीरी	101	18	77	23.16	19.16	20.8
36	लखनऊ	64	12	49	43.26	56.21	48.0
37	रायबरेली	81	17	73	18.05	12.40	13.7
38	सीतापुर	82	18	66	21.64	16.43	24.6
39	उन्नाव	97	23	61	19.33	20.26	13.8
40	इलाहाबाद	61	16	57	24.48	22.02	21.8
41	आजमगढ़	64	15	51	16.95	20.36	11.5
42	बहराइच	78	11	61	16.60	17.73	16.3
43	बलिया	79	19	62	16.65	19.97	6.6

क्रम.	जिला	स्कूल/लाख जनसंख्या			अध्यापिकाओं का %		
		प्राइमरी	मिडिल	माध्यमिक	प्राइमरी	मिडिल	माध्यमिक
44	बस्ती	79	18	52	14.53	11.97	6.2
45	देवरिया	72	14	56	17.02	11.49	5.7
46	फैजाबाद	74	19	38	16.02	19.52	14.0
47	गाजीपुर	78	19	65	12.51	13.73	7.2
48	गोण्डा	82	15	66	17.58	15.24	15.8
49	गोरखपुर	69	16	60	26.29	15.83	15.6
50	जौनपुर	64	17	58	16.23	16.09	7.0
51	महराजगंज	69	12	79	8.49	6.78	4.4
52	मऊ	69	19	91	20.88	21.92	11.8
53	मिर्जापुर	99	18	54	24.81	21.15	19.5
54	प्रतापगढ़	107	19	45	14.96	10.04	4.0
55	सिद्धार्थनगर	73	14	63	12.53	7.24	4.7
56	सोनभद्र	119	15	90	22.67	10.96	15.4
57	सुल्तानपुर	86	20	68	18.02	14.02	6.6
58	वाराणसी	59	15	62	19.49	23.19	20.1
59	झांसी	102	23	64	15.03	56.48	10.8
60	जालौन	92	30	66	16.41	12.92	13.2
61	हमीरपुर	114	32	65	17.63	20.29	7.1
62	बांदा	93	24	58	37.41	34.71	29.3
63	ललितपुर	115	24	85	40.45	15.96	29.7
	यू.पी.	<b>85</b>	<b>19</b>	<b>58</b>	<b>25.22</b>	<b>22.44</b>	

#### 1991 प्रशासनिक सीमाएँ

उत्तराखण्ड	200	44	46.0	45.44	22.49	
पश्चिमी	78	17	60.0	28.51	26.89	
मध्य	85	19	62.0	25.50	23.45	
पूर्वी	74	16	58.0	17.87	16.55	
बुंदेलख. ङ	101	26	64.0	24.01	30.69	

#### 2001 प्रशासनिक सीमाएँ

पश्चिमी (हरिद्वार रहित)		27.95	26.55		78.06	17.35
उत्तरांचल (हरिद्वार सहित)		45.98	24.05		180.34	39.00
M-I (उत्तरांचल रहित)		23.42	22.29		79.09	17.54

स्रोत : शिक्षा की प्रगति, बेसिक शिक्षा निदेशालय, जी.ओ.यू.पी.

नोट : जिला जिसका आँकड़ा है %

वाराणसी	भदोही और वाराणसी
देवरिया	पडसैना और देवरिया
नैनीताल	नैनीताल और उधमसिंह नगर
फैजाबाद	फैजाबाद और अम्बेडकर नगर
हमीरपुर	हमीरपुर और महोबा

तालिका -बी -14 : प्रतिव्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद और शुद्ध जिला घरेलू उत्पाद में प्रतिशत हिस्सा (चालू कीमतों पर) 1997-98

क्रम.	जिला	चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध जिला घरेलू उत्पाद 1997-98 (रुपये में)				एन.डी.डी.पी. में प्रतिशत हिस्सा 1997-98 (चालू कीमतों पर)		
		प्राथमिक सेक्टर	द्वितीयक सेक्टर	तृतीयक सेक्टर	सभी सेक्टर	प्राथमिक सेक्टर	द्वितीयक सेक्टर	तृतीयक सेक्टर
1	अल्मोड़ा	4291	1765	4311	10367	38.56	17.75	43.69
2	बागेश्वर	—	—	—	—	—	—	—
3	चमोली	4742	1477	4292	10512	47.97	12.69	39.34
4	चम्पावत	—	—	—	—	—	—	—
5	देहरादून	2287	3606	7661	13554	43.15	10.14	46.71
6	दिल्ली गढ़वाल	4797	2209	5436	12442	40.42	16.38	43.20
7	नैनीताल	9116	2673	8821	20610	31.52	14.76	53.72
8	पिथौरागढ़	—	—	—	—	52.40	9.81	37.79
9	रुद्रप्रयाग	—	—	—	—	—	—	—
10	टिहरी गढ़वाल	4247	2380	4324	10951	44.39	15.03	40.57
11	धर्मसिंह नगर	6263	2950	5202	14415	40.70	13.80	45.50
12	उत्तरकाशी	8899	2187	5412	16497	49.48	10.78	39.73
13	हरिद्वार	5171	5603	6030	16803	38.73	16.44	44.83
14	आगरा	2787	2219	5047	10053	41.39	17.02	41.59
15	अलीगढ़	3543	2018	3906	9467	45.12	14.05	40.83
16	औरैया	—	—	—	—	—	—	—
17	बागपत	—	—	—	—	—	—	—
18	बरेली	3035	2320	3790	9145	52.51	7.61	39.87
19	बिजनौर	4754	1924	4154	10832	43.89	17.76	38.35
20	बदायूं	3572	518	2712	6801	38.78	21.73	39.48
21	बुलंदशहर	4239	1949	4413	10601	39.99	18.38	41.63
22	एटा	4078	1078	3344	8500	38.32	11.95	49.74
23	इटावा	2666	626	2885	6177	18.36	43.81	37.83
24	फर्रुखाबाद	3514	713	3126	7353	51.96	7.08	40.97
25	फिरोजाबाद	2748	857	3568	7173	35.53	24.23	40.24
26	गौतमबुद्धनगर	—	—	—	—	—	—	—
27	गाजियाबाद	3317	7914	6833	18064	47.39	14.47	38.14
28	हाथरस	—	—	—	—	—	—	—
29	ज्योतिबापुर्ले नगर	—	—	—	—	—	—	—
30	कन्नौज	—	—	—	—	—	—	—
31	मैनपुरी	3638	496	2869	7003	46.19	8.32	45.49
32	मथुरा	3189	1935	3940	9064	45.63	7.05	47.32
33	मेरठ	4690	3198	5312	13200	44.86	9.05	46.09

क्रम.	जिला	चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध जिला घरेलू उत्पाद 1997-98 (रुपये में)				एन.डी.डी.पी. में प्रतिशत हिस्सा 1997-98 (चालू कीमतों पर)		
		प्राथमिक सेक्टर	द्वितीयक सेक्टर	तृतीयक सेक्टर	सभी सेक्टर	प्राथमिक सेक्टर	द्वितीयक सेक्टर	तृतीयक सेक्टर
34	मुरादाबाद	3463	1404	3701	8568	48.10	6.10	45.80
35	मुजफ्फरनगर	5243	1601	4220	11064	29.95	30.19	39.86
36	पीलीभीत	5115	831	3457	9403	46.03	9.16	44.81
37	रामपुर	3558	1371	3797	8725	30.83	19.81	49.36
38	सहारनपुर	5086	1766	4404	11256	40.29	8.25	51.46
39	शाहजहाँपुर	3888	1479	3444	8811	52.56	4.25	43.19
40	बाराबंकी	2343	1269	2654	6267	37.42	21.32	41.26
41	फतेहपुर	2795	1186	3235	7216	35.18	21.35	43.47
42	हरदोई	2847	675	2474	5997	37.39	20.26	42.35
43	कानपुर देहात	2151	558	3284	5993	55.72	7.63	36.65
44	कानपुर नगर	-	-	-	-	11.18	23.34	65.48
45	खीरी	4815	659	3167	8642	33.99	21.83	44.18
46	लखनऊ	1256	2622	7355	11232	25.24	20.70	54.06
47	रायबरेली	2007	1289	2609	5906	34.11	23.23	42.66
48	सीतापुर	2943	1207	2812	6961	32.59	29.21	38.20
49	उन्नाव	2470	1115	2773	6358	32.21	19.05	48.74
50	इलाहाबाद	1829	1500	3917	7245	16.88	26.61	56.52
51	अम्बेडकरनगर	2365	482	2177	5025	44.23	12.97	42.80
52	आजमगढ़	2270	611	2251	5132	48.14	14.13	37.72
53	बहराइच	1987	358	1957	4301	43.45	20.47	36.08
54	बलिया	2020	312	2095	4426	53.94	13.25	32.80
55	बलरामपुर	—	—	—	—	—	—	—
56	बस्ती	2494	410	2195	5099	33.18	25.37	41.45
57	चन्दौली	—	—	—	—	—	—	—
58	देवरिया	1936	391	1989	4316	47.79	9.69	42.52
59	फैजाबाद	2558	812	2690	6059	30.77	33.34	35.88
60	गाजीपुर	2307	293	2197	4797	54.40	8.83	36.77
61	गोण्डा	2121	2138	2823	7081	40.77	15.71	43.52
62	गोरखपुर	1794	840	3058	5693	45.18	15.69	39.13
63	जौनपुर	2367	471	2304	5142	35.90	9.30	54.79
64	कौशाम्बी	1742	3422	8038	13202	—	—	—
65	कुशीनगर	2835	531	2045	5411	42.27	17.33	40.39
66	महराजगंज	3332	262	2363	5957	47.07	9.60	43.32

क्रम.	जिला	चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध जिला घरेलू उत्पाद 1997-98 (रुपये में)				एन.डी.डी.पी. में प्रतिशत हिस्सा 1997-98 (चालू कीमतों पर)		
		प्राथमिक सेक्टर	द्वितीयक सेक्टर	तृतीयक सेक्टर	सभी सेक्टर	प्राथमिक सेक्टर	द्वितीयक सेक्टर	तृतीयक सेक्टर
67	मऊ	2243	1527	2805	6575	48.91	8.04	43.05
68	मिर्जापुर	2062	1325	3301	6688	42.21	13.40	44.39
69	प्रतापगढ़	1999	409	2553	4961	55.94	4.39	39.67
70	सन्तकबीरनगर	—	—	—	—	—	—	—
71	सन्तरविदासनगर	2496	1328	1978	5802	43.02	22.88	34.09
72	श्रावस्ती	—	—	—	—	—	—	—
73	सिद्धार्थनगर	2234	181	1836	4250	34.78	31.50	33.72
74	सोनभद्र	5325	4822	5163	15310	17.13	40.85	42.02
75	सुल्तानपुर	2627	2355	3080	8061	45.90	13.29	40.81
76	वाराणसी	1825	4351	4476	10651	51.16	9.46	39.38
77	बांदा	2991	866	2660	6517	27.72	22.07	50.21
78	चित्रकूट	—	—	—	—	—	—	—
79	हमीरपुर	3708	1256	3389	8353	44.12	16.79	39.09
80	जालौन	2786	945	3115	6847	47.48	11.26	41.25
81	झांसी	3357	1986	5080	10424	13.20	25.92	60.88
82	ललितपुर	4305	938	3457	8700	38.85	17.53	43.61
83	महोबा	3365	622	2590	6577	44.23	11.90	43.87
	<b>म-ि-ः</b>	<b>3051</b>	<b>1617</b>	<b>3605</b>	<b>8273</b>	<b>36.87</b>	<b>19.55</b>	<b>43.58</b>
<b>1991</b>	<b>प्रशासनिक सीमाएँ</b>							
1	उत्तराखंड	5196	2502	5749	13447	38.64	18.61	42.75
2	पश्चिमी	3844	2081	4114	10040	38.29	20.73	40.98
3	मध्य	2522	1436	3924	7881	32.00	18.22	49.79
4	पूर्वी	2276	1225	2768	6269	36.30	19.54	44.16
5	बुंदेलखंड	3310	1158	3442	7910	41.85	14.64	43.51

स्रोत : अर्थ एवं जनसंख्या विभाग, राज्य विज्ञान संस्थान, उत्तर प्रदेश



तालिका - बी - 15 : 1980-81 की कीमतों पर सेक्टरवार शुद्ध जिला घरेलू उत्पाद (करोड़ रुपये में)

क्रम .	जिला	प्राथमिक सेक्टर	द्वितीयक सेक्टर	तृतीयक सेक्टर
1	अल्मोड़ा	51.01	17.43	31.56
2	चमोली	61.39	13.74	24.87
3	देहरादून	29.64	26.87	43.49
4	गढ़वाल	42.75	22.32	34.93
5	नैनीताल	61.34	10.75	27.90
6	पिथौरागढ़	57.09	11.54	31.37
7	टिहरी गढ़वाल	48.55	25.24	26.21
8	उत्तरकाशी	57.04	14.88	28.09
9	आगरा	38.63	21.19	40.19
10	अलीगढ़	52.08	19.66	28.26
11	बरेली	46.23	23.06	30.72
12	बिजनौर	58.28	15.55	26.17
13	बदायूं	62.60	8.91	28.48
14	बुलंदशहर	55.97	13.39	30.64
15	एटा	58.54	9.86	31.60
16	इटावा	59.30	8.22	32.48
17	फर्रुखाबाद	59.59	8.70	31.71
18	गाजियाबाद	31.06	38.19	30.75
19	मैनपुरी	57.59	11.63	30.78
20	मथुरा	51.80	15.23	32.97
21	मेरठ	48.94	19.42	31.64
22	मुरादाबाद	58.92	11.39	29.69
23	मुजफ्फरनगर	63.30	9.89	26.81
24	पीलीभीत	62.59	11.32	26.09
25	रामपुर	55.40	13.54	31.05
26	सहारनपुर	47.10	22.35	30.55
27	शाहजहाँपुर	60.74	9.37	29.88
28	बाराबंकी	57.84	11.53	30.63
29	फतेहपुर	62.24	8.05	29.71
30	हरदोई	64.58	3.63	31.80
31	कानपुर	33.66	26.38	39.96
32	खीरी	67.33	6.03	26.64
33	लखनऊ	22.01	27.49	50.50
34	रायबरेली	49.34	17.65	33.01
35	सीतापुर	60.62	8.33	31.05

क्रम .	जिला	प्राथमिक सेक्टर	द्वितीयक सेक्टर	तृतीयक सेक्टर
36	उन्नाव	56.52	10.76	32.72
37	इलाहाबाद	43.69	20.13	36.18
38	आजमगढ़	56.49	12.01	31.50
39	बहराइच	61.59	6.34	32.07
40	बलिया	59.75	4.95	35.31
41	बस्ती	60.57	5.32	34.11
42	देवरिया	58.18	8.85	32.97
43	फैजाबाद	55.51	8.82	35.66
44	गाजीपुर	54.98	10.33	34.69
45	गोण्डा	63.18	5.52	31.30
46	गोरखपुर	52.42	10.28	37.30
47	जौनपुर	61.49	5.58	32.92
48	मिर्जापुर	45.88	24.15	29.97
49	प्रतापगढ़	58.01	8.34	33.65
50	सुल्तानपुर	63.31	4.68	32.02
51	वाराणसी	33.55	29.50	36.94
52	बांदा	41.81	13.84	44.35
53	हमीरपुर	61.62	9.47	28.91
54	जालौन	63.06	7.26	29.68
55	झांसी	38.23	26.96	34.81
56	ललितपुर	54.39	13.59	32.02
	<b>कुल</b>	<b>2153.30</b>	<b>0.06</b>	<b>32.51</b>
<b>1991 प्रशासनिक सीमाएँ</b>				
1	उत्तराखंड	52.05	16.79	31.16
2	पश्चिमी	52.64	16.84	30.52
3	मध्य	48.98	15.62	35.39
4	पूर्वी	53.07	12.91	34.02
5	बुंदेलखंड	51.37	14.86	33.77

स्रोत : अर्थ एवं संख्या विभाग, राज्य शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश

तालिका -बी - 16 : प्रति व्यक्ति शुद्ध जिला घरेलू उत्पाद में 1980-81से 1996-97 तक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों के अनुसार वार्षिक चक्रवृद्धि दर (1980-81की कीमतों पर)

क्रम.	जिला	प्राथमिक सेक्टर	द्वितीयक सेक्टर	तृतीयक सेक्टर	सभी सेक्टर
1	अयोध्या	-1.38	-0.51	2.64	0.29
2	चमोली	-7.18	-5.23	0.23	-4.21
3	देहरादून	-2.77	0.45	2.99	0.23
4	दिल्ली गढ़वाल	-1.64	15.73	3.64	1.03
5	नैनीताल	-3.76	3.90	2.50	-0.35
6	पिथौरागढ़	-0.74	1.52	2.55	0.73
7	टिहरी गढ़वाल	-1.31	-1.68	3.69	0.32
8	उत्तरकाशी	-1.84	-2.87	1.35	-0.90
9	आगरा	1.89	1.88	-2.08	2.38
10	अलीगढ़	0.40	2.62	4.13	2.09
11	बरेली	2.02	2.70	3.15	2.54
12	बिजनौर	0.31	0.62	1.95	0.82
13	बदायूं	0.94	-1.36	2.39	1.22
14	बुलंदशहर	0.80	4.19	3.27	2.16
15	एटा	0.56	4.10	3.30	1.93
16	इटावा	1.03	0.13	1.91	1.07
17	फर्रुखाबाद	1.46	1.92	2.79	1.95
18	गाजियाबाद	-1.24	4.25	2.95	2.51
19	मैनपुरी	0.73	-1.89	2.83	1.22
20	मथुरा	1.26	3.59	2.56	2.10
21	मेरठ	0.27	3.30	2.31	1.62
22	मुरादाबाद	0.08	3.20	2.66	1.34
23	मुजफ्फरनगर	-0.12	2.51	1.84	0.75
24	पीलीभीत	0.60	-1.62	1.92	0.77
25	रामपुर	1.01	2.66	3.14	1.97
26	सहारनपुर	-0.35	1.73	1.98	1.20
27	शाहजहाँपुर	2.65	6.08	2.73	3.07
28	बाराबंकी	5.79	5.22	2.38	2.39
29	फतेहपुर	4.63	5.80	3.01	1.60
30	हरदोई	1.32	9.20	2.50	2.20
31	कानपुर	1.14	0.41	3.32	1.94
32	खीरी	2.56	2.74	2.74	2.62
33	लखनऊ	-0.59	0.40	3.49	1.98
34	रायबरेली	0.58	2.65	2.26	1.56
35	सीतापुर	1.34	7.00	2.57	2.40

क्रम.	जिला	प्राथमिक सेक्टर	द्वितीयक सेक्टर	तृतीयक सेक्टर	सभी सेक्टर
36	उन्नाव	0.68	5.27	2.74	2.03
37	इलाहाबाद	0.03	0.87	2.74	0.89
38	आजमगढ़	1.08	3.05	2.77	1.91
39	बहराइच	5.39	-0.06	1.88	1.34
40	बलिया	1.01	3.61	-0.06	0.81
41	बस्ती	1.03	0.33	2.17	1.41
42	देवरिया	0.74	0.46	1.30	0.91
43	फैजाबाद	3.84	1.55	1.96	1.41
51	वाराणसी	2.48	6.79	3.37	4.32
44	गाजीपुर	-1.91	4.37	4.81	1.86
45	गोण्डा	4.00	15.61	3.54	3.35
46	गोरखपुर	1.49	1.47	2.65	1.94
47	जौनपुर	0.39	1.42	4.33	1.60
48	मिर्जापुर	1.02	-1.93	2.89	1.09
49	प्रतापगढ़	4.09	-0.21	3.10	1.50
50	सुल्तानपुर	5.50	17.17	3.92	4.22
51	वाराणसी	2.48	6.79	3.37	4.32
52	बांदा	4.16	2.15	1.56	3.04
53	हमीरपुर	5.45	1.25	1.51	0.93
54	जालौन	5.07	2.35	1.87	0.93
55	झांसी	2.52	-1.05	3.05	1.70
56	ललितपुर	6.56	-0.43	3.61	2.89
	<b>म-ि</b>	<b>0.6</b>	<b>2.18</b>	<b>2.76</b>	<b>1.8</b>
<b>1991 प्रशासनिक सीमाएँ</b>					
1	उत्तराखंड	-2.77	0.89	2.81	-0.07
2	पश्चिमी	0.68	3.10	2.74	1.80
3	मध्य	1.16	2.64	3.11	2.14
4	पूर्वी	0.63	4.62	2.67	1.99
5	बुंदेलखंड	1.80	0.45	2.27	1.78

स्रोत : अर्थ एवं संख्या विभाग, राज्य विज्ञान संस्थान, उत्तर प्रदेश सरकार से आकलित

तालिका - बी -17 : 1993-94 की कीमतों पर कुल और प्रति व्यक्ति शुद्ध जिला घरेलू उत्पाद की चक्रवृद्धि दर (1993-94 से 1997-98)

क्रम.	जिला	93-94 और 97-98 के बीच	
		कुल एन. डी. डी. पी.	प्रति व्यक्ति
1	अल्मोड़ा	2.89	1.95
2	चमोली	2.1	0.18
3	देहरादून	6.04	3.02
4	गढ़वाल	5.88	5.13
5	नैनीताल	3.83	0.8
6	पिथौरागढ़	5.21	3.74
7	टिहरी गढ़वाल	3.77	2.33
8	उत्तरकाशी	-0.69	-2.81
9	हरिद्वार	7.57	5.17
10	आगरा	5.47	3.5
11	अलीगढ़	7.44	4.91
12	बरेली	5.49	3.28
13	बिजनौर	4.48	2.08
14	बदायूं	3.79	1.66
15	बुलंदशहर	3.65	1.8
16	एटा	6.14	4.25
17	इटावा	2.82	0.89
18	फर्रुखाबाद	4.04	1.83
19	फिरोजाबाद	5.55	3.6
20	गाजियाबाद	7.4	3.45
21	मैनपुरी	4.2	2.09
22	मथुरा	0.83	-1.2
23	मेरठ	5.32	3.11
24	मुरादाबाद	4.48	1.79
25	मुजफ्फरनगर	3.75	1.44
26	पीलीभीत	3.44	1.09
27	रामपुर	4.85	2.43
28	सहारनपुर	4.31	1.96
29	शाहजहांपुर	4.27	2.42
30	बाराबंकी	0.06	-1.79
31	फतेहपुर	4.66	2.77
32	हरदोई	4.53	2.66
33	कानपुर देहात	-2.88	-4.51
34	कानपुर नगर	9.09	6.88
35	खीरी	4.87	2.74

क्रम.	जिला	93-94 और 97-98 के बीच	
		कुल एन. डी. डी. पी.	प्रति व्यक्ति
36	लखनऊ	6.48	3.28
37	रायबरेली	3.44	1.41
38	सीतापुर	4.01	2.03
39	उन्नाव	4.61	2.75
40	इलाहाबाद	5.9	3.28
41	आजमगढ़	4.46	2.21
42	बहराइच	0.83	-1.28
43	बलिया	1.66	-0.28
44	बस्ती	5.06	2.88
45	देवरिया	3.05	0.71
46	फैजाबाद	5.79	3.55
47	गाजीपुर	1.33	-0.75
48	गोण्डा	2.96	0.69
49	गोरखपुर	5.15	-2.95
50	जौनपुर	3.54	4.05
51	महराजगंज	2.52	0.31
52	मऊ	4.78	2.29
53	मिर्जापुर	2.29	-0.38
54	प्रतापगढ़	5.55	3.49
55	सिद्धार्थनगर	6.19	4.01
56	सोनभद्र	8.82	5.45
57	सुल्तानपुर	5.9	3.63
58	वाराणसी	1.73	5.73
59	बांदा	1.39	-0.46
60	हमीरपुर	1.64	-0.34
61	जालौन	2.81	0.73
62	झांसी	5.09	2.82
63	ललितपुर	7.37	4.66
	यू. पी.	<b>4.65</b>	<b>2.38</b>
<b>1991 प्रशासनिक सीमाएँ</b>			
1	उत्तराखंड	4.07	1.98
2	पश्चिमी	4.99	2.68
3	मध्य	4.54	2.44
4	पूर्वी	4.56	2.21
5	बुंदेलखंड	3.39	1.28

स्रोत : अर्थ एवं संख्या विभाग, राज्य विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश

तालिका - बी - 18 : मुख्य मजदूरों में क्षेत्र और लिंगानुसार कार्यशक्ति भागीदारी दर, 1991(प्रतिशत में)

क्रम.	जिला	कुल		ग्रामीण		शहरी	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	अल्मोड़ा	41.85	38.71	40.92	40.24	53.06	10.87
2	चमोली	44.79	39.83	43.62	41.46	54.24	17.56
3	देहरादून	50.66	10.80	51.69	15.43	49.66	6.12
4	दिल्ली गढ़वाल	40.67	23.65	38.74	25.48	52.18	6.34
5	नैनीताल	50.08	11.97	50.68	15.72	48.87	4.04
6	पिथौरागढ़	45.52	36.49	45.51	38.27	45.65	11.10
7	टिहरी गढ़वाल	42.99	36.38	41.82	37.58	57.58	7.49
8	उत्तरकाशी	50.70	45.00	50.77	47.16	49.86	11.82
9	हरिद्वार	50.89	2.92	52.50	2.57	47.30	3.70
10	आगरा	48.35	2.25	48.74	1.85	47.75	2.82
11	अलीगढ़	47.90	3.02	48.77	3.01	45.26	3.08
12	बरेली	51.65	1.40	53.47	0.96	47.81	2.27
13	बिजनौर	49.80	2.11	50.71	2.12	47.03	2.10
14	बदायूं	54.03	1.58	55.20	1.46	48.35	2.11
15	बुलंदशहर	47.04	2.73	47.34	2.79	45.91	2.51
16	एटा	50.58	1.72	51.52	1.57	45.74	2.49
17	इटावा	48.76	1.58	49.40	1.39	45.25	2.58
18	फरुखाबाद	51.01	2.85	51.76	2.14	47.65	5.87
19	फिरोजाबाद	48.44	1.55	49.12	1.18	46.51	2.57
20	गाजियाबाद	47.54	2.80	47.48	2.29	47.61	3.40
21	मैनपुरी	49.16	1.10	49.83	0.96	44.57	2.03
22	मथुरा	47.87	3.26	48.48	3.27	45.84	3.21
23	मेरठ	49.23	3.93	50.11	4.38	47.70	3.18
24	मुरादाबाद	50.08	2.37	50.99	2.01	47.65	3.31
25	मुजफ्फरनगर	51.05	5.42	52.00	6.10	48.09	3.39
26	पीलीभीत	52.08	1.80	53.04	1.65	47.81	2.49
27	रामपुर	52.42	2.34	53.32	1.96	49.80	3.40
28	सहारनपुर	51.50	2.45	52.61	2.47	48.24	2.38
29	शाहजहांपुर	55.09	1.36	56.89	1.16	47.88	2.10
30	बाराबंकी	55.23	8.97	55.93	9.27	48.23	6.10
31	फतेहपुर	50.56	11.41	51.08	12.18	45.77	4.34
32	हरदोई	54.00	2.97	54.85	2.98	47.45	2.90
33	कानपुर देहात	50.00	4.31	50.19	4.38	46.87	3.24
34	कानपुर नगर	45.98	2.86	51.53	4.51	44.95	2.55
35	खीरी	55.39	2.35	56.20	2.91	48.52	3.15
36	लखनऊ	48.39	5.90	53.20	7.70	45.50	4.84
37	रायबरेली	50.53	11.07	51.05	11.75	45.38	3.93
38	सीतापुर	55.06	2.94	56.14	2.91	47.05	3.15
39	उन्नाव	52.51	5.96	53.34	6.38	47.21	3.30
40	इलाहाबाद	46.55	14.40	47.74	16.81	42.21	4.79
41	आजमगढ़	43.83	8.48	43.95	8.63	42.41	6.43



क्रम.	जिला	कुल		ग्रामीण		शहरी	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
42	बहराइच	56.40	5.12	57.18	5.28	47.18	3.29
43	बलिया	43.32	9.13	43.56	4.99	41.24	4.33
44	बस्ती	49.15	8.29	49.60	8.53	42.85	4.68
45	देवरिया	45.66	8.76	45.95	9.15	42.18	3.62
46	फैजाबाद	49.17	8.83	49.53	9.40	46.54	4.33
47	गाजीपुर	43.73	9.55	44.05	9.96	39.84	4.18
48	गोण्डा	54.16	8.84	54.92	9.26	44.71	3.51
49	गोरखपुर	44.28	8.44	45.03	9.47	41.15	3.73
50	जौनपुर	42.66	8.16	42.78	8.46	41.20	3.81
51	महाराजगंज	51.61	14.79	51.92	15.31	45.81	4.71
52	मरु	44.14	11.08	44.48	11.03	42.50	11.38
53	मिर्जापुर	48.73	13.43	49.17	14.77	46.03	4.95
54	प्रतापगढ़	45.40	12.52	45.50	12.95	43.71	4.71
55	सिद्धार्थनगर	52.06	11.35	52.27	11.64	46.56	3.13
56	सोनभद्र	52.89	21.15	53.82	23.75	47.26	2.82
57	सुल्तानपुर	48.58	8.94	48.78	9.14	44.58	4.51
58	वाराणसी	46.06	9.58	46.43	11.33	45.12	4.75
59	बांदा	51.38	17.71	52.18	19.39	46.03	6.27
60	हमीरपुर	51.02	12.14	52.06	13.34	46.04	6.50
61	जालौन	49.03	6.24	50.12	11.52	45.15	3.25
62	झांसी	48.20	9.21	50.93	11.52	43.98	5.76
63	ललितपुर	52.59	9.70	53.83	10.33	44.86	5.90
	यू.पी.	<b>49.31</b>	<b>7.45</b>	<b>50.10</b>	<b>8.36</b>	<b>46.19</b>	<b>3.75</b>
<b>1991 प्रशासनिक सीमाएँ</b>							
1	उत्तराखंड	46.63	25.67	45.58	30.44	49.93	18.42
2	पश्चिमी	50.05	2.52	51.02	2.36	47.29	3.72
3	मध्य	51.86	5.71	53.73	6.37	45.86	3.61
4	पूर्वी	49.42	9.57	49.65	10.27	43.60	4.68
5	बुंदेलखंड	50.33	11.71	51.77	13.41	44.97	5.51

स्रोत : भारत की जनगणना, 1991 तालिका बी - 1 एस.

तालिका-बी-19 : मुख्य मजदूरों में क्षेत्र और लिंगानुसार कार्य भागीदारी दर, 2001 (प्रतिशत में)

क्रम.	जिला	कुल		ग्रामीण		शहरी	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	आगरा	39.4	2.9	39.3	3	39.6	2.8
2	अलीगढ़	38.7	5.5	38.9	6.4	38.4	3.3
3	औरैया	41	4.5	41.5	4.7	38.1	3.2
4	बागपत	41.4	5.7	41.5	6.4	41	3.3
5	बरेली	42.1	2.8	42.7	2.6	40.9	3.1
6	बिजनौर	40.2	3.1	40.4	3.4	39.7	2.1
7	बदायूं	44.2	2.4	45.1	2.4	39.6	2.3
8	बुलंदशहर	42.3	9.9	42.3	11.6	42.2	4.4
9	एटा	41.4	2.9	41.9	2.8	39	3
10	इटावा	39.1	2.4	39.3	2.2	38.6	3.3
11	फर्रुखाबाद	42.8	2.5	43.3	2	40.8	4.3
12	फिरोजाबाद	38.1	3.2	37.9	2.8	38.3	4.2
13	गौतमबुद्धनगर	42.3	11.7	39.4	13.6	47.1	8.5
14	गाजियाबाद	41.4	4.7	39.8	5.7	42.7	3.9
15	हाथरस	38.2	3.4	38.1	3.6	38.6	2.7
16	ज्योतिबापलेनगर	43.1	5.8	42.8	5.6	44.3	6.7
17	कन्नौज	42.4	4.7	42.8	4.4	40.5	5.8
18	मैनपुरी	40.8	2.2	41.4	2.1	37.4	2.6
19	मथुरा	40.7	8.5	40.2	10.3	41.9	3.9
20	मेरठ	41.9	4.8	42	6.3	41.9	3.3
21	मुरादाबाद	44	6.5	44.4	8	43.1	3.1
22	मुजफ्फरनगर	43.2	5.1	43.5	5.9	42.6	2.9
23	पीलीभीत	39.6	1.8	40	1.6	37.6	2.8
24	रामपुर	42.3	2.8	42.1	2.5	42.9	3.7
25	सहारनपुर	42.2	2.8	41.8	2.9	43.2	2.5
26	शाहजहांपुर	43.1	1.6	44.1	1.3	39	3
27	बाराबंकी	44	7.5	44.5	7.7	39.3	5.4
28	फतेहपुर	41.1	9.5	41.4	10.2	38.3	3.9
29	हरदोई	46.4	3.1	46.9	3.1	42.2	3.6
30	कानपुर देहात	41.2	4.5	41.4	4.6	38.1	2.9
31	कानपुर नगर	42.4	4.9	40.9	7.2	43.1	3.8
32	खीरी	46.2	3.3	46.6	3.3	42.9	2.9
33	लखनऊ	41.8	5.6	41.4	6.2	42	5.3
34	रायबरेली	37.8	7.4	37.8	7.7	38.2	4.3
35	सीतापुर	45.1	3.4	45.7	3.4	40	3.3
36	उन्नाव	43.4	5.5	44.1	5.9	39.8	3.4
37	इलाहाबाद	34	9	33.6	10.3	35.1	4.8
38	अम्बेडकर Uxj	35.9	7.6	35.2	8	42	3.8
39	आजमगढ़	32.5	6.8	32.2	6.9	36.1	5.6
40	बहराइच	44.8	5.4	45.5	5.7	38.6	2.9
41	बलिया	30.8	5.4	30.5	5.5	33.8	3.9

क्रम.	जिला	कुल		ग्रामीण		शहरी	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
42	बलरामपुर	45.3	12.7	45.7	13.5	40.5	3.6
43	बस्ती	37.7	8.1	37.8	8.3	36	4
44	चन्दौली	33.7	6.6	33.5	7	35.5	3.1
45	देवरिया	29.4	4.8	29	5	33.3	2.8
46	फैजाबाद	40.5	9	40.3	9.6	41.7	5
47	गाजीपुर	34.3	8.3	34.1	8.6	36	4.6
48	गोण्डा	42.4	5.5	42.6	5.7	39.2	3.7
49	गोरखपुर	31	5.2	29.7	5.6	35.8	3.3
50	जौनपुर	33.1	7.8	32.8	8.1	36.8	4.1
51	कौशाम्बी	36.9	12	36.9	12.4	36.8	6.2
52	कुशीनगर	32.7	6.6	32.5	6.8	37.1	2.9
53	महराजगंज	34.7	9.1	34.4	9.4	39.5	3.9
54	मऊ	39.8	9.2	32.3	7.8	39.4	15.1
55	मिर्जापुर	37.7	7.8	37.4	8.3	39.6	4.5
56	प्रतापगढ़	33	9.8	32.7	10.1	37.1	4.2
57	सन्तकबीरनगर	34.5	6.7	34.3	6.9	37.3	4.1
58	सन्तरविदासनगर	34.3	4.7	33.6	4.8	38.7	3.4
59	श्रावस्ती	46.8	8	46.9	8.1	43.9	2.5
60	सिद्धार्थनगर	37.9	9.7	37.9	10	38.5	2.7
61	सोनभद्र	38.2	9.7	37.4	11.3	41.3	2.6
62	सुल्तानपुर	35.2	7.1	35.1	7.3	37.3	4.2
63	वाराणसी	39.9	7.3	38	8.7	42.7	5.2
64	बांदा	40.2	10.8	40.6	12	38.5	4.7
65	चित्रकूट	41.3	16.2	41.6	17.5	38.1	3.9
66	हमीरपुर	41	8.4	41.4	9.1	39.2	5
67	जौनपुर	40.9	5.4	41.5	6	39.1	3.6
68	झांसी	42.7	8.5	44.3	10.5	40.4	5.6
69	ललितपुर	46.5	10.5	47	11.2	43.1	6.5
70	महोबा	43.6	11.8	44.6	13.7	39.9	5.2
<b>2001 प्रशासनिक सीमाएँ</b>							
1	पश्चिमी	41.4	4.4	41.4	4.8	40.7	3.6
2	मध्य	42.9	5.5	43.1	5.9	40.4	3.9
3	पूर्वी	36.6	7.8	36.0	8.1	38.1	4.3
4	बुंदेलखंड	42.3	10.2	43.0	11.4	39.8	4.9

स्रोत : भारत की जनगणना 2001

तालिका बी-20 : कार्यशक्ति का सेक्टरवार वितरण, 1981 ( प्रतिशत में )

क्रम	जिला	कुल मुख्य मजदूरों में प्रतिशत हिस्सा		
		प्राथमिक सेक्टर	द्वितीयक सेक्टर	तृतीयक सेक्टर
1	अमोड़ा	76.45	6.82	16.72
2	चमोली	81.91	6.57	11.52
3	देहरादून	38.84	18.16	42.99
4	गढ़वाल	74.04	6.76	19.20
5	नैनीताल	66.76	10.64	22.60
6	पिथौरागढ़	80.12	5.37	14.51
7	टिहरी गढ़वाल	86.44	5.43	8.14
8	उत्तरकाशी	81.71	5.41	12.88
9	आगरा	49.55	21.71	28.74
10	अलीगढ़	67.63	12.55	19.82
11	बरेली	71.08	11.40	17.53
12	बिजनौर	67.72	17.07	15.21
13	बदायूं	86.89	5.02	8.09
14	बुलंदशहर	70.48	11.48	18.04
15	एटा	82.28	6.45	11.27
16	इटावा	79.07	6.79	14.14
17	फर्रुखाबाद	78.63	9.61	11.76
18	गाजियाबाद	46.98	23.96	29.06
19	मैनपुरी	81.66	6.40	11.94
20	मथुरा	68.13	11.82	20.04
21	मेरठ	57.12	17.53	25.34
22	मुरादाबाद	70.10	14.07	15.83
23	मुजफ्फरनगर	70.90	12.54	16.56
24	पीलीभीत	81.28	7.07	11.65
25	रामपुर	75.03	10.67	14.31
26	सहारनपुर	64.40	13.19	22.41
27	शाहजहांपुर	81.43	6.91	11.66
28	बाराबंकी	86.71	6.55	6.74
29	फतेहपुर	84.21	6.08	9.71
30	हरदोई	88.01	4.36	7.63
31	कानपुर	50.95	19.43	29.62
32	खीरी	89.44	3.99	6.57
33	लखनऊ	45.40	13.29	41.31
34	राय बरेली	85.15	5.60	9.24
35	सीतापुर	86.39	5.30	8.31
36	उन्नाव	84.90	5.76	9.34
37	इलाहाबाद	69.71	12.12	18.17
38	आजमगढ़	78.96	11.58	9.46
39	बहराइच	90.57	3.12	6.31

40	बलिया	81.41	5.86	12.73
41	बस्ती	87.88	4.68	7.44
42	देवरिया	84.48	5.84	9.68
43	फैजाबाद	81.07	7.80	11.14
44	गाजीपुर	78.69	8.43	12.88
45	गो.डा	89.83	3.57	6.60
46	गोरखपुर	81.56	5.40	13.04
47	जौनपुर	79.62	9.79	10.59
48	मिर्जापुर	73.29	14.69	12.03
49	प्रतापगढ़	86.66	5.01	8.32
50	सुल्तानपुर	86.99	5.22	7.79
51	वाराणसी	52.77	26.04	21.19
52	बांदा	86.19	4.78	9.02
53	हमीरपुर	82.92	6.35	10.73
54	जालौन	79.29	6.77	13.93
55	झांसी	61.75	12.08	26.17
56	ललितपुर	81.84	7.03	11.14
	<b>उ.प्र</b>	<b>75.11</b>	<b>10.03</b>	<b>14.85</b>
<b>1991 प्रशासनिक सीमाएं</b>				
1	उत्तराखंड	71.29	8.77	19.94
2	पश्चिमी	69.86	12.47	17.67
3	मध्य	76.12	8.63	15.23
4	पूर्वी	79.49	9.02	11.49
5	बुंदेलखंड	79.12	7.11	13.74

स्रोत : भारत की जनगणना 1981, तालिका बी-2(एस)

तालिका- बी-21 : कार्यशक्ति का सेक्टरवार वितरण, 1991 ( प्रतिशत में )

क्रम	जिला	कुल मुख्य मजदूरों में प्रतिशत हिस्सा		
		प्राथमिक सेक्टर	द्वितीयक सेक्टर	तृतीयक सेक्टर
1	अयोध्या	79.09	3.34	17.57
2	चमोली	75.54	4.92	19.54
3	देहरादून	35.51	16.98	47.51
4	दिल्ली गढ़वाल	66.68	5.20	28.12
5	नैनीताल	62.87	11.36	25.77
6	पिथौरागढ़	75.57	4.29	20.60
7	टिहरी गढ़वाल	80.35	5.70	14.04
8	उत्तरकाशी	81.69	3.92	14.39
9	हरिद्वार	57.31	15.98	26.71
10	आगरा	48.08	20.09	31.83
11	अलीगढ़	65.05	12.89	22.06
12	बरेली	68.18	8.09	23.73
13	बिजनौर	67.36	14.10	18.55
14	बदायूं	85.28	2.92	11.81
15	बुलंदशहर	68.30	10.16	21.53
16	एटा	79.70	5.42	14.89
17	इटावा	77.11	5.34	17.55
18	फर्रुखाबाद	76.36	7.66	15.98
19	फिरोजाबाद	59.34	20.93	19.72
20	गाजियाबाद	40.09	24.10	35.80
21	मैनपुरी	80.03	3.89	16.08
22	मथुरा	65.03	10.39	24.59
23	मेरठ	55.24	17.35	27.41
24	मुरादाबाद	67.92	13.00	19.09
25	मुजफ्फरनगर	68.96	11.93	19.11
26	पीलीभीत	80.12	6.11	13.77
27	रामपुर	73.18	10.40	16.42
28	सहारनपुर	64.83	12.61	22.56
29	शाहजहांपुर	79.86	5.06	15.08
30	बाराबंकी	84.02	5.44	10.47
31	फतेहपुर	81.83	4.25	13.87
32	हरदोई	85.78	2.95	11.27
33	कानपुर (देहात)	83.60	4.51	11.88
34	कानपुर (नगर)	17.63	26.19	56.32
35	खीरी	87.59	2.32	10.09
36	लखनऊ	40.02	14.00	46.03
37	रायबरेली	81.65	5.66	12.69
38	सीतापुर	84.40	4.40	11.27



39	उन्नाव	82.34	5.47	12.19
40	इलाहाबाद	70.04	9.11	20.84
41	आजमगढ़	80.07	7.59	12.34
42	बहराइच	88.53	3.06	8.41
43	बलिया	79.68	4.38	15.94
44	बस्ती	85.88	4.52	9.60
45	देवरिया	83.22	4.92	12.19
46	फैजाबाद	79.59	5.79	14.62
47	गाजीपुर	79.52	5.33	15.15
48	गोंडा	88.49	2.74	8.77
49	गोरखपुर	71.72	5.98	22.29
50	जौनपुर	76.90	8.00	15.10
51	महराजगंज	89.10	1.72	9.18
52	मऊ	68.94	17.21	13.85
53	मिर्जापुर	67.75	18.03	14.22
54	प्रतापगढ़	83.24	4.63	12.12
55	सिद्धार्थनगर	90.90	1.70	7.41
56	सोनभद्र	78.90	8.47	12.63
57	सुल्तानपुर	84.54	4.54	10.92
58	वाराणसी	51.85	26.31	21.84
59	बांदा	86.59	3.84	9.57
60	हमीरपुर	83.18	5.17	11.65
61	जालौन	78.97	4.87	16.16
62	झांसी	63.40	11.20	25.40
63	ललितपुर	83.23	4.95	11.82
	<b>उ.प्र.</b>	<b>73</b>	<b>8.98</b>	<b>18.01</b>
<b>1991 प्रशासनिक सीमाएँ</b>				
1	उत्तराखंड	66.82	8.07	25.01
2	पश्चिमी	67.23	11.68	21.09
3	मध्य	73.55	7.26	19.19
4	पूर्वी	78.29	7.99	13.72
5	बुंदेलखण्ड	79.65	5.87	14.47

स्रोत : भारत की जनगणना 1991, तालिका-2(एस)

तालिका-बी-22 : मुख्य, सीमांत और गैर मजदूर तथा कार्य शक्ति का सेक्टरवार वितरण, 1991

क्रम	जिला	मुख्य मजदूर	सीमांत मजदूर	कार्यशक्ति का सेक्टरवार वितरण %		
				प्राथमिक सेक्टर	द्वितीयक सेक्टर	तृतीयक सेक्टर
1	अयोध्या	40.22	6.87	79.09	3.34	17.57
2	चमोली	42.30	4.60	75.54	4.92	19.54
3	देहरादून	32.42	2.12	35.51	16.98	47.51
4	दिल्ली गढ़वाल	31.91	7.53	66.68	5.20	28.12
5	नैनीताल	32.35	6.22	62.87	11.36	25.77
6	पिथौरागढ़	41.04	7.48	75.57	4.29	20.60
7	टिहरी गढ़वाल	39.59	5.71	80.35	5.70	14.04
8	उत्तरकाशी	47.97	2.69	81.69	3.92	14.39
9	हरिद्वार	28.90	0.60	57.31	15.98	26.71
10	आगरा	27.42	0.71	48.08	20.09	31.83
11	अलीगढ़	27.38	2.57	65.05	12.89	22.06
12	बरेली	28.72	0.44	68.18	8.09	23.73
13	बिजनौर	27.59	0.77	67.36	14.10	18.55
14	बदायूं	30.56	1.04	85.28	2.92	11.81
15	बुलंदशहर	26.61	2.36	68.30	10.16	21.53
16	एटा	28.50	2.33	79.70	5.42	14.89
17	इटावा	27.34	0.09	77.11	5.34	17.55
18	फर्रुखाबाद	29.09	0.63	76.36	7.66	15.98
19	फिरोजाबाद	27.15	0.24	59.34	20.93	19.72
20	गाजियाबाद	27.23	3.01	40.09	24.10	35.80
21	मैनपुरी	27.31	0.38	80.03	3.89	16.08
22	मथुरा	27.83	1.33	65.03	10.39	24.59
23	मेरठ	28.39	2.12	55.24	17.35	27.41
24	मुरादाबाद	28.13	1.05	67.92	13.00	19.09
25	मुजफ्फरनगर	29.96	3.41	68.96	11.93	19.11
26	पीलीभीत	28.93	1.31	80.12	6.11	13.77
27	रामपुर	29.29	1.70	73.18	10.40	16.42
28	सहारनपुर	28.94	0.69	64.83	12.61	22.56
29	शाहजहाँपुर	30.95	0.28	79.86	5.06	15.08
30	बाराबंकी	33.87	1.65	84.02	5.44	10.47
31	फतेहपुर	32.21	4.79	81.83	4.25	13.87
32	हरदोई	31.04	1.02	85.78	2.95	11.27
33	कानपुर देहात	29.10	0.20	83.60	4.51	11.88
34	कानपुर नगर	26.50	0.01	17.63	26.19	56.32
35	खीरी	31.15	0.78	87.59	2.32	10.09
36	लखनऊ	28.67	0.91	40.02	14.00	46.03
37	राय बरेली	31.50	3.83	81.65	5.66	12.69
38	सीतापुर	31.38	0.78	84.40	4.40	11.27

39	उन्नाव	30.81	2.73	82.34	5.47	12.19
40	इलाहाबाद	31.55	2.24	70.04	9.11	20.84
41	आजमगढ़	26.09	3.81	80.07	7.59	12.34
42	बहराइच	32.98	5.80	88.53	3.06	8.41
43	बलिया	26.70	1.51	79.68	4.38	15.94
44	बस्ती	29.62	3.28	85.88	4.52	9.60
45	देवरिया	27.52	3.66	83.22	4.92	12.19
46	फैजाबाद	29.80	1.88	79.59	5.79	14.62
47	गाजीपुर	27.01	2.19	79.52	5.33	15.15
48	गोंडा	33.03	3.72	88.49	2.74	8.77
49	गोरखपुर	27.06	1.66	71.72	5.98	22.29
50	जौनपुर	25.46	2.48	76.90	8.00	15.10
51	महराजगंज	34.08	4.19	89.10	1.72	9.18
52	मऊ	27.83	5.39	68.94	17.21	13.85
53	मिर्जापुर	32.17	3.08	67.75	18.03	14.22
54	प्रतापगढ़	29.07	2.79	83.24	4.63	12.12
55	सिद्धार्थनगर	32.64	4.07	90.90	1.70	7.41
56	सोनभद्र	38.20	3.75	78.90	8.47	12.63
57	सुल्तानपुर	29.44	2.30	84.54	4.54	10.92
58	वाराणसी	28.82	2.79	51.85	26.31	21.84
59	झांसी	36.00	7.20	86.59	3.84	9.57
60	जालौन	33.26	6.78	83.18	5.17	11.65
61	हमीरपुर	29.64	3.98	78.97	4.87	16.16
62	बांदा	30.14	4.80	63.40	11.20	25.40
63	ललितपुर	32.73	9.11	83.23	4.95	11.82
	<b>उ.प्र.</b>	<b>29.73</b>	<b>2.47</b>	<b>73.00</b>	<b>8.98</b>	<b>18.01</b>
<b>1991 प्रशासनिक सीमाएँ</b>						
1	उत्तराखंड	36.36	5.56	66.82	8.07	25.01
2	पश्चिमी	28.35	1.41	67.23	11.68	21.09
3	मध्य	30.59	1.57	73.55	7.26	19.19
4	पूर्वी	32.64	6.23	78.29	7.99	13.72
5	बुंदेलखण्ड	29.52	3.06	79.65	5.87	14.47
<b>2001 प्रशासनिक सीमाएँ</b>						
	पश्चिमी (हरिद्वार रहित)		28.33	1.43		
	उत्तरांचल (हरिद्वार सहित)		35.17	4.77		
	उ.प्र. (उत्तरांचल रहित)		29.44	2.35		

स्रोत : भारत की जनगणना 1991, तालिका बी1(एस) और तालिका बी2(एस)

तालिका - बी - 23 : मुख्य, सीमांत और गैर मजदूर कार्यशक्ति का विरतण, 2001

क्रम	जिला	मुख्य	सीमांत	गैर मजदूर	क्रम	जिला	मुख्य	सीमांत	गैर मजदूर
1	आगरा	22.6	4.49	72.86	36	उन्नाव	25.5	8.93	65.57
2	अलीगढ़	23.3	7.31	69.34	37	इलाहाबाद	22.3	11.83	65.9
3	औरैया	24.2	8.73	67.11	38	अम्बेडकर नगर	21.9	11.67	66.42
4	बागपत	25.1	7.96	66.97	39	आजमगढ़	19.5	10.96	69.54
5	बरेली	23.8	6.4	69.79	40	बहराइच	26.6	9	64.45
6	बिजनौर	22.7	5.64	71.69	41	बलिया	18.4	10.6	71.01
7	बदायूं	25.1	4.97	69.96	42	बलरामपुर	29.9	12.64	57.46
8	बुलंदशहर	27.1	13.25	59.63	43	बस्ती	23.5	12.2	64.29
9	एटा	23.7	5.05	71.21	44	चंदौली	20.7	11.46	67.85
10	इटावा	22.2	5.18	72.62	45	देवरिया	17.1	11.41	71.5
11	फर्रुखाबाद	24.2	5.43	70.42	46	फैजाबाद	25.3	14.51	60.23
12	फिरोजाबाद	22	6.02	71.94	47	गाजीपुर	21.4	10.09	68.47
13	गौतमबुद्धनगर	28.4	4.43	67.22	48	गो. डा	24.9	8.95	66.16
14	गाजियाबाद	24.4	4.14	71.41	49	गोरखपुर	18.3	11.92	69.76
15	हाथरस	22.1	7.18	70.7	50	जौनपुर	20.3	10.9	68.78
16	ज्योतिबापुलेनगर	25.6	6.26	68.11	51	कौशाम्बी	25.1	14.02	60.86
17	कन्नौज	24.9	8.5	66.56	52	कुशीनगर	19.9	14.5	65.57
18	मैनपुरी	23	4.59	72.39	53	महराजगंज	22.3	16.94	60.73
19	मथुरा	26	11.3	62.72	54	मऊ	21.6	10.96	67.48
20	मेरठ	24.7	5.27	70.07	55	मिर्जापुर	23.5	10.3	66.16
21	मुरादाबाद	26.4	4.97	68.64	56	प्रतापगढ़	21.5	12.67	65.83
22	मुजफ्फरनगर	25.5	7.77	66.76	57	संतकबीरनगर	20.8	13.66	65.53
23	पीलीभीत	21.9	6.17	71.91	58	संतरविदासनगर	20.1	8.8	71.11
24	रामपुर	23.8	4.56	71.65	59	श्रावस्ती	28.8	10.43	60.72
25	सहारनपुर	23.9	4.26	71.83	60	सिद्धार्थनगर	24.2	13.92	61.88
26	शाहजहांपुर	24.2	4.44	71.39	61	सोनभद्र	24.7	12.27	63.02
27	बाराबंकी	26.8	10.11	63.06	62	सुल्तानपुर	21.3	11.21	67.47
28	फतेहपुर	26.2	12.18	61.63	63	वाराणसी	24.4	6.84	68.72
29	हरदोई	26.6	5.73	67.67	64	बांदा	26.6	13.45	59.91
30	कानपुर देहात	24.3	8.58	67.15	65	चित्रकूट	29.6	13.13	57.28
31	कानपुर नगर	25.1	4.77	70.15	66	हमीरपुर	26	13.2	60.77
32	खीरी	26.1	5.26	68.59	67	जालौन	24.6	11.4	63.97
33	लखनऊ	24.7	5.1	70.15	68	झांसी	26.8	10.32	62.91
34	रायबरेली	23	12.66	64.32	69	ललितपुर	29.6	13.69	56.7
35	सीतापुर	25.8	5.59	68.65	70	महोबा	28.8	13.61	57.56

स्रोत : भारत की जनगणना 2001

तालिका-बी-24 : मजदूरों की सेक्टरवार वार्षिक चक्रवृद्धि दर, 1981-91 ( प्रतिशत )

क्रम	जिला	प्राथमिक सेक्टर	द्वितीयक सेक्टर	तृतीयक सेक्टर	सभी सेक्टर
1	अयोध्या	3.84	-3.64	4.00	3.47
2	चमोली	0.57	-1.51	6.89	1.40
3	देहरादून	2.07	2.30	4.03	2.99
4	दिल्ली गढ़वाल	-1.48	-3.03	3.42	-0.45
5	नैनीताल	2.67	4.23	4.66	3.31
6	पिथौरागढ़	1.56	-0.38	5.85	2.20
7	टिहरी गढ़वाल	-0.38	0.89	6.02	0.36
8	उत्तरकाशी	1.46	-1.77	2.60	1.46
9	आगरा	2.17	1.28	2.17	1.98
10	अलीगढ़	2.41	3.09	3.92	2.81
11	बरेली	1.75	-1.27	5.32	2.18
12	बिजनौर	2.25	0.37	4.35	2.31
13	बदायूं	1.74	-3.46	5.86	1.93
14	बुलंदशहर	1.87	0.95	4.01	2.19
15	एटा	1.68	0.25	4.89	2.01
16	इटावा	2.17	-0.01	4.66	2.43
17	फर्रुखाबाद	2.07	0.08	5.56	2.37
18	गाजियाबाद	2.18	3.88	6.01	3.82
19	मैनपुरी	0.85	7.00	6.08	2.09
20	मथुरा	1.80	0.96	4.38	2.27
21	मेरठ	2.15	2.39	3.30	2.49
22	मुरादाबाद	2.29	1.81	4.55	2.62
23	मुजफ्फरनगर	2.52	2.29	4.29	2.79
24	पीलीभीत	1.97	0.64	3.83	2.14
25	रामपुर	2.15	2.14	3.83	2.40
26	सहारनपुर	2.10	2.82	3.12	2.43
27	शाहजहाँपुर	1.68	-1.25	4.54	1.88
28	बाराबंकी	1.93	0.38	6.87	2.25
29	फतेहपुर	2.23	-0.95	6.27	2.53
30	हरदोई	1.90	-1.76	6.22	2.16
31	कानपुर	1.70	-0.45	3.41	1.86
32	खीरी	1.89	-3.26	6.58	2.11
33	लखनऊ	1.75	3.59	4.18	3.06
34	रायबरेली	1.82	2.36	5.54	2.25
35	सीतापुर	1.93	0.28	5.34	2.17
36	उन्नाव	2.09	1.88	5.16	2.40
37	इलाहाबाद	3.33	0.38	4.71	3.28
38	आजमगढ़	2.34	1.93	5.84	2.67
39	बहराइच	2.20	2.20	5.42	2.43
40	बलिया	1.79	-0.90	4.33	2.01
41	बस्ती	2.31	-1.03	3.92	2.31

42	देवरिया	1.86	-0.42	4.40	2.02
43	फैजाबाद	2.45	-0.37	5.47	2.63
44	गाजीपुर	2.85	-1.87	4.42	2.74
45	गो. डा	2.53	0.01	5.64	2.68
46	गोरखपुर	2.34	0.17	5.41	2.69
47	जौनपुर	2.19	0.49	6.25	2.54
48	मिर्जापुर	2.72	2.24	4.06	2.82
49	प्रतापगढ़	2.22	1.83	6.57	2.64
50	सुल्तानपुर	2.17	1.03	5.99	2.46
51	वाराणसी	2.95	3.24	3.45	3.13
52	बांदा	2.88	0.60	3.44	2.85
53	हमीरपुर	2.89	0.76	3.70	2.83
54	जालौन	2.55	-0.74	4.12	2.59
55	झांसी	3.41	2.37	2.83	3.14
56	ललितपुर	3.20	-0.52	3.64	3.02
	<b>उ.प्र.</b>	<b>2.18</b>	<b>1.35</b>	<b>4.47</b>	<b>2.47</b>
<b>1991 प्रशासनिक सीमाएँ</b>					
1	उत्तराखंड	1.44	1.25	4.49	2.10
2	पश्चिमी	2.00	-3.64	4.22	2.39
3	मध्य	3.84	-3.64	5.00	2.27
4	पूर्वी	2.43	1.34	4.83	2.64
5	बुंदेलखण्ड	1.44	-3.64	4.00	2.88

स्रोत : भारत की जनगणना 1991 से आकलित



तालिका - बी-25 : प्रति व्यक्ति मासिक व्यय, गिनी कोएफिशिएंट और सेन का कल्याण सूचकांक, 1993-94

क्रम	जिला	पीसीएमई (रुपए)		गिनी कोएफिशिएंट		सेन का कल्याण सूचकांक	
		ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1	अयोध्या	303.96	559.41	0.363	0.473	193.62	294.81
2	चमोली	314.23	370.98	0.348	0.107	204.88	331.29
3	देहरादून	402.83	477.23	0.405	0.366	239.68	302.56
4	दिल्ली गढ़वाल	333.95	473.86	0.450	0.378	183.67	294.74
5	नैनीताल	302.22	435.96	0.300	0.383	211.55	268.99
6	पिथौरागढ़	258.99	504.20	0.392	0.519	157.47	242.52
7	टिहरी गढ़वाल	280.35	584.34	0.335	0.475	186.43	306.78
8	उत्तरकाशी	315.45	497.13	0.445	0.325	175.07	335.56
9	हरिद्वार	256.62	482.14	0.309	0.409	177.32	284.94
10	आगरा	321.07	416.92	0.321	0.386	218.01	255.99
11	अलीगढ़	310.64	433.64	0.341	0.409	204.71	256.28
12	बरेली	338.43	338.49	0.333	0.423	225.73	195.31
13	बिजनौर	286.24	290.41	0.301	0.380	200.08	180.05
14	बदायूं	308.07	416.74	0.318	0.399	210.10	250.46
15	बुलंदशहर	303.09	499.03	0.327	0.376	203.98	311.39
16	एटा	298.44	260.20	0.345	0.374	195.48	162.89
17	इटावा	262.77	248.57	0.315	0.260	180.00	183.94
18	फर्रुखाबाद	360.84	531.73	0.343	0.374	237.07	332.86
19	फिरोजाबाद	371.59	355.45	0.345	0.387	243.39	217.89
20	गाजियाबाद	310.12	554.74	0.323	0.383	209.95	342.27
21	मैनपुरी	247.23	423.75	0.320	0.198	168.12	339.85
22	मथुरा	331.21	421.58	0.307	0.382	229.53	260.54
23	मेरठ	347.51	482.03	0.309	0.384	240.13	296.93
24	मुरादाबाद	273.59	358.26	0.324	0.385	184.95	220.33
25	मुजफ्फरनगर	329.51	298.84	0.322	0.376	223.41	186.48
26	पीलीभीत	315.17	467.58	0.364	0.391	200.45	284.76
27	रामपुर	268.28	346.62	0.322	0.389	181.89	211.78
28	सहारनपुर	267.86	279.04	0.330	0.373	179.47	174.96
29	शाहजहाँपुर	368.00	440.64	0.392	0.498	223.74	221.20
30	बाराबंकी	275.43	539.96	0.318	0.390	187.84	329.38
31	फतेहपुर	205.28	339.99	0.325	0.223	138.56	264.17
32	हरदोई	235.15	273.52	0.309	0.699	162.49	82.33
33	कानपुर देहात	289.82	258.20	0.311	0.057	199.69	243.48
34	कानपुर नगर	306.28	418.14	0.323	0.393	207.35	253.81
35	खीरी	254.62	365.04	0.322	0.389	172.63	223.04
36	लखनऊ	238.56	367.83	0.338	0.390	157.93	224.38
37	रायबरेली	239.75	368.62	0.297	0.408	168.54	218.22
38	सीतापुर	301.25	218.04	0.342	0.403	198.22	130.17
39	उन्नाव	223.26	326.21	0.309	0.212	154.27	257.05

40	इलाहाबाद	253.06	418.85	0.302	0.426	176.64	240.42
41	आजमगढ़	261.98	393.52	0.308	0.337	181.29	260.90
42	बहराइच	264.56	349.79	0.371	0.414	166.41	204.98
43	बलिया	290.16	273.43	0.360	0.419	185.70	158.86
44	बस्ती	285.97	373.51	0.314	0.351	196.18	242.41
45	देवरिया	220.48	260.96	0.303	0.375	153.67	163.10
46	फैजाबाद	222.67	334.22	0.303	0.392	155.20	203.21
47	गाजीपुर	228.16	254.61	0.340	0.064	150.59	238.31
48	गोंडा	276.68	315.00	0.342	0.349	182.06	205.07
49	गोरखपुर	238.44	332.63	0.331	0.362	159.52	212.22
50	जौनपुर	257.00	319.07	0.310	0.367	177.33	201.97
51	महाराजगंज	261.15	—	0.337	—	173.14	—
52	मऊ	321.44	403.67	0.387	0.361	197.04	257.95
53	मिर्जापुर	243.28	322.55	0.299	0.166	170.54	269.01
54	प्रतापगढ़	225.00	276.64	0.324	0.148	152.10	235.70
55	सिद्धार्थनगर	266.76	341.78	0.322	0.447	180.86	189.00
56	सोनभद्र	230.69	527.88	0.343	0.387	151.56	323.59
57	सुल्तानपुर	237.52	850.73	0.328	0.629	159.61	315.62
58	वाराणसी	282.18	352.20	0.356	0.375	181.72	220.13
59	बांदा	187.01	190.62	0.348	0.430	121.93	108.65
60	हमीरपुर	322.48	294.19	0.329	0.480	216.38	152.98
61	जालौन	210.41	211.56	0.333	0.206	140.34	167.98
62	झांसी	262.23	311.50	0.298	0.386	184.09	191.26
63	ललितपुर	268.66	296.49	0.334	0.315	178.93	203.10
	<b>उ.प्र.</b>	<b>275.10</b>	<b>382.68</b>	<b>0.327</b>	<b>0.393</b>	<b>185.14</b>	<b>232.29</b>
<b>1991 प्रशासनिक सीमाएँ</b>							
1	उत्तराखंड	309.40	488.83	0.311	0.376	213.18	305.03
2	पश्चिमी	308.80	408.09	0.325	0.391	208.44	248.53
3	मध्य	255.45	366.41	0.322	0.397	173.20	220.95
4	पूर्वी	255.98	351.81	0.333	0.393	170.74	213.55
5	बुंदेलखंड	244.16	266.49	0.326	0.405	164.56	158.56

स्रोत : एनएसएस 50वाँ दौर के केंद्र और राज्य के संयुक्त नमूनों से आकलित

तालिका- बी-26 : संगठित क्षेत्र में जिलावार रोजगार (मार्च 1999 की स्थिति)

क्रम	जिला	उ.प्र. का प्रतिशत		
		सार्वजनिक सेक्टर	निजी सेक्टर	कुल
1	अँमोड़ा	1.21	0.40	1.05
2	बागेश्वर	-	-	-
3	चमोली	0.65	0.05	0.53
4	चम्पावत	-	-	-
5	देहरादून	2.89	1.88	2.68
6	दिल्ली गढ़वाल	0.99	0.28	0.84
7	नैनीताल	2.26	3.41	2.50
8	पिथौरागढ़	0.84	0.16	0.70
9	रुद्रप्रयाग	-	-	-
10	टिहरी गढ़वाल	0.68	0.09	0.56
11	उधमसिंह नगर	-	-	-
12	उत्तरकाशी	0.48	0.04	0.39
13	हरिद्वार	1.41	0.76	1.28
14	आगरा	2.56	2.75	2.60
15	अलीगढ़	1.99	2.91	2.18
16	औरैया	-	-	-
17	बागपत	-	-	-
18	बरेली	2.78	2.21	2.66
19	बिजनौर	1.27	1.57	1.33
20	बदायूं	0.93	0.47	0.83
21	बुलंदशहर	1.35	2.83	1.65
22	एटा	0.92	0.65	0.87
23	इटावा	1.08	0.89	1.04
24	फर्रुखाबाद	0.98	1.11	1.01
25	फिरोजाबाद	0.46	1.21	0.62
26	गौतमबुद्धनगर	-	-	-
27	गाजियाबाद	2.07	14.72	4.66
28	हाथरस	-	-	-
29	ज्योतिबापुलेनगर	-	-	-
30	कन्नौज	-	-	-
31	मैनपुरी	0.58	0.37	0.53
32	मथुरा	1.17	1.78	1.29
33	मेरठ	2.59	4.31	2.94
34	मुरादाबाद	3.31	2.29	3.10
35	मुजफ्फरनगर	1.12	2.23	1.35
36	पीलीभीत	0.63	0.30	0.56
37	रामपुर	0.84	0.74	0.82
38	सहारनपुर	1.22	2.14	1.41
39	शाहजहाँपुर	1.14	0.91	1.09
40	बाराबंकी	0.97	0.61	0.90
41	फतेहपुर	0.80	0.58	0.76
42	हरदोई	0.96	0.37	0.84

क्रम	जिला	उ.प्र. का प्रतिशत		
		सार्वजनिक सेक्टर	निजी सेक्टर	कुल
43	कानपुर देहात	0.45	0.31	0.42
44	कानपुर नगर	6.95	9.86	7.55
45	खीरी	0.99	0.99	0.99
46	लखनऊ	8.81	3.78	7.79
47	रायबरेली	1.55	0.64	1.37
48	सीतापुर	1.38	0.90	1.28
49	उन्नाव	0.75	0.82	0.77
50	इलाहाबाद	6.57	4.27	6.10
51	अम्बेडकर नगर	0.32	0.47	0.35
52	आजमगढ़	1.29	0.83	1.20
53	बहराइच	0.93	0.39	0.82
54	बलिया	1.02	0.90	0.99
55	बलरामपुर	-	-	-
56	बस्ती	1.17	1.05	1.15
57	चंदौली	-	-	-
58	देवरिया	0.86	1.01	0.89
59	फैजाबाद	1.32	0.59	1.17
60	गाजीपुर	1.14	0.85	1.08
61	गोंडा	1.21	1.04	1.17
62	गोरखपुर	2.76	2.24	2.65
63	जौनपुर	1.17	0.67	1.07
64	कौशाम्बी	-	-	-
65	कुशीनगर	0.38	0.87	0.48
66	महाराजगंज	0.47	0.42	0.46
67	मऊ	0.76	0.54	0.72
68	मिर्जापुर	1.00	0.56	0.91
69	प्रतापगढ़	0.58	0.54	0.57
70	संतकबीरनगर	-	-	-
71	संतरविदासनगर	0.24	0.20	0.23
72	श्रावस्ती	-	-	-
73	सिद्धार्थनगर	0.32	0.33	0.32
74	सोनभद्र	1.50	2.58	1.72
75	सुल्तानपुर	1.31	0.87	1.22
76	वाराणसी	3.77	4.39	3.89
77	बांदा	0.75	0.29	0.65
78	चित्रकूट	-	-	-
79	हमीरपुर	0.45	0.19	0.40
80	जालौन	0.65	0.65	0.65
81	झांसी	3.43	0.74	2.89
82	ललितपुर	0.44	0.12	0.38
83	महोबा	0.18	0.05	0.15

स्रोत : रोजगार निदेशालय, उ.प्र. सरकार

तालिका-बी-27 : जवाहर समृद्धि योजना की प्रगति

क्रम	जिला	जेएसवाई की प्रगति 1999-2000			
		कुल उपलब्ध धन	कुल अनु. व्यय लाख में	कुल धन पर % व्यय	सृजित मानव दिवस
1	अयोध्या	583.02	462.60	79.30	6.12
2	बागेश्वर	297.79	262.91	88.30	3.27
3	चमोली	1002.47	981.13	97.90	13.26
4	चम्पावत	171.92	136.07	79.10	1.94
5	देहरादून	370.16	300.61	81.20	3.63
6	दिल्ली गढ़वाल	1078.68	904.92	83.90	11.56
7	नैनीताल	153.35	62.18	40.50	0.80
8	पिथौरागढ़	344.14	278.66	81.00	3.51
9	रुद्रप्रयाग	263.73	217.29	82.40	2.53
10	टिहरी गढ़वाल	1019.23	898.11	88.10	11.89
11	उधमसिंह नगर	370.13	144.96	39.20	1.77
12	उत्तरकाशी	1201.86	880.91	73.30	12.55
13	हरिद्वार	243.43	204.05	83.80	2.40
14	आगरा	661.53	500.76	75.70	6.13
15	अलीगढ़	653.52	396.55	60.70	5.18
16	औरैया	216.02	186.04	86.10	2.23
17	बागपत	150.06	85.77	57.20	0.99
18	बरेली	414.99	242.41	58.40	2.58
19	बिजनौर	432.29	259.44	60.00	2.94
20	बदायूं	353.99	343.07	96.90	4.26
21	बुलंदशहर	457.86	422.03	92.20	5.00
22	एटा	1037.19	677.40	65.30	9.86
23	इटावा	448.27	214.99	48.00	2.70
24	फर्रुखाबाद	269.81	263.95	97.80	3.06
25	फिरोजाबाद	518.89	377.74	72.80	4.64
26	गौतमबुद्धनगर	325.99	214.42	65.80	1.82
27	गाजियाबाद	295.14	179.55	60.80	2.14
28	हाथरस	441.10	416.08	94.30	5.14
29	ज्योतिबाबापलेनगर	320.61	137.34	42.80	1.88
30	कन्नौज	205.14	179.22	87.40	2.13
31	मैनपुरी	493.50	360.28	73.00	4.71
32	मथुरा	473.54	351.68	74.30	2.95
33	मेरठ	256.99	169.05	65.80	1.72
34	मुरादाबाद	341.11	188.35	55.20	2.23
35	मुजफ्फरनगर	503.01	352.78	70.10	4.46
36	पीलीभीत	253.60	232.02	91.50	2.92
37	रामपुर	257.81	153.73	59.60	1.89
38	सहारनपुर	647.83	451.70	69.70	5.12
39	शाहजहाँपुर	377.06	323.75	85.90	4.25
40	बाराबंकी	949.17	757.18	79.80	9.69
41	फतेहपुर	644.82	605.77	93.90	6.61
42	हरदोई	935.26	823.22	88.00	10.69
43	कानपुर देहात	764.85	277.42	36.30	3.50
44	कानपुर नगर	617.26	539.89	87.50	6.89
45	खीरी	946.31	614.43	64.90	7.63

46	लखनऊ	675.77	439.11	65.00	3.55
47	रायबरेली	806.80	450.25	55.80	5.07
48	सीतापुर	1095.59	618.76	56.50	7.57
49	उन्नाव	872.90	427.92	49.00	4.88
50	इलाहाबाद	814.01	737.64	90.60	7.74
51	अम्बेडकर नगर	840.77	594.20	70.70	7.58
52	आजमगढ़	909.80	737.88	81.10	8.77
53	बहराइच	612.93	464.96	75.90	7.16
54	बलिया	850.43	780.40	91.80	8.36
55	बलरामपुर	371.26	306.09	82.40	3.91
56	बस्ती	374.10	365.84	97.80	3.16
57	चंदौली	998.62	653.98	65.50	8.35
58	देवरिया	302.19	287.33	95.10	1.42
59	फैजाबाद	636.52	472.63	74.30	6.54
60	गाजीपुर	1856.56	923.77	49.80	11.54
61	गोंडा	512.09	331.15	64.70	5.11
62	गोरखपुर	710.14	635.80	89.50	7.64
63	जौनपुर	1315.97	710.74	54.00	10.41
64	कौशाम्बी	549.92	476.90	86.70	5.40
65	कुशीनगर	683.86	300.95	44.00	3.45
66	महराजगंज	229.01	155.06	67.70	1.98
67	मऊ	453.31	285.84	63.10	4.19
68	मिर्जापुर	1601.31	1055.86	65.90	12.87
69	प्रतापगढ़	686.16	467.38	68.10	5.68
70	संतकबीरनगर	142.35	134.63	94.60	1.72
71	संतरविदासनगर	1466.01	674.17	46.00	8.70
72	श्रावस्ती	207.88	195.64	94.10	3.59
73	सिद्धार्थनगर	327.46	326.24	99.60	4.16
74	सोनभद्र	1531.96	945.84	61.70	10.52
75	सुल्तानपुर	846.52	715.12	84.50	8.87
76	वाराणसी	677.07	586.80	87.70	7.45
77	बांदा	367.60	191.39	52.10	1.71
78	चित्रकूट	466.94	304.73	65.30	2.84
79	हमीरपुर	555.59	396.01	71.30	3.60
80	जालौन	473.22	397.20	83.90	5.08
81	झांसी	586.10	345.28	58.90	3.89
82	ललितपुर	556.03	529.87	95.30	7.25
83	महोबा	423.01	349.03	82.50	3.61
	<b>उ.प्र.</b>	<b>50152.19</b>	<b>35804.8</b>	<b>71.4</b>	<b>438.89</b>
<b>1991 प्रशासनिक सीमाएँ</b>					
1	उत्तराखंड	6856.48	5530.35	80.66	72.83
2	पश्चिमी	10845.14	7704.93	71.05	93.2
3	मध्य	8513.87	5733.17	67.34	68.21
4	पूर्वी	20508.21	14322.84	69.84	176.27
5	बुंदेलखंड	3428.49	2513.51	73.31	27.98
<b>2001 प्रशासनिक सीमाएँ</b>					
पश्चिमी ( हरिद्वार रहित)		10806.85	7680.10	—	92.93
उत्तरांचल (हरिद्वार सहित)		6856.48	5530.35	—	72.83
उ.प्र. (उत्तरांचल रहित)		43052.28	30070.40	—	363.26

स्रोत : ग्रामीण विकास आयुक्त, उ.प्र. सरकार

तालिका - बी - 28 : रोजगार गारंटी योजना की प्रगति, 1999-00

क्रम	जिला	कुल उपलब्ध धन (लाख रुपए में)	ईएस की प्रगति 1999-2000			
			कुल व्यय	कुल धन पर व्यय %	मानव दिवस (लाख में) एसीएच	एसीएच %
1	अमोड़ा	591.03	213.82	36.20	2.63	43.80
2	बागेश्वर	182.91	155.86	85.20	2.11	128.70
3	चमोली	466.58	306.97	65.80	4.46	131.20
4	चम्पावत	177.91	168.81	94.90	2.59	196.20
5	देहरादून	360.79	165.22	45.80	1.75	51.20
6	दिल्ली गढ़वाल	630.30	394.97	62.70	4.59	106.70
7	नैनीताल	323.77	143.69	44.40	1.53	107.70
8	पिथौरागढ़	538.67	278.86	51.80	3.28	124.70
9	रुद्रप्रयाग	95.82	86.29	90.60	1.10	144.70
10	टिहरी गढ़वाल	601.97	428.68	71.20	5.48	112.50
11	धर्मसिंह नगर	446.08	214.55	48.10	2.63	81.20
12	उत्तरकाशी	272.71	216.65	79.40	2.77	124.20
13	हरिद्वार	340.59	293.64	86.20	3.40	94.40
14	आगरा	690.48	663.16	96.00	8.24	106.30
15	अलीगढ़	534.57	471.80	88.30	6.64	101.40
16	औरैया	344.52	283.47	82.30	3.60	86.10
17	बागपत	256.90	174.50	67.90	2.30	86.10
18	बरेली	659.53	412.88	62.60	5.10	70.60
19	बिजनौर	651.83	588.11	90.20	7.24	94.00
20	बदायूं	805.07	785.35	97.60	9.83	104.50
21	बुलंदशहर	787.07	644.64	81.90	6.57	82.30
22	एटा	669.92	395.27	59.00	4.85	61.00
23	इटावा	397.90	255.33	64.20	3.51	76.60
24	फर्रुखाबाद	542.48	341.32	62.90	4.10	66.20
25	फिरोजाबाद	520.66	443.36	85.20	5.70	112.00
26	गौतमबुद्धनगर	199.21	120.01	60.20	1.47	66.20
27	गाजियाबाद	325.15	223.69	68.80	2.13	53.50
28	हाथरस	429.02	381.99	89.00	4.79	101.30
29	ज्योतिबाफुलेनगर	288.24	188.80	65.50	2.31	65.60
30	कन्नौज	442.86	372.43	84.10	4.56	90.80
31	मैनपुरी	432.87	432.87	100.00	5.30	105.40
32	मथुरा	459.72	455.73	99.10	4.71	101.30
33	मेरठ	503.59	396.74	78.80	4.96	92.70
34	मुरादाबाद	469.86	229.06	48.80	2.52	41.80
35	मुजफ्फरनगर	572.15	510.94	89.30	6.57	98.60
36	पीलीभीत	292.97	265.50	90.60	3.28	91.40
37	रामपुर	362.74	332.16	91.60	3.88	96.80
38	सहारनपुर	715.80	654.16	91.40	8.03	100.80
39	शाहजहाँपुर	582.64	574.32	98.60	7.15	110.30
40	बाराबंकी	1505.16	758.13	50.40	9.71	59.90
41	फतेहपुर	976.23	633.01	64.80	3.76	34.10
42	हरदोई	1454.73	1200.28	82.50	17.19	103.50
43	कानपुर देहात	380.39	303.55	79.80	3.24	67.10
44	कानपुर नगर	362.05	356.81	98.60	3.04	75.10
45	खीरी	1172.41	916.87	78.20	11.18	91.60
46	लखनऊ	811.82	237.59	29.30	1.67	18.20
47	रायबरेली	1520.62	817.37	53.80	6.41	37.90



48	सीतापुर	1792.46	822.79	45.90	9.60	50.30
49	उन्नाव	1456.70	694.42	47.70	8.06	52.50
50	इलाहाबाद	1656.19	1121.96	67.70	14.32	84.00
51	अम्बेडकर नगर	788.52	585.84	74.30	7.48	80.30
52	आजमगढ़	1650.73	1295.84	78.50	16.78	87.90
53	cgjbbp	828.67	582.84	70.30	6.34	77.00
54	बलिया	988.61	710.12	78.80	9.10	80.00
55	बलरामपुर	549.55	505.65	92.00	6.46	103.90
56	बस्ती	925.89	913.88	98.70	11.01	100.70
57	चंदौली	783.46	464.09	59.20	6.91	111.80
58	देवरिया	648.39	583.43	90.00	8.03	82.90
59	फैजाबाद	888.29	535.68	60.30	5.70	78.80
60	गाजीपुर	1052.54	776.17	73.70	8.87	70.50
61	गोंडा	1049.37	981.74	93.60	12.36	111.80
62	गोरखपुर	1179.38	650.18	55.10	8.44	48.70
63	जौनपुर	1380.12	711.66	51.60	8.11	45.40
64	कौशाम्बी	682.94	431.92	63.20	5.28	77.40
65	कुशीनगर	755.96	738.96	97.80	9.43	90.50
66	महाराजगंज	737.88	653.85	88.60	8.34	96.50
67	मऊ	571.55	450.33	78.80	5.69	77.90
68	मिर्जापुर	1159.48	827.54	71.40	10.37	99.40
69	प्रतापगढ़	1474.36	881.76	59.80	10.20	70.70
70	संतकबीरनगर	723.33	448.70	62.00	5.72	99.00
71	संतरविदासनगर	565.09	388.67	68.80	4.26	73.40
72	श्रावस्ती	394.60	272.66	69.10	4.25	88.50
73	सिद्धार्थनगर	863.89	836.23	96.80	6.21	64.80
74	सोनभद्र	1212.00	918.54	75.80	11.17	83.00
75	सुल्तानपुर	1286.82	751.15	58.40	6.02	37.40
76	वाराणसी	513.09	320.40	62.40	3.49	63.60
77	बांदा	650.87	446.29	68.60	3.80	69.50
78	चित्रकूट	309.91	288.17	93.00	3.31	96.80
79	हमीरपुर	345.16	312.24	90.50	3.31	81.10
80	जालौन	456.75	263.75	57.70	3.37	62.20
81	झांसी	441.17	275.80	62.50	3.54	64.50
82	ललितपुर	342.45	286.36	83.60	3.64	89.90
83	महोबा	271.75	227.37	83.70	2.90	104.30
	<b>उ.प्र.</b>	<b>57527.67</b>	<b>40846.19</b>	<b>71.00</b>	<b>485.73</b>	<b>77.80</b>
<b>1991 प्रशासनिक सीमा,</b>						
1	उत्तराखंड	4688.54	2774.37	59.17	34.92	99.10
2	पश्चिमी	12835.48	10518.80	81.95	128.18	88.35
3	मध्य	11875.43	7113.25	59.90	78.42	60.11
4	पूर्वी	25310.70	18339.79	72.46	220.34	73.32
5	बुंदेलखंड	2818.06	2099.98	74.52	23.87	77.73
<b>2001 प्रशासनिक सीमाएँ</b>						
	पश्चिमी (हरिद्वार रहित)	12937.75	10597.59	—	129.34	—
	उत्तराखंड (हरिद्वार सहित)	4688.54	2774.37	—	34.92	—
	उ.प्र. (उत्तरांचल रहित)	52499.08	37778.18	—	447.41	—

स्रोत : ग्रामीण विकास आयुक्त, उ.प्र. सरकार

तालिका - बी-29 : गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का जिलावार अनुमानित प्रतिशत, 1993-94

क्रम	जिला	कुल ग्रामीण	स्थान	कुल शहरी	स्थान
1	अयोध्या	27.95	16	18.67	7
2	चमोली	18.62	8	25.00	14
3	देहरादून	13.96	3	10.68	3
4	दिल्ली गढ़वाल	10.02	1	—	—
5	नैनीताल	29.76	19	27.30	16
6	पिथौरागढ़	33.22	27	7.95	1
7	टिहरी गढ़वाल	17.17	6	—	—
8	उत्तरकाशी	18.60	7	—	—
9	हरिद्वार	45.48	47	29.61	18
10	आगरा	23.39	11	35.51	22
11	अलीगढ़	31.59	23	36.84	27
12	बरेली	22.39	10	43.18	37
13	बिजनौर	31.77	24	54.01	47
14	बदायूं	24.64	12	41.07	35
15	बुलंदशहर	30.76	22	39.30	31
16	एटा	35.20	29	35.76	25
17	इटावा	43.46	43	66.59	57
18	फर्रुखाबाद	28.13	17	39.46	32
19	फिरोजाबाद	15.70	5	23.30	12
20	गाजियाबाद	26.95	15	15.01	4
21	मैनपुरी	56.39	56	59.35	53
22	मथुरा	21.50	9	35.67	24
23	मेरठ	12.81	2	25.10	15
24	मुरादाबाद	37.07	36	29.73	19
25	मुजफ्फरनगर	24.83	13	35.92	26
26	पीलीभीत	30.02	21	29.24	17
27	रामपुर	41.64	40	57.57	51
28	सहारनपुर	43.42	42	37.98	29
29	शाहजहाँपुर	14.67	4	30.01	20
30	बाराबंकी	29.98	20	45.70	39
31	फतेहपुर	60.62	60	44.77	38
32	हरदोई	62.54	61	62.56	56
33	कानपुर देहात	28.52	18	41.59	36
34	कानपुर नगर	35.33	30	17.76	6
35	खीरी	52.81	53	46.79	42
36	लखनऊ	43.95	44	24.09	13
37	रायबरेली	45.40	46	9.93	2
38	सीतापुर	35.45	31	56.19	49
39	उन्नाव	60.48	59	52.28	46

40	इलाहाबाद	37.19	37	19.19	8
41	आजमगढ़	45.17	45	38.69	30
42	बहराइच	52.28	52	60.38	55
43	बलिया	35.87	32	37.94	28
44	बस्ती	25.73	14	40.00	34
45	देवरिया	50.48	49	56.47	50
46	फैजाबाद	55.05	55	46.65	41
47	गाजीपुर	53.55	54	58.19	52
48	गोंडा	41.08	39	51.78	45
49	गोरखपुर	36.94	35	23.19	11
50	जौनपुर	42.10	41	47.59	43
51	महराजगंज	33.20	26	—	—
52	मऊ	36.57	33	39.87	33
53	मिर्जापुर	50.88	50	47.97	44
54	प्रतापगढ़	56.75	57	23.08	10
55	सिद्धार्थनगर	33.18	25	22.55	9
56	सोनभद्र	49.40	48	17.56	5
57	सुल्तानपुर	52.22	51	—	—
58	वाराणसी	40.53	38	30.86	21
59	बांदा	66.72	63	72.73	58
60	हमीरपुर	34.68	28	54.48	48
61	जालौन	66.51	62	60.00	54
62	झांसी	36.72	34	46.37	40
63	ललितपुर	57.42	58	35.51	23
	<b>उ.प्र.</b>	<b>39.41</b>	<b>—</b>	<b>34.08</b>	<b>—</b>
<b>1991 प्रशासनिक सीमाएँ</b>					
1	उत्तराखंड	22.61	—	17.07	—
2	पश्चिमी	30.21	—	35.21	—
3	मध्य	46.77	—	29.01	—
4	पूर्वी	43.66	—	34.98	—
5	बुंदेलखंड	53.71	—	54.47	—

स्रोत : एनएसएस 50वाँ दौर के एकत्रित आंकड़ों से आकलित

तालिका- बी- 30 : कार्यकारी जमीन मालिकाने का वितरण, 1991

क्रम	जिला	कुल कार्यकारी जमीन मालिकाने का प्रतिशत			
		1 हे.से कम	1-2 हे.	2-3 हे.	3 हे. और उससे अधिक
1	अयोड़ा	80.9	14.6	3.2	1.3
2	चमोली	69.8	18.8	6.9	4.5
3	देहरादून	76.9	12.6	5.2	5.3
4	गढ़वाल	56.5	22.6	10.3	10.6
5	नैनीताल	55.4	18.3	11.2	15.1
6	पिथौरागढ़	83.6	12.1	2.9	1.4
7	टिहरी गढ़वाल	69.3	21.1	6.4	3.2
8	उत्तरकाशी	64.8	19.4	9.0	6.7
9	हरिद्वार	61.9	18.9	8.6	10.6
10	आगरा	58.4	21.2	9.1	11.3
11	अलीगढ़	57.5	20.6	9.0	12.9
12	बरेली	71.6	17.1	6.1	5.2
13	बिजनौर	62.1	18.8	8.3	10.8
14	बदायूं	70.7	18.1	6.0	5.2
15	बुलंदशहर	60.9	20.8	8.5	9.8
16	एटा	69.5	18.9	6.1	5.5
17	इटावा	71.5	17.4	5.8	5.3
18	फर्रुखाबाद	78.4	14.0	4.1	3.5
19	फिरोजाबाद	52.2	24.3	11.1	12.4
20	गाजियाबाद	68.0	17.8	7.5	6.7
21	मैनपुरी	76.7	16.1	4.1	3.1
22	मथुरा	47.7	26.5	10.4	15.4
23	मेरठ	63.1	19.3	8.2	9.4
24	मुरादाबाद	65.1	20.1	7.1	7.7
25	मुजफ्फरनगर	65.3	17.2	7.8	9.7
26	पीलीभीत	63.9	20.5	8.2	7.4
27	रामपुर	65.4	20.1	7.4	7.1
28	सहारनपुर	60.2	19.0	8.9	11.9
29	शाहजहाँपुर	69.0	18.3	6.4	6.3
30	बाराबंकी	80.6	13.2	3.7	2.5
31	फतेहपुर	74.3	14.2	5.6	5.9
32	हरदोई	69.7	18.5	6.8	5.0
33	कानपुर (देहात)	70.0	16.7	6.2	7.1
34	कानपुर (नगर)	76.4	14.1	5.2	4.3
35	खीरी	70.0	18.7	6.0	5.2
36	लखनऊ	74.5	17.7	4.7	3.2
37	रायबरेली	80.5	14.2	3.2	2.3
38	सीतापुर	74.3	16.6	5.4	3.7
39	उन्नाव	75.4	16.7	4.6	3.4

40	इलाहाबाद	79.4	12.4	4.0	4.2
41	आजमगढ़	86.3	9.6	2.3	1.8
42	बहराइच	75.0	16.4	4.8	3.8
43	बलिया	79.3	12.7	4.0	3.9
44	बस्ती	82.2	11.7	3.6	2.5
45	देवरिया	85.4	9.9	2.7	2.0
46	फैजाबाद	84.6	10.6	2.8	2.0
47	गाजीपुर	80.0	12.3	4.1	3.5
48	गोंडा	77.6	14.7	4.2	3.5
49	गोरखपुर	82.8	10.8	3.7	3.7
50	जौनपुर	88.3	8.2	2.1	1.4
51	महराजगंज	83.0	11.2	3.1	2.7
52	मऊ	80.5	12.7	3.6	3.2
53	मिर्जापुर	68.2	19.0	5.7	7.1
54	प्रतापगढ़	87.4	9.5	2.0	1.1
55	सिद्धार्थनगर	78.8	13.7	4.0	3.5
56	सोनभद्र	63.4	21.0	5.3	10.3
57	सुल्तानपुर	85.8	9.7	2.7	1.8
58	वाराणसी	88.9	7.7	1.8	1.6
59	बांदा	58.6	21.4	7.5	12.5
60	हमीरपुर	46.4	23.7	11.1	18.8
61	जालौन	50.9	22.3	11.1	15.7
62	झांसी	49.5	26.1	9.7	14.7
63	ललितपुर	34.7	38.0	13.8	13.5
	<b>उ.प्र.</b>	<b>73.8</b>	<b>15.5</b>	<b>5.3</b>	<b>5.4</b>
<b>1991 प्रशासनिक सीमाएँ</b>					
1	<b>उत्तराखंड</b>	71.2	16.8	6.3	5.7
2	<b>पश्चिमी</b>	66.1	18.9	7.2	7.8
3	<b>मध्य</b>	74.3	16.2	5.2	4.3
4	<b>पूर्वी</b>	82.3	11.6	3.3	2.8
5	<b>बुंदेलखंड</b>	50.1	24.7	10.1	15.1

स्रोत : उत्तर प्रदेश की कृषि गणना 1991.

तालिका-बी-31 : एक, दो या तीन कमरे तथा पक्के, आधे पक्के और कच्चे आवास वाले परिवारों का प्रतिशत 1991

क्रम	जिला	1 कमरा	2 कमरे	3 या अधिक कमरे	पक्का	आधा पक्का	कच्चा
1	अमोड़ा	19.09	41.14	39.78	93.81	5.61	0.52
2	चमोली	11.07	36.11	52.82	93.79	5.41	0.80
3	देहरादून	33.08	32.98	33.95	77.24	15.26	7.49
4	दोहरा गढ़वाल	24.72	31.86	43.42	93.99	2.59	3.43
5	नैनीताल	39.83	34.25	25.92	60.43	10.88	28.70
6	पिथौरागढ़	23.35	44.53	32.12	93.82	5.45	0.73
7	टिहरी गढ़वाल	17.17	39.30	43.53	92.86	6.11	1.03
8	उत्तरकाशी	27.59	33.46	38.95	88.08	9.33	2.58
9	हरिद्वार	47.82	30.20	21.98	60.03	11.47	28.50
10	आगरा	36.72	32.65	30.63	70.88	5.25	23.86
11	अलीगढ़	35.92	37.18	26.90	57.03	11.93	31.04
12	बरेली	34.69	41.42	23.89	49.48	28.88	21.64
13	बिजनौर	47.11	30.26	22.62	30.53	31.58	37.89
14	बदायूं	41.01	36.91	22.08	27.72	16.67	55.61
15	बुलंदशहर	32.33	35.63	32.04	49.78	27.65	22.57
16	एटा	51.54	28.88	19.58	43.45	7.04	49.51
17	इटावा	32.56	31.38	36.06	34.58	16.64	48.78
18	फर्रुखाबाद	34.59	33.54	31.87	29.13	14.67	56.19
19	फिरोजाबाद	40.94	30.24	28.82	53.65	11.35	35.00
20	गाजियाबाद	33.66	31.18	35.17	65.17	23.46	11.37
21	मैनपुरी	34.23	33.12	32.65	30.10	14.01	55.89
22	मथुरा	42.45	27.58	29.97	72.19	4.50	23.31
23	मेरठ	29.12	30.67	40.21	46.86	40.02	13.12
24	मुरादाबाद	34.72	35.50	29.79	33.92	30.38	35.70
25	मुजफ्फरनगर	33.04	30.53	36.43	30.37	44.96	24.67
26	पीलीभीत	29.97	40.38	29.65	36.17	30.60	33.23
27	रामपुर	39.27	35.30	25.42	38.69	23.67	37.63
28	सहारनपुर	46.63	29.85	23.51	38.24	24.41	37.34
29	शाहजहाँपुर	28.22	44.03	27.75	26.13	21.41	52.46
30	बाराबंकी	26.34	30.30	43.35	21.89	12.29	65.81
31	फतेहपुर	14.59	25.84	59.56	16.63	25.49	57.87
32	हरदोई	31.46	36.52	32.02	17.64	6.55	75.81
33	कानपुर (देहात)	25.94	28.11	45.96	18.69	26.02	55.28
34	कानपुर (नगर)	40.23	33.22	26.55	74.07	15.46	10.47
35	खीरी	25.47	45.29	29.24	25.24	10.61	64.16
36	लखनऊ	32.84	32.05	35.11	61.44	8.84	29.72
37	रायबरेली	23.61	26.55	49.84	18.73	8.30	72.97
38	सीतापुर	26.48	33.50	40.02	19.67	6.00	74.33
39	उन्नाव	29.13	31.76	39.11	18.56	12.81	16.63



40	इलाहाबाद	15.48	32.15	52.37	32.31	57.53	10.17
41	आजमगढ़	10.37	24.20	65.43	30.62	65.27	4.12
42	बहराइच	30.93	39.12	29.95	22.61	33.04	44.35
43	बलिया	16.55	26.95	56.50	42.54	45.86	11.60
44	बस्ती	18.27	33.71	48.03	51.75	28.70	19.54
45	देवरिया	17.34	32.91	49.75	50.53	15.43	34.05
46	फैजाबाद	12.76	26.95	60.30	28.88	61.07	10.05
47	गाजीपुर	12.98	24.87	62.15	31.32	64.10	4.58
48	गोंडा	20.63	36.26	43.12	45.35	22.55	32.11
49	गोरखपुर	24.47	35.95	39.58	56.12	35.14	8.74
50	जौनपुर	18.51	32.64	48.85	31.95	63.63	4.42
51	महराजगंज	25.58	33.71	40.70	58.85	24.80	16.35
52	मऊ	11.46	22.39	66.15	41.30	54.24	4.46
53	मिर्जापुर	20.75	33.48	45.77	33.14	62.66	4.20
54	प्रतापगढ़	13.28	30.47	56.25	18.14	72.88	8.98
55	सिद्धार्थनगर	20.93	36.30	42.77	62.10	23.51	14.39
56	सोनभद्र	20.53	34.30	45.17	20.43	74.61	4.96
57	सुल्तानपुर	14.64	29.45	55.91	16.90	58.24	24.86
58	वाराणसी	19.04	28.72	52.24	46.28	50.53	3.19
59	बांदा	14.48	31.20	54.32	16.18	82.98	0.84
60	हमीरपुर	14.37	30.37	55.26	32.77	66.84	0.39
61	जालौन	9.90	25.81	64.30	40.66	57.18	2.16
62	झांसी	19.27	28.15	52.58	57.01	42.19	0.80
63	ललितपुर	30.57	32.95	36.48	62.46	36.53	1.01
	<b>उ.प्र.</b>	<b>26.87</b>	<b>32.63</b>	<b>40.50</b>	<b>41.03</b>	<b>30.34</b>	<b>28.63</b>
<b>1991 प्रशासनिक सीमाएँ</b>							
1	उत्तराखंड	26.83	36.48	36.68	82.79	8.28	8.93
2	पश्चिमी	36.98	33.71	29.32	44.11	22.15	33.73
3	मध्य	28.00	32.45	39.55	29.93	12.51	52.72
4	पूर्वी	18.11	31.57	50.31	38.17	46.45	15.38
5	बुंदेलखंड	16.55	29.67	53.78	38.27	60.75	0.98
<b>2001 प्रशासनिक सीमाएँ</b>							
	पश्चिमी (हरिद्वार रहित)			36.71	33.79	29.50	
	उत्तरांचल (हरिद्वार सहित)			29.81	35.59	34.60	
	उ.प्र. (उत्तरांचल रहित)			26.68	32.44	40.87	

स्रोत : भारत की जनगणना 1991, तालिका एच-3, और एच-2 पार्ट ए और बी

तालिका- बी-32 : बिजली और शौचालय सुविधा युक्त परिवारों और प्रदूषित ईंधन का इस्तेमाल करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत, 1991

क्रम	जिला	शौचालय	साफ पेयजल	बिजली	कोई सुविधा नहीं	सभी सुविधाएं	लकड़ी	dfkl u	रसोई गैस
1	अमोड़ा	19.07	68.84	28.68	27.01	6.66	89.13	4.50	4.84
2	चमोली	8.85	63.97	31.41	19.34	9.35	83.68	9.69	4.63
3	देहरादून	11.59	75.30	72.27	6.21	48.70	40.28	20.76	35.87
4	गढ़वाल	52.91	88.40	34.83	19.50	11.91	77.23	6.53	8.61
5	नैनीताल	14.28	74.10	48.47	12.22	29.68	71.28	7.05	15.60
6	पिथौरागढ़	35.35	83.20	24.68	34.54	8.05	86.57	5.36	7.02
7	टिहरी गढ़वाल	9.91	58.87	30.53	24.43	9.32	83.58	8.03	4.98
8	उत्तरकाशी	11.28	69.59	38.89	23.65	16.00	77.87	9.80	8.08
9	हरिद्वार	36.15	89.68	44.82	6.74	29.37	49.67	5.06	16.50
10	आगरा	27.10	60.49	36.57	32.96	22.11	57.47	2.40	12.64
11	अलीगढ़	17.08	70.18	19.68	27.62	12.98	47.27	1.13	5.08
12	बरेली	38.74	80.64	24.06	15.77	20.10	25.65	3.56	9.08
13	बिजनौर	38.85	85.47	28.53	11.14	20.95	79.82	1.44	4.12
14	बदायूं	26.16	66.52	11.27	29.96	8.84	41.56	1.08	1.99
15	बुलंदशहर	23.21	86.84	24.78	10.19	15.29	31.88	0.87	4.35
16	एटा	12.85	57.89	10.60	39.67	7.44	54.82	0.30	2.87
17	इटावा	13.07	57.88	13.35	38.64	8.48	78.01	0.90	2.72
18	फर्रुखाबाद	18.11	50.18	14.34	42.51	8.25	62.56	0.96	3.56
19	फिरोजाबाद	18.94	66.63	20.85	30.19	14.19	63.51	0.62	5.80
20	गाजियाबाद	43.04	92.71	53.46	3.66	35.04	13.06	9.66	19.24
21	मैनपुरी	10.71	56.25	10.82	40.86	6.62	46.92	0.66	3.08
22	मथुरा	14.66	56.75	21.03	37.87	11.11	62.84	1.95	5.98
23	मेरठ	34.56	91.71	45.36	4.93	27.15	11.98	3.61	12.22
24	मुरादाबाद	30.87	79.44	20.80	17.44	16.65	33.16	2.70	4.71
25	मुजफ्फरनगर	27.56	92.00	31.10	5.51	18.25	14.73	1.79	5.96
26	पीलीभीत	20.58	83.25	15.20	14.46	10.36	44.17	4.01	1.90
27	रामपुर	53.05	82.34	27.60	11.44	21.38	47.38	2.63	5.18
28	सहारनपुर	30.23	88.96	38.13	7.91	21.84	44.60	2.37	8.55
29	शाहजहाँपुर	20.62	57.28	14.30	38.86	10.81	23.96	2.92	2.66
30	बाराबंकी	7.79	34.42	8.86	62.94	4.71	66.23	1.77	1.45
31	फतेहपुर	7.95	31.85	9.38	64.82	5.11	90.41	1.53	1.13
32	हरदोई	10.47	31.11	7.57	65.31	4.83	30.34	0.82	1.54
33	कानपुर (देहात)	6.87	37.78	8.88	58.37	3.53	67.78	0.78	0.93
34	कानपुर (नगर)	63.61	82.39	66.38	10.15	53.32	27.85	16.23	30.92
35	खीरी	9.11	59.73	10.66	38.39	5.95	64.38	2.93	1.08
36	लखनऊ	46.52	63.93	50.19	29.99	39.55	40.61	16.13	25.80
37	रायबरेली	6.08	36.60	12.45	59.27	4.54	84.43	2.57	2.26
38	सीतापुर	8.01	30.61	8.11	67.25	5.09	68.44	1.75	1.10
39	उन्नाव	9.45	29.98	11.57	66.18	6.20	65.86	2.68	2.30
40	इलाहाबाद	16.47	43.89	25.66	48.50	12.83	41.75	6.61	6.15

41	आजमगढ़	6.11	85.23	17.27	13.25	5.09	50.91	1.59	0.78
42	बहराइच	6.99	54.92	7.12	44.12	4.90	83.07	2.10	0.80
43	बलिया	11.10	77.16	17.42	20.71	8.22	48.82	2.23	1.24
44	बस्ती	4.58	72.92	10.44	25.94	3.77	53.27	3.40	1.21
45	देवरिया	5.43	83.17	9.86	16.10	4.48	74.04	1.30	0.95
46	फैजाबाद	8.06	69.97	13.39	28.41	6.58	49.50	3.37	2.39
47	गाजीपुर	7.87	55.35	11.84	41.48	4.88	14.17	1.33	0.64
48	गोंडा	6.15	55.63	9.22	43.01	4.92	66.62	2.54	1.07
49	गोरखपुर	14.36	83.89	23.92	14.20	12.43	70.13	5.43	5.36
50	जौनपुर	17.33	57.77	19.85	38.41	12.12	30.03	1.56	1.15
51	महराजगंज	6.39	88.99	17.17	9.63	4.71	49.49	1.02	0.51
52	मरु	10.03	86.12	25.83	12.26	9.11	45.28	3.91	1.07
53	मिर्जापुर	9.80	34.58	21.77	55.51	7.01	29.75	2.23	2.16
54	प्रतापगढ़	3.62	32.95	10.69	62.26	2.56	74.52	1.26	1.28
55	सिद्धार्थनगर	3.53	69.62	7.38	29.48	2.67	30.97	1.59	0.37
56	सोनभद्र	15.94	36.71	19.39	60.11	14.27	56.71	4.00	3.97
57	सुल्तानपुर	4.66	42.70	14.36	51.30	3.20	68.95	1.85	1.62
58	वाराणसी	21.51	43.54	35.33	45.36	17.69	17.12	3.52	6.83
59	बांदा	8.17	37.40	10.23	59.35	5.56	55.34	0.94	0.93
60	हमीरपुर	10.10	32.17	11.89	63.11	6.12	27.19	1.15	1.97
61	जालौन	17.33	57.77	19.85	38.41	12.12	19.71	1.19	3.88
62	झांसी	22.40	48.89	34.25	39.72	16.37	31.50	9.03	9.16
63	ललितपुर	8.64	36.11	12.93	60.14	6.38	80.43	1.64	2.92
	<b>उ.प्र.</b>	<b>18</b>	<b>62.24</b>	<b>21.91</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>50.37</b>	<b>3.39</b>	<b>5.44</b>
<b>1991 प्रशासनिक सीमाएँ</b>									
1	उत्तराखंड	20.5	73.7	41.89	—	—	73.49	9.16	13.43
2	पश्चिमी	27	74.84	25.76	—	—	42.2	2.45	6.75
3	मध्य	18.2	44.09	19.95	—	—	60.4	4.94	7.21
4	पूर्वी	9.93	61.24	17.04	—	—	51.26	2.85	2.41
5	बुंदेलखंड	13.3	42.02	17.67	—	—	40.81	2.83	3.65

स्रोत : भारत की जनगणना 1991, तालिका एच4, एच5 और एच 6

तालिका-बी-33 : ग्रामीण गरीबी के कुछ सहसंबंधी

क्रम	जिला	कृषि उत्पाद का प्रति व्यक्ति मूल्य 1993-94 (चालू कीमत)	कृषि उत्पाद का प्रति एनएसए हे. मूल्य 1993-94 (चालू कीमत)	कृषि उत्पाद का प्रति कृषि मजदूर सकल मूल्य 1990-93	प्रति व्यक्ति अन्न उत्पादन (किग्रा) 1993-94	कुल मजदूरों में कृषि मजदूरों का % 1991
1	अयोध्या	1476	10964	3768	220.45	0.89
2	चमोली	1335	12857	3161	190.43	1.04
3	देहरादून	1852	18569	8196	87.66	9.31
4	गढ़वाल	1377	9601	4945	210.80	1.83
5	नैनीताल	4894	26085	15199	424.06	18.47
6	पिथौरागढ़	2137	18053	5597	234.27	0.86
7	टिहरी गढ़वाल	1359	10786	3924	198.53	0.87
8	उत्तरकाशी	1726	13568	3722	186.33	1.74
9	हरिद्वार	3961	26782	14383	129.54	26.46
10	आगरा	2802	16524	10301	140.99	11.01
11	अलीगढ़	2488	16401	9974	268.03	23.03
12	बरेली	3384	20696	10345	250.18	14.37
13	बिजनौर	5178	29578	17250	180.47	29.69
14	बदायूं	3115	16276	8446	273.39	11.50
15	बुलंदशहर	3301	22158	13137	359.88	21.77
16	एटा	2896	18226	9382	334.68	14.22
17	इटावा	2579	16496	9418	348.02	17.21
18	फर्रुखाबाद	2691	19639	9002	225.80	12.68
19	फिरोजाबाद	2379	15983	9419	238.84	14.66
20	गाजियाबाद	3048	26949	15287	145.89	13.45
21	मैनपुरी	2632	17535	8998	394.24	11.67
22	मथुरा	3022	14998	12498	311.12	18.99
23	मेरठ	4804	34954	16892	171.28	21.45
24	मुरादाबाद	3771	24509	11791	267.92	14.75
25	मुजफ्फरनगर	5229	36629	16076	195.68	30.75
26	पीलीभीत	4805	24121	14841	565.76	17.25
27	रामपुर	3867	23492	11769	423.64	10.45
28	सहारनपुर	4587	30344	15300	212.85	31.29
29	शाहजहाँपुर	4137	18800	12062	490.09	14.47
30	बाराबंकी	2532	20336	6656	310.05	15.96
31	फतेहपुर	2292	13956	7201	280.15	25.33
32	हरदोई	2279	14351	6907	301.53	11.49
33	कानपुर देहात	2882	16588	9812	361.27	22.99
34	कानपुर नगर	2718	17186	11785	52.26	6.08
35	खीरी	4036	19453	9390	333.47	13.81
36	लखनऊ	2104	16859	8404	86.08	8.71

37	रायबरेली	1978	13422	5095	241.87	21.17
38	सीतापुर	2544	15804	6934	245.49	11.72
39	उन्नाव	1937	13461	6238	223.77	12.68
40	इलाहाबाद	1648	14523	6050	176.05	25.95
41	आजमगढ़	1979	19754	7071	246.94	19.20
42	बहराइच	2090	12023	5463	320.13	14.91
43	बलिया	1918	18394	6327	253.61	36.42
44	बस्ती	1965	16084	5727	272.65	19.24
45	देवरिया	2140	22269	7415	230.12	23.81
46	फैजाबाद	2249	21062	7167	267.14	21.40
47	गाजीपुर	1939	17248	7338	252.63	26.03
48	गोंडा	1828	13142	4952	265.97	16.27
49	गोरखपुर	1618	16024	5715	208.13	30.00
50	जौनपुर	1531	16722	6733	215.14	13.80
51	महराजगंज	2830	22927	6300	404.99	27.85
52	मऊ	1853	17961	7213	216.73	19.90
53	मिर्जापुर	1962	14713	5815	251.74	30.39
54	प्रतापगढ़	1575	15683	5299	230.14	21.46
55	सिद्धार्थनगर	1617	11042	5112	255.21	19.89
56	सोनभद्र	1443	8631	3047	187.56	29.44
57	सुल्तानपुर	1937	17698	6510	236.60	25.50
58	वाराणसी	1712	20383	6886	184.70	18.56
59	बांदा	2564	8553	6173	308.20	26.57
60	हमीरपुर	3383	8206	8857	358.32	30.94
61	जालौन	3425	9583	10174	348.18	23.27
62	झांसी	3232	8963	9364	251.22	15.55
63	ललितपुर	3046	9183	7711	394.11	10.16
	<b>उ.प्र.</b>	<b>2614</b>	<b>17686</b>	<b>8348</b>	<b>255.41</b>	<b>18.94</b>
<b>1991 प्रशासनिक सीमाएँ</b>						
1	<b>उत्तराखंड</b>	2334	16922	6834	245.91	6.40
2	<b>पश्चिमी</b>	3568	22339	12077	272.45	18.54
3	<b>मध्य</b>	2513	16164	7477	239	14.66
4	<b>पूर्वी</b>	1883	8792	6185	239.11	22.49
5	<b>बुंदेलखंड</b>	3075	16568	8086	323.92	23.00

स्रोत : जिला विकास सूचक 1996, अर्थ एवं संख्या i Hkkx, राज्य fu; kst u संस्थान, उ.प्र. सरकार

तालिका-बी-34 : कुल मजदूरों में मुख्य और सीमांत मजदूरों का प्रतिशत हिस्सा तथा वार्षिक वृद्धि दर

क्रम	जिला	कुल मजदूरों में मुख्य और सीमांत मजदूरों का प्रतिशत हिस्सा				वार्षिक वृद्धि दर 1981-91		
		मुख्य मजदूर 1981	सीमांत मजदूर	मुख्य मजदूर 1991	सीमांत मजदूर	मुख्य मजदूर	सीमांत मजदूर	कुल मजदूर
1	अयोड़ा	79.40	20.60	85.50	14.50	3.47	-0.84	2.70
2	चमोली	89.01	10.89	90.14	9.86	1.40	0.52	1.52
3	देहरादून	95.16	4.79	93.80	6.20	2.99	5.82	3.14
4	दिल्ली गढ़वाल	83.38	16.46	79.27	20.73	-0.45	2.26	-0.07
5	नैनीताल	93.70	6.24	84.01	16.16	3.31	14.87	4.45
6	पिथौरागढ़	82.90	16.93	85.04	15.33	2.20	0.93	1.94
7	टिहरी गढ़वाल	87.77	12.11	87.07	12.55	0.36	0.75	0.39
8	उत्तरकाशी	94.21	5.73	95.04	4.96	1.46	-0.09	1.37
9	आगरा	99.23	0.76	97.84	2.16	1.98	13.35	2.13
10	अलीगढ़	99.24	0.75	91.39	8.61	2.81	32.36	3.67
11	बरेली	99.44	0.55	98.55	1.45	2.18	12.68	2.27
12	बिजनौर	98.02	1.96	97.27	2.73	2.31	5.82	2.37
13	बदायूं	98.87	1.12	96.77	3.23	1.93	13.58	2.16
14	बुलंदशहर	98.96	1.03	91.88	8.12	2.19	26.53	2.95
15	एटा	99.47	0.53	92.49	7.51	2.01	33.99	2.75
16	इटावा	99.20	0.79	99.66	0.34	2.43	-5.86	2.38
17	फर्रुखाबाद	99.34	0.65	97.93	2.07	2.37	15.01	2.51
18	गाजियाबाद	99.23	0.76	90.09	9.91	3.82	35.54	4.83
19	मैनपुरी	99.57	0.43	98.80	1.20	2.09	13.35	2.20
20	मथुरा	98.05	1.93	95.38	4.62	2.27	11.93	2.56
21	मेरठ	97.79	2.19	93.06	6.94	2.49	15.58	3.00
22	मुरादाबाद	98.81	1.18	96.42	3.58	2.62	14.92	2.87
23	मुजफ्फरनगर	98.86	1.13	89.67	10.22	2.79	29.31	3.77
24	पीलीभीत	99.56	0.43	95.88	4.38	2.14	29.21	2.53
25	रामपुर	99.08	0.91	94.42	5.58	2.40	23.37	2.90
26	सहारनपुर	98.73	1.26	97.74	2.26	2.43	8.69	2.53
27	शाहजहाँपुर	99.22	0.77	99.03	0.97	1.88	4.26	1.90
28	बाराबंकी	98.28	1.70	95.24	4.65	2.25	13.42	2.57
29	फतेहपुर	91.10	8.81	86.91	12.94	2.53	7.05	3.01
30	हरदोई	99.44	0.56	96.82	3.18	2.16	21.89	2.43
31	कानपुर	98.59	1.41	99.60	0.40	1.86	-11.34	1.76
32	खीरी	99.90	0.10	97.54	2.46	2.11	41.61	2.35
33	लखनऊ	97.53	2.44	97.06	3.06	3.06	5.45	3.11
34	रायबरेली	89.73	10.32	89.16	10.84	2.25	2.82	2.32
35	सीतापुर	99.35	0.64	97.60	2.40	2.17	16.75	2.35
36	उन्नाव	94.47	5.47	97.69	2.31	2.40	-6.40	2.06
37	इलाहाबाद	97.90	2.08	93.39	6.61	3.28	16.48	3.77



38	आजमगढ़	82.18	17.82	85.60	14.40	2.67	0.10	2.25
39	बहराइच	98.52	1.46	85.06	14.94	2.43	31.14	3.95
40	बलिया	95.74	4.22	94.67	5.33	2.01	4.53	2.12
41	बस्ती	90.45	9.72	89.59	10.41	2.31	3.11	2.41
42	देवरिया	82.21	17.79	88.29	11.71	2.02	-2.86	1.29
43	फैजाबाद	97.46	2.51	94.07	5.93	2.63	12.25	3.00
44	गाजीपुर	93.31	6.63	92.49	7.51	2.74	4.12	2.83
45	गोंडा	97.68	2.29	89.87	10.13	2.68	20.13	3.54
46	गोरखपुर	93.23	6.86	92.05	7.95	2.69	4.36	2.82
47	जौनपुर	92.35	7.65	91.09	8.91	2.54	4.27	2.68
48	मिर्जापुर	97.00	2.98	91.21	8.79	2.82	15.26	3.45
49	प्रतापगढ़	98.34	1.64	91.21	8.79	2.64	22.30	3.41
50	सुल्तानपुर	95.65	4.30	92.73	7.27	2.46	8.31	2.78
51	वाराणसी	96.33	3.64	91.15	8.85	3.13	13.35	3.71
52	बांदा	88.58	11.56	83.46	16.67	2.85	7.32	3.46
53	हमीरपुर	89.33	10.57	82.96	16.87	2.83	8.55	3.59
54	जालौन	92.18	7.74	88.26	11.74	2.59	7.42	3.04
55	झांसी	92.23	7.69	86.20	13.80	3.14	10.09	3.84
56	ललितपुर	79.50	20.30	78.10	21.90	3.02	3.99	3.21
	<b>उ.प्र.</b>	<b>95.15</b>	<b>4.85</b>	<b>92.33</b>	<b>7.67</b>	<b>2.47</b>	<b>7.62</b>	<b>2.78</b>
<b>1991 प्रशासनिक सीमाएँ</b>								
1	<b>उत्तराखंड</b>	87.90	12.00	86.62	13.42	2.10	3.40	2.25
2	<b>पश्चिमी</b>	98.98	1.02	95.27	4.73	2.39	19.85	2.79
3	<b>मध्य</b>	96.81	3.19	95.66	4.32	2.27	5.57	2.39
4	<b>पूर्वी</b>	93.05	6.95	90.56	9.44	2.64	6.12	2.92
5	<b>बुंदेलखंड</b>	88.91	11.09	83.98	16.02	2.88	7.35	3.47

स्रोत : भारत की जनगणना 1991, तालिका बी-1(एस) और बी-2 (एस)

तालिका-बी-35 : कुल जनसंख्या में बाल जनसंख्या का प्रतिशत 1991

क्रम	जिला	0-4 वर्ष	5-9 वर्ष	10-14 वर्ष	क्रम	जिला	0-4 वर्ष	5-9 वर्ष	10-14 वर्ष
1	अयोध्या	12.9	13.4	12.5	33	कानपुर (देहात)	13.1	14.0	12.0
2	चमोली	12.9	13.3	12.2	34	कानपुर (नगर)	10.3	12.2	12.7
3	देहरादून	11.2	12.0	11.8	35	खीरी	12.6	14.8	12.4
4	दिल्ली गढ़वाल	11.4	12.9	13.1	36	लखनऊ	11.4	13.0	12.3
5	नैनीताल	13.3	13.4	12.5	37	रायबरेली	13.3	14.1	12.0
6	पिथौरागढ़	12.6	13.5	11.9	38	सीतापुर	12.8	14.3	11.6
7	टिहरी गढ़वाल	12.8	14.0	12.8	39	उन्नाव	12.7	14.1	12.1
8	उत्तरकाशी	12.8	13.3	10.9	40	इलाहाबाद	13.7	15.1	12.1
9	हरिद्वार	13.5	13.5	12.4	41	आजमगढ़	14.4	15.3	12.4
10	आगरा	14.2	13.9	12.1	42	बहराइच	13.0	14.6	11.8
11	अलीगढ़	14.3	14.1	12.2	43	बलिया	13.2	15.0	12.1
12	बरेली	14.2	14.6	12.4	44	बस्ती	13.7	14.9	12.2
13	बिजनौर	14.9	14.4	13.1	45	देवरिया	14.2	15.7	12.6
14	बदायूं	14.5	14.0	12.0	46	फैजाबाद	13.5	14.0	11.9
15	बुलंदशहर	14.2	14.3	12.9	47	गाजीपुर	14.0	15.6	11.9
16	एटा	14.3	13.7	12.0	48	गोंडा	13.4	14.7	11.7
17	इटवा	13.5	13.5	11.8	49	गोरखपुर	13.6	15.2	12.7
18	फर्रुखाबाद	13.5	14.9	12.3	50	जौनपुर	14.5	15.9	12.3
19	फिरोजाबाद	14.5	13.8	12.3	51	महाराजगंज	14.0	14.7	11.7
20	गाजियाबाद	14.2	13.4	11.9	52	मऊ	14.3	15.8	12.5
21	मैनपुरी	13.8	14.3	12.0	53	मिर्जापुर	14.7	15.5	11.6
22	मथुरा	14.5	13.7	12.1	54	प्रतापगढ़	13.6	14.8	12.7
23	मेरठ	14.0	13.8	12.5	55	सिद्धार्थनगर	13.9	15.2	12.0
24	मुरादाबाद	15.0	15.0	13.0	56	सोनभद्र	14.3	15.7	11.5
25	मुजफ्फरनगर	14.3	13.6	12.5	57	सुल्तानपुर	13.6	13.9	11.8
26	पीलीभीत	14.4	15.6	12.4	58	वाराणसी	14.4	15.4	11.8
27	रामपुर	15.2	14.5	13.0	59	बांदा	13.6	15.2	11.9
28	सहारनपुर	14.4	13.8	12.5	60	हमीरपुर	13.4	14.0	11.5
29	शाहजहाँपुर	13.4	13.9	12.1	61	जालौन	12.7	14.7	11.5
30	बाराबंकी	12.7	13.8	11.4	62	झांसी	13.1	13.3	11.4
31	फतेहपुर	13.3	14.8	12.2	63	ललितपुर	14.4	14.9	11.1
32	हरदोई	13.1	14.5	12.0		<b>उ.प्र.</b>	<b>13.7</b>	<b>14.4</b>	<b>12.2</b>

स्रोत : भारत की जनगणना 1991 तालिका सी-6

तालिका-बी-36 : बाल टीकाकरण 1998-99

क्रम	जिला	पूर्ण टीकाकरण वाले बच्चों का %	टीकाकरण के आधार पर स्थान	कोई टीका नहीं वाले बच्चों का %
1	अयोध्या	78.4	5	8.0
2	बागेश्वर	—	—	—
3	चमोली	80.2	2	8.2
4	चम्पावत	—	—	—
5	देहरादून	64.9	10	9.3
6	दिल्ली गढ़वाल	78.5	4	5.1
7	नैनीताल	81.6	1	6.9
8	पिथौरागढ़	79.2	3	5.3
9	रुद्रप्रयाग	—	—	—
10	टिहरी गढ़वाल	66.5	9	12.9
11	उधमसिंह नगर	66.7	8	15.4
12	उत्तरकाशी	50.2	23	26.3
13	हरिद्वार	48.2	24	30.1
14	आगरा	42.0	37	34.2
15	अलीगढ़	43.1	34	19.9
16	औरैया	—	—	—
17	बागपत	—	—	—
18	बरेली	42.1	36	28.0
19	बिजनौर	32.9	57	14.5
20	देहरादून	20.6	66	59.9
21	बुलंदशहर	54.8	18	17.2
22	एटा	36.0	54	28.4
23	इटावा	46.9	27	31.7
24	फर्रुखाबाद	47.1	26	36.6
25	फिरोजाबाद	32.6	60	49.5
26	गौतमबुद्धनगर	—	—	—
27	गाजियाबाद	51.4	22	21.3
28	हाथरस	39.6	44	41.4
29	ज्योतिबाफुलेनगर	—	—	—
30	कन्नौज	—	—	—
31	मैनपुरी	41.2	40	38.3
32	मथुरा	40.2	42	21.4
33	मेरठ	30.8	62	19.1
34	मुरादाबाद	32.8	59	44.5
35	मुजफ्फरनगर	3.4	68	34.2
36	पीलीभीत	36.4	51	42.6
37	रामपुर	36.4	52	38.7
38	सहारनपुर	36.4	53	15.0
39	शाहजहाँपुर	37.2	49	41.7
40	बाराबंकी	39.3	45	24.8
41	फतेहपुर	35.4	56	26.7
42	हरदोई	45.8	31	27.0
43	कानपुर (देहात)	42.6	35	22.4
44	कानपुर (नगर)	62.8	12	17.2
45	खीरी	48.1	25	28.0

क्रम	जिला	पूर्ण टीकाकरण वाले बच्चों का %	टीकाकरण के आधार पर स्थान	कोई टीका नहीं वाले बच्चों का %
46	लखनऊ	74.1	6	9.0
47	रायबरेली	51.9	21	19.1
48	सीतापुर	38.6	47	22.5
49	उन्नाव	35.6	55	40.3
50	इलाहाबाद	39.0	46	39.3
51	अम्बेडकर नगर	55.5	17	21.1
52	आजमगढ़	61.5	13	25.2
53	बहराइच	22.1	65	25.6
54	बलिया	71.5	7	18.9
55	बलरामपुर	—	—	—
56	बस्ती	63.7	11	16.4
57	चंदौली	—	—	—
58	देवरिया	55.6	16	16.6
59	फैजाबाद	45.8	29	15.1
60	गाजीपुर	45.8	30	23.5
61	गोंडा	31.7	61	32.4
62	गारेखपुर	52.7	20	25.0
63	जौनपुर	54.3	19	27.2
64	कौशांबी	—	—	—
65	कुशीनगर	—	—	—
66	महाराजगंज	32.9	58	29.0
67	मऊ	40.6	41	19.1
68	मिर्जापुर	29.3	63	40.2
69	प्रतापगढ़	43.7	32	23.2
70	संतकबीरनगर	—	—	—
71	संतरविदासनगर	41.7	39	37.3
72	श्रावस्ती	—	—	—
73	सिद्धार्थनगर	37.7	48	35.8
74	सोनभद्र	18.8	67	50.1
75	सुल्तानपुर	56.5	15	16.9
76	वाराणसी	36.6	50	33.5
77	बांदा	28.0	64	50.4
78	चित्रकूट	—	—	—
79	हमीरपुर	46.0	28	28.0
80	जालौन	41.9	38	33.8
81	झांसी	39.9	43	10.4
82	ललितपुर	56.7	14	30.6
83	महोबा	43.2	33	22.9
<b>1991 प्रशासनिक सीमाएँ</b>				
1	उत्तराखंड	52.6	—	21.9
2	पश्चिमी	52.6	—	23.9
3	मध्य	40.8	—	30.7
4	पूर्वी	42.3	—	28.2
5	बुंदेलखंड	35.5	—	36.6

स्रोत : रैपिड हाउसहोल्ड सर्वे

तालिका-बी-37 : स्कूल जाने वाले और आर्थिक गतिविधि में लगे बच्चे, 1991

क्रम	जिला	स्कूल जाने वाले				केवल काम करने वाले कुल	बेघर बच्चे कुल
		5 से 9		10 से 14			
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला		
1	अयोध्या	51.89	43.76	91.33	66.55	4.70	32.36
2	चमोली	47.88	37.23	88.06	66.58	4.07	36.69
3	देहरादून	58.32	53.57	81.75	72.83	3.47	29.86
4	दिल्ली गढ़वाल	52.70	48.71	92.87	81.63	2.11	28.82
5	नैनीताल	44.89	37.24	73.79	56.60	4.90	42.12
6	पिथौरागढ़	47.00	37.81	90.01	60.46	4.92	37.13
7	टिहरी गढ़वाल	45.76	32.98	88.24	53.80	5.55	39.93
8	उत्तरकाशी	38.86	25.41	84.29	48.23	7.14	44.93
9	हरिद्वार	37.35	29.44	64.20	44.37	3.32	52.62
10	आगरा	28.31	20.43	62.10	38.11	2.38	60.65
11	अलीगढ़	28.69	20.23	62.98	38.73	3.19	59.35
12	बरेली	22.72	15.23	43.84	25.22	3.59	69.70
13	बिजनौर	28.76	20.53	56.98	33.71	2.99	61.90
14	बदायूं	16.84	8.97	38.85	17.56	4.83	74.18
15	बुलंदशहर	32.54	21.81	66.85	37.60	2.44	57.65
16	एटा	25.24	17.18	61.30	34.24	3.20	61.97
17	इटावा	29.83	26.03	70.54	53.54	1.76	54.00
18	फर्रुखाबाद	26.93	21.79	60.93	44.43	2.88	59.44
19	फिरोजाबाद	30.12	23.55	68.07	44.08	2.13	56.30
20	गाजियाबाद	36.99	30.48	71.16	53.30	2.55	49.77
21	मैनपुरी	30.29	24.31	72.46	51.27	1.52	54.66
22	मथुरा	33.72	20.18	71.46	35.69	2.16	56.92
23	मेरठ	34.62	28.20	66.59	47.61	3.37	52.67
24	मुरादाबाद	19.84	13.20	42.53	23.14	3.93	71.55
25	मुजफ्फरनगर	36.64	26.90	63.66	41.32	5.52	52.18
26	पीलीभीत	22.98	13.33	47.09	23.61	3.46	70.00
27	रामपुर	17.86	10.91	37.72	19.39	5.52	72.88
28	सहारनपुर	30.42	23.12	58.37	37.24	3.93	58.73
29	शाहजहाँपुर	22.49	13.62	46.52	24.50	3.99	68.98
30	बाराबंकी	23.32	15.34	49.22	27.23	4.42	67.12
31	फतेहपुर	37.07	26.73	70.23	42.15	4.31	52.16
32	हरदोई	25.22	15.48	52.75	28.06	3.51	65.98
33	कानपुर (देहात)	33.74	26.90	70.42	52.57	2.02	52.91
34	कानपुर (नगर)	44.50	40.48	75.62	67.79	1.17	41.22
35	खीरी	21.30	11.80	45.02	22.66	4.42	70.30
36	लखनऊ	40.50	34.43	69.20	58.94	2.50	46.85
37	रायबरेली	32.26	21.83	65.95	36.89	3.77	57.45
38	सीतापुर	19.95	12.46	42.32	24.03	4.08	71.46
39	उन्नाव	29.42	21.40	60.24	36.02	3.60	59.85
40	इलाहाबाद	31.41	19.14	65.31	34.91	3.96	58.98
41	आजमगढ़	29.72	19.93	70.82	36.48	3.22	58.61
42	बहराइच	21.07	11.19	42.55	17.30	6.80	69.77

43	बलिया	30.13	20.71	70.19	42.06	2.61	57.46
44	बस्ती	25.67	15.01	58.01	26.87	3.31	65.86
45	देवरिया	31.60	18.85	68.09	32.87	3.69	59.38
46	फैजाबाद	30.95	22.24	66.98	39.88	2.83	57.85
47	गाजीपुर	28.85	19.14	70.18	38.13	2.39	60.14
48	गोंडा	22.53	12.03	48.38	20.71	5.54	68.55
49	गोरखपुर	29.46	19.14	65.21	36.15	2.01	61.22
50	जौनपुर	30.25	18.80	71.05	35.63	2.32	60.14
51	महाराजगंज	25.76	11.58	55.15	17.47	5.10	67.63
52	मऊ	34.09	25.36	73.02	44.98	3.96	53.03
53	मिर्जापुर	27.57	16.61	60.96	33.08	4.97	61.44
54	प्रतापगढ़	31.28	20.73	72.97	36.65	2.51	57.43
55	सिद्धार्थनगर	25.17	12.87	51.82	20.32	4.58	68.05
56	सोनभद्र	25.02	16.67	53.46	28.67	6.68	63.31
57	सुल्तानपुर	32.57	21.01	69.17	35.99	2.79	57.89
58	वाराणसी	31.62	21.34	67.99	40.15	3.91	57.03
59	बांदा	28.68	14.92	58.09	24.80	8.00	60.34
60	हमीरपुर	28.18	17.06	66.65	34.35	4.33	59.28
61	जालौन	28.01	24.52	72.60	52.27	3.92	53.24
62	झांसी	35.76	26.05	71.77	49.77	2.87	51.69
63	ललितपुर	23.09	13.45	55.73	26.58	4.64	66.36
	<b>उ.प्र.</b>	<b>29.61</b>	<b>20.58</b>	<b>61.91</b>	<b>37.14</b>	<b>3.62</b>	<b>59.46</b>
<b>1991 प्रशासनिक सीमाएँ</b>							
1	उत्तराखंड	49.19	41.15	84.21	64.37	4.40	36.17
2	पश्चिमी	28.04	20.32	58.32	36.40	3.33	60.99
3	मध्य	30.10	22.03	59.37	39.96	3.39	59.03
4	पूर्वी	29.02	18.27	63.78	33.30	3.72	60.92
5	बुंदेलखंड	29.18	19.12	65.18	37.27	5.05	57.74
<b>2001 प्रशासनिक सीमाएँ</b>							
पश्चिमी (हरिद्वार रहित)		27.83	20.12	58.18	36.22	3.33	61.18
उत्तरांचल (हरिद्वार सहित)		47.17	39.34	80.81	61.37	4.23	38.83
उ.प्र. (उत्तरांचल रहित)		28.79	19.63	60.93	35.75	3.58	60.52

स्रोत : भारत की जनगणना 1991 तालिका सी-2.

तालिका बी-38 : मुख्य गतिविधि और लिंगानुसार गैर मजदूर ( 5 - 14 वर्ष ) , 1991

क्रम	जिला	घरेलू काम		छात्र		निर्भर		भिखारी खानाबदोश		संस्था के भीतर		अन्य	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	अयोध्या	0.78	1.66	73.35	60.63	25.77	37.55	0.02	0.01	0.00	0.01	0.08	0.13
2	चमोली	0.51	2.18	70.97	58.25	28.46	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.04
3	देहरादून	1.09	4.36	72.49	65.78	25.81	29.62	0.03	0.01	0.43	0.11	0.15	0.12
4	दिल्ली गढ़वाल	0.69	1.55	73.90	67.51	25.35	30.84	0.00	0.01	0.00	0.00	0.06	0.08
5	नैनीताल	0.38	4.59	61.47	48.04	38.11	47.35	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02	0.02
6	पिथौरागढ़	0.42	1.86	68.99	53.76	30.54	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.05
7	टिहरी गढ़वाल	0.57	3.84	68.00	47.68	31.33	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.21
8	उत्तरकाशी	0.35	1.70	63.93	43.79	35.65	54.51	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
9	हरिद्वार	0.26	7.73	51.34	35.32	48.25	56.87	0.05	0.05	0.03	0.00	0.08	0.04
10	आगरा	1.10	6.63	48.84	30.83	50.02	62.49	0.01	0.01	0.00	0.02	0.03	0.02
11	अलीगढ़	0.73	7.78	49.44	31.44	49.77	60.73	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03
12	बरेली	0.79	8.41	34.61	19.93	64.53	71.64	0.03	0.01	0.00	0.00	0.03	0.01
13	बिजनौर	0.93	8.73	45.57	27.38	53.41	63.83	0.01	0.01	0.00	0.01	0.07	0.04
14	बदायूँ	0.47	10.72	29.72	13.04	69.75	76.21	0.02	0.01	0.00	0.01	0.03	0.01
15	बुलंदशहर	0.92	8.12	53.51	31.91	45.51	59.91	0.02	0.00	0.01	0.01	0.04	0.04
16	एटा	0.42	6.95	44.64	25.87	54.87	67.15	0.01	0.01	0.01	0.00	0.05	0.02
17	इटावा	1.11	5.03	51.55	40.48	47.27	54.46	0.01	0.00	0.02	0.00	0.05	0.02
18	फर्रुखाबाद	0.86	5.38	47.31	34.50	51.80	60.10	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00
19	फिरोजाबाद	0.49	5.59	49.88	33.16	49.59	61.19	0.01	0.01	0.00	0.00	0.03	0.05
20	गाजियाबाद	1.41	6.53	57.93	44.79	40.59	48.60	0.01	0.01	0.01	0.02	0.06	0.05
21	मैनपुरी	0.71	5.42	51.68	36.41	47.53	58.14	0.03	0.01	0.01	0.00	0.04	0.03
22	मथुरा	0.42	9.15	54.04	28.11	45.47	62.70	0.02	0.01	0.01	0.00	0.04	0.02
23	मेरठ	1.20	10.48	57.42	41.77	41.27	47.67	0.02	0.01	0.01	0.03	0.08	0.04
24	मुरादाबाद	0.93	10.13	36.66	20.99	62.30	68.83	0.01	0.02	0.01	0.00	0.08	0.04
25	मुजफ्फरनगर	0.89	11.64	53.41	34.81	45.65	53.51	0.01	0.01	0.00	0.00	0.04	0.03
26	पीलीभीत	0.67	8.21	37.40	18.77	61.87	72.99	0.02	0.02	0.01	0.00	0.03	0.02
27	रामपुर	0.62	10.88	30.31	15.33	68.97	73.73	0.00	0.02	0.06	0.01	0.03	0.03
28	सहारनपुर	0.92	8.55	46.69	30.19	52.24	61.19	0.01	0.01	0.02	0.00	0.11	0.05
29	शाहजहाँपुर	0.64	9.85	37.57	19.66	61.70	70.44	0.01	0.00	0.02	0.01	0.06	0.04
30	बाराबंकी	1.22	9.21	40.86	23.26	57.82	67.47	0.06	0.03	0.02	0.01	0.03	0.01
31	फतेहपुर	0.97	7.76	54.99	35.41	43.98	56.77	0.02	0.00	0.01	0.02	0.04	0.03
32	हरदोई	0.92	6.81	40.84	21.41	58.18	71.74	0.02	0.01	0.00	0.00	0.03	0.03
33	कानपुर (देहात)	0.85	5.24	52.73	39.45	46.37	55.23	0.03	0.04	0.01	0.01	0.01	0.03
34	कानपुर (नगर)	0.61	3.06	62.66	55.53	36.57	41.30	0.03	0.05	0.01	0.00	0.12	0.07
35	खीरी	0.96	8.23	36.28	19.17	62.71	72.58	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
36	लखनऊ	0.82	4.76	57.22	46.79	41.77	48.28	0.09	0.11	0.01	0.00	0.08	0.07
37	रायबरेली	2.27	8.51	49.24	29.60	48.32	61.73	0.07	0.05	0.01	0.01	0.08	0.10
38	सीतापुर	0.94	8.24	36.21	20.47	62.77	71.26	0.02	0.01	0.02	0.00	0.05	0.02
39	उन्नाव	0.97	7.99	45.69	28.23	53.27	63.71	0.03	0.03	0.00	0.01	0.03	0.04



40	इलाहाबाद	1.09	7.12	46.85	25.49	51.95	67.34	0.05	0.03	0.00	0.00	0.06	0.02
41	आजमगढ़	0.65	8.40	48.57	27.92	50.70	63.61	0.03	0.02	0.00	0.01	0.05	0.05
42	बहराइच	0.98	10.16	33.24	14.13	65.68	75.63	0.05	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02
43	बलिया	1.34	6.51	48.79	30.52	49.77	62.85	0.02	0.02	0.00	0.01	0.08	0.09
44	बस्ती	1.34	7.22	47.55	24.67	51.03	68.05	0.03	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03
45	देवरिया	0.93	8.83	50.59	26.36	48.33	64.70	0.06	0.05	0.00	0.00	0.08	0.07
46	फैजाबाद	1.19	7.25	50.70	32.99	48.06	59.66	0.02	0.04	0.01	0.02	0.03	0.05
47	गाजीपुर	0.88	7.38	51.10	30.45	47.98	62.11	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02	0.04
48	गोण्डा	0.77	8.70	36.77	16.21	62.40	75.03	0.02	0.02	0.00	0.00	0.03	0.04
49	गोरखपुर	1.12	6.01	50.45	29.32	48.33	64.59	0.01	0.02	0.00	0.00	0.09	0.05
50	जौनपुर	1.23	8.63	53.33	30.05	45.39	61.27	0.02	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03
51	महाराजगंज	0.98	8.10	41.88	15.40	57.05	76.43	0.03	0.03	0.01	0.00	0.05	0.04
52	मऊ	0.95	6.64	52.29	35.29	46.68	58.03	0.03	0.02	0.00	0.01	0.05	0.03
53	मिर्जापुर	0.39	6.32	44.90	24.26	54.51	69.34	0.04	0.00	0.00	0.00	0.15	0.07
54	प्रतापगढ़	0.57	6.52	52.91	29.37	46.44	64.06	0.04	0.02	0.01	0.00	0.03	0.02
55	सिद्धार्थनगर	0.85	7.89	40.60	17.61	58.42	74.39	0.01	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11
56	सोनभद्र	0.87	6.17	40.06	22.97	58.98	70.79	0.03	0.01	0.00	0.00	0.06	0.06
57	सुल्तानपुर	1.21	8.50	51.95	29.10	46.72	62.29	0.05	0.04	0.01	0.00	0.06	0.08
58	वाराणसी	0.73	6.18	49.78	31.14	49.41	62.61	0.01	0.01	0.01	0.00	0.05	0.05
59	बांदा	1.45	11.05	45.21	20.81	53.21	68.09	0.01	0.00	0.01	0.00	0.11	0.05
60	हमीरपुर	1.13	8.10	48.44	27.42	50.21	64.43	0.13	0.00	0.01	0.01	0.09	0.04
61	जालौन	1.35	6.05	47.14	35.67	51.45	58.24	0.01	0.03	0.00	0.00	0.05	0.02
62	झांसी	1.02	5.72	54.58	37.06	44.29	57.17	0.01	0.01	0.01	0.01	0.09	0.03
63	ललितपुर	1.37	8.03	40.48	20.67	57.98	71.24	0.03	0.00	0.04	0.00	0.10	0.07
	<b>चू.पी.</b>	<b>0.93</b>	<b>7.60</b>	<b>47.85</b>	<b>29.70</b>	<b>51.13</b>	<b>62.64</b>	<b>0.03</b>	<b>0.02</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>0.05</b>	<b>0.04</b>

स्रोत : भारत की जनगणना 1991. तालिका बी 10 (एस)

तालिका - बी.- 39 : महिला - पुरुष अनुपात, 1991

क्रम. सं.	जिला	सभी श्रेणियाँ		एस.सी	सभी आयु एस.टी	एस.सी. + एस.टी.
		0 से 4	0 से 14			
1	वृत्त	960	976	1018	949	1017
2	चमोली	896	968	977	1062	986
3	देहरादून	951	926	851	889	865
4	गढ़वाल	982	1002	1013	744	1008
5	नैनीताल	945	935	866	944	886
6	पिथौरागढ़	953	962	956	995	961
7	टिहरी गढ़वाल	960	982	981	1312	983
8	उत्तरकाशी	974	946	944	909	943
9	हरिद्वार	943	875	843	796	843
10	आगरा	913	876	830	739	830
11	अलीगढ़	910	863	835	649	835
12	बरेली	955	878	816	750	816
13	बिजनौर	954	895	854	849	854
14	बदायूँ	930	820	800	174	800
15	बुलंदशहर	909	867	850	667	850
16	एटा	921	825	806	605	806
17	इटावा	917	874	804	154	803
18	फर्रुखाबाद	947	875	814	701	814
19	फिरोजाबाद	904	836	813	690	813
20	गाजियाबाद	903	868	840	520	840
21	मैनपुरी	908	845	817	571	817
22	मथुरा	902	839	814	700	814
23	मेरठ	899	897	841	681	841
24	मुरादाबाद	929	893	834	860	834
25	मुजफ्फरनगर	911	877	841	432	841
26	पीलीभीत	980	889	842	847	842
27	रामपुर	971	894	837	214	837
28	सहारनपुर	919	878	840	695	840
29	शाहजहांपुर	958	866	798	832	798
30	बाराबंकी	971	901	853	824	853
31	फतेहपुर	943	897	888	824	888
32	हरदोई	943	843	805	161	805
33	कानपुर(देहात)	941	906	825	923	825
34	कानपुर (नगर)	938	899	834	777	834
35	खीरी	1004	891	846	929	850
36	लखनऊ	971	902	871	801	871
37	रायबरेली	965	924	951	900	951
38	सीतापुर	980	883	833	848	833
39	उन्नाव	961	900	882	830	882
40	इलाहाबाद	957	904	895	758	895

41	आजमगढ़	971	941	1047	581	1047
42	बहराइच	982	857	823	933	825
43	बलिया	962	889	937	254	936
44	बस्ती	943	918	917	229	917
45	देवरिया	966	938	965	697	964
46	फैजाबाद	940	925	943		943
47	गाजीपुर	952	928	957	584	957
48	गोण्डा	960	870	860	890	861
49	गोरखपुर	963	928	944	584	944
50	जौनपुर	951	929	1000	926	1000
51	महाराजगंज	967	920	917	900	916
52	मऊ	965	931	984	926	984
53	मिर्जापुर	952	894	883	1107	883
54	प्रतापगढ़	967	914	1031	579	1031
55	सिद्धार्थनगर	974	897	899	1290	899
56	सोनभद्र	979	912	896	479	896
57	सुल्तानपुर	947	905	931	786	931
58	वाराणसी	961	913	893	396	893
59	बांदा	941	858	846	483	846
60	हमीरपुर	931	853	832	969	832
61	जालौन	968	828	809		809
62	झांसी	951	875	854	870	854
63	ललितपुर	942	878	877	790	877
	<b>यू.पी.</b>	<b>946</b>	<b>893</b>	<b>877</b>	<b>914</b>	<b>877</b>

स्रोत : भारत की जनगणना 1991, तालिका एस.सी -1 और एस.टी -1

तालिका-बी-40 : महिलाओं की साक्षरता दर और शैक्षिक स्तर तथा संबंधित असमानता अनुपात

Ø-1 a ftyk	7 से अधिक की साक्षरता दर				एससी और एसटी महिला		असमानता अनुपात	प्राथमिक महिला	असमानता अनुपात	मिडिल महिला	असमानता अनुपात	मैट्रिक महिला	असमानता अनुपात	स्नातक और अधिक महिला	असमानता अनुपात
	असमानता अनुपात		असमानता अनुपात		साक्षरता	अनुपात									
	1981	1991	1981	1991											
1	अर्धोड़ा	24.14	34.23	39.6	49.5	25.55	0.43	65.8	86.7	35.7	77.1	13.2	51.0	3.1	63.3
2	चमोली	22.02	30.96	40.4	49.3	27.57	0.42	68.9	95.6	31.4	73.4	12.5	52.3	2.3	42.6
3	देहरादून	49.46	71.22	59.3	76.0	29.61	0.53	77.3	97.1	56.2	95.3	37.4	91.2	13.8	107.0
4	दिल्ली गढ़वाल	32.67	45.76	49.4	59.9	32.18	0.45	71.6	91.3	38.8	74.8	16.4	53.6	3.4	56.7
5	नैनीताल	33.28	58.99	43.2	63.6	26.93	0.46	72.8	93.6	46.2	89.2	24.9	78.8	7.7	91.7
6	पिथौरागढ़	25.95	36.25	38.4	48.4	28.76	0.44	67.4	85.5	38.2	81.6	13.0	54.2	2.6	52.0
7	टिहरी गढ़वाल	11.26	18.61	26.4	36.6	12.93	0.25	62.2	85.6	35.0	78.3	14.7	57.6	2.9	50.9
8	उत्तरकाशी	10.99	20.04	23.6	34.4	14.81	0.30	67.4	85.9	40.4	84.2	18.9	68.2	4.8	81.4
9	हरिद्वार			34.9	58.7	15.70	0.31	78.4	96.4	52.9	94.3	29.2	86.6	9.9	122.2
10	आगरा	24.09	44.72	30.8	48.8	14.63	0.31	68.6	95.0	47.2	92.7	26.4	85.4	8.7	113.0
11	अलीगढ़	19.64	36.78	27.2	45.2	10.38	0.24	77.4	96.1	51.6	89.4	25.6	78.5	7.3	94.8
12	बरेली	15.33	41.69	19.9	46.0	9.24	0.26	76.2	96.2	56.5	101.6	29.7	96.7	10.2	136.0
13	बिजनौर	18.44	40.12	26.5	50.4	11.67	0.25	73.5	94.4	44.4	89.9	20.2	75.7	5.0	90.9
14	बदायूँ	9.28	33.07	12.8	37.6	5.72	0.21	74.3	94.4	49.0	94.6	22.5	84.9	5.7	118.8
15	बुलंदशहर	16.24	31.01	24.3	39.2	12.05	0.24	69.0	92.5	43.6	84.7	21.6	71.1	4.8	90.6
16	एटा	15.96	34.13	22.9	42.3	11.25	0.27	75.4	92.2	45.5	84.9	18.0	65.2	3.7	71.2
17	इटावा	29.18	49.08	38.3	57.9	23.63	0.43	75.0	94.8	43.0	78.3	17.6	58.1	3.7	57.8
18	फर्रुखाबाद	23.65	45.58	32.0	53.8	16.32	0.38	75.0	94.2	44.1	80.2	17.4	59.4	3.2	62.7
19	फिरोजाबाद			29.8	49.8	18.61	0.37	75.6	93.2	45.9	81.1	21.4	65.4	5.0	76.9
20	गाजियाबाद	25.94	43.93	38.8	56.6	23.37	0.40	73.4	93.9	51.4	88.2	30.4	79.6	10.6	102.9
21	मैनपुरी	22.54	40.71	33.0	51.3	20.35	0.39	77.5	91.8	43.7	74.1	16.8	51.2	2.9	58.0
22	मथुरा	14.99	27.44	23.0	36.7	8.89	0.18	71.7	92.3	47.1	84.4	25.5	73.5	7.2	100.0
23	मेरठ	24.62	43.68	35.6	55.2	19.17	0.34	69.0	93.8	47.3	90.8	25.8	80.9	7.6	97.4
24	मुरादाबाद	13.68	40.19	18.3	44.0	7.70	0.21	76.0	97.7	51.5	98.8	26.7	94.7	8.2	126.2
25	मुजफ्फरनगर	21.18	43.21	29.1	51.4	14.35	0.29	68.3	92.0	42.9	87.9	20.6	74.1	5.1	96.2
26	पीलीभीत	11.77	32.09	17.2	38.7	8.00	0.23	66.5	89.6	42.5	92.8	18.7	78.9	5.2	118.2
27	रामपुर	11.14	39.82	15.3	45.3	5.64	0.19	73.7	93.8	51.4	101.0	25.2	95.8	7.7	126.2
28	सहारनपुर	21.96	46.38	28.1	52.2	12.78	0.27	70.8	91.2	44.6	88.0	22.0	73.6	6.4	94.1
29	शाहजहाँपुर	13.33	36.63	18.6	43.6	7.89	0.26	73.9	92.6	46.0	94.7	19.6	81.7	4.7	120.5
30	बाराबंकी	8.72	25.29	15.4	35.8	5.11	0.20	64.8	90.3	36.9	81.8	16.7	64.7	3.3	76.7
31	फतेहपुर	15.88	33.90	27.2	45.4	10.27	0.25	61.4	87.2	34.0	78.3	12.8	54.2	2.2	50.0
32	हरदोई	11.78	29.55	19.8	40.1	7.31	0.20	69.9	92.2	39.6	86.8	17.0	69.7	2.9	67.4
33	कानपुर (देहात)	38.50	61.04	35.9	57.1	17.55	0.37	73.9	91.5	44.5	79.7	17.8	58.6	2.2	46.8
34	कानपुर (नगर)	38.50	61.04	58.8	76.7	36.45	0.60	79.0	96.1	57.1	87.6	37.4	82.0	11.7	80.1
35	खीरी	9.40	29.72	16.4	40.4	5.55	0.20	68.9	91.7	40.4	90.0	16.9	74.4	3.7	80.4
36	लखनऊ	35.15	61.15	46.9	70.5	16.58	0.39	78.5	96.3	59.4	95.0	39.9	91.3	15.6	92.3

37	रायबरेली	12.75	29.66	21.0	39.4	6.84	0.21	68.2	90.9	39.7	85.7	17.6	69.8	3.6	81.8
38	सीतापुर	10.27	29.49	16.9	39.2	5.92	0.20	64.6	91.6	38.5	89.1	17.8	75.7	4.0	90.9
39	उन्नाव	14.97	33.80	23.6	45.7	9.54	0.26	68.5	91.0	40.8	86.3	17.9	69.9	3.4	66.7
40	इलाहाबाद	15.79	30.88	23.5	39.8	6.82	0.20	68.7	92.0	45.0	82.9	26.9	73.7	8.1	78.6
41	आजमगढ़	15.10	31.00	22.7	40.5	8.80	0.21	62.5	87.4	33.6	73.8	13.9	51.5	2.1	41.2
42	बहराइच	6.55	22.07	10.7	30.1	2.26	0.09	64.2	92.0	35.9	91.6	17.3	81.6	3.6	90.0
43	बलिया	17.45	33.58	26.1	42.9	11.82	0.24	72.8	95.2	41.5	73.3	21.4	59.0	2.9	46.0
44	बस्ती	9.72	24.82	17.8	34.4	6.34	0.17	65.0	91.8	35.5	78.9	15.2	59.6	2.6	54.2
45	देवरिया	11.25	23.99	18.8	34.0	7.43	0.19	66.8	91.9	37.7	76.9	19.3	62.5	2.5	43.9
46	फैजाबाद	14.69	31.45	23.0	41.4	8.23	0.22	68.4	90.6	38.3	77.5	17.0	58.2	3.7	56.1
47	गाजीपुर	34.36	205.82	24.4	39.9	10.62	0.22	67.2	94.9	37.3	74.0	17.2	56.0	2.4	43.6
48	गोण्डा	6.69	21.01	12.6	31.5	2.69	0.11	63.3	88.5	35.9	82.9	16.1	66.3	3.4	79.1
49	गोरखपुर	12.68	27.83	24.5	40.4	8.93	0.20	71.7	96.8	45.5	86.7	24.5	76.6	6.1	81.3
50	जौनपुर	13.49	25.38	22.4	36.0	9.31	0.21	62.0	90.2	32.5	71.4	14.2	51.3	2.3	37.1
51	महराजगंज	12.68	27.83	10.3	22.5	3.42	0.10	68.2	91.9	35.7	77.9	14.9	58.2	1.9	47.5
52	मऊ			27.9	47.0	14.11	0.30	66.3	91.6	40.3	82.8	21.2	69.5	5.1	121.4
53	मिर्जापुर	13.14	30.48	22.3	40.8	4.60	0.16	70.9	85.5	40.1	69.5	21.5	54.7	5.5	34.4
54	प्रतापगढ़	10.65	21.87	20.5	34.0	6.80	0.18	64.0	85.9	34.9	72.4	13.9	49.1	1.9	34.5
55	सिद्धार्थ नगर	9.72	24.82	11.8	28.9	2.95	0.10	66.0	88.8	30.9	74.1	11.0	48.0	1.3	37.1
56	सोनभद्र	13.14	30.48	18.7	39.3	3.47	0.15	67.2	90.6	38.4	81.0	19.7	67.7	5.1	82.3
57	सुल्तानपुर	11.30	25.84	20.8	37.5	5.62	0.17	65.5	89.5	34.4	76.6	12.5	51.4	2.4	46.2
58	वाराणसी	20.18	35.60	28.9	44.9	9.42	0.21	66.1	91.2	39.1	77.9	21.4	65.2	5.6	68.3
59	बांदा	10.65	24.12	16.4	31.8	17.95	0.33	67.2	91.1	37.8	80.4	16.0	61.3	3.5	63.6
60	हमीरपुर	14.18	29.79	20.9	37.9	17.48	0.31	81.4	94.4	41.7	79.0	16.2	57.9	3.4	60.7
61	जौनपुर	23.24	38.30	31.6	47.7	7.78	0.19	81.6	98.2	42.0	76.8	18.6	58.3	3.8	60.3
62	झांसी	25.99	42.22	33.8	50.6	4.67	0.15	74.7	93.4	48.8	90.7	25.3	80.6	7.6	90.5
63	ललितपुर	12.39	32.08	16.6	36.7	5.17	0.20	80.4	95.9	44.8	95.3	20.0	87.3	5.5	103.8
	<b>मि</b>	<b>17.20</b>	<b>36.24</b>	<b>25.3</b>	<b>45.4</b>	<b>10.78</b>	<b>0.26</b>	<b>70.9</b>	<b>93.3</b>	<b>43.9</b>	<b>145.4</b>	<b>22.1</b>	<b>73.2</b>	<b>5.8</b>	<b>85.3</b>

स्रोत : उत्तर प्रदेश जिला साक्षरता प्रोफाइल 1991, भारत की जनगणना, पृष्ठ 78-86  
विभिन्न स्तरों तक शिक्षितों का %, वही, पृष्ठ 88-97.

तालिका - बी - 41 : जिला स्तर पर लिंगानुसार बाल मृत्यु दर सूचकों का अनुमान

क्रम सं.	जिला	महिला				पुरुष बाल मृत्यु दर के % के बतौर संख्या			
		1981	1991	1981	1991	1981	1991	1981	1991
1	अमोड़ा	84	42	132	81	106.33	113.51	105.60	94.19
2	चमोली	117	61	156	80	70.06	85.92	104.70	95.24
3	देहरादून	66	51	95	69	61.11	92.73	97.94	85.19
4	गढ़वाल	95	71	124	89	102.15	105.97	93.94	97.80
5	नैनीताल	90	74	143	111	72.00	89.16	104.38	100.91
6	पिथौरागढ़	111	72	152	94	84.09	91.14	120.63	82.46
7	टिहरी गढ़वाल	107	74	153	104	68.59	110.45	104.08	116.85
8	उत्तरकाशी	138	86	149	142	146.81	91.49	102.05	100.00
9	हरिद्वार	112	77	160	105	72.73	104.05	121.21	122.09
10	आगरा	106	65	212	106	86.89	122.64	144.22	143.24
11	अलीगढ़	133	114	239	143	106.40	116.33	129.19	124.35
12	बरेली	144	118	219	147	98.63	108.26	121.67	113.08
13	बिजनौर	139	91	199	121	77.22	83.49	124.38	103.42
14	बदायूँ	161	141	292	192	81.31	94.63	133.33	114.29
15	बुलंदशहर	136	102	212	121	113.33	141.67	131.68	119.80
16	एटा	178	147	255	179	109.88	124.58	141.67	122.60
17	इटावा	107	87	226	154	84.25	107.41	132.94	112.41
18	फर्रुखाबाद	140	84	215	135	98.59	135.48	125.00	107.14
19	फिरोजाबाद	106	119	212	172	86.89	114.42	144.22	147.01
20	गाजियाबाद	112	64	185	71	95.73	101.59	135.04	95.95
21	मैनपुरी	122	110	241	152	100.83	117.02	140.12	125.62
22	मथुरा	139	73	233	132	131.13	119.67	141.21	141.94
23	मेरठ	116	55	178	91	87.22	117.02	128.06	85.05
24	मुरादाबाद	145	75	224	139	97.97	74.26	127.27	114.88
25	मुजफ्फरनगर	125	116	180	140	93.98	148.72	125.87	112.90
26	पीलीभीत	151	127	211	144	105.59	127.00	108.76	109.92
27	रामपुर	163	134	215	150	117.27	159.52	125.73	120.97
28	सहारनपुर	112	55	160	107	72.73	83.33	121.21	105.94
29	शाहजहाँपुर	175	141	256	176	110.06	119.49	117.43	112.82
30	बाराबंकी	144	106	219	136	113.39	135.90	112.31	112.40
31	फतेहपुर	111	99	235	176	100.00	77.95	109.81	118.12
32	हरदोई	160	121	273	199	86.02	86.43	119.74	111.80
33	कानपुर देहात	122	78	241	148	100.83	91.76	140.12	127.59
34	कानपुर नगर	90	74	161	115	98.90	96.10	114.18	107.48
35	खीरी	114	71	201	121	95.80	79.78	121.08	91.67
36	लखनऊ	109	85	161	102	117.20	103.66	108.05	98.08
37	रायबरेली	175	109	244	168	103.55	104.81	105.63	105.66
38	सीतापुर	148	97	237	150	106.47	78.86	119.10	111.94
39	उन्नाव	158	99	225	156	111.27	104.21	113.07	112.23
40	इलाहाबाद	113	108	208	157	105.61	97.30	114.92	119.85
41	आजमगढ़	104	87	165	131	90.43	89.69	107.84	109.17
42	बहराइच	154	148	243	189	105.48	132.14	121.50	116.67



43	बलिया	70	41	118	64	106.06	113.89	112.38	110.34
44	बस्ती	161	141	275	202	96.41	107.63	118.03	97.58
45	देवरिया	115	93	182	129	93.50	104.49	105.81	122.86
46	फैजाबाद	144	79	219	116	113.39	89.77	112.31	110.48
47	गाजीपुर	113	68	164	83	102.73	133.33	111.56	110.67
48	गोण्डा	157	138	265	180	100.00	121.05	122.12	133.33
49	गोरखपुर	117	59	201	103	90.00	93.65	109.24	113.19
50	जौनपुर	121	88	201	134	104.31	114.29	117.54	117.54
51	महराजगंज	117	128	201	165	90.00	145.45	109.24	114.58
52	मऊ	104	41	165	96	90.43	77.36	107.84	97.96
53	मिर्जापुर	96	84	178	153	84.96	100.00	115.58	123.39
54	प्रतापगढ़	127	105	219	159	90.07	89.74	114.06	116.91
55	सिद्धार्थनगर	161	63	275	179	96.41	58.33	118.03	129.71
56	सोनभद्र	96	88	178	124	84.96	122.22	115.58	115.89
57	सुल्तानपुर	160	96	241	164	112.68	100.00	112.62	133.33
58	वाराणसी	97	83	155	112	102.11	118.57	116.54	104.67
59	बांदा	90	102	203	158	85.71	90.27	118.71	117.04
60	हमीरपुर	120	111	248	172	91.60	111.00	135.52	130.30
61	जालौन	111	94	215	153	94.07	118.99	132.72	123.39
62	झांसी	122	111	214	134	103.39	113.27	132.10	114.53
63	ललितपुर	134	118	254	176	94.37	135.63	123.30	124.82
	<b>म-ि</b>	<b>128</b>	<b>104</b>	<b>208</b>	<b>132</b>	<b>97.71</b>	<b>106.12</b>	<b>119.54</b>	<b>97.78</b>

स्रोत : 1991 में प्रजनन दर और बाल मृत्यु दर के जिला स्तरीय अनुमान तथा अन्य चरों के साथ उनके संबंध, ओकेजनल पेपर नं. 1(1997), आरजी, नई दिल्ली, पृष्ठ (140 -143)

तालिका -बी-42 : आर्थिक गतिविधि एवं लड़कियों और स्कूल जाने वाली लड़कियाँ, 1991

क्रम	जिला	5 से 9		स्कूल जाने वाली		केवल कार्यरत		बेघर बच्चे	
		महिला	असमानता अनुपात	10 से 14 महिला	असमानता अनुपात	महिला	असमानता अनुपात	महिला	असमानता अनुपात
1	अल्मोड़ा	43.76	84.33	66.55	72.87	7.68	437.47	37.61	138.32
2	चमोली	37.23	77.75	66.58	75.61	6.60	432.04	42.64	138.93
3	देहरादून	53.57	91.85	72.83	89.09	3.54	104.06	33.47	126.05
4	दिल्ली गढ़वाल	48.71	92.43	81.63	87.91	2.99	246.64	31.74	122.69
5	नैनीताल	37.24	82.96	56.60	76.71	4.54	86.61	49.07	137.70
6	पिथौरागढ़	37.81	80.44	60.46	67.17	8.42	545.26	43.17	137.93
7	टिहरी गढ़वाल	32.98	72.06	53.80	60.97	9.03	431.04	48.06	150.87
8	उत्तरकाशी	25.41	65.39	48.23	57.22	11.40	360.16	53.05	142.00
9	हरिद्वार	29.44	78.82	44.37	69.11	0.90	16.91	62.63	141.68
10	आगरा	20.43	72.15	38.11	61.36	0.62	15.96	70.81	136.32
11	अलीगढ़	20.23	70.53	38.73	61.50	2.32	59.18	68.99	134.56
12	बरेली	15.23	67.01	25.22	57.53	0.70	11.64	79.58	129.63
13	बिजनौर	20.53	71.39	33.71	59.16	0.81	16.60	72.45	137.27
14	बदायूँ	8.97	53.28	17.56	45.20	0.83	10.58	86.38	133.18
15	बुलंदशहर	21.81	67.02	37.60	56.24	1.28	37.39	69.54	146.07
16	एटा	17.18	68.07	34.24	55.86	1.39	30.11	73.78	139.74
17	इटवा	26.03	87.28	53.54	75.90	0.23	7.59	61.05	127.21
18	फर्रुखाबाद	21.79	80.92	44.43	72.92	1.21	28.15	66.89	125.79
19	फिरोजाबाद	23.55	78.19	44.08	64.76	0.38	10.61	66.70	139.05
20	गाजियाबाद	30.48	82.42	53.30	74.89	1.63	48.69	57.26	131.85
21	मैनपुरी	24.31	80.25	51.27	70.75	0.26	10.41	63.59	134.21
22	मथुरा	20.18	59.86	35.69	49.95	0.97	30.93	71.80	159.76
23	मेरठ	28.20	81.47	47.61	71.50	1.78	37.14	60.85	134.19
24	मुरादाबाद	13.20	66.51	23.14	54.40	1.04	16.03	81.20	128.62
25	मुजफ्फरनगर	26.90	73.41	41.32	64.90	3.11	40.96	63.13	147.56
26	पीलीभीत	13.33	57.98	23.61	50.14	0.88	15.63	81.39	134.81
27	रामपुर	10.91	61.06	19.39	51.41	1.53	17.15	83.59	131.12
28	सहारनपुर	23.12	76.00	37.24	63.81	1.15	18.22	69.09	138.59
29	शाहजहाँपुर	13.62	60.56	24.50	52.67	0.57	8.41	80.96	136.89
30	बाराबंकी	15.34	65.77	27.23	55.31	2.30	36.66	77.17	132.14
31	फतेहपुर	26.73	72.11	42.15	60.02	3.95	85.59	62.43	144.59
32	हरदोई	15.48	61.38	28.06	53.20	0.88	15.77	78.29	139.38
33	कानपुर (देहात)	26.90	79.72	52.57	74.65	0.57	17.37	60.89	132.90
34	कानपुर (नगर)	40.48	90.97	67.79	89.64	0.20	9.97	45.65	122.37
35	खीरी	11.80	55.41	22.66	50.33	0.65	8.51	82.91	138.93
36	लखनऊ	34.43	85.00	58.94	85.18	1.11	29.92	52.85	126.95
37	रायबरेली	21.83	67.69	36.89	55.93	3.44	84.65	67.95	141.70
38	सीतापुर	12.46	62.47	24.03	56.78	0.73	10.61	81.90	130.60

39	उन्नाव	21.40	72.73	36.02	59.79	2.01	40.16	70.01	137.34
40	इलाहाबाद	19.14	60.93	34.91	53.45	3.74	90.05	70.24	143.12
41	आजमगढ़	19.93	67.05	36.48	51.51	2.95	84.87	69.74	144.37
42	बहराइच	11.19	53.09	17.30	40.65	3.58	38.16	82.69	139.12
43	बलिया	20.71	68.73	42.06	59.92	2.22	75.19	67.75	139.22
44	बस्ती	15.01	58.49	26.87	46.32	2.57	64.35	77.15	138.67
45	देवरिया	18.85	59.66	32.87	48.28	3.40	86.05	71.48	148.33
46	फैजाबाद	22.24	71.88	39.88	59.54	2.23	65.93	67.50	137.76
47	गाजीपुर	19.14	66.32	38.13	54.33	2.22	87.43	70.39	138.72
48	गोण्डा	12.03	53.41	20.71	42.81	3.37	46.02	80.90	138.71
49	गोरखपुर	19.14	64.96	36.15	55.43	1.66	71.02	71.45	137.71
50	जौनपुर	18.80	62.15	35.63	50.15	2.06	80.10	71.85	145.51
51	महराजगंज	11.58	44.95	17.47	31.68	4.59	82.53	81.27	146.65
52	मऊ	25.36	74.40	44.98	61.60	4.22	113.80	61.77	137.12
53	मिर्जापुर	16.61	60.24	33.08	54.27	3.63	59.29	73.03	141.99
54	प्रतापगढ़	20.73	66.27	36.65	50.22	2.51	100.14	69.57	149.16
55	सिद्धार्थनगर	12.87	51.13	20.32	39.22	3.60	66.47	80.29	139.56
56	सोनभद्र	16.67	66.64	28.67	53.63	6.42	92.91	72.05	129.51
57	सुल्तानपुर	21.01	64.51	35.99	52.03	2.21	66.89	69.97	148.20
58	वाराणसी	21.34	67.48	40.15	59.06	2.92	60.88	67.73	142.53
59	बांदा	14.92	52.03	24.80	42.69	8.57	113.90	72.32	143.12
60	हमीरपुर	17.06	60.52	34.35	51.53	4.09	90.44	71.38	144.38
61	जालौन	24.52	87.57	52.27	71.99	2.54	50.95	60.86	128.38
62	झांसी	26.05	72.86	49.77	69.35	2.26	66.75	61.18	139.84
63	ललितपुर	13.45	58.26	26.58	47.70	4.62	99.30	76.60	132.72
	<b>म-ि-ः</b>	<b>20.58</b>	<b>69.50</b>	<b>37.14</b>	<b>59.99</b>	<b>2.34</b>	<b>49.45</b>	<b>69.66</b>	<b>137.58</b>
<b>1991 प्रशासनिक सीमाएँ</b>									
1	उत्तराखण्ड	41.15	83.64	64.37	76.44	5.91	200.10	41.84	136.17
2	पश्चिमी	20.32	72.47	36.40	62.42	1.22	23.85	71.08	135.39
3	मध्य	22.03	73.21	39.96	67.30	1.52	30.35	68.41	134.28
4	पूर्वी	18.27	62.94	33.30	52.21	3.01	69.09	72.15	141.62
5	बुन्देलखण्ड	19.12	65.51	37.27	57.17	4.80	91.21	68.29	138.96
<b>2001 प्रशासनिक सीमाएँ</b>									
	पश्चिमी(हरिद्वार रहित)	20.12	72.28	36.22	62.25	1.23	24.01	71.27	135.27
	उत्तरांचल (हरिद्वार सहित)	39.34	83.40	61.37	75.94	5.15	153.12	45.01	136.30
	<b>म-ि-ः (उत्तरांचल रहित)</b>	<b>19.63</b>	<b>—</b>	<b>35.75</b>	<b>—</b>	<b>2.19</b>	<b>45.62</b>	<b>70.98</b>	<b>137.84</b>

स्रोत : भारत की जनगणना, 1991 तालिका सी -4

तालिका-बी-43 : मुख्य मजदूरों में क्षेत्र और लिंगानुसार कार्य भागीदारी दर, 1991

क्रम	जिला	कुल	असमानता अनुपात	ग्रामीण	असमानता अनुपात	शहरी	असमानता अनुपात
1	अयोध्या	40.22	92.50	40.56	98.34	35.18	20.49
2	चमोली	42.30	88.93	42.52	95.05	40.15	32.37
3	देहरादून	32.42	21.32	34.91	29.85	29.96	12.32
4	दिल्ली गढ़वाल	31.91	58.15	31.74	65.77	33.23	12.15
5	नैनीताल	32.35	23.90	34.28	31.02	28.38	8.27
6	पिथौरागढ़	41.04	80.16	41.88	84.09	30.48	24.32
7	टिहरी गढ़वाल	39.59	84.62	39.60	89.86	39.53	13.01
8	उत्तरकाशी	47.97	88.76	49.02	92.89	34.42	23.71
9	हरिद्वार	28.90	5.74	29.58	4.90	27.38	7.82
10	आगरा	27.42	4.65	27.69	3.80	27.02	5.91
11	अलीगढ़	27.38	6.30	27.96	6.17	25.67	6.81
12	बरेली	28.72	2.71	29.78	1.80	26.56	4.75
13	बिजनौर	27.59	4.24	28.17	4.18	25.88	4.47
14	बदायूँ	30.56	2.92	31.38	2.64	26.74	4.36
15	बुलंदशहर	26.61	5.80	26.87	5.89	25.60	5.47
16	एटा	28.50	3.40	29.09	3.05	25.58	5.44
17	इटावा	27.34	3.24	27.71	2.81	25.39	5.70
18	फर्रुखाबाद	29.09	5.59	29.30	4.13	28.19	12.32
19	फिरोजाबाद	27.15	3.20	27.50	2.40	26.19	5.53
20	गाजियाबाद	27.23	5.89	26.95	4.82	27.55	7.14
21	मैनपुरी	27.31	2.24	27.71	1.93	24.69	4.55
22	मथुरा	27.83	6.81	28.35	6.75	26.13	7.00
23	मेरठ	28.39	7.98	29.24	8.74	26.94	6.67
24	मुरादाबाद	28.13	4.73	28.60	3.94	26.91	6.95
25	मुजफ्फरनगर	29.96	10.62	30.88	11.73	27.12	7.05
26	पीलीभीत	28.93	3.46	29.43	3.11	26.73	5.21
27	रामपुर	29.29	4.46	29.78	3.68	27.91	6.83
28	सहारनपुर	28.94	4.76	29.64	4.69	26.93	4.93
29	शाहजहाँपुर	30.95	2.47	32.12	2.04	26.45	4.39
30	बाराबंकी	33.87	16.24	34.43	16.57	28.41	12.65
31	फतेहपुर	32.21	22.57	32.84	23.84	26.45	9.48
32	हरदोई	31.04	5.50	31.61	5.43	26.74	6.11
33	कानपुर देहात	29.10	8.62	29.25	8.73	26.67	6.91
34	कानपुर नगर	26.50	6.22	30.09	8.75	25.82	5.67
35	खीरी	31.15	4.24	31.62	5.18	27.21	6.49
36	लखनऊ	28.67	12.19	32.20	14.47	26.57	10.64
37	रायबरेली	31.50	21.91	32.05	23.02	26.01	8.66
38	सीतापुर	31.38	5.34	32.01	5.18	26.75	6.70
39	उन्नाव	30.81	11.35	31.47	11.96	26.66	6.99

40	इलाहाबाद	31.55	30.93	33.18	35.21	25.34	11.35
41	आजमगढ़	26.09	19.35	26.16	19.64	25.25	15.16
42	बहराइच	32.98	9.08	33.51	9.23	26.72	6.97
43	बलिया	26.70	21.08	27.03	11.46	23.71	10.50
44	बस्ती	29.62	16.87	29.92	17.20	25.21	10.92
45	देवरिया	27.52	19.19	27.80	19.91	24.09	8.58
46	फैजाबाद	29.80	17.96	30.16	18.98	27.11	9.30
47	गाजीपुर	27.01	21.84	27.33	22.61	23.00	10.49
48	गोण्डा	33.03	16.32	33.63	16.86	25.59	7.85
49	गोरखपुर	27.06	19.06	27.80	21.03	23.88	9.06
50	जौनपुर	25.46	19.13	25.61	19.78	23.49	9.25
51	महाराजगंज	34.08	28.66	34.47	29.49	26.57	10.28
52	मऊ	27.83	25.10	27.90	24.80	27.49	26.78
53	मिर्जापुर	32.17	27.56	33.01	30.04	26.96	10.75
54	प्रतापगढ़	29.07	27.58	29.28	28.46	25.45	10.78
55	सिद्धार्थनगर	32.64	21.80	32.87	22.27	26.24	6.72
56	सोनभद्र	38.20	39.99	39.75	44.13	28.17	5.97
57	सुल्तानपुर	29.44	18.40	29.59	18.74	26.19	10.12
58	वाराणसी	28.82	20.80	29.71	24.40	26.44	10.53
59	बांदा	36.00	34.47	37.18	37.16	27.99	13.62
60	हमीरपुर	33.26	23.79	34.39	25.62	27.84	14.12
61	जालौन	29.64	12.73	30.70	22.98	25.91	7.20
62	झांसी	30.14	19.11	32.80	22.62	26.09	13.10
63	ललितपुर	32.73	18.44	33.74	19.19	26.53	13.15
	<b>म-1</b>	<b>29.73</b>	<b>15.11</b>	<b>30.52</b>	<b>16.69</b>	<b>26.56</b>	<b>8.12</b>
<b>1991 प्रशासनिक सीमाएँ</b>							
1	उत्तराखंड	36.40	55.05	36.71	66.78	32.88	36.89
2	पश्चिमी	28.34	5.03	28.93	4.63	26.70	7.87
3	मध्य	30.59	11.01	31.90	11.86	26.41	7.87
4	पूर्वी	29.52	19.36	30.03	20.68	25.59	10.73
5	बुंदेलखंड	32.63	23.27	31.29	25.90	23.94	12.25

स्रोत : भारत की जनगणना, 1991 तालिका बी -1(एस)

तालिका -बी -44 : गैर कृषि मजदूरों में 0-4 पेशागत श्रेणियों ( सफेद कालर कर्मचारी ) के रोजगार 1991

क्रम	जिला	मुख्य और सीमांत मजदूर (ग्रामीण और शहरी)			%	
		कुल	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	अर्धमोड़ा	32592	29381	3211	90.15	9.85
2	चमोली	19759	18303	1456	92.63	7.37
3	देहरादून	97049	84997	12052	87.58	12.42
4	गढ़वाल	31189	28453	2736	91.23	8.77
5	नैनीताल	81161	74291	6870	91.54	8.46
6	पिथौरागढ़	22185	19990	2195	90.11	9.89
7	टिहरी गढ़वाल	21144	19574	1570	92.57	7.43
8	उत्तरकाशी	10202	9297	905	91.13	8.87
9	हरिद्वार	60182	55502	4680	92.22	7.78
10	आगरा	139440	132737	6703	95.19	4.81
11	अलीगढ़	124843	117968	6875	94.49	5.51
12	बरेली	96564	92158	4406	95.44	4.56
13	बिजनौर	84504	80197	4307	94.9	5.1
14	बदायूँ	54267	50844	3423	93.69	6.31
15	बुलंदशहर	90049	86494	3555	96.05	3.95
16	एटा	58596	56119	2477	95.77	4.23
17	इटावा	63538	60760	2778	95.63	4.37
18	फर्रुखाबाद	66560	62168	4392	93.4	6.6
19	फिरोजाबाद	54317	52195	2122	96.09	3.91
20	गाजियाबाद	150202	140465	9737	93.52	6.48
21	मैनपुरी	32219	30656	1563	95.15	4.85
22	मथुरा	75870	72107	3763	95.04	4.96
23	मेरठ	166038	155729	10309	93.79	6.21
24	मुरादाबाद	129141	122232	6909	94.65	5.35
25	मुजफ्फरनगर	102796	97315	5481	94.67	5.33
26	पीलीभीत	33173	31380	1793	94.6	5.4
27	रामपुर	39279	37103	2176	94.46	5.54
28	सहारनपुर	98235	93133	5102	94.81	5.19
29	शाहजहाँपुर	48869	46376	2493	94.9	5.1
30	बाराबंकी	47053	44590	2463	94.77	5.23
31	फतेहपुर	50854	48027	2827	94.44	5.56
32	हरदोई	61609	57397	4212	93.16	6.84
33	कानपुर (देहात)	48324	46243	2081	95.69	4.31
34	कानपुर (नगर)	235642	223284	12358	94.76	5.24
35	खीरी	44099	42140	1959	95.56	4.44
36	लखनऊ	244289	220678	23611	90.33	9.67
37	रायबरेली	58398	54155	4243	92.73	7.27
38	सीतापुर	62762	59175	3587	94.28	5.72
39	उन्नाव	51328	48567	2761	94.62	5.38



40	इलाहाबाद	201533	188194	13339	93.38	6.62
41	आजमगढ़	66913	62234	4679	93.01	6.99
42	बहराइच	54348	50888	3460	93.63	6.37
43	बलिया	60284	56256	4028	93.32	6.68
44	बस्ती	52817	49937	2880	94.55	5.45
45	देवरिया	100560	95016	5544	94.49	5.51
46	फैजाबाद	75670	70389	5281	93.02	6.98
47	गाजीपुर	62030	57860	4170	93.28	6.72
48	गोण्डा	66252	62516	3736	94.36	5.64
49	गोरखपुर	105953	99385	6568	93.8	6.2
50	जौनपुर	81656	76605	5051	93.81	6.19
51	महाराजगंज	33558	31657	1901	94.34	5.66
52	मऊ	38852	35496	3356	91.36	8.64
53	मिर्जापुर	50772	46413	4359	91.41	8.59
54	प्रतापगढ़	51182	47380	3802	92.57	7.43
55	सिद्धार्थनगर	27887	26152	1735	93.78	6.22
56	सोनभद्र	31339	29217	2122	93.23	6.77
57	सुल्तानपुर	55318	50977	4341	92.15	7.85
58	वाराणसी	196969	184581	12388	93.71	6.29
59	बांदा	43221	40081	3140	92.74	7.26
60	हमीरपुर	38425	35007	3418	91.1	8.9
61	जालौन	39257	37309	1948	95.04	4.96
62	झांसी	62663	57100	5563	91.12	8.88
63	ललितपुर	19190	17295	1895	90.13	9.87
	<b>म-17</b>	<b>876242</b>	<b>814655</b>	<b>61587</b>		
<b>प्रशासनिक सीमाएं</b>						
1	उत्तराखण्ड	315281	284286	30995		
2	पश्चिमी	1768682	1673638	95044		
3	मध्य	904358	844256	60102		
4	पूर्वी	1413893	1321153	92740		
5	बुंदेलखण्ड	202756	186792	15964		

स्रोत : भारत की जनगणना, 1991,तालिका बी-19 (एफ), बी-21 (एफ) भाग ए और बी

तालिका-बी-45 : संगठित क्षेत्र में रोजगार, 1998

क्रम	जिला	सभी कर्मचारी			महिला कर्मचारी			सभी कर्मचारियों में महिलाओं का %		
		सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	संगठित क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	संगठित क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	संगठित क्षेत्र
1	अयोध्या	25035	2100	27135	3452	228	3680	13.79	10.86	13.56
2	बागेश्वर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	चमोली	13521	261	13782	1774	97	1871	13.12	37.16	13.58
4	चम्पावत	59673	9927	69600	6536	2466	9002	10.95	24.84	12.93
5	देहरादून	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	दिल्ली गढ़वाल	20367	1500	21867	3815	130	3945	18.73	8.67	18.04
7	नैनीताल	46748	18027	64775	5754	1687	7441	12.31	9.36	11.49
8	पिथौरागढ़	17386	870	18256	2143	32	2175	12.33	3.68	11.91
9	रुद्रप्रयाग	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	टिहरी गढ़वाल	14055	479	14534	1241	23	1264	8.83	4.8	8.7
11	उद्यमसिंह नगर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	उत्तरकाशी	9984	212	10196	1174	27	1201	11.76	12.74	11.78
13	हरिद्वार	29055	4038	33093	1840	114	1954	6.33	2.82	5.9
14	आगरा	52938	14567	67505	4638	2406	7044	8.76	16.52	10.43
15	अलीगढ़	41134	15402	56536	3171	1786	4957	7.71	11.6	8.77
16	औरैया	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	बागपत	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	बरेली	57376	11685	69061	5037	1163	6200	8.78	9.95	8.98
19	बिजनौर	26163	8286	34449	2444	510	2954	9.34	6.15	8.57
20	बदायूँ	19182	2467	21649	2583	377	2960	13.47	15.28	13.67
21	बुलंदशहर	27800	14940	42740	2100	915	3015	7.55	6.12	7.05
22	एटा	19061	3424	22485	2034	164	2198	10.67	4.79	9.78
23	इटावा	22217	4704	26921	2578	467	3045	11.6	9.93	11.31
24	फर्रुखाबाद	20329	5888	26217	2522	525	3047	12.41	8.92	11.62
25	फिरोजाबाद	9593	6386	15979	1058	437	1495	11.03	6.84	9.36
26	गौतमबुद्धनगर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	गाजियाबाद	42834	77957	120791	3961	8851	12812	9.25	11.35	10.61
28	हाथरस	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ज्योतिबा फाले नगर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	कन्नौज	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	मैनपुरी	11879	1950	13829	1508	141	1649	12.69	7.23	11.92
32	मथुरा	24065	9417	33482	2417	876	3293	10.04	9.3	9.84
33	मेरठ	53505	22809	76314	5308	2555	7863	9.92	11.2	10.3
34	मुरादाबाद	68269	12084	80353	4969	1566	6535	7.28	12.96	8.13
35	मुजफ्फरनगर	23173	11784	34957	2358	982	3340	10.18	8.33	9.55
36	पीलीभीत	12980	1589	14569	1539	232	1771	11.86	14.6	12.16
37	रामपुर	17394	3939	21333	1706	440	2146	9.81	11.17	10.06
38	सहारनपुर	25146	11343	36489	2553	813	3366	10.15	7.17	9.22
39	शाहजहाँपुर	23504	4807	28311	2623	398	3021	11.16	8.28	10.67
40	बाराबंकी	20001	3227	23228	2188	202	2390	10.94	6.26	10.29
41	फतेहपुर	16570	3058	19628	1543	199	1742	9.31	6.51	8.88
42	हरदोई	19859	1981	21840	2394	142	2536	12.05	7.17	11.61
43	कानपुर देहात	9324	1637	10961	1556	90	1646	16.69	5.5	15.02
44	कानपुर नगर	143560	52143	195703	12727	5983	18710	8.87	11.47	9.56
45	खीरी	20528	5243	25771	1854	327	2181	9.03	6.24	8.46

46	लखनऊ	181950	19998	201948	12002	4346	16348	6.6	21.73	8.1
47	रायबरेली	32004	3410	35414	2525	231	2756	7.89	6.77	7.78
48	सीतापुर	28423	4753	33176	3013	492	3505	10.6	10.35	10.56
49	उन्नाव	15580	4336	19916	1627	270	1897	10.44	6.23	9.53
50	इलाहाबाद	135629	22575	158204	8851	3010	11861	6.53	13.33	7.5
51	अम्बेडकरनगर	6571	2475	9046	491	149	640	7.47	6.02	7.07
52	आजमगढ़	26640	4368	31008	2592	277	2869	9.73	6.34	9.25
53	बहराइच	19163	2062	21225	2197	268	2465	11.46	13	11.61
54	बलिया	21038	4747	25785	1821	271	2092	8.66	5.71	8.11
55	बलरामपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	बस्ती	24143	5575	29718	2755	237	2992	11.41	4.25	10.07
57	चन्दौली	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	देवरिया	17655	5317	22972	2427	209	2636	13.75	3.93	11.47
59	फैजाबाद	27198	3132	30330	2162	356	2518	7.95	11.37	8.3
60	गाजीपुर	23557	4473	28030	2191	158	2349	9.3	3.53	8.38
61	गोण्डा	24919	5482	30401	2568	322	2890	10.31	5.87	9.51
62	गोरखपुर	56891	11839	68730	4616	1290	5906	8.11	10.9	8.59
63	जौनपुर	24248	3550	27798	1322	165	1487	5.45	4.65	5.35
64	कौशाम्बी	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	कुशीनगर	7882	4609	12491	553	103	656	7.02	2.23	5.25
66	महाराजगंज	9726	2205	11931	819	56	875	8.42	2.54	7.33
67	मऊ	15763	2851	18614	1741	319	2060	11.04	11.19	11.07
68	मिर्जापुर	20632	2972	23604	1790	447	2237	8.68	15.04	9.48
69	प्रतापगढ़	11966	2877	14843	980	74	1054	8.19	2.57	7.1
70	सन्तकबीरनगर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	सन्त रविदासनगर	4891	1045	5936	328	50	378	6.71	4.78	6.37
72	श्रावस्ती	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	सिद्धार्थनगर	6576	1749	8325	788	30	818	11.98	1.72	9.83
74	सोनभद्र	30916	13622	44538	1507	310	1817	4.87	2.28	4.08
75	सुल्तानपुर	26947	4622	31569	2915	360	3275	10.82	7.79	10.37
76	वाराणसी	77736	23212	100948	5341	1873	7214	6.87	8.07	7.15
77	बांदा	15387	1553	16940	1570	107	1677	10.2	6.89	9.9
78	चित्रकूट	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79	हमीरपुर	9388	1007	10395	1014	41	1055	10.8	4.07	10.15
80	जालौन	13434	3438	16872	1210	238	1448	9.01	6.92	8.58
81	झांसी	70919	3936	74855	3757	866	4623	5.3	22	6.18
82	ललितपुर	9094	653	9747	1132	106	1238	12.45	16.23	12.7
83	महोबा	3624	241	3865	328	7	335	9.05	2.9	8.67
	<b>म-िः</b>	<b>2064698</b>	<b>528815</b>	<b>2593513</b>	<b>18603</b>	<b>54389</b>	<b>240420</b>	<b>9.01</b>	<b>10.29</b>	<b>9.27</b>
<b>1991 प्रशासनिक सीमाएँ</b>										
	उत्तराखण्ड	206769	33376	240145	25889	4690	30579			
	पश्चिमी	627597	249466	877063	58947	25718	84665			
	मध्य	487799	99786	587585	41429	12282	53711			
	पूर्वी	620687	135359	756046	50755	10334	61089			
	बुंदेलखण्ड	121846	10828	132674	9011	1365	10376			
<b>2001 प्रशासनिक सीमाएँ</b>										
	पश्चिमी ( हरिद्वार रहित)	598542	245428	843970	57107	25604	82711			
	उत्तरांचल (हरिद्वार सहित)	235824	37414	273238	27729	4804	32533			
	<b>म-िः (उत्तरांचल रहित)</b>	<b>1828874</b>	<b>491401</b>	<b>2320275</b>	<b>158302</b>	<b>49585</b>	<b>207887</b>			

स्रोत : रोजगार निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार

तालिका-बी-46 : चुनाव में महिलाओं की भागीदारी 1996

क्रम	जिला	महिला मतदाताओं में मतदान करने वालों का %	पुरुष मतदाताओं के मुकाबले महिला मतदाताओं का %
1	अयोध्या	31.20	69.13
2	चमोली	37.32	72.93
3	देहरादून	54.32	88.64
4	दिल्ली गढ़वाल	48.06	95.67
5	नैनीताल	54.96	73.42
6	पिथौरागढ़	35.24	65.95
7	टिहरी गढ़वाल	38.10	79.00
8	उत्तरकाशी	35.39	56.67
9	हरिद्वार	65.87	74.71
10	आगरा	37.25	64.57
11	अलीगढ़	48.74	70.41
12	बरेली	50.07	62.23
13	बिजनौर	69.83	76.53
14	बदायूँ	55.29	61.28
15	बुलंदशहर	52.30	75.05
16	एटा	47.15	54.99
17	इटावा	45.10	58.33
18	फर्रुखाबाद	54.76	81.81
19	फिरोजाबाद	46.85	52.47
20	गाजियाबाद	40.11	58.82
21	मैनपुरी	42.89	52.11
22	मथुरा	36.10	53.29
23	मेरठ	48.71	62.42
24	मुरादाबाद	60.35	65.16
25	मुजफ्फरनगर	60.08	64.21
26	पीलीभीत	54.76	62.06
27	रामपुर	59.38	66.15
28	सहारनपुर	65.76	73.66
29	शाहजहांपुर	41.11	49.52
30	बाराबंकी	51.01	64.23
31	फतेहपुर	49.82	68.80
32	हरदोई	51.64	59.05
33	कानपुर देहात	54.03	68.19
34	कानपुर नगर	44.05	62.43
35	खीरी	50.59	57.39

क्रम	जिला	महिला मतदाताओं में मतदान करने वालों का %	पुरुष मतदाताओं के मुकाबले महिला मतदाताओं का %
36	लखनऊ	41.31	64.31
37	रायबरेली	51.24	74.06
38	सीतापुर	56.09	61.50
39	उन्नाव	48.62	66.92
40	इलाहाबाद	42.22	63.10
41	आजमगढ़	53.06	83.91
42	बहराइच	55.96	81.82
43	बलिया	48.99	67.93
44	बस्ती	53.91	75.51
45	देवरिया	55.65	78.01
46	फैजाबाद	55.99	75.65
47	गाजीपुर	51.78	72.66
48	गोण्डा	48.55	67.73
49	गोरखपुर	49.80	77.49
50	जौनपुर	49.34	81.47
51	महराजगंज	60.67	80.99
52	मऊ	55.41	83.55
53	मिर्जापुर	50.10	68.78
54	प्रतापगढ़	45.35	58.97
55	सिद्धार्थनगर	54.69	81.11
56	सोनभद्र	40.14	58.42
57	सुल्तानपुर	47.37	77.76
58	वाराणसी	47.72	74.49
59	बांदा	44.42	64.51
60	हमीरपुर	43.96	61.23
61	जालौन	48.58	66.91
62	झांसी	46.02	63.56
63	ललितपुर	46.46	61.24
<b>म-11</b>			
<b>1991 प्रशासनिक सीमाएँ</b>			
1	उत्तराखण्ड	0.45	77.14
2	पश्चिमी	0.51	64.20
3	मध्य	0.49	63.92
4	पूर्वी	0.51	73.62
5	बुंदेलखण्ड	0.46	63.69

स्रोत : आम चुनावों की सांख्यिकी, 1996 से उत्तरप्रदेश विधानसभा, चुनाव आयोग।

टिप्पणी : मतदाताओं का अर्थ वास्तव में मत देने वालों की संख्या है।

तालिका - बी - 47 : रोजगार गारंटी योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इंदिरा आवास योजना  
और समन्वित ग्राम विकास योजना का प्रदर्शन (प्रतिशत महिलाएँ)

क्रम	जिला	ई.ए.एस. 1999-00	जे.जी.एस.वाई 1999-00	आई.ए.वाई 1998-99	आई.आर.डी.पी. 1998-99
1	अयोध्या	25.10	31.86	39.61	31.85
2	बागेश्वर	9.95	24.46	0.00	33.33
3	चमोली	7.40	29.56	0.00	38.59
4	चम्पावत	6.56	19.07	67.48	34.15
5	देहरादून	9.14	6.06	36.87	35.32
6	दिल्ली गढ़वाल	23.97	30.02	100.00	42.86
7	नैनीताल	9.15	16.25	78.53	38.59
8	पिथौरागढ़	29.57	12.54	77.54	41.21
9	रुद्रप्रयाग	20.91	28.46	0.00	33.04
10	टिहरी गढ़वाल	31.93	28.51	25.24	29.35
11	अधमसिंह नगर	17.87	18.64	0.00	24.75
12	उत्तरकाशी	14.44	41.91	52.96	37.16
13	हरिद्वार	30.00	30.00	68.65	33.05
14	आगरा	29.98	30.02	30.00	39.75
15	अलीगढ़	41.87	42.08	16.18	40.37
16	औरैया	0.00	5.38	0.00	37.50
17	बागपत	1.74	9.09	86.10	37.76
18	बरेली	0.00	4.65	55.76	40.03
19	बिजनौर	0.00	3.74	26.12	40.12
20	बदायूँ	5.49	15.96	100.00	40.77
21	बुलंदशहर	3.65	15.00	4.08	40.01
22	एटा	1.86	0.91	67.98	31.82
23	इटावा	0.28	1.48	0.00	45.40
24	फर्रुखाबाद	0.00	7.84	100.00	38.60
25	फिरोजाबाद	1.40	5.17	82.73	40.57
26	गौतमबुद्धनगर	29.93	30.22	32.67	35.99
27	गाजियाबाद	5.16	15.89	96.06	35.01
28	हाथरस	3.13	2.92	0.00	44.28
29	ज्योतिबापुर्नगर	0.00	0.00	23.33	40.07
30	कन्नौज	0.00	12.21	58.23	40.20
31	मैनपुरी	0.00	0.00	52.02	33.85
32	मथुरा	8.07	10.17	67.45	40.01
33	मेरठ	0.00	0.00	57.76	39.99
34	मुरादाबाद	0.00	13.90	47.72	42.67
35	मुजफ्फरनगर	9.13	31.84	99.51	41.44
36	पीलीभीत	0.61	19.86	100.00	40.06
37	रामपुर	0.00	0.00	100.00	44.42
38	सहारनपुर	0.00	1.56	87.30	42.50
39	शाहजहाँपुर	0.00	5.18	100.00	40.52
40	बाराबंकी	9.99	3.41	70.09	34.50
41	फतेहपुर	25.00	24.96	18.81	46.02
42	हरदोई	10.01	15.90	6.68	41.52
43	कानपुर देहात	16.98	28.00	44.39	42.31
44	कानपुर नगर	34.87	34.98	6.47	38.69
45	खीरी	23.17	26.61	39.22	38.50
46	लखनऊ	51.50	20.76	89.49	37.84

47	रायबरेली	10.14	10.65	73.91	37.51
48	सीतापुर	2.29	5.02	70.71	19.06
49	उन्नाव	12.41	5.12	100.00	42.80
50	इलाहाबाद	16.20	15.89	0.00	36.50
51	अम्बेडकरनगर	0.00	0.00	19.45	39.10
52	आजमगढ़	0.00	15.05	73.91	40.00
53	बहराइच	0.00	12.43	29.42	35.20
54	बलिया	23.08	25.96	31.06	38.50
55	बलरामपुर	25.70	32.99	49.49	41.05
56	बस्ती	29.97	30.06	6.70	37.21
57	चन्दौली	0.00	30.06	53.81	39.19
58	देवरिया	29.89	31.69	18.16	41.50
59	फैजाबाद	10.00	35.32	39.90	39.24
60	गाजीपुर	37.54	27.73	41.27	41.80
61	गोण्डा	13.43	35.03	67.30	43.45
62	गोरखपुर	31.99	36.91	78.97	43.50
63	जौनपुर	12.08	20.75	30.01	37.50
64	कौशाम्बी	36.93	30.93	21.41	37.40
65	कुशीनगर	0.00	0.00	84.29	40.50
66	महराजगंज	29.98	29.80	8.86	38.51
67	मऊ	30.05	30.07	51.15	34.50
68	मिर्जापुर	9.35	32.48	41.59	44.66
69	प्रतापगढ़	35.10	31.51	6.14	34.62
70	सन्तकबीरनगर	7.69	0.00	56.08	41.20
71	सन्तरविदासनगर	36.38	56.44	58.56	41.79
72	श्रावस्ती	9.88	21.45	24.69	35.39
73	सिद्धार्थनगर	0.00	32.93	51.32	38.60
74	सोनभद्र	40.02	40.02	70.93	42.49
75	सुल्तानपुर	0.00	3.61	51.55	38.41
76	वाराणसी	29.80	30.20	0.00	43.20
77	बांदा	18.42	26.90	98.32	39.62
78	चित्रकूट	37.46	28.52	99.82	44.17
79	हमीरपुर	0.00	33.89	64.42	35.28
80	जालौन	29.97	29.92	99.16	43.89
81	झांसी	40.11	32.39	100.00	38.58
82	ललितपुर	39.84	40.97	89.02	38.98
83	महोबा	30.34	30.19	99.62	40.82
	M-i	14.92	22.62	50.31	38.87
<b>1991 प्रशासनिक सीमाएँ</b>					
1	उत्तराखण्ड	18.87	28.83	37.04	36.59
2	पश्चिमी	6.76	11.99	55.90	39.81
3	मध्य	14.30	16.68	53.92	36.66
4	पूर्वी	17.99	26.33	39.69	39.65
5	बुंदेलखण्ड	28.07	33.35	93.37	37.02
<b>2001 प्रशासनिक सीमाएँ</b>					
पश्चिमी (हरिद्वार रहित)		6.15	11.52	55.49	39.78
उत्तरांचल (हरिद्वार सहित)		19.86	28.87	42.97	37.25
M-i (उत्तरांचल रहित)		14.50	21.32	50.69	38.87

स्रोत : ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार



तालिका - बी - 48 : अनुसूचित जाति ( एस.सी. ) और अनुसूचित जनजातियों ( एस.टी ) की जनसंख्या

क्रम	जिला	जनसंख्या %, 1991				
		एस.सी.	एस.टी.	कुल	एस. और एस.टी.	शहरी
1	अयोध्या	22.0	0.33	22.35	22.70	17.25
2	चमोली	17.5	2.26	19.75	19.50	22.37
3	देहरादून	13.4	8.20	21.60	31.03	12.27
4	दिल्ली गढ़वाल	13.5	0.22	13.74	14.13	10.80
5	नैनीताल	15.8	5.84	21.64	26.51	11.61
6	पिथौरागढ़	20.5	3.23	23.68	23.72	23.20
7	टिहरी गढ़वाल	14.2	0.11	14.31	14.54	10.45
8	उत्तरकाशी	22.8	0.96	23.73	24.54	13.32
9	हरिद्वार	21.6	0.18	21.76	26.71	10.71
10	आगरा	23.2	0.01	23.21	22.00	25.00
11	अलीगढ़	23.0	0.00	23.01	24.80	17.67
12	बरेली	12.7	0.02	12.68	15.44	7.01
13	बिजनौर	20.7	0.08	20.75	25.23	7.33
14	बदायूँ	17.3	0.00	17.34	18.62	11.36
15	बुलंदशहर	21.2	0.00	21.20	23.21	13.53
16	एटा	17.3	0.00	17.32	18.02	13.85
17	इटावा	25.0	0.00	25.04	26.87	15.20
18	फर्रुखाबाद	17.6	0.03	17.62	18.55	13.56
19	फिरोजाबाद	19.3	0.01	19.29	20.00	17.32
20	गाजियाबाद	17.9	0.01	17.89	19.17	16.40
21	मैनपुरी	19.3	0.00	19.29	19.81	15.90
22	मथुरा	20.2	0.01	20.24	21.95	14.71
23	मेरठ	16.6	0.00	16.64	18.14	14.09
24	मुरादाबाद	16.1	0.01	16.15	19.13	8.34
25	मुजफ्फरनगर	14.0	0.00	14.04	15.66	9.07
26	पीलीभीत	16.0	0.10	16.12	17.92	8.13
27	रामपुर	13.0	0.00	12.99	16.10	4.23
28	सहारनपुर	22.5	0.01	22.51	26.82	9.96
29	शाहजहाँपुर	18.0	0.02	18.04	20.28	9.46
30	बाराबंकी	27.0	0.01	27.03	28.93	8.40
31	फतेहपुर	24.7	0.02	24.73	25.78	15.22
32	हरदोई	31.5	0.00	31.55	34.37	10.31
33	कानपुर देहात	25.2	0.03	25.21	25.77	15.81
34	कानपुर नगर	13.5	0.04	13.59	25.91	11.28
35	खीरी	26.9	1.19	28.09	30.30	9.62
36	लखनऊ	21.9	0.04	21.92	40.69	10.73
37	रायबरेली	29.9	0.06	29.92	31.31	15.95
38	सीतापुर	32.2	0.01	32.23	35.24	10.19

39	उन्नाव	30.5	0.11	30.65	33.10	15.09
40	इलाहाबाद	24.5	0.04	24.51	27.54	12.95
41	आजमगढ़	25.6	0.01	25.61	26.63	12.46
42	बहराइच	16.5	0.34	16.80	17.73	5.86
43	बलिया	14.7	0.01	14.69	15.40	8.28
44	बस्ती	21.2	0.01	21.18	21.69	13.76
45	देवरिया	15.6	0.01	15.56	16.09	8.79
46	फैजाबाद	23.2	0.00	23.15	24.97	9.39
47	गाजीपुर	20.6	0.02	20.59	21.39	10.45
48	गोण्डा	15.6	0.43	16.00	16.78	6.20
49	गोरखपुर	22.0	0.02	22.05	24.17	12.89
50	जौनपुर	21.8	0.00	21.78	22.68	9.58
51	महराजगंज	19.4	0.16	19.56	19.86	13.83
52	मऊ	22.1	0.00	22.07	24.99	7.65
53	मिर्जापुर	25.9	0.00	25.95	27.95	13.51
54	प्रतापगढ़	21.5	0.00	21.50	22.13	10.67
55	सिद्धार्थनगर	16.7	0.00	16.69	16.92	10.50
56	सोनभद्र	42.5	0.01	42.51	47.24	11.95
57	सुल्तानपुर	22.4	0.01	22.36	22.94	10.00
58	वाराणसी	18.1	0.00	18.15	21.39	9.48
59	बांदा	23.2	0.00	23.25	24.21	16.76
60	हमीरपुर	24.9	0.00	24.89	25.73	20.90
61	जालौन	27.3	0.00	27.35	28.86	22.03
62	झांसी	28.8	0.01	28.82	32.12	23.77
63	ललितपुर	25.1	0.05	25.17	26.95	14.27
	<b>m-i</b>	<b>16.7</b>	<b>3.54</b>	<b>21.25</b>	<b>23.40</b>	<b>12.57</b>
<b>1991 प्रशासनिक सीमाएँ</b>						
1	उत्तराखंड	18.6	0.02	20.24	22.31	12.77
2	पश्चिमी	26.4	0.15	18.63	20.62	13.08
3	मध्य	20.3	0.07	26.60	31.33	11.40
4	पूर्वी	25.7	0.01	20.80	22.14	10.53
5	बुंदेलखण्ड	17.5	3.00	25.75	27.02	21.07
<b>2001 प्रशासनिक सीमाएँ</b>						
पश्चिमी ( हरिद्वार रहित)		0.0	0.00	18.56	20.49	13.15
उत्तरांचल (हरिद्वार सहित)		21.2	0.06	20.48	22.94	12.33
<b>m-i</b> (उत्तरांचल रहित)		18.5	0.01	21.29	23.43	12.58

स्रोत : भारत की जनगणना 1991, तालिका एस.सी. -1 और एस.टी. -1

तालिका-बी-49 : विभिन्न धर्मों के मतावलंबियों की संख्या, 1991

क्रम	जिला	हिन्दू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	अन्य
1	अयोध्या	99.02	0.63	0.10	0.09	0.03	0.00	0.03
2	चमोली	98.92	0.72	0.02	0.19	0.05	0.01	0.07
3	देहरादून	85.29	9.63	0.45	2.97	0.81	0.21	0.03
4	दिल्ली गढ़वाल	97.21	2.27	0.12	0.17	0.02	0.02	0.05
5	नैनीताल	75.80	15.23	0.19	8.43	0.12	0.02	0.01
6	पिथौरागढ़	99.19	0.50	0.10	0.06	0.04	0.00	0.03
7	टिहरी गढ़वाल	99.00	0.83	0.03	0.07	0.01	0.01	0.02
8	उत्तरकाशी	98.26	0.90	0.03	0.10	0.57	0.06	0.00
9	हरिद्वार	68.36	30.07	0.09	1.14	0.03	0.11	0.01
10	आगरा	86.81	10.97	0.12	0.35	1.00	0.33	0.01
11	अलीगढ़	84.90	14.63	0.04	0.16	0.10	0.06	0.01
12	बरेली	66.19	32.69	0.15	0.72	0.07	0.01	0.02
13	बिजनौर	57.83	40.35	0.04	1.55	0.11	0.04	0.00
14	बदायूँ	79.01	20.66	0.06	0.07	0.11	0.01	0.01
15	बुलंदशहर	79.91	19.79	0.01	0.11	0.10	0.03	0.01
16	एटा	87.88	11.32	0.08	0.08	0.28	0.13	0.01
17	इटावा	92.79	6.63	0.01	0.11	0.27	0.09	0.03
18	फर्रुखाबाद	85.55	14.17	0.03	0.09	0.08	0.02	0.01
19	फिरोजाबाद	88.07	10.76	0.03	0.08	0.11	0.49	0.00
20	गाजियाबाद	77.69	21.16	0.11	0.58	0.15	0.09	0.02
21	मैनपुरी	94.15	5.09	0.02	0.02	0.30	0.19	0.03
22	मथुरा	91.59	8.12	0.03	0.10	0.02	0.04	0.01
23	मेरठ	70.12	27.49	0.21	0.64	0.24	0.57	0.01
24	मुरादाबाद	56.79	42.70	0.09	0.24	0.05	0.02	0.00
25	मुजफ्फरनगर	64.28	34.52	0.03	0.48	0.06	0.30	0.01
26	पीलीभीत	71.70	23.12	0.06	4.93	0.12	0.00	0.00
27	रामपुर	47.90	47.95	0.25	3.57	0.02	0.03	0.01
28	सहारनपुर	62.70	36.12	0.03	0.66	0.04	0.21	0.00
29	शाहजहाँपुर	79.98	17.57	0.06	2.12	0.20	0.00	0.01
30	बाराबंकी	78.14	21.66	0.01	0.05	0.03	0.04	0.01
31	फतेहपुर	87.31	12.57	0.03	0.01	0.03	0.00	0.01
32	हरदोई	86.54	12.58	0.01	0.09	0.75	0.00	0.01
33	कानपुर देहात	92.97	6.91	0.00	0.01	0.09	0.01	0.01
34	कानपुर नगर	79.48	17.80	0.42	1.60	0.05	0.10	0.06
35	खीरी	78.54	18.07	0.10	2.85	0.36	0.00	0.00
36	लखनऊ	78.97	19.66	0.24	0.71	0.10	0.04	0.01
37	रायबरेली	88.45	11.35	0.02	0.10	0.01	0.01	0.04
38	सीतापुर	82.20	17.37	0.02	0.23	0.14	0.01	0.00
39	उन्नाव	89.24	10.66	0.00	0.03	0.06	0.00	0.01
40	इलाहाबाद	86.79	12.94	0.08	0.07	0.01	0.01	0.01
41	आजमगढ़	86.59	13.01	0.10	0.00	0.17	0.00	0.01

42	बहराइच	69.67	29.92	0.04	0.19	0.12	0.01	0.00
43	बलिया	93.81	6.03	0.05	0.03	0.00	0.00	0.03
44	बस्ती	83.06	16.51	0.01	0.04	0.35	0.00	0.01
45	देवरिया	79.67	20.18	0.02	0.01	0.10	0.00	0.00
46	फैजाबाद	86.47	13.39	0.01	0.08	0.02	0.00	0.01
47	गाजीपुर	89.78	10.07	0.04	0.02	0.01	0.00	0.04
48	गोण्डा	74.47	25.36	0.01	0.05	0.09	0.00	0.00
49	गोरखपुर	91.51	8.09	0.08	0.09	0.12	0.00	0.02
50	जौनपुर	89.71	9.74	0.02	0.01	0.49	0.00	0.01
51	महराजगंज	83.66	15.89	0.03	0.05	0.34	0.00	0.02
52	मऊ	81.01	17.91	0.37	0.01	0.34	0.00	0.00
53	मिर्जापुर	92.84	6.98	0.02	0.04	0.04	0.02	0.01
54	प्रतापगढ़	86.56	13.25	0.02	0.04	0.10	0.00	0.01
55	सिद्धार्थनगर	70.93	28.76	0.03	0.02	0.24	0.00	0.00
56	सोनभद्र	94.41	4.94	0.20	0.18	0.03	0.03	0.01
57	सुल्तानपुर	86.89	12.94	0.01	0.05	0.10	0.00	0.00
58	वाराणसी	86.85	12.84	0.06	0.09	0.07	0.02	0.01
59	बांदा	93.54	6.36	0.02	0.01	0.00	0.02	0.01
60	हमीरपुर	92.62	7.28	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01
61	जालौन	89.77	9.27	0.00	0.01	0.89	0.02	0.01
62	झांसी	90.30	8.42	0.25	0.27	0.08	0.22	0.03
63	ललितपुर	94.84	2.73	0.04	0.13	0.01	1.15	0.00
	<b>म-ि</b>	<b>81.74</b>	<b>17.33</b>	<b>0.07</b>	<b>0.49</b>	<b>0.16</b>	<b>0.07</b>	<b>0.01</b>

स्रोत : भारत की जनगणना 1991, तालिका सी -9

तालिका-बी-50 : अनुसूचित जाति ( एस.सी. ) और अनुसूचित जन जातियों की साक्षरता दरें

क्रम	जिला	1991 एस.सी.	1991 एस.टी.	1991 एस. और एस.टी.
1	अयोध्या	23.20	0.01	27.42
2	चमोली	23.01	0.00	27.38
3	देहरादून	24.46	0.04	31.55
4	गढ़वाल	22.02	0.33	40.22
5	नैनीताल	25.61	0.01	26.09
6	पिथौरागढ़	16.46	0.34	32.98
7	टिहरी गढ़वाल	14.69	0.01	26.70
8	उत्तरकाशी	23.25	0.00	36.00
9	हरिद्वार	27.02	0.01	33.87
10	आगरा	12.66	0.02	28.72
11	अलीगढ़	21.17	0.01	29.62
12	बरेली	20.67	0.08	27.59
13	बिजनौर	17.34	0.00	30.56
14	बदायूँ	21.20	0.00	26.61
15	बुलंदशहर	17.49	2.26	42.30
16	एटा	13.40	8.20	32.42
17	इटावा	15.55	0.01	27.52
18	फर्रुखाबाद	17.32	0.00	28.50
19	फिरोजाबाद	25.03	0.00	27.34
20	गाजियाबाद	23.15	0.00	29.80
21	मैनपुरी	17.59	0.03	29.09
22	मथुरा	24.72	0.02	32.21
23	मेरठ	19.28	0.01	27.15
24	मुरादाबाद	13.52	0.22	31.91
25	मुजफ्फरनगर	17.89	0.01	27.23
26	पीलीभीत	20.57	0.02	27.01
27	रामपुर	15.57	0.43	33.03
28	सहारनपुर	22.04	0.02	27.06
29	शाहजहाँपुर	24.89	0.00	33.26
30	बाराबंकी	31.55	0.00	31.04
31	फतेहपुर	21.58	0.18	28.90
32	हरदोई	27.35	0.00	29.64
33	कानपुर देहात	21.78	0.00	25.46
34	कानपुर नगर	28.80	0.01	30.14
35	खीरी	25.17	0.03	29.10
36	लखनऊ	13.54	0.04	26.50
37	रायबरेली	26.90	1.19	31.15
38	सीतापुर	25.12	0.05	32.73

क्रम	जिला	1991 एस.सी.	1991 एस.टी.	1991 एस. और एस.टी.
39	उन्नाव	21.88	0.04	28.67
40	इलाहाबाद	19.40	0.16	34.08
41	आजमगढ़	19.29	0.00	27.31
42	बहराइच	20.23	0.01	27.83
43	बलिया	22.06	0.00	27.83
44	बस्ती	16.64	0.00	28.39
45	देवरिया	25.95	0.00	32.17
46	फैजाबाद	16.14	0.01	28.13
47	गाजीपुर	14.04	0.00	29.96
48	गोण्डा	15.80	5.84	32.35
49	गोरखपुर	16.01	0.10	28.93
50	जौनपुर	20.45	3.23	41.04
51	महाराजगंज	21.49	0.00	29.07
52	मऊ	29.86	0.06	31.50
53	मिर्जापुर	12.99	0.00	29.29
54	प्रतापगढ़	22.50	0.01	28.94
55	सिद्धार्थनगर	18.02	0.02	30.95
56	सोनभद्र	16.69	0.00	32.64
57	सुल्तानपुर	32.22	0.01	31.38
58	वाराणसी	42.50	0.01	38.20
59	बांदा	22.36	0.01	29.44
60	हमीरपुर	14.20	0.11	39.59
61	जौनपुर	30.54	0.11	30.81
62	झांसी	22.78	0.96	47.97
63	ललितपुर	18.14	0.00	28.82
	<b>मि-1</b>	<b>21.05</b>	<b>0.21</b>	<b>29.73</b>
<b>1991 प्रशासनिक सीमाएँ</b>				
1	उत्तराखण्ड	22.03	0.07	30.00
2	पश्चिमी	19.69	0.24	29.40
3	मध्य	22.86	0.59	28.89
4	पूर्वी	21.16	0.07	30.33
5	बुंदेलखंड	20.90	0.05	29.70
<b>2001 प्रशासनिक सीमाएँ</b>				
पश्चिमी (हरिद्वार रहित)		21.55	0.06	30.06
उत्तरांचल (हरिद्वार सहित)		20.94	0.24	29.66
मि-1 (उत्तरांचल रहित)		19.30	0.26	29.16

स्रोत : भारत की जनगणना 1991, तालिका एस.सी. -9 और एस.टी. -10

तालिका - बी -51 : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कार्य भागीदारी दर, 1991

क्रम	जिला	एस.सी. /एस.टी.			अन्य के मुकाबले एस.सी. / एस.टी. %	एस.सी. /एस.टी. पुरुषों के मुकाबले एस.सी. / एस.टी. महिलाओं का %
		कुल	पुरुष	महिला		
1	अयोध्या	40.85	43.05	38.68	102.05	89.85
2	चमोली	42.74	44.68	40.78	101.28	91.27
3	देहरादून	37.52	52.93	19.71	120.95	37.24
4	दिल्ली गढ़वाल	33.20	40.15	26.31	104.70	65.53
5	नैनीताल	33.41	49.43	15.33	104.21	31.01
6	पिथौरागढ़	38.57	43.38	33.57	92.27	77.39
7	टिहरी गढ़वाल	40.49	46.19	34.69	102.64	75.10
8	उत्तरकाशी	50.04	52.25	47.69	105.73	91.27
9	हरिद्वार	30.10	51.83	4.31	105.36	8.32
10	आगरा	28.33	49.21	3.16	104.38	6.42
11	अलीगढ़	28.20	48.20	4.24	103.91	8.80
12	बरेली	29.35	51.54	2.15	102.51	4.17
13	बिजनौर	28.14	50.11	2.41	102.51	4.81
14	बदायूँ	30.97	53.53	2.76	101.61	5.16
15	बुलंदशहर	26.90	46.30	4.08	101.39	8.81
16	एटा	29.09	50.66	2.33	102.50	4.60
17	इटावा	28.09	48.71	2.42	103.69	4.97
18	फर्रुखाबाद	29.78	51.30	3.35	102.90	6.53
19	फिरोजाबाद	27.72	48.34	2.36	102.63	4.88
20	गाजियाबाद	26.99	45.90	4.47	98.94	9.74
21	मैनपुरी	27.48	48.83	1.34	100.77	2.74
22	मथुरा	28.43	48.00	4.38	102.75	9.13
23	मेरठ	28.93	47.90	6.38	102.30	13.32
24	मुरादाबाद	28.24	49.34	2.94	100.46	5.96
25	मुजफ्फरनगर	32.77	51.41	10.62	111.08	20.66
26	पीलीभीत	29.68	52.49	2.60	103.09	4.95
27	रामपुर	29.56	51.73	3.08	101.06	5.95
28	सहारनपुर	30.50	52.08	4.80	107.06	9.22
29	शाहजहाँपुर	32.02	55.93	2.07	104.27	3.70
30	बाराबंकी	38.19	58.54	14.33	118.35	24.48
31	फतेहपुर	35.99	51.11	18.98	116.21	37.14
32	हरदोई	32.19	54.69	4.25	105.54	7.77
33	कानपुर देहात	30.90	49.74	8.05	108.42	16.18
34	कानपुर नगर	27.82	46.62	5.28	105.82	11.33
35	खीरी	32.03	56.48	3.25	103.96	5.75
36	लखनऊ	31.89	51.70	9.13	114.84	17.66
37	रायबरेली	35.28	52.22	17.47	118.03	33.45



38	सीतापुर	32.51	56.33	3.91	105.42	6.94
39	उन्नाव	32.44	53.22	8.89	107.77	16.70
40	इलाहाबाद	37.49	49.80	23.73	126.57	47.65
41	आजमगढ़	28.81	44.10	14.21	114.51	32.22
42	बहराइच	36.10	58.56	8.86	111.59	15.13
43	बलिया	30.68	42.49	18.07	117.95	42.53
44	बस्ती	33.37	51.30	13.82	116.64	26.94
45	देवरिया	31.78	46.72	16.28	118.85	34.85
46	फैजाबाद	33.93	51.54	15.25	118.80	29.59
47	गाजीपुर	29.97	43.28	16.06	114.21	37.11
48	गोण्डा	37.25	57.14	14.14	115.58	24.75
49	गोरखपुर	30.17	44.64	14.84	115.24	33.24
50	जौनपुर	28.78	43.86	13.69	117.28	31.21
51	महाराजगंज	38.06	53.30	21.42	114.95	40.19
52	मऊ	30.24	44.08	16.19	111.38	36.73
53	मिर्जापुर	38.77	51.60	24.23	129.84	46.96
54	प्रतापगढ़	34.02	46.21	22.19	122.77	48.02
55	सिद्धार्थनगर	37.46	54.99	17.97	118.28	32.68
56	सोनभद्र	42.99	55.14	29.44	124.07	53.39
57	सुल्तानपुर	35.03	52.59	16.16	125.87	30.73
58	वाराणसी	33.88	47.51	18.62	122.31	39.19
59	बांदा	40.90	53.60	25.88	118.52	48.28
60	हमीरपुर	36.19	51.78	17.46	112.11	33.72
61	जालौन	31.07	48.77	9.18	106.73	18.82
62	झांसी	31.94	47.72	13.46	108.57	28.21
63	ललितपुर	35.06	53.38	14.16	109.77	26.53
	<b>म-1</b>	<b>32.43</b>	<b>50.41</b>	<b>11.94</b>	<b>111.83</b>	<b>23.69</b>

स्रोत : भारत की जनगणना 1991, तालिका एस.टी. -2, एस.सी.-2

तालिका -बी-52 : गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुमानित जिलावार प्रतिशत, 1993-94

क्रम	जिला	ग्रामीण	
		एस.सी./एस.टी.	सामान्य
1	अयोध्या	39.59	25.42
2	चमोली	26.15	15.09
3	देहरादून	31.02	3.44
4	दिल्ली गढ़वाल	8.28	10.51
5	नैनीताल	54.13	16.40
6	पिथौरागढ़	27.69	33.20
7	टिहरी गढ़वाल	16.81	17.42
8	उत्तरकाशी	11.75	24.29
9	हरिद्वार	42.95	46.25
10	आगरा	32.48	20.06
11	अलीगढ़	43.39	28.25
12	बरेली	21.17	23.15
13	बिजनौर	76.28	24.85
14	बदायूँ	36.13	21.58
15	बुलंदशहर	36.35	28.24
16	एटा	49.87	30.93
17	इटावा	72.23	31.35
18	फर्रुखाबाद	37.98	26.44
19	फिरोजाबाद	24.13	12.94
20	गाजियाबाद	51.47	21.42
21	मैनपुरी	86.26	46.63
22	मथुरा	47.70	11.90
23	मेरठ	18.85	10.82
24	मुरादाबाद	43.87	34.46
25	मुजफ्फरनगर	30.16	23.85
26	पीलीभीत	52.49	25.10
27	रामपुर	38.16	41.56
28	सहारनपुर	46.81	39.79
29	शाहजहाँपुर	11.13	15.19
30	बाराबंकी	38.66	25.05
31	फतेहपुर	81.03	50.85
32	हरदोई	64.21	60.57
33	कानपुर देहात	47.56	22.61
34	कानपुर नगर	57.45	26.36
35	खीरी	59.60	49.84

क्रम	जिला	ग्रामीण	
		एस.सी./एस.टी.	सामान्य
36	लखनऊ	67.43	30.21
37	रायबरेली	59.24	41.17
38	सीतापुर	55.57	28.53
39	उन्नाव	68.08	55.29
40	इलाहाबाद	60.03	27.66
41	आजमगढ़	70.02	37.74
42	बहराइच	63.27	50.43
43	बलिया	78.81	29.10
44	बस्ती	33.30	23.78
45	देवरिया	56.99	46.05
46	फैजाबाद	77.42	41.01
47	गाजीपुर	81.27	47.04
48	गोण्डा	49.49	38.21
49	गोरखपुर	50.91	28.17
50	जौनपुर	69.90	34.99
51	महराजगंज	36.85	32.05
52	मऊ	56.22	29.66
53	मिर्जापुर	77.55	36.60
54	प्रतापगढ़	73.40	50.86
55	सिद्धार्थनगर	43.75	30.64
56	सोनभद्र	69.93	34.97
57	सुल्तानपुर	66.16	47.09
58	वाराणसी	50.26	36.88
59	बांदा	83.44	60.61
60	हमीरपुर	49.09	28.59
61	जालौन	90.33	54.71
62	झांसी	41.96	34.21
63	ललितपुर	69.21	56.11
	मिड	54.62	34.33
<b>1991 प्रशासनिक सीमाएँ</b>			
1	उत्तराखंड	33.20	18.72
2	पश्चिमी	41.37	27.00
3	मध्य	60.13	40.57
4	पूर्वी	61.28	37.88
5	बुंदेलखंड	69.19	47.97

स्रोत : एन.एस.एस. 50वें दौर से आकलित (केन्द्र और राज्य के समन्वित नमूने)

**तालिका - बी -53 : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कार्यकारी जमीनों का औसत आकार और सीमांत कार्यकारी जमीनों का अनुपात (हेक्टेयर में)**

क्रम	जिला	सीमांत कार्यकारी जमीनों का अनुपात				कार्यकारी जमीनों का औसत आकार (हेक्टेयर में)			
		एस.सी.	एस.टी.	अन्य	कुल	एस.सी.	एस.टी.	अन्य	कुल
1	अमोड़ा	—	—	—	—	—	—	—	—
2	बागेश्वर	—	—	—	—	—	—	—	—
3	चमोली	88.31	79.74	70.09	72.66	0.47	0.64	0.85	0.79
4	चम्पावत	—	—	—	—	—	—	—	—
5	देहरादून	78.46	48.21	82.00	77.54	0.68	1.72	0.69	0.82
6	गढ़वाल	86.76	91.74	54.90	58.81	0.50	0.28	1.31	1.21
7	नैनीताल	76.77	36.64	64.02	66.14	0.73	2.11	1.26	1.17
8	पिथौरागढ़	92.26	87.01	82.04	83.92	0.38	0.45	0.63	0.58
9	रुद्रप्रयाग	—	—	—	—	—	—	—	—
10	टिहरी गढ़वाल	91.58	0.00	69.39	71.65	0.40	0.00	0.84	0.79
11	द्वारका नगर	72.18	45.46	52.61	52.81	0.87	2.40	1.78	1.81
12	उत्तरकाशी	76.66	96.31	66.23	68.88	0.68	0.18	0.96	0.89
13	हरिद्वार	81.43	66.90	58.97	62.82	0.65	0.93	1.26	1.15
14	आगरा	77.95	0.00	55.61	58.99	0.71	0.00	1.45	1.34
15	अलीगढ़	80.89	0.00	59.32	63.29	0.66	0.00	1.32	1.19
16	औरैया	—	—	—	—	—	—	—	—
17	बागपत	—	—	—	—	—	—	—	—
18	बरेली	83.74	0.00	71.93	73.04	0.57	0.00	0.89	0.86
19	बिजनौर	77.06	41.94	62.80	65.07	0.73	1.33	1.32	1.22
20	बदायूँ	81.37	0.00	71.94	72.96	0.64	0.00	0.94	0.91
21	बुलंदशहर	82.31	0.00	62.41	65.43	0.66	0.00	1.24	1.15
22	एटा	80.88	0.00	72.47	73.66	0.63	0.00	0.91	0.87
23	इटावा	83.00	0.00	72.05	73.49	0.62	0.64	0.93	0.87
24	फर्रुखाबाद	89.92	0.00	78.07	79.63	0.47	0.00	0.74	0.70
25	फिरोजाबाद	76.11	0.00	61.35	63.33	0.77	0.00	1.17	1.11
26	गौतमबुद्धनगर	—	—	—	—	—	—	—	—
27	गाजियाबाद	90.64	0.00	69.46	71.27	0.48	0.00	1.00	0.96
28	हाथरस	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ज्योतिबापुरनगर	—	—	—	—	—	—	—	—
30	कन्नौज	—	—	—	—	—	—	—	—
31	मैनपुरी	80.32	0.00	75.82	76.46	0.65	0.00	0.80	0.77
32	मथुरा	74.86	0.00	46.49	50.35	0.80	0.00	1.62	1.51
33	मेरठ	92.23	0.00	61.94	65.29	0.47	0.00	1.21	1.13
34	मुरादाबाद	84.01	0.00	68.68	70.92	0.59	0.00	1.06	1.00
35	मुजफ्फरनगर	92.29	0.00	60.60	64.56	0.39	0.00	1.20	1.09
36	पीलीभीत	75.95	78.43	61.10	63.03	0.73	0.63	1.18	1.13
37	रामपुर	81.20	0.00	63.92	65.92	0.68	0.00	1.13	1.08
38	सहारनपुर	86.13	0.00	57.55	62.72	0.53	0.00	1.39	1.24
39	शाहजहाँपुर	83.33	0.00	69.53	71.33	0.62	0.00	1.00	0.95
40	बाराबंकी	88.87	0.00	77.45	80.49	0.47	0.00	0.79	0.70
41	फतेहपुर	90.99	0.00	72.52	76.06	0.45	0.00	0.93	0.84

42	हरदोई	81.39	0.00	73.73	75.97	0.71	0.00	0.99	0.91
43	कानपुर देहात	85.77	0.00	70.06	73.09	0.53	0.00	0.99	0.90
44	कानपुर नगर	90.09	0.00	68.37	71.49	0.49	0.00	1.00	0.92
45	खीरी	78.66	23.17	71.78	73.25	0.67	2.91	1.11	1.01
46	लखनऊ	83.37	0.00	74.58	77.76	0.61	0.00	0.90	0.80
47	रायबरेली	90.18	0.00	77.39	80.83	0.47	0.00	0.91	0.64
48	सीतापुर	81.92	0.00	72.64	75.13	0.64	0.00	0.94	0.86
49	उन्नाव	85.20	0.00	75.50	78.17	0.56	0.00	0.85	0.77
50	इलाहाबाद	91.72	0.00	75.93	78.82	0.42	0.00	0.83	0.76
51	अम्बेडकरनगर	96.68	0.00	84.03	86.26	0.39	0.00	0.64	0.59
52	आजमगढ़	95.62	0.00	83.36	85.87	0.29	0.00	0.63	0.56
53	बहराइच	83.04	62.46	76.64	77.50	0.60	1.15	0.88	0.84
54	बलिया	94.16	0.00	79.27	80.46	0.35	0.00	0.79	0.75
55	बलरामपुर	—	—	—	—	—	—	—	—
56	बस्ती	95.49	0.00	78.63	81.19	0.34	0.00	0.70	0.65
57	चन्दौली	—	—	—	—	—	—	—	—
58	देवरिया	96.56	0.00	84.06	85.11	0.29	0.00	0.64	0.61
59	फैजाबाद	95.18	0.00	82.49	85.33	0.36	0.00	0.64	0.58
60	गाजीपुर	92.46	0.00	77.72	79.98	0.40	0.00	0.84	0.77
61	गोण्डा	92.07	64.60	78.88	80.74	0.39	1.17	0.72	0.67
62	गोरखपुर	94.25	0.00	83.80	85.07	0.33	0.00	0.62	0.58
63	जौनपुर	97.42	0.00	87.86	89.32	0.26	0.00	0.49	0.45
64	कौशाम्बी	—	—	—	—	—	—	—	—
65	कुशीनगर	96.18	0.00	87.92	88.86	0.34	0.00	0.56	0.54
66	महराजगंज	93.74	76.09	81.62	83.20	0.37	0.95	0.69	0.65
67	मऊ	94.85	0.00	80.62	83.35	0.37	0.00	0.74	0.67
68	मिर्जापुर	74.71	0.00	72.08	72.65	0.79	0.00	1.04	0.99
69	प्रतापगढ़	96.85	0.00	83.81	85.65	0.31	0.00	0.58	0.55
70	सन्तकबीरनगर	—	—	—	—	—	—	—	—
71	सन्तरविदासनगर	98.45	0.00	88.56	89.84	0.24	0.00	0.51	0.48
72	श्रावस्ती	—	—	—	—	—	—	—	—
73	सिद्धार्थनगर	91.58	0.00	77.68	79.46	0.39	0.00	0.79	0.74
74	सोनभद्र	69.43	0.00	59.42	63.70	1.16	0.00	1.49	1.35
75	सुल्तानपुर	96.95	0.00	85.98	87.66	0.29	0.00	0.57	0.53
76	वाराणसी	96.34	0.00	83.91	85.08	0.27	0.00	0.59	0.56
77	बांदा	73.28	0.00	55.34	57.93	0.81	0.00	1.65	1.53
78	चित्रकूट	—	—	—	—	—	—	—	—
79	हमीरपुर	60.08	0.00	43.85	46.06	1.14	0.00	2.09	1.96
80	जालौन	66.60	0.00	49.99	52.76	1.00	0.00	1.82	1.68
81	झांसी	53.32	0.00	46.31	47.94	1.18	0.00	1.91	1.74
82	ललितपुर	34.22	0.00	38.70	37.75	1.60	0.00	1.96	1.89
83	महोबा	52.91	0.00	46.66	47.79	1.19	0.00	1.87	1.75
	<b>म-1६</b>	<b>85.71</b>	<b>57.01</b>	<b>73.30</b>	<b>75.42</b>	<b>0.55</b>	<b>1.63</b>	<b>0.93</b>	<b>0.86</b>

स्रोत : कृषि गणना 1995-96.

तालिका-बी-54 : साफ पेय जल\*, बिजली और शौचालय सुविधा की उपलब्धता के आधार पर परिवारों का वितरण, 1991  
(अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवार)

क्रम	जिला	साफ पेय जल	बिजली	शौचालय	अन्य के मुकाबले एस.सी. / एस.टी. %			एस.सी. -एस.टी.		
					साफ पेयजल	बिजली	शौचालय	1 या 1 से कम कमरा	2 कमरे	3 या अधिक कमरे
1	अयोध्या	58.08	18.78	5.10	88.16	58.91	50.67	24.0	43.6	32.4
2	चमोली	71.68	18.83	6.96	93.98	54.11	54.26	13.7	44.3	42.0
3	देहरादून	80.61	45.91	21.79	89.14	58.02	35.71	40.2	34.5	25.3
4	दिल्ली गढ़वाल	72.81	32.43	9.47	97.78	91.31	60.50	13.8	39.8	46.3
5	नैनीताल	76.32	28.42	13.46	89.05	51.00	31.10	45.3	36.3	18.3
6	पिथौरागढ़	69.16	15.49	6.45	126.08	54.79	57.22	24.6	55.5	19.9
7	टिहरी गढ़वाल	63.54	16.47	6.30	90.10	50.35	52.28	23.0	44.7	32.3
8	उत्तरकाशी	63.22	24.83	7.91	89.36	56.91	34.65	31.4	37.7	30.9
9	हरिद्वार	83.47	24.52	12.99	90.91	47.35	29.47	56.5	27.8	15.7
10	आगरा	61.65	34.30	19.80	102.65	91.65	66.33	44.0	32.7	23.3
11	अलीगढ़	58.81	11.14	6.91	78.89	48.52	32.92	40.7	42.0	17.3
12	बरेली	63.50	10.31	13.56	75.93	38.95	31.43	38.6	41.6	19.8
13	बिजनौर	73.58	10.76	8.90	82.72	31.90	18.70	54.7	27.9	17.4
14	बदायूँ	54.94	7.26	11.34	78.96	58.93	37.70	47.7	34.4	17.9
15	बुलंदशहर	82.37	15.79	10.00	93.24	56.76	36.17	42.0	36.1	21.9
16	एटा	49.16	8.70	8.40	81.69	78.41	59.90	53.8	27.7	18.5
17	इटावा	54.76	6.32	4.85	92.69	39.30	29.81	43.4	32.8	23.7
18	फर्रुखाबाद	48.61	9.27	8.51	96.08	59.10	41.24	43.1	32.7	24.1
19	फिरोजाबाद	66.69	16.09	11.05	100.13	72.24	51.88	46.0	30.5	23.5
20	गाजियाबाद	88.48	41.25	24.27	94.29	72.74	50.54	40.1	31.6	28.4
21	मैनपुरी	53.94	6.99	5.64	94.73	58.45	46.16	40.6	34.2	25.2
22	मथुरा	49.76	20.51	15.39	81.32	95.98	108.44	37.0	31.5	31.5
23	मेरठ	86.85	31.18	17.46	93.38	63.48	44.65	40.0	32.7	27.2
24	मुरादाबाद	83.09	10.05	9.88	105.73	43.06	27.70	34.9	48.1	17.0
25	मुजफ्फरनगर	84.42	16.16	9.85	90.06	46.82	31.16	47.2	31.2	21.6
26	पीलीभीत	79.22	9.40	10.59	93.78	55.39	44.81	32.5	38.5	28.9
27	रामपुर	68.02	12.93	26.13	79.59	41.96	44.33	41.9	35.1	23.1
28	सहारनपुर	82.65	19.74	9.04	90.62	44.20	23.95	55.7	28.9	15.4
29	शाहजहाँपुर	51.44	7.62	8.44	87.23	46.89	34.92	28.7	47.3	24.1
30	बाराबंकी	28.22	2.72	1.91	75.15	22.71	17.76	33.8	32.9	33.4
31	फतेहपुर	30.14	2.54	1.97	92.66	21.00	19.17	19.9	32.3	47.8
32	हरदोई	23.59	1.82	1.74	67.25	17.19	11.52	36.5	37.8	25.7
33	कानपुर देहात	35.32	4.00	2.37	91.17	37.03	27.53	36.2	32.6	31.2
34	कानपुर नगर	75.74	48.30	43.31	90.25	68.47	63.43	44.7	33.0	22.4
35	खीरी	54.36	4.40	2.75	86.75	31.25	21.86	26.3	48.5	25.1
36	लखनऊ	39.10	19.23	13.94	53.78	31.45	24.02	37.2	33.2	29.6
37	रायबरेली	35.55	6.43	2.46	95.75	41.39	31.07	33.2	30.1	36.7
38	सीतापुर	23.87	2.63	1.96	70.00	23.97	17.61	32.2	35.9	31.8
39	उन्नाव	25.75	4.49	2.92	79.92	29.34	22.64	35.3	33.7	31.0
40	इलाहाबाद	43.37	14.04	8.29	98.26	45.23	40.95	20.4	38.2	41.5
41	आजमगढ़	84.78	11.08	2.01	99.25	55.73	25.63	14.7	30.2	55.1

42	बहराइच	53.28	2.41	2.18	96.34	29.19	26.74	36.0	40.4	23.6
43	बलिया	69.50	10.76	5.31	88.06	56.80	42.68	22.7	30.0	47.3
44	बस्ती	69.44	3.83	1.94	93.69	30.14	35.44	26.2	39.7	34.1
45	देवरिया	86.60	4.32	2.38	105.38	37.68	37.71	24.0	43.3	32.7
46	फैजाबाद	66.70	5.49	2.95	93.57	33.14	29.21	15.6	32.1	52.3
47	गाजीपुर	54.06	5.76	2.36	96.93	41.71	24.38	18.3	29.3	52.5
48	गोण्डा	52.50	3.72	2.58	93.12	35.32	36.79	28.2	40.7	31.1
49	गोरखपुर	81.50	11.12	5.81	96.11	38.64	32.99	30.3	38.5	31.1
50	जौनपुर	48.61	14.23	1.91	102.60	61.39	23.27	28.3	38.3	33.4
51	महराजगंज	83.87	8.71	3.13	92.63	44.14	42.39	36.1	38.0	25.9
52	मऊ	82.96	11.43	3.06	95.15	37.27	24.73	15.3	27.5	57.2
53	मिर्जापुर	33.21	10.08	3.87	94.25	36.81	30.58	29.0	38.0	33.0
54	प्रतापगढ़	37.22	5.01	1.25	118.16	39.75	28.19	20.3	37.9	41.9
55	सिद्धार्थनगर	67.24	2.08	1.18	95.79	24.02	28.87	31.5	42.9	25.6
56	सोनभद्र	25.73	5.08	3.71	54.94	15.61	13.65	21.4	35.1	43.4
57	सुल्तानपुर	43.22	7.71	1.95	101.68	45.63	34.29	19.8	36.5	43.8
58	वाराणसी	36.46	18.85	9.32	79.84	46.78	37.02	26.5	31.9	41.6
59	बांदा	39.08	3.61	2.62	106.32	28.39	25.53	22.8	39.5	37.7
60	हमीरपुर	28.63	4.13	2.69	85.34	27.68	20.72	19.4	37.2	43.5
61	जालौन	53.69	10.58	6.18	90.08	44.09	27.70	12.6	32.0	55.4
62	झांसी	44.81	23.95	11.15	88.17	61.22	40.23	23.9	30.8	45.3
63	ललितपुर	35.84	6.31	3.49	98.95	40.10	32.19	44.3	32.5	23.2

स्रोत : भारत की जनगणना, तालिका एच. 4-एस.सी. और एच. -4-एस.टी.